



...the name you can BANK upon!



Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka,
New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	Scrip Code : 532461
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 07.06.2022

Dear Sir,

Reg.: Annual Report of the Bank for the year 2021-22.

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed the Annual Report of the Bank for the year 2021- 22.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,


(Ekta Pasricha)
Company Secretary




Encl.: A/a

pnbindia.in

T: 011 28075000, 28045000

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट सं.4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
Corp. Office: Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi 110075 India



पंजाब नैशनल बैंक  **punjab national bank**
...भरसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

PNB0215A_MAR22_VER1.0_MAR22_SESHAASAI



PNB PA
Your Personal Advisor

ग्राहक केंद्रित डगर
भविष्य पर नज़र

IN STEP WITH
TODAY
IN TOUCH WITH
TOMORROW



pnb one
just one app

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL
REPORT | 2021-22



श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, पंजाब नैशनल बैंक के संस्थापक पंजाब केसरी स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पीएनबी प्रधान कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में श्रद्धांजली अर्पित करते हुए।

Shri. Atul Kumar Goel, MD & CEO paying tribute to Punjab Kesri Lt. Lala Lajpat Rai ji, founder Punjab National Bank, On occasion of Republic Day at PNB Head Office, Dwarka, New Delhi



श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक, श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक एवं श्री विजय कुमार त्यागी, सीवीओ द्वारा दिनांक 15.03.2022 को उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर ग्राहक सेवा एवं डोरस्टेप बैंकिंग पर पुस्तिका का विमोचन

Launch of Booklet on Customer Service & Doorstep Banking by Sh. Atul Kumar Goel, MD & CEO, Sh. Vijay Dube, Executive Director, Sh. Swarup Kumar Saha, Executive Director, Sh. Kalyan Kumar, Executive Director & Sh. Vijay Kumar Tyagi, CVO on the occasion of Consumer Rights Day on 15.03.2022



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के डेस्क से

From the Managing Director and CEO's Desk

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, प्रथम छमाही के दौरान गहन संपर्क क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद अर्थव्यवस्था ने गति प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया। पिछले दो वर्षों के दौरान, कोविड के कारण हुए व्यवधान ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है और हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है। महामारी ने दुनिया भर में कारोबार को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी को मुख्य प्रवर्तक बना दिया है। चूंकि बैंकिंग सेवाएं दूरस्थ रूप से भी दी जा सकती हैं, भुगतान, बचत और कुछ हद तक क्रेडिट प्रदाता के रूप में वास्तविक क्षेत्र के साथ इस क्षेत्र के जुड़ाव ने कोविड-19 संकट के नकारात्मक प्रभाव को सीमित कर दिया। वित्तीय नियामकों और भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण नीतिगत कार्रवाइयों के माध्यम से, बैंकिंग क्षेत्र ने कम राजस्व की अवधि के दौरान व्यवसाय प्रतिष्ठानों और परिवारों के लिए सहायक की भूमिका निभाई है।

इस पृष्ठभूमि में, बैंक ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हमारे ग्राहकों को निरंतर सेवाएं प्रदान की हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, बैंक ने इस वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट गत वर्ष की प्रमुख विशेषताओं, विस्तृत निष्पादन और पहलों का एक प्रतिबिंब है जो बैंक के प्रगति पथ को दर्शाता है। हमने परिवर्तनकारी विकास को जारी रखते हुए कारोबार और लाभ दोनों में वृद्धि दर्ज की है।

आर्थिक अवलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कैलेंडर वर्ष (CY) 2021 में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वैश्विक सुधार जारी रहा लेकिन महामारी के कारण इसकी गति धीमी रही। विश्व अर्थव्यवस्था अब कोविड-19 के फिर से उभरने, मुद्रास्फीति, सरकारी खर्च में कमी और मौद्रिक नीतियों के सामान्यीकरण का एक साथ सामना कर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध का नया संकट और चीन में बार-बार और व्यापक लॉकडाउन आपूर्ति और मांग के तनाव को बढ़ा रहे हैं, उपभोक्ताओं की भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यह वैश्विक आर्थिक विकास के लिए खतरा है।

आर्थिक संभावनाओं में जोखिम चुनौतीपूर्ण हो गए हैं क्योंकि युद्ध का प्रभाव मुख्य रूप से पण्य बाजारों, व्यापार और वित्तीय संबंधों के माध्यम से अन्य देशों में फैलता है। IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022

Dear Shareholders,

In the Financial Year 2021-22, the economy started gaining momentum despite the impact of COVID-19 on the contact intensive sector in the first half. During the last couple of years, the disruption due to COVID-19 has impacted every aspect of life and has altered the way we live. The pandemic turned much attention towards technology as a key enabler, for sustaining businesses across the globe. Since banking services can also be given remotely, the linkage of the sector with the real sector as provider of payment, savings and to some extent on credit, limited the negative effect of the COVID-19 crisis. The banking sector played the role of supporting firms and households during period of lower revenues, through important policy actions by Financial Regulators and Governments.

Amidst this backdrop, the Bank provided continuous services to our customers while ensuring the safety of our employees. Despite challenging circumstances, the Bank posted growth in this Financial Year. The Annual Report, FY 2021-22 is a reflection of the year bygone sharing major highlights, detailed performance and initiatives as the Bank treaded on its growth trajectory. We continued to pursue transformational development and recorded growth in both business and profit.

Economic Overview

The Global Economy

The global economy rebounded in Calendar Year (CY) 2021 posting a growth of 6.1 per cent. The global recovery continued but momentum was weakened, hobbled by the pandemic. The world economy now is simultaneously facing re-emergence of COVID-19, inflation, scaling back of government spending and normalization of monetary policies. The new crisis of Russia-Ukraine war and frequent and wider-ranging lockdowns in China is exacerbating supply and demand tensions, damaging consumer sentiment and is threatening global economic growth.

Risks to economic prospects have become challenging as the spill over of the war spreads to other countries mainly through commodity markets, trade, and financial linkages. IMF in its

के अंक में वैश्विक विकास के, CY 2021 में अनुमानित 6.1 प्रतिशत से कम होकर CY 2022 के साथ-साथ CY 2023 में 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए महंगाई चिंता का एक अन्य विषय बनी, जिसका कारण युद्ध जनित उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि से वैश्विक आपूर्ति में आई बाधा है।

100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक की तेल की कीमतें बड़े पैमाने पर आयात-निर्भर देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर और विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों पर भारी पड़ रही हैं जिसने इन देशों को बढ़ती कीमतों, जीडीपी वृद्धि में गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के साथ संकट के कगार पर धकेल दिया है।

अर्थव्यवस्थाओं के सामने, महंगाई से निपटने और बहाली को सुरक्षित रखने के मध्य; तथा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने और राजकोषीय बफर के पुनर्निर्माण के बीच सामंजस्य बिटाने के दो कठिन नीतिगत पक्ष हैं। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिबंधों को लागू करने के कारण आगे होने वाले आर्थिक विखंडन को रोकने के लिए भू-राजनीतिक संकट का सामना करने के प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वैश्विक तरलता बनाए रखना, ऋण संकट का प्रबंधन करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना आवश्यक है। परिवारों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को लक्षित समर्थन, विकास को बढ़ाने वाले निवेश को स्थान प्रदान करेगा। वस्तुओं के व्यापार संबंधी नीतियों में सुधार देशों को वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलाव का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। कौशल में सुधार और बढ़ती प्रतिस्पर्धा नई डिजिटल तकनीकों को अपनाने की क्षमता और प्रोत्साहन को सुदृढ़ करेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी वित्त वर्ष 2021-22 के अंतिम अनुमानों ने भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को 8.7 प्रतिशत पर रखा। आर्थिक गतिविधि जो तीसरी लहर का प्रभाव कम होने, वैश्विक टीकाकरण की तीव्र प्रगति और सहायक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कारण सुधर रही थी, को अब बिगड़ते भू-राजनीतिक घटनाक्रम और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में तीव्र वृद्धि तथा कमजोर वैश्विक विकास परिदृश्य के कारण विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण आपूर्ति बाधाओं और बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिमों का हवाला देते हुए विभिन्न एजेंसियों द्वारा जीडीपी विकास दर अनुमानों को कम कर दिया गया है। मार्च 2022 के लिए थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमशः 14.55 प्रतिशत और 6.95 प्रतिशत था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पिछले चार महीनों से आरबीआई की लक्षित सीमा की ऊपरी सीमा से अधिक बना रहा। मौद्रिक और राजकोषीय दोनों मोर्चों पर बाधाएं होने से, बहाली का रास्ता नई चुनौतियों से प्रभावित होगा।

हालांकि, चुनौतियों के बावजूद, अर्थव्यवस्था को विभिन्न सरकारी सुधारों से बहुत महत्वपूर्ण समर्थन मिलेगा, विशेष रूप से 500-गीगावाट (जीडब्ल्यू) हरित ऊर्जा योजना, उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) विनिर्माण समर्थन, डिजिटल अर्थव्यवस्था ड्राइव, 145 लाख करोड़ रुपये-प्लस बुनियादी ढांचा पाइपलाइन, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए लक्षित प्रोत्साहन। भारत ने 2020 में 1.9

World Economic Outlook April, 2022 issue, has projected Global growth to slow from an estimated 6.1 per cent in CY 2021 to 3.6 per cent in CY 2022 as well as CY 2023.

Inflation has emerged as another cause of concern for most economies due to global supply shocks driven by war-induced commodity price increase.

Oil prices of more than \$100 per barrel are weighing heavily on the economies of import-dependent countries at large and particularly on South Asian nations and these nations have been pushed on the brink of crisis with rising prices, declining GDP growth and depleting foreign exchange reserves.

The two difficult policy trade-offs faced by the economies are between tackling inflation and safeguarding the recovery; and between supporting the vulnerable sections of the society and rebuilding fiscal buffers. In such circumstances, efforts are needed to respond to the geo-political crisis to prevent further economic fragmentation due to imposition of sanctions. Apart from the same, it is essential to maintain global liquidity, manage debt distress, and tackle climate change. Targeted support to households and firms would provide the space for growth enhancing investment. Reform of trade-related policies in goods would enable countries to take advantage of shifts in the global trade landscape. Improving skills and enhancing competition would strengthen the capacity and incentive to adopt new digital technologies.

The Indian Economy

The Provisional Estimates for FY 2021-22 released by the National Statistical Office (NSO) placed India's real Gross Domestic Product (GDP) growth at 8.7 per cent. Economic activity which was recovering with the ebbing of the third wave, rapid stride towards universal vaccination, and supportive fiscal and monetary policies, now faces significant headwinds from the worsening geopolitical developments and the accompanying sharp rise in global commodity prices and weakening global growth outlook.

The GDP growth rate projections has been lowered down by various agencies citing worsening supply bottlenecks and rising inflation risks caused by the geo-political conflict. The Wholesale and Consumer Price Index for March, 2022 was at 14.55 per cent and 6.95 per cent, respectively. The CPI has remained above the upper limit of RBI's targeted range for last four months. With limitation on both monetary and fiscal front, the path to recovery will be marred by fresh challenges.

However, despite the challenges, the economy will get the much needed push from various government reforms notably the 500-gigawatt (GW) green energy plan, Production-Linked Incentive (PLI) manufacturing push, digital economy drive, Rs 145 lakh crore-plus infrastructure pipeline, and targeted incentives for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

ट्रिलियन डॉलर की नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) शुरू की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देगी। केंद्रीय बजट में शुरू की गई पीएम गति शक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह अगले 25 वर्षों के अमृत काल – 75 वर्ष के भारत से 100 वर्ष के भारत तक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी।

इन सभी घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।

बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियां

बैंकिंग क्षेत्र को नियामक और सरकार के उपायों से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने महामारी से जुड़े तनाव को प्रबंधित करने में सहायता की। 25 मार्च, 2022 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-खाद्य ऋण गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 4.5 प्रतिशत से वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 9.7 प्रतिशत रहा। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त सहायता से लगभग सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि में सहयोग मिला।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ, समग्र गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) अनुपात दिसंबर 2021 में घटकर 6.5 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 6.8 प्रतिशत था, जो उद्योग के ऋण में कम एनपीए होने के कारण था। बैंकों ने पूंजी जुटाकर और प्रावधान बफर जोड़कर अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखा।

बढ़ी हुई मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए, रिजर्व बैंक ने मई 22 में रेपो दर में बढ़ोतरी की और इसका असर बैंक की उधार और जमा दर पर पड़ने की संभावना है। खपत और निवेश पर तत्काल प्रभाव सीमित होगा। आर्थिक गतिविधियों में व्यापक उछाल, सामान्य मानसून के पूर्वानुमान और निवेश चक्र तथा निर्यात की बहाली से विकास को समर्थन मिलेगा।

महामारी ने बैंकों को अपनी प्रौद्योगिकी रणनीतियों को फिर से परखने और डिजिटल/शाखा रहित बैंकिंग को सुदृढ़ करने के लिए मजबूर किया। अस्तित्व बनाए रखने और मौजूदा ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए ग्राहक केंद्रित और ग्राहक पहले, संगठन बनना आवश्यक है।

अब मैं आपके साथ वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान आपके बैंक के कुछ प्रमुख कार्य निष्पादन की विशेषताओं को साझा करूंगा।

वित्तीय प्रदर्शन:

एक चुनौतीपूर्ण वर्ष के बावजूद, बैंक ने 31 मार्च, 2022 को रु.7,85,104 करोड़ के सकल वैश्विक अग्रिम और रु.11,46,218 करोड़ की सकल वैश्विक जमा राशि के साथ रु.19,31,322 करोड़ का सकल वैश्विक कारोबार प्राप्त किया।

47.43 प्रतिशत के घरेलू कासा शेयर के साथ बैंक की कम लागत वाली फ्रैंचाइज़ पिछले वर्ष की तुलना में 195 बीपीएस सुधार कर, मजबूत बनी रही। चालू और बचत जमा राशियां (कासा) रु. 5,33,654 करोड़ रहीं। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान चालू और बचत राशियों में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। जमा राशियों की वैश्विक लागत 3.99 प्रतिशत रही।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, बैंक के लाभप्रदता मानदंड और अनुपात स्थिर

India launched the \$1.9-trillion National Infrastructure Pipeline (NIP) in 2020 which will give boost to the infrastructure sector. PM Gati Shakti launched in the Union Budget is a transformative approach for economic growth and sustainable development. It will steer the economy over the AmritKaal of the next 25 years – from India at 75 to India at 100.

All these developments indicate that the Indian economy is well placed to take on the challenges during FY 2022-23 and will continue to remain the fastest growing economy in the world.

Developments in the Banking Sector

The Banking sector was well supported by the measures from Regulator and Government which helped manage the pandemic linked stress. As on March 25, 2022, Non Food credit by Scheduled Commercial Banks rose by 9.7 per cent on YoY basis from 4.5 per cent during the corresponding period of previous year. Support from the Government through various schemes aided credit growth in almost all sectors.

The asset quality of SCBs improved further during FY 2021-22, with the overall non-performing assets (NPA) ratio declining to 6.5 per cent in December 2021 from 6.8 per cent a year ago, driven by lower NPAs in credit to industry. Banks continued to strengthen their financials by raising capital and adding to provision buffers.

To rein in elevated inflation, Reserve Bank hiked Repo Rate in May, 2022 and this will likely to have an impact on Bank's lending and deposits rate. The immediate impact on consumption and investment will be limited. The growth will be supported by a broad rebound in economic activity, the forecast of a normal monsoon and a revival in the investment cycle and exports.

The pandemic forced banks to re-examine their technology strategies and strengthen digital/branchless banking. Becoming a customer centric and customer first organization is essential to ensure survival and retain existing customers.

I would now share with you some of key performance highlights of your Bank during the FY 2021-22.

Financial Performance:

In spite of a challenging year, the Bank reached the mark of Rs. 19,31,322 Crore in Gross Global Business as on 31st March, 2022 with Gross Global Advances at Rs. 7,85,104 Crore and Gross Global Deposit at Rs. 11,46,218 Crore.

Bank's low cost franchise remained robust with the Domestic CASA share at 47.43 per cent an improvement of 195 bps over last year. Current and Saving Deposits (CASA) were at Rs. 5,33,654 Crore. The Current and Savings during FY 2021-22 grew by more than 8 per cent. The global cost of deposit was contained at 3.99 per cent.

For the FY 2021-22, Bank's profitability parameters and ratios

रहे। बैंक का परिचालन लाभ रु.20,761 करोड़ था। शुद्ध लाभ 71 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 के रु.2022 करोड़ से वित्त वर्ष 2021-22 में रु. 3457 करोड़ हो गया।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ में क्रमशः 0.26 प्रतिशत और 5.96 प्रतिशत का सुधार हुआ। प्रमुख उत्पादकता मानदंड, प्रति कर्मचारी कारोबार 31 मार्च, 2022 में बढ़कर रु.1941 लाख रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 में घरेलू और वैश्विक शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) क्रमशः 2.79 प्रतिशत और 2.71 प्रतिशत रहा।

आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

एनपीए के स्तर में क्रमिक कमी देखी गई है और 31 मार्च, 2022 को सकल एनपीए घटकर 92,448 करोड़ और शुद्ध एनपीए रु.34,909 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष क्रमशः रु. 1,04,423 करोड़ और रु. 38,576 करोड़ था। सकल एनपीए अनुपात 234 बीपीएस सुधारकर 11.78 प्रतिशत रहा, शुद्ध एनपीए अनुपात में 93 बीपीएस का सुधार हुआ और 31 मार्च 2022 को यह 4.80 प्रतिशत था। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) (टीडब्ल्यूओ सहित) 31 मार्च, 2021 के 80.14 प्रतिशत से 31 मार्च '22 को 146 बीपीएस सुधारकर 81.60 प्रतिशत हो गया।

आस्ति गुणवत्ता में सुधार हमारा प्रमुख उद्देश्य रहा है। एनपीए प्रबंधन के लिए बैंक द्वारा शुरू किए गए सख्खा पोर्टल में एकबारगी समझौता (ओटीएस), वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और इरादतन चूककर्ता के लिए 5 अलग-अलग मॉड्यूल हैं। इस वसूली प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से, एक उधारकर्ता की प्रमुख वसूली कार्रवाईयों की स्थिति का पता एक स्थान पर ही लगाया जा सकता है। प्रभावी निगरानी के लिए, स्टैंडअलोन डीआरटी और सरफेसी पोर्टलों को सख्खा पोर्टल में अलग मॉड्यूल के रूप में पुनः कॉन्फिगर किया गया है।

इसके अलावा, बैंक के वसूली और वाद संबंधी कार्यों के डिजिटलीकरण और स्वचालन के लिए एक नया व्यापक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जो एनपीए खातों में सभी प्रमुख वसूली कार्रवाईयों की संपूर्ण प्रोसेसिंग करेगा।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने क्यूआईपी के माध्यम से रु. 1800 करोड़ की इक्विटी पूंजी, टियर- II बॉन्ड के माध्यम से रु. 1919 करोड़ और एटी -1 बॉन्ड के माध्यम से रु. 3971 करोड़ जुटाए हैं।

31 मार्च 2022 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.50 प्रतिशत हो गया, जिसमें टियर- I पूंजी 11.73 प्रतिशत और सीईटी1 10.56 प्रतिशत था। बैंक ने कम जोखिम प्रोफाइल वाले बेहतर रेटेड उधारकर्ताओं को लक्षित करके सतत कारोबार विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

तकनीकी नवाचार और डिजिटलीकरण

अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

वित्तीय सेवा उद्योग के भीतर और बाहर, विशिष्ट डिजिटल पेशकश और नवोन्मेषी उपयोगकर्ता अनुभव ग्राहकों की अपेक्षाओं के स्तर को बढ़ाते रहे हैं। डिजिटल कंटेंट और मार्केटिंग को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानने के लिए ग्राहक अब उन पर भरोसा करते हैं।

remained stable. Bank's Operating Profit was at Rs. 20,761 Crore. Net Profit grew by 71 per cent in FY 2021-22 to Rs. 3457 Crore from Rs. 2022 Crore in FY 2020-21.

Return on Assets and Return on Equity improved to 0.26 per cent and 5.96 per cent respectively during FY 2021-22. The key productivity parameter, Business per employee increased to Rs. 1941 lakh in 31st March, 2022. The domestic and global Net Interest Margin (NIM) stood at 2.79 per cent and 2.71 per cent respectively in FY 2021-22.

Asset Quality and Capital Adequacy

Level of NPAs have seen sequential reduction with Gross NPA reducing to Rs. 92,448 crore as on 31st March, 2022 and Net NPA reducing to Rs. 34,909 crore from Rs. 1,04,423 crore and Rs. 38,576 crore respectively. Gross NPA ratio improved by 234 bps to 11.78 per cent, Net NPA ratio improved by 93 bps and was at 4.80 per cent on 31st March, 2022. Provision Coverage Ratio (PCR) (incl. TWO) improved by 146 bps to 81.60 per cent as on 31st March, 2022 from 80.14 per cent as on 31st March, 2021.

Improving asset quality continues to be our prime focus. The SASTRA portal rolled out by bank for NPA management has 5 different modules for One Time Settlement (OTS), Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI), Debts Recovery Tribunals (DRT), National Company Law Tribunal (NCLT) & Wilful Default. Through this recovery management portal, status of major recovery actions of a Borrower can be ascertained at a single place. For effective monitoring, standalone DRT and SARFAESI Portals have been re-configured as separate modules in the SASTRA Portal.

Further, a new comprehensive application software for digitalization & automation of Bank's recovery & litigation functions is being developed which will provide end-to-end processing of all major recovery actions in NPA Accounts.

During FY 2021-22, Bank raised equity of Rs. 1800 Crore through QIP, Rs. 1919 Crore through Tier -II Bonds and Rs. 3971 Crore through AT-1 Bonds.

The Capital Adequacy ratio of the Bank improved to 14.50 per cent as on 31st March, 2022 with Tier-I capital at 11.73 per cent and CET1 of 10.56 per cent. The focus of the bank was on sustainable business growth by targeting better rated borrowers with low risk profile.

Technology Initiatives and Digitalisation

Embracing futuristic technologies has gained significant momentum across the banking and financial sector as well.

Both within and beyond the financial services industry, unique digital offerings and innovative user experiences continue to raise the bar of customer expectations. Digital content and marketing has assumed importance considering the customers now rely on them to learn about the services available.

पिछले एक दशक में तकनीक ने हमारी दुनिया को बिल्कुल पलट दिया है। अल्ट्रा-हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के आगमन के साथ, ग्राहकों के साथ हमारे जुड़ने का तरीका भी विकसित हुआ है। आज, छोटे से छोटे लेन-देन में भी कई टच पॉइंट्स और जटिल बहु-स्तरीय पारस्परिक क्रिया शामिल है। व्यापार पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया है। प्रतिस्पर्धी और जोखिम मुक्त रहने के लिए निर्णय लेने में प्रौद्योगिकी-सक्षमता अनिवार्य है।

हमने कारोबार निष्पादन की निगरानी के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड पीएनबी 360 विकसित किया है। इसे बैंक के अत्याधुनिक विश्लेषण टूल की एंटरप्राइज़ डेटा वेयरहाउस क्षमताओं का लाभ उठाने वाली शाखाओं की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को कैचर करने के लिए विकसित किया गया है। अगले चरण में, इस टूल को और बेहतर बनाया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने कई पहलों की हैं जैसे कि भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) विकल्प जिसे मोबाइल ऐप-पीएनबी वन में “कहीं भी, कभी भी” बिल भुगतान के लिए प्रदान किया जा रहा है, पोजेटिव पे सिस्टम (पीपीएस) एक इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण प्रणाली हैं, जो ग्राहकों को बैंक द्वारा चेक प्रोसेस करने से पहले चेक विवरण बैंक के साथ डिजिटल मोड में साझा करने की अनुमति देती है, सक्रिय डेबिट कार्ड आदि रखने वाले इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड के ऑनलाइन रीसेट की सुविधा देना आदि, एएसबीए को पीएनबी वन में शामिल किया गया है जिससे निवेशक 24 * 7 आधार पर आईपीओ में अंशदान कर सकते हैं।

डिजिटल बैंकिंग को उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने हेतु इसमें हमारे शारीरिक रूप से अक्षम ग्राहकों के लिए दो नई पहलों को शामिल किया गया है। JAWS (जॉब एक्सेस विद स्पीच) जैसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जो टेक्स्ट टू स्पीच की सुविधा देता है, का उपयोग करके दृष्टिबाधित ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और वे मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं क्योंकि पीएनबी वन में वॉयस इनेबल्ड सहायता शुरू की गई है।

डोरस्टेप बैंकिंग को सुविधाजनक बनाने हेतु डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को उनके पंजीकृत पते पर डेबिट कार्ड प्राप्त हो रहा है। ग्राहकों को डिजिटल चैनल के माध्यम से डेबिट कार्ड पिन सेट करके उनके पंजीकृत पते पर दिए गए डेबिट कार्ड को सक्रिय करने की सुविधा भी दी गई है। कार्ड रहित नकदी निकासी सुविधा शुरू की गई है जो बिना डेबिट कार्ड के पीएनबी के एटीएम से नकद निकासी की सुविधा प्रदान करती है।

बैंक ने वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका उपयोग सभी मर्चेन्ट साइटों पर सेकेंड फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए किया जा सकता है। बैंक की सेवाओं, उत्पादों, लोकेटरों, वित्तीय कैलकुलेटरों और सभी ऐप के बारे में एक ही स्थान पर जानकारी प्रदान करने के लिए बैंक के ग्राहकों के साथ-साथ गैर-ग्राहकों के लिए पीएनबी पर्सनल एडवाइजर- पीएनबी पीए नामक एक अम्ब्रेला एप्लिकेशन विकसित की गई है।

बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए, बैंक पूर्ण डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए नीति में बदलाव के साथ-साथ एक व्यापक समाधान तैयार विकसित और कार्यान्वित करेगा, जिससे, व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, ईज़ (EASE) की बेंचमार्क आवश्यकताओं का अनुपालन करने, आंतरिक

In the last decade technology has turned our world on its head. With the advent of ultra-high-speed connectivity, the way we engage with customers has also evolved. Today, even the smallest of transactions involve multiple touch points and complex multi-layered interactions. Business has become more intricate than ever before. To remain competitive and risk-free, technology-enablement in decision-making is indispensable.

We have developed PNB 360, a comprehensive dashboard to monitor business performance. It has been developed to capture the day to day requirements of branches leveraging the enterprise data warehouse capabilities of Bank's state of art analysis tool. In the next phase, further enhancement of this tool will be done.

Apart from above, the Bank undertook several initiatives such as Bharat Bill Payment System (BBPS) option is being provided in mobile app-PNB ONE for “anywhere, anytime” bill payment, Positive Pay System (PPS) an electronic authentication system allowing customers to share the cheque details with Bank in digital mode before the Bank processes it, enabling online reset of password(s) for Internet Banking users having active debit card etc. ASBA have been included in PNB ONE facilitating investors to subscribe IPO 24*7.

Two new initiatives were incorporated in digital banking to make it user friendly for our physically challenged customers. The visually impaired customers by using screen reading software like JAWS (Job Access With Speech) which facilitates Text to Speech can avail internet banking services and they can also avail mobile banking services as voice enabled assistance have been introduced in PNB ONE.

To promote digitisation, to facilitate banking at doorstep the customers are receiving the Debit Card at their registered address. Customers have also been facilitated to activate the Debit Card delivered at their registered address by setting Debit Card PIN through digital channel. Cardless cash withdrawal facility has been launched which allows cash withdrawal facility from PNB ATMs without debit card.

Bank has launched Virtual Debit Card which can be used for e-Commerce transactions at all merchant sites through second factor authentication. An umbrella application namely PNB Personal Advisor- PNB PA has been developed for customers as well as non- customers of the Bank to provide information on Bank's services, products, locators, financial calculators and all apps at one place.

In the wake of changing environment, Bank shall design, develop and implement a comprehensive solution along with change in policy to bring complete Digital transformation, thereby, enabling and optimizing the organization for the future in terms of achieving business goals, complying with benchmark needs

प्रक्रियाओं के सम्पूर्ण डिजिटलीकरण, नियामक ढांचे और अन्य नियामक आवश्यकताओं द्वारा अनुमत अन्य आगामी डिजिटल अवसरों के संदर्भ में संगठन को भविष्य के लिए सक्षम और अनुकूलित किया जा सके।

एमएसएमई ऋण

काविड-19 के बाद गंभीर आपूर्ति व्यवधान और मांग में गिरावट के कारण एमएसएमई क्षेत्र को व्यापार निरंतरता बनाए रखने में सबसे अधिक नुकसान हुआ। सरकार ने इस क्षेत्र को अत्यधिक आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए कई उपाय शुरू किए।

बैंक ने विभिन्न योजनाओं जैसे गारंटीड आपातकालीन ऋण व्यवस्था (जीईसीएल), तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी), सड़क विक्रेताओं के लिए प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत प्रदान किये गए शिशु ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज अनुदान योजना, पीएनबी कोविड-19 आपातकालीन ऋण सुविधा (पीएनबी-सीईसीएफ) आदि के माध्यम से अपनी रणनीतिक विकास योजना में एमएसएमई के वित्तपोषण को सर्वोच्च महत्व दिया है।

अनुकूलित आईटी आधारित समाधान अर्थात् पीएनबी लेंस के माध्यम से एमएसएमई को डिजिटल ऋण देने पर अपेक्षित जोर दिया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने, टीएटी को कम करने और छोटे उधारकर्ताओं को सुलभता प्रदान करने के लिए ई-नवीनीकरण योजना (ऋण सुविधाओं के स्वतः नवीनीकरण के लिए एक प्रणाली) की शुरुआत की गई है। पीएनबी ई-मुद्रा (शिशु) योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ psbloansin59minutes.com प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी।

जन प्रबंधन

कर्मचारियों का शिक्षण और विकास उनके कार्यनिष्पादन में सुधार के साथ-साथ प्रतिधारण के लिए महत्वपूर्ण है। नई वितरण प्रणाली को अपनाने और कौशल बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिकतम संख्या में कर्मचारियों को तैयार करके बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली विकसित हुई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने कार्यबल के बीच शिक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नवोन्मेषी उपाय किए, जिससे लचीले समय पर निरंतर बेहतर सीखने का अनुभव प्रदान करना सुनिश्चित किया गया। प्रशिक्षण प्रणाली को रणनीतिक रूप से दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है, जो वैश्विक वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में प्रकट होता है।

नए उत्पादों को समझने और कर्मचारियों को उन परिवर्तनों के बारे में जानकारी देने के लिए, एक दैनिक पॉडकास्ट सेवा शुरू की गई है जिसमें कर्मचारियों के लाभ के लिए दैनिक आधार पर उत्पादों/प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों का संक्षिप्त विवरण परिचालित किया जाता है। स्टाफ के साथ साथ ग्राहकों के बीच इसकी विशेषताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए 'पीएनबी वन' पर इंटरएक्टिव वीडियो लॉन्च किए गए हैं।

विभिन्न बैंकिंग प्रक्रियाओं पर समेकित दिशानिर्देशों/एसओपी/अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों/सामान्य त्रुटियों के साथ फील्ड पदाधिकारियों की

of EASE, end to end digitalisation of internal processes, other upcoming digital opportunities as permitted by regulatory framework and other regulatory requirements.

MSME Lending

MSME sector suffered the most in ensuring business continuity in the face of severe supply disruption and dipping demand after COVID-19. The Government initiated numerous measures to provide much needed thrust to the sector.

The Bank gave highest importance to financing MSME in their strategic growth plan through various schemes like Guaranteed Emergency Credit Line (GECL), Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) for Stressed MSMEs, PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi), Interest Subvention Scheme of 2% on Prompt Repayment of Shishu Loan extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), PNB COVID-19 Emergency Credit Facility (PNB-CECF), etc.

Digital lending to MSME has been given requisite thrust through customized IT based solution i.e. PNB LenS. Launch of e-RENEWAL scheme (a system for automatic renewal of credit facilities) has been introduced to increase efficiency of the appraisal process, reduce TAT and provide ease to small borrowers. PNB e- Mudra (Shishu) scheme was launched to meet the credit needs of the Micro and Small entrepreneur through Digital platform as well as through psbloansin59minutes.com platform.

People Management

The learning and development of employees is vital for their performance improvement as well as retention. The training system of the Bank evolved through adoption of new delivery systems and technology to upskill and prepare the maximum number of employees to face the challenges.

During the year, the Bank took a slew of innovative measures to promote learning and development amongst workforce, ensuring consistent delivery of an enhanced learning experience at flexible timings. The training system has been strategically aligned with the long term corporate goals, manifested in the backdrop of global financial and economic scenario.

To understand new products and to keep the staff abreast of those changes, a daily podcast service has been started wherein brief details of products/ processes/ guidelines are circulated for the benefit of the staff on daily basis. Interactive videos on 'PNB ONE' has been launched to promote better understanding of its features amongst staff as well as customers.

To facilitate field functionaries with consolidated guidelines/ SOPs/FAQs/common errors on different banking process,

सुविधा के लिए, प्रशिक्षण वर्टिकल ने चालू और बचत खाता खोलने की प्रक्रियाओं, एनपीए प्रबंधन और ग्राहक सेवा/शिकायत वृद्धि मैट्रिक्स के लिए पुस्तिकाओं को प्रदर्शित करने की पहल की है।

पुरस्कार और सम्मान

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। बैंक ने एसोचैम द्वारा 8वें एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक (पीएसयू) जीता तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) अभियान के तहत समकक्ष बैंकों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया। बैंक ने ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वाणिज्यिक ब्यूरो पर सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता सुधार पुरस्कार जीता। पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए एपीवाई लीडरशिप कैपिटल अभियान में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी बैंक को प्राप्त हुआ।

बैंक ने मैसर्स इंफोसिस के साथ संयुक्त रूप से ग्लोबल फाइनेंस रिव्यू कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए "इनिशिएटिव कोर एमेलगामेशन" श्रेणी में "ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंस अवार्ड्स 2021" जीता।

इसके अलावा, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी योजना पीएमईजीपी को लागू करने में अपने प्रदर्शन हेतु तीसरा स्थान हासिल किया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा एनआरएलएम योजना के तहत बैंक को एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में दूसरे सर्वश्रेष्ठ बैंक से सम्मानित किया गया।

बैंक ने "एससी उद्यमियों का समर्थन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ऋणदाता" श्रेणी के तहत डॉ. अंबेडकर बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड भी जीता।

बैंक द्वारा प्राप्त अन्य पुरस्कार – कृषि ऋण, सूक्ष्म वित्त, वित्तीय समावेशन और प्रौद्योगिकी अपनाने की फील्ड में सर्वश्रेष्ठ पीएसयू के लिए नाबार्ड द्वारा विशेष स्मारक पुरस्कार 2021; "सर्वश्रेष्ठ कोर-बैंकिंग प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन" के लिए एशियाई बैंकर वित्तीय प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2021।

मावी योजनाएँ

बैंकिंग के क्रमिक विकास में महामारी को एक परिवर्तनकारी घटना के रूप में देखा जाता है। कोविड-19 ने बैंकों को अधिक सक्रिय, उनकी लंबे समय से चली आ रही धारणाओं पर सवाल उठाने, और अधिक अनुकूल और नवाचारयुक्त बना दिया है। बैंकिंग का भविष्य डिजिटल है।

बैंक एमएसएमई, खुदरा, कृषि और कॉर्पोरेट के अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित करके व्यवसाय की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देगा। बैंक व्यवसाय संचालन में दक्षता, ग्राहक अनुभव में सुधार और लागत कम करने के लिए पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत, पेंशन ऋण और ई-मुद्रा के माध्यम से ग्राहकों की यात्रा के डिजिटलीकरण का उपयोग करके बदलते परिवेश और अपेक्षाओं के साथ डिजिटल संसाधनों को बदलने की योजना बना रहा है।

बैंक मौजूदा सुविधाओं में सुधार करते हुए डिजिटल उधार यात्रा, बाजार की विशेषताओं, जीवन शैली की पेशकश, धन प्रबंधन सेवाएं आदि की पेशकश करके पीएनबी वन ऐप को सशक्त बना रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष

Training vertical has taken initiative of curating booklets for Current and Savings account opening processes, NPA Management and customer service/complaint escalation matrices.

Awards and Recognitions

In FY 2021-22 the Bank won many prestigious awards. Bank won the Best MSME Bank (PSU) in 8th MSME Excellence Awards by ASSOCHAM and Secured First position amongst peer banks under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) campaign launched by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Bank won the best Data Quality Improvement Award on Commercial Bureau for FY 2021-22 amongst Public Sector Banks by TransUnion CIBIL. Award of excellence in campaign APY Leadership Capital launched by PFRDA was also received by the Bank.

Jointly with M/s Infosys the Bank won the "Global Banking & Finance Awards 2021" in the category "Initiative Core Amalgamation" for FY 2020-21 by Global Finance Review Company.

Further, the Bank bagged 3rd position for its performance in implementing the Government scheme PMEGP for the FY 2020-21.

Bank was awarded 2nd Best Bank in SHG Credit Linkage under NRLM scheme by Ministry of Rural Development (MoRD).

Bank also won Dr. Ambedkar Business Excellence Award under the category "Most Significant lender supporting SC Entrepreneurs".

Other awards that were received by the Bank - Special Commemorative Award 2021 by NABARD for Best PSU in the fields of Agriculture Credit, Micro Finance, Financial Inclusion and Technology Adoption; The Asian Banker Financial Technology Innovation Award 2021 for "Best Core-banking Technology Implementation".

Looking Ahead

The pandemic is seen as a watershed event in the evolution of banking. COVID-19 has caused banks to become more proactive, to question their long-held assumptions, and to become more adaptive and innovative. The future of banking is digital.

Bank will emphasize to improve quality of business by focusing on advances from MSME, Retail, Agriculture and Corporate. Bank is planning to transform the Digital resources with the changing environment and expectations by using digitization of customer journeys through pre-approved Personal, Pension loans, and e-Mudra for efficiency in business operations, improving customer experience and reducing cost.

Bank is strengthening PNB ONE app by offering digital lending journeys, market place features, life style offerings, wealth management services etc. by revamping the existing features. In

में, बैंक गैर-निधि आधारित व्यवसाय और तृतीय पक्ष उत्पादों से आय में वृद्धि, समामेलन से उत्पन्न सहक्रियाओं का लाभ उठाकर लागत/व्यय को कम करने के लिए शाखाओं/एटीएम, प्रशासनिक कार्यालयों के युक्तिकरण के माध्यम से लाभ को अधिकतम करने का प्रयास भी करेगा।

ग्राहकों की अपेक्षाओं और तेजी से बढ़ते वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप में मानव संसाधन में परिवर्तन के लिए, बैंक संपूर्ण मानव संसाधन परिवर्तन लाने के लिए नीति में बदलाव के साथ एक व्यापक समाधान बनाने विकसित और कार्यान्वित करने की योजना बना रहा है। इस प्रकार, बेंचमार्क ईज और अन्य नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में संगठन को भविष्य के लिए सक्षम और अनुकूलित करेगा।

मानव संसाधन परिवर्तन का मुख्य दबाव क्षेत्र व्यापारिक आसूचना (आंतरिक और बाहरी) संचालित लक्ष्य निर्धारण, मानव संसाधन इष्टतमीकरण, ऑनलाइन निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, योग्यता प्रबंधन और व्यक्तिगत स्तरीय अनुपालन की निगरानी टूल पर होगा। इससे अधिक पारदर्शिता, बेहतर दक्षता, संसाधनों का इष्टतमीकरण और उत्पादकता में वृद्धि भी होगी।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों के विश्वास, भरोसे और सक्रिय सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर अपने सभी हितधारकों को बैंक में उनके दृढ़ विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस यात्रा में अपने ग्राहकों से मिले निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने सभी कर्मचारियों को इस कठिन समय के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आगामी वित्तीय वर्ष में, हम नए और अनुकूल समाधान प्रदान करने, दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने, ग्राहक केन्द्रीयता और ब्रांड उपस्थिति बढ़ाने तथा नए क्षेत्रों में विस्तार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे।

आपका,

(अतुल कुमार गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

the next Financial Year, Bank will also make efforts towards profit maximisation through increase in Non-Fund based business and income from third party products, reaping synergies arising out of amalgamation, rationalization of branches/ ATMs, administrative offices to reduce cost/expenditure.

To transform the human resources in terms of expectations of customers and fast growing financial ecosystem, the Bank is planning to design, develop and implement a comprehensive solution along with change in policy to bring complete HR transformation. Thus, enabling and optimizing the organisation for the future in terms of achieving business goals, complying with benchmark needs of EASE and other regulatory requirements.

The main thrust areas of HR Transformation will be on Business intelligence (internal and external) driven target setting, HR Resource optimization, Online Performance Management System, Talent Management and Individual level compliance Monitoring tool. This shall also lead to more transparency, better efficiency, optimization of resources and enhanced productivity.

I would like to express my gratitude to all members of the Board for their trust, faith and active association. I also thank the Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance. I also take this opportunity to wholeheartedly thank all our stakeholders for their unequivocal trust in the Bank. I would also like to acknowledge the continuous patronage we have received in this journey from our customers. I thank all our employees for their unstinted support during this testing times. In the forthcoming financial year, we will continue our focus on providing new and tailored solutions, improving efficiency and productivity, enhancing customer centricity and brand presence, and expanding into new segments.

Yours Sincerely,

(Atul Kumar Goel)

Managing Director & CEO

श्री अतुल कुमार गोयल
प्रबंध-निदेशक एवं सीईओ
Shri Atul Kumar Goel
Managing Director & CEO



श्री संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Sanjay Kumar
Executive Director



श्री विजय दुबे
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijay Dube
Executive Director



श्री स्वरूप कुमार साहा
कार्यपालक निदेशक
Shri Swarup Kumar Saha
Executive Director



श्री कल्याण कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Kalyan Kumar
Executive Director



श्री पंकज शर्मा
भारत सरकार के नामित निदेशक
Shri Pankaj Sharma
Govt. of India Nominee Director



श्री अनिल कुमार मिश्रा
भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Anil Kumar Misra
Reserve Bank of India Nominee Director



श्री पंकज जोशी
अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक
Shri Pankaj Joshi
Part Time Non-Official Director



श्री संजीव कुमार सिंघल
अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक
Shri Sanjeev Kumar Singhal
Part Time Non-Official Director



श्री गौतम गुहा
शेयरधारक-निदेशक
Shri Gautam Guha
Shareholder Director



डॉ. रेखा जैन
शेयरधारक-निदेशक
Dr. Rekha Jain
Shareholder Director



श्री पंकज जैन
Shri Pankaj Jain

Former Nominee Director, Govt. of India
(08.08.2019 to 11.04.2022)



भूतपूर्व नामित निदेशक, भारत सरकार
(08.08.2019 to 11.04.2022)

श्री विजय कुमार त्यागी
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Shri. Vijay Kumar Tyagi
Chief Vigilance Officer



मुख्य महाप्रबंधक | Chief General Managers

श्री सुनील सोनी
Shri Sunil Soni



श्री गौरी प्रसाद शर्मा
Shri Gauri Prosad Sarma



श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव
Shri Vishesh Kumar
Srivastava



श्री सुरेन्द्र कुमार दीक्षित
Shri Surendra Kumar
Dixit



श्री नसीम अहमद
Shri Nasim Ahmad



श्री नवीन कुमार दाश
Shri Nabin Kumar Dash



श्री दिलीप कुमार जैन
Shri Dilip Kumar Jain



श्री बिनोद कुमार
Shri Binod Kumar



श्री वी सुन्दरेशन
Shri V Sundaresan



श्री आशुतोष चौधरी
Shri Ashutosh Choudhury



श्री समीर बाजपेयी
Shri Sameer Bajpai



सेवानिवृत्त | Superannuated

श्री राम कुमार
Shri Ram Kumar



विषय सूची

	पृष्ठ सं.
नोटिस	2-43
निदेशकों की रिपोर्ट	45-78
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण	79-106
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	107-108
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	109-173
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	174-179
निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र	180-181
कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	183-205
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट	207-225
बेसल-III के अंतर्गत प्रकटीकरण	226

वित्तीय विवरणियां (एकल)

227

- तुलन-पत्र	228-232
- लाभ और हानि लेखा	230-232
- अनुसूचियां	233-245
- प्रमुख लेखांकन नीतियां	246-261
- खातों से संबंधित टिप्पणियां	262-352
- नकदी प्रवाह विवरण	353-356
- लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	357-370

समेकित वित्तीय विवरणियां

371

- तुलन-पत्र	372-373
- लाभ और हानि लेखा	374-376
- अनुसूचियां	377-388
- प्रमुख लेखांकन नीतियां	389-405
- खातों से संबंधित टिप्पणियां	406-431
- नकदी प्रवाह विवरण	432-435
- लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	436-448

लेखापरीक्षक

एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
एस आर गोयल एंड कंपनी
पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
डी के छाजड़ एंड कंपनी

शेयर अंतरण एजेंट

बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसिज़ (प्रा.) लि.
'बीटल हाउस', तृतीय तल,
99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे,
नई दिल्ली 110 062
टेली.नं. 011-29961281/82/83, फ़ैक्स : 011-29961284
ई-मेल: beetal@beetalfinancial.com

Contents

	Page No.
Notice	2-43
Directors' Report	45-78
Management Discussion and Analysis	79-106
Auditors' Certificate on Corporate Governance	107-108
Report on Corporate Governance	109-173
Secretarial Audit Report	174-179
Certificate of Non-Disqualification of Directors	180-181
Business Responsibility Report	183-205
Corporate Social Responsibility Report	207-225
Disclosure under Basel III	226

Financial Statements (Standalone)

227

- Balance Sheet	228-229
- Profit & Loss Account	230-232
- Schedules	233-245
- Significant Accounting Policies	246-261
- Notes to Accounts	262-352
- Cash Flow Statement	353-356
- Auditors' Report	357-370

Consolidated Financial Statements

371

- Balance Sheet	372-373
- Profit & Loss Account	374-376
- Schedules	377-388
- Significant Accounting Policies	389-405
- Notes to Accounts	406-431
- Cash Flow Statement	432-435
- Auditors' Report	436-448

AUDITORS

S N Dhawan & Co. LLP.
S R Goyal & Co.
P S M G & Associates
S C Bapna & Associates
D K Chhajjer & Co.

SHARE TRANSFER AGENT

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited
'Beetal House', 3rd Floor
99, Madangir, Behind Local Shopping Centre
New Delhi 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284
e-mail: beetal@beetalfinancial.com

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !



punjab national bank
...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075
(ई-मेल आईडी : hosd@pnb.co.in)

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075
(E-mail id: hosd@pnb.co.in)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक आम बैठक 30 जून, 2022, गुरुवार को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

साधारण कारोबार

मद सं. 1: 31 मार्च, 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा विचार विमर्श, अनुमोदित एवं स्वीकार किया गया।”

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के प्रत्येक ₹2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर पर ₹0.64 की दर से प्रति शेयर लाभांश घोषित किया गया है।”

विशेष कारोबार

मद सं. 3: एकमुश्त प्रतिभूति लेन-देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/ खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवाओं आदि के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन और पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (अनुषंगी), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सहायक) के साथ प्रासंगिक

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 21st Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on Thursday, the 30th June, 2022 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2022, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2022, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts be and are hereby approved and adopted.”

Item No.2: To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2021-22.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT dividend at the rate of ₹0.64 per equity share of the face value of ₹2/- each of the Bank be and is hereby declared for the financial year ended 31st March, 2022.”

SPECIAL BUSINESS

Item No. 3: To consider and approve the Material Related Party Transaction for outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts

वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली सूचनाओं में प्रकट किये जा सकने वाले ऐसे अन्य लेनदेन पर भी विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ रु.1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/ खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी एनसीडी निर्गमन में ईबीपी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवाएं और ऐसे अन्य लेनदेन भी, जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किए जा सकते हैं, जैसा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतों या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हो या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।”

Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate), PNB Metlife India Insurance Company Ltd. (Associate).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord **approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for Outright securities transactions (Sale/Purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger Services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year, with PNB Gilts Limited, PNB Housing Finance Limited (PNBHFL) and PNB Metlife India Insurance Company Ltd., Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2022-23, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

मद सं. 4: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए संबंधित पार्टियों के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) को, रु.1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, ऋण और अग्रिम जैसे कि मियादी ऋण, ऋण सहायता, ओवरड्राफ्ट इत्यादि स्वीकृत करने हेतु अनुबंध या समझौतों या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेरधारकों की सहमति या अंत में मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।”

Item No. 4: To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) of granting of Loans and Advances such as Term Loans, Line of Credit, Overdraft etc., to PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited (PNBHFL), Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2022-23, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

मद संख्या 5: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगियों) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए संबंधित पार्टियों के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टियों’ लेनदेन पर नीति के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा), को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानि असम ग्रामीण विकास बैंक, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, के साथ, रु. 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मेटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, आईबीपीसी लेनदेन हेतु, अनुबंध या समझौते या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।”

Item No. 5: To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates)

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord **approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for undertaking IBPC transactions with Regional Rural Banks viz. Assam Gramin Vikash Bank, Bangiya Gramin Vikash Bank, Himachal Pradesh Gramin Bank, Manipur Rural Bank, Punjab Gramin Bank, Prathama UP Gramin Bank, Tripura Gramin Bank, Dakshin Bihar Gramin Bank and Sarva Haryana Gramin Bank, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2022-23, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

मद संख्या 6: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (अनुषंगी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक) के साथ चालू खातों में संबंधित पार्टियों के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवतरूप से गठित कोई भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ बैंक द्वारा चालू खाता जमा, चाहे नए जमा (ओं) या किसी वृद्धि (ओं) के माध्यम से या पहले के अनुबंधों/समझौतों/लेनदेनों में संशोधन या अन्यथा के रूप में हो, की स्वीकृति हेतु, इसके बावजूद कि किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि रु. 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक हो सकती है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतों या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

Item No. 6: To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Current Accounts with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any committee duly constituted by Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for acceptance of current account deposits by the Bank whether by way of fresh deposit(s) or any extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/transactions or otherwise, with PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, notwithstanding the fact that the highest outstanding balance on any day may exceed the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2022-23, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

मद संख्या 7: ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में संबंधित पार्टियों के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टियों लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवतरूप से गठित कोई भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, के साथ, नोस्ट्रो खाते में लेनदेन, चाहे नए जमा (ओं) या किसी वृद्धि (ओं) के माध्यम से या पहले के अनुबंधों/समझौतों/लेनदेनों में संशोधन या अन्यथा के रूप में हो, इसके बावजूद कि किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि रु.1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर (अर्थात् वार्षिक समेकित कुल आय) के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक हो सकती है, जैसा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, के लिए, अनुबंध या समझौतों या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

Item No.7: To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Ltd. (International Subsidiary) & Everest Bank Ltd. (International Joint Venture).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any committee duly constituted by Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) in the Nostro accounts whether by way of fresh transaction or any extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/transactions or otherwise, with Druk PNB Bank Limited and Everest Bank Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, notwithstanding the fact that the highest outstanding balance on any day may exceed the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2022-23, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 03.06.2022

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors
For **Punjab National Bank**

Place: New Delhi
Date: 03.06.2022

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

टिप्पणियाँ:

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक

एमसीए (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 के माध्यम से कंपनियों को 31 दिसंबर, 2022 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ /सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठकें आयोजित करने के संबंध में सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए छूट की अवधि भी 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है।

उपरोक्त दिशानिर्देशों और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें एक ही स्थान पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 58 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। 21वीं एजीएम के लिए संभावित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैंक की एजीएम में, शामिल हो सकते हैं, जो शेयरधारकों के लिए 30 जून 2022 को सुबह 10:30 बजे से अर्थात् एजीएम शुरू होने के लिए निर्धारित आरम्भ होने के समय से 30 मिनट पहले खुला रखा जाएगा। बैंक/एनएसडीएल निर्धारित समय के 30 मिनट बाद वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए विंडो बंद कर सकता है।

शेयरधारक यह नोट करें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की शेयर पूंजी का 2% या उससे अधिक रखने वाले शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि एजीएम में पहले-आओ-पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के आधार पर भाग ले सकते हैं।

2. इस नोटिस में निर्धारित मद संख्या 3 से 7 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाले संगत व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

NOTES:

1. Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)

MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide its General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 has permitted the companies to hold their AGM through VC/OAVM till 31st December, 2022. Further, SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 has also extended the relaxations to listed entities in respect of holding General Meetings through VC/OAVM till 31st December, 2022.

In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The Shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the 21st AGM shall be the Head Office of the Bank.

The facility for participation in the AGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the AGM, will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Shareholders may join the AGM of the Bank through VC/OAVM facility, by following the procedure as mentioned in the Notice, which shall be kept open for the shareholders on 30th June, 2022 from 10:30 a.m. i.e. 30 minutes before the time scheduled to start the AGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 shareholders on a first-cum-first-serve basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-cum-first-serve basis.

2. The relevant Explanatory Statements setting out material facts in respect of Item Nos. 3 to 7 as set out in this Notice is annexed hereto.

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए लिखत और उपस्थिति पर्ची को सूचना के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने एवं/या ई-मतदान के माध्यम से मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात्, शुक्रवार 24 जून 2022 को समाप्ति समय अर्थात् सांय 5.00 बजे से पहले शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, पंजाब नैशनल बैंक पूर्वी विंग, प्रथम तल, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में जमा, अथवा संवीक्षक को ई-मेल ashugupta.cs@gmail.com पर भेज न दी जाए और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in और hosd@pnb.co.in पर भी भेजी जाए।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. शेयरधारकों का रजिस्टर बंद करना:

लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से और बैंक की 21वीं वार्षिक आम बैठक को देखते हुए बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर शुक्रवार, 24 जून, 2022 से गुरुवार, 30 जून, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

6. लाभांश का भुगतान:

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक ₹2/- के इक्विटी शेयर हेतु ₹0.64 प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की संस्तुति की है।

21वीं एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, लाभांश का भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम प्रकट होंगे:

ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल के रिकॉर्ड के अनुसार गुरुवार, 23 जून, 2022 को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर लाभार्थी स्वामी के रूप में और/या

3. Appointment of Proxy

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for the AGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being attached to the Notice.

4. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited to the Share Department, Punjab National Bank, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or is sent to the Scrutinizer by e-mail to ashugupta.cs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Friday, the 24th June, 2022.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

5. Closure of Register of Shareholders

The Register of Shareholders of the Bank will remain closed from Friday, 24th June, 2022 till Thursday, 30th June, 2022 (both days inclusive) for the purpose of determining the eligibility of the shareholders for entitlement of Dividend and in view of the 21st Annual General Meeting of the Bank.

6. Payment of Dividend:

The Board of Directors has recommended dividend of ₹0.64 per equity share of ₹2/- each for the financial year ended 31st March, 2022.

Subject to the approval of the shareholders at the 21st AGM, the payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on Thursday, 23rd June, 2022 as per the record of NSDL/CDSL in respect of the Shares held in electronic form and / or

बी) गुरुवार, 23 जून, 2022 को शेयरधारकों के रजिस्टर में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से गुरुवार, 23 जून, 2022 के कारोबार के बंद होने से पहले प्राप्त वैध ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद।

लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड की तिथि गुरुवार 23 जून, 2022 होगी।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कर दिया है। जिन शेयरधारकों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उन्हें लाभांश वारंट/ डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (एसटीए) अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से लाभांश के भुगतान की तिथि से पहले, शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।

लाभांश भुगतान की तिथि शुक्रवार 15 जुलाई, 2022 होगी।

इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/ अपडेट करें:

i) अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं, यदि शेयर डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखे जाते हैं, तो फॉर्म और दस्तावेज जमा करके, जैसा कि डिपॉजिटरी सहभागी (यों) द्वारा आवश्यक हो; तथा

ii) यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो बैंक/ बैंक के एसटीए को hosd@pnb.co.in या beetal@beetalfinancial.com पर एक ईमेल भेजकर, निम्नलिखित प्रस्तुत करके:

(ए) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें शेयरधारक का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम एवं पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) शामिल हैं।

(बी) पैन कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, और

(सी) निरस्त चेक की लीफ

स्रोत पर कटौती योग्य कर:

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा प्रदत्त या संवितरित लाभांश, शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करने की आवश्यकता होगी। विवरण के लिए, शेयरधारक इस नोटिस के साथ संलग्न अनुबंध को देख सकते हैं।

7. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3(2 ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक के मताधिकार हेतु पात्र नहीं

b) in the Register of shareholders as on Thursday, 23rd June, 2022 after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before the close of business hours of Thursday, 23rd June, 2022.

The Record Date for payment of Dividend will be Thursday, 23rd June, 2022.

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have updated their bank account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., before the date of payment of dividend, to the registered address of the Shareholders who have not updated their bank account details.

The dividend payment date will be Friday, 15th July, 2022.

Shareholders are therefore requested to register / update their complete bank details:

i) with their Depository Participant(s) with which they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s); and

ii) with the Bank / Bank's STA by sending an email at hosd@pnb.co.in or beetal@beetalfinancial.com if shares are held in physical mode, by submitting:

(a) scanned copy of the signed request letter containing Shareholder's name, Folio Number, Bank Details (Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details)

(b) self-attested copy of the PAN card, and

(c) cancelled cheque leaf.

Tax Deductible at Source:

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates at the time of making the payment of dividend to the Shareholders. For details, Shareholders may refer to the Annexure appended to this Notice.

7. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10%

होगा। यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकमात्र धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014, के नियम 20 के अनुसार जो शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के पात्र हैं, वे अपने मत का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से कर सकते हैं।

8. इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से वोटिंग

(i) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टाफ एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के प्रावधान जो एमसीए परिपत्रों के साथ पठित है के अनुपालन में बैंक अपने शेयरधारकों को एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) करने की सुविधा दे रहा है और यह सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि गुरुवार, 23 जून, 2022 है।

(ii) वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं दिया है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

(iii) जिन शेयरधारकों ने बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iv) रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नवत हैं:

ए. रिमोट ई वोटिंग की अवधि सोमवार, 27 जून, 2022 को (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और बुधवार, 29 जून 2022 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान कट ऑफ तिथि गुरुवार, 23 जून 2022 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वे भौतिक रूप में शेयरधारण करते हो या अमूर्त रूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा दिया जाएगा।

बी. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और विधि का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच

ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग इन विधि।

of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

8. Voting through Electronic Means

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Cut-Off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Thursday, 23rd June, 2022.

II. Those shareholders, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The instructions for remote e-voting are as under:

a. The remote e-voting period begins on Monday, 27th June 2022 (9:00 a.m.) and ends on Wednesday, 29th June, 2022 (5:00 p.m.). During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Thursday, 23rd June, 2022 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" as follows:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system





A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.





सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डीमैट खातों/निक्षेपागार और निक्षेपागार भागीदारों के वेबसाइट के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on 'e-Voting facility provided by Listed Companies', Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat accounts/website of Depositories/Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. यदि आप एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवाएं वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोले। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें जो "आईडीईएस" अनुभाग के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। वहां आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता – एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः ले जाया जाएगा।
	2. यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/ पर क्लिक करें।

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. If you are already registered for NSDL IDeAS facility , please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the " Beneficial Owner " icon under " Login " which is available under " IDeAS " section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on options available against name of the Bank or e-Voting service provider - NSDL and you will be re-directed to NSDL e-Voting website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining Virtual Meeting & voting during the Meeting.
	2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com . Select " Register Online for IDeAS " Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोले। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता – एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।</p>
	<p>4. शेयरधारक निम्न उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके निर्बाध वोटिंग अनुभव की सुविधा के लिए एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीडी" भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>NSDL Mobile App is available on</p> <p> App Store  Google Play</p>   </div> <p>एनएसडीएल मोबाइल ऐप, ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर उपलब्ध है।</p>

Type of shareholders	Login Method
	<p>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digits demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on options available against name of the Bank or e-Voting service provider - NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining Virtual Meeting & voting during the Meeting.</p>
	<p>4. Shareholders can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility for seamless voting experience by scanning the QR code mentioned below.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>NSDL Mobile App is available on</p> <p> App Store  Google Play</p>   </div> <p>NSDL Mobile App is available on App Store and Google Play.</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम माईइजी पर क्लिक करें। ईजी/ईजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेनू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में दिए गए लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (प्रतिभूतियों को डीमैटमोड में रखना) अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	<ol style="list-style-type: none"> Existing users who have opted for Easi / Easiest can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URLs for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. After successful login of Easi/ Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. NSDL. Click on NSDL to cast your vote. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. NSDL where the e-Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants.	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता-एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोटिंग करने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनःप्रेषित कर दिया जाएगा।

आवश्यक नोट: जो शेयरधारक उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट उपयोगकर्ता आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-23058738 और 022-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं।

बी) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने के चरण

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।

Type of shareholders	Login Method
	Click on options available against name of the Bank or e-Voting service provider-NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining Virtual Meeting & voting during the Meeting.

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43

B) Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

Steps to Log-in to NSDL e-Voting website

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com> either on a Personal Computer or on a mobile.

2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सेवाओं अर्थात आइडियाज के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनएसडीएल की ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपके यूजर आईडी का विवरण निम्नानुसार है:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एलएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है:
ए) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** होगी
बी) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी बेनिफिशरी आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी 12***** होगी
सी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	इन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001*** है और इन 101456 है तो यूजर आई 101456001*** होगी।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:

ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

बी) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा, जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप अपना 'इनिशियल पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are as follows:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

i) If your email ID is registered in your demat

पासवर्ड' आपकी ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को ढूँढ़ें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ फाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

- (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं के तहत दिए गए चरणों का पालन करें।

6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं किया है या भूल चुके हैं:

ए) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)।

बी) "Physical User Reset Password?" विकल्प (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण करते हैं) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

सी) यदि आप अभी भी उक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।

डी) शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर Terms and Conditions पर Agree पर टिक करें।

8. अब, आपको, "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भाग लेने और अपने वोट डालने का विवरण निम्नानुसार है:

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर रखे हैं और जिनका मतदान चक्र (वोटिंग साइकल) और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

- ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on "Agree to Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL eVoting system.

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान तथा आम बैठक के दौरान वोट डालने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें। वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए आपको "आम बैठक में भाग लें" के तहत दिए गए लिंक "वीसी/ओएवीएम" पर क्लिक करना होगा।
3. उचित विकल्प का चयन करके आप अपना वोट डाल सकते हैं, अर्थात्, सहमति या असहमति, सत्यापित/ संशोधित उन शेयरों की संख्या, जिसके लिए आप वोट डालना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक कर दें एवं अपने वोट को "कॉन्फर्म" भी करें।
4. पुष्टि करने के बाद, "सफलतापूर्वक वोट डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
5. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प को क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटाउट भी ले सकते हैं।

एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, स्क्रीनशॉट को ई-मेल द्वारा ashugupta.cs@gmail.com पर evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के तहत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड रिजोल्यूशन / अथोरिटी लेटर" पर क्लिक करके अपने बोर्ड रिजोल्यूशन / अथोरिटी लेटर आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "[Forgot User Details/Password?](#)" या "[Physical User Reset Password?](#)" विकल्प पर जाना होगा।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को संदर्भित कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 एवं 1800-224-430 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टेलीफोन नं: +91-22-24994360; +91-22-2499-4545 पर कॉल कर सकते हैं।

2. Select "EVEN" of Punjab National Bank to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
3. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
4. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
5. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to ashugupta.cs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter, etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "[Forgot User Details/Password?](#)" or "[Physical User Reset Password?](#)" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, Shareholders may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-224-430 or send a request to Ms. Soni Singh, Asstt. Manager at evoting@nsdl.co.in or at telephone nos.: +91-22-24994360; +91-22-2499-4545.

ऐसे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है, तो कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को beetal@beetalfinancial.com ईमेल पर भेजें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को beetal@beetalfinancial.com ईमेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में रखे प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे चरण 1 (ए) अर्थात "डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि" में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in को अनुरोध कर सकते हैं।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे रिमोट ई-वोटिंग हेतु उपर्युक्त उल्लेख किए गए निर्देश हैं।
2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डालेंगे एवं ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वो एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए यथा उल्लिखित अनुसार ही होगा।

शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। शेयरधारक "एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का एक्सेस" हेतु उपरोक्तानुसारक चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। आपसे

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Bank's STA at beetal@beetalfinancial.com
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit Beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card to the Bank's STA at beetal@beetalfinancial.com. If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** i.e. "Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode".
3. Alternatively, shareholders may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

The instructions for Shareholders for E-Voting on the day of the AGM are as under: -

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM, however, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same as mentioned for Remote e-voting.

Instructions for Shareholders for attending the AGM through VC/OAVM are as under:

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system.**

अनुरोध है कि “ज्वाइन जनरल मीटिंग” मेन्यू में दिए गए लिंक वीसी/ओएवीएम पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, आप बैंक के नाम के सामने “आम बैठक में शामिल हों” मेनू के तहत रखे गए “वीसी / ओएवीएम लिंक” का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मेन्यू के तहत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय पर भाग दौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

एजीएम से पूर्व या इसके दौरान, तकनीक के प्रयोग के लिए सहायता प्राप्त करने के इच्छुक शेयरधारक द्वारा संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का हेल्पलाइन विवरण वही होगा जो कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिया गया है।

2. बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारक लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों के पास बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट करने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त रुकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
3. किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
4. शेयरधारक, जो एजीएम के दौरान एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से अपना अनुरोध बैंक की ईमेल आईडी hosd@pnb.co.in पर 27 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे या उससे पहले भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। वे शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने। प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
5. शेयरधारक एजीएम में अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर / फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, बैंक की ईमेल आईडी hosd@pnb.co.in पर व्यापार के संबंध में 27 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे या उससे पहले प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से प्रश्न/प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बैंक द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

After successful login, you can see link of “VC/OAVM link” placed under “Join General Meeting” menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush.

The Helpline details of the persons who may be contacted by the Shareholder needing assistance with the use of technology, before or during the AGM shall be the same as mentioned for remote e-Voting.

2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience. Further, Shareholders should have internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that the participants connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/ Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
3. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.
4. Shareholders, who would like to express their views/ask questions during the AGM with regard to the business to be transacted at the AGM, need to register themselves as a Speaker by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank’s email id at hosd@pnb.co.in on or before 11.00 a.m. of 27th June, 2022. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
5. Shareholders can submit questions with regard to the business to be transacted at the AGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank’s email id at hosd@pnb.co.in in advance on or before 11.00 a.m. of 27th June, 2022. Shareholders who will participate in the AGM through VC/OAVM can also pose question/ feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the Meeting or suitably replied to by the Bank, later.

6. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों।

9. संवीक्षक

मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी, कंपनी सचिव, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष को दिए गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद बैंक स्टॉक एक्सचेंज और बैंक की वेबसाइट पर समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत करते हुए तुरंत मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

10. अदावाकृत लाभांश

शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि इसकी देय तिथि से 7 वर्षों तक अवैतनिक/अदावी है तो उक्त अदत्त/अदावाकृत राशि को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष' (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2013-14 तक लाभांश खाते हेतु अंतरिम लाभांश में अदत्त/अदावाकृत राशि को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2014-15 (पीएनबी और ई-ओबीसी द्वारा घोषित) के लिए भुगतान/दावा न किए गए लाभांश को आईईपीएफ में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश प्राप्त नहीं किया है/दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे 20.07.2022 (पीएनबी द्वारा घोषित लाभांश के मामले में) और 25.07.2022 (ई-ओबीसी द्वारा घोषित लाभांश के मामले में) तक राशि का दावा करने के लिए अपना नवीनतम पता, मोबाइल/टेलीफोन नंबर फोलियो नंबर/डीपी-आईडी एवं क्लाइंट आईडी और बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी आदि दें। यदि दावा नहीं किया गया है, तो यथालागू दिशानिर्देशों के अनुसार अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित कर दिया जाएगा।

बैंक के पास पड़े अदत्त/अदावाकृत लाभांश की वर्षवार सूची बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर अपलोड की गई है।

11. अन्य जानकारी

ए) सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 के अनुसार, बैंक की 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना वाली वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग की प्रक्रिया और विधि आदि का संकेत केवल उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं, जिनकी ईमेल आईडी बैंक के एसटीए / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के साथ पंजीकृत हैं।

6. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the AGM through VC/OAVM Facility.

9. Scrutinizer

M/s Ashu Gupta & Co., Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the AGM thereafter the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

10. Unclaimed Dividend

Shareholders are hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/ unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to the 'Investor Education & Protection Fund' (IEPF), pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The unpaid/unclaimed amount in Dividend Account upto FY 2013-14 has already been transferred to IEPF.

The unpaid/unclaimed dividend for FY 2014-15 (declared by PNB and e-OBC) is due to be transferred to IEPF. The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for the year 2014-15 are requested to claim the same latest by 20.07.2022 (in case of dividend declared by PNB) and 25.07.2022 (in case of dividend declared by e-OBC), by giving their latest address, Mobile/Telephone No. Folio No./ DP-ID & Client ID and Bank details viz. Bank name, Branch address, Bank account number and IFSC etc. for claiming the amount. If not claimed, the unpaid dividend will be transferred to IEPF in accordance with the applicable guidelines.

The year-wise data of unpaid/unclaimed dividend lying with the Bank is available on the Bank's website (www.pnbindia.in).

11. Other Information

a) Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, the Annual Report for FY 2021-22 containing the Notice of the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's STA / Depository Participant(s).

- बी) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एजीएम की सूचना शामिल है, को बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।
- सी) बैंक द्वारा की गई 'हरित पहल' को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमैट रूप में धारित शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ और भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा, उनके नाम, डाक पता, ईमेल पता, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), मेनडेट, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, के मामले में, के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के धारित होने की स्थिति में उनके डीपी को और भौतिक रूप में शेयरों के धारित होने की स्थिति में एसटीए को इसकी सूचना दी जा सकती है।
- डी) ऐसे शेयरधारक जिनके पास समान नामों में या संयुक्त नामों में कई फोलियो में विविध फोलियों में शेयर भौतिक रूप में रखे हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को एकल फोलियो में समेकित करने के लिए एसटीए को भेजें।
- ई) सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 40 के अनुसार, यथासंशोधित, सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को केवल प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानान्तरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर 01 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को अमूर्त रूप में परिवर्तित करें।
- b) Shareholders may also note that the Annual Report for FY 2021-22 inter alia containing the Notice of AGM is also being made available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com
- c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's STA in case of shares held in physical form. Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the STA in case the shares are held by them in physical form.
- d) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.
- e) As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed entities can be transferred only in dematerialized form with effect from, 01st April, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are therefore requested to convert their holdings to dematerialized form.

व्याख्यात्मक कथन:

▪ **मद संख्या.3:**

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(1) के प्रावधान के साथ पठित विनियम 2(1)(ज़ेडसी) में संशोधन के अनुसार, एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी संस्थापक कंपनी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से संबंधित लेन-देन और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष को संबंधित पार्टी लेन देन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी मैटेरियल से संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में हैं। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से किया जाने वाला लेनदेन पिछले लेनदेन से ₹1000 करोड़ या सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक है तो किसी संबंधित पार्टी लेनदेन को 'मैटेरियल' माना जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मैटेरियल संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया है:

विवरण	लेन-देन का विवरण		
संबंधित पार्टी का नाम और बैंक के साथ उसका संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (अनुषंगी)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट)	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट)
लेन-देन का प्रकार	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी में सुरक्षा व्यवस्था सेवाएं ईबीपी के माध्यम से एनसीडी जारी करता है जिसमें पीएनबी गिल्ट इश्यू का अरेंजर्स/अरेंजर्स में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेन-देन भी जो संबंधित	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता और ऐसे अन्य लेन-देन जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किए जा सकते हैं।	

Explanatory Statement:

▪ **Item No.3:**

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from 1 April, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions		
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Ltd. (Subsidiary)	PNB Housing Finance Ltd. (Associate)	PNB Metlife India Insurance Company Ltd. (Associate)
Type of Transaction	Outright securities transactions (sale / purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions as may be disclosed in the notes	Outright securities transactions (sale / purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year.	

विवरण	लेन-देन का विवरण		
	वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किए जा सकते हैं।		
प्रस्तावित लेनदेन की तात्त्विक शर्तें और विवरण	<p>एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन/मुद्रा बाजार लेनदेन/ प्रतिभूतियों का प्राथमिक अभिदान, बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य/ प्रतिभूतियों के उचित मूल्य के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>एनसीडी जारी करने के लिए पीएनबी गिल्ट की व्यवस्था करने वाली सेवाओं का उपयोग पीएनबी इश्यू आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा और सभी प्रबंधकों के लिए बैंक द्वारा तय किए गए अरंजर-शिप शुल्क का भुगतान एक समान होगा।</p>		
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	6000.00	2000.00
संस्था का स्वरूप या संबंधित पार्टी का हित (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय		
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन (31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है	6.79%	6.79%	2.26%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण के साथ साथ कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन:			

Particulars	Details of Transactions		
	forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year.		
Material terms and particulars of the proposed transaction	<p>Outright securities transactions / money Market transactions/ Primary subscriptions of securities, will be done as per the prevailing market price/Fair value of securities in line with Bank's Policy Guidelines.</p> <p>Arranger services of PNB Gilts for NCD issuances shall be utilised as per PNBs issue requirement and payment of arranger-ship fee shall be uniform to all the arrangers as decided by the Bank.</p>		
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	6000.00	2000.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial		
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2022)	6.79%	6.79%	2.26%
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:			

विवरण	लेन-देन का विवरण
(i) किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम से किया जाएगा।
(ii) कार्यकाल	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यकाल जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगा।
(iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति सहित यथालागू शर्तें।	प्रसविदा, चुकौती अनुसूची, चाहे सुरक्षित/असुरक्षित, आदि सहित यथालागू शर्तें प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार होंगी। प्रस्तावित लेन-देन, बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सामान्य कारोबार में स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे। प्रतिभूतियों का मूल्य प्रचलित बाजार पद्धति के अनुसार उचित बाजार मूल्य पर होगा।
(iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	बाजार के अवसरों का लाभ उठाकर व्यापार/निवेश पोर्टफोलियो से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक अपने सामान्य कारोबार के दौरान प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री (भारत सरकार, राज्य सरकारों, पीएसयू, कॉर्पोरेट आदि द्वारा जारी जो बैंक से संबंधित या असंबंधित हो सकता है) में सक्रिय है और इसलिए, यह बैंक के हित में है। इसके अलावा, पीएनबी गिल्ट्स डेट मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी है और प्राथमिक डीलर है। लेनदेन बाजार दरों पर किया जाएगा, ताकि पीएनबी बाजार के अवसर से न चूके।
मूल्यांकन या अन्य बाह्य पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

Particulars	Details of Transactions
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. Funds will be utilized from normal course of Banking.
(ii) Tenure	The Transactions are proposed to be undertaken during FY 2022-23. The Tenure will be as per terms of the securities issued.
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms including Covenants, repayment schedule, whether secured/unsecured, etc. will be as per the terms of the issuance of securities. The proposed Transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines. The securities shall be priced at Fair Market Value as per the prevailing market practice.
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds may be utilized solely for the intended purpose as approved by the Competent Authority.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The Bank is actively engaged in purchase/sale of securities (issued by Government of India, State Governments, PSUs, Corporates etc which may be related or unrelated to the Bank) during its normal course of business, to optimise profits from trading/investment portfolio by taking advantage of market opportunities and is therefore, in the interest of the Bank. Further, PNB Gilts is one of the major player in Debt Market and is a primary dealer. The transactions shall be carried out at Market rates, so that PNB does not miss upon a market opportunity.
Valuation or other external party report	Not applicable

एक ओर बैंक के बीच प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त उल्लिखित संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है [अर्थात् सेबी सूचीकरण विनियमों के तहत 'मैटेरियल से संबंधित पार्टी लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी हो कम हो] लेन-देन संबंधित पार्टियों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने उपरोक्त मैटेरियल संबंधी पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि मद संख्या 3 में रखी गई प्रस्तावित मैटेरियल से संबंधित पार्टी लेनदेन, शेयरधारकों के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष/पार्टी नोटिस के मद संख्या 3 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए वोट नहीं करेंगे।

▪ **मद संख्या 4:**

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(1) के प्रावधान के साथ पठित विनियम 2(1)(जेडसी) में संशोधन के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई या किसी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन एक ओर इसकी सहायक कंपनियों और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष को संबंधित पक्ष की लेनदेन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी मैटेरियल से संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और सामान्य व्यापार प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'मैटेरियल' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹.1000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी कम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मैटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower.] The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 3, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 3 of the Notice.

▪ **Item No.4:**

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

विवरण	लेन-देन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (अनुषंगी)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक)
लेन-देन का प्रकार	संबंधित पक्षों सहित अपने ग्राहकों को अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में सावधि ऋण, लाइन ऑफ क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट आदि के रूप में ऋण और अग्रिम।	
प्रस्तावित लेनदेन के भौतिक नियम और विवरण	प्रस्तावित लेनदेन के नियम और शर्तें बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।	
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	3000.00	5000.00
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	3.40%	5.66%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन:		
i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम से किया जाएगा।	
ii) कार्यकाल	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है। ऋण सुविधा का कार्यकाल बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार मंजूरी की शर्तों के अनुसार होगा।	

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Ltd. (Subsidiary)	PNB Housing Finance Ltd. (Associate)
Type of Transaction	Loans and Advances in the form of Term Loans, Line of Credit, Overdraft etc. as part of its normal banking business to its customers including related parties.	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The terms and conditions of the proposed transactions shall be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	3000.00	5000.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2022)	3.40%	5.66%
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:		
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. Funds will be utilized from normal course of Banking.	
(ii) Tenure	The Transactions are proposed to be undertaken during FY 2022-23. The Tenure of the credit facility will be as per the terms of sanction in accordance with Bank's Policy / Regulatory Guidelines.	

विवरण	लेन-देन का विवरण
iii) लागू शर्तें, जिनमें शामिल हैं: अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो या प्रतिभूति न हो; यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति।	अनुबंधों सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो / प्रतिभूति न हो, प्रतिभूति की प्रकृति आदि बैंक की नीति/नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी और जैसा उधारकर्ता सहमत होंगे। लेन-देन, बैंक के सामान्य कारोबार के दौरान स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे। ब्याज दरें प्रचलित बाजार दर पर आधारित होंगी या बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होंगी। चुकौती अनुसूची उधारकर्ताओं के साथ सहमत शर्तों के अनुसार होगी।
iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार इस तरह के निधि के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधि का उपयोग किया जाएगा।	जैसा कि ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के समय निर्दिष्ट किया गया है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	बैंक के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लेन-देन किए जाने का प्रस्ताव है और यह निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा और इसलिए बैंक के हित में होगा।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पक्षों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है 'अर्थात् सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत 'मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर यानि ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो,। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त मैटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

Particulars	Details of Transactions
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms including Covenants, whether secured/ unsecured, nature of security etc. will be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines and as agreed to by the borrowers. The Transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank. The interest rates shall be based on prevailing market rate or linked to external benchmark. Repayment Schedule shall be as per the terms agreed with the borrowers.
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	As specified at the time of availing the credit facilities.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the business of the Bank and shall be in accordance with laid down norms, policies and procedures and therefore, in the interest of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि प्रस्तावित मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 4 में रखा गया है, शेयरधारकों के समक्ष उनका अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक में साधारण संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 4 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

▪ **मद संख्या 5:**

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(1) के प्रावधान के साथ पठित विनियम 2(1) (जेडसी) में संशोधन के अनुसार, एक लिस्टेड इकाई या किसी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन एक ओर इसकी सहायक कंपनियों और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी की संबंधित पक्ष को संबंधित पक्ष की लेनदेन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे व्यापार पहुँच के भीतर और सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'मैटेरियल' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹ 1000 करोड़ या 10% से अधिक है, सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मैटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण								
	असम ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	मणिपुर ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	पंजाब ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)
लेन-देन का प्रकार	अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईटीबीपीसी) लेनदेन								
प्रस्तावित लेनदेन की मैटेरियल शर्तें और विवरण	आईटीबीपीसी लेनदेन बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई कीमतों पर किया जाएगा और स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किया जाएगा।								
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय								
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00	2000.00
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य (वित्त वर्ष 2022 के कारोबार के आधार पर) का प्रतिनिधित्व करता है	6.79%	6.79%	2.26%	2.26%	2.26%	11.32%	2.26%	2.26%	2.26%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन जैसे:									
i) की गई वित्तीय ऋणप्रस्तता का विवरण	इस तरह के लेनदेन करने के लिए बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य कार्यप्रणाली से किया जाएगा।								
ii) कार्यकाल	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है।								
iii) प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और अनुसूची सहित पुनर्भुगतान हेतु लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हों या प्रतिभूति न हों; यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति।	आईटीबीपीसी लेनदेन बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कीमतों पर किया जाएगा। इस तरह के लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे।								

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 4, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 4 of the Notice.

▪ **Item No. 5:**

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions								
	Assam Gramin Vikash Bank (Associate)	Bangiya Gramin Vikash Bank (Associate)	Himachal Pradesh Gramin Bank (Associate)	Manipur Rural Bank (Associate)	Punjab Gramin Bank (Associate)	Prathama UP Gramin Bank (Associate)	Tripura Gramin Bank (Associate)	Dakshin Bihar Gramin Bank (Associate)	Sarva Haryana Gramin Bank (Associate)
Name of Related Party and its relationship with the Bank	Assam Gramin Vikash Bank (Associate)	Bangiya Gramin Vikash Bank (Associate)	Himachal Pradesh Gramin Bank (Associate)	Manipur Rural Bank (Associate)	Punjab Gramin Bank (Associate)	Prathama UP Gramin Bank (Associate)	Tripura Gramin Bank (Associate)	Dakshin Bihar Gramin Bank (Associate)	Sarva Haryana Gramin Bank (Associate)
Type of Transaction	Inter-Bank Participation Certificate (IBPC) Transactions								
Material terms and particulars of the proposed transaction	IBPC transactions will be undertaken at the prices decided by the Competent Authority as per the Bank guidelines and shall be carried out on an arm's length basis.								
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial								
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00	2000.00
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on turnover of FY2022)	6.79%	6.79%	2.26%	2.26%	2.26%	11.32%	2.26%	2.26%	2.26%
Transactions relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:									
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific financial indebtedness in order to undertake such transactions. Funds will be utilized from normal course of Banking								
(ii) Tenure	The transactions are proposed to be undertaken during FY 2022-23.								
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	IBPC transactions will be carried out at the prices decided by the Competent Authority as per the Bank guidelines. Such transactions shall be undertaken on an arm's length basis.								

विवरण	लेनदेन का विवरण								
	असम ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	मणिपुर ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	पंजाब ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)
iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, उनके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जायेगा।								
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य।	ये लेनदेन प्रचलित बाजार दरों और बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ऋण निर्णय के अनुसार किए जाते हैं। बैंक आवश्यक नियामक अनुपातों के रखरखाव और व्यवसाय के विकास के अवसरों के लिए इस तरह के लेनदेन में सक्रिय रूप से संलग्न है और इसलिए यह बैंक के हित में है।								
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं								

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है [अर्थात् सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत 'मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो]। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधित, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त मैटेरियल संबंधी पक्षों की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि प्रस्तावित मैटेरियल से संबंधित पक्षों की लेनदेन को मद संख्या 5 में रखा गया है, जिसे शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए।

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 5, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

Particulars	Details of Transactions								
	Assam Gramin Vikash Bank (Associate)	Bangiya Gramin Vikash Bank (Associate)	Himachal Pradesh Gramin Bank (Associate)	Manipur Rural Bank (Associate)	Punjab Gramin Bank (Associate)	Prathama UP Gramin Bank (Associate)	Tripura Gramin Bank (Associate)	Dakshin Bihar Gramin Bank (Associate)	Sarva Haryana Gramin Bank (Associate)
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds will be utilized solely for intended purpose which has been approved by the Competent Authority.								
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank.	These transactions are undertaken as per the credit decision of the Bank according to the prevalent Market rates and Bank's Policy Guidelines. The Bank actively engages in such transactions for maintenance of required regulatory ratios and for business growth opportunities and is therefore in the interest of the Bank.								
Valuation or other external party report	Not applicable								

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 5 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

▪ **मद संख्या 6:**

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(1) के प्रावधान के साथ पठित विनियम 2(1)(जेडसी) में संशोधन के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई या किसी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन एक ओर इसकी सहायक कंपनियों और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी की संबंधित पक्ष को संबंधित पक्ष की लेनदेन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्रा संव्यवहार के आधार पर और व्यापार सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'मैटेरियल' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय सूचीबद्ध विवरणी के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का रु.1000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी न्यूनतम हो।

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 5 of the Notice.

▪ **Item No.6:**

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मैटेरियल संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक)
लेनदेन का प्रकार	चालू खाता जमाराशि
प्रस्तावित लेनदेन की मैटेरियल शर्तें और विवरण	बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक ग्राहकों के चालू खातों पर सामान्य बैंकिंग शुल्क लगाता है। वर्तमान में, ग्राहकों के चालू खाते की शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹. करोड़ में)	एक बार चालू खाता खोलने के बाद, यह पूरी तरह से ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह खाते में कितनी राशि डालना चाहता है। इसलिए, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, लेनदेन का मूल्य ₹1000.00 करोड़ से अधिक हो सकता है।
संबंधित पार्टी के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	लागू नहीं है, क्योंकि इस समय राशि की गणना नहीं की जा सकती है।
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन के अन्य विवरण जैसे: (i) किए गए वित्तीय ऋण का विवरण (ii) कार्यकाल (iii) प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और अनुसूची सहित लागू पुनर्भुगतान की शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो या प्रतिभूति न हो; यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति। (iv) उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य दें	अपने ग्राहकों के साथ बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लेनदेन करने का प्रस्ताव है, जिसमें बैंक के संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पक्षों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है [अर्थात् सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत 'मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो]। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Ltd. (Subsidiary)	PNB Housing Finance Ltd. (Associate)
Type of Transaction	Current Account Deposits	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The Bank levies normal banking charges on the current accounts of Customers for various services in line with the Bank's Policy Guidelines. Currently, no interest is paid on current account balance maintained by Customers.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	Once a current account is opened, it is entirely up to the discretion of the customer as to how much amount it seeks to place in the account. Hence, the value of the transaction is not determinable. However, the value of transaction may exceed ₹1000.00 crore.	
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2022)	Not applicable, as the amount cannot be calculated at this point of time.	
Other details of Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.: (i) Details of Financial Indebtedness incurred (ii) Tenure (iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. (iv) Purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	Not Applicable	
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the banking business of the Bank with its customers, which may include Related Parties of the Bank.	
Valuation or other external party report	Not applicable	

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹ 1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹ 1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधित, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त मैटेरियल संबंधी पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि प्रस्तावित मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 6 में रखा गया है, जिसे शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 6 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

▪ **मद संख्या 7:**

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(1) के प्रावधान के साथ पठित विनियम 2(1)(जेडसी) में संशोधन के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई या किसी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन एक ओर इसकी सहायक कंपनियों और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी की संबंधित पक्ष को संबंधित पक्ष की लेनदेन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'मैटेरियल' माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मैटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड, (अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी)	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम)
लेन-देन का प्रकार	नोस्ट्रो खातों में लेनदेन	
प्रस्तावित लेनदेन की महत्वपूर्ण शर्तें और विवरण	दो बैंकों के बीच ग्राहकों के निधि अंतरण की सुविधा के लिए मानक नियमों और शर्तों के अनुसार।	

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 6, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 6 of the Notice.

▪ **Item No.7:**

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	Druk PNB Bank Ltd., (International Subsidiary)	Everest Bank Ltd. (International Joint Venture)
Type of Transaction	Transactions in the Nostro Accounts	
Material terms and particulars of the proposed transaction	As per standard terms & conditions for facilitating funds transfer of customers between two Banks.	

विवरण	लेनदेन का विवरण
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	लेन-देन की मात्रा ग्राहक केंद्रित है इसलिए मूल्य हालांकि मात्रा निर्धारित नहीं है और मूल्य वर्ष के किसी भी समय के दौरान ₹1000.00 करोड़ से अधिक हो सकता है।
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है। (31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	लागू नहीं है, क्योंकि इस समय राशि की गणना नहीं की जा सकती है।
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए किसी भी ऋण, किए गए अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन के अन्य विवरण जैसे: (i) किए गए वित्तीय ऋण का विवरण (ii) अवधि (iii) प्रसंविदा, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत; यदि प्रतिभूत है, तो प्रतिभूत का स्वरूप। (iv) उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं

Particulars	Details of Transactions
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	The volume of transactions is customer centric, therefore value and volume is not determinable. However the value may exceed ₹1000.00 crore during any point of time of the year.
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2022)	Not applicable, as the amount cannot be calculated at this point of time.
Other details of Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:	Not Applicable
(i) Details of Financial Indebtedness incurred (ii) Tenure (iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. (iv) Purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	

विवरण	लेनदेन का विवरण
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	ये लेनदेन ग्राहकों के साथ बैंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें बैंक के संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है [अर्थात् सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत 'संबंधित पक्ष के लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात् वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी कम हो]। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और उपरोक्त उल्लेखित किसी संस्था में, यदि कोई हो, में उनकी शेयरधारिता/निदेशक पद को छोड़कर यदि कोई हो, उपरोक्त संकल्प से संबंधित नहीं हैं/रुचि नहीं रखते।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त संबंधित पक्ष के महत्त्वपूर्ण लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि प्रस्तावित संबंधित पक्ष के महत्त्वपूर्ण लेनदेन को मद संख्या 7 में रखा जाए, जिसे शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष सूचना के मद संख्या 7 पर साधारण संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 03.06.2022

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

Particulars	Details of Transactions
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	These transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the business of the Bank with customers which may include Related Parties of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 7, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 7 of the Notice.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 03.06.2022

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

अनुलग्नक

लाभांश पर स्रोत पर कर की कटौती पर निर्देश

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को उक्त लाभांश का भुगतान करते समय अधिनियम की धारा 194 या अधिनियम की धारा 195 के तहत निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा जमा किए गए और बैंक द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर भिन्न होगी। इसके अलावा, टीडीएस की उच्च दर लागू तब होगी जब यदि अधिनियम की धारा 206एए के अनुसार वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) शेयरधारक द्वारा प्रदान नहीं किया गया है या अधिनियम की धारा 206एबी के अनुसार शेयरधारक एक निर्दिष्ट व्यक्ति है।

एक निर्दिष्ट व्यक्ति वह है जिसने पिछले एक वर्ष से आयकर रिटर्न दाखिल करने का अनुपालन नहीं किया है और पिछले एक वर्ष में रुपये 50,000 या अधिक का टीडीएस रहा है। भारत में स्थायी स्थापना नहीं रखने वाले अनिवासी को एक निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता है।

तदनुसार, बैंक द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा, जैसा कि यहां स्पष्ट किया गया है।

ए. निवासी शेयरधारक

- निवासी शेयरधारकों के लिए, लाभांश की राशि पर 10% टीडीएस लागू होगा। यदि वैध पैन प्रदान नहीं किया गया है या शेयरधारक एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, तो टीडीएस लाभांश की राशि पर 20% लागू होगा। तदनुसार, जिन शेयरधारकों ने अपना पैन नहीं दिया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, (भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) या डिपॉजिटरी भागीदार (इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) को तत्काल प्रदान करें।

यदि नीचे दी गई दो शर्तों में से कोई एक पूरी होती है तो देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा:

- एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को देय कुल लाभांश ₹5,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
 - शेयरधारक ने वैध पैन के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 15G (कंपनी या फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लागू) / फॉर्म 15H (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) प्रदान किया है और बशर्ते कि वह सभी आवश्यक पात्रता शर्तें पूर्ण करता हो।
- निम्नलिखित कर निवासी शेयरधारक बैंक की संतुष्टि के अधीन नीचे उल्लिखित दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराने पर टीडीएस की शून्य/कम दर के लिए पात्र होना होगा:

Annexure

Instructions on Deduction of Tax at Source on Dividend

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) under section 194 of the Act or section 195 of the Act at the prescribed rates at the time of making the payment of the said dividend to shareholders. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Bank. Further, higher rate of TDS would be applicable if pursuant to section 206AA of the Act, valid permanent account number (PAN) has not been provided by shareholder or pursuant to section 206AB of the Act, shareholder being a specified person.

A specified person is one who has not complied with filing of income tax returns for last one year and is having TDS of ₹ 50,000 or more in last one year. A non-resident not having permanent establishment in India is not considered as a specified person.

Accordingly, the final dividend will be paid by the Bank after deducting tax at source, as applicable, as explained herein.

A. Resident Shareholders

- For Resident Shareholders, TDS will be applicable at 10% on the amount of dividend. In case valid PAN is not provided or shareholder is a specified person, then the TDS will be applicable at 20% of the amount of dividend. Accordingly, shareholders who have not provided their PAN are requested to provide the same to the Bank or its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., (in respect of shares held in physical form) or to the Depository Participant (in respect of shares held in electronic form), immediately.

No tax shall be deducted on the dividend payable if either of the below two conditions are fulfilled:

- Total dividend payable to a resident individual shareholder does not exceed ₹ 5,000 per year.
 - The shareholder has provided duly filled and signed Form 15G (applicable to any Person other than a company or a Firm)/ Form 15H (applicable to an Individual above the age of 60 years) with valid PAN, provided that all the required eligibility conditions are met.
- The following Tax Resident Shareholders shall be eligible for Nil/Lower Rate of TDS upon providing the documents to the Bank mentioned hereunder to the satisfaction of the Bank:

क्र. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज
ए)	बीमा कंपनियों	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ▪ घोषणापत्र कि यह अधिनियम की धारा 194 के प्रावधान के तहत निर्दिष्ट एक बीमा कंपनी है ▪ आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण के प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति ▪ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
बी)	सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित विशिष्ट निगम जिनकी आय को कर से छूट है, और अधिनियम की धारा 10 (23डी) के तहत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ▪ घोषणापत्र कि यह जारी परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 196(iii) के अंतर्गत आता है। ▪ प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति ▪ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
सी)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत श्रेणी - I और II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ▪ घोषणापत्र कि इसकी आय अधिनियम की धारा 10 (23FBA) के तहत छूट प्राप्त है और वे श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में सेबी के नियमों द्वारा शासित हैं ▪ सेबी एआईएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति ▪ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
a)	Insurance Companies	Nil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Declaration that it is an Insurance Company as specified under Proviso to section 194 of the Act ▪ Self-attested copy of certificate of registration with IRDAI ▪ Self-attested copy of PAN card
b)	Government, Reserve Bank of India (RBI), Specified Corporations established by or under Central Act whose income is exempt from tax, and Mutual Funds specified under section 10 (23D) of the Act	Nil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Declaration that it is covered by section 196(iii) of the Act read with the Circulars issued thereunder. ▪ Self-attested copy of relevant registration documents ▪ Self-attested copy of PAN card
c)	Category - I & II Alternative Investment Funds (AIF) registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI)	Nil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Declaration that its income is exempt under section 10(23FBA) of the Act and they are governed by SEBI regulations as Category I or Category II AIF ▪ Self-attested copy of SEBI AIF registration certificate ▪ Self-attested copy of the PAN card

क्र. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज
डी)	शेयरधारकों को अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में टीडीएस प्रावधानों से छूट दी गई है	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ▪ घोषणापत्र कि सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के अंतर्गत आता हो ▪ अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में छूट की स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य ▪ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
ई)	सभी निवासी शेयरधारक	आयकर विभाग द्वारा जारी न्यून कटौती प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर	<ul style="list-style-type: none"> ▪ अधिनियम की धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
d)	Shareholders exempted from TDS provisions in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification	Nil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Declaration that it is covered by CBDT circular or Notification ▪ Documentary evidence supporting the exemption status in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification ▪ Self-attested copy of PAN card
e)	All resident shareholders	Rate specified in the low deduction certificate issued by the income tax department	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Self-attested copy of certificate under section 197 of the Act

बी. अनिवासी शेयरधारक

- विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफआईआई और एफपीआई) होने के नाते अनिवासी संस्थागत शेयरधारकों के लिए, टीडीएस अधिनियम की धारा 196डी के तहत 20 प्रतिशत पर या निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करने पर किसी भी लागू दोहरा बचाव समझौता (कर संधि) में दिए गए दर, जो भी कम हो, के अनुसार लागू होगा।
- अन्य अनिवासी शेयरधारकों के लिए, टीडीएस अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार लागू दरों पर जो वर्तमान में 20% है या निम्न उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर किसी भी लागू कर संधि में दिए दर, जो भी कम हो, के अनुसार देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।
- अनिवासी शेयरधारक जिनके पास भारत में स्थायी स्थापना है और एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, उन पर लागू टीडीएस की दर से दोगुना के लिए उत्तरदायी होगा।
- यदि अधिनियम की धारा 197/195 के तहत अनिवासी शेयरधारकों द्वारा करों की कम/शून्य पर रोकने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, तो उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर पर उसकी स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा।

B. Non-Resident Shareholders

- For Non-resident institutional shareholders being Foreign Institutional Investors/ Foreign Portfolio Investor (FII/ FPI), TDS will be applicable under section 196D of the Act, at 20% or as per the rate in any applicable Double Tax Avoidance Agreement (tax treaty) on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.
- For other Non-resident shareholders, TDS will be applicable in accordance with the provisions of section 195 of the Act, at the rates in force which is currently 20% or as per the rate in any applicable tax treaty on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.
- The non-resident shareholder who has a permanent establishment in India and is a specified person would be liable for twice the rate of TDS as applicable.
- If certificate under section 197/195 of the Act is obtained by non-resident shareholders for lower/Nil withholding of taxes, rate specified in the said certificate shall be considered based on submission of self-attested copy of the same.

अधिनियम की धारा 90(2) के अनुसार, अनिवासी शेयरधारकों (एडीआर के लिए डिपॉजिटरी के अलावा) के पास भारत और उनके कर निवास वाले देशों के बीच कर संधि का लाभ उठाने का विकल्प है, जिसके लिए ऐसे अनिवासी शेयरधारक को बैंक की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

1. भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आवंटित पैन की स्व-सत्यापित प्रति; यदि पैन आवंटित नहीं किया गया है, तो कृपया स्व-घोषणा प्रस्तुत करें।
2. टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट (टीआरसी) वित्त वर्ष 2021-23 के लिए की प्रति उस देश के कर प्राधिकरण से प्राप्त की जाएगी, जिस देश के शेयरधारक निवासी है। यदि टीआरसी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त टीआरसी का ऐसी अन्य भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना होगा और उसके बाद टीआरसी की विधिवत नोटरीकृत और प्रमाणित (एपोस्टील) प्रति प्रदान की जाएगी।
3. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10एफ में स्व-घोषणा पत्र यदि इस फॉर्म में आवश्यक सभी विवरण टीआरसी में उल्लिखित नहीं हैं।
4. अनिवासी शेयरधारक द्वारा स्व-घोषणा के रूप में
 - शेयरधारक की कर आवासीय स्थिति के आधार पर कर संधि लाभों का दावा करने की पात्रता;
 - प्रासंगिक वर्ष के दौरान किसी भी समय शेयरधारक के पास लागू कर संधि के अनुसार भारत में स्थायी स्थापना/निश्चित आधार नहीं था;
 - शेयरधारक इक्विटी शेयरों पर प्राप्त होने वाली लाभांश आय का लाभकारी स्वामी है।

कृपया ध्यान दें कि अनिवासी शेयरधारकों के मामले में कर संधि लाभों का दावा करने के लिए या/और अधिनियम की धारा 206AB के अनुसार अधिक टीडीएस से बचने के लिए कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व की स्व-घोषणा शेयरधारक के लेटरहेड पर होनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी अधिक जानकारी के लिए कॉल करने और/या टीडीएस के लिए डोमेस्टिक कानून/कर संधि लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सामान्य निर्देश:

1. उपरोक्त सभी टीडीएस दरों को लागू अधिभार और सेस, जहां भी लागू हो, द्वारा विधिवत रूप से बढ़ाया।
2. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, पैन, पता, बैंक खाता विवरण, ईमेल पते और मोबाइल नंबर अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना विवरण बैंक या बैंक के एसटीए को प्रस्तुत करें।

Pursuant to section 90(2) of the Act, non-resident shareholders (other than Depository for ADRs) have the option to avail the benefit of tax treaty between India and the countries of their tax residence for which such non-resident shareholders will have to provide the following documents, to the satisfaction of the Bank:

1. Self-attested copy of the PAN allotted by the Indian Income Tax Authorities; If the PAN is not allotted, please submit self-declaration.
2. Self-attested copy of Tax Residency Certificate (TRC) (for FY 2022-23) obtained from the tax authorities of the country of which the shareholder is resident. In case, the TRC is furnished in a language other than English, the said TRC would have to be translated from such other language to English language and thereafter duly notarized and apostilled copy of the TRC would have to be provided.
3. Self-declaration in Form 10F for FY 2022-23 if all the details required in this Form are not mentioned in the TRC.
4. Self-declaration by the non-resident shareholder as to
 - Eligibility to claim tax treaty benefits based on the tax residential status of the shareholder;
 - The shareholder did not at any time during the relevant year have permanent establishment/fixed base in India in accordance with the applicable tax treaty;
 - Shareholder being the beneficial owner of the dividend income to be received on the equity shares.

Please note that in case of non-resident shareholders, Self Declaration of No Permanent Establishment and Beneficial ownership should be on the letterhead of the shareholder for claiming tax treaty benefits or/and to avoiding higher TDS as per section 206AB of the Act.

Please note that the Bank in its sole and absolute discretion reserves the right to call for any further information and/or to apply domestic law/tax treaty for TDS.

General Instructions:

1. All the above referred TDS rates shall be duly enhanced by applicable surcharge and cess, wherever applicable.
2. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to update their records such as tax residential status, PAN, address, bank account details, email addresses and mobile numbers with their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their details to the Bank or Bank's STA.

Please note that for the purpose of complying with the

कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, बैंक डिपॉजिटरी/बैंक के एसटीए के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 23 जून, 2022 को उपर्युक्त जानकारी पर निर्भर करेगा।

3. फॉर्म/घोषणापत्र वेबसाइट www.pnbindia.co.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। बैंक को उचित कर दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जिस पर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लागू होने वाले दस्तावेज दिनांक 23.06.2022 या उससे पहले उक्त वेबसाइट पर प्रदान/प्रस्तुत करें।
4. लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा जैसा कि उन पर लागू हो संबंधित शेयरधारकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा और अधिनियम के अनुसार पूर्ण और संतोषजनक पाए जाने पर बैंक शेयरधारक को टीडीएस प्रमाणपत्र भेजने की व्यवस्था करेगा।
5. उक्त लाभांश के संबंध में कर निर्धारण/कटौती पर कोई संचार उपर्युक्त तिथि के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में उक्त लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तब भी शेयरधारक के पास आय की विवरणी दाखिल करने और उचित दावा करने का एक विकल्प उपलब्ध होगा, यदि पात्र हो। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि ऐसे कर की कटौती के लिए बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।
6. इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न बैंक/बैंक के एसटीए को hosd@pnb.co.in/beetal@beetalfinancial.com पर भेजे जाने चाहिए।
7. शेयरधारक(यों) द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली जानकारी की किसी भी गलत बयानी, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही, बैंक को सभी जानकारी/दस्तावेज और किसी भी कार्रवाई में सहयोग प्रदान करेंगे।
8. इस संचार को बैंक की सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। शेयरधारकों को अपने कर मामलों से संबंधित कर सलाह कर पेशेवर से प्राप्त करनी चाहिए।
9. बैंक आयकर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्षमता या सुविधा से सत्यापित जानकारी पर भरोसा करेगा, जिसके लिए अधिनियम की धारा 206AB के तहत टीडीएस की उच्च दर लागू होगी।

applicable TDS provisions, the Bank will rely on the above-mentioned information as on record date i.e. 23rd June, 2022 as per the details available with the Depositories/Bank's STA.

3. The Forms/Declarations can be downloaded from the website: www.pnbindia.co.in. In order to enable the Bank to determine the appropriate tax rate at which tax has to be deducted at source under the respective provisions of the Act, Shareholders are requested to provide/submit the documents as applicable to them on or before 23.06.2022 at hosd@pnb.co.in/beetal@beetalfinancial.com.
4. The dividend will be paid after deduction of tax at source as determined on the basis of the documents provided by the respective shareholders as applicable to them and being found to be complete and satisfactory in accordance with the Act. The Bank shall arrange to dispatch the TDS certificate to the shareholders.
5. No communication on the tax determination/ deduction in respect of the said dividend shall be entertained post the above mentioned date. It may be further noted that in case the tax on said dividend is deducted at a higher rate in absence of receipt of the aforementioned details/documents, there would still be an option available with the Shareholder to file the return of income and claim an appropriate refund, if eligible. Further, it may kindly be noted that no claim shall lie against the Bank for such taxes deducted.
6. All communications/queries in this respect should be sent to the Bank/Bank's STA at hosd@pnb.co.in/beetal@beetalfinancial.com
7. In the event of any income tax demand (including interest, penalty, etc.) arising from any misrepresentation, inaccuracy or omission of information provided/to be provided by the Shareholder(s), such Shareholder(s) will be responsible to indemnify the Bank and also, provide the Bank with all information/documents and co-operation in any proceedings.
8. This communication shall not be treated as an advice from the Bank. Shareholders should obtain tax advice related to their tax matters from a tax professional.
9. The Bank will be relying on the information verified from the functionality or facility available on the Income Tax website for ascertaining the income tax compliance for whom higher rate of TDS shall be applicable under section 206AB of the Act.

BLANK PAGE

निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report



pnb one
just one app

प्रगति एक नजर में / PROGRESS AT A GLANCE

(रु. करोड़ में) (Rs. Crore)







क्र.सं. S. No	पैरामीटर /PARAMETERS	स्टैंडअलोन पीएनबी / STANDALONE PNB#			समामेलित पीएनबी / AMALGAMATED PNB#	
		वित्त वर्ष 18 FY'18	वित्त वर्ष 19 FY'19	वित्त वर्ष 20 FY'20	वित्त वर्ष 21 FY'21	वित्त वर्ष 22 FY'22
1	शेयर पूंजी/Share Capital	552	921	1348	2096	2202
2	आरक्षित निधियाँ/Reserves & Surplus	40522	43866	61010	88842	93285
3	कुल व्यवसाय/Total Business	1113523	1182224	1220775	1845739	1931322
4	जमाराशियां/Deposits	642226	676030	703846	1106332	1146219
5	सकल अग्रिम/Gross Advances	471297	506194	516929	739407	785104
6	निवल अग्रिम/Net Advances	433735	458249	471828	674230	728186
7	निवेश/Investment	200306	202128	240466	392983	372168
8	कुल आस्तियां/Total Assets	765830	774949	830666	1260633	1314805
9	शाखाएं (सं)/Branches (No.)	6982	6989	7040	10769	10098
10	एटीएम नेटवर्क (संख्या) ATM Network (No.)	9668	9255	9168	13781	13350
11	कारोबार प्रतिनिधियों (संख्या) Business Correspondents (No)	8044	8143	7500	12518	15719
12	परिचालन लाभ/ Operating Profit	10294	12995	14739	22159	20762
13	कुल प्रावधान/Total Provisions	22576	22971	14402	20138	17305
14	निवल लाभ/Net Profit	-12282	-9975	336	2022	3457
15	व्यवसाय प्रति कर्मचारी Business per Employee	14.73	16.80	18.21	18.85	19.41
16	जमाराशि की वैश्विक लागत (%) Global Cost of Deposit (%)	4.96	5.14	5.16	4.44	3.99
17	अग्रिमों पर वैश्विक प्रतिफल (%) Global Yield on Advances (%)	7.49	7.72	7.82	7.53	6.79
18	निवेश पर वैश्विक प्रतिफल (%) Global Yield on Investment (%)	7.35	7.41	7.13	6.48	6.29
19	वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (%) Global Net Interest Margin (%)	2.16	2.41	2.30	2.88	2.71
20	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%) Return on Assets (%)	-1.60	-1.25	0.04	0.15	0.26
21	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%) Return on Equity (%)	Negative	Negative	0.59	3.88	5.96
22	आय अनुपात की लागत (%) Cost to Income Ratio (%)	56.75	47.03	44.82	47.82	49.38
23	सकल एनपीए (%) /Gross NPAs (%)	18.38	15.50	14.21	14.12	11.78
24	निवल एनपीए (%) /Net NPAs (%)	11.24	6.56	5.78	5.73	4.80
25	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) Capital Adequacy Ratio (%)	9.20	9.73	14.14	14.32	14.50
26	टियर 1 अनुपात (%) /Tier 1 Ratio (%)	7.12	7.49	11.90	11.50	11.73







आंकड़े पूर्व-समामेलन अवधि के लिए स्टैंडअलोन पंजाब नैशनल बैंक वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, इसलिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन पश्चात वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं है।

Figures are related to standalone Punjab National Bank Financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2022.

प्रमुख वित्तीय स्थिति
समामेलित पीएनबी से संबंधित मार्च 21 और मार्च 22 के आंकड़े

**KEY FINANCIAL POSITION
MARCH 21 AND MARCH 22 FIGURES PERTAIN TO AMALGAMATED PNB**





निदेशक रिपोर्ट 2021-22

वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2021-22 पूरे बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष था, लेकिन उद्योग के खिलाड़ी बेहतर तैयारी और अनुकूल व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण इसे सफलतापूर्वक पार कर सके। वर्ष के दौरान आर्थिक परिदृश्य में सुधार हुआ जिसने ऋण वृद्धि के पर्याप्त अवसर प्रदान किए। पीएनबी ने आर्थिक प्रवृत्ति के अनुरूप वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना जारी रखा और व्यापार वृद्धि के मामले में अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा। बैंक ने ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए खुदरा ऋण पर जोर देना जारी रखा और जनशक्ति और शाखाओं के मामले में अतिरिक्त ताकत के साथ, पीएनबी ने शानदार प्रदर्शन किया। वर्ष के दौरान, बैंक ने एमसीसी और पीएलपी की रिपोर्टिंग संरचना को भी सुव्यवस्थित किया, जबकि त्वरित निर्णय लेने में सहायता के लिए शक्ति और अन्य दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था।

बैंक ने पूरे वर्ष आस्ति गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर वसूली हुई, गिरावट (स्लीपेज) कम हुई और एनपीए अनुपात कम हुआ। इसके अलावा, ग्राहकों को बेहतर और त्वरित सेवा देने के लिए बैंक ने नवाचार करना जारी रखा। डिजिटलीकरण एक चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बैंक ने उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला में बढ़ोत्तरी की एवं ग्राहकों को सुविधाजनक तरीके से निर्बाध बैंकिंग प्रदान करने के लिए फिनटेक के साथ गठजोड़ किया है। बैंक ने उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कौशल प्रदान करके मानव संसाधन विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

31 मार्च, 2022 के अंत तक, रु. 11,46,218 करोड़ के सकल वैश्विक अग्रिम तथा रु. 7,85,104 करोड़ सकल वैश्विक जमा के साथ बैंक का सकल वैश्विक व्यवसाय रु. 19,31,322 करोड़ रहा। चालू तथा बचत जमा राशि (कासा), 47.43 प्रतिशत के घरेलू कासा शेयर के साथ रु. 5,33,654 करोड़ रहा। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक का परिचालन लाभ रु. 3,457 करोड़ के निवल लाभ के साथ रु. 20,762 करोड़ था। 31 मार्च, 2022 के अंत में, सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात घटकर 11.78 प्रतिशत तथा निवल एनपीए अनुपात घटकर 4.80 प्रतिशत रह गया। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.71 प्रतिशत रहा, जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 14.50 प्रतिशत रहा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कई प्रतिष्ठित प्लेटफार्मों पर बैंक के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की गई। एसोचैम द्वारा 8वें एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड में बैंक को "बेस्ट एमएसएमई बैंक (पीएसयू)" घोषित किया गया था। ईजे (EASE) के तहत, पीएनबी को दो थीम-वार पुरस्कारों में उपविजेता घोषित किया गया था, अर्थात्, गवर्नंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रूडेंट बैंकिंग और सर्वश्रेष्ठ सुधार श्रेणी में दूसरा उप विजेता, अर्थात् बेसलाइन पर 42% सुधार। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बैंक द्वारा की गई पहलों की विधिवत सराहना की गई क्योंकि पीएनबी ने "बेस्ट कोर-बैंकिंग टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन" के लिए "एशियन बैंकर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड 2021" जीता। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा एनआरएलएम योजना के तहत बैंक को एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में दूसरा सर्वश्रेष्ठ बैंक भी चुना गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) अभियान के तहत

Directors' Report

Financial Year (FY) 2021-22 was yet another challenging year for the entire banking sector but the industry players could sail through it successfully owing to better preparedness and conducive business conditions. The economic scenario improved during the year which provided ample opportunities for credit growth. PNB in line with the economic trend continued to scale greater heights and put up good performance in terms of business growth during FY 2021-22. The Bank continued to emphasize on Retail Credit to enhance the credit portfolio and with the added strength in terms of manpower and branches, PNB exhibited the reinforced performance. During the year, the Bank also streamlined the reporting structure of Mid Corporate Centres (MCC) and PNB Loan Points (PLPs) while loaning power and other guidelines were revised to support quicker decision making.

The Bank also kept the focus on the asset quality throughout the year which resulted into improved recoveries, reined in slippages and lower NPA ratios. In addition to it, the Bank continued to innovate in order to serve the customers better and expediently. Digitalization remained a buzzword as Bank added to the kitty of products and services and explored tie-ups with the fintechs to provide the seamless banking to the customers in the convenient manner. The Bank kept its focus on Human Resource Development by way of up-skilling them in line with the changing requirements of the industry.

As at the end of 31st March, 2022, Bank's Gross Global Business stood at Rs. 19,31,322 Crore with Gross Global Advances at Rs. 7,85,104 Crore and Gross Global Deposit at Rs. 11,46,218 Crore. Current and Saving Deposits (CASA) was at Rs. 5,33,654 Crore with domestic CASA share at 47.43 per cent. In addition, Bank's Operating Profit was at Rs. 20,762 Crore with the Net Profit of Rs. 3,457 Crore for the FY 2021-22. As at the end of 31st March, 2022, Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio declined to 11.78 per cent and Net NPA ratio declined to 4.80 per cent. While Global Net Interest Margin (NIM) was at 2.71 per cent in FY 2021-22, Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) was comfortable at 14.50 per cent.

During FY 2021-22, Bank's efforts and achievements were recognized on many prestigious platforms. The Bank was adjudged "Best MSME Bank (PSU) in 8th MSME Excellence Awards by ASSOCHAM". Under EASE, PNB was declared Runners-up in two theme-wise awards i.e., Governance & Outcome centric HR & Institutionalizing Prudent Banking and Second runner-up in the best improvement category i.e., 42% improvement over baseline. Further, the initiatives taken by bank in the area of technology was duly appreciated as PNB won "The Asian Banker Financial Technology Innovation Award 2021 for "Best Core-banking Technology Implementation.". The Bank was also (adjudged 2nd Best Bank in SHG Credit Linkage under NRLM scheme by Ministry of Rural Development (MoRD)). The Bank secured 1st position amongst peer banks under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) campaign launched by Ministry of

बैंक ने समकक्ष बैंकों के बीच प्रथम स्थान हासिल किया। पीएनबी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी योजना पीएमईजीपी को लागू करने में अपने प्रदर्शन के लिए तीसरा स्थान हासिल किया। बैंक ने 'मोस्ट सिग्नीफिकेंट लेंडर सपोर्टिंग एससी एंटरप्रेन्योर' श्रेणी के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड भी जीता।

"इस पूर्वपीठिका में, आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2022 (वित्त वर्ष 2021-22) को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ-साथ लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।"

हमारा प्रदर्शन

ए. वित्तीय प्रदर्शन

आस्तियां एवं देयताएं

31 मार्च, 2022 तक बैंक की कुल आस्तियां ₹ 13,14,805 करोड़ थीं। जबकि शुद्ध अग्रिम ₹ 7,28,186 करोड़ पर रहा, निवेश ₹ 3,72,168 करोड़ पर था।

देयताओं के पक्ष में, जमा राशि ₹ 11,46,219 करोड़ थी, जबकि उधार राशियाँ 31 मार्च, 2022 को ₹ 45,681 करोड़ रुपये थीं।

शुद्ध ब्याज आय

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आपके बैंक की शुद्ध ब्याज आय ₹ 28,694 करोड़ रही। जबकि ब्याज आय ₹ 74,880 करोड़ थी, वहीं ब्याज व्यय 46,185 करोड़ रुपये था।

परिचालन लाभ

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आपके बैंक का परिचालन लाभ ₹ 20,761 करोड़ रहा। जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जहां कुल आय ₹ 87,200 करोड़ थी, वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में कुल खर्च ₹ 66,438 करोड़ रुपये था।

शुद्ध लाभ

बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के ₹ 3,457 करोड़ का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2020-21 के ₹ 2,022 करोड़ के मुकाबले अर्जित किया है।

प्रावधान और आकस्मिकताएं

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एनपीए के प्रावधान ₹ 14,159 करोड़ के साथ किए गए कुल प्रावधान ₹ 16,445 करोड़ थे। बैंक के टीडब्ल्यूओ सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 मार्च, 2022 को 81.60 प्रतिशत पर था और टीडब्ल्यूओ को छोड़कर पीसीआर 62.24 प्रतिशत पर था।

बी. परिचालन संबंधी विशेषताएं

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक की कुछ परिचालन सम्बन्धी विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं:

वित्तीय

- बैंक का वैश्विक कारोबार 31 मार्च, 2022 में ₹ 19,31,322 करोड़ तक पहुंच गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में दूसरे स्थान पर था।

Agriculture and Farmers Welfare. PNB also bagged 3rd Position for its performance in implementing the Government scheme PMEGP for the FY 2020-21. The Bank won Dr. Ambedkar Business Excellence Awards under the Category "Most Significant Lender Supporting SC Entrepreneurs".

"Against this backdrop, your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of your Bank for the year ended 31st March, 2022 (FY 2021-22) along with its audited Annual Financial Statements".

OUR PERFORMANCE

A. Financial Performance

Assets and Liabilities

Total Assets of the Bank was at Rs. 13,14,805 Crore as at 31st March, 2022. While the Net Advances stood at Rs. 7,28,186 Crore, Investment was at Rs. 3,72,168 Crore.

On the Liabilities side, Deposits stood at Rs. 11,46,219 Crore while the Borrowings was at Rs. 45,681 Crore as on 31st March, 2022.

Net Interest Income

The Net Interest Income of your Bank stood at Rs. 28,694 Crore during FY 2021-22. While Total Interest Income stood at Rs. 74,880 Crore, Interest Expenses was at Rs. 46,185 Crore.

Operating Profit

Operating Profit of your Bank during the FY 2021-22 stood at Rs. 20,761 Crore. While the total Income stood at Rs.87,200 Crore during FY 2021-22, total Expenses was Rs.66,438 Crore in FY 2021-22.

Net Profit

Bank has earned a Net Profit of Rs.3,457 Crore in FY 2021-22 vis-à-vis Rs.2,022 Crore in FY 2020-21.

Provisions and Contingencies

Total Provisions (other than tax) made during FY 2021-22 were at Rs.16,445 Crore with Provision for NPA at Rs 14,159 Crore. Provision Coverage Ratio (PCR) including TWO of the Bank was at a robust 81.60 per cent as at 31st March, 2022 and PCR excluding TWO was at 62.24 percent.

B. OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Some of the operational highlights of the Bank during FY 2021-22 are listed below:

Financial

- Bank's Global Business reached the mark of Rs.19,31,322 Crore in 31st March, 2022, which was second highest among Public Sector Banks (PSBs).

- कासा जमा रु. 5,33,654 करोड़ पर रहा और घरेलू जमा में 47.43 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दूसरे स्थान पर भी रहा।
- 31 मार्च, 2022 तक बचत जमा बढ़कर रु. 4,51,680 करोड़ हो गया। 31 मार्च, 2022 तक खुदरा सावधि जमा रु. 5,15,751 करोड़ था।
- कोर खुदरा ऋण पोर्टफोलियों के भीतर आवास ऋण बढ़कर 73,805 करोड़ रुपये, कार/वाहन ऋण बढ़कर 12,615 करोड़ रुपये और बंधक ऋण 12,232 करोड़ रुपये हो गया। 31 मार्च, 2022 तक एमएसएमई ऋण बढ़कर रु. 1,25,032 करोड़ हो गया।
- वित्त वर्ष 2021-22 में इक्विटी पर प्रतिलाभ में 5.96 प्रतिशत का सुधार हुआ। इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 में 208 बीपीएस का सुधार दिख रहा है।
- निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित अनुमोदन के अधीन 0.64 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (32%) के लाभांश की सिफारिश की है।
- CASA Deposits at Rs. 5,33,654 Crore also remained second highest amongst PSBs with 47.43 per cent share in Domestic Deposits.
- Savings Deposit grew to Rs. 4,51,680 Crore as on 31st March, 2022. Retail Term Deposit was at Rs. 5,15,751 Crore as on 31st March, 2022.
- Within Core Retail Credit Portfolio, Housing Loan increased to Rs. 73,805 Crore, Car/Vehicle Loan increased to Rs. 12,615 Crore and Mortgage Loan was at Rs. 12,232 Crore. MSME loan grew to Rs. 1,25,032 Crore as on 31st March, 2022
- Return on Equity improved to 5.96 per cent in FY 2021-22 hence showing the improvement of 208 bps over FY 2020-21.
- The Board of Directors have recommended a dividend of Rs. 0.64 per equity share (32%) for the year ended 31st March, 2022 subject to requisite approvals.

पूंजी

बेहतर लाभप्रदता के साथ-साथ बैंक द्वारा पूंजी जुटाने के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने क्यूआईपी के माध्यम से 1800 करोड़ रुपये, टियर- II बॉन्ड के माध्यम से 1919 करोड़ रुपये और एटी -1 बॉन्ड के माध्यम से 3971 करोड़ रुपये की इक्विटी जुटाई है। बैंक ने कम जोखिम प्रोफाइल के साथ बेहतर रेटिंग वाले उधारकर्ताओं को लक्षित करके सतत व्यापार विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। आगे, बैंक अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में है।

मुख्य विशेषताएं

- 31 मार्च, 2022 तक बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.50 प्रतिशत था, जिसमें टियर-1 पूंजी 11.73 प्रतिशत और सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) 10.56 प्रतिशत थी।
- मार्च 2022 में बैंक की ऋण जोखिम भारत आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में बेहतर रेटिंग वाले खातों और बैंक के पोर्टफोलियो के मंथन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण रु. 4,88,969 करोड़ का सुधार हो गया था।

प्रमुख पहलें

ए) शिक्षा एवं विकास

बैंक ने हमेशा जनशक्ति को सबसे आगे रखा है और नवीन उपायों को अपनाया है। इसके साथ ही बैंक ने एक बेहतर सीखने के अनुभव को प्रदान करना सुनिश्चित किया है। बैंक ने ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) को फिर से तैयार किया और प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए ओजेटी के दौरान उनकी सुविधा के लिए कार्यपुस्तिका पेश की। बैंक ने ऑनलाइन चैनल के माध्यम से डिलीवरी को भी बढ़ाया।

Capital

The capital adequacy of the Bank improved during the financial year on account of capital raising by the Bank coupled with improved profitability. During FY 2021-22, Bank has raised equity of Rs. 1800 Crore through QIP, Rs. 1919 Crore through Tier-II Bonds and Rs. 3971 Crore through AT-1 Bonds. The Bank continued with its focus on sustainable business growth by targeting better rated borrowers with low risk profile. Going forward, the Bank is strategically well placed to meet the growing credit needs of the economy.

Key Highlights

- The Capital Adequacy Ratio of the Bank stood at 14.50 per cent, as of 31st March, 2022, with Tier-1 capital at 11.73 per cent and Common Equity Tier-1 (CET-1) at 10.56 per cent.
- The Credit Risk Weighted Assets (RWA) of the Bank were optimized to Rs. 4,88,969 Crore in March 2022 on account of focus on better rated accounts and churning of portfolio of the Bank.

Major Initiatives

a) Learning & Development

The Bank has always kept up-skilling of manpower in the forefront and adopted innovative measures. At the same time, the Bank has also ensured consistent delivery of enhanced learning experience. Further, Bank remodeled On Job Trainings (OJT) and introduced workbooks for Management Trainees to facilitate them during OJTs. Bank also upgraded Delivery through Online Channel.

बी) समावेशिता को बढ़ावा देना

कार्यक्षमता को प्रेरित करने के लिए बैंक द्वारा सेमिनार आयोजित किए गए जिसके तहत बैंक में महिला अधिकारियों के लिए महिला सम्मेलन, जहां मैडम अरुंधति भट्टाचार्य (पूर्व अध्यक्ष एसबीआई) मुख्य संबोधन के लिए शामिल हुईं। इसका उद्देश्य महिला अधिकारियों को करियर की सीढ़ी पर ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना था।

सी) सांस्कृतिक एकीकरण

सांस्कृतिक एकीकरण के अंश के रूप में, पीएनबी 1.0, ई-ओबीसी और ई-यूनआई के सभी कर्मचारियों के पीएफ नंबरों को सुसंगत बनाया है।

अन्य प्रमुख पहलें

- ❖ **पीएनबी प्राइड** : रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड अकाउंट विजिट विवरण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन- पीएनबी प्राइड को फील्ड पदाधिकारियों के लिए विकसित किया गया है। उपयोगकर्ता संपर्क किए गए व्यक्तियों का नाम, संस्था की स्थिति, फोटो अपलोड करने, आने वाले अधिकारियों द्वारा लिए गए रिपोर्ट, वसूली विवरण, पूर्ण करने की तिथि आदि जैसे विजिट विवरण दर्ज कर सकते हैं।
- ❖ **एम टच एप्प** : अतिदेय राशि की वसूली के लिए शाखा अधिकारियों द्वारा किए गए सभी फील्ड दौरों के रिकॉर्ड को कैप्चर करने के लिए एक डिजिटल मोबाइल एप्लिकेशन पीएनबी एमटच सह वेब पोर्टल विकसित किया गया है।
- ❖ **पीएनबी फास्टैग** : एप्पल और एंड्रॉयड जैसे उपकरणों के लिए नवंबर 2021 में एक ऐप लॉन्च किया गया था, जो मोबाइल उपकरणों पर टैग, रिचार्ज और लेनदेन की हिस्ट्री देखने हेतु आवेदन की सुविधा प्रदान करता है।
- ❖ **वीडियो केवाईसी के साथ ऑनलाइन और तत्काल बचत खाता खोलना**: बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से तत्काल ग्राहक ऑन-बोर्डिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि ग्राहकों को केवाईसी-सत्यापन के साथ ऑनलाइन खाता खोलने और टेक्नो सैवी नए जमाने के ग्राहकों को आकर्षित करने की सुविधा मिल सके।
- ❖ **वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के माध्यम से केंद्र/राज्य सरकार पेंशनभोगी के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना**: पेंशनभोगी को उनकी सुविधा एवं सुलभता के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सक्षम बनाने के लिए, बैंक ने केंद्र/राज्य सरकार पेंशनभोगियों के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए 30 दिसम्बर, 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन वेब-आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
- ❖ **केंद्रीय रूप से कासा खाते खोलने के लिए 5 कासा बैंक ऑफिस की स्थापना**: केवाईसी अनुपालन को पूरा करने और बेहतर ग्राहक सेवा प्राप्त करने के लिए बैंक ने केंद्रीय रूप से कासा खाते खोलने के लिए 5 कासा बैंक ऑफिस स्थापित किए हैं। इसे सितंबर 2021 में चालू किया गया था। ये कासा बैंक ऑफिस कोलकाता, मुंबई, पंचकुला, भुवनेश्वर और फरीदाबाद में स्थित हैं।

b) Promoting inclusivity

Seminars to motivate the workforce were undertaken by the Bank under which Women's Conclave for lady executives in the Bank was organised, where Madam Arundhati Bhattacharya (former chairperson SBI) joined in for keynote address. This was aimed at motivating female officers to rise up in the career ladder.

c) Cultural integration

As part of the cultural integration, PF numbers of all the employees of PNB 1.0, e-OBC and e-UNI have been harmonized.

Other Key Initiatives

- ❖ **PNB Pride**: For real time monitoring and record account visits details Mobile application-PNB Pride has been developed for field functionaries. User can enter visit details like name of contact persons, status of the unit, uploading photo, report by the visiting officials, recovery details, promise date etc.
- ❖ **Mtouch app**: A Digital Mobile Application PNB Mtouch cum Web Portal has been developed to capture the records of all field visits made by the Branch Officials for recovery of overdue amount.
- ❖ **PNB FASTag**: An app was launched in November 2021 for Apple and Android devices to facilitate application for tags, recharge and viewing transaction history on mobile devices.
- ❖ **Opening of Online & Instant Savings Account with Video KYC**: The Bank launched Instant Customer On-Boarding Platform through Video KYC to facilitate the customers for opening account with KYC-verification on-line and to attract techno-savvy new-age customers.
- ❖ **Submission of life certificate for central/state govt. Pensioners through Video Based Customer Identification Process (V-CIP)**: To enable the pensioners to submit Life Certificate at their convenience and comfort, the Bank launched an online web-based platform for Central/State Govt. Pensioners for submission of Life Certificate online using Video based Customer Identification Process on 30th December 2021.
- ❖ **Setting up 5 CASA Back Offices for opening of CASA accounts centrally**: In order to address KYC compliance and to achieve better customer service Bank has setup, 5 CASA Back Offices for opening of CASA accounts centrally. It was operationalised in September 2021. These CASA Back Offices are located at Kolkata, Mumbai, Panchkula, Bhubaneswar and Faridabad.

- ❖ **पीएनबी वर्चुअल डेबिट कार्ड:** बैंक द्वारा वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया जिसने भौतिक डेबिट कार्ड रखने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।
- ❖ **पीएनबी 360 पोर्टल:** बैंक ने पीएनबी-360 पोर्टल लॉन्च किया है, जो सभी बैंक कर्मचारियों के लिए उनके ऑन-प्रिमाइसेस डेस्कटॉप पर और टैब पर ऑटो-रिफ्रेश, प्रबंधन और फील्ड अधिकारियों के लिए वन स्टॉप समाधान के साथ उपलब्ध डैशबोर्ड है।
- ❖ **ट्रेड फाइनेंस पोर्टल:** बैंक ने ट्रेड फाइनेंस पोर्टल का दूसरा चरण शुरू किया है ताकि आयात करने वाला ग्राहक बैंक को दस्तावेज़ स्कैन कर सकें और सीधे भेज सकें जिसमें आयात दस्तावेज़, विदेशी साख पत्र और गारंटी के विदेशी पत्र शामिल हों।
- ❖ **पीएनबी वन में एएसबीए सेवा:** एएसबीए सेवा एमबीएस (पीएनबी वन) में लायी गई है। यह 1 मिनट से भी कम समय में कुछ ही क्लिक में आईपीओ आवेदन के लिए पूरी तरह से परेशानी मुक्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। अब, एएसबीए सेवाओं का लाभ शाखाओं, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग अर्थात पीएनबी वन के माध्यम से उठाया जा सकता है।
- ❖ **PNB Virtual Debit Cards:** Virtual Debit cards were launched by the Bank thereby eliminating the need for carrying the physical Debit cards.
- ❖ **PNB 360 portal:** Bank has launched PNB-360 Portal which is a Dashboard available for All Bank employee at their on-Premise desktop and at Tab with auto-refresh, one stop solution for Management and field functionaries.
- ❖ **Trade Finance Portal:** The Bank has launched 2nd phase of Trade Finance Portal to allow import customers to scan and send documents directly to Bank covering Import documents, Foreign Letter of Credit and Foreign Letter of guarantee.
- ❖ **ASBA Service in PNB ONE:** ASBA services has been introduced in MBS (PNB ONE). It is popularly hassle free and user friendly approach for IPO application in few clicks in less than a minute. Now, ASBA services can be availed through Branches, Internet Banking, UPI and Mobile Banking i.e., PNB ONE.

सी. आस्ति गुणवत्ता

कोविड –19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था में व्यवधान के बावजूद, बैंक 31 मार्च, 2022 तक सकल एनपीए को 31 मार्च, 2021 के ₹ 1,04,423 करोड़ के स्तर से ₹ 92,448 करोड़ तक कम करने में सक्षम रहा। आस्ति गुणवत्ता में सुधार, बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बना रहा। टीडब्ल्यूओ सहित प्रोविजन कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 मार्च, 2022 को 81.60% के संतोषजनक स्तर पर बना रहा।

- ❖ **नकद वसूली:** वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल नकद वसूली बढ़कर ₹15,788 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में ₹11,442 करोड़ थी।
- ❖ **उन्नयन:** वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उन्नयन बढ़कर ₹5253 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में ₹2363 करोड़ था।
- ❖ **समाधान तंत्र के माध्यम से उन्नयन:** एनपीए खातों की पुनर्चना/समाधान करने और राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मामलों में वसूली के लिए विशेष रूप से समाधान कक्ष बनाया गया। इस क्षेत्र के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं:

पुनः संचरित खाते

(राशि ₹ करोड़ में)

	कुल स्वीकृति	
	खातों की संख्या	राशि
वित्त वर्ष 2021-22	06	347

इसके अलावा, एनसीएलटी में आईबीसी के तहत एनपीए खातों में 2703 करोड़ रुपये की राशि वसूली की गई थी।

- ❖ **मेगा ई-नीलामी:** वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान 23771 संपत्तियाँ ई-बिक्रय पोर्टल पर अपलोड की गई थी जिसमें से 1319 अचल

C. ASSET QUALITY

Despite disruptions in economy due to 2nd and 3rd wave of Covid-19 pandemic, Bank was able to reduce Gross NPA from the level of Rs. 1,04,423 Crore as on 31st March, 2021 to Rs. 92,448 Crore as on 31st March, 2022. Focus on asset quality continues to be one of the top priorities for the Bank. Provision Coverage Ratio (PCR) including TWO continued at satisfactory level of 81.60 per cent as on 31st March 2022.

- ❖ **Cash Recoveries:** Total Cash Recovery improved to Rs. 15,788 Crore for FY 2021-22 from Rs. 11,442 Crore in FY 2020-21.
- ❖ **Upgradation:** Upgradation for FY 2021-22 improved to Rs. 5,253 Crore from Rs. 2,363 Crore in FY 2020-21.
- ❖ **Upgradation through Resolution Mechanism:** The Resolution Cell was created to exclusively deal with Restructuring/Resolution of NPA accounts and recovery in National Company Law Tribunal (NCLT) cases. The details regarding the same is as under:

Restructured Accounts

(Amount Rs. in Crore)

	Total Sanctioned	
	No. of A/c's	Amount
FY 2021-22	06	347

Further, a sum of Rs. 2,703 crore was recovered in NPA accounts under IBC in NCLT.

- ❖ **Mega E-auctions:** During FY 2021-22, 23,771 properties were uploaded on e-Bikray portal. Out of which 1,319

संपत्ति (आईपी) 5.54 प्रतिशत के अच्छे दर पर सफलतापूर्वक नीलाम की गई।

- ❖ **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को आस्तियों की बिक्री:** परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	वित्तीय वर्ष 2021-22
i. एआरसी को बेचे गए खातों की संख्या	4
ii. बेचे गए खातों की बकाया बही	2421
iii. कुल प्राप्त प्रतिफल (100 प्रतिशत नकद)	1058

- ❖ वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहलें

- ✓ फील्ड पदाधिकारियों के वसूली प्रयासों का समर्थन करने के लिए, वर्ष के दौरान एक सामान्य वसूली पोर्टल अर्थात् सस्त्रा पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल में एकबारगी निपटान (ओटीएस), वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) तथा इरादतन चूककर्ता जैसे 5 अलग-अलग मॉड्यूल हैं। इस सामान्य वसूली पोर्टल के माध्यम से, उधारकर्ता की प्रमुख वसूली कार्यों की स्थिति का पता एक ही स्थान पर लगाया जा सकता है। ओटीएस मॉड्यूल निपटान प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए एक स्वचालित मंच प्रदान करता है।
- ✓ प्रभावी निगरानी के लिए, स्टैंडअलोन डीआरटी और सरफेसी पोर्टलों को सस्त्रा पोर्टल में अलग मॉड्यूल के रूप में पुनः कॉन्फिगर किया गया है।
- ✓ सभी एनसीएलटी मामलों की निगरानी एनसीएलटी मॉड्यूल के माध्यम से की जा रही है जो प्रत्येक मामले की नवीनतम स्थिति को कैप्चर करता है। बैंक के इरादतन चूककर्ता डेटाबेस को एक अलग मॉड्यूल के माध्यम से लोड किया गया है।
- ✓ इसके अलावा, एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, सभी सस्त्रा केंद्रों और शाखाओं में पीएनबी प्राइड ऐप भी शुरू की गई थी। यह जियो के टैगिंग सक्षम ऐप फील्ड पदाधिकारियों के दौरा विवरण को रिकॉर्ड और दौरा अधिकारियों के दौरे के स्थान को कैप्चर करने में सहायता करता है।
- ✓ इसके अलावा, बैंक के वसूली और मुकदमेबाजी कार्यों के डिजिटलीकरण और स्वचालन के लिए एक नया व्यापक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जो एनपीए खातों में सभी प्रमुख वसूली कार्यों की एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग प्रदान करेगा।

Immovable Properties (IPs) were auctioned successfully with success rate of 5.54 per cent.

- ❖ **Sale of Assets to Asset Reconstruction Company (ARC):** Details of financial assets sold to Securitization/Reconstruction Company (SC/RC) for Asset Reconstruction is as under:

(Amount Rs. in Crore)

Items	FY 2021-22
i. No. of Accounts sold to ARCs	4
ii. Book Outstanding of Accounts Sold	2421
iii. Aggregate consideration received (100 per cent cash)	1058

- ❖ **Initiatives taken to Improve Asset Quality during FY 2021-22**

- ✓ In order to support recovery efforts of field functionaries, a common recovery portal i.e. SASTRA Portal was rolled out during the year. The portal is having 5 different modules like One Time Settlement (OTS), Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI), Debts Recovery Tribunals (DRT), National Company Law Tribunal (NCLT) & Wilful Default. Through this common recovery portal, status of major recovery actions of a Borrower can be ascertained at a single place. OTS Module provides an automated platform for online processing of settlement proposals.
- ✓ For effective monitoring, standalone DRT and SARFAESI Portals have been re-configured as separate modules in the SASTRA Portal.
- ✓ All the NCLT cases are being monitored through NCLT Module which captures the latest status of each case. Wilful defaulter database of the Bank has been loaded through a separate module.
- ✓ Further, for effective monitoring and follow-up of NPA Accounts, PNB Pride App was also rolled out in all the SASTRA Centres and Branches. This Geo Tagging enabled App records field functionaries visit details and captures visit location.
- ✓ Further, Bank has initiated steps for development of a new comprehensive. Application Software for Digitalization & Automation of Bank's Recovery & Litigation functions is being developed which will provide End-to-end processing of all major recovery actions in NPA Accounts.

- ❖ **एनपीए खातों की वसूली के लिए विशेष वर्टिकल**— संगठनात्मक पुनर्गठन के अंश के रूप में, विशेष और केंद्रित वसूली कार्यों के लिए सखा वर्टिकल नामक एक अलग वर्टिकल बनाया गया है। वर्टिकल फील्ड में विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों के साथ काम करता है जो विशेष रूप से वसूली के लिए कार्य कर रहे हैं।
- ❖ **विशेष ओटीएस योजना**— वर्ष के दौरान बैंक ने ₹5.00 करोड़ तक के बकाया खातों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है जो एनपीए पोर्टफोलियो के सबसे बड़े हिस्से का निर्माण करता है। अधिक वसूली के लिए, बैंक ने इस हिस्से के लिए एक विशेष ओटीएस योजना शुरू की है। यह योजना चेक बॉक्स मॉडल – गैर विभेदकारी एवं गैर-विवेकाधिकार की है। इस हिस्से में त्वरित और पारदर्शी एकमुश्त निपटान के लिए फील्ड स्तर पर अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, इस योजना के तहत ₹3016 करोड़ के बकाया वाले 164969 एनपीए खातों के समाधान किए गए थे। कृषि और मुद्रा एनपीए खातों के तहत खातों को हल करने के लिए उपयुक्त संशोधन किए गए थे।
- ❖ **Exclusive Vertical for recovery of NPA Accounts:** As part of the Organizational restructuring, a separate vertical called SASTRA Vertical has been created for exclusive & focused recovery operations. The vertical operates with officers posted at different levels in the field who are exclusively working for recovery.
- ❖ **Special OTS Scheme:** During the year, Bank has put more focus on accounts with outstanding up to Rs. 5.00 Crore which constitutes the largest segment of the NPA Portfolio. For more recovery, the Bank has launched special OTS Scheme for this segment. The scheme is of Check box model–non-discriminatory and non-discretionary. More powers have been delegated at the field level for speedy & transparent one-time settlement in this segment. During FY 2021-22, 1,64,969 NPA accounts with outstanding of Rs. 3,016 Crore were resolved under the said scheme. Suitable amendments were done to resolve accounts under Agriculture and MUDRA NPA Accounts.

डी. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और डिजिटलीकरण

प्रौद्योगिकी बैंकिंग क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है और बैंकिंग परिवृश्य पर फिनटेक के आगमन के साथ, प्रतिस्पर्धी बने रहने और विकसित होने के लिए प्रभावी ढंग से बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में प्रौद्योगिकी को अपनाना और उसे आत्मसात करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस संबंध में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 22 के दौरान विभिन्न पहल की, जो निम्नानुसार हैं:

- ❖ **आईबीएस/एमबीएस में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का कार्यान्वयन**— पीएनबीवन में बीबीपीएस विकल्प के माध्यम से, अब ग्राहक विभिन्न श्रेणियों जैसे मोबाइल, लैंडलाइन, डीटीएच, बिजली, गैस, शिक्षा शुल्क आदि के तहत विभिन्न उपयोगिता सेवा प्रदाताओं / बिलर्स के लिए भुगतान कर सकते हैं। बिल भुगतान के अलावा, कई अन्य विकल्प भी हैं जैसे:
 - अपने पिछले 10 बिल भुगतान को दोहराएं।
 - स्थायी निर्देश के लिए नामांकन करें
 - बिल भुगतान की मासिक/त्रैमासिक या वार्षिक अधिसूचना प्राप्त करने के लिए अधिसूचना बटन सक्षम करें ताकि इसे कभी न चूकें
- ❖ **आईबीएस में सकारात्मक भुगतान:** एक इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण प्रणाली ग्राहकों को बैंक द्वारा इसे संसाधित करने से पहले बैंक के साथ चेक विवरण साझा करने की अनुमति देगी। सकारात्मक भुगतान प्रणाली के साथ प्रत्येक खाताधारक अब द्वितीयक प्रमाणीकरण के लिए पीएनबी वन के माध्यम से उसके द्वारा जारी किए गए चेक (तारीख, राशि आदि) का विवरण दर्ज कर सकता है।
- ❖ **बिना डेबिट कार्ड के एनआरआई के आईबीएस पासवर्ड का ऑनलाइन रीसेट** : सक्रिय डेबिट कार्ड वाले इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता पासवर्ड को ऑनलाइन रीसेट कर सकते हैं।
- ❖ **Implementation of Bharat Bill Payment System (BBPS) in IBS/MBS-** Through BBPS option in PNBOne, now customer can make payments towards variety of utility service providers/billers under different categories like – Mobile, Landline, DTH, electricity, gas, education fees etc. In addition to Bill Payment, there are several other options such as:
 - Repeat your last 10 bill payment.
 - Enroll for Standing Instruction
 - Enable Notification button to receive monthly/quarterly or yearly notification of bill payment to never miss it
- ❖ **Positive Pay in IBS:** An electronic authentication system will allow customers to share the cheque details with bank before the bank processes it. With Positive Pay System every account holder now can enter details of cheque (date, amount etc.) issued by him through PNB ONE for secondary authentication.
- ❖ **Online reset of IBS Password of NRI without Debit card:** Internet Banking users having active debit card can online reset the password(s).

- ❖ **पीएनबी वन के माध्यम से डीमैट खाता खोलना:** इस विशेषता के माध्यम से ग्राहक से जुड़ी आवश्यक जानकारी सबमिट करके तुरंत डीमैट खाता खोला जा सकता है।
- ❖ **ग्राहक के पते पर डेबिट कार्ड की सुपुर्दगी:** शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ कम करने और ग्राहकों को उनके पंजीकृत पते (संचार/स्थायी) पर डेबिट कार्ड की डिलीवरी प्राप्त करने की सुविधा के लिए, ग्राहकों को शाखा में जाए बिना डेबिट कार्ड पिन सेट करके उनके पंजीकृत पते पर डिलीवर किए गए डेबिट कार्ड को सक्रिय करने की सुविधा प्रदान की गई है। पिन सेट के सफल लेनदेन के बाद अन्य सभी लेनदेन की अनुमति दी जाएगी।
- ❖ **दृष्टिबाधित लोगों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवा (आईबीएस) सुविधा:** इंटरनेट बैंकिंग (खुदरा) भी दृष्टिबाधित ग्राहकों को इसका उपयोग करने में सुविधा प्रदान करता है। दृष्टिबाधित ग्राहक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जैसे JAWS (जॉब एक्सेस विद स्पीच) का उपयोग करके, जो टेक्स्ट टू स्पीच की सुविधा प्रदान करता है, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- ❖ **पीएनबी वन में वॉयस असिस्टेंट:** पीएनबीवन के माध्यम से आवाज़ सहायक (वॉयस असिस्ट) सक्षम किया गया है और यह निम्नलिखित कार्यात्मकताओं के लिए आवाज़ (वॉयस) संचालित सुविधा प्रदान करता है:
 - मिनी स्टेटमेंट
 - अंतिम लेनदेन पूछताछ
 - बकाया राशि की पूछताछ
 - चेक बुक अनुरोध
 - आईवीआर के माध्यम से डेबिट कार्ड जारी करना
- ❖ **सिंगापुर में रुपये कार्ड की स्वीकृति:** सिंगापुर में सभी नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (एनईटीएस) सक्षम पीओएस टर्मिनलों के लिए घरेलू रुपये डेबिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं।
- ❖ **पीएनबी वन के माध्यम से वर्चुअल डेबिट कार्ड:** बैंक ने वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका उपयोग सभी मर्चेन्ट साइटों पर सेकेंड फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन (ओटीपी) के माध्यम से ई-कॉम लेनदेन के लिए किया जा सकता है।
- ❖ **डेबिट कार्ड पर ई-मेनडेट:** रुपये डेबिट कार्ड पर आवर्ती भुगतान के लिए ई-मेनडेट सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने एनपीसीआई के साथ समझौता किया है।
- ❖ **पीएनबी व्यक्तिगत सलाहकार (पीए):** बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न एप्लिकेशन और सेवाओं को ग्राहक और गैर-ग्राहकों तक सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए, पीएनबी व्यक्तिगत सलाहकार (पीएनबी पीए) नामक एक अम्ब्रेला एप्लिकेशन लॉन्च किया गया। चरण-1 को 1 नवंबर, 2021 तक लाइव कर दिया गया और इसे 18000 से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया गया।
- ❖ **खुदरा और कॉर्पोरेट में लॉगिन के लिए कैप्चा:** खुदरा और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंक लॉगिन के समय मजबूत कैप्चा पेश करता है।
- ❖ **Opening of Demat A/c via PNB ONE:** Through this feature, Demat Account can be opened instantly by submitting the required customer related information.
- ❖ **Delivery of Debit card at customer address:** In order to reduce the footfall in branches and to facilitate the customers to get the Debit Card delivery at their registered address, customers have been facilitated to activate the Debit Card delivered at their registered address through setting Debit Card PIN without the need to visit the branch. All other transactions shall be allowed after successful PIN set transaction.
- ❖ **Internet Banking Services (IBS) facility for visually impaired:** The visually impaired customers by using screen reading software like JAWS (Job Access With Speech) which facilitates Text to Speech, can avail internet banking services.
- ❖ **Voice assistant in PNB ONE:** Voice Assist enabled through PNB One provides a voice driven feature for the following functionalities:
 - Mini Statement
 - Last transaction inquiry
 - Balance Inquiry
 - Cheque book request
 - Debit card issuance through IVR
- ❖ **Acceptance of RuPay card in Singapore:** Domestic RuPay Debit Cards accepted at all **Network for Electronic Transfers (NETS)** enabled POS terminals in Singapore.
- ❖ **Virtual Debit card through PNB ONE:** Bank has launched Virtual Debit Card which can be used for e-Comm transactions at all merchant sites through Second factor authentication (OTP).
- ❖ **E-Mandate on Debit cards:** Bank has tied up with NPCI to provide e-mandate facility for Recurring payments on RuPay Debit Cards.
- ❖ **PNB Personal Advisor (PA):** In order to provide ease of access to the customer and non-customers for various applications and services offered by the Bank, an umbrella application namely PNB Personal Advisor (PNB PA) was launched. Phase-I made LIVE by 1st November 2021 and has been downloaded by more than 18,000 users.
- ❖ **Captcha for login into Retail & Corporate:** In order to enhance security in Retail and Corporate Internet Banking Bank introduced strong CAPTCHA at the time of login.

- ❖ **एमबीएस और आईबीएस में ईएफआरएम का कार्यान्वयन:** धोखाधड़ी लेनदेन को रोकने के लिए मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग समाधान में ई-एफआरएम लागू किया गया है।
- ❖ **विशिष्ट श्रेणी की यूपीआई वृद्धि:** निम्नलिखित व्यवसाय के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले यूज केसस के लिए यूपीआई में लेनदेन मूल्य सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख कर दिया गया है।
 - श्रेणी पहचानकर्ता
 - आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) प्रयोजन कोड 01 एमसीसी- 6211
 - आरबीआई रिटेल प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से जी सेक
 - (आरडीएस) प्रयोजन कोड 25 एमसीसी- 6211
- ❖ **ई-मेल पर लेनदेन अलर्ट:** ग्राहकों को अब ई-मेल पर लेनदेन अलर्ट प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है।
- ❖ **सिम बाइंडिंग:** सुरक्षा सुविधा को बढ़ाने के लिए पीएनबी वन ऐप में सिम बाइंडिंग लागू की गई है। सिम बाइंडिंग फीचर के साथ, पीएनबी वन केवल उसी डिवाइस पर सक्रिय होगा जिसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर (आरएमएन) का सिम कार्ड होगा।
- ❖ **Implementation of e-FRM in MBS & IBS:** In order to check fraudulent transactions, the e-FRM has been implemented in Mobile Banking and Internet Banking Solution.
- ❖ **Specific category UPI enhancement:** Transaction value limit in UPI has been enhanced from Rs. 2 Lakh to Rs. 5 Lakh for use-cases qualifying under the following business:
 - Category Identifier
 - Initial Public Offering (IPO) Purpose Code 01 MCC- 6211
 - G Sec through RBI Retail Direct Scheme
 - (RDS) Purpose Code 25 MCC- 6211
- ❖ **Transaction Alerts on E-mail:** The customers have now been given option to get the transaction alerts on e-Mail.
- ❖ **SIM Binding:** To enhance the security feature, SIM Binding is implemented in PNB ONE App. With the SIM binding feature, PNB ONE will be activated only on the device which have the SIM Card of Registered Mobile Number (RMN).

अन्य पहल

- ए) रु. 35 लाख तक के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के विकास/अनुकूलन/रखरखाव/परीक्षण/समर्थन के लिए विक्रेताओं का पैनाल बनाना। चार उत्पादों/समाधानों (पीएनबी पीए, एलआईसी जेनेरिक मॉड्यूल, सीकेवाईसी, पीएफएमएस) का विकास उक्त पैनाल में शामिल विक्रेताओं का उपयोग करके किया जाता है।
- बी) वीडियो केवाईसी के साथ ऑनलाइन बचत खाता, बोरिंग पर दूरस्थ ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों के सन्दर्भ में वीडियो केवाईसी कार्यक्षमता के साथ ऑनलाइन खाता खोलने को लागू करना। इसे 12 अप्रैल 2021 को लाइव किया गया था।
- सी) **पूर्व-स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण:** बैंक के मौजूदा ग्राहकों को पूर्व-स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण के लिए डिजिटल ग्राहक यात्रा का कार्यान्वयन। इसे 12 अप्रैल 2021 को लाइव किया गया है।
- डी) **डिजिटल ई-मुद्रा (शिशु) ऋण-** ऑनलाइन शिशु मुद्रा ऋण के लिए डिजिटल ग्राहक यात्रा का कार्यान्वयन। 19 अगस्त 2021 को लाइव किया गया। ऑनलाइन तरुण और किशोर मुद्रा ऋण के लिए डिजिटल ग्राहक यात्रा का कार्यान्वयन जारी है।
- ई) **पुराने खातों के केवाईसी दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सीकेवाईसी मोबाइल एप्लिकेशन:-** इस परियोजना को 24 नवम्बर, 2021 से लाइव बनाया गया है।
- एफ) **वीडियो केवाईसी के माध्यम से पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा:** परियोजना को 30 दिसम्बर, 2021 को लाइव किया गया है।

Other initiatives

- a) Empanelment of vendors for Development/Customization/Maintenance/ Testing/Support of software solutions upto Rs. 35 Lakh. Development of four products/ solutions (PNB PA, LIC Generic Module, C-KYC, PFMS) are done using said empanelled vendors.
- b) Online savings Account with Video KYC In terms of RBI guidelines, Online Account opening with Video KYC functionality was implemented to provide remote customer on boarding. It was made live on 12th April 2021.
- c) **Pre-approved Personal Loan:** Implementation of Digital customer Journey for Pre-Approved Personal Loans to existing customers of the Bank. It has been made live on 12th April 2021.
- d) **Digital e-Mudra (Shishu) loans:** Implementation of Digital Customer Journey for online Shishu MUDRA loans. It was made live on 19th August 2021. Further, implementation of Digital customer Journey for online Tarun and Kishor Mudra loans is underway.
- e) **CKYC Mobile Application for Scanning KYC Documents of old Accounts.** The project has been live since 24th November, 2021.
- f) **Life Certificate Facility to pensioners through Video KYC:** The project was made live on 30th December, 2021.

जी) पैसा बाजार के साथ गठजोड़— बैंक के लिए लीड (आवास ऋण) की सोर्सिंग के लिए बैंक ने ऋण बाजारों के साथ साझेदारी की है।

एच) भारतीय बैंक की ब्लॉक चेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईबीबीआईसी):— बैंक अपने संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में आईबीबीआईसी में शामिल हो गया है। आईबीबीआईसी ब्लॉकचेन तकनीक के साथ बैंकिंग से संबंधित उपयोग के मामलों का पता लगाएगा। आईबीबीआईसी और इसके सदस्यों ने घरेलू साख पत्र (एलसी) के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग शुरू करने का निर्णय लिया है।

ई. प्रबंधन सूचना प्रणाली

बैंक न केवल निर्णय लेने और संचालन में उत्कृष्टता लाने के लिए बड़े डेटा और छोटे डेटा दोनों की शक्ति का उपयोग करने में विश्वास करता है बल्कि ग्राहक प्रसन्नता में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत अनुभव भी प्रदान करता है।

एंटरप्राइज—वाइड डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू)

डेटा किसी भी प्रकार के संगठन का नया केन्द्र है और बैंकिंग इसका अपवाद नहीं है। डेटा को जब संग्रहित, व्यवस्थित, संरचित और खंगाला जाता है, तो यह सूचना प्रदान करता है, जो बदले में निरंतर ज्ञान प्रदान करता है और इसके परिणामस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। पीएनबी ने अपने एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) को परिचालन, प्रबंधन सूचना प्रणाली, निर्णय समर्थन प्रणाली, बैंकों के डेटा के सूचनात्मक और विश्लेषण के लिए सत्य के एकल स्रोत के रूप में, वर्णनात्मक, निदानकारी, भविष्यकर्ता एवं निर्देशात्मक तरीके से व्यवसाय में लक्षित विकास को प्राप्त करने के लिए लाइव बनाया है। ईडीडब्ल्यू अब नियामक एडीएफ/सीआईएमएस परियोजना के लिए सूचना स्रोत है।

डेटा विश्लेषण:

बैंक ने डेटा एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना की है। नए मूल्य—सृजन, क्रॉस—सेल और अप—सेल अवसर, राजस्व में वृद्धि, लागत में कमी, उत्पाद वृद्धि, चैनल अनुकूलन, ऋण—चूक पूर्वानुमान, डिजिटल उपस्थिति में वृद्धि और ग्राहक आधार की जोखिम रूपरेखा में सुधार करने के उद्देश्य के साथ मुख्य तीन वर्टिकल व्यवसाय, नियन्त्रण और सहयोग पर विश्लेषण किया जा रहा है।

अगले स्तर के सुधार: ईडीडब्ल्यू के साथ, बैंक पीएसबी में अगले स्तर के सुधारों के तहत कार्रवाई बिन्दु प्राप्त करने, जिसमें अत्यावधि और दीर्घावधि लक्ष्य जैसे डिजिटल वृद्धि, बड़े डेटा विश्लेषण, बैंकिंग तकनीकी में बदलाव को अपनाने, फिन टेक के केंद्रित उपयोग और विश्लेषण के माध्यम से कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाना शामिल है, के लिए पूरी तरह से तैयार है।

पीएनबी की वर्तमान और भावी कार्यनीतिक व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ समन्वय स्थापित करने, प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए और बैंक के लिए उन्नत डिजिटल क्षमताएं सृजित करने की जरूरतों को पूरा करने हेतु, विभिन्न व्यक्तिगत सेगमेंट पर मॉडल आधारित व्यावसायिक लीड तैयार किए जा रहे हैं। टीम ने मौजूदा विश्लेषण आधारित ऋण और गैर—ऋण पेशकश के लिए भी गति बढ़ाई है। विश्लेषण द्वारा संचालित

g) **Tie-up with Paisa bazaar:** The Bank entered into Partnership with loan marketplaces for sourcing of leads (Housing Loans).

h) **Indian Bank's Block Chain Infrastructure Company (IBBIC):** The Bank has joined IBBIC as one of its founding members. IBBIC will explore banking related use cases with Blockchain technology. IBBIC and its members have decided to start use of Blockchain for Domestic Letter of Credit (LC).

E. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The Bank believes in harnessing the power of both big data and small data not only to drive decision-making and operational excellence but also to provide personalized experiences to increase customer delight.

Enterprise-Wide Data Warehouse (EDW)

Data is the new cynosure of any form of organization and Banking is no exception to it. Data when stored, arranged, structured and mined, it provides Information; which in turn generates persistent Knowledge resulting in wisdom as final product. PNB has made its Enterprise-wide Data Warehouse (EDW) live, as Single Source of Truth for operational, management information system, decision support system, informative and analytics of Banks data for Descriptive, Diagnostic, Predictive and Prescriptive manner to achieve the targeted growth in Business. EDW is now one stop information source for regulatory ADF/ CIMS project.

Data Analytics

The Bank has set up a Data Analytics Centre of Excellence (CoE). Analytics is being conducted on broadly three verticals—Business, Control and Support, with objective of new value-creation, cross-sell and up-sell opportunity, increasing revenue, cost reduction, product enhancement, channel optimization, default loan prediction, maximizing digital footprint and improve risk profiling of the customer base.

Next Level Reforms: With EDW in place, Bank is well prepared to achieve the Action Points under next level reforms in PSBs for short Term and Long Term Target like digital enhancement, Big Data Analytics, adoption of change in Banking Technology, focused use of Fin techs and improvement in Employee engagement through Analytics.

To align with the present and future strategic business requirements of PNB, to gain competitive edge and to cater to the needs of creating advanced digital capabilities for Bank, Model based business leads are being generated on various personal segment. Team is also geared up for analytics-based credit and non-credit offers. Process and systemic optimization

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के माध्यम से प्रक्रिया और प्रणालीगत अनुकूलन एक अन्य तरीका है जिसे विश्लेषण टीम द्वारा अपनाया जा रहा है।

एफ. शाखा नेटवर्क

घरेलू उपस्थिति: बैंक के पास 31 मार्च, 2022 तक 10098 शाखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 1753 महानगरीय, 2035 शहरी, 2457 अर्धशहरी और 3853 ग्रामीण शाखाएं शामिल हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं (आरयूएसयू) कुल शाखा नेटवर्क का 63% हैं।

अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति: वर्तमान में, 3 शाखाओं (1 हांगकांग (बंद होने वाली है) और 1 दुबई और 1 गिफ्ट सिटी गुजरात), 2 अनुषंगियों (लंदन और भूटान), 1 संयुक्त उद्यम (नेपाल), 2 प्रतिनिधि कार्यालयों (म्यांमार और बांग्लादेश), के रूप में बैंक की 7 देशों में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है।

जी. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

31 मार्च, 2022 तक, विदेशी मुद्रा कारोबार का संचालन करने के लिए 232 शाखाएं अधिकृत थी एवं केंद्रीकृत रूप से व्यापारिक लेनदेन का संचालन करने और सभी आंतरिक विप्रेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाखा के लिये विशिष्ट 4 ट्रेड फाइनेंस सेंटर (टीएफसी) नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता और मुंबई में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त बैंक के पास विदेशी पर्यटकों/एनआरआई द्वारा विदेशी मुद्रा नोटों के नगदीकरण की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्रों पर 6 एक्सचेंज ब्यूरो हैं।

❖ घरेलू विदेशी मुद्रा कारोबार

बैंक ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 1,24,172 करोड़ का कुल विदेशी मुद्रा व्यापार कारोबार (निर्यात और आयात सहित) दर्ज किया है।

समग्र रूप से बैंक के आवक विप्रेषण करने के लिए नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाखा (आईएसबी) कार्यरत है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने रु. 51,191 करोड़ का विप्रेषण कारोबार किया है।

बैंक के पास अनिवासी भारतीयों से विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए 16 विनिमय गृहों (10 गल्फ, 1 सिंगापुर, 2 यूएसए, यू. के., कनाडा और सेशलस में एक-एक के साथ **रुपी ड्राइंग व्यवस्था (आरडीए)** भी है।

बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस योजना (MTSS) के तहत ट्रांसफास्ट वर्ल्डवाइड के साथ विप्रेषण व्यवस्था भी की है।

❖ विदेशी कारोबार

31 मार्च, 2022 तक बैंक का विदेशी कारोबार 8.77 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए रु.47,060 करोड़ रहा। विदेशी शाखाएं लाभप्रदता में सुधार के लिए कम क्रेडिट जोखिम भार के साथ एक विविध ऋण पोर्टफोलियो बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मध्यम/दीर्घकालिक आस्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

through promotion of Digitization driven by analytics is another avenue being pursued by analytics team.

F. BRANCH NETWORK

Domestic Presence: The Bank has one of the largest networks of 10098 branches as on 31st March, 2022, comprising of 1753 Metropolitan, 2035 Urban, 2457 Semi Urban and 3853 Rural branches. Rural and Semi Urban Branches (RUSU) comprise around 63 per cent of the Total Branch Network.

International Presence: At present Bank has its overseas presence in 7 Countries by way of 3 branches (1 at Hong Kong (about to be closed), 1 at Dubai and 1 at GIFT City Gujarat), 2 Subsidiaries (London and Bhutan), 1 Joint Venture (Nepal), 2 Representative Offices (Myanmar and Bangladesh).

G. INTERNATIONAL BANKING

As on 31st March, 2022, there were 232 branches authorized to handle Foreign Exchange Business and 4 Trade Finance Centers functioning at New Delhi, Chennai, Kolkata & Mumbai specialized for centralized handling of trade transactions and International Service Branch for all inward remittances. In addition to it, the Bank has 6 Exchange Bureaus at important tourist centers to facilitate encashment of Foreign Exchange Currency Notes by foreign tourists/NRIs.

❖ Domestic Forex Business

The Bank has registered a Foreign Exchange Business Turnover of Rs. 1,24,172 Crore (Exports and Imports together) for the FY 2021-22 registering the growth of 37 per cent.

The Bank has an **International Service Branch (ISB)** functioning at New Delhi for handling Inward Remittances. During FY 2021-22, the Bank has handled remittance business of Rs. 51,191 Crore.

The Bank has **Rupee Drawing Arrangements (RDA)** with 16 exchange Houses (10 in the Gulf, 1 in Singapore, 2 in the USA, 1 each in UK, Canada and Seychelles) to facilitate remittance from NRIs.

The Bank also has remittance arrangement under Money Transfer Service Scheme (MTSS) with Transfast Worldwide.

❖ Overseas Business

Overseas business of the Bank stood at Rs. 47,060 Crore as on 31st March, 2022 registering YoY growth of 8.77 per cent. Overseas branches are focusing on High Quality Medium/Long term Assets to build a diversified loan portfolio with low Credit Risk Weight to improve profitability.

विदेशी मुद्रा कारोबार वृद्धि के लिए उठाए गए कदम:

- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अखिल भारतीय आधार पर 55 निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) का दौरा किया गया है। इसके अलावा, सभी अंचल कार्यालयों को नए संबंधों की सोर्सिंग के लिए निर्यात संवर्धन परिषद ईपीसी के साथ संपर्क जारी रखने की सलाह दी गई थी।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विदेशी मुद्रा कारोबार के संबंध में उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 105 निर्यातक/ आयातक बैठकें आयोजित की गईं।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैंक ने विदेशी मुद्रा ग्राहकों की 185 नई लीड जनरेट की। इसके अलावा, 149 संबंधों को व्यवसाय में परिवर्तित किया गया है।
- **आयातकों/निर्यातकों के लिए व्यापार वित्त का प्लेटफॉर्म:** निर्यात मॉड्यूल के आरम्भ होने के बाद, हाल ही में, बैंक ने आयात दस्तावेजों, विदेशी साख पत्र और विदेशी गारंटी पत्र को कवर करते हुए व्यापार वित्त पोर्टल का दूसरा चरण शुरू किया है ताकि आयात करने वाले ग्राहक को लेनदेन शुरू करने की अनुमति मिल सके।
- **नेट-बैंकिंग के माध्यम से निवासी व्यक्तियों के लिए जावक प्रेषण सुविधा:** बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एलआरएस के तहत धन विप्रेषण हेतु निवासी व्यक्तियों के लिए जावक प्रेषण सुविधा शुरू की है। यह खुदरा ग्राहकों को उपहार, दान, यात्रा (व्यवसाय, तीर्थयात्रा, चिकित्सा उपचार और शिक्षा) के प्रयोजन और करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव के लिए प्रेषण की सुगमता प्रदान करता है।
- आवक प्रेषण के संबंध में ग्राहकों को सीधे सूचना भेजने की सुविधा शुरू की गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाखा (आईएसबी) ने ग्राहकों को उनके आवक प्रेषण के संबंध में सीधे मेल भेजना शुरू कर दिया है जो आवक प्रेषण लेनदेन के टीएटी को कम करता है।
- व्यापार वित्त ग्राहकों की सहायता के लिए सभी व्यापार वित्त केन्द्रों (टीएफसी) में समर्पित ग्राहक सेवा डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं। संपर्क विवरण पीएनबी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर भी दिए गए हैं।
- एक समर्पित ईमेल आईडी eximcust@pnb.co.in विशेष रूप से व्यापार वित्त ग्राहकों हेतु उनके विदेशी मुद्रा से संबंधित परिचालन मामलों के लिए बनाई गई है, जो सीधे आईबीडी के अधिकारियों द्वारा संभाला जा रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ईकाई (आईबीयू), जीआईएफटी सिटी** गांधीनगर, गुजरात को 8 अप्रैल 2022 से चालू किया गया। यह नियामक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के तहत बैंक की एक विदेशी शाखा की तरह सेवाएं प्रदान करेगा। पेश किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद ईसीबी, भारतीय उधारकर्ताओं को क्रेता ऋण और विदेशी संस्थाओं को मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी, व्यापार वित्त और एफएलसी/एफएलजी होंगे। शाखा विदेशी बाजार में विदेशी मुद्राओं में व्यापार करेगी, विदेशी मुद्रा में जमा और अनिवासी स्रोतों से उधार के रूप में धन जुटाएगी और ग्राहकों के लिए ऋण और देयता उत्पाद प्रदान करेगी।

Steps Initiated for Forex Business growth

- 55 Export Promotion Councils (EPCs) have been visited on Pan India basis during the FY 2021-22. Further, all the Zonal Offices were advised to continue liaisoning with Export Promotion Councils (EPCs) for sourcing new relationships.
- 105 Exporter/Importer meets were conducted on Pan India basis to address their grievances in respect of Forex business during FY 2021-22.
- The Bank generated 185 new leads of forex customers during FY 2021-22. Further, 149 relationships have been converted into business.
- **Trade Finance Platforms for Exporters/Importer:** Subsequent to launch of Export module, recently, the Bank launched 2nd phase of Trade Finance Portal covering Import documents, Foreign Letter of Credit and Foreign Letter of guarantee to allow import customers to initiate transactions.
- **Outward remittance facility for Resident Individuals through Net-Banking:** The Bank launched Outward Remittance Facility for resident individuals for remitting funds under LRS through Internet Banking. This gives ease to retail customers for remitting for the purpose of Gift, Donation, Travel (Business, Pilgrimage, Medical Treatment, Education and Maintenance of close relatives).
- A facility for sending direct intimation to customers in respect of Inward remittance has been introduced.
- International Service Branch (ISB) has started sending mails directly to customers with respect to their inward remittances which reduces the TAT.
- Dedicated customer care desks are made available at all TFCs to help trade finance customers. The contact details are also placed on PNB Corporate website.
- A dedicated email ID eximcust@pnb.co.in has been created exclusively for trade finance customers for their forex related operational issues.
- **International Banking Unit (IBU), GIFT City Gandhinagar, Gujarat** has been operationalised w.e.f., 8th April 2022. It will offer services like an overseas branch of the bank under regulator International Financial Services Centres Authority (IFSCA). The major products offered will be ECB, Buyers credit to Indian borrowers and Term Loan, Working Capital, Trade Finance and FLC/FLG to overseas entities. Branch will trade in Foreign currencies in overseas market, raise funds in foreign currency as deposits and borrowings from non-resident sources and provide loan and liability products for the clients.

एच. कारोबार विविधीकरण

बीमा कारोबार:

❖ **जीवन बीमा:** बैंक ने निम्नलिखित बीमा कंपनियों के साथ टाई-अप किया है (वित्त वर्ष 2021-22), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएमएलआई) और केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सीएचओआईसी)। वर्तमान में बैंक ने केवल दो कंपनियों के साथ टाई-अप जारी रखा है:

1. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएमएलआई)।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)।

जीवन बीमा कारोबार से बैंक की आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 6.45% बढ़कर 294 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 276 करोड़ रुपये थी।

❖ **गैर-जीवन बीमा:** बैंक ने निम्नलिखित बीमा कंपनियों के साथ टाई-अप किया है:

1. ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल)
2. बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बीएजीआईसी)
3. चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सीएचओएलए)
4. केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सीएचआईसीएल)
5. स्टार हेल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसएचआईसीएल)

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक की कमीशन आय 101 करोड़ रुपये (स्वास्थ्य बीमा- 66 करोड़ रुपये और संपत्ति बीमा- 35 करोड़ रुपये) थी, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 93 करोड़ रुपये (जिसमें फसल बीमा से संबंधित लगभग 4.41 करोड़ रुपये की आय शामिल है और इसे वित्त वर्ष '2021-22 में शामिल नहीं किया गया है)। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने आय (फसल बीमा को छोड़कर) में सालाना आधार पर 14.1% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित नए खंड विशिष्ट उत्पाद शुरू किए गए:

- ए) गंभीर बीमारी (विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित) को कवर करने वाले महिला विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा उत्पाद।
- बी) निम्न आय वर्ग में आने वाले ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर।

❖ **म्यूचुअल फंड:** बैंक निम्नलिखित आरिस्त प्रबंधन कंपनियों के म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरण और विपणन कर रहा है:

1. मैसर्स सुंदरम एसेट मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड (पहले प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)।

H. BUSINESS DIVERSIFICATION

Insurance Business

❖ **Life Insurance:** Bank has tie-up with the following Insurance companies (FY 2021-22), Life Insurance Corporation of India (LIC), PNB MetLife India Insurance Co. Ltd (PMLI) and Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd (CHOICe). Presently, Bank is continuing tie-up with only two companies:

1. PNB Metlife India Insurance Co. Ltd (PMLI)
2. Life Insurance Corporation of India (LIC)

The Bank's earnings from Life Insurance business grew by 6.45 % during FY 2021-22 to Rs. 294 Crore from Rs. 276 Crore during FY 2021-22.

❖ **Non-Life Insurance:** The Bank has tie-up with the following Insurance companies:

1. The Oriental Insurance Co. Ltd. (OICL)
2. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. (BAGIC)
3. Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. (CHOLA)
4. Care Health Insurance Co. Ltd. (CHICL)
5. Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. (SHICL)

The Bank's Commission Income stood at Rs. 101 Crore during FY 2020-21 (Health Insurance- Rs. 66 Crore & Asset Insurance- Rs. 35 Crore) against Rs. 93 Crore in FY 2020-21 (which included income of around Rs. 4.41 Crore pertaining to Crop Insurance and the same is not included in FY 2020-21). During the FY 2020-21, the Bank registered a YoY growth of 14.1 per cent in income (excluding Crop Insurance). The following new segment specific products were launched during FY'2020-21:

- a. Women Specific health insurance products covering critical illness (specifically related to women).
- b. Personal Accidental Insurance cover for customers falling in Lower income group.

❖ **Mutual Funds:** Bank is distributing and marketing Mutual Fund products of the following Asset Management Companies:

1. M/s Sundaram Asset Management Pvt. Ltd (previously known as Principal Asset Management Pvt Ltd).

2. मैसर्स निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
3. मैसर्स यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
4. मैसर्स आदित्य बिड़ला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
5. मैसर्स एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड।
6. मैसर्स डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड।
7. मैसर्स फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।
8. FISDOM मौजूदा ई-ओबीसी ग्राहकों को राजस्व साझेदारी के आधार पर एमएफ एग्रीगेटर और रोबो सलाहकार सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 7.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 5.72 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई और वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 50.13% थी।

- ❖ **डिपॉजिटरी सेवाएँ :** डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में, बैंक ने 2020-21 के 5539 के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 11627 डीमैट खाते खोले और वित्त वर्ष 2020-21 के 7,514 के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में 12,016 ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते खोले। 11,627 डीमैट खातों में से, लगभग 9022 अर्थात् 78% डीमैट खाते आईबीएस और एमबीएस पर उपलब्ध इन्स्टा डीमैट के माध्यम से डिजिटल रूप से खोले गए थे। वित्त वर्ष 2021-22 में डिपॉजिटरी सेवाओं से अर्जित आय रु. 5.70 करोड़ थी।
- ❖ **एसबीए एवं मर्चेन्ट बैंकिंग:** बैंक के पास निर्गम के लिए बैंकर, ऋणपत्र, न्यासी और मर्चेन्ट बैंकर के रूप में कार्य करने का लाइसेंस है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 217 निर्गमों का प्रबंधन किया गया था। एसबीए के माध्यम से ब्लॉक की गयी राशि 5442 करोड़ रुपये थी और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 0.45 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई थी।

नई पहल

- ए. **जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा कारोबार:** बैंक ग्राहकों तक पहुँचने के लिए डिजिटल चैनलों जैसे कॉर्पोरेट वेबसाइट, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से उनकी बैंकिंग गतिविधियों के संचालन हेतु, बैंक ने बैंक की वेबसाइट/आईबीएस/एमबीएस पर दिनांक 27 अप्रैल, 2021 से इंश्योरेंस सेल्फ-नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म (आईएसएनपी) के माध्यम से अपने बीमा उत्पादों के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रारम्भ की है।
- बी. **डिपॉजिटरी और एसबीए कारोबार:** शेयर, ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग सदस्यों को पीओए (पावर ऑफ अटॉर्नी) प्रस्तुतीकरण को खारिज करने हेतु हमारे व्यापारिक ग्राहकों के लिए ई-डीआईएस सेवाओं को पेश करने का प्रस्ताव है। ई-डीआईएस सेवाओं की शुरुआत के साथ, ग्राहक हमारे चैनल भागीदारों के साथ ट्रेडिंग खाता खोलने के तुरंत बाद शेयर ट्रेडिंग प्रारम्भ कर सकते हैं।

2. M/s Nippon Life Asset Management Ltd.
3. M/s UTI Asset Management Company Ltd.,
4. M/s Aditya Birla Sunlife Asset Management Company Ltd.
5. M/s LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
6. M/s DSP Investment Managers Pvt. Ltd.
7. M/s Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt Ltd.
8. FISDOM is also providing MF Aggregator and Robo-Advisory services to existing eOBC customers on revenue sharing basis.

During FY 2021-22, Income of Rs. 5.72 crore was earned against the target of Rs. 7.00 crore and YoY growth was 50.13 per cent.

- ❖ **Depository Services:** As a Depository Participant, Bank opened 11,627 Demat Accounts during FY 2021-22 against 5,539 in FY 2020-21 and 12,016 Online Trading Accounts in FY' 2021-22 against 7,514 in FY 2020-21. Out of 11,627 Demat Accounts, around 9,022 i.e., 78 per cent of Demat accounts was opened digitally through Insta Demat available on IBS and MBS. Income earned in FY 2021-22 from Depository services was Rs. 5.70 Crore
- ❖ **ASBA & Merchant Banking:** Bank has license to act as Banker to issue, debenture trustee and merchant Banker. During FY 2021-22, 217 issues were handled. The amount blocked through ASBA was Rs. 5442 Crore and Income of Rs. 0.45 Crore was earned during FY 2021-22.

New Initiatives

- a. **Life Insurance & Non-Life Insurance Business:** In order to reach out to Bank's customers using the Bank's digital channels like Corporate website, Net Banking & Mobile Banking App to conduct their banking activities, the Bank introduced facility of soliciting its insurance products through Insurance Self-Networking Platform (ISNP) on Bank's Website/IBS/MBS w.e.f., 27th April, 2021.
- b. **Depository & ASBA Business:** e-DIS services is proposed to be introduced for our trading customers to eliminate the POA (Power of Attorney) submission to trading members for performing share trading. With the introduction of e-DIS services, customers can start share trading instantly after opening of trading account with the channel partners.

मोबाइल बैंकिंग सेवाओं (पीएनबी वन) में एएसबीए सेवाओं को शुरू किया गया है। यह कुछ ही क्लिक में आईपीओ आवेदन के लिए परेशानी मुक्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रक्रिया है। अब, एएसबीए सेवाओं का लाभ शाखाओं, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग अर्थात् पीएनबी वन के माध्यम से उठाया जा सकता है।

सी. लीड प्रबंधन प्रणाली: सीआरएम की लीड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक अनुरोध दर्ज करने के लिए मार्च 2022 से दो नए चैनलों की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से ग्राहक बैंक उत्पादों में अपनी रुचि व्यक्त कर सकते हैं। बैंक ने मिस्ड कॉल द्वारा एसेट और डिजिटल उत्पादों को दर्ज करने के लिए दो नए मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किए हैं।

डी. ग्राहक अर्जन केंद्र (सीएसी) और सरकारी कारोबार वर्टिकल केंद्र (जीबीवी): पीएनबी की नई संरचना में, प्रमुख स्थानों पर 57 ग्राहक अर्जन केंद्र (सीएसी) और भारत भर के राज्यों की राजधानियों में 21 सरकारी कारोबार वर्टिकल केंद्र (जीबीवी) जुलाई 2020 से परिचालन में हैं।

इन उपरोक्त सेट अप का मुख्य उद्देश्य विभिन्न बैंक उत्पादों, तृतीय पक्ष उत्पाद (टीपीपी) के क्रॉस सेल/अप सेल बकेट का पता लगाकर मौजूदा/नए कॉर्पोरेट/संस्थागत/सरकारी/रक्षा और पीएसयू ग्राहकों के साथ रणनीतिक गठजोड़ के माध्यम से थोक व्यापार उत्पन्न करने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना है। इसके अलावा, यह संरचना बिक्री/ क्रॉस बिक्री के अवसरों की खोज करके एचएनआई/एनआरआई ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

ई. रक्षा कारोबार: रक्षा कारोबार प्रकोष्ठ की कल्पना भारतीय सशस्त्र बलों, राज्य पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों के साथ पीएनबी के बैंकिंग व्यवसाय के अग्रभाग के रूप में कार्य करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ ग्राहक अर्जन प्रभाग के तहत एक अलग वर्टिकल के रूप में की गई थी। पीएनबी भारतीय वायु सेना और असम राइफल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। भारतीय सेना, नौसेना, तटरक्षक बल के साथ मौजूदा समझौता ज्ञापनों में प्रमुख उत्पाद जैसे रक्षक प्लस योजना के तहत अतिरिक्त और अनूठी विशेषताएं जोड़ी जाएंगी।

आई. सरकारी कारोबार

विभिन्न लाभार्थियों के लिए केंद्र और राज्यों से निधियों के अंतरण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से, बैंक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एजेंसी खातों की बड़ी संख्या प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहा है। बैंक समामेलन के बाद केंद्र सरकार के नौ अलग-अलग विभागों के लिए अधिकृत बैंकर भी है। ये संख्या आगे और बढ़ेगी। बैंक विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गठजोड़ बढ़ा रहा है।

नई पहलें

❖ **फास्टैग:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह परियोजना लागू की गई है और सभी शाखाओं को फास्टैग जारी करने के लिए सक्षम किया गया है।

ASBA services has been introduced in MBS (PNB ONE). It is hassle free and user friendly approach for IPO application in just few clicks. Now, ASBA services can be availed through Branches, Internet Banking, UPI and Mobile Banking i.e., PNB ONE.

c. Lead Management System: Introduction of two new channels for lodging customer request through lead management system of CRM has been made effective from March 2022 through which customers can express their interest in Bank Products. Bank has also added two new number for lodging Asset & Digital products by missed call.

d. Customer Acquisition Centres (CAC) and Government Business Vertical Centres (GBV): In the new revamped structure of PNB, 57 Customer Acquisition Centres (CACs) at major locations & 21 Government Business Vertical Centres (GBVs) at State Capitals across India became operational since July 2020.

The main objective of these above mentioned set up is to give focused approach to generate bulk business through strategic tie ups with existing/new Corporate/ Institutional/ Govt./Defence & PSU clients, by exploring cross sell/up sell bouquet of various Bank products, Third Party Products (TPP). In addition, this structure also focus on deepening relationship with HNI/NRI clients by exploring up sell/cross sell opportunities.

e. Defence Business: Defence Business Cell was conceived as a distinct vertical under Customer Acquisition Division with the sole purpose of functioning as a forearm of PNB's banking business with Indian Armed forces, State police forces, Paramilitary. PNB will sign MOU with Indian Airforce and Assam Rifles. Existing MOUs with Indian Army, Navy, Coastguard will have, added and unique features under the flagship product such as Rakshak Plus scheme.

I. GOVERNMENT BUSINESS

With a view to play a more proactive role in the transfer of funds from Centre and States to various beneficiaries, Bank has been making efforts to have a sizeable number of Public Financial Management System (PFMS) agency accounts. Bank is also accredited banker to nine different Central government departments, post amalgamation. Bank has been increasing tie-ups with various State governments to cater to their specific needs.

New Initiatives

❖ **Fastag:** National Electronic Toll Collection Project has been implemented and all branches have been enabled for issuance of Fastags.

- ❖ **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):** हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को एनपीएस विप्रेषण के लिए ऑन-बोर्ड किया गया है।
- ❖ **सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम):** वेंडर, अर्थात् विक्रेताओं और खरीदारों को हमारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध होने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहला बैंक है। इन सेवाओं में जेम (जीईएम) पूल खाता, ई-पीबीजी (प्रदर्शन बैंक गारंटी) और ई-ईएमडी (बयाना जमा राशि) शामिल हैं।
- ❖ **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):** बैंक ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 68 लाख लाभार्थियों को लगभग 4080 करोड़ रुपये की धनराशि समय पर वितरित की है।
- ❖ पेमेंट गेटवे के माध्यम से कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ एकीकरण किया गया है।
- ❖ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के खाते को सरकारी योजना सहयोग (SAHYOG) के लिए सोर्स किया गया है और पीएफएमएस एकीकरण को लागू किया गया है।
- ❖ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के लिए सरकारी खातों को बैंक ने सोर्स किया है।
- ❖ सक्रिय विपणन के माध्यम से, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1,39,544 पीपीएफ, 76,357 सुकन्या समृद्धि खाते और 61,031 वरिष्ठ नागरिक बचत खाते खोले गए।
- ❖ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सब्सक्रिप्शन की दस श्रृंखलाओं की मार्केटिंग, शाखाओं द्वारा की गई और 1229 किलोग्राम की बिक्री की गई।
- ❖ बैंक लगभग 10.7 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन वितरित कर रहा है अर्थात् केंद्र सरकार, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और राज्य सरकार।
- ❖ बैंक का विभिन्न राज्यों के साथ एकीकरण है और हम साइबर ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन कर एकत्र कर रहे हैं और 21 राज्यों में वैट का संग्रह किया जाता है।
- ❖ अखिल भारतीय आधार पर करों का संग्रह (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। हम केंद्र और राज्य सरकार के लिए करों के प्रमुख संग्रहकर्ताओं में से एक हैं।

जे. ट्रेजरी संचालन

सकल घरेलू निवेश 31 मार्च, 2022 को 3,75,006 करोड़ रुपये हो गया। जबकि औसत निवेश 31 मार्च, 2022 को 3,81,098 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निवेश पोर्टफोलियो (घरेलू) से ब्याज आय 23,399 करोड़ रुपये रही।

बैंक ने पूरे वित्तीय वर्ष में एसएलआर और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में सक्रिय रूप से कारोबार किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्यापारिक लाभ (घरेलू) 3,150 करोड़ रुपये रहा।

- ❖ **National Pension System (NPS):** Four Regional Rural Banks sponsored by the Bank have been on-boarded for NPS remittance.
- ❖ **Govt. e-Market Place (GeM):** Bank is first amongst nationalized banks to be present on GeM portal for providing services to vendors, i.e. sellers and purchaseRs. These services include GeM pool account, e-PBG (Performance Bank Guarantee) & e-EMD (Earnest Money Deposit).
- ❖ **Public Financial Management System (PFMS):** Bank has timely disbursed funds of approximately Rs. 4080 Crore to about 68 lakh beneficiaries under PM Kisan Samman Nidhi.
- ❖ Integration with Cochin Port Trust through Payment gateway has been carried out.
- ❖ The account of Rural Electrification Corporation Ltd. has been sourced for the government scheme SAHYOG and PFMS integration has been implemented.
- ❖ The government account for Deen Dayal Upadhyaya Grameen Jyoti Yojana has been sourced.
- ❖ Through active marketing, 1,39,544 PPF, 76,357 Sukanya Samridhi accounts and 61,031 Senior Citizen Saving accounts were opened during the FY 2021-22.
- ❖ Ten Series of Sovereign Gold Bond subscription launched by Govt. of India were marketed by branches and 1229 Kilograms were sold.
- ❖ The Bank is disbursing pension of approximately 10.7 lakh pensioners i.e. Central Govt. Defence, Railways, Telecom and state Government.
- ❖ The Bank is having integration with various states and we are collecting online and offline taxes through their Cyber Treasury Portal and collection of VAT is done in 21 States.
- ❖ Collection of taxes (Direct & Indirect) is being done through offline and online mode on PAN India Basis. We are one of the major collectors of taxes for Central & State Government

J. TREASURY OPERATIONS

Gross Domestic Investments stood at Rs. 3,75,006 Crore as on 31st March, 2022 while average investments were at Rs. 3,81,098 Crore in as on 31st March, 2022. Interest income from the investment portfolio (Domestic) stood at Rs. 23,399 crore for FY 2021-22.

The Bank actively traded in SLR and Non-SLR securities throughout the financial year. Total trading profit (domestic) for FY 2021-22 is Rs. 3150 Crore.

वांछनीय क्रेडिट ऑफ-टेक की कमी के कारण बैंकिंग प्रणाली में पूरे वर्ष तरलता साधारण रही, इस तथ्य के बावजूद कि नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 4% के पूर्व-महामारी स्तर पर बहाल कर दिया गया। सरकारी खर्च में वृद्धि और जीएसटी मुआवजे के लिए अतिरिक्त उधार की अनुपस्थिति के कारण बैंकिंग प्रणाली में तरलता अधिशेष सितंबर में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये की औसत तरलता के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरकारी उधार योजना के व्यवस्थित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने ओएमओ और जी-एसएपी 2.0 संचालन के माध्यम से तरलता सहायता प्रदान करना जारी रखा।

आरबीआई ने वर्ष के दौरान विभिन्न तरलता सहायता उपायों की घोषणा की जो इस प्रकार हैं:

- लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए ऑन टैप स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन (एसएलटीआरओ) को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
- टैप योजना पर टीएलटीआरओ को छह महीने की अवधि के लिए, अर्थात् 30 सितंबर, 2021 तक और आगे 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
- आरबीआई ने वित्त वर्ष 22 में नए ऋण वितरित करने के लिए एआईएफआई को ₹50,000 करोड़ का नवीन सहयोग किया।
- एमएसएफ छूट 31 दिसंबर, 2021 तक जारी रही और इसे सामान्य व्यवस्था में बहाल कर दिया गया, जिससे बैंक 1 जनवरी, 2022 से एमएसएफ के तहत ओवरनाईट उधार लेने के लिए एनडीटीएल के 2% तक कम करने में सक्षम होंगे।
- आरबीआई पाक्षिक के साथ-साथ लंबी अवधि की परिपक्वता अवधि के लिए परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) ऑक्शन आयोजित करेगा, हालांकि 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी, मुख्य तरलता प्रबंधन संचालन होगा और सीआरआर रखरखाव चक्र के साथ मेल खाएगा।

आरबीआई ने टिकाऊ आधार पर विकास को बहाल करने और बनाए रखने के लिए जब तक आवश्यक हो तब तक समायोजनशील बने रहने के अपने रुख को दोहराते हुए, अपने जी-एसएपी संचालन को बंद करके और चौथी तिमाही से अपने दीर्घकालिक वीआरआरआर को फिर से शुरू करके तरलता की स्थिति को सामान्य करना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को कम करना शुरू कर दिया है। आरबीआई की मुद्रा स्वैप ने सिस्टम से टिकाऊ रुपया तरलता को और कम कर दिया है। हाल ही में 50 बीपीएस की सीआरआर बढ़ोतरी से 87000 करोड़ रुपये की तरलता खत्म हो जाएगी।

❖ निश्चित आय (एसएलआर/एनएसएलआर)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मूल्य स्थिरता के साथ विकास को बनाए रखने के अपने उद्देश्य तथा महामारी और अनिश्चित वैश्विक मैक्रो वातावरण की कई लहरों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के बड़े पैमाने पर उधार के प्रबंधन को संतुलित करने का प्रयास किया।

The liquidity remained comfortable throughout the year in the banking system due to lack of desirable credit off-take, despite the fact that Cash Reserve Ratio (CRR) was restored to pre-pandemic level of 4 per cent. Liquidity surplus in the banking system reached record levels in September with average liquidity of around Rs. 6.5 lakh crore due to increase in Government spending and absence of additional borrowing for GST compensation. RBI continued to provide liquidity support through OMOs and G-SAP 2.0 operations in order to ensure orderly execution of the Government borrowing plan.

RBI announced various liquidity support measures during the year such as:

- On Tap Special Long-Term Repo Operations (SLTRO) for Small Finance Banks (SFBs) was extended till 31st December, 2021.
- The TLTRO on Tap Scheme was extended by a period of six months, i.e., till 30th September, 2021 and further till 31st December, 2021.
- RBI extended fresh support of Rs 50,000 Crore to the AIFIs for new lending in FY' 2021-22.
- The MSF relaxation continued up to 31st December, 2021 and was restored to the normal dispensation whereby banks will be able to dip up to 2% of NDTL for overnight borrowing under the MSF from 1st January, 2022.
- RBI to conduct fortnightly Variable Rate Reverse Repo (VRRR) auctions as well as auctions for longer duration maturities, however the 14-day VRRR auction would be the main liquidity management operation and shall coincide with the CRR maintenance cycle.

RBI reiterated its stance to remain accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis. RBI commenced normalizing liquidity conditions by discontinuing its G-SAP operations and resuming its long term VRRR from 4th quarter onwards and gradually started draining out excess liquidity from the system. RBI's currency swap further drained durable rupee liquidity from the system. The recent CRR hike of 50 bps will drain a further Rs. 87,000 Crore of liquidity.

❖ Fixed Income (SLR/NSLR)

Reserve Bank of India (RBI) tried to balance its objective of sustaining growth with price stability and that of managing the Central and State Governments' massive borrowings amid multiple waves of the pandemic and uncertain global macro environment. The Indian bond market was

विभेदित नीलामी पद्धति, जीएसएपी 1.0 और जीएसएपी 2.0 कार्यक्रम सहित पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों उपायों के माध्यम से भारतीय बांड बाजार को आरबीआई द्वारा अच्छी तरह से समर्थन दिया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि होने के कारण उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीदों की वजह से दुनिया की सभी प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में वृद्धि की उम्मीदों से प्रतिफल में काफी वृद्धि हुई, और भारतीय बांड बाजार प्रतिफल इसका अपवाद नहीं थे।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 14.95 लाख करोड़ रुपये के बजटीय बाजार उधार की घोषणा के बाद 10 साल के बेंचमार्क जीसेक (G Sec) प्रतिफल बढ़कर 6.95% हो गया। हालांकि संशोधित उधारी कैलेंडर के अनुसार, सकल बाजार उधारी 14.31 लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी। नतीजतन, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार का उधार कार्यक्रम 25 फरवरी को समाप्त हो गया, और मार्च 2022 के महीने के लिए निर्धारित नीलामियों को रद्द करने के कारण कुल नीलामी अपेक्षा से बहुत कम थी। इसने अस्थायी रूप से प्रतिफल को मंद कर दिया, लेकिन हाल ही में आयोजित अनिर्धारित एमपीसी बैठक (मई 2022) में, आरबीआई ने अतिरिक्त तरलता को खत्म करने के लिए 50 बीपीएस सीआरसार वृद्धि के साथ घरेलू मुद्रास्फीति के संबंध में चिंताओं के कारण बेंचमार्क रेपो दर में 40 बीपीएस की वृद्धि की। इसके परिणामस्वरूप बेंचमार्क प्रतिफल 7.49% तक पहुंच गया और यह ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। हालांकि, आगामी एमपीसी बैठकों में और बढ़ोतरी की उम्मीदों पर 1 साल के टी बिल के लगभग 5.95 प्रतिशत तक पहुंचने के साथ अल्पावधि उपज में काफी वृद्धि हुई।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से, सरकार की उधारी लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन घरेलू निवेशकों के पूल ने उसके साथ तालमेल नहीं बनाए रखा और घरेलू सॉवरेन बॉन्ड के वैश्विक सूचकांकों में सूचीबद्ध होने से पहले बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए, लगातार तीसरे वर्ष बड़े पैमाने पर उधार के सुचारु संचालन के लिए बहुत अधिक चुनौतियां हैं। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा समायोजन के रुख को उलटने से प्रतिफल पर निराशाजनक दृष्टिकोण से यह और भी तेज हो गया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और चीन सहित दुनिया के कई हिस्सों में कोविड लॉकडाउन सहित अन्य संभावित भू-राजनीतिक तनावों से बांड बाजारों के लिए स्थिति को मुश्किल बनाने की उम्मीद है। भारत के बाहरी क्षेत्र पर निकट-अवधि का दृष्टिकोण भी काफी खराब हो गया है। परिपक्वता में बॉन्ड प्रतिफल में कमी आई है क्योंकि भू-राजनीतिक कारकों ने मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को बढ़ा दिया है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर उधारी के सुचारु संचालन के लिए चुनौतियों के संयोजन की योजना है।

❖ इक्विटी और म्यूचुअल फंड

भारतीय इक्विटी बाजारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में महामारी के निचले स्तर से सबसे तेज उछालों से गुजरी है, हालांकि चालू वित्तीय वर्ष विकसित बाजारों में दरों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति के दबाव, आपूर्ति बाधाओं, कमोडिटी की कमी और भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित

well supported by RBI through both conventional and unconventional measures including differentiated auction methodology, GSAP 1.0 and GSAP 2.0 program. However, during second half of the Financial Year, yields inched up significantly due to expectations of rate hikes by central banks in all major developed economies of the world on account of high inflation expectations due to surging commodity prices, and the Indian bond market yields were no exception.

During FY 2021-22, the 10 year benchmark G Sec yields rose to 6.95 per cent after the announcement of budgeted market borrowing of Rs. 14.95 Lakh Crore. However as per the revised borrowing calendar, gross market borrowing was pegged at Rs.14.31 Lakh Crore. As a result, the Central Government's borrowing programme for FY 2021-22 came to an end on 25th February 2022 and the total auctions were much lower than expected due to cancellations of scheduled auctions for the month of March 2022. This cooled off the yields temporarily, but in the recently conducted unscheduled MPC meeting (May 2022), RBI raised the benchmark repo rate by 40 bps due to concerns regarding domestic inflation along with a 50 bps CRR hike to drain out excess liquidity. This resulted in benchmark yields touching a high 7.49 per cent and it continues to be at elevated levels. The short term yield also spiked considerably with 1 year T Bill reaching a high 5.95 per cent on expectations of further hikes in the forthcoming MPC Meetings.

Since the advent of COVID-19 pandemic, the government's borrowing has almost doubled, but the pool of domestic investors has not kept pace with the same and still much needs to be done before domestic sovereign bonds are listed on global indices. Hence, the challenges for the smooth conduct of massive borrowings for the third consecutive year are galore. The same is further intensified by the gloomy outlook on yields aggravated by reversal of accommodative stance by central banks across the globe. Russian invasion of Ukraine and other expected geo-political tensions including COVID-19 lockdowns in many parts of the world including China, are further expected to make things difficult for the bond markets. The near-term outlook on India's external sector has also worsened considerably. Bond yields have hardened across the maturities as geo-political factors have clouded the outlook on inflation, further compounding the challenges for the smooth conduct of the massive borrowing planned by the Centre and the States for FY 2022-23.

❖ Equity & Mutual Funds

Indian equity markets have seen one of the steepest rallies from the lows of the pandemic in the last Financial Year, however the current financial year has been marred by rate hikes in developed markets, inflationary pressures, supply bottlenecks, commodity shortages and geo political

हुआ है। नतीजतन, विदेशी निवेशक पूरे वर्ष के लिए भारतीय इक्विटी के शुद्ध विक्रेता रहे, लेकिन घरेलू खुदरा और संस्थागत निवेशक बिक्री दबाव के प्रति कमोबेश लचीले रहे हैं। हालांकि, अगले वित्तीय वर्ष में, किसी भी नए सकारात्मक ट्रिगर के अभाव में इक्विटी बाजारों के कमोबेश मौन रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, कोविड-19 के बारे में अनिश्चितताओं के कारण, राष्ट्रों के बीच तनाव के और बढ़ने और मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि से बाजारों को केवल पेशकश की तरफ रखने की उम्मीद है।

❖ विदेशी मुद्रा

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा आय रु.1,866 करोड़ थी। भारतीय रुपया पूरे वर्ष काफी हद तक स्थिर रहा और USD/INR 74-76 की व्यापक सीमा में इसने कारोबार किया। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि की वजह से 7 मार्च, 2022 के दौरान इसमें निम्न मूल्यहास हुआ और जिसके कारण यह USD/INR 77.01 पर आ गया। हालांकि, अस्थिरता को कम करने के लिए आरबीआई बाजारों में सक्रिय रहा। यह अंततः 31 मार्च, 2022 को USD/INR 75.92 पर बंद हुआ।

के. ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहक सेवा के महत्व को पूरी तरह से समझता है और ग्राहकों को त्वरित एवं दक्षतापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहता है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्राहक सेवा पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक सुदृढ़ शिकायत निवारण नीति तैयार की है। बैंक उक्त नीति में निर्धारित रूपरेखा के भीतर ग्राहकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित कर रहा है।

ग्राहक सेवा में सुधार के लिए वर्ष के दौरान की गई पहल

- ❖ बैंक के पास एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रबंधन पोर्टल है जिसे केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) कहा जाता है, ये इन-हाउस पोर्टल है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक को तत्काल पावती मिल जाती है और वह शिकायत का ट्रैक भी रख सकता है। ग्राहक अपने अनुरोध/शिकायत को बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग सेवा, मोबाइल बैंकिंग सेवा और मोबाइल ऐप के माध्यम से सीजीआरएमएस में दर्ज करा सकते हैं।
- ❖ बैंक के पास दो अग्रणी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 24 x 7 x 365 आधार पर अपने ग्राहकों को टेली-बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम तथा नोएडा में अत्याधुनिक संपर्क केंद्र हैं। इन दो प्राथमिक केन्द्रों के अतिरिक्त, बैंक ने 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अपने ग्राहकों को टेली-बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए देहरादून और भोपाल में दो अन्य संपर्क केंद्र भी स्थापित किए हैं। (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आईवीआर पर मौजूदा 11 भाषाओं के अतिरिक्त 2 भाषाओं को शामिल किया गया था)।

tensions. As a result, foreign investors have been net sellers of Indian equities for the entire year, but domestic retail and institutional investors have been more or less resilient to selling pressures. However, in the next fiscal year, equity markets are expected to be more or less muted in absence of any fresh positive triggers. Also, uncertainties regarding COVID-19, further flare up of tensions between nations and steep rise in inflation, are expected to keep the markets on the offered side only.

❖ Forex

Net forex income of the Bank for FY 2021-22 was Rs. 1,866 Crore. The Indian Rupee remained largely stable throughout the year and traded in a broad range of USD/INR 74-76. However, it experienced a knee jerk depreciation during 7th March 2022 pushing it to USD/INR 77.01 on account of abnormal rise in crude oil prices due to geo-political tensions. However, RBI continued to be active in markets to smoothen out the volatility. It finally closed at USD/INR 75.92 on 31st March, 2022.

K. CUSTOMER CARE

The Bank fully realizes the importance of customer service and continues to lay utmost priority to render prompt and efficient service to customers. In order to achieve the desired objective, the Bank has formulated a robust Grievance Redressal Policy keeping in view the guidelines issued by Reserve Bank of India on Customer Service. The Bank is ensuring the redressal of the grievances of customers within the framework laid down in the said policy.

Initiatives undertaken during the year for improvement in customer service

- ❖ The Bank has an On-line Grievance Redressal Management Portal called Centralized Grievance Redressal Management System (CGRMS), which is in-house Portal. Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also. Customers can lodge their requests/complaints in the CGRMS through Bank's website, Internet Banking Service, Mobile Banking Service and Mobile App.
- ❖ The Bank has state-of-the-art Primary Contact Centers at Gurugram and Noida to provide tele-banking services to its customers on 24 x 7 x 365 basis through two leading Service Providers. In addition to these two Primary Sites, the Bank has also established two Secondary Contact Centers at Dehradun and Bhopal to provide tele-banking services to its customers in 13 languages (During the FY 2021-22, 2 languages were incorporated over IVR in addition to existing 11 languages).

- ❖ इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आईवीआर के माध्यम से संपर्क केंद्र द्वारा स्वयं सेवाओं की संख्या 14 तक बढ़ा दी गई है, जिससे वे अधिक ग्राहक अनुकूल हो गए हैं।
- ❖ बैंक ने शाखाओं में ग्राहक सेवा के मानक का आंकलन करने के लिए शाखाओं में गुप्त दौरे किए जाने हेतु ग्राहक सेवा केन्द्र, प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय और मंडल कार्यालयों में अधिकारियों की टीमों का गठन किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक के अधिकारियों ने पूरे भारत की शाखाओं के 14,576 गुप्त दौरे किये। दौरा करने वाले अधिकारियों द्वारा बताई गई कमियों को संबंधित शाखाओं तथा मंडल कार्यालयों के साथ साझा किया गया ताकि उन्हें दूर करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
- ❖ बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा बोर्ड की एक उप-समिति द्वारा "बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति", तिमाही आधार पर की जाती है। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।
- ❖ दामोदरन समिति की संस्तुतियों के अनुसार बैंक के पास एक आंतरिक लोकपाल है। यह प्रणाली बैंक द्वारा शिकायतों के निवारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
- ❖ सभी शाखाओं और मंडल कार्यालयों में ग्राहक सेवा समितियां, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की जांच करती हैं और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए प्रतिक्रिया /सुझावों की बारीकी से जांच करती हैं। ये समितियां माह में एक बार बैठक आयोजित करती हैं जहां कर्मचारी और आमंत्रित ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हैं।
- ❖ प्रत्येक माह एक मासिक पत्रिका "कस्टमर स्पीक्स" प्रकाशित की जाती है जिसमें ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई चुर्नीदा शिकायतें और किए गए शिकायतकर्ताओं को प्रदान की गई कार्रवाई/समाधान का भी उल्लेख किया जाता है। बैंक के अधिकारियों की सेवा की सराहना करते हुए ग्राहकों द्वारा जारी किए गए प्रशंसा पत्र भी पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं। फील्ड स्टाफ के लाभ के लिए ग्राहक सेवा, उत्पादों और सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैंक के दिशानिर्देशों को पत्रिका में हाइलाइट किया जाता है।
- ❖ बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में फील्ड स्टाफ के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अति महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए सभी शाखाओं में मासिक अंतराल पर थीम आधारित बैठकें पूर्व-निर्धारित तिथि और थीम पर आयोजित की जा रही हैं।
- ❖ बैंक में डोर स्टॉप बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा ग्राहक 100 केंद्रों पर वेंडर के माध्यम से घर पर ही कई वित्तीय/गैर-वित्तीय बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह ग्राहकों को अपने घर से विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
- ❖ शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बैंक ने समस्त अंचल कार्यालय/मंडल कार्यालय स्तर पर उप अंचल प्रबंधक/उप मंडल प्रमुख के पद वाले मुख्य ग्राहक कार्यपालक अधिकारी (सीसीईओ) को
- ❖ Further, the number of self-services extended to 14 by Contact Centre through IVR during FY 2021-22 thereby making them more customer friendly.
- ❖ The Bank has constituted teams of officials at Customer Care Centre at Head Office, Zonal Offices and Circle Offices to pay incognito visit to branches to assess standard of service. During FY 2021-22, officials of the Bank made 14,576 incognito visits to branches pan India. Deficiencies pointed out by the visiting officials are being shared with the concerned branches/Circle Offices for taking corrective steps.
- ❖ The status of complaints received by the Bank is reviewed by "Customer Service Committee of the Board", a Sub-Committee of the Board, on quarterly basis. The meetings of the Committee are presided over by Managing Director & CEO.
- ❖ The Bank has in place an Internal Ombudsman as per the recommendations of the Damodaran Committee. The system ensures greater transparency in the redressal of grievances by the Bank.
- ❖ Customer Service Committees in all the branches and Circle Offices look into the quality of customer service rendered and critically examine the feedback/suggestions for improvement in customer service. These committees meet once in a month where staff and the invited customers interact freely on service-related issues.
- ❖ A monthly magazine "Customer Speaks" is published in which selected complaints filed by customers and the action taken/resolution provided to the complainants are also mentioned. Appreciation letters issued by customers appreciating the service of officials of the bank are also published in the magazine. Bank's guidelines on important issues pertaining to customer service, products and services are highlighted in the magazine for the benefit of field staff.
- ❖ Theme Based Meetings are being conducted at monthly intervals in all branches on a pre-decided date and theme to improve awareness among field staff about bank's products and services, and to sensitize them about the issues of maximum importance.
- ❖ Door Step banking services is available in the Bank. It is a facility by which customers can avail many of the financial/non-financial banking services at home through the Vendors at 100 centers. It provides convenience to the customers to access different type of banking services from their Door Step.
- ❖ For faster resolution of complaints Bank has designated Chief Customer Executive Officer (CCEO) with the rank of Dy. Zonal Manager/Dy. Circle Head at all ZO's/CO's

नामित किया है, जिनसे ग्राहक अपनी शिकायत के निवारण के लिए संपर्क कर सकता है। मुख्य ग्राहक कार्यपालक अधिकारी (सीसीईओ) का संपर्क विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

- ❖ चयनित शिकायतों को उनके समाधान के साथ आज के मंत्र- 'समस्या और समाधान' के माध्यम से नियमित आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, ताकि फ़ील्ड के पदाधिकारी समान प्रकृति की शिकायतों पर ग्राहकों को त्वरित/मौके पर समाधान प्रदान कर सकें।
- ❖ कॉल सेंटर में सीएसए के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं ताकि वे ग्राहकों की कॉल को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें और ग्राहकों को उत्पादों/सेवाओं के बारे में सही/नवीनतम जानकारी देकर उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सकें।
- ❖ सोशल मीडिया (फेसबुक और ट्विटर) पर नियमित आधार पर क्रिएटिव प्रकाशित किए गए हैं ताकि ग्राहक को मिस्ड कॉल पर बैलेंस पूछताछ करने, और धोखाधड़ी वाले कॉल पर अपनी क्रिडेन्शियल साझा न करने और जमा खाते में नामांकन दर्ज करने संबंधी बैंक सेवा के बारे में शिक्षित किया जा सके।
- ❖ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल 1,46,759 शिकायतों में से (अर्थात, 31 मार्च, 2021 तक 7,175 लंबित शिकायतें और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त 1,39,584 शिकायतें), सीजीआरएमएस पोर्टल में 31 मार्च, 2022 तक 1,45,852 शिकायतों का समाधान शिकायतकर्ता की संतुष्टि तक कर दिया गया था।
- ❖ इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल 16,80,065 शिकायतों में से (अर्थात, 31 मार्च, 2021 तक 81,389 लंबित शिकायतें और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त 15,98,676 शिकायतें), सीआरएम पोर्टल में 31 मार्च, 2022 तक 16,50,370 शिकायतों का समाधान शिकायतकर्ता की संतुष्टि तक कर दिया गया था।

एल. बैंक में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन:

पंजाब नैशनल बैंक राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में सदैव अग्रणी रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपके बैंक ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार, संसदीय राजभाषा समिति और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के सार्थक प्रयास जारी रखे। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंक द्वारा ठोस एवं कारगर कदम उठाए गए जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किये गए विशेष कार्य :

बैंक की योजनाओं और उत्पादों से संबंधित प्रचार – प्रसार अभियानों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया।

level whom a customer can approach for redressal of his grievance. The contact details of CCEOs have also been displayed at Bank's website.

- ❖ Selected complaints along with their solutions are displayed through Today's Mantra- 'SAMASYA & SAMADHAAN' on regular basis, so that field functionaries can provide quick/ on the spot resolution to customers on complaints of the similar nature.
- ❖ Regular training sessions are arranged at Call Centre for CSAs so that they can handle customers call properly & resolve their trivial issues by giving correct/latest information that customer wants about the products/ services.
- ❖ Creatives have been published at Social Media (Facebook & Twitter) on regular basis to educate customer about Banks service such as, Balance enquiry on Missed Call, and not to share their credentials over fraudulent calls and for registering nomination in deposit account.
- ❖ During FY 2021-22, out of a total number of 1,46,759 complaints (i.e., 7,175 complaints outstanding as on 31st March, 2021, and 1,39,584 complaints received during FY 2021-22), 1,45,852 complaints were resolved up to the satisfaction of the complainant, till 31st March, 2022 in CGRMS Portal.
- ❖ Further, during FY 2021-22, out of a total number of 16,80,065 complaints (i.e., 81,389 complaints outstanding as on 31st March, 2021, and 15,98,676 complaints received during FY 2021-22), 16,50,370 complaints were resolved up to the satisfaction of the complainant, till 31st March, 2022 in CRM Portal.

L. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Punjab National Bank has always been a pioneer in the implementation of the Official Language Hindi. During the Financial Year 2021-22, Bank continued to make concerted efforts to increase the use of Hindi and compliance of guidelines received from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, GoI, Committee of Parliament on Official Language and Department of Financial Services, Ministry of Finance. Concrete and effective steps were taken by the Bank to achieve various region wise targets set in the Annual Program 2021-22 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, as a result, most of the targets have been achieved.

Special works done in the Field of Official Language Implementation

Hindi and Regional Languages were used in publicity and promotional campaigns related to the schemes and products of the Bank.

- ✓ बैंक के ई-लर्निंग पोर्टल पीएनबी युनिव पर स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन हिंदी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया।
- ✓ साइबर सुरक्षा शब्दावली हिंदी में तैयार की गई।
- ✓ अधिकारियों को हिंदी नोटिंग में सहायता प्रदान करने के लिए “नोटिंग सहायिका” तैयार की गई जिसका विमोचन डॉ सुमीत जैरथ, आई.ए. एस, सचिव, राजभाषा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।
- ✓ अखिल भारतीय स्तर पर अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- ✓ बैंक द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत कुल 4 पुस्तकों को पुरस्कृत किया गया।
- ✓ वार्षिक कार्यक्रम और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित राजभाषा कॉर्पोरेट कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गहन निगरानी की गई।
- ✓ बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय राजभाषा शील्ड योजना एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।
- ✓ बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका “पीएनबी प्रतिभा” और अंचल कार्यालयों की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की गई।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने सितंबर 2021 माह को हिंदी माह के रूप में मनाया और 14 सितम्बर 2021 को प्रधान कार्यालय के साथ-साथ विभिन्न कार्यालयों में हिंदी दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय तथा कार्यालय प्रमुखों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।
- ✓ बैंक के विभिन्न कार्यालयों द्वारा देश भर में 29 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संयोजक की जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया गया। इन समितियों की अर्धवार्षिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और वर्ष के दौरान हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी सेमिनार आदि आयोजित किए गए।
- ✓ Online Hindi quiz for staff members was conducted on Bank's e-Learning portal PNB UNIV.
- ✓ Cyber Security Glossary prepared in Hindi.
- ✓ “Noting Sahayika” was prepared to help the officers in Hindi noting which was released by Dr. Sumeet Jerath, IAS, Secretary, Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.
- ✓ Inter Bank Hindi Essay Competition was organized at All India level.
- ✓ During FY 2021-22, total 4 books were awarded by the Bank under the Original Hindi Book Writing Scheme.
- ✓ Intensive monitoring was done to achieve targets set in Annual Programme and Corporate Action Plan of Official Language duly approved by the Board
- ✓ Prizes were awarded to offices/staff doing excellent work in Hindi under Lala Lajpat Rai Shield Yojana and various other incentive schemes to increase the use of Hindi in the Bank.
- ✓ Quarterly house magazine of the Bank “PNB Pratibha” and half yearly Hindi magazines of the Zonal Offices were published regularly.
- ✓ During the FY 2021-22, the Bank celebrated the month of September 2021 as Hindi month and on 14th September 2021, a grand celebration of Hindi Diwas was organized in Head Office and its various offices. During this period various programs/competitions were organized and prizes were given to the winners by the Managing Director and CEO and Heads of the Offices.
- ✓ PNB has efficiently discharged the responsibility of convener of 29 Town Official Language Implementation Committees across the country. Half yearly meetings of these committees were held regularly and Hindi competitions, Hindi workshops, Hindi seminars etc. were organized during the year.

बाह्य निरीक्षण/राजभाषा संगोष्ठी/सम्मेलन:

- ✓ संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2022 को दिल्ली बैंक नराकास (संयोजक पीएनबी) के अध्यक्ष एवं इसके 05 सदस्य कार्यालयों के साथ विचार-विमर्श बैठक का आयोजन किया गया। इसके अलावा वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा हमारे विभिन्न अंचल/मंडल कार्यालयों का भी राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा बैंक द्वारा हिंदी के उत्तरोत्तर विकास की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई।

External Inspection / Official Language Seminar/Conference

- ✓ A discussion meeting was organized on 3rd March, 2022 by the Drafting and Evidence Sub-Committee of Parliament on Official Language with the Chairman of Delhi Bank Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samiti (NARAKAS) (Convener PNB) and its 5 member offices. Apart from this, the official language inspections of Bank's various Zonal/Circle Offices were also done by the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs and the work was being done by the bank towards the progressive development of Hindi was appreciated.

- ✓ डॉ. सुमित जैरथ, आई.ए.एस, सचिव, राजभाषा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति तथा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में बैंक के सर्वोच्च प्रबंधवर्ग एवं कार्यपालकों तथा फील्ड से अंचल प्रमुख व राजभाषा अधिकारियों के लिए प्रधान कार्यालय, द्वारका में दिनांक 29 जून, 2021 को अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें '12प्र' की रणनीति, 'लीला' ऐप एवं स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' पर विस्तृत जानकारी दी गई।
- ✓ बैंक द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2022 एवं 15 मार्च, 2022 को कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली में क्षेत्र 'क' एवं क्षेत्र 'ख' में स्थित बैंक के कार्यालयों में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों के लिए तथा दिनांक 24 मार्च, 2022 एवं 25 मार्च, 2022 को लखनऊ में क्षेत्र 'ख' एवं क्षेत्र 'ग' में स्थित बैंक के कार्यालयों में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों के लिए दो दिवसीय अखिल भारतीय "राजभाषा सम्मेलन सह समीक्षा बैठक" का आयोजन किया गया।
- ✓ बैंक द्वारा अंचलवार राजभाषा संबंधी समीक्षा हेतु सभी अंचल कार्यालयों की वार्षिक समीक्षा बैठकों का ऑनलाइन आयोजन किया गया जिसमें संबंधित अंचल के अधीनस्थ समस्त मंडल कार्यालयों द्वारा भी सहभागिता की गई।
- ✓ In the graceful presence of Dr. Sumeet Jerath, IAS, Secretary, Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India & under the Chairmanship of MD & CEO an All India Official Language Seminar was organized on 29th June, 2021 at Head Office, Dwarka for the top Management and Executives of the Bank & Zonal Managers and Official Language Officers from the field in which detailed information was given on the strategy of '12प्र', 'Leela' app and memory based translation tool KANTHASTH.
- ✓ A two-days All India "Rajbhasha Sammelan cum Review Meeting" was organized by the Bank at Staff Training Collage, Civil Lines, New Delhi on 14th March, 2022 and 15th March, 2022 for the Official Language Officers posted in the Bank's offices located in Region 'A' and Region 'B' and second two-days All India "Rajbhasha Sammelan cum Review Meeting" was organized by the Bank in Lucknow on 24th March, 2022 and 25th March, 2022 for Official Language Officers posted in the Bank's offices located in Region 'B' and Region 'C'.
- ✓ Online Annual review meetings of all the Zonal Offices were organized by the Bank for Zone wise official language review, in which all the subordinate Circle Offices of respective zones also participated.

सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति:

- ✓ ग्राहकों के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा 7 क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
- ✓ ग्राहकों के लिए एटीएम में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प तथा लेनदेन पर्ची हिंदी में प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध है।
- ✓ ग्राहकों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन "पीएनबी वन" में हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में लेनदेन करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
- ✓ बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उनकी मातृभाषा (हिंदी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू) में बैंकिंग संबंधी एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है तथा ग्राहकों द्वारा चुनी गई भाषा में एसएमएस भेजे जाते हैं।
- ✓ बैंक की वेबसाइट द्विभाषी रूप में है तथा बैंक के "पीहू चैटबोट" में ग्राहकों के लिए हिंदी भाषा का विकल्प उपलब्ध करवाया गया।
- ✓ बैंक द्वारा प्रतिदिन कर्मचारियों के लिए एक बैंकिंग विषय से संबंधित पॉडकास्ट हिंदी में जारी किया जाता है।
- ✓ सभी शाखाओं, मंडलों, अंचलों और प्रधान कार्यालय के प्रभागों की ऑनलाइन हिंदी रिपोर्टिंग राजभाषा वेब पोर्टल पर की गई।
- ✓ कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल हिंदी कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं, ई-वेबिनार, ई-निरीक्षण का भौतिक मोड के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजन किया गया।
- ✓ फिनेकल और एचआरएमएस में द्विभाषिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पासबुक, सीडीआर/एफडीआर हिंदी में प्रिंट करने तथा स्टाफ सदस्यों के सेवा संबंधी कार्य हिंदी में करने की सुविधा उपलब्ध है।
- ✓ Progress made in the use of Hindi in Information Technology
- ✓ Internet banking facility was made available to the customers in 7 regional languages besides Hindi and English.
- ✓ Option of Hindi and regional languages and facility to print transaction slip in Hindi is available for customers at ATMs.
- ✓ Facility to make transactions in 10 Regional Languages apart from Hindi and English has been made available to the customers in the mobile application "PNB ONE".
- ✓ The Bank provides an option to its customers to receive banking SMS alerts in their mother tongue (Hindi, Bangla, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu) and SMS send in the language chosen by the customer.
- ✓ Bank's website is in bilingual form and Hindi language option has been made available to the customers in the Bank's "Pihu Chatbot".
- ✓ Every day a podcast on a Banking topic in Hindi is released by the bank for the employees.
- ✓ Online Hindi reporting of all Branches, Circles, Zones and Divisions of Head Office was done on the Official Language web portal.
- ✓ Due to COVID-19 pandemic, virtual Hindi workshops, competitions, e-webinars, e-Inspections were organized through digital platforms apart from physical mode.
- ✓ Facility is available to print Passbook, CDR/FDR in Hindi and doing service related work of staff members in Hindi through bilingual software in Finacle and HRMS.

- ✓ स्टाफ सदस्यों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने तथा हिन्दी के विभिन्न ई-टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया।

एम. पीएनबी की अनुषंगियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

❖ घरेलू

- पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड** : वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, ऋण बाजार को प्रतिफल में क्रमिक मजबूती के साथ वर्ष की दूसरी छमाही में मजबूती के साथ चिन्हित किया गया था। वर्ष की पहली छमाही में, प्रतिफल काफी हद तक स्थिर रहा क्योंकि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अपने उदार विकास-समर्थक रुख को जारी रखा और जीएसएपी के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद भी की। वित्त वर्ष 2021-22 की प्रथम छमाही के दौरान, आरबीआई ने कुल मिलाकर 1,90,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां खरीदीं, जिससे वर्ष के लिए बड़े अनुसूचित सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमन की मांग पैदा करने में मदद मिली। वर्ष की दूसरी छमाही में, हालांकि, प्रतिफल काफी हद तक ऊपर की ओर बना रहा, चौथी तिमाही में प्रतिफल में तेज वृद्धि देखी गई। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि और विभिन्न उभरते बाजारों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक नीति के उलटने से वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के दौरान वैश्विक और घरेलू दोनों तरह के प्रतिफल में वृद्धि हुई। केंद्रीय बजट 2022-23 में संकेतित केंद्र द्वारा राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के बाजार उधारी, नियोजित बाजार उधारी के उच्च-अपेक्षित सांकेतिक कैलेंडर द्वारा प्रतिफल में वृद्धि को बढ़ा दिया गया था। हालांकि, केंद्र सरकार की लगातार दो बांड नीलामियों को रद्द करने से वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर घरेलू प्रतिफल में कमी आई।

वर्ष के दौरान 10-वर्ष के बेंचमार्क प्रतिफल ने क्रमशः 6.95% और 5.97% के उच्च और निम्न स्तर को छुआ और 31 मार्च, 2022 को 6.86% पर बंद हुआ।

अस्थिर बाजार दशाओं की पृष्ठभूमि में, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड ने आरबीआई द्वारा अधिदेशित प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों में प्राथमिक डीलर के रूप में अपने सभी दायित्वों को पूरा करना जारी रखा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 210.15 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पीबीटी 614.35 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कर के बाद लाभ (पीएटी) 165.71 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान यह 454.12 करोड़ रुपये था। पूंजी पर्याप्तता 31 मार्च, 2022 को 66.41 प्रतिशत (31 मार्च, 2021 को 45.58 प्रतिशत) पर जोखिम भारत संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के साथ अपनी पूंजी के साथ मजबूत बनी हुई है, जो पीडी के लिए नियामक न्यूनतम 15 प्रतिशत से काफी ऊपर है।

- पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड**: कंपनी अपने परिचालन के पहले वर्ष से ही लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 5.33 करोड़ रुपये की शुल्क-आधारित आय और 8.02 करोड़ रुपये की कुल आय के मुकाबले 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 9.59 करोड़ रुपये

- ✓ Trainings were given to the staff members to work in Hindi on computer and various e-Tools of Hindi.

M. PNB'S SUBSIDIARIES AND REGIONAL RURAL BANKS

❖ DOMESTIC

- PNB Gilts Ltd**: During FY 2021-22, debt market was characterised with gradual firming up of yields, with accentuated firming in the second half of the year. In the first half of the year, yields remained largely anchored as the monetary policy committee (MPC) continued with its accommodative growth-supportive stance and also undertook government securities purchases through G-SAP. During H1FY 2021-22, RBI purchased securities aggregating Rs. 1,90,000 Crore on a net basis, which helped create demand for the large scheduled government securities issuances for the year. In the second half of the year, however, yields remained largely upward bound, with Q4 witnessing a sharp spike in yields. A sharp rise in global crude oil prices and reversal of monetary policy by various emerging market and advanced economies pushed both global and domestic yields higher during Q4 FY 2021-22. The rise in yields was aggravated by higher-than-expected indicative calendar of market borrowings of State Governments/Union Territories, planned market borrowings by the Centre indicated in the Union Budget 2022-23. The cancellation of two consecutive central government bond auctions, however, tempered the hardening of domestic yields towards the close of the Financial Year.

During the year, the 10-yr benchmark yield touched a high and low of 6.95 per cent and 5.97 per cent respectively and closed at 6.86 per cent as on 31st March, 2022.

Against the backdrop of deteriorating market conditions, PNB Gilts Ltd. continued to fulfil all its obligations as a Primary Dealer mandated by RBI both in Primary and Secondary market. Company posted a Profit before Tax (PBT) of Rs. 210.15 Crore during FY 2021-22 vis-à-vis PBT of Rs. 614.35 Crore during FY 2020-21. Profit after Tax (PAT) amounted to Rs. 165.71 Crore during FY 2021-22 as against Rs. 454.12 Crore during FY 2020-21. Capital adequacy remains strong with its capital to risk weighted assets ratio (CRAR) at 66.41 per cent as on 31st March, 2022 (45.58 per cent as on 31st March, 2021) well above the regulatory minimum of 15 per cent for PDs.

- PNB Investment Services Ltd**: The Company is a profit-making company from the very first year of its operations. During the year ended 31st March, 2022 the Company registered operational (fee-based) income of Rs. 9.59 Crore and total income of Rs. 12.10 Crore as against a fee-

की परिचालन (शुल्क-आधारित) आय और 12.10 करोड़ रुपये की कुल आय अर्जित की। 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के दौरान कर पूर्व लाभ 6.10 करोड़ रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए 1.87 करोड़ रुपये था।

कंपनी कॉर्पोरेट एडवाइजरी, मर्चेन्ट बैंकिंग और सिक्योरिटी ट्रस्टी नाम के तीन वर्टिकल में कार्य करती है। कॉर्पोरेट एडवाइजरी वर्टिकल में, वर्ष के दौरान पीएनबीआईएसएल ने ऋण सिंडिकेशन, ऋण समाधान और अन्य कॉर्पोरेट सलाहकार असाइनमेंट सहित विभिन्न लेनदेन पर टाटा, एमआरआईडीसी, अशोका ग्रुप, रहेजा डेवलपर्स आदि जैसे कई प्रमुख व्यापारिक समूहों को परामर्श दिया है। घरेलू निपुणता एवं चयनित क्षेत्रों की गहरी समझ के साथ पीएनबीआईएसएल ने अपने ग्राहकों के लिए विश्वसनीय तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) तैयार और संवितरित की है।

मर्चेन्ट बैंकिंग वर्टिकल में, पीएनबीआईएसएल ने पीएनबी के योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), टियर II बॉन्ड के धन उगाहने वाले लेनदेन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस लेनदेन में भागीदारी अनुपालन आवश्यकताओं पर सलाह देने, प्रस्ताव दस्तावेजों के प्रारूपण और पेशकशों के विपणन से भिन्न थी।

ट्रस्टीशिप (न्यासधारिता) व्यवसाय में, शुल्क में कमी करके व्यवसाय में लंबे समय तक न खड़े होने वाले प्रतियोगियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद, कंपनी सेवाओं की गुणवत्ता प्रदान करके ग्राहकों को बनाए रखने में सक्षम रही है। ग्राहकों का चयन करते समय एक सतर्क रणनीति अपनाई गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल विश्वसनीय ग्राहक ही शामिल हों। अपनी त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवा के साथ-साथ बाजार की आवश्यकता के साथ हमारे कार्ड की दरों को पुनः व्यवस्थित करने के साथ, कंपनी नए ग्राहकों को जोड़ना जारी रखती है और अग्रणी बैंकों और कॉरपोरेट्स के विश्वसनीय भागीदार बनने की अपनी रणनीति पर निर्माण करती है।

आगे बढ़ते हुए, कंपनी मूल बैंक और उसके सभी हितधारकों को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए क्रेडिट मूल्यांकन और ऋण सिंडिकेशन सेवाओं, टीईवी परामर्श, मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाओं और सुरक्षा ट्रस्टीशिप सेवाओं जैसे व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए तैयार है।

- iii. **पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड:** बैंक के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी को 16 मार्च, 2021 को एक गैर-वित्तीय इकाई के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान में, कंपनी ग्राहक अधिग्रहण और मर्चेन्ट टाई अप के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, परिचालन का पहला वर्ष होने के कारण, कंपनी ने परिचालन से 2.60 करोड़ रुपये का राजस्व और 0.13 करोड़ रुपये के कर के बाद निवल लाभ अर्जित किया है। कंपनी बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए बोर्डिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल के साथ-साथ संभावित बाजार में क्रेडिट कार्ड की सोर्सिंग के लिए अपने बिक्री अधिकारियों के साथ फीट-ऑन-स्ट्रीट मॉडल पर काम करेगी।

based income of Rs. 5.33 Crore and total income of Rs. 8.02 Crore for the year ended 31st March, 2021. Profit before Tax during the period ended 31st March, 2022 was Rs. 6.10 Crore as against Rs. 1.87 Crore for the period ended 31st March, 2021.

The company operates in three verticals, namely Corporate Advisory, Merchant Banking and Security Trustee. In the Corporate Advisory Vertical, during the year PNBISL advised many marquee business groups and corporate clients on various transactions, including debt syndication, debt resolution and other corporate advisory assignments. With in-house expertise and deep understanding of select sectors, PNBISL prepared and delivered credible Techno-Economic Viability (TEV) reports to its clients.

In Merchant Banking Vertical, PNBISL actively participated in PNB's fund-raising transactions of Qualified Institutional Placement (QIP) and Tier II Bonds. The involvement in these transactions varied from advising on compliance requirements, drafting of offer documents and marketing of the offerings.

In the Trusteeship business, despite intense competition from entrants not having long standing in the business by slashing fees, the company has been able to maintain the clients by providing quality of services. A cautious strategy has been adopted while selecting the clients, so as to ensure only credible clients are on-boarded. With its prompt and quality service as also realigning our card rates with market requirement, the company continues to add on new clients and build on its strategy to be a trusted partner of leading banks and corporates.

Going forward, the company is poised to build on its capabilities across business verticals such as credit appraisal & debt syndication services, TEV consultancy, Merchant Banking services and Security Trusteeship services to offer greater value to the parent bank and all its stake holders.

- iii. **PNB Cards & Services Limited:** The Company has been incorporated on 16th March, 2021 as a Non-Financial Entity for providing Business Support services related to Credit Card Business of the Bank. Currently, the company is providing its services for customer acquisition and merchant tie ups. During FY' 2021-22, being the first year of operations, the company has earned revenue from operations of Rs. 2.60 Crore and Net profit after Tax of Rs. 0.13 Crore. The company will operate on feet-on-street model with its sales executives sourcing of Credit Cards in the potential market along with digital on boarding platforms for better customer experience.

❖ अंतरराष्ट्रीय

- i. **पीएनबी अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड (पीएनबीआईएल):** पीएनबीआईएल मूरगेट, इलफोर्ड, वेम्बली, साउथहॉल, लीसेस्टर, बर्मिंघम और वॉल्वरहैम्प्टन में स्थित सात शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से लंदन और मिडलैंड्स में अपने ग्राहकों की सेवा जारी रखे हुए है।

यहाँ तक कि कोविड महामारी के दौरान भी बैंक ने सुचारू एवं सुरक्षित तरीके से अपने ग्राहकों को सभी सेवाएँ प्रदान करना सुनिश्चित किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पीएनबीआईएल का कुल व्यवसाय 1755 USD मिलियन से बढ़कर 1825 USD मिलियन हो गया है जो प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में स्वस्थ लाभप्रदता के साथ 4 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है।

बैंक अपनी रणनीति के अनुरूप यूके आधारित बिजनेस बुक को विकसित करना जारी रखता है और सुरक्षित उधार बुक में उत्पाद रूपों के भीतर विविधता लाता है। ग्राहक प्रतिधारण बैंक के लिए फोकस रहा है और बैंक कम लागत वाली खुदरा जमा राशि जुटाने के लिए वैकल्पिक चैनल भी विकसित कर रहा है।

- ii. **ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड:** ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान, बैंकिंग कंपनी का थिम्पू, भूटान में कॉर्पोरेट कार्यालय है। ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड ने 27 जनवरी, 2010 को एफडीआई और बैंकिंग क्षेत्र में संयुक्त उद्यम दोनों के कॉम्पॉनेंट के साथ भूटान में देश के चौथे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अपना कार्य शुरू किया था। वर्तमान में बैंक की देश भर में 8 शाखाएँ और 30 एटीएम हैं। डीपीएनबीएल का कुल कारोबार 31 मार्च, 2021 के रु. 2,780 करोड़ से 12.41% की वर्ष दर वर्ष की वृद्धि दर्शाते हुए 31 मार्च, 2022 को बढ़कर रु. 3,125 करोड़ हो गया। बैंक का कासा अनुपात 31 मार्च, 2022 को 42.27% रहा। बैंक का लाभ 31 मार्च, 2021 के 19.56 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च, 2022 को रु. 22.30 करोड़ हो गया। 31 मार्च, 2022 को बैंक की चुकता पूंजी 84 करोड़ रूपए है।

- ❖ **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** 31 मार्च, 2022 को, बैंक द्वारा 9 आरआरबी प्रायोजित हैं अर्थात दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी, पंजाब ग्रामीण बैंक, कपुरथला प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ, आसाम ग्रामीण विकास बैंक, आसाम, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला एवं मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल है।

ये 9 आरआरबी 4,613 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 185 जिलों को कवर करते हुए नौ राज्यों बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, मणिपुर एवं त्रिपुरा में कार्यरत है।

- i. 31 मार्च, 2022 को पीएनबी प्रायोजित आरआरबी का कुल कारोबार वर्ष-दर-वर्ष 7.59% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 1,88,493 करोड़ रहा।

❖ INTERNATIONAL

- i. **PNB International Limited (PNBIL):** PNBIL continues to serve its customers in London and Midlands through network of seven branches located at Moorgate, Ilford, Wembley, Southall, Leicester, Birmingham and Wolverhampton.

Even during the COVID pandemic the Bank ensured to provide all services to customers in smooth and safe manner. During FY 2021-22, the total business of PNBIL increased from 1755 USD Million to 1825 USD Million thus showing growth of 4 per cent under challenging circumstances with healthy profitability.

The Bank continues to grow the UK based business book and diversify within the product variants in secured lending book in line with its strategy. Customer retention has been the focus for the Bank and the Bank is also developing Alternate channel to raise low cost retail deposits.

- ii. **Druk PNB Bank Ltd:** Druk PNB Bank Ltd, Bhutan, Banking Company having its corporate office at Thimphu, Bhutan. It started its operation on 27th January, 2010, in Bhutan as the country's fourth commercial Bank, with a component of both FDI and joint venture in the Banking Sector. Presently Bank has 8 branches and 30 ATMs spread across the country. Total Business of the DPNBL increased to to Rs. 3,125 Crore as on 31st March, 2022 from from Rs. 2,780 Crore as on 31st March, 2021 showing YoY growth of 12.41 per cent. CASA Ratio of the Bank stood at 42.27 per cent as on 31st March, 2022. Profit of the Bank has increased to Rs. 22.30 Crore as on 31st March, 2022 from Rs. 19.56 Crore as on 31st March 2021. Paid up capital of the Bank as on 31st March, 2022 is Rs.84 Crore.

- ❖ **REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):** As on 31st March, 2022, there are 9 RRBs sponsored by the bank namely Dakshin Bihar Gramin Bank (DBGB), Patna; Sarva Haryana Gramin Bank (SHGB), Rohtak; Himachal Pradesh Gramin Bank (HPGB); Mandi; Punjab Gramin Bank (PGB), Kapurthala; Prathama UP Gramin Bank (PUGB), Meerut; Assam Gramin Vikas Bank (AGVB), Assam; Bangiya Gramin Vikas Bank (BGVB), West Bengal; Tripura Gramin Bank (TGB), Agartala and Manipur Rural Bank (MRB), Imphal.

These 9 RRBs are operating in 9 states namely Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Manipur and Tripura covering 185 districts with a network of 4613 branches.

- i. Total Business of sponsored RRBs as on 31st March, 2022 is Rs. 1,88,493 Crore registering a YoY growth of 7.59 per cent.

- | | |
|--|--|
| <p>ii. 31 मार्च, 2022 को आरआरबी की कुल जमा राशि 1,21,659 करोड़ रुपये रही। कुल जमा राशियों ने वर्ष दर वर्ष 8.20% की वृद्धि दर्ज की। आरआरबी की कासा जमा राशि 31 मार्च, 2021 को 68,747 करोड़ रुपए थी जो 31 मार्च, 2022 में वर्ष दर वर्ष 9.30% वृद्धि दर्शाते हुए 75,143 करोड़ रुपये हो गई।</p> <p>iii. 31 मार्च, 2022 को आरआरबी का अग्रिम 6.51 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ रु. 66,834 करोड़ रहा।</p> <p>iv. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आरआरबी के लिए सीआरएआर की 9% की नियामक आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य है। नियामक आवश्यकता से ऊपर एवं अधिक सीआरएआर प्राप्त करने वाले आरआरबी एचपीजीबी (9.47%), पीजीबी (15.56%), पीयूपीजीबी (13.49%), एसएचजीबी (14.10%) और टीजीबी (30.87%) हैं। नियामक आवश्यकता से कम सीआरएआर वाले आरआरबी एजीवीबी (7.59%), डीबीजीबी (8.35%) एमआरबी (7.24%) और बीजीवीबी (8.89%) हैं, जो केंद्र/राज्यों/प्रायोजक बैंक द्वारा आरआरबी को पुनर्पूजीकरण सहायता और सुधार के परिणामस्वरूप हैं। परिचालन दक्षता में इन आरआरबी को आने वाले वर्षों में 9% का सीआरएआर हासिल करने की उम्मीद है।</p> <p>v. सभी प्रायोजित आरआरबी (डीबीजीबी पटना और एमआरबी इम्फाल को छोड़कर) लाभ में हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आरआरबी का संयुक्त शुद्ध लाभ रु. 184 करोड़ है।</p> <p>vi. आरआरबी ने तक प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेजेबीवाई) के नामांकन में 59.85 प्रतिशत की उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज की है।</p> | <p>ii. Deposits of RRBs are at Rs. 1,21,659 Crore as on 31st March, 2022. Aggregate Deposits registered a YoY growth of 8.20 per cent. The CASA deposits of the RRBs have increased to Rs. 75,143 Crore as on 31st March, 2022 from Rs. 68,747 Crore as on 31st March, 2021 with a YoY growth of 9.30 per cent.</p> <p>iii. The advances of the RRBs as on 31st March, 2022 stood at Rs. 66,834 Crore with a YoY growth of 6.51 per cent.</p> <p>iv. As per RBI guidelines it is mandatory for RRBs to meet the regulatory requirement of CRAR 9 per cent. The RRBs attaining CRAR over and above the regulatory requirement are HPGB (9.47 per cent), PGB (15.56 per cent), PUPGB (13.49 per cent), SHGB (14.10 per cent) and TGB (30.87 per cent). The RRBs having CRAR less than the regulatory requirement are AGVB (7.59 per cent), DBGB (8.35 per cent) MRB (7.24 per cent) and BGVB (8.89 per cent) As an outcome of recapitalization assistance to the RRBs by Centre/ States / Sponsor Bank and improvement in operational efficiency these RRBs are expected to achieve CRAR of 9 per cent in the coming years.</p> <p>v. The sponsored RRBs are in profit (except DBGB Patna and MRB Imphal) and combined Net profit of the RRBs during the FY 2021-22 is Rs. 184 Crore.</p> <p>vi. The RRBs have shown a remarkable growth of 59.85 per cent in enrollment under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY).</p> |
|--|--|

एन. पुरस्कार एवं सम्मान

बैंक के प्रयास को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सराहा गया है। बैंक को वर्ष 2021-22 के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई पहल हेतु निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- ❖ कृषि ऋण, सूक्ष्म वित्त, वित्तीय समावेशन और प्रौद्योगिकी अपनाने के क्षेत्र में नाबार्ड सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उपक्रम द्वारा विशेष स्मारक पुरस्कार 2021।
- ❖ इंफोसिस द्वारा फिनेकल क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड- पीएनबी के पथप्रदर्शक "प्रोसेस इनोवेशन" के लिए उपविजेता।
- ❖ पीएसबी मर्ज की गई श्रेणी के तहत डिजिटल सेवा के तहत एसोचैम उपविजेता
- ❖ ईज 3.0 पुरस्कार
 - o थीम 3 इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रूडेंट बैंकिंग के तहत उपविजेता
 - o थीम 4 गवर्नेंस और आउटकम सेंट्रिक एचआर के तहत उपविजेता

N. AWARDS AND ACCOLADES

Bank's effort have been recognized at various platforms. The Bank has been conferred the following awards for initiatives taken in various fields for the year 2021-22:

- ❖ Special Commemorative Award FY' 2021 by NABARD Best PSU in the fields of Agriculture Credit, Micro Finance, Financial Inclusion and Technology Adoption.
- ❖ Finacle Client Innovation Award by Infosys- Runner Up for PNB's path breaking "Process Innovations".
- ❖ ASSOCHAM Runner Up under Digital service under PSB Merged Category
- ❖ EASE 3.0 AWARDS
 - o Runner up under Theme 3 Institutionalizing Prudent Banking
 - o Runner up under Theme 4 Governance and Outcome Centric HR

- o मार्च बेसलाइन से सुधार करने वाले शीर्ष 3 बैंकों में से एक
- ❖ एशियन बैंकर वित्तीय प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2021 "सर्वश्रेष्ठ कोर-बैंकिंग प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन।
- ❖ राजभाषा हिन्दी के प्रचार हेतु वर्ष 2020-21 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार।
- ❖ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान लेनदेन का दूसरा उच्चतम प्रतिशत "उत्कर्ष पुरस्कार" डिजी-धन पुरस्कार 2019-20 (ई-यूएनआई)
- ❖ ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा एनआरएलएम योजना के तहत एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में दूसरा सर्वश्रेष्ठ बैंक।
- ❖ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) अभियान के तहत समकक्षी बैंकों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी योजना पीएमईजीपी को लागू करने में अपने प्रदर्शन हेतु तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- ❖ एसोचैम द्वारा 8वें एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट एमएसएमई बैंक (पीएसयू)
- ❖ एनपीएस दिवस (01.10.2021) में योगदान के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (21.12.2021) द्वारा सम्मानित किया गया।
- ❖ पीएनबी ने मैसर्स इंफोसिस के साथ संयुक्त रूप से "इनिशिएटिव कोर समामेलन" श्रेणी में "ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंस अवार्ड्स 2021" जीता।
- ❖ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) लीडरशीप कैपिटल अभियान में वार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया।
- ❖ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बैंक ने "मोस्ट सिग्निफिकेंट लेंडर सपोर्टिंग एससी इंटरप्रेन्योर" श्रेणी के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड जीता।
- o Amongst Top 3 Banks in Improvement from March baseline
- ❖ The Asian Banker Financial Technology Innovation Award 2021 "Best Core-banking Technology Implementation.
- ❖ Rajbhasha Kirti Award for the year 2020-21, promoting Official language Hindi.
- ❖ 2nd highest percentage of digital payment Transactions "Utkarsh Puraskar" Digi-Dhan Award 2019-20 by Ministry of Electronics & Information Technology
- ❖ 2nd Best Bank in SHG Credit Linkage under NRLM scheme by Ministry of Rural Development (MoRD).
- ❖ 1st position amongst peer banks under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) campaign launched by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
- ❖ 3rd Position for its performance in implementing the Government scheme PMEGP for 2020-21.
- ❖ Best MSME Bank (PSU) in 8th MSME Excellence Awards by ASSOCHAM
- ❖ Felicitated by Pension Fund Regulatory and Development Authority (21.12.2021) for contribution towards NPS Diwas (01.10.2021).
- ❖ "Global Banking & Finance Awards 2021" in the category "Initiative Core Amalgamation" jointly with M/s Infosys.
- ❖ Award of Excellence in Campaign Atal Pension Yojana (APY) Leadership Capital launched by Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA)
- ❖ Dr. Ambedkar Business Excellence Awards under the Category "Most Significant Lender Supporting SC Entrepreneurs" by Ministry of Social Justice and Empowerment.

ओ. बैंक की भावी कारोबार योजना

बैंक सभी कठिन परिस्थितियों में ग्राहकों को सफलतापूर्वक सेवाएँ देने में सक्षम रहा है क्योंकि इसकी एक स्पष्ट रणनीति थी। वर्ष के दौरान बैंक ने अपने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करना जारी रखा। बैंक ने समय सीमा के भीतर लोगों और प्रक्रियाओं के सुचारु एकीकरण के माध्यम से अपने समामेलन अभ्यास को भी सफलतापूर्वक पूरा किया।

बैंकिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपार संभावनाएँ हैं। सबसे पहले बैंक अपना फोकस विविध प्रकार के क्रेडिट विकास पर रखेगा क्योंकि उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022-23 में एमएसएमई और रिटेल सेगमेंट से भारी मांग बढ़ेगी। ऋण वृद्धि में अपेक्षित वृद्धि के साथ, ब्याज आय में भी वृद्धि देखी जा सकती है। कासा वृद्धि भी उन क्षेत्रों में से एक है जहाँ बैंक उच्च लाभप्रदता के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। बेहतर परिणामों के लिए बैंक सहयोग और साझेदारी को भी बढ़ाएगा।

O. FUTURE BUSINESS PLAN OF THE BANK

Bank has been able to survive in all the tough conditions successfully with well-defined strategy. Bank during the year continued to provide superior banking experience to its customers. Bank also successfully completed its amalgamation exercise through smooth integration of people and processes within timeframe.

There has been immense opportunities awaiting the Banking sector going forward. First of all the Bank will keep its focus on the diversified credit growth as it is expected that the huge demand will erupt from MSME and Retail segment in FY 2022-23. With the expected pick up in the credit growth, interest income may also see an uptick. CASA growth is also one of the areas where the Bank will remain focused for higher profitability. The Bank would scale up collaborations and partnerships for better results.

आस्ति गुणवत्ता हमारे लिए चर्चा का विषय बनी रहेगी और बैंक एनपीए को कम रखने के लिए कार्रवाई उन्मुख योजना अपनाएगा ताकि कारोबार वृद्धि के लिए पूंजी उपलब्ध रहे। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि कोई नई गिरावट न हो जो वसूली के स्तर पर हमारे प्रयासों को विफल कर दे। सुदृढ़ वसूली के उपायों से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भी आस्ति गुणवत्ता में सुधार होगा। तनाव को पहले ही दूर करने के लिए विभिन्न प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के आधार पर सक्रिय चरणों के माध्यम से बैंक का मुख्य जोर ऋण निगरानी पर होगा।

डिजिटलीकरण पर, बैंक सुदृढ़ तकनीकी प्लेटफार्मों का निर्माण करना जारी रखेगा और सभी ग्राहकों को विशेष रूप से तकनीक की समझ रखने वालों को सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नवाचार करेगा। बैंक सुदृढ़ परिभाषित रणनीति के साथ उस पथ पर चलेगा ताकि शाखाओं की क्षमता का अधिकतम प्रयोग किया जा सके।

बैंक अपने एचआर को व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपना सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानता है और समग्र मानव संसाधन परिवर्तन के लिए इसे कौशल प्रदान करना जारी रखेगा। इसके अलावा, ग्राहक सेवा और ग्राहक सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी और बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों की जरूरतों का तत्काल और सकारात्मक तरीके से प्रतिउत्तर दिया जाए। बैंक का यह प्रयास होगा कि वह कम से कम शिकायतों के साथ ग्राहक हितैषी बैंक बना रहे।

पी. निदेशक मंडल

बैंक के मंडल में 31.03.2022 तक 05 पूर्णकालिक निदेशक अर्थात एक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और चार कार्यपालक निदेशक सहित कुल 11 निदेशक शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- ❖ श्री अज्ञेय कुमार आजाद ने 30.04.2021 को कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।
- ❖ डॉ. आशा भंडारकर शेयरधारक निदेशक ने 11.09.2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
- ❖ डॉ. रेखा जैन को दिनांक 12.09.2021 से बैंक के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया है।
- ❖ श्री कल्याण कुमार को दिनांक 21.10.2021 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ❖ श्री पंकज जोशी को दिनांक 21.12.2021 से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ❖ श्री संजीव कुमार सिंघल को दिनांक 21.12.2021 से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ❖ श्री सीएच एस.एस. मल्लिकार्जुन राव ने 31.01.2022 को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।
- ❖ श्री अतुल कुमार गोयल को दिनांक 01.02.2022 से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

Asset quality will continue to be the buzzword for us and the Bank will take up action oriented plans to keep the NPAs low so that the capital remains available for business growth. Strong recovery measures will be driving the improvement in Asset quality for FY' 2022-23 as well. The thrust area of the Bank would be credit monitoring through proactive steps on the basis of various early warning signals and address the stress upfront.

On Digitalization front, Bank will continue to build upon strong technological platforms and innovate to provide convenient banking services to all the customers especially tech savvy ones. Bank will tread the path with well delineated strategy so that the potential of the branches may be utilized to the maximum.

Bank considers its HR as its most important resource to drive the business growth and will continue to up skill it for holistic HR Transformation. Further, Customer Service and Customer convenience to be on the priority and Bank will ensure that customer needs are responded promptly and in a positive manner. It shall be the endeavor of the Bank to remain a customer friendly bank with minimal grievances.

P. BOARD OF DIRECTORS

Board of the Bank comprises of 11 Directors including 05 whole time Directors i.e. One Managing Director & CEO and four Executive Directors as on 31st March, 2022. During the Financial Year 2021-22, the following changes took place in the composition of Board of Directors:

- ❖ Shri Agney Kumar Azad completed his tenure as Executive Director on 30.04.2021.
- ❖ Dr. Asha Bhandarker, Shareholder Director, completed her tenure on 11.09.2021.
- ❖ Dr. Rekha Jain, has been elected as Shareholder Director on the Board of Bank w.e.f. 12.09.2021.
- ❖ Shri Kalyan Kumar has been appointed as Executive Director on the Board of Bank w.e.f. 21.10.2021.
- ❖ Shri Pankaj Joshi has been appointed as Part time Non-Official Director on the Board of Bank w.e.f. 21.12.2021.
- ❖ Shri Sanjeev Kumar Singhal has been appointed as Part time Non-Official Director on the Board of Bank w.e.f. 21.12.2021.
- ❖ Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao completed his tenure as MD & CEO on 31.01.2022.
- ❖ Shri Atul Kumar Goel has been appointed as MD & CEO w.e.f. 01.02.2022.

- ❖ श्री विवेक अग्रवाल, आरबीआई नामित निदेशक, ने 25.02.2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
- ❖ श्री अनिल कुमार मिश्रा को दिनांक 25.02.2022 (व्यावसायिक घंटों के बाद) से बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बोर्ड श्री अज्ञेय कुमार आज़ाद (कार्यपालक निदेशक), डॉ आशा भंडारकर (शेयरधारक निदेशक), श्री सीएच एसएस मल्लिकार्जुन राव (प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी) और श्री विवेक अग्रवाल (आरबीआई नामित निदेशक) द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करता है।

क्यू. निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च '22 को समाप्त हुए वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को बनाने में:

- महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हैं, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देते हुए लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बनाई गई लेखांकन नीतियों का दृढ़ अनुपालन किया गया है;
- यथोचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय व आंकलन किए गए हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक की स्थिति और 31 मार्च '22 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ को सही व स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके;
- भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को समुचित व पर्याप्त सावधानी के साथ रखा गया है; और;
- "कार्यशील संस्था" के सिद्धांत के आधार पर इन लेखाओं को तैयार किया गया है।

आर. आभार

बैंक को बहुमूल्य सहयोग एवं सतत संरक्षण प्रदान करने तथा इसमें अपना विश्वास बनाए रखने के लिए निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों, बैंक के ग्राहकों, आम जनता तथा शेयरधारकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है।

बैंक के सभी स्तरों पर कार्यरत स्टाफ द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान हेतु निदेशक मंडल उनकी सराहना करता है तथा भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी अनवरत सहभागिता की आशा करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

अतुल कुमार गोयल

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- ❖ Shri Vivek Aggarwal, RBI Nominee Director, completed his tenure on 25.02.2022.

- ❖ Shri Anil Kumar Misra has been appointed as RBI Nominee Director on the Board of Bank w.e.f. 25.02.2022 (After Business Hours).

The Board wishes to place on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri Agyey Kumar Azad (Executive Director), Dr. Asha Bhandarker (Shareholder Director), Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao (MD & CEO) and Shri Vivek Aggarwal (RBI Nominee Director).

Q. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March, 2022:

- The applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended 31st March, 22.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and;
- The accounts have been prepared based on the principle of "going concern".

R. ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Stock Exchanges, Bank's customers, Public and all other Stakeholders for valuable support, continued patronage and confidence reposed in the Bank.

The Board also placed on record its appreciation for the valuable contribution made by the members of the Bank's staff at all levels and looks forward to their continued involvement in achieving the future goals.

For and on behalf of Board of Directors

Atul Kumar Goel

Managing Director & CEO

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion & Analysis



pnb one
just one app

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

ए. उद्योग संरचना और विकास

वित्त वर्ष 2021-22 ने बार-बार आने वाली और विनाशकारी कोविड लहर, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और हाल ही में बढ़े हुए मुद्रास्फीति के दबाव जैसी कई चुनौतियों का सामना किया है। अर्थव्यवस्था ने विकसित होने का प्रयास किया, लेकिन कोविड महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन से वह बार-बार प्रभावित हुई है।

समाज के कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन पैकेज और राहत उपाय प्रदान करने में सरकार और नियामक की तत्काल प्रतिक्रिया ने दबाव को कम करने में मदद की है। नतीजतन, भारतीय अर्थव्यवस्था ने व्यापक आर्थिक झटकों के प्रति लचीलापन दिखाया है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग बरकरार रखा है। जारी किए गए अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक जीडीपी में 8.7 प्रतिशत वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2020-21 में संकुचन के बाद वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसका तात्पर्य यह है कि समग्र आर्थिक गतिविधि पूर्व-महामारी के स्तर पर आ गई है। हालांकि, रूस और यूक्रेन के बीच भूराजनीतिक तनाव नई चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं।

वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद, भारत में बैंकिंग उद्योग ऐतिहासिक रूप से विश्व स्तर पर सबसे स्थिर व्यवस्थाओं में से एक रही है। महामारी ने अप्रत्याशित तरीके से बैंक के लचीलेपन को परखा है, लेकिन बैंक सशक्त बनकर उभरे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता, सुदृढ़ पूंजी और प्रावधान बफर तथा बढ़ी हुई लाभप्रदता देखी हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में ऋण और जमा में तेजी आई।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऋण उठाव हुआ है। पिछले दो वर्षों में संकुचन के बाद औद्योगिक क्षेत्र का ऋण सकारात्मक हो गया है।

समाधान ढांचे (आरएफ) 2.0 के तहत दूसरी कोविड-19 लहर से प्रभावित संस्थाओं के लिए ऋणों के समय पर पुनर्गठन ने उन्हें मंदा से उबरने में मदद की है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने टियर I और II बॉन्ड सहित आंतरिक उपार्जन और पूंजी जुटाने के माध्यम से अपनी पूंजी को बढ़ाना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) नए शिखर स्तर पर पहुंच गया।

परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) ने अपने बढ़ते हुए प्रोफाइल को बनाए रखा, पीएसबी ने बहु-वर्षीय उच्च रिकॉर्ड दर्ज किया है। सभी बैंक समूहों में धन की लागत और परिसंपत्तियों पर लाभ में गिरावट आई है जिससे पिछले दो दशकों में यह अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रभावी प्रबंधन और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए राष्ट्रीय आस्ति पुनर्गठन कम्पनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) या बैंड बैंक को जुलाई 2021 में निगमित किया गया था। दिवालिया एवं शोधन संहिता (आईबीसी) और वित्तीय

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

A. Industry Structure & Developments

The financial year 2021-22 confronted many challenges like recurring and devastating COVID waves, supply chain disruptions and recently elevated inflationary pressures. The economy strived to expand but was time and again lashed by COVID induced lockdowns.

The government and the regulator's immediate response in providing stimulus packages and relief measures to the vulnerable sections of the society has helped alleviate the stress. Consequently, Indian economy has shown resilience to macroeconomic shocks and retains the tag of world's fastest growing economy. As per the provisional estimates released, Indian economy witnessed real GDP expansion of 8.7 per cent in FY 2021-22 and expected to grow at 7.2 per cent in FY 2022-23 after contracting in FY 2020-21. This implies that overall economic activity has recovered past the pre-pandemic levels. Though, the geopolitical tension between Russia and Ukraine pose fresh challenges.

The Banking industry in India has historically been one of the most stable systems globally, despite global upheavals. Bank's resilience was tested by the pandemic in an unforeseen way but banks have emerged stronger. Banks in FY 2021-22 witnessed improved asset quality, stronger capital and provision buffers and increased profitability. The credit and deposit growth accelerated in FY 2021-22.

During FY 2021-22 credit off-take has taken place in almost all major sectors compared to FY 2020-21. Industrial sector credit turned positive after contracting over the previous two years.

Timely restructuring of loans for the entities impacted by the second COVID-19 wave under Resolution Framework (RF) 2.0 helped them sail through the downturns.

Scheduled Commercial Banks (SCBs) continued to bolster their capital through a mix of internal accruals and capital raising, including Tier I and II bonds, resulting in the capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) rising to new peak levels.

The return on assets (RoA) and return on equity (RoE) maintained their rising profile, with Public Sector Banks (PSBs) recording multi-year highs. The cost of funds and yield on assets declined across bank groups to reach their lowest levels in the last two decades.

National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL) or bad bank was incorporated in July 2021 by the Reserve Bank of India (RBI) for effective management and resolution of the stressed assets. The initiative along with

आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) के साथ पहल से बैंकों को अपनी बैलेंस शीट को परिशोधित करने और उन्हें नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।

देश की अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाली आबादी को सरकार ने बैंकिंग दायरे के तहत लाने के लिए लक्षित विभिन्न पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया है।

आर्थिक गतिविधियों में तेजी के साथ वित्त वर्ष 2022–23 में बैंकिंग क्षेत्र के सकारात्मक विकास की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022–23 में आर्थिक वृद्धि 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की सीमा में होने का अनुमान है, जिसमें भा.रि.बैं. ने 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

आगे बढ़ते हुए, बैंकों को वित्तीय प्रणाली में उभर रहे टेक्टोनिक शिफ्ट – डिजिटलीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि, नवीन उत्पादों का आगमन, फिनटेक प्रतिस्पर्धियों द्वारा व्यवधान, प्रौद्योगिकियों के मेल और तेजी से परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के प्रसार को ध्यान में रखना होगा।

बी. अवसर

बैंकिंग क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण चरण में है जहां यह कोविड के झटके से उबर रही है और धीरे-धीरे विकास पथ पर अग्रसर हो रही है। बैंकों के पास सशक्त आधारभूत सिद्धांत हैं और वे भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण पिछले एक दशक में ऋण और बैंकिंग उत्पादों तक पहुंच में सुधार हुआ है। कामकाजी आबादी और खर्च करने योग्य आय में वृद्धि से बैंकिंग और संबंधित सेवाओं की मांग और बढ़ेगी।

सरकार कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है, और भुगतान के बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए पहल को प्रोत्साहित किया है। बैंकों ने इस प्लेटफॉर्म में अपनी पहुंच का विस्तार करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है क्योंकि ऑनलाइन लेनदेन में निरंतर वृद्धि हुई है और यह महामारी के बाद भी जारी रहने की संभावना है। मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम में सुविधाओं को बढ़ाने से भी प्रचालन दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली अन्य देशों की तुलना में सबसे तेजी से विकसित हुई है। प्रति माह यूपीआई लेनदेन की रिकॉर्ड संख्या इसका प्रमाण है।

खासकर टियर-2 शहरों और उसके बाहर डिजिटल रूप से विकसित होने के अवसर और संभावनाएं वस्तुतः असीमित हैं। शहरी और ग्रामीण भारत के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है, हालांकि, यह अंतर अपने आप में एक अवसर है।

यदि बैंक एनबीएफसी और फिनटेक के साथ विशेष रूप से मध्यम और निचले स्तर के शहरों के लिए मिलकर काम करते हैं तो अवसर

Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) will further support the banks to clean up their balance sheets and prepare them to finance fresh projects.

The government has consistently strived to promote financial inclusion through various initiatives targeted to bring the country's under-banked population under the banking gamut.

The banking sector is expected to have positive growth in FY 2022-23 with an uptick in the economic activity. The economic growth in FY 2022-23 is projected to be in the range of 7 - 8 per cent, with RBI projecting the growth at 7.2 per cent.

Going forward, banks need to take into account the tectonic shifts emerging in the financial system – phenomenal growth in digitization, advent of innovative products, disruption by Fintech players, fusion of technologies and proliferation of increasingly intertwined ecosystems.

B. Opportunities

The banking sector is pivotal to the economic growth of India. The economy is at a crucial stage where it is recouping from the COVID shock and is gradually treading onto the growth path. Banks have strong fundamentals and are well positioned to play the part.

Access to credit and banking products has improved over the past decade on the back of sustained efforts by the government. Increase in working population and growing disposable income will further raise the demand for banking and related services.

The government is keen to drive cashless transactions, and has encouraged initiatives to improve payment infrastructure, leveraging the internet and mobile technology. Banks have ramped up their efforts to expand their footprints in this platform since there has been continued uptick in online transactions and it is likely to continue even after the pandemic. Mobile, internet banking and extension of facilities at ATMs will also help improve the operational efficiency.

The digital payments system in India has evolved the fastest amongst the countries. It is evident from the record number of UPI transactions per month.

The opportunities and potential to grow digitally are virtually unlimited, especially in tier-2 towns and beyond. There is still a huge gap between the urban and rural India, however, the gap itself is an opportunity map.

The opportunities are unlimited if the Banks collaborate with NBFCs and Fintechs especially for middle and lower tier cities. Banks will benefit as they will get access to new

असीमित हैं। बैंकों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें नए ग्राहकों तक पहुंच प्राप्त होगी, वे फिनटेक की डिजिटल क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं और ग्राहकों को बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान कर सकते हैं। फिनटेक बैंक की सुरक्षा, बैंकिंग संरचना पर लोगों के भरोसे और बैंकों के जोखिम विश्लेषण से लाभ उठा सकता है। इस प्रकार, वित्तीय पहुंच बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास करने से बैंकों और एनबीएफसी की संबंधित तुलनात्मक विशेषताओं का लाभ उठाया जा सकता है।

उपभोक्तावाद में वृद्धि, ई-कॉमर्स की बढ़ती पैठ और अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण से कार्ड और डिजिटल वॉलेट के उपयोग को और बढ़ावा मिलेगा।

आज के परिदृश्य में डेटा को नया तेल माना जाता है। आज, ग्राहक डेटा केवल ब्यूरो, क्रेडिट एजेंसियों और बैंक स्टेटमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर एक की जेब में मौजूद मोबाइल फोन से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हाइपर पर्सनलाइजिंग अनुभव के संबंध में डेटा की अधिकता जो सामने आ रही है वह उपयोग के मामले में केवल क्रेडिट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्राहक के जीवनचक्र पर भी प्रभाव डाल रही है।

विविध एजेंसियों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में होने का अनुमान है। विकास में तेजी के रूप में अर्थव्यवस्था में बढ़ते निवेश और खपत की मांग के कारण ऋण वृद्धि बढ़ने की उम्मीद है।

विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत के बाद से लगातार बढ़ रहा है। प्रथम तिमाही वित्त वर्ष 2021-22, द्वितीय तिमाही वित्त वर्ष 2021-22 और तृतीय तिमाही वित्त वर्ष 2021-22 में, सीयू क्रमशः 60.0 प्रतिशत, 68.3 प्रतिशत और 72.4 प्रतिशत था। जैसे-जैसे क्षमता उपयोग बढ़ेगा, कॉरपोरेट नई परियोजनाओं में निवेश करने के लिए अधिक ऋण लेंगे।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) पीएम गति शक्ति के साथ, आर्थिक विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण और विभागीय साइलो को तोड़ने के उद्देश्य से सतत विकास, अधिक समग्र और एकीकृत योजना लाएगा जो परियोजना निष्पादन को और तेज करेगा।

इससे विशेष रूप से लंबी अवधि के ऋणों में ऋण मांग में वृद्धि होगी।

सी. खतरे

यहां तक कि वित्त वर्ष 2022-23 में भी ऋण वृद्धि का दृष्टिकोण सकारात्मक दिख रहा है, मौजूदा मुद्रास्फीति के रुझान खेल को बिगाड़ सकते हैं क्योंकि दरों में बढ़ोतरी का ऋण मांग पर प्रभाव पड़ सकता है, बुरे दौर से बाहर आ रही है।

अस्थिर ब्याज दर परिदृश्य के बीच मार्जिन को बनाए रखने के लिए बैंकों को अपनी जमा और उधार दरों के प्रबंधन में सक्रिय रहना होगा।

customers, can make use of the Fintech's digital capabilities and provide a better digital experience to the customers. The Fintech can benefit via the bank's safety, trust people have on the banking structure and the risk analytics of the banks. Thus, the respective comparative advantages of the banks and NBFCs can be leveraged in a collaborative effort to raise the financial reach.

An increase in consumerism, the rising penetration of e-commerce and the formalisation of the economy will further propel the use of cards and digital wallets.

Data is considered as the new oil in today's scenario. Today, customer data is not just limited to bureaus, credit agencies and bank statement but can be easily derived from the mobile phones each one has in its pocket. The deluge of data which is coming and the use cases are not just restricted to credit but across the customer lifecycle in terms of hyper personalizing the experience.

According to various agencies, credit growth is expected to be in double digits in FY 2022-23. The credit growth is expected to rise on the back of increased investment and consumption demand in the economy as growth rallies.

Capacity Utilisation (CU) in the manufacturing sector is continuously on the rising trend since the beginning of the FY 2021-22. In Q1 FY 2021-22, Q2 FY 2021-22 and Q3 FY 2021-22, CU was 60.0 per cent, 68.3 per cent and 72.4 per cent respectively. As capacity utilization rises, the corporates will lend more to invest in fresh projects.

Further, National Infrastructure Pipeline (NIP) along with PM Gati Shakti, a transformative approach for economic growth and sustainable development with an aim to break departmental silos, will bring in more holistic and integrated planning which will further speed up project execution.

This will lead to enhance credit demand particularly in longer term loans.

C. Threats

Even as the outlook of credit growth looks positive in FY 2022-23 also, the current inflation trends could play a spoilsport as rate hikes could have a dampening impact on credit demand just as the economy has been turning round the corner.

Banks will have to be proactive in managing their deposits and lending rates so as to maintain the margins amid volatile interest rate scenario.

नए प्रकार के फिनटेक और बिगटेक ने बैंकिंग परिदृश्य में प्रवेश किया है और बाजार को बाधित करने की क्षमता रखते हैं। आगे बढ़ते हुए, बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल बाधा से बचे रहना है।

बैंकों को प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, जोखिम साझा करने और बैंकों तथा गैर-बैंक उधारदाताओं के बीच तालमेल को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए।

डेटा संचालित निर्णय लेने वाले मॉडल बनाने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट और सेटअप की आवश्यकता होती है क्योंकि यह बैंक को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करेगा। डेटा बैंक की रणनीति के लिए मूल होना चाहिए और केवल सक्षम बनाने के रूप में सीमित नहीं होना चाहिए।

डिजिटल मोड को अधिक से अधिक अपनाने के कारण साइबर जोखिम एक बड़ा जोखिम है। साइबर जोखिम को कम करने के लिए निवेश बढ़ाने की जरूरत है।

क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ई-वॉलेट्स आदि जैसी लगातार विकसित हो रही डिजिटल आस्तियों से बैंकों को भी खतरा है। बैंकों को आधुनिक बने रहने के लिए विचार करना होगा और रणनीति बनानी होगी।

डी. खंड-वार या उत्पाद-वार प्रदर्शन

बैंक के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण नीचे किया गया है:

i. संसाधन जुटाना

मार्च 2022 के अंत में, बैंक की घरेलू जमा राशियाँ बढ़कर रु.11,25,049 करोड़ हो गईं। बचत जमा राशि बढ़कर रु.4,51,680 करोड़ हो गई, जबकि चालू जमा राशि बढ़कर रु.81,974 करोड़ हो गई। मार्च 2022 के अंत में, घरेलू जमा में कासा जमा का हिस्सा मार्च 2021 की तुलना में 45.48 प्रतिशत से बढ़कर 47.43 प्रतिशत रहा।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मौजूदा बैंकिंग परिदृश्य में, खुदरा बैंकिंग उत्पाद बैंक की व्यावसायिक वृद्धि को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, बैंक ने सहायक उत्पादों की पहचान की है और इस सेगमेंट के तहत अधिक से अधिक व्यवसाय जुटाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कासा सेगमेंट के तहत ग्राहक विशिष्ट खंड के अंतर्गत अर्थात् पीएनबी माई सैलेरी एकाउंट में जमा राशि बढ़कर रु. 22,227 करोड़ हो गई, पीएनबी पावर सेविंग (महिलाओं के लिए) खाता में जमा राशि बढ़कर रु.8,482 करोड़ हो गई तथा पीएनबी रक्षक प्लस की जमा राशि बढ़कर रु.2,031 करोड़ रुपये हो गई।

इसके अलावा, सावधि जमा के तहत, पीएनबी सुगम सावधि जमा योजना की पहचान एक सहायक उत्पाद के रूप में की गई है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में जमा राशि रु. 2,07,975 करोड़ से बढ़कर रु.2,53,519 करोड़ हो गई।

New kinds of FinTechs and BigTechs have entered the banking landscape and have the potential to disrupt the market. Going ahead, the biggest challenge for banks lies in surviving the digital disruption.

Banks instead of competing, should collaborate with them for risk sharing and facilitating the synergies between banks and non-bank lenders.

Business Intelligence Units and setup is required to create data driven decision making models as it will provide competitive advantage to the Bank. Data should be core to the strategy of the Bank and should not just be limited as an enabler.

Cyber risk is a greater risk given the greater adoption of digital modes. There is a need to enhance investment to mitigate the cyber risk.

Banks are also facing threat from the continuously evolving digital assets like crypto currencies, smart contracts, e-wallets etc. Banks will have to think and strategize to stay modernised.

D. Segment-wise or Product wise Performance

The performance of major business segments of the Bank is analyzed below:

i. Resource Mobilization

The domestic deposits of the Bank increased to Rs. 11,25,049 Crore as at the end of March 2022. Savings Deposit increased to Rs. 4,51,680 Crore, while Current Deposit increased to Rs. 81,974 Crore. The share of CASA deposit to domestic deposit increased to 47.43 per cent as at end of March 2022 from 45.48 per cent as at end of March 2021.

In the current banking scenario of mounting competition, Retail Banking products play a major role in enhancing the business growth of the Bank. In order to remain competitive, Bank has identified anchor products and special focus is given to mobilize more business under this segment. The deposit under customer specific segment viz PNB mySalary account increased to Rs. 22,227 Crore, PNB Power Savings (for women) account increased to Rs. 8,482 Crore and PNB Rakshak Plus increased to Rs. 2,031 Crore under CASA segment.

Further, under Term Deposit, PNB Sugam Term Deposit scheme has been identified as an anchor product, where the deposit increased to Rs. 2,53,519 Crore from the level of Rs. 2,07,975 Crore in the previous year.

नई योजनाएं:

बैंक ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निम्नलिखित नई जमा योजनाएं शुरू की हैं:

- पीएनबी सिलेक्ट सेविंग स्कीम: जेन वाई यानि 25-40 आयु वर्ग के लिए।
- पीएनबी सीए-पीओएस (चालू खाता- बिक्री का बिंदु) योजना: टियर 1-2 और टियर 3 से टियर 6, उत्तर पूर्व और जम्मू-कश्मीर को लक्षित करने वाले दो प्रकारों के साथ शुरू की गई।
- पीएनबी ट्विन (सीए+एसएफ) खाता: एक योजना के तहत बचत और चालू खाते का दोहरा लाभ।

ii. ऋण परिणियोजन और वितरण

मार्च 2022 में बैंक का सकल घरेलू अग्रिम रु.7,59,214 करोड़ रहा। बाह्य रेटिंग 'ए' और उससे ऊपर की रेटिंग के साथ की गई नई स्वीकृतियाँ, स्वीकृतियों का एक बड़ा हिस्सा हैं। इसी प्रकार, बैंक ने अपने एक्सपोजर की गुणवत्ता में सुधार किया है, जैसा कि मार्च 2022 के अंत में घरेलू ऋण जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) में रु.4,88,969 करोड़ की गिरावट से संकेत मिलता है।

समग्र टीएटी को कम करने, मूल्यांकन की दक्षता में सुधार करने, सेवा वितरण के साथ खातों की केंद्रित निगरानी के लिए गुंजाइश प्रदान करने हेतु कुशल कर्मचारियों से लैस संरचना के 2 स्तरों के माध्यम से ऋण के वितरण पर केंद्रित संशोधित कॉर्पोरेट ऋण संगठनात्मक संरचना बनाई गई है। इस 2 स्तरीय संरचना को देश के विभिन्न भागों में खोली गई 16 अत्यंत वृहद कार्पोरेट शाखा(ईएलसीबी)/ वृहद कार्पोरेट शाखा (एलसीबी) द्वारा लागू किया जा रहा है। ये 16 ईएलसीबी/एलसीबी कुल घरेलू ऋण का लगभग 44.51% निर्मित करते हैं।

प्रधान कार्यालय में विभिन्न ऋण अनुमोदन समितियों द्वारा 1.81 लाख करोड़ रुपये की राशि के ऋण (नए / वृद्धि) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत किए गए हैं।

iii. खुदरा ऋण

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक का कुल खुदरा ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर 1,39,593 करोड़ रुपये हो गया। इसमें से कोर रिटेल क्रेडिट बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में रु.1,19,204 करोड़ हो गया।

कोर रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो के भीतर, आवासीय ऋण बढ़कर रु. 73,805 करोड़, कार/वाहन ऋण बढ़कर रु. 12,615 करोड़ हो गया और बंधक ऋण रु. 12,232 करोड़ पर था।

नई पहल:

- बैंक सभी नए और अधिग्रहण मामलों के लिए गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और व्यक्तिगत ऋण जैसे विभिन्न खुदरा क्षेत्रों में सर्वोत्तम ब्याज दरों में से एक की पेशकश कर रहा है।

New Schemes:

Bank has launched following new deposit schemes for various segments of the society:

- PNB Select Saving Scheme: For Gen Y i.e. 25-40 years of age.
- PNB CA-POS (Current Account- Point of Sale) Scheme: Launched with two variants targeting Tier 1-2 & Tier 3 to Tier 6, North East and J&K.
- PNB Twin (CA+SF) Account: Dual benefit of Saving & Current account under one scheme.

ii. Credit Deployment and Delivery

Gross Domestic Advances of the Bank stood at Rs. 7,59,214 Crore in March 2022. Fresh Sanctions with external rating 'A' and above formed a major part of the sanctions. Similarly, Bank has improved its quality of exposures as indicated by a decline in Credit Risk-Weighted Assets (RWA) to Rs. 4,88,969 Crore as at the end of March 2022.

Corporate Credit organizational structure focused on delivery of credit through 2 tier of structure equipped with skilled staff has been created to reduce overall TAT, to improve efficiency of appraisal, provide scope for focused monitoring of accounts along with service delivery. This 2 tier structure is being catered by 16 Extra Large Corporate Branches (ELCBs)/ Large Corporate Branches (LCBs), opened in different parts of the country. These 16 ELCBs/LCBs constitute 44.51 per cent of total domestic credit.

A sum of Rs. 1.81 Lakh Crore has been sanctioned (fresh/enhancement) during FY 2021-22 by different Credit Approval Committees at Head Office.

iii. Retail Credit

During the FY 2021-22, Total Retail Credit portfolio of the Bank increased to Rs. 1,39,593 Crore. Out of this, the Core Retail Credit has increased to Rs. 1,19,204 Crore in FY 2021-22.

Within the Core Retail Credit Portfolio, Housing Loan increased to Rs. 73,805 Crore, Car/Vehicle Loan increased to Rs. 12,615 Crore and the Mortgage Loan was at Rs. 12,232 Crore.

New Initiatives:

- Bank is offering one of the best-in-class rate of interests in various retail segments like Home loans to all fresh and takeover cases, Vehicle loans, Education loans and Personal loans.

- लीड जनरेशन के लिए प्रतिष्ठित बिल्डरों और संपत्ति खोज साइटों के साथ गठबंधन।
- व्यक्तिगत ऋण खंड के तहत हमारे मौजूदा ग्राहकों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नया सेगमेंट जोड़ा गया है, अर्थात् वर्धित राशि अर्थात् रु. 20 लाख (मौजूदा रु.10 लाख से) और लंबी चुकौती अवधि अर्थात् 72 माह तक (मौजूदा 60 माह से) के साथ पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण।
- पीएनबी गृह ऋण – भूमि और मकान के निर्माण के समग्र ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समग्र ऋण योजना शुरू की गई है।
- आकर्षक ब्याज दर और लंबी चुकौती अवधि की पेशकश करते हुए एक नई योजना पीएनबी ग्रीन कार शुरू की गई है।
- बैंक ने 8 कार निर्माताओं जैसे मारुति, होंडा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर्स, टोयोटा, हुंडई और एमजी हेक्टर के साथ कार ऋण के लिए गठबंधन किया है और इस तरह कार बिक्री बाजार के लिए 85 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को कवर किया है।
- गोल्ड ऋण बकेट को बढ़ाने के लिए ब्याज दर को प्रतिस्पर्धी बनाया गया है।

डिजिटल पहल:

- पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण यात्रा को अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए, यात्रा को और अधिक संक्षिप्त बना दिया गया है और अब इसे पीएनबी वन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।
- फिनटेक प्रभाग के समन्वय से पेंशनभोगियों के लिए पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण की सम्पूर्ण डिजिटल यात्रा शुरू की गई है।

iv. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र, कृषि और उप-क्षेत्रों की बकाया स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि रु. करोड़ में)

बकाया स्थिति	31.03.2022
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	2,83,712
जिसमें से:	
कृषि क्षेत्र को ऋण	1,22,708
छोटे और सीमांत किसानों को ऋण	65,979
सूक्ष्म उद्यमों को ऋण	53,963
कमजोर वर्गों को ऋण	90,002

लक्ष्य प्राप्ति: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि और अन्य उप-क्षेत्रों के राष्ट्रीय लक्ष्यों के तहत बैंक की उपलब्धि निम्नानुसार है:

- Tie-ups with reputed builders and property search sites for lead generation.
- Under Personal Loan segment in order to meet the emergent needs of our existing customers new segment has been added i.e personal loan to professional with enhanced amount i.e upto Rs. 20 Lakh (from existing Rs. 10 Lakh) and longer repayment period i.e upto 72 months (from existing 60 months).
- PNB Home Loan – Composite Loan scheme has been launched to meet the need for composite loan of Land and construction of House.
- A new scheme PNB Green Car has been launched offering attractive rate of interest and longer repayment period.
- Bank is having Tie Ups for Car loans with 8 Car manufacturers namely Maruti, Honda, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Force Motors, Toyota, Hyundai and M G Hector & thereby covered 85 per cent of market share for Car sales market.
- In order to increase Gold Loan bucket, rate of interest has been made competitive.

Digital Initiatives:

- In order to make pre-approved Personal Loan digital journey more user friendly, the process has been made more concise and is now made available in PNB ONE platform.
- End to end digital journey of pre-approved Personal Loan to pensioners have been started.

iv. Priority Sector

The outstanding position of Priority Sector, Agriculture and sub-sectors as on 31st March, 2022 is as under:

(Amt. Rs. in Crore)

Outstanding Position	31.03.2022
Priority Sector Credit	2,83,712
Out of which:	
Loan to Agriculture Sector	1,22,708
Loan to Small & Marginal Farmers	65,979
Loan to Micro Enterprises	53,963
Loan to Weaker Sections	90,002

Goals Achievement: Bank's achievement under National Goals of Priority Sector, Agriculture and other sub-sectors for FY 2021-22 are as under:

राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति (तिमाही वार्षिक औसत आधार)

समायोजित निवल बैंक ऋण का प्रतिशत (एएनबीसी)	लक्ष्य (प्रतिशत में राष्ट्रीय लक्ष्य)	31.03.2022
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	40.00%	42.42%
जिसमें से:		
कृषि क्षेत्र को ऋण	18.00%	18.35%
छोटे और सीमांत किसानों को ऋण	9.00%	9.87%
सूक्ष्म उद्यमों को ऋण	7.50%	8.07%
कमजोर वर्गों को ऋण	11.00%	13.46%

वित्त वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन की मुख्य बातें:

- ❖ प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण मार्च 2022 को रु.2,83,712 करोड़ रहा। एएनबीसी में से प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 40 प्रतिशत की तुलना में 42.42 प्रतिशत है।
- ❖ कृषि क्षेत्र को ऋण मार्च 2022 को रु.1,22,708 करोड़ रहा। एएनबीसी में से कृषि क्षेत्र के अग्रिमों का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 18 प्रतिशत की तुलना में 18.35 प्रतिशत है।
- ❖ छोटे/सीमांत किसानों (एसएफ/एमएफ) को ऋण मार्च 2022 को रु.65,979 करोड़ रहा। एएनबीसी में से छोटे/सीमांत किसानों को अग्रिम प्रदान किए जाने का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 9 प्रतिशत की तुलना में 9.87 प्रतिशत है।
- ❖ सूक्ष्म (पीएस) उद्यमों को ऋण मार्च 2022 को रु. 53,963 करोड़ रहा। एएनबीसी में से सूक्ष्म (पीएस) उद्यमों को अग्रिम प्रदान किए जाने का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 7.50 प्रतिशत की तुलना में 8.07 प्रतिशत है।
- ❖ कमजोर वर्ग को अग्रिम मार्च 2022 को रु.90,002 करोड़ रहा। एएनबीसी के 11 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में यह उपलब्धि 13.46 प्रतिशत है।
- ❖ अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान किया गया बैंक ऋण मार्च 2022 के अंत में ₹27,072 करोड़ रहा।
- ❖ मार्च 2022 के अंत में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को प्रदान किया गया बैंक ऋण रु.6,664 करोड़ रहा।

कृषि को बढ़ाने की रणनीतियाँ:

- ❖ केंद्र प्रायोजित बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष आदि पर ध्यान दें।
- ❖ ब्याज दरों, मार्जिन और सुरक्षा मानदंडों में छूट।
- ❖ संपूर्ण डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और किसान तत्काल के माध्यम से ग्राहक यात्रा का डिजिटलीकरण।

Achievement Of National Goals (Quarterly Annual Average Basis)

Percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC)	Target (National Goal in Percentage)	31.03.2022
Priority Sector Credit	40.00%	42.42%
Out of which:		
Loan to Agriculture Sector	18.00%	18.35%
Loan to Small & Marginal Farmers	9.00%	9.87%
Loan to Micro Enterprises	7.50%	8.07%
Loan to Weaker Sections	11.00%	13.46%

Performance Highlights of FY 2021-22:

- ❖ Credit to Priority Sector stood at Rs. 2,83,712 Crore as on March 2022. The percentage of Priority Sector Advances to ANBC is 42.42 per cent as against the prescribed National Goal of 40 per cent.
- ❖ Credit to Agriculture sector stood at Rs. 1,22,708 Crore as on March, 2022. The percentage of Agriculture Advances to ANBC is 18.35 per cent against the prescribed National Goal of 18 per cent.
- ❖ Loans to Small/Marginal Farmers (SF/MF) stood at Rs. 65,979 Crore as on March 2022. The percentage of advances to SF/MF to ANBC is 9.87 per cent as against the prescribed National Goal of 9 per cent.
- ❖ Credit to Micro (PS) Enterprises stood at Rs. 53,963 Crore as on March 2022. The percentage of advance to Micro (PS) Enterprises to ANBC is 8.07 per cent as against the prescribed National Goal of 7.50 per cent.
- ❖ Advances to Weaker Section stood at Rs. 90,002 Crore as on March 2022. The achievement is 13.46 per cent as against National goal of 11 per cent of ANBC.
- ❖ Bank credit to Minority Communities stood at Rs. 27,072 Crore, as at the end of March 2022.
- ❖ As at the end of March 2022, Bank credit to SC/ST Community stood at Rs. 6,664 Crore.

Strategies to enhance Agriculture:

- ❖ Focus on centrally sponsored infrastructure development schemes like Agriculture Infrastructure Fund, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund etc.
- ❖ Relaxation in interest rates, margin and security norms.
- ❖ Customer Journey Digitization through end-to-end digital Kisan Credit Card (KCC) and Kisan Tatkal.

- ❖ लीड जनरेशन के लिए एग्री-टेक पार्टनरशिप।
- ❖ क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत गहन वित्तपोषण।
- ❖ स्वर्ण आभूषणों के लिए कृषि ऋण पर जोर।
- ❖ केसीसी का किसान ऋण में रूपांतरण।
- ❖ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के तहत वित्त पोषण पर ध्यान दें।
- ❖ क्रेडिट ड्राइविंग के लिए कारोबार प्रतिनिधि नेटवर्क का उपयोग करना।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर गतिविधियाँ):

- ❖ **कृषक प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी):** बैंक ने 12 कृषक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये हैं। एफटीसी कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा कम्प्यूटर, कटिंग और सिलाई/कढ़ाई और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 55,017 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 16,44,102 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। ये प्रशिक्षण केंद्र किसानों के खेतों में मृदा परीक्षण सुविधाओं वाली मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के ऑडियो विजुअल प्रदर्शन के लिए एलईडी से लैस है। बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इसके तहत रु.475.72 लाख व्यय किए हैं।
- ❖ **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरएसईटीआई):** भारत में 76 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी उपक्रम) चल रहे हैं, जो कि ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्व-रोजगार उद्यम/रोजगार चलाने हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, इन केंद्रों में 41,718 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें से 27,380 बीपीएल परिवारों से सम्बद्ध थे और 32,948 महिलाएं थी। स्थापना के बाद से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 4,92,418 हैं, जिनमें से 2,06,241 बीपीएल परिवारों से और 3,15,856 महिलाएं थी। हमारे आरएसईटीआई समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों को बसाने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्थापना के बाद से कुल 3,32,028 उम्मीदवार बसाए गए हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इसके तहत रु. 2753.97 लाख व्यय किए हैं।
- ❖ **वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी):** बैंक में 175 वित्तीय साक्षरता केंद्र कार्य कर रहे हैं। 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान कुल पूछताछ की संख्या 2,20,694 है। 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर एफएलसी द्वारा आयोजित संगोष्ठियों / कार्यक्रमों / शिविरों की कुल संख्या 7,387 है और इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 2,94,473 है।
- ❖ **पीएनबी विकास योजना:** पीएनबी विकास का उद्देश्य अन्य हितधारकों के समन्वय से अंगीकृत गांवों को समग्र रूप से विकसित करना है, जिसमें ऋण की उपलब्धता, डिजिटलीकरण और वित्तीय साक्षरता के अलावा आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा विकास और

- ❖ Agri-tech partnership for lead generation.
- ❖ Intensive financing under cluster approach.
- ❖ Thrust on Agri Loan against Gold Ornaments/Jewellery.
- ❖ Conversion of KCC to Kisan Gold.
- ❖ Focus on Financing under Self Help Groups (SHGs).
- ❖ Using Business Correspondent Network for Driving Credit.

Corporate Social Responsibility (CSR) Activities:

- ❖ **Farmers Training Centres (FTCs):** Bank has established 12 Farmers Training Centres. The FTCs are providing free of cost training on agriculture & allied activities and also for computers, cutting & tailoring/embroidery and entrepreneurship development programs. Since inception, FTCs have imparted training to 16,44,102 persons by conducting 55,017 training programs. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. The Bank spent Rs. 475.72 Lakh under this during FY 2021-22.
- ❖ **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):** There are 76 RSETIs (under aegis of MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill up-gradation to undertake self-employment ventures/jobs. During the FY 2021-22, 41,718 persons were trained in these centers out of which 27,380 belong to BPL families and 32,948 were women. Total number of trained candidates since inception is 4,92,418 out of which 2,06,241 were from BPL families and 3,15,856 were women. Our RSETIs are focusing for settlement of participants by ensuring adequate credit for inclusive growth. Total settled candidates are 3,32,028 since inception. The Bank spent Rs. 2,753.97 Lakh under this during FY 2021-22.
- ❖ **Financial Literacy Centres:** Bank has 175 Financial Literacy Centers. Total number of enquiries made during the period from 1st April, 2021 to 31st March, 2022 is 2,20,694. Total number of seminars/programmes/camps conducted by FLCs on Financial Education, Preventive Counselling and Customer Rights from 1st April, 2021 to 31st March, 2022 is 7,387 and number of persons attended these programs are 2,94,473.
- ❖ **PNB Vikas Scheme:** The objective of PNB VIKAS is to develop the adopted village in a holistic manner, which includes their economic development, infrastructure development and other aspects of human development e.g. sanitation, drinking water supply, education, electricity, health,

मानव विकास के अन्य पहलू जैसे स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य आदि शामिल है। वर्तमान में हमारे बैंक ने इस योजना के तहत 295 गांवों को गोद लिया है।

- ❖ **पीएनबी लाडली:** यह योजना ग्रामीण /अर्ध शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं के बीच शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये है। इस योजना के तहत, बैंक प्रत्येक पहचाने गए गांव की 10 जरूरतमंद छात्राओं को शिक्षा इनपुट हेतु ₹2500/- एकमुश्त और ₹100/- प्रतिमाह जेब खर्च भत्ते के रूप में प्रदान कर रहा है। चयनित बालिकाओं को 12वीं कक्षा पूरी होने तक हर साल यह सहायता मिलती रहेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 435 बालिका छात्राओं के बीच ₹8.47 लाख का वितरण किया गया।

अब तक हमने इस योजना के तहत 31 मार्च, 2022 तक 10,126 लड़कियों को ₹184.34 लाख वितरित किए हैं।

- ❖ **पीएनबी किसान बालक शिक्षा प्रोत्साहन योजना:** योजना गरीब कृषि उधारकर्ताओं (जिसमें छोटे किसान, सीमांत किसान, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार और कृषि श्रमिक शामिल हैं) के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, वे पात्र हैं बशर्ते उनका ऋण खाता नियमित चल रहा हो। स्थापना के बाद से, योजना के तहत मार्च 2022 तक 1,553 छात्रों को ₹47.98 लाख प्रोत्साहन के रूप में दिये गये हैं।

v. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई क्षेत्र हमारे औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ है और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि इंजन है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है, नवाचार को प्रेरित करता है और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है।

मार्च 2022 के अंत तक, एमएसएमई खंड को ₹1,25,032 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अग्रिम राशि ₹98,067 करोड़ थी, जिसमें सूक्ष्म खंड में ₹54,643 करोड़ बकाया था।

मुद्रा: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएमएमवाई के तहत आवंटित बजट ₹13,600 करोड़ रुपये था। काविड-19 के प्रभाव के बावजूद बैंक ने अपने वार्षिक बजट का 108.49 प्रतिशत प्राप्त किया है।

1. एमएसएमई व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु की जा रही पहलों का विवरण

1.1. बैंक/भारत सरकार द्वारा की गई कोविड-19 संबंधी पहल और कार्यान्वयन की स्थिति:

- (ए) **गारंटीकृत आपातकालीन ऋण व्यवस्था (जीईसीएल) सुविधा:** यह योजना कोविड -19 महामारी से प्रभावित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 4 चरणों (जीईसीएल 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0) में क्रियान्वित की गई थी। 31.03.2022 तक, बैंक ने ₹20,616 करोड़ की राशि के 4,48,029 खातों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से ₹17,887 करोड़ की राशि के 2,02,580 खातों का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा, भारत सरकार ने योजना की वैधता को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है। यह विस्तार

etc. besides access to credit, digitalization and Financial Literacy. Presently, Bank has adopted 295 villages under the scheme.

- ❖ **PNB LADLI:** The Scheme is meant for popularization of education among girls of Rural/Semi Urban areas. Under the scheme, Bank is providing for education inputs of Rs. 2,500 in lump sum and Rs. 100 per month as pocket allowance to 10 needy girl students of each identified village. Selected girls will continue to get support every year till they complete 12th class. During FY 2021-22, Rs. 8.47 Lakh was distributed amongst 435 girl students.

So far, Bank has distributed Rs. 184.34 Lakh to 10,126 girls under this scheme upto 31st March, 2022.

- ❖ **PNB KISAN BALAK SHIKSHA PROTSAHAN YOJANA:** The Scheme has been launched to provide financial assistance to the students of poor agriculture borrowers (comprising of small farmers, marginal farmers, tenant farmers, oral lessees and agriculture labour) and are eligible provided their loan account is running regular. Since inception, Rs. 47.98 Lakh has been given as incentive to 1,553 students up to March 2022 under the scheme.

v. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

The MSME sector forms the backbone of our industrial sector and is an important growth engine for the economy that promotes entrepreneurship, inspires innovation and boosts employment generation.

As at the end of the March 2022, credit to MSME segment stands at Rs. 1,25,032 Crore. The advance to Micro and Small Enterprises stood at Rs. 98,067 Crore with outstanding in Micro segment at Rs. 54,643 Crore.

Mudra: The budget allotted under PMMY for FY 2021-22 was Rs 13,600 Crore. Bank has achieved 108.49 per cent of its annual budget despite the impact of COVID-19.

1. Details of initiatives being taken to boost MSME business:

1.1. COVID-19 related initiatives taken by the Bank/Gol and status of implementations:

- a. **Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) scheme:** The scheme was implemented in 4 phases (GECL 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0) to support the various business activities affected by COVID-19 pandemic. As on 31st March, 2022, Bank has sanctioned 4,48,029 accounts amounting to Rs. 20,616 Crore, out of which 2,02,580 accounts have been disbursed amounting to Rs. 17,887 Crore. Further, Gol has extended the validity of the scheme upto 31st March, 2023. This

एमएसएमई को अपने परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए और ऋण सहायता प्रदान करेगा।

(बी) **दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना(सीजीएसएसडी):** एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने सीजीटीएमएसई के माध्यम से तनावग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों को व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध इक्विटी के रूप में निवेश के लिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने हेतु "गौण ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी)" शुरू की, जो तनावग्रस्त एमएसएमई अग्रिमों के पुनर्गठन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन हेतु पात्र हैं। 31 मार्च, 2022 तक ₹20.65 करोड़ राशि के 238 खातों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से ₹15.20 करोड़ राशि के 175 खातों में वितरण किया जा चुका है। योजना की वैधता को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

(सी) **पीएम सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केन्द्र सरकार की योजना है, जिसे सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का वित्त प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो इस क्षेत्र लिए आर्थिक वृद्धि के नए द्वार खोलेगी। यह योजना 2 जुलाई, 2020 को शुरू की गई थी और यह 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में बिक्री में लगे सभी सड़क विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है।

इसके अलावा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहले के ऋण की समय पर चुकोती पर पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को एक बढ़ा हुआ ऋण (20,000 रुपये की दूसरी किश्त) प्रदान करने के लिए मौजूदा योजना के लाभ को बढ़ाया है। 31 मार्च, 2022 तक 2,21,780 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,15,766 संवितरित किए जा चुके हैं।

(डी) **मुद्रा-शिशु ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर ब्याज अनुदान योजना:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत प्रदान किए गए शिशु ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान योजना तैयार की है। 31 मार्च, 2022 तक, ब्याज अनुदान के लिए 3,57,630 खातों में 14.30 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

(ई) **अग्रिमों की पुनर्गठन- समाधान ढांचा 2.0 (आरबीआई अधिसूचना दिनांक 05.05.2021):** कोविड-19 महामारी के फिर से बढ़ने के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं को देखते हुए, आरबीआई ने 5 मई, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से आस्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन के लिए उपरोक्त सुविधा प्रदान की। तदनुसार, बैंक ने एमएसएमई के कोविड-19 संबंधित दबाव के समाधान के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी।

बैंक वसूली के साथ-साथ एनपीए या दबाव के तहत आने वाली पात्र इकाइयों में समाधान ढांचा 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से एमएसएमई सेगमेंट में दबाव को कम करने के लिए

extension will provide further credit support to the MSMEs to resume their operations.

b. **Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) for Stressed MSMEs:** Ministry of MSME, Government of India through CGTMSE has introduced Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) to provide personal loan to the promoters of Stressed MSMEs for infusion as equity/quasi equity in the business, eligible for restructuring as per RBI guidelines for restructuring of stressed MSME advances. As on 31st March, 2022, 238 accounts amounting to Rs. 20.65 Crore have been sanctioned, out of which 175 accounts amounting to Rs. 15.20 Crore have been disbursed. The validity of the scheme has been extended further upto 31st March, 2023.

c. **PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi):** This is a Central Sector Scheme launched by Ministry of Housing and Urban Affairs formalized for Street vendors providing finance upto Rs 10,000 which opened up new opportunities to this sector to move up the economic ladder. The scheme was launched on 2nd July, 2020 and it is available to all street vendors engaged in vending in urban areas as on or before 24th March, 2020.

In addition to this, Ministry of Housing and Urban Affairs has extended the benefit of existing scheme to provide an enhanced loan (2nd tranche of Rs. 20,000) to PM SVANidhi beneficiaries on timely repayment of earlier loan under PM SVANidhi Scheme. As on 31st March, 2022, 2,21,780 applications have been sanctioned out of which 2,15,766 have been disbursed.

d. **Interest Subvention Scheme on Prompt Repayment of MUDRA-Shishu Loan:** Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has formulated Interest Subvention Scheme of 2 per cent on prompt repayment of Shishu loan extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). As on 31st March, 2022, Rs 14.30 Crore has been credited in 3,57,630 accounts towards interest subvention.

e. **Restructuring of Advances- Resolution Framework 2.0 (RBI Notification Dated 05.05.2021):** In view of the uncertainties created by the resurgence of the COVID-19 pandemic, RBI vide its notification dated 5th May, 2021 extended the captioned facility for restructuring existing loans without any downgrade in the asset classification. Accordingly, Bank had approved the guidelines prescribed by RBI for Resolution of COVID-19 related stress in MSMEs.

Bank is making all out efforts to reduce the stress in MSME segment through recovery as well as through implementation of Resolution Framework 2.0 in the eligible units which falls into NPA or under stress. As

हर संभव प्रयास कर रहा है। 31 मार्च, 2022 तक 8,371.91 करोड़ रुपये के 1,59,363 खातों का पुनर्गठन किया गया है।

on 31st March, 2022, 1,59,363 accounts amounting to Rs. 8,371.91 Crore have been restructured.

1.2 नई पहलें:

ए. **क्लस्टर आधारित वित्तपोषण:** बैंक ने क्लस्टर आधारित उधार दृष्टिकोण अपनाया है और रियायती मूल्य निर्धारण, सेवा शुल्क, उधार देने के मानदंडों में ढील आदि सहित अनुकूलित योजनाओं के साथ 86 क्लस्टरों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। 31 मार्च, 2022 तक बैंक ने रु. 2,806.85 करोड़ के 908 खाते स्वीकृत किए हैं।

बी. **साझेदारी द्वारा विकास:** बैंक विभिन्न मार्केट प्लेयर्स के साथ साझेदारी समझौता करके बाजार में उपस्थिति बढ़ाने और पहुँच का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। विवरण नीचे उल्लिखित हैं:

i. **वाणिज्यिक वाहन/निर्माण उपकरण (सीवी/सीई) के लिए मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ टाई-अप:** बैंक ने 12 प्रतिष्ठित वाणिज्यिक वाहन/निर्माण उपकरण निर्माताओं के साथ टाई-अप की व्यवस्था की है ताकि उपरोक्त कंपनियों के वाहन को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को वित्तपोषित करने के लिए बैंक को पसंदीदा फाइनेंसर के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके अलावा, बैंक इस तरह के और टाई-अप व्यवस्था करने की प्रक्रिया में है।

इस व्यवस्था के तहत, 31 मार्च, 2022 तक 179.70 करोड़ रुपये के 2112 खाते स्वीकृत किए गए।

ii. **प्रतिष्ठित विनिर्माण कंपनियों (आरएमसी) के डीलरों को आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण के लिए टाई-अप व्यवस्था:** बैंक ने अपने डीलरों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैसर्स अशोक लीलैंड, मैसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, मैसर्स एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, मैसर्स डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई-अप व्यवस्था की है। 31 मार्च, 2022 तक इस व्यवस्था के तहत 680.90 करोड़ रुपये के 1,008 खातों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

iii. **फिन-टेक कंपनियों के साथ टाई-अप:** एंड-टू-एंड लेंडिंग (संग्रह और वसूली की सोर्सिंग) के लिए, हमने संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के लिए मैसर्स अत्याती टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, सूक्ष्म वित्त हेतु संयुक्त देयता समूह (जेएलएम) के लिए मैसर्स बेसिक्स सब-के के साथ और पीएम स्वनिधि के लिए मैसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई-अप किया है।

1.2. New initiatives:

a. **Cluster Based Financing:** Bank has adopted the Cluster based lending approach and 86 clusters have already been approved with customized schemes inclusive of concessional pricing, service charges, relaxed lending norms etc. Bank has sanctioned 908 accounts amounting to Rs. 2,806.85 Crore as on 31st March, 2022.

b. **Partnership-led growth:** Bank is endeavouring to increase market presence and expand the outreach through entering into partnership agreement with different market players. The details are as mentioned below:

i. **Tie Ups with Original Equipment Manufacturers (OEMs) for Commercial Vehicle/Construction Equipment (CV/CE):** Bank has tie-up arrangement with 12 reputed Commercial Vehicle/Construction Equipment Manufacturers to position the Bank as preferred financier for financing customers intending to purchase the vehicles of the aforementioned companies. Further, Bank is under process of having more such tie up arrangements.

Under this arrangement, 2112 accounts have been sanctioned amounting to Rs. 179.70 Crore as on 31st March, 2022.

ii. **Tie-up arrangement for Supply Chain financing to the dealers of Reputed Manufacturing Companies (RMCs):** Bank has entered into tie up arrangement with M/s Indian Oil Corporation Ltd, M/s Ashok Leyland, M/s Patanjali Ayurved Ltd, M/s Action Construction Equipment Ltd, M/s Daimler India Commercial Vehicles Pvt Ltd. to cater to the financing needs of their dealers. As on 31st March, 2022, 1,008 accounts amounting to Rs. 680.90 Crore have been sanctioned under the arrangement.

iii. **Tie-up with Fin-Tech Companies:** For end-to-end lending (sourcing to collection & recovery), Bank has made Tie-up with M/s Atyati Technologies Private Ltd for Joint Liability Group (JLG), with M/s Basix Sub-K for Joint Liability Group for Micro Finance (JLM) and with M/s Integra Micro System Pvt. Ltd for PM SVANidhi.

- iv. **मल्टी-चैनल लीड:** नए संगठनात्मक ढांचे के तहत, शाखाओं की प्रमुख भूमिका अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करना और क्रेडिट वर्टिकल को गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय देना है। संपर्क का पहला केन्द्र होने के नाते, अच्छी संख्या में गुणवत्तापूर्ण और परिवर्तनीय लीड प्रदान करने के लिए मंडलों/अंचलों द्वारा शाखाओं में अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।
- v. **पीएनबी प्राइड:** बैंक ने फील्ड पदाधिकारियों के माध्यम से निगरानी तंत्र और लीड प्रबंधन को बढ़ाने के उद्देश्य से एप्लिकेशन पीएनबी प्राइड विकसित किया है।
- सी. **विश्लेषण आधारित प्रस्ताव:** बैंक ने हमारे मौजूदा ग्राहकों को विश्लेषण आधारित ऋण पेशकश के लिए कुछ व्यावसायिक नियमों को परिभाषित किया है। लेन-देन इतिहास, जीएसटी डेटा, ग्राहकों के साथ पिछले संबंध, चुकौती इतिहास आदि के आधार पर लीड जनरेट की जाती हैं। इस तरह के विश्लेषणात्मक लीड संभावित उधारकर्ताओं को एसएमएस के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें कॉर्पोरेट वेबसाइट www.pnbindia.in में उपलब्ध वेबलेंस के माध्यम से एमएसएमई ऋण के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन भरने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिसे पीएनबी लेंस को भेजा जाएगा और संभावित उधारकर्ता की पसंद की शाखा को चिह्नित किया जाएगा।
- डी. **डिजिटल चैनल:** अन्य डिजिटल चैनलों जैसे एसएमएस, मिस्ड कॉल, कॉल सेंटर, एटीएम, वेबसाइट, मोबाइल बैंकिंग आदि के माध्यम से जनरेट लीड पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
- इ. **टीआरडीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उधार:** टीआरडीएस एक संस्थागत तंत्र है जो सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए स्थापित किया गया है। 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले सभी कॉर्पोरेट्स को अनिवार्य रूप से टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्ड करना होगा। बैंक टीआरडीएस के तीनों प्लेटफॉर्म अर्थात् आरएक्सआईएल, एम1एक्सचेंज और ए.ट्रेड्स का उपयोग करता है। टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए दिल्ली में एक केंद्रीकृत हब स्थापित किया जाए। 31 मार्च, 2022 तक 2207 बिल बकाया थे, जिनकी राशि रु. 767.24 करोड़ रुपये थी।
- एफ. **नई योजनाओं/क्षेत्र विशेष योजनाओं का सरलीकरण/शुभारंभ जैसे:**
- i. **स्वास्थ्य देखभाल खंड—**
- पीएनबी जीवन रक्षक
 - ऋण गारंटी योजना
 - संजीवनी
- ii. **कैश फ्लो आधारित उधार— पीएनबी तत्काल**
- iii. **जीएसटी रिटर्न आधारित उधार— जीएसटी एक्सप्रेस ऋण योजना**
- iv. **एमएसएमई फ्लैगशिप योजना— एमएसएमई प्राइम प्लस योजना**
- iv. **Multi-channel leads:** Under the new organizational structure, the major role of the branches is to provide good customer service and give quality business leads to credit verticals. Being the first point of contact, Branches shall be followed up by the Circles/Zones to provide good number of quality & convertible leads.
- v. **PNB Pride:** Bank has developed application PNB Pride with a view to enhance the monitoring mechanism and Lead management through the field functionaries.
- c. **Analytical based offers:** Bank has defined certain business rules for analytical based credit offering to our existing customers. Leads are generated based on transaction history, GST data, past relationship with the customers, repayment history etc. Such analytical leads are offered to the prospective borrowers through SMS, inviting them for filling Online Loan Application for MSME Loan through WEBLENS available in corporate website www.pnbindia.in, which shall be routed to PNB LenS and marked to the branch preferred by the prospective borrower.
- d. **Digital channels:** Focus on lead generated through other digital channels like SMS, Missed call, Call Centre, ATM, Website, Mobile Banking etc. is also being made.
- e. **Lending through TreDS Platform:** TReDS is an institutional mechanism set up for financing of trade receivables of MSMEs from corporate and other buyers including Government Departments and Public Sector Undertakings (PSUs). All the corporates having turnover of more than Rs. 500 Crore are to be compulsorily on-boarded on TReDS platform. Bank uses all the three platform of TReDS i.e. RXIL, M1xchange & A.Treds. A centralized Hub at Delhi has been established to undertake operations on TReDS platform effectively. 2207 Bills were outstanding as on 31st March, 2022, amounting to Rs. 767.24 Crore.
- f. **Simplification/Launching of new schemes/Sector specific schemes such as:**
- i. **Health Care Segment-**
- PNB Jeevan Rakshak
 - Loan Guarantee scheme
 - Sanjeevani
- ii. **Cash Flow based lending- PNB Tatkal**
- iii. **GST Return based Lending- GST Express Loan Scheme**
- iv. **MSME Flagship scheme- MSME Prime Plus Scheme**

- v. **होटल उद्योग**— पीएनबी सत्कर योजना
- vi. **राज्य विशिष्ट योजनाएं**—
- कश्मीर घाटी के लिए पीएनबी शिकारा और हाउसबोट योजना
 - उत्तराखंड राज्य के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
 - मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
 - मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता
 - राजस्थान राज्य के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजन
- vii. **परिवहन क्षेत्र**— वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए पीएनबी परिवहन योजना
- viii. **किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी)**— पीएनबी कंप्रेसड बायो गैस (सीबीजी)

- v. **Hotel Industry-** PNB Satkar Scheme
- vi. **State specific schemes-**
- PNB Shikara & Houseboat Scheme for Kashmir valley
 - Mukhya Mantri Saur Swarojgar Yojna for Uttarakhand State
 - Mukhya Mantri Udyam Kranti Yojna for Madhya Pradesh
 - Mukhya Mantri Gramin Path Vikreta for Madhya Pradesh
 - Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme for Rajasthan State
- vii. **Transport Sector-** PNB Transport Scheme for financing commercial vehicles
- viii. **Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT)-** PNB Compressed Bio Gas (CBG)

जी. **एमएसएमई सुगम ऋण अभियान का शुभारंभ:** नकदी प्रवाह आधारित उधार योजनाओं के तहत व्यवसाय को बढ़ाने और वाहन/ उपकरण निर्माताओं के साथ टाई-अप करने के लिए, उपर्युक्त अभियान 1 फरवरी, 2022-15 मार्च, 2022 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। अभियान के तहत 654.44 करोड़ रुपये की राशि के कुल 1,764 खाते स्वीकृत किए गए हैं।

g. **Launch of MSME Sugam Rin Campaign:** To augment the business under cash flow based lending schemes and tie up arrangements with vehicle/equipment manufacturers, above mentioned campaign was launched for the period 1st February, 2022- 15th March, 2022. Total 1,764 accounts amounting to Rs. 654.44 Crore have been sanctioned under the campaign.

1.3 डिजिटल पहल:

- ए. **पीएनबी लेंस का व्यापक उपयोग:** बैंक ने आईटी आधारित समाधान अर्थात पीएनबी लेंस – ऋण प्रबंधन के लिए ऋण समाधान विकसित / अनुकूलित किया है। ऋण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के कार्यान्वयन के बाद, मूल्यांकन प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है जो ऋण हामीदारी को सशक्त बनाता है। 25 करोड़ रुपये तक के सभी मुद्रा और एमएसएमई ऋण (नया/नवीकरण/वृद्धि/समीक्षा) पीएनबी लेंस का उपयोग करके संसाधित किए जा सकते हैं। 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कुल 1,37,943 आवेदन (एमएसएमई + मुद्रा) पर 28,987 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- बी. **ई-नवीनीकरण योजना का शुभारंभ:** मूल्यांकन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, टीएटी को कम करने और छोटे उधारकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, बैंक द्वारा 10 लाख रुपये तक के एक्सपोजर वाले कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं हेतु ऋण सुविधाओं के स्वतः नवीनीकरण के लिए एक प्रणाली लागू की गई है। यह प्रक्रिया पूर्व-निर्धारित व्यावसायिक नियमों के आधार पर की जाएगी और प्रक्रिया नोट/अन्य दस्तावेज तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह टीएटी को कम करके मूल्यांकन प्रक्रिया की दक्षता को उत्प्रेरित करेगा और छोटे उधारकर्ताओं को सुविधा प्रदान करेगा। 31 मार्च, 2022 तक, 411.06 करोड़ रुपये की राशि के 17,087 खातों का ई-नवीनीकरण किया जा चुका है।

1.3. Digital Initiatives:

- a. **Extensive use of PNB LenS:** Bank has developed/ customized IT based solution i.e. PNB LenS – The Lending Solution for loan management. After implementation of Loan Management System (LMS), assessment process is standardized which strengthen the credit underwriting. All Mudra and MSME loans (fresh/renewal/enhancement/review) up to Rs. 25 Crore can be processed using PNB LenS. In total 1,37,943 applications (MSME+Mudra) have been sanctioned amounting to Rs. 28,987 Crore from 1st April, 2021 to 31st March, 2022.
- b. **Launch of e-RENEWAL Scheme:** In order to increase efficiency of the appraisal process, reduce TAT and provide ease to small borrowers, a system for automatic renewal of credit facilities is implemented by the bank for working capital credit facilities having exposure upto Rs. 10 Lakh. The process will be done on the pre-defined business rules and there will be no need to prepare process note/other documents. It will catalyze the efficiency of the appraisal process by reducing TAT and provide ease to small borrowers. As on 31st March, 2022, 17,087 accounts amounting to Rs. 411.06 Crore have been e-renewed.

सी. पीएनबी ई-मुद्रा (शिशु) योजना का शुभारंभ: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के ऋण की जरूरत को पूरा करने के लिए, जो 50,000 रुपये तक के ऋण हेतु सीधे प्रक्रिया के माध्यम से, ई-मुद्रा योजना में होगा, को लागू और लाइव किया गया है। इस मॉड्यूल में नियम आधारित प्रसंस्करण और स्वीकृति है, जो पूरी तरह से सिस्टम संचालित है। 31 मार्च, 2022 तक 724 ऋण प्रकरण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं।

डी. **psbloansin59minutes-com** – 59 मिनट के भीतर 5 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई ऋणों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के लिए psbloansin59minutes-com के नाम से एक पोर्टल मौजूद है। बैंक इस पोर्टल का उपयोग कर रहा है और इसे लाइव कर दिया गया है। इसके अलावा, बैंक मुद्रा ऋण के लिए मैसर्स ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए मुद्रा पोर्टल पर भी है। व्यवसाय के इस खंड के तहत बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा है। सैद्धांतिक स्वीकृति को अधिकतम करने के लिए हमने इस पोर्टल पर अपने सभी प्रमुख एमएसएमई उत्पादों को पहले ही शामिल कर दिया है। psbloansin59minutes पोर्टल के तहत मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए अनुकूलित उत्पाद मार्च 2020 से शुरू हुआ।

31 मार्च, 2022 तक एमएसएमई और मुद्रा ऋण के लिए प्राप्त 46,944 आवेदनों में से 43263 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है।

2. **एनबीएफसी के साथ ऋण के सह-उधार मॉडल पर प्रगति:** आरबीआई ने 5 नवंबर, 2020 के परिपत्र के माध्यम से एक नई योजना "सह-उधार मॉडल" (सीएलएम) के लिए ऋणों की सह-उत्पत्ति को बंद कर दिया और अर्थव्यवस्था के सेवारहित और अपर्याप्त सेवा वाले क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सुधार करने, बैंकों से धन उपलब्ध कराने और एनबीएफसी की विस्तृत पहुंच के लिए योजना को संशोधित किया। बैंक ने मैसर्स आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड, मैसर्स लेंडिंगकार्ट फाइनेंस लिमिटेड, मैसर्स पैसालो डिजिटल लिमिटेड और मैसर्स वेदिका क्रेडिट कैपिटल के साथ टाई अप व्यवस्था की है। 31 मार्च, 2022 तक 47.28 करोड़ रुपये के 1,002 खाते स्वीकृत किए जा चुके हैं।

3. **तिमाही के दौरान प्राप्त पुरस्कार:**

ए. एसोचैम द्वारा आयोजित 8वें एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड और शिखर सम्मेलन में पीएनबी को बेस्ट एमएसएमई बैंक (पीएसयू) का पुरस्कार प्रदान किया गया।

बी. खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू करने में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

vi. **वित्तीय समावेशन**

बैंक वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में नई पहलें करने में अग्रणी रहा है। बैंक 2012 से कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) सेवाएं प्रदान कर रहा है और उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) तथा गैर एसएसए क्षेत्र में बीसी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लागू कर

c. **Launch of PNB e-Mudra (Shishu) Scheme:** To meet out credit need to the Micro and Small entrepreneur through Digital platform, which will be straight through process, e-Mudra Scheme for loan upto Rs. 50,000 has been implemented and made live. The module has rule based processing & sanctioning, which is completely system driven. As on 31st March, 2022, 724 loan cases journey has been completed successfully.

d. **psbloansin59minutes.com** - A portal for in-principle approval for MSME loans upto Rs. 5 Crore within 59 minutes is in place in the name of psbloansin59minutes.com. The Bank has on-boarded on this portal and it has been made live. Further, Bank has also on boarded for Mudra loans on the Mudra Portal launched by M/s Online PSB Loans Ltd. Performance under this segment of business has remained good for the Bank. We have already configured all our flagship MSME products on this portal to maximize in-principle sanctions. The customized product for Mudra borrowers under psbloansin59minutes portal commenced w.e.f. March 2020.

As on 31st March, 2022, 43,263 applications have been disposed out of 46,944 received for MSME & MUDRA loans.

2. **Progress on co-lending model of loans with NBFCs:** The RBI vide circular dated 5th November, 2020 superseded co-origination of loans to a new scheme "Co-Lending Model" (CLM) and revised the scheme to improve the flow of credit to the unserved and underserved sector of the economy and make available funds from the banks and greater reach of the NBFCs. Bank has entered into tie up arrangement with M/s IIFL Finance Ltd, M/s Lendingkart Finance Ltd, M/s Paisalo Digital Ltd & M/s Vedika Credit Capital. As on 31st March, 2022, 1,002 accounts amounting to Rs. 47.28 Crore have been sanctioned.

3. **Awards received during the quarter:**

a. Best MSME Bank (PSU) to PNB in 8th MSME Excellence Awards & Summit organized by ASSOCHAM.

b. 3rd Position in implementing Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) by Khadi & Village Industries Commission.

vi. **Financial Inclusion**

Bank has been the pioneer in taking initiative in the area of financial inclusion. Bank is providing Business Correspondents (BCs) services since 2012 & implementing comprehensive Financial Inclusion Program through effective utilization of BCs in Sub Service Area (SSA) & non

रहा है। एसएसए कुछ गांवों का समूह है और बैंक की एक मूल शाखा से जुड़ा हुआ है।

ए. बैंक ने अखिल भारतीय आधार पर बीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और अन्य वित्तीय समावेशन सेवाओं को लागू किया है। पीएमजेडीवाई खातों में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं पात्र खाताधारकों (आयुवर्ग 18-65) को उपलब्ध करवाई गई है।

बी. शाखाओं में बायोमेट्रिक आधारित आधार दर्ज करना और प्रमाणीकरण।

सी. बीसी स्थलों के साथ-साथ शाखाओं और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, अर्थात् प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सुविधाएं, उपलब्ध हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है:

- **पीएमजेजीबीवाई:** 31 मार्च, 2022 तक, 43.23 लाख ग्राहकों ने नामांकन किया।
- **पीएमएसबीवाई:** 31 मार्च, 2022 तक, 180.64 लाख ग्राहकों ने नामांकन किया।
- **एपीवाई:** 31 मार्च, 2022 तक, 20.10 लाख ग्राहकों ने नामांकन किया।

वर्तमान में, बैंक, ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और मेट्रो केंद्रों में 15,719 बीसी प्रतिनिधि / बैंक मित्र के माध्यम से बैंक की आवश्यकता के आधार पर बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीसी प्रतिनिधि/बैंक मित्र बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए माइक्रो एटीएम/लैपटॉप/डेस्कटॉप/मोबाइल/टैब आदि का उपयोग करते हैं। वर्तमान में कियोस्क बैंकिंग समाधान के माध्यम से बीसी स्थानों पर डीएफएस के ईज एजेंडा के अनुसार सेवाओं सहित निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं:

- i. बचत खाता खोलना
- ii. मियादी जमा रसीद(टीडीआर)/आवर्ती जमा(आरडी) खोलना, टीडी/आरडी नवीनीकरण
- iii. नकद जमा (अपना बैंक)
- iv. नकद निकासी (हमारे पर), नकद निकासी (हमसे अलग)
- v. निधि अंतरण (अपना बैंक), निधि अंतरण(अन्य बैंक-आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस)/रूपे कार्ड)
- vi. तत्काल भुगतान सेवा (आइएमपीएस) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) भारत-नेपाल धन-प्रेषण
- vii. शेष पूछताछ (अपना बैंक), शेष पूछताछ (अन्य बैंक)
- viii. रूपे डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना

SSA. SSA is a cluster of few villages and is linked to one base branch of the Bank.

a. Bank has implemented Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and other financial inclusion services through BCs on PAN India basis. Overdraft facilities up to Rs. 10,000 in PMJDY accounts provided to eligible account holders (age group 18-65).

b. Biometric based Aadhar seeding and authentication at branches.

c. Social security schemes, i.e. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY) facilities, are available at BC locations as well as branches and through internet banking. The Progress of Social Security Schemes till date is as under:

- PMJJBY: As on 31st March, 2022, 43.23 Lakh customers enrolled.
- PMSBY: As on 31st March, 2022, 180.64 Lakh customers enrolled.
- APY: As on 31st March, 2022, 20.10 Lakh customers enrolled.

At present, Bank is providing basic banking services through 15,719 BC Agents/Bank Mitras (PAN India) in Rural, Semi-Urban, Urban and Metro centres depending upon the requirement of the Bank. The BCs Agent/Bank Mitra use Micro ATM/Laptop/Desktop/Mobile/Tab etc. for providing the banking services. At present following services as per EASE agenda of Department of Financial Services (DFS) is available at BC locations through Kiosk Banking Solution:

- i. Savings Account Opening
- ii. Term Deposit Receipt (TDR)/ Recurring Deposit (RD) opening, Renew TD/RD
- iii. Cash Deposit (own bank)
- iv. Cash Withdrawal (on us), Cash withdrawal (off us)
- v. Fund transfer (own bank), Fund transfer (other Bank—Aadhaar Enabled Payment System (AEPS)/RuPay card)
- vi. Immediate Payment Service (IMPS), National Electronic Funds Transfer (NEFT), Indo-Nepal Remittance
- vii. Balance enquiry (own bank), Balance enquiry (other bank)
- viii. Apply for RuPay debit cards, Block debit card

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ix. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात सूक्ष्म दुर्घटना मृत्यु बीमा (पीएमएसबीवाई), सूक्ष्म जीवन बीमा (पीएमजेजेबीवाई), पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए नामांकन करना। x. आधार दर्ज करना। xi. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी): क्रेडिट लिंकेज सहित गठन और प्रचार के लिए xii. पासबुक अपडेट, मिनी स्टेटमेंट xiii. चेक संग्रह xiv. नई चेक बुक अनुरोध, चेक का भुगतान रोकना, चेक की स्थिति की जांच करना xv. एसएमएस अलर्ट / ईमेल स्टेटमेंट (पंजीकृत मोबाइल नंबर / ई-मेल) के लिए अनुरोध। xvi. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) xvii. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/संग्रहण। | <ul style="list-style-type: none"> ix. Enrol for social security schemes i.e. micro accidental death insurance (PMSBY), micro life insurance (PMJJBY), pension scheme (APY) x. Aadhaar seeding xi. Self Help Group (SHG) & Joint Liability Group (JLG): For formation & promotion, including credit linkage xii. Passbook update, Mini statement xiii. Cheque collection xiv. Request new cheque book, Stop payment of cheque, Cheque status enquiry xv. Request for SMS alert / email statement (registered mobile number/e-mail). xvi. Bharat Bill Payment System (BBPS) xvii. Recovery/Collection up to bank approved limits. |
|---|---|

ई. दृष्टिकोण

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी वित्त वर्ष 2021-22 के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.7 प्रतिशत है। गहन संपर्क-सेवाओं की आपूर्ति और बढ़ते विवेकाधीन खर्च निजी खपत को फिर से गति प्रदान कर रहे हैं। मानसून के पूर्वानुमान के कारण, कृषि की संभावनाएं भी उज्ज्वल हैं। इसके साथ ही निवेश चक्र में भी पुनरुद्धार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। निर्यात और आयात भी पिछले वर्षों की तुलना में मजबूत हैं। बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में, वित्त वर्ष 2021-22 में एनपीए में गिरावट देखी गई है जो क्रेडिट उठाव को बढ़ावा देगी क्योंकि उत्पादक के उपयोग के लिए पूंजी उपलब्ध रहेगी। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ी हुई वस्तुओं की कीमतों और धीमी बाहरी मांग के रूप में चुनौतियां, अर्थव्यवस्था के निरंतर और समावेशी विकास की दिशा में एक बाधा के रूप में रह सकती हैं।

एफ. जोखिम एवं चिंताएं

जोखिम बैंक के व्यवसाय संचालन का अभिन्न अंग है। बैंक प्रमुख जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है और उन जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए उपायों, नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है।

क्रेडिट जोखिम

बैंक के पास एक मजबूत ऋण जोखिम प्रबंधन रूपरेखा है और उसने कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के जोखिम मूल्यांकन के लिए इन-हाउस क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल विकसित किए हैं। बैंक ने खुदरा अग्रिमों, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के अग्रिमों के संबंध में स्कोरिंग मॉडल भी विकसित और कार्यान्वित किए हैं। इसके अलावा, बैंक ने पीएनबी संपत्ति, पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस ऋण और सह-उधार

E. Outlook

Gross Domestic Product (GDP) as per the provisional estimates for FY 2021-22 released by National Statistical Office (NSO) is 8.7 per cent. The recoup of contact-intensive services and rising discretionary spending is leading private consumption to regain its momentum. Because of the monsoon forecast, the agricultural prospects are brighter too. Along with this, even the investment cycle show signs of revival. The exports and imports are also robust compared to previous years. As regards banking sector, it has seen downward trend in NPAs in FY 2021-22 which shall give boost to the credit offtake as capital will remain available for productive utilisation. However, challenges in the form of geo political tensions, elevated commodity prices and slowing external demand may remain as a barrier towards sustained and inclusive growth of the economy.

F. Risks & Concerns

Risk is integral part of the Bank's business operations. Bank is exposed to major risks namely credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk and interest rate risk and has put in place measures, policies, systems, and procedures to manage and mitigate those risks.

Credit Risk

Bank has a robust Credit Risk Management framework and has developed in-house credit risk rating models for risk assessment of corporate borrowers. Bank has also developed and implemented scoring models in respect of Retail advances, MSME and Farm sector advances. In addition, the Bank has developed credit scoring models

व्यवस्था जैसे विशेष खंड के लिए डिज़ाइन की गई विशिष्ट उधार योजनाओं की बारीकियों को कैचर करने के लिए क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल विकसित किए हैं।

इन मॉडलों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए बैंक अपने रेटिंग मॉडलों का आवधिक सत्यापन का कार्य करता है। बैंक अपने क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल के सुदृढ़ीकरण का परीक्षण करने के लिए प्रवासन और डिफॉल्ट दर विश्लेषण का कार्य भी करता है। रेटिंग मॉडल का आउटपुट बैंक में निर्णय लेने से जुड़ा होता है (अर्थात् मंजूरी, मूल्य निर्धारण, ऑडिट के अलावा ऋण देने की शक्ति, क्रेडिट पोर्टफोलियो की समीक्षा और निगरानी)। बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लगभग सभी पहलुओं को शामिल करते हुए और प्रभावी उधार की प्रैक्टिस का एक निश्चित सेट रखने के लिए कई नीतियां बनाई हैं।

प्रक्रियाओं के स्वचालन और अनुपालन में वृद्धि के व्यापक उद्देश्य के अनुसरण में, बैंक ने ₹.50,000 तक के ऋण के लिए पीएनबी ई-मुद्रा (शिशु) योजना के रूप में डिजिटल ऋण और वेतनभोगी (सरकारी और साथ ही निजी कर्मचारियों) व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण देने की दिशा में पहल की है। इन मॉड्यूल में नियम आधारित प्रसंस्करण और स्वीकृति है, जो पूरी तरह से सिस्टम संचालित है और इन उत्पादों के लिए अलग से स्कोरिंग मॉडल विकसित किए गए हैं।

बैंक ने ₹.10 लाख तक एक्सपोजर वाली कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं के लिए ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए एक स्वचालित/स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी), ई-नवीनीकरण योजना शुरू की है।

आस्तियों में दबाव के निर्माण के कारणों की निगरानी के मुद्दे का पता लगाने और अग्रिमों की प्रभावी निगरानी के लिए ₹.1.00 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर हेतु बैंक के पास एक प्रारंभिक चेतावनी निगरानी उपकरण 'पीएनबी-एसएजेएजी' (प्रारंभिक चेतावनी संकेत + निवारक निगरानी प्रणाली) है। सिस्टम 136 पूर्व चेतावनी संकेतों को कैचर करता है जिसमें आरबीआई द्वारा निर्धारित 42 सिग्नल और डीएफएस द्वारा निर्धारित 85 सिग्नल शामिल हैं। ये प्रक्रियाएं ऋण की त्वरित और सटीक डिलीवरी और निगरानी करने में सहायता करती हैं, मूल्यांकन में एकरूपता लाती हैं और डेटा के स्टोरेज और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करती हैं।

बैंक ने एक ऋण सूचना कंपनी की सेवाओं की सदस्यता के माध्यम से खुदरा एवं एमएसएमई खंड (₹.1 करोड़ तक का एक्सपोजर) के लिए ईडब्ल्यूएस प्रणाली भी लागू की है, जिसमें खुदरा उधारकर्ताओं और एमएसएमई उधारकर्ताओं (₹.1 करोड़ तक के एक्सपोजर) के क्रेडिट प्रोफाइल में परिवर्तन पर हमारे/अन्य बैंकों में दैनिक आधार पर ट्रिगर जनरेट किए जा रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई हेतु फ़ील्ड पदाधिकारियों को भेजे जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स के अलावा, बैंक को भी लीड प्राप्त हो रही है, जो नए कारोबार को बढ़ाने के लिए अच्छे क्रॉस-सेल/अपसेल अवसर प्रदान कर रहे हैं।

बैंक ने उद्योगों का आंतरिक जोखिम मूल्यांकन करने के लिए उद्योग अनुसंधान डेस्क की स्थापना की है। प्रत्येक उद्योग का उद्योग हैंडआउट जोखिम मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाता है और इसका उपयोग बैंक की ऋण जोखिम रेटिंग में एक इनपुट के रूप में

to capture the peculiarity of specific lending schemes designed for a particular segment such as PNB Sampatti, PNB GST express loan and co-lending arrangements.

Bank undertakes periodic validation exercise of its rating models to ensure the efficacy of these models. Bank also conducts migration and default rate analysis to test robustness of its credit risk rating models. Output of rating models is linked to decision making in the Bank (viz. sanction, pricing, loaning powers besides audit, review & monitoring of credit portfolio). Bank has put in several policies covering almost all aspects of credit risk management and to have a uniform set of effective lending practices.

In pursuance of overarching objective of automation of processes and increase compliance, Bank has taken initiatives towards digital lending in the form of PNB e-Mudra (Shishu) Scheme for loans upto Rs. 50,000 and pre-approved personal loan for salaried (Government as well as Private employees) individuals and pensioners. These modules have rule based processing & sanctioning, which is completely system driven and separate scoring models have been developed for these products.

Bank has launched e-RENEWAL Scheme, an automatic/Straight through Process (STP) for renewal of credit facilities for working capital credit facilities having exposure upto Rs. 10 Lakh.

Bank has in place an Early Warning monitoring tool 'PNB -SAJAG' (Early Warning Signal+Preventive Monitoring System) for exposures above Rs. 1 Crore to address the issue of monitoring causes of build-up of stress in assets and for effective monitoring of advances. The system captures 136 Early Warning Signals including 42 signals prescribed by RBI and 85 signals prescribed by DFS. These processes helps to achieve quick & accurate delivery and monitoring of credit, bring uniformity in the appraisal and facilitate storage of data & analysis thereof.

Bank has also implemented EWS system for Retail & MSME segment (exposure up to Rs. 1 Crore) through subscription to the services of a Credit Information Company wherein on change in credit profile of retail borrowers & MSME borrowers (exposure up to Rs. 1 Crore) with our/other banks, triggers are being generated on daily basis and sent to field functionaries for taking necessary action. Apart from EWS triggers, Bank is also getting leads, which are providing good cross-sell/upsell opportunities for garnering fresh business.

Bank has established Industry Research Desk to carry out in-house risk assessment of Industries. Industry Handout of each industry is prepared based on risk assessment and it is used as an input in the Bank's credit risk rating and

किया जाता है और ऋण निर्णय को सूचित करता है।

बाजार जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना मौजूद है जो बाजार जोखिम अर्थात् ब्याज दर जोखिम, इक्विटी मूल्यजोखिम एवं विदेशी विनिमय जोखिम के समग्र प्रबंधन की प्रक्रिया की देख रेख करती है और इसके मापन एवं निगरानी की कार्य प्रणालियों को कार्यान्वित करती है। बाजार जोखिम की अच्छी और विशिष्ट निगरानी के लिए बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) का गठन किया गया। ट्रेजरी परिचालन में जोखिम प्रबंधन हेतु दबाव परीक्षण, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, वीएआर आदि जैसे साधनों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा रहा है। पोर्टफोलियो को प्रभावित करने वाले जोखिमों की बेहतर समझ रखने के लिए पोर्टफोलियो के वीएआर को अधिक बार जनरेट करने के लिए फिनेकल ट्रेजरी में एक अलग वीएआर मॉड्यूल लागू किया गया है। इसके अलावा प्रभावी मूल्य निर्धारण के लिए देश जोखिम एक्सपोजर में देश जोखिम प्रीमियम भी पेश किया गया है।

बैंक का आस्ति देयता प्रबंधन किसी भी घटना से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। बैंक चलनिधि दबाव परीक्षण करता है और तदनुसार किसी भी संभावित चल निधि संकट से निपटने के लिए बैंक ने आकस्मिक निधीयन योजना बनाई है। बैंक किसी भी चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निरंतर आधार पर अपनी तरल आस्तियों का प्रबंधन कर रहा है।

परिचालनगत जोखिम

बैंक में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना एवं ढांचा मौजूद है। बैंक हिस्टोरीकल हानि डाटा के विश्लेषण, जोखिम नियंत्रण एवं स्व-निर्धारण सर्वेक्षण (आरसीएसए) महत्वपूर्ण जोखिम सूचकों (केआरआई) और परिदृश्य-विश्लेषण आदि द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण/शमन कर रहा है। विविध स्तरों पर डेटा संग्रह एवं प्रबंध सूचना प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखने के लिए बैंक ने इंटरप्राइज़ वाइड डेटा वेयरहाउस परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय सर्वर पर ऑनलाइन परिचालन जोखिम समाधान का भी आरंभ किया है।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी)

बैंक के पास एक व्यापक आईसीएएपी नीति है जिसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है और आईसीएएपी दस्तावेज जिसे अर्धवार्षिक आधार पर शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाता है। आईसीएएपी पिलर-I और पिलर-II दोनों जोखिमों की देखरेख करता है तथा बैंक को होने वाले विभिन्न जोखिमों के प्रभाव पर समग्र दृष्टि रखने के लिए विभिन्न जोखिमों को मापने/मूल्यांकन करने की प्रक्रिया की जाती है। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन प्रक्रिया को आईसीएएपी दस्तावेजों में विस्तार से शामिल किया गया है। यह दस्तावेज एकल और समेकित दोनों आधार पर तैयार किया जा रहा है।

बैंक के पास एक व्यापक जोखिम एपेटाईट प्रेमवर्क है। प्रेमवर्क दस्तावेज बैंक के भीतर इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक शासन

informed credit decision making.

Market risk and Asset Liability Management

Bank has in place a well-defined organizational structure for market risk management functions, which looks into the process of overall management of market risk viz. interest rate risk, equity price risk & foreign exchange risk, and implements methodologies for measuring and monitoring the same. Market Risk Management Committee (MRMC) has been formed for better and specific monitoring of Market Risk. Tools like stress testing, duration, modified duration, PV01, VaR etc. are being used effectively in managing risk in the Treasury operations. A separate VaR module has been implemented in Finacle Treasury to generate VaR of portfolios more frequently to have better understanding of risks affecting the portfolio. Further, Country Risk Premium is also introduced in country risk exposure for effective pricing.

Asset Liability management of the Bank is done on proactive basis to manage any eventuality. Bank conducts liquidity stress testing and accordingly have prepared contingency funding plan to tide over liquidity crunch if at all it arises. The Bank is managing its liquid assets on a continuous basis to meet any liquidity requirement.

Operational Risk

Bank has in place a well-defined organizational structure and framework for operational risk management functions. The Bank is identifying, measuring, monitoring and controlling/mitigating the operational risk by analyzing historical loss data, Risk Control & Self-Assessment Surveys (RCSAs), Key Risk Indicators (KRIs) and Scenario Analysis etc. The Bank has also introduced an online OpRisk Solution under Enterprise wide Data Warehouse Project and placed it on central server to take care of various aspects of data capturing and management information system at various levels.

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

Bank has in place a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy updated annually and ICAAP document which is being put up to Top Management on semi-annual basis. ICAAP addresses both the Pillar-I and Pillar-II risks and to have a holistic view of impact of various risks which the Bank is exposed to, an exercise is carried out to quantify/assess various risks. The risk assessment & management processes are covered at length in the ICAAP document. The document is being prepared on both solo and consolidated basis.

Bank has a comprehensive Risk Appetite Framework in place. The document sets out the Risk Appetite Statement

और निगरानी ढांचा प्रदान करने के साथ-साथ जोखिम एपेटाईट विवरण निर्धारित करता है। जोखिम एपेटाईट को प्रत्येक पैरामीटर के लिए जोखिम सीमा और जोखिम सीमा स्तर के साथ विभिन्न मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।

समूह जोखिम

बैंक के पास समूह जोखिम ढांचा है जो पिरामिड दृष्टिकोण पर आधारित है जो शीर्ष पर जोखिम एपीटाईट से शुरू होता है और शासन, प्रक्रियाओं और प्रबंधन रिपोर्टिंग के माध्यम से आगे बढ़ता है। बैंक ने सहायक कंपनियों और विदेशी शाखाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा सहयोगियों (आरआरबी सहित) और संयुक्त उद्यम (जेवी) के समूह जोखिम मूल्यांकन का विस्तार करके अपनी समूह जोखिम निगरानी को मजबूत किया है। इसके अलावा समूह आईसीएएपी विभिन्न जोखिमों (स्तंभ I और स्तंभ II दोनों) का आकलन करने के लिए तैयार है, जिनसे समूह उजागर होता है, बैंक इन जोखिमों को कैसे कम करता है, और इन जोखिमों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता के आंतरिक रूप से गणना स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार है।

नियामक दिशानिर्देश: बैंक ने बेसल III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की गणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। जोखिम अभिशासन विभिन्न नीतियों के परिणियोजन के माध्यम से प्रभावित होती है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

बैंक की योजना ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम के लिए आरडब्ल्यूए/पूंजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की है, जो नियामक से अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन है। बैंक पहले से ही ऋण जोखिम हेतु फाउंडेशन आंतरिक रेटिंग आधारित (एफआईआरबी) दृष्टिकोण तथा परिचालन जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) एवं उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) को अपनाने के समानांतर संचालन में है। हालांकि, परिचालन जोखिम के लिए टीएसए और एएमए को अब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बंद कर दिया गया है। बैंक त्रैमासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक को एफआईआरबी के अनुसार अपनी पूंजी और आरडब्ल्यूए को रिपोर्ट करता है। बैंक ने बाजार जोखिम हेतु आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) और क्रेडिट जोखिम हेतु उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित (एआईआरबी) दृष्टिकोण को अपनाने हेतु औपचारिक पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।

बैंक ने "संचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर ड्राफ्ट मास्टर निर्देश" के आधार पर परिचालन जोखिम पूंजी आवश्यकता की गणना की है, जिसे परिचालन जोखिम के लिए नया मानकीकृत दृष्टिकोण भी कहा जाता है।

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रारूप दिशानिर्देशों के अनुसार तिमाही आधार पर भारतीय लेखामानक (Ind AS) के तहत अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना कर रहा है और इसके परिणाम निर्धारित प्रारूप पर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं।

along with providing a governance and monitoring framework for its effective implementation within the Bank. Risk Appetite has been defined in terms of different parameters along with the Risk limit and Risk threshold level for each parameter.

Group Risk

Bank has group risk framework which is based on pyramid approach starting with risk appetite at top and progressing through, Governance, Processes and Management reporting. Bank has strengthened its Group Risk Monitoring by extending the group risk assessment of associates (including RRBs) and Joint Venture (JVs) in addition to focusing on subsidiaries and overseas branches. Further Group ICAAP is prepared to assess the various risks (both Pillar I and Pillar II) to which the group is exposed to, how the Bank mitigates these risks, and to arrive at an internally computed level of capital adequacy consistent with these risks.

Regulatory Guidelines: Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk for computation of Risk Weighted Assets (RWA) under Basel III. Risk governance is affected through deployment of various policies which are in sync with the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

Bank also plans to migrate to advanced approaches for computation of RWA/Capital charge for Credit, Market and Operational Risks subject to approval from the regulator. The Bank is already under parallel run for Foundation Internal Rating Based (FIRB) approach for Credit Risk and The Standardized Approach (TSA) & Advanced Measurement Approach (AMA) for Operational Risk. However, TSA and AMA for Operational Risk have now been discontinued by RBI. The Bank is reporting its capital and RWA as per FIRB to RBI on quarterly basis. The Bank has submitted a formal Letter of Intent for adoption of Internal Models Approach (IMA) for Market risk and Advanced Internal Rating Based (AIRB) Approach for Credit Risk. Necessary actions required in this regard have been initiated.

Bank has computed the operational risk capital requirement based on "Draft Master Direction on Minimum Capital Requirements for Operational Risk" also called as New Standardized approach for operational risk.

Bank is calculating Expected Credit Loss (ECL) under Indian Accounting Standard (Ind AS) as per the draft guidelines of Reserve Bank of India on quarterly basis and the results are submitted to the Reserve Bank of India on prescribed Proforma.

बैंक ने पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ (आरएआरओसी) ढांचा विकसित किया है जो ऋण निर्णयों को सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक ऋण प्रस्ताव के लिए पूंजी पर प्रतिफल की तुलना करने के लिए बैंक को एकल पैमाना प्रदान करता है। ढांचा यह आकलन करने में सहायता करता है कि क्या व्यापार प्रस्ताव से उत्पन्न रिटर्न जोखिम के अनुरूप है, जिससे शेयरधारक की इक्विटी के मूल्य को अधिकतम किया जा सकता है।

जी. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

i. ऋण लेखापरीक्षा एवं समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सभी घरेलू एवं विदेशी दोनों तरह के पात्र ऋण खातों हेतु ऋण लेखापरीक्षा आरंभ की गई थी। ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) नीति के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एक वर्ष में आरबीआई और बैंक की नीति की आवश्यकता के कम से कम क्रमशः 30% से 40% के विरुद्ध 31.03.2021 को बैंक के निवल मानक ऋण की लेखापरीक्षा का कवरेज 58.91% है। बैंक ने ऋण लेखापरीक्षा ऑनलाइन कार्यक्रम (क्रेडिट ऑडिट मॉड्यूल) की प्रक्रिया भी आरंभ की है जोकि ऋण लेखापरीक्षा का एक पेपरलेस, प्रभावी, सटीक और समय बचाने वाला साधन है।

ii. आंतरिक लेखा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, वर्ष के दौरान जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ऑनसाइट आरबीआईए के लिए 8084 शाखाओं/कार्यालयों में आयोजित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 31 मार्च 2021 तक बैंक के कुल कारोबार के 49.93 प्रतिशत को कवर करते हुए आंतरिक/ बाह्य लेखापरीक्षकों (सीए फर्मों तथा सूचीबद्ध सेवानिवृत्त अधिकारियों) द्वारा 1593 शाखाओं/कार्यालयों (31 मार्च, 2022 को 1555 शाखाएं/कार्यालयों) में समवर्ती सतत्/लेखापरीक्षा कराई गई थी।

184 कार्यालयों/इकाइयों में सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखापरीक्षा की गई। 296 पात्र शाखाओं/कार्यालयों अर्थात् अधिकृत डीलर (एडी) शाखाओं और व्यापार वित्त केंद्रों में फेमा लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। सभी शाखाएं राजस्व लेखापरीक्षा के अधीन थीं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नवीनतम गतिविधियां और विकास/नई पहलें:

- आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, निष्पक्षतावाद/वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता और नवीनता लाने के लिए पीएनबी और ऑफसाइट निगरानी प्रणाली (ओएसएस) के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों को एक ऑनलाइन अनुप्रयोग यानि ईटीएचआईसी के माध्यम से स्वचालित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ओएसएस के तहत 50 परिदृश्यों की पहचान बैंक द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग, प्रधान कार्यालय के स्तर पर की गई है, जो ग्राहक के साथ-साथ कार्यालय खातों के लिए लेनदेन के रूप में सीबीएस में शाखा अधिकारियों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के आधार पर है।

Bank has developed Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) framework which provides Bank with a single scale for comparing the return on capital for each credit proposal to enable credit decisions. The framework helps in assessing whether returns generated by the business proposition is commensurate with the risk perceived thereby maximizing the value of the shareholder's equity.

G. Internal Control System

i. Credit Audit and Review

During FY 2021-22, Credit Audit has been undertaken for all eligible loan accounts both domestic and overseas. In terms of Loan Review Mechanism (LRM) Policy, during FY 2021-22, the coverage of audit is 58.91 per cent of Bank's net standard credit as on 31st March, 2021 against Reserve Bank of India and Bank's policy requirement of at least 30 per cent to 40 per cent respectively in a year. The Bank has also started the process of Credit Audit Online Program (Credit Audit Module) which is a paperless, effective, accurate and time saving tool of Credit Audit.

ii. Internal Audit

During FY 2021-22, Risk Based Internal Audit (RBIA) was commenced/conducted in 8084 branches/offices programmed for onsite RBIA. Concurrent/Continuous audit was conducted in 1593 branches/offices during FY 2021-22 (now 1555 branches/offices as on 31st March, 2022), by Internal/External Auditors (CA Firms & Empanelled Retired Officers), covering 49.93 per cent of the Total Business of the Bank as at 31st March, 2021.

Information Security (IS) Audit was conducted in 184 office/units. FEMA Audit was conducted in 296 eligible branches/offices i.e. Authorized Dealer (AD) branches & Trade Finance Centres. All branches were subject to revenue audit.

Latest activities and development/new initiatives taken during FY 2021-22:

- Internal audit functions of PNB and Offsite Surveillance System (OSS), have been automated through an online application i.e. eTHIC to bring out fairness, objectivity, transparency and innovation in the Internal Audit System.

During FY 2021-22, under OSS, 50 scenarios have been identified by the bank at the level of Internal Audit Division, Head Office based on various activities being undertaken by the branch officials in CBS in the form of transactions for customers as well as Office accounts.

- बैंक ने ऑफसाइट सर्विलांस यूनिट (ओएसयू) के रूप में कार्य करने के लिए एक समर्पित डेटा एनालिटिक्स टीम का गठन किया था। टीम सिस्टम और प्रक्रिया में वृद्धि का सुझाव देने के लिए डेटा डंप के माध्यम से एक केंद्रीकृत और निरंतर तरीके से वर्णनात्मक और नैदानिक विश्लेषण करती है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, ओएसयू ने विभिन्न पहलुओं सहित अध्ययन किया है। पहचान किए गए परिचालन जोखिम को कम करने के लिए प्रणाली में टीम द्वारा सुझाए गए सुधार को लागू किया गया।

iii. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धन शोधन निवारण (एएमएल)

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पारदर्शी नीति अपनाई है ताकि सभी शाखाओं / कार्यालयों द्वारा नए ग्राहकों तथा मौजूदा ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय इनका कड़ाई से अनुपालन किया जा सके। केवाईसी से सम्बंधित विभिन्न मानदंडों जैसे केवाईसी अद्यतनीकरण, लाभार्थी स्वामियों की पहचान, यूसीआईसी, सीकेवाईसी आदि पर आरबीआई के दिशानिर्देशों को पूर्ण रूपेण लागू किया जाता है। मौजूदा केवाईसी दिशानिर्देशों के सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए, बचत और चालू खातों को केंद्रीकृत रूप से खोलने के लिए कासा बैंक ऑफिस स्थापित किए गए हैं। साथ ही, ग्राहक दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) की खरीद की गई है।

एएमएल अलर्ट के माध्यम से धन शोधन के नजरिए से ग्राहक के लेनदेन की निगरानी और विभिन्न प्रतिबंध सूचियों पर ग्राहकों को स्कैन करने के लिए बैंक में एक एएमएल प्रणाली लागू की गई है। केवाईसी और एएमएल/सीएफटी अनुपालन के बारे में बैंक कर्मचारियों के बीच अधिक जागरूकता लाने के लिए कई पहलें की गई हैं जैसे 'पीएनबी यूनिव' में केवाईसी पर ऑनलाइन बुनियादी पाठ्यक्रम शाखाओं में स्टाफ सदस्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, प्रशिक्षण केंद्रों पर हर प्रशिक्षण कार्यक्रम में एएमएल और केवाईसी पर एक सत्र अनिवार्य रूप से लिया गया है।

iv. प्रबंधन लेखापरीक्षा

बैंक के पास अपने प्रशासनिक कार्यालयों का लेखा परीक्षण करने के लिए एक जोखिम आधारित प्रबंध लेखापरीक्षा (आरबीएमए) प्रणाली है।

लेखा परीक्षा बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित जोखिम टेम्पलेट्स तथा जोखिम प्रोफाइल पर आधारित है जो प्रशासनिक कार्यालयों के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, संचार प्रणाली, कुशल संसाधन उपयोग, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किये जाने वाले साधन आदि जैसी विभिन्न क्षेत्रों के कार्यान्वयन में मौजूद जोखिम धारणाओं को दर्ज करने के लिए बैंक द्वारा तैयार किया गया है। कम जोखिम वाले तथा सभी प्रधान कार्यालय के प्रभागों को छोड़कर, जिनकी दो वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा की जाती है, आरबीएमए के अंतर्गत आने वाले सभी प्रशासनिक कार्यालयों की वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा की जाती है। उच्च जोखिम रेटिंग वाले प्र. का. प्रभागों की लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है।

- Bank had formed a dedicated Data Analytics Team to function as Offsite Surveillance Unit (OSU). The team undertakes Descriptive & Diagnostic analysis in a centralised and continuous manner through Data Dump for suggesting enhancement in system and procedure.

During the FY 2021-22, OSU has undertaken studies by covering various aspects. The enhancement suggested by team is implemented in system for mitigating the identified operational risk.

iii. Know Your Customer(KYC)/Anti Money Laundering (AML)

Bank has put in place a Board approved and transparent Know Your Customer (KYC) Policy, for ensuring meticulous compliance by all Branches/ Offices while dealing with new as well as existing customers. RBI guidelines on various KYC related parameters such as KYC Updation, Identification of Beneficial Owners, UCIC, CKYC etc. are implemented in letter and spirit. For strict compliance of extant KYC guidelines, CASA Back offices have been established for centralized opening of Savings & Current accounts. Further, Document Management System (DMS) has been procured for digitalization of customer documents.

An AML System has been implemented in Bank for monitoring of customer's transactions from money laundering perspective through AML alerts and for scanning customers against various sanctions lists. A number of initiatives have been undertaken to bring greater awareness amongst Bank staff about KYC and AML/CFT compliances such as Online basic course on KYC in 'PNB UNIV' has been made mandatory for staff members at branches and one session is mandatorily taken on KYC AML in every training program at training centres.

iv. Management Audit

Bank has prescribed Risk Based Management Audit (RBMA) system for conducting audit of its administrative offices.

The audit is based on Risk Templates and risk profiles duly approved by Board to capture risk perceptions inherent in various areas of functioning of administrative offices including decision making process, communication system, efficient resource utilization, ways and means used to achieve the goals etc. All administrative offices under the scope of RBMA are audited on annual basis except Low risk rated offices and all Head Office Divisions, which are subject to audit once in two years. Head Office Divisions of High Risk rating are audited on yearly basis.

वर्ष 2021-22 के दौरान, अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर, प्रबंधन लेखा परीक्षा और समीक्षा प्रभाग (एमएआरडी) ने 276 में से 267 कार्यालयों का प्रबंधन लेखा परीक्षा आयोजित की जिसमें 160 मंडल कार्यालयों, 23 अंचल कार्यालयों, 24 अंचल लेखापरीक्षा कार्यालयों, 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, प्र. का. के 36 प्रभाग 15 स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज की भी प्रबंध लेखापरीक्षा की गई।

v. सतर्कता

पंजाब नेशनल बैंक का मानना है कि एक संगठन उतना ही मजबूत और ईमानदार होता है, जितना उसके कर्मचारी। कर्मचारी संगठन का चेहरा होते हैं और बैंक अपने सभी हितधारकों को आश्वस्त करता है कि बैंक की पूरी टीम सभी प्रकार के आधिकारिक कारोबार और आचरण में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निवारक सतर्कता उपायों, प्रभावी निगरानी तंत्र और मामलों पर पर्यवेक्षी निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त दक्षता के कारण, मार्च 2022 के अंत में बकाया सतर्कता मामलों को पिछले कई वर्षों के दौरान सबसे कम 172 तक लाया गया था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कोविड-19 के कारण चुनौतियों और निरंतर व्यवधानों के बावजूद, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सतर्कता मामलों का निपटान 72 प्रतिशत था।

साथ ही, पिछले वर्ष उद्घाटित “स्टाफ जवाबदेही मामलों की ट्रैकिंग और निगरानी” पोर्टल को पूरी तरह से स्थिर/मजबूत/दृढ़ कर दिया गया है और जांच कार्यवाही की ट्रैकिंग के लिए जांच अधिकारी मॉड्यूल जैसे नए मॉड्यूल पोर्टल में जोड़े गए हैं। यह पोर्टल ट्रिगर बिंदु से तार्किक निष्कर्ष तक स्टाफ जवाबदेही मामलों की ट्रैकिंग, निगरानी, एमआईएस रिपोर्टिंग और पर्यवेक्षण प्रदान करता है।

इसके अलावा, निवारक सतर्कता उपायों के संदर्भ में, 31 मार्च, 2022 तक लगभग 99.42 प्रतिशत व्यवसाय, 98.28 प्रतिशत कर्मचारियों और 98.46 प्रतिशत शाखाओं को कवर करके निवारक सतर्कता समिति बैठक पोर्टल को मजबूत बनाया गया है।

उपरोक्त के अलावा, अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी, साथ ही सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सतर्कता मामलों पर संवाद करने के लिए सहभागिता की है। साथ ही प्रबंधन प्रशिक्षुओं और मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए निवारक सतर्कता सत्र चलाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों के दौरान जांच अधिकारियों और सतर्कता अधिकारियों के लिए कौशल भवनों और ज्ञान उन्नयन के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

बैंक का सतर्कता विभाग एक ई-पत्रिका “पीएनबी विजिल” प्रकाशित कर रहा है और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में गहन जागरूकता के लिए कर्मचारियों के लिए निवारक सतर्कता पर ऑनलाइन मासिक प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है जिससे परिचालन में दक्षता आती है और इस प्रकार ग्राहकों की संतुष्टि और संगठन में बेहतर अनुपालन संस्कृति में मूल्य जुड़ता है।

During the FY 2021-22, based on approved Annual Audit Plan, Management Audit and Review Division (MARD) conducted management audit of 267 offices out of 276, comprising of 160 Circle Offices, 23 Zonal Offices, 24 Zonal Audit Offices, 9 Regional Rural Banks, 36 Head Office Divisions and 15 Staff Training Colleges.

v. Vigilance

Punjab National Bank believes that an organisation is only as strong and honest as its people. The employees are the face of the organisation and the Bank assures all its stakeholders that the entire team of PNB is committed to work with integrity and probity in all types of official dealings and demeanours.

Due to efficiency achieved through preventive Vigilance measures, effective monitoring mechanism and supervisory oversight over cases, the outstanding Vigilance cases at the end of March 2022 were brought down to 172, the lowest ever during the last several years. Further, despite the challenges and continued disruptions on account of COVID-19, the disposal of Vigilance Cases was 72 per cent during FY 2021-22.

Also, the portal “Tracking and Monitoring of Staff Accountability Cases” inaugurated last year has been completely stabilized and new modules like Enquiry Officials Module, for tracking of enquiry proceedings have been added in the portal. This portal offers tracking, monitoring, MIS reporting and supervising of staff accountability cases from trigger point to logical conclusion.

Further, in terms of preventive vigilance measures, the portal of Preventive Vigilance Committee Meetings has been made robust by covering approx. 99.42 per cent of Business, 98.28 per cent of staff and 98.46 per cent of Branches as at 31st March, 2022.

In addition to the above various training sessions have been organised on Pan-India basis wherein the Chief Vigilance Officer, as well senior officials from Vigilance Department have participated to have interactions on Vigilance matters. Also Preventive Vigilance Sessions is being undertaken in the induction of Management Trainees and Mid-Career training programmes. Specialised training programmes for skill buildings and knowledge upgradations have also been conducted for Investigating Officials and Vigilance Officers during last years.

The Vigilance Department of the Bank has been publishing an e-magazine, “PNB Vigil”, and is conducting online monthly quiz on preventive vigilance for staff for deeper awareness of important issues leading to efficiency in operations and thereby adding value to the customer satisfaction and better compliance culture in the organisation.

बैंक ने सभी स्थानों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा कोविड-19 रोकथाम दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2021 को 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक "स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" – विषय के साथ मनाया गया ताकि जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके और ब्रांड छवि को बढ़ाया जा सके। वीएडब्ल्यू के दौरान बैंक द्वारा कुल 3,10,108 सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई और विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें 2,351 ग्राम सभा, लगभग 30,000 व्यक्तियों की भागीदारी के साथ ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न ऑनलाइन जागरूकता गतिविधियां शामिल हैं। सीएसआर गतिविधियों के एक भाग के रूप में अंचल कार्यालयों द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए गए। जरूरतमंदों को तिपहिया, ई-रिक्शा, कंबल, स्कूल बैग आदि बांटे गए।

The Vigilance Awareness Week (VAW) 2021 was observed from 26th October, 2021 to 1st November, 2021 with the theme "Independent India @75: Self Reliance with Integrity" to promote awareness and enhance brand image of the Bank while ensuring adherence of extant COVID-19 prevention guidelines issued from time to time by the competent authorities at all locations. During the VAW, total of 3,10,108 Integrity Pledges were administered by Bank and various awareness activities conducted which includes 2,351 Gram Sabhas, Online Quiz Competition with participation of approx. 30,000 persons and various online awareness activities at Schools and Colleges. As a part of CSR activities Health Checkup camps were also organized by the Zonal Offices. Tricycle, e-Rickshaw, Blankets, School Bags etc. were distributed to the needy.

vi. सूचना का अधिकार अधिनियम

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान बैंक को 7894 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 5423 आवेदनों में मांगी गई जानकारी प्रदान कर दी गई जबकि 1645 आवेदनों के संबंध में यह पाया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उनके उत्तर प्रदान करने से छूट प्राप्त थी। आगे 31 मार्च 2022 तक 826 आवेदन निस्तारण हेतु शेष थे जिन्हें बाद में निर्धारित अवधि में निस्तारित कर दिया गया।

vi. Right to Information Act

During the period 1st April, 2021 to 31st March, 2022, the Bank received 7,894 applications and provided requisite information to 5,423 applicants while 1,645 applications were found exempted under the provision of the Act. Further, 826 applications were outstanding as on 31st March, 2022 for disposal, which were subsequently disposed off within the prescribed timeframe.

एच. परिचालनगत निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

31 मार्च, 2022 के अंत तक, सकल वैश्विक अग्रिम 7,85,104 करोड़ रुपये और सकल वैश्विक जमा 11,46,218 करोड़ रुपये के साथ बैंक का सकल वैश्विक कारोबार 19,31,322 करोड़ रुपये रहा। चालू और बचत जमा (कासा) 47.43 प्रतिशत के घरेलू कासा शेयर के साथ 5,33,654 करोड़ रुपये रहा। इसके साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,457 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ बैंक का परिचालन लाभ 20,761 करोड़ रुपये रहा।

H. Discussion on Financial performance with respect to operational performance

As at the end of 31st March, 2022, Bank's Gross Global Business stood at Rs. 19,31,322 Crore with Gross Global Advances at Rs. 7,85,104 Crore and Gross Global Deposit at Rs. 11,46,218 Crore. Current and Saving Deposits (CASA) was at Rs. 5,33,654 Crore with domestic CASA share at 47.43 per cent. In addition, Bank's Operating Profit was at Rs. 20,761 Crore with the Net Profit of Rs. 3,457 Crore for the FY 2021-22.

आई. मानव संसाधन/नियोजित किये गए कर्मचारियों की जानकारी संख्या सहित औद्योगिक संबंध में आए महत्वपूर्ण बदलाव

I. Material Developments in Human Resources/Industrial Relations front including number of people employed

i. मानव संसाधन प्रबंधन:

कर्मचारियों की कुल संख्या: निम्नलिखित तालिका में दी गई कर्मचारियों की संख्या/कर्मचारी पीएनबी हेतु मार्च 2021 और मार्च 2022 के लिए है जिसमें सहायक अनुषंगियों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी शामिल हैं।

i. Human Resources Management:

Total number of employees: Staff strength/Employees given in the following table are for March 2021 and March 2022 including those on deputation in the subsidiaries.

संवर्ग वार कर्मचारी संख्या

संवर्ग	मार्च, 2021		मार्च, 2022	
	संख्या	कुल स्टाफ का प्रतिशत	संख्या	कुल स्टाफ का प्रतिशत
अधिकारी	52913	51.98%	51812	50.23%
लिपिक	29313	28.79%	29881	28.97%
अधीनस्थ कर्मचारी (पीटीएस सहित)	19576	19.23%	21451	20.79%
कुल	101802	100.0%	103144	100.0%

आरक्षण नीति

बैंक भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में समय-समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का अनुसरण करता है।

एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों की संख्या

संवर्ग	मार्च, 2021			मार्च, 2022		
	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
अधिकारी	10697	4047	11920	10383	3992	12273
लिपिक	5998	1622	7230	6104	1686	7683
अधीनस्थ कर्मचारी (पीटीएस सहित)	8100	1199	4220	8465	1448	5007
कुल	24795	6868	23370	24952	7126	24963

कर्मचारियों की आयु प्रोफाइल

पिछले कुछ वर्षों में समग्र कर्मचारियों की औसत आयु में कमी आई है। पिछले पांच वर्षों में संवर्ग-वार औसत आयु का विवरण निम्नानुसार है:

(औसत आयु वर्षों में)

को औसत आयु	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	सर्व सम्मिलित
मार्च, 2018	43.05	38.03	36.60	39.71
मार्च, 2019	42.70	38.27	36.90	39.67
मार्च, 2020	40.58	39.05	37.13	39.30
मार्च, 2021	39.34	38.90	39.69	39.28
मार्च, 2022	39.24	38.28	38.03	38.71

मार्च 2018, 2019 और 2020 के लिए स्टैंडअलोन पीएनबी और मार्च 2021 और 2022 के लिए समांमेलित पीएनबी।

औद्योगिक संबंध

बैंक में कर्मचारी यूनियन/अधिकारी संगठनों के साथ औद्योगिक संबंध पहले की भांति सौहार्दपूर्ण हैं। कोविड महामारी के कारण वर्ष के दौरान आईआरएम/एमआरएम सहित विभिन्न भौतिक बैठकें बहुसंख्यक

Cadre wise Staff Strength

Cadre	March, 2021		March 2022	
	Number	% of Total Staff	Number	% of Total Staff
Officer	52913	51.98%	51812	50.23%
Clerks	29313	28.79%	29881	28.97%
Sub Staff (incl. PTS)	19576	19.23%	21451	20.79%
Total	101802	100.0%	103144	100.0%

Reservation Policy

Bank follows the reservation policy for SCs, STs and OBCs as prescribed by Government of India from time to time.

Strength of SC/ST/OBC Employees

Cadre	March, 2021			March, 2022		
	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC
Officer	10697	4047	11920	10383	3992	12273
Clerks	5998	1622	7230	6104	1686	7683
SubStaff (incl.PTS)	8100	1199	4220	8465	1448	5007
Total	24795	6868	23370	24952	7126	24963

Age Profile of the Employees

The average age of overall employees has come down over the years. The movement of cadre-wise average age in the last five years is as under:

(Average age in years)

Average Age as on	Officer	Clerical	Sub Staff	Over All
March, 2018	43.05	38.03	36.60	39.71
March, 2019	42.70	38.27	36.90	39.67
March, 2020	40.58	39.05	37.13	39.30
March, 2021	39.34	38.90	39.69	39.28
March, 2022	39.24	38.28	38.03	38.71

Standalone PNB for March 2018, 2019 & 2020 and amalgamated PNB for March 2021 & 2022.

Industrial relations

Industrial Relations in the bank continued to be cordial with Workmen Union/Officer's Association. Due to COVID Pandemic various physical meetings including Industrial Relations

अधिकारी संघ/कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित नहीं की गई। हालांकि युनियन/संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों को तुरंत हल कर दिया गया है।

ii. प्रशिक्षण गतिविधियां

महामारी की दूसरी लहर के साथ, वित्तीय वर्ष 2021-22 बैंकिंग उद्योग के लीडर के लिए परीक्षण के समय निर्बाध सेवाएं प्रदान करने हेतु चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। हालांकि, कौशल को बढ़ाने और चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक में प्रौद्योगिकी के माध्यम से नई प्रशिक्षण प्रणाली तथा नई डिजीटल प्रणाली विकसित हुई जिसके माध्यम से अधिकतम संख्या में कर्मचारियों ने लाभ प्राप्त किया।

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने हमारे कार्यबल के बीच सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव उपाय किए, जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण खर्च में उल्लेखनीय कमी आई और साथ ही साथ एक बेहतर सीखने के अनुभव के निरंतर सुपुर्दगी को सुनिश्चित किया। प्रशिक्षण प्रणाली को रणनीतिक के रूप में दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है, जो वैश्विक वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में प्रकट होता है।

समग्र विकास प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा को अधिक उत्पादक और प्रेरणादायक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए—

1. ऑन जॉब ट्रेनिंग की रीमॉडलिंग (ओजेटी)

- प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) का इन्डक्शन 52 सप्ताह का कार्यक्रम है जिसमें कक्षा प्रशिक्षण और ओजेटी दोनों शामिल हैं और इसे अधिक उत्पादक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए, प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए ओजेटी के दौरान उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यपुस्तिकाएं पेश की गई हैं, जो मॉड्यूल II से शुरू होती हैं जिसमें क्रेडिट और विदेशी मुद्रा पहलुओं को शामिल किया जाता है। जिनका रूटीन मॉड्यूल को भी कवर करने के लिए विस्तार किया जा रहा है। यह एमटी को बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों को व्यापक रूप से समझने में मदद करेगा और उन्हें शाखाओं में अपनी पोस्टिंग पर रोजमर्रा की बैंकिंग की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगा।
- इसके अलावा, चूंकि एमटी विभिन्न कार्यालयों में ओजेटी से गुजरते हैं, संकाय सदस्यों को ओजेटी के दौरान मार्गदर्शन के लिए पथप्रदर्शक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये संकाय सदस्य प्रतिक्रिया प्राप्त करने, उनकी समस्याओं को सुनने और उनके मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दैनिक आधार पर उन्हें आवंटित किए गए एमटी से संपर्क करते हैं।

2. ऑनलाइन चैनल के माध्यम से बेहतर सुपुर्दगी

- ऑनलाइन सुपुर्दगी सहभागिता और आत्मसाकारण की सुगमता के लिए, ऐसे कार्यक्रमों में समूह चर्चा, प्रस्तुतियाँ, भूमिका निभाने, चुनाव और यादृच्छिक परीक्षण शामिल किए गए हैं। यह कर्मचारियों और संकाय के बीच एक बेहतर तालमेल सुनिश्चित करता है, जिससे उत्पादक प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त होता है।

Machinery Meeting (IRM)/ Managerial Relations Machinery Meeting (MRM) were not held with representatives of majority Officers' Association/Workmen during the year. However, issues raised by Union/Association have been resolved promptly.

ii. Training Activities

With the second bout of pandemic, FY 2021-22 was another challenging year for leaders across the Banking industry to provide uninterrupted services during the testing times. However, the training system of the Bank evolved through adoption of new delivery systems and technology to upskill and prepare the maximum number of employees to face the challenges.

During the year, Bank took a slew of innovative measures to promote learning and development among the workforce, resultantly reducing the training expense significantly, and at the same time ensuring consistent delivery of an enhanced learning experience. The training system has been strategically aligned with the long term corporate goals, manifested in the backdrop of global financial and economic scenario.

To achieve holistic development, following measures were taken in the FY 2021-22 to make learning more productive and stimulating:

1. Remodelling On the Job Trainings (OJTs)

- Induction of Management Trainees (MTs) is a 52 weeks program comprising of both classroom trainings and OJTs and to make it more productive and streamlined, workbooks for Management Trainees to facilitate them during OJTs have been introduced, starting with Module II covering Credit and Forex aspects which are being extended to cover the Routine module as well. This will help the MTs in understanding different areas of banking in a comprehensive manner and prepare them better to face the challenges of everyday banking on their postings in branches.
- Further, as MTs undergo OJTs at various offices, faculty members have been assigned as mentors for hand holding during the course of OJT. These faculty members connect with MTs mapped to them on a daily basis to get feedback, listen to their problems and provide resolution to their issues.

2. Enhanced Delivery through Online Channel

- In order to facilitate online delivery engagement and assimilation, Group Discussions, presentations, role plays, polls and random tests have been included in such programs. This ensures an enhanced interface between employees and faculty, thus leading to productive training experience.

3. प्रबंधन/नेतृत्व विकास

- नेतृत्व स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, स्केल IV-VI में नए पदोन्नत अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम और नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका आयोजन बैंक द्वारा अब तक अन्य उत्कृष्टतम संस्थानों में किया जा रहा है। यह पिछले वर्ष प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) हैदराबाद, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट (एसबीआईसीआरएम) गुडगांव और बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी) लखनऊ जैसे संस्थानों के सहयोग से इनहाउस आयोजित किए गए थे। इससे हमारे मौजूदा बुनियादी ढांचे का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हुआ है और कौशल वृद्धि के लिए सर्वोत्तम विशेषज्ञता उपलब्ध हुई है।

4. व्यवहार कौशल पर जोर

- बैंकिंग एक सेवा उद्योग होने के नाते, सॉफ्ट स्किल्स का महत्व किसी से कम नहीं हो सकता है और इस दिशा में, सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल उत्पादों पर कैप्सूल कार्यक्रम भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित किए गए थे ताकि व्यवहार में बदलाव, बेहतर ज्ञान स्तर और ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि हो सके।

5. समावेशिता को बढ़ावा देना

- लर्निंग एंड डेवलपमेंट वर्टिकल का एजेंडा न केवल कर्मचारियों के कार्यात्मकता सीखने को पूरा करने के लिए है, बल्कि कार्यबल को प्रेरित करने के लिए सेमिनार भी प्रशिक्षण एजेंडे का एक हिस्सा है। ऐसी ही एक पहल पिछले वर्ष बैंक में महिला अधिकारियों के लिए महिला कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी, जहां मैडम अरुंधति भट्टाचार्य (पूर्व अध्यक्ष एसबीआई) मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं। इसका उद्देश्य महिला अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था।
- बैंक ने अक्षम कर्मचारियों के लिए अनियमित ऋण खातों के लिए अनुवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 'अक्षमता में क्षमता' खोजने की भी पहल की। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक के मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। अनियमित ऋणों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 7 बैचों में कुल 255 दिव्यांग कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था।
- सांविधिक आवश्यकता के अनुसार 16,762 पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, 19,057 अतिरिक्त कर्मचारी जो सांविधिक आवश्यकता चैनल के तहत कवर नहीं किए गए थे, उन्हें भी वित्त वर्ष 2021-22 में पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

6. पारंपरिक व्याख्यान/मॉड्यूल आधारित शिक्षा की सीमाओं में परिवर्तन

- चूंकि बैंकिंग एक तेज गति वाला उद्योग है, जहां दिशानिर्देश संशोधित होते रहते हैं और तदनुसार मौजूदा उत्पादों/प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए बदलाव के अलावा मौजूदा बकेट में नए उत्पादों/सुविधाओं को पेश किया जाता है। अध्ययन एवं ज्ञान प्रबंधन केंद्र (एलकेएमसी) ने महसूस किया

3. Management/Leadership Development

- To make a positive difference at the leadership level, Management Development Programs and Leadership Development Programs are conducted for the newly promoted officers in Scale IV-VI which the Bank has been arranging at other institutions of excellence till now. These were conducted in-house last year in collaboration with institutions like Administrative Staff College of India (ASCI) Hyderabad, State Bank Institute of Credit and Risk Management (SBICRM) Gurgaon and Bankers Institute of Rural Development (BIRD) Lucknow. This ensured effective utilization of existing infrastructure and getting best expertise available for skill enhancement.

4. Emphasis on Behavioral Skills

- Banking being a service industry, importance of soft skills can be second to none other and towards this end, capsule programs on Soft Skills and Digital products were also conducted in FY 2021-22 to bring about attitudinal change, improved knowledge levels and enhanced customer satisfaction.

5. Promoting inclusivity

- Agenda of Learning & Development vertical is not just to cater to functional learning of staff, but seminars to motivate the workforce are also a part of training agenda. One such initiative last year was conducting Women's Conclave for lady executives in the Bank, where Madam Arundhati Bhattacharya (former chairperson SBI) joined in for keynote address. This was aimed at motivating female officers to rise up the career ladder.
- Bank also took an initiative of finding 'ability in disability' by conducting training program on follow-up for irregular loan accounts for specially-abled staff. Such training programs ensure optimum utilization of human resource of the Bank. A total of 255 specially-abled employees were trained in 7 batches for effective follow-up on irregular loans.
- As per statutory requirement, pre-promotion training was imparted to 16,762 eligible employees. In addition, 19,057 additional employees who were not covered under the statutory requirement channel, were also imparted pre-promotion training in FY 2021-22.

6. Transcending the limits of traditional lecture/module based learning

- Since banking is a fast paced industry where guidelines keep getting revised and accordingly changes are made to improvise existing products/procedures besides introducing new products/features to existing bouquet. Learning and Knowledge Management

कि कर्मचारियों को नए उत्पादों को समझने में सहयोग करना महत्वपूर्ण है और कर्मचारियों को उन परिवर्तनों से अवगत कराने के लिए, एक दैनिक पॉडकास्ट सेवा भी शुरू की गई है जिसमें कर्मचारियों के लाभ के लिए किसी भी उत्पाद/प्रक्रिया/दिशानिर्देश का संक्षिप्त विवरण दैनिक आधार पर परिचालित किया जाता है।

- डिजिटलीकरण ने हर क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और महामारी से डिजिटलीकरण को और अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। यह भी बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और इस दिशा में, एलकेएमसी ने कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों के बीच पीएनबी वन की विशेषताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए 'पीएनबी वन' पर इंटरैक्टिव वीडियो तैयार किए हैं।
- प्रशिक्षण वर्टिकल ने चालू और बचत खाता खोलने की प्रक्रियाओं में समेकित दिशा-निर्देशों/एसओपी/अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों/सामान्य त्रुटियों के साथ फील्ड कर्मियों की सुविधा के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में पुस्तिकाएं तैयार करने की पहल की है। यह फील्ड स्तर पर खाता खोलने की प्रक्रिया में टीएटी को कम करने के लिए निर्देशित एक प्रयास है। इस पहल का विस्तार एनपीए प्रबंधन के लिए भी किया गया और वसूली पर प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों को वर्णन करने वाली पुस्तिकाओं को फील्ड पदाधिकारियों के सुलभ संदर्भ के लिए एक स्पष्ट रूप से समेकित किया गया। इसी प्रकार, ग्राहक सेवा/शिकायत वृद्धि मैट्रिक्स पर पुस्तिकाओं को भी संकलित किया गया और स्टाफ सदस्यों के बीच परिचालित किया गया।

भावी दिशा

बैंकिंग क्षेत्र का दृष्टिकोण उभरती हुई भू-राजनीतिक स्थिति और वैश्विक कमोडिटी कीमतों और लॉजिस्टिक्स पर इसके प्रभाव पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के खुलने से नए प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता कम हो गई है, और मौजूदा गति को बड़े पैमाने पर व्यवधान के बिना बनाए रखा जा सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 में, हम उम्मीद करते हैं कि ब्याज दर में परिवर्तन के बावजूद, जमा और ऋण दोनों दोहरे अंकों में बढ़ते रहेंगे।

बुनियादी ढांचे पर बढ़े हुए खर्च, परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन और सुधारों को जारी रखने से बैंकिंग क्षेत्र में विकास को और गति मिलने की उम्मीद है। इन सभी कारकों से पता चलता है कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक मजबूत विकास के लिए तैयार है क्योंकि तेजी से बढ़ते व्यवसाय अपनी ऋण जरूरतों के लिए बैंकों की ओर रुख करेंगे।

साथ ही, प्रौद्योगिकी में प्रगति ने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को सामने ला दिया है। बैंकिंग क्षेत्र अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और ग्राहकों के समग्र अनुभव को बढ़ाने के साथ-साथ बैंकों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त देने के लिए उनकी प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर अधिक जोर दे रहा है।

आगे बढ़ते हुए, पंजाब नेशनल बैंक मजबूत मूल्य प्रस्ताव के साथ ग्राहक केंद्रित होने, नए युग की प्रौद्योगिकियों के निर्माण और उच्च संभावित पारिस्थितिकी तंत्र में साझेदारी को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। साथ ही डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ क्रेडिट में मार्केट शेयर में सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी। बैंक आस्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए मजबूत वसूली उपायों को लागू करता रहेगा। इन उपायों से निरंतर लाभप्रदता और मजबूत पूंजी की स्थिति निर्माण होगी। सभी कर्मचारियों के निरंतर लक्षित प्रयासों से ब्रांड वैल्यू में सुधार होगा और पंजाब नेशनल बैंक "भरोसे का प्रतीक" के रूप में सुदृढ़ होगा।

Centre (LKMC) realizes that providing its support in helping employees understand the new products is critical and in order to keep the staff abreast of those changes, a daily podcast service has also been started wherein brief details of product/process/guideline is circulated for the benefit of the staff on daily basis.

- Digitalization has disrupted every sector and the pandemic has made digitalization gain greater significance. This is also one of the thrust areas for the Bank and towards this end, LKMC has prepared interactive videos on 'PNB ONE' to promote better understanding of its features amongst staff as well as customers.
- Training vertical has also taken initiative of curating booklets in the past FY for facilitating field functionaries with consolidated guidelines/SOPs/ FAQs/common errors in the Current and Savings account opening processes. This has been an effort directed to reduce TAT in account opening procedure at field level. The initiative was extended to NPA Management wherein booklets explaining procedures/guidelines on recovery were consolidated in a lucid manner for ready reference for field functionaries. Similarly, booklets on customer service/complaint escalation matrix were also compiled and circulated among the staff members.

WAY FORWARD

The outlook on banking sector depends upon the evolving geopolitical situation and its impact on global commodity prices and logistics. The opening of economy has reduced the need for a new stimulus package, and the current momentum can be sustained without large scale disruption. In FY 2022-23, it is expected both deposits and credit will continue to grow in double digits.

Enhanced spending on infrastructure, speedy implementation of projects and continuation of reforms are expected to provide further impetus to growth in the banking sector. All these factors suggest that India's banking sector is poised for a robust growth as rapidly growing businesses will turn to banks for their credit needs.

Also, the advancement in technology has brought mobile and internet banking services to the fore. The banking sector is laying greater emphasis on providing improved services to their clients and upgrading their technology infrastructure to enhance customer's overall experience and give banks a competitive edge.

Going forward, Punjab National Bank shall remain focused on being customer centric with strong value proposition, building new-age technologies and scaling up partnerships in high potential ecosystems. Also, priority to be given on improving the market share in credit with diversified portfolio. The Bank will keep implementing strong recovery measures to improve asset quality. These measures will lead to sustained profitability and robust capital position. The continuous targeted efforts of all the employees will improve the brand value and will reinforce Punjab National Bank as "the name you can Bank upon".

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यगण

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक द्वारा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 ('सेबी एलओडीआर विनियमन') में यथानिर्दिष्ट, संबंधित वर्ष के दौरान यथा लागू, कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किए जाने की जाँच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई थी और कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धतियों तथा उनके क्रियान्वयन तक ही सीमित थीं। यह बैंक की वित्तीय विवरणियों की न तो लेखा परीक्षा है और न ही उनके बारे में अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऊपर उल्लिखित सेबी विनियमन में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन इस प्रकार किया है कि इससे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 का खंडन न हो।

- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ई), 9(3) (एफ) और 9(3) (जी) के तहत एक-एक निदेशक और धारा 9(3) (एच) के तहत दो निदेशकों के पद बैंक के बोर्ड में रिक्त थे।

हम सूचित करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेशकों की ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है, जो एक माह से अधिक समय से लंबित हो।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के प्रति ना ही कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन वर्ग ने बैंक कार्यों का संचालन किया है, के प्रति एक आश्वासन है।

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 000050N/N500045

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 001537C

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं.: 008567C

सीए सुरिंदर कृ. खट्टर
भागीदार
(सदस्य सं. 084993)
यूडीआईएन: 22084993AIUWRL4394

सीए प्रवीण गोयल
भागीदार
भागीदार (सदस्य सं. 074789)
यूडीआईएन: 22074789AIUWOV9797

सीए संदीप जैन
भागीदार
(सदस्य सं. 077281)
यूडीआईएन: 22077281AIUWKM9291

कृते एससी बापना एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं.: 115649W

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं.: 304138E

सीए सुभाष चंद बापना
भागीदार
(मो. नं. 071765)
यूडीआईएन: 22071765AIUVJS2115

सीए जगन्नाथ प्रसाद महापात्रो
भागीदार
(सदस्य सं. 217012)
यूडीआईएन: 22217012AIURCT2583

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 11.05.2022

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of Punjab National Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab National Bank for the year ended on March 31, 2022, as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR Regulations'), as applicable during the relevant year.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us we certify that the Bank has, in all material aspects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulation Act, 1949 and Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, except for the following:

- The Position of one Director each under Section 9(3)(e), 9(3)(f) and 9(3)(g) and two Directors under Section 9(3)(h) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, were vacant on the Board of the Bank.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For S N Dhawan & Co. LLP

Chartered Accountants
 FRN: 000050N/N500045

CA Surinder Kr. Khattar

Partner
 (M.No. 084993)
 UDIN: 22084993AIUWRL4394

For S C Bapna & Associates

Chartered Accountants
 FRN: 115649W

CA Subhash Chand Bapna

Partner
 (M.No. 071765)
 UDIN: 22071765AIUVJS2115

For S R Goyal & Co.

Chartered Accountants
 FRN: 001537C

CA Praveen Goyal

Partner
 (M.No. 074789)
 UDIN: 22074789AIUWOV9797

For D K Chhajer & Co.

Chartered Accountants
 FRN: 304138E

CA Jagannath Prasad Mohapatro

Partner
 (M.No.217012)
 UDIN: 22217012AIURCT2583

For P S M G & Associates

Chartered Accountants
 FRN: 008567C

CA Sandeep Jain

Partner
 (M.No.077281)
 UDIN: 22077281AIUWKM9291

Place: New Delhi

Date: 11.05.2022

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance



कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट अभिशासन का सिद्धांत

बैंक निवेशकों एवं अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़ाने, पारदर्शिता का उच्च मानक निर्धारित करने, कार्यक्षमता में सुधार हेतु नैतिक मूल्यों व संगठन की प्रगति में विश्वास करता है। बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता व उत्तरदायित्व पर आधारित सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारा निगमित ढांचा, कारोबार, परिचालन और प्रकटीकरण कार्यशैली उक्त निगमित शासन के सिद्धांत के पूर्णतया अनुरूप है।

बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत एक निगमित निकाय है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, बैंक, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों का पालन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों का तथा इस संबंध में भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, निदेशों आदि का उल्लंघन न किए जाने की सीमा तक करता है।

बैंक का निदेशक मंडल सभी हितधारकों जैसे शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों और व्यापक समाज के लिए मूल्यों का वर्धन करने का प्रयास करता है।

2. निदेशक मण्डल

बैंक के बोर्ड का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

2.1 31.03.2022 के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना उनकी नियुक्ति तिथि, श्रेणी, अन्य समितियों की सदस्यता इत्यादि, निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का निर्धारण करने वाले चार्ट/मैट्रिक्स के साथ निम्नवत दी गई है:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार एक निदेशक के पास कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग आदि जैसे एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल के समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2022 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की सं.
1	अतुल कुमार गोयल	01.02.2022	सी.ए., बी.कॉम, सीएआईआईबी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग, लेखापरीक्षा एवं लेखा,	1. प्रबंधन समिति-अध्यक्ष 2. ग्राहक सेवा समिति – अध्यक्ष 3. निदेशकों की पदोन्नति समिति – अध्यक्ष 4. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति – अध्यक्ष 5. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी – अध्यक्ष 6. सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति – अध्यक्ष 7. प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III – अध्यक्ष 8. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – अध्यक्ष	1. ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसीबी- सदस्य)	15

Report on Corporate Governance

1. Corporate Governance Philosophy

The Bank believes in enhancing investor and other stakeholders' confidence and setting high standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization. The Bank is committed to following best Corporate Governance practices based on transparency, professionalism and accountability.

Our corporate structure, business, operations and disclosure practices have been strictly aligned to the above Corporate Governance Philosophy.

The Bank is a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. Being a listed entity, the Bank complies with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Guidelines, Directives, etc. issued by the Government of India and the Reserve Bank of India in this regard.

The Board of the Bank strives to optimize value for all stakeholders like shareholders, employees, customers and the society at large.

2. Board of Directors

The Board of the Bank is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

2.1 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2022 with date of their appointment, category, membership of other Committees etc. along with the Chart/Matrix setting out the skills/expertise/competence of the Directors is given below:

As per the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, a Director shall possess special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters namely agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry etc.

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appointment	Qualification	Category Of Director	Experience	Skills/Expertise/Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Shareholders/ Investors Grievance Committees in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2022
1	Atul Kumar Goel	01.02.2022	CA, B.Com, CAIIB	MD & CEO	Over 30 years of experience in Nationalized Banks.	Banking, Audit & Accounts	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Committee – Chairman 2. Customer Service Committee – Chairman 3. Directors Promotion Committee – Chairman 4. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs. 1.00 Crore and above – Chairman 5. Appellate Authority and Reviewing Authority – Chairman 6. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases – Chairman 7. HO Credit Approval Committee Level III - Chairman 8. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks – Chairman 	1. The Oriental Insurance Company Limited (ACB- member)	15

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल के समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2022 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेरों की सं.
							<ul style="list-style-type: none"> 9. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति – अध्यक्ष 10. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति-अध्यक्ष 11. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति – अध्यक्ष 12. व्यवसाय समीक्षा समिति-अध्यक्ष 13. पूंजी जुटाव समिति – अध्यक्ष 14. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 15. हितधारक संबंध समिति 		
2.	संजय कुमार	01.04.2020	एमएससी, सीएआईआईबी, ट्रेजरी, निवेश तथा जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 36 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग	<ul style="list-style-type: none"> 1. हितधारक संबंध समिति 2. प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. आईटी रणनीति समिति 5. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 6. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी 7. सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 8. प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III 9. शेरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 10. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 11. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 12. व्यवसाय समीक्षा समिति 13. पूंजी जुटाव समिति 	शून्य	1212
3.	विजय दुवे	01.04.2020	एमबीए, एमएससी (सांख्यिकी), सीएआईआईबी, सीमित इन्सोल्वेंसी परीक्षा में प्रमाणन, वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणन (तीसरे स्तर का अवार्ड)	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 36 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग	<ul style="list-style-type: none"> 1. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 2. प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. आईटी रणनीति समिति 5. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 	शून्य	8568

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appointment	Qualification	Category Of Director	Experience	Skills/Expertise/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Shareholders/ Investors Grievance Committees in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2022
							9. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery – Chairman 10. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification – Chairman 11. Steering Committee of the Board on HR – Chairman 12. Business Review Committee – Chairman 13. Capital Raising Committee – Chairman 14. Risk Management Committee of the Board 15. Stakeholders Relationship Committee		
2	Sanjay Kumar	01.04.2020	M.Sc., CAIB, Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM)	Executive Director	Over 36 years of experience in Nationalized Banks.	Banking	1. Stakeholders Relationship Committee 2. Management Committee 3. Customer Service Committee 4. IT Strategy Committee 5. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs. 1.00 Crore and above 6. Appellate Authority and Reviewing Authority 7. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 8. HO Credit Approval Committee Level III 9. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks 10. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 11. Steering Committee of the Board on HR 12. Business Review Committee 13. Capital Raising Committee	NIL	1212
3	Vijay Dube	01.04.2020	MBA, M. Sc.(Statistics), CAIB, Certification in Limited Insolvency Examination, Certification in Risk in Financial Services (Level 3 Award)	Executive Director	Over 36 years of experience in Nationalized Banks.	Banking	1. Risk Management Committee of the Board 2. Management Committee 3. Customer Service Committee 4. IT Strategy Committee 5. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs. 1.00 Crore and above	NIL	8568

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल के समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2022 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेरों की सं.
							<ul style="list-style-type: none"> 6. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी 7. सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 8. प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III 9. शेरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 10. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 11. व्यवसाय समीक्षा समिति 12. पूंजी जुटाव समिति 		
4.	स्वरूप कुमार साहा	10.03.2021	बीएससी (ऑनर्स), ट्रेजरी, निवेश तथा जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा, सीएआईआईबी, वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणन	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग	<ul style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. आईटी रणनीति समिति 4. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी 5. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 6. सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 7. प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III 8. शेरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 9. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 10. व्यवसाय समीक्षा समिति 11. बोर्ड की पूंजी जुटाव समिति 	शून्य	6494
5.	कल्याण कुमार	21.10.2021	एमएससी, सीएआईआईबी	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 27 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग	<ul style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. आईटी रणनीति समिति 4. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी 5. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 6. सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 	शून्य	शून्य

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appointment	Qualification	Category Of Director	Experience	Skills/Experience/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Shareholders/ Investors Grievance Committees in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2022
							<ul style="list-style-type: none"> 6. Appellate Authority and Reviewing Authority 7. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 8. HO Credit Approval Committee- Level-III 9. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks 10. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 11. Business Review Committee 12. Capital Raising Committee 		
4	Swarup Kumar Saha	10.03.2021	B. Sc. (Hons.), Diploma in Treasury, Investment & Risk Management (DTIRM), CAIIB, Certification in Risk in Financial Services	Executive Director	Over 30 years of experience in Nationalized Banks.	Banking	<ul style="list-style-type: none"> 1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. IT Strategy Committee 4. Appellate Authority and Reviewing Authority 5. Special Committee of the Board to monitor and follow up Fraud Cases involving Rs. 1.00 Crore and above 6. Committee of the Directors to Review Vigilance and Non Vigilance cases 7. HO Credit Approval Committee- Level-III 8. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks 9. Committee of the Board to Monitor the Progress in Recovery 10. Business Review Committee 11. Capital Raising Committee of Board 	NIL	6494
5	Kalyan Kumar	21.10.2021	M.Sc., CAIIB	Executive Director	Over 27 years of experience in Nationalized Banks.	Banking	<ul style="list-style-type: none"> 1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. IT Strategy Committee 4. Appellate Authority and Reviewing Authority 5. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs. 1.00 Crore and above 6. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 	NIL	NIL

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल के समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2022 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेरों की सं.
							<ol style="list-style-type: none"> 7. प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III 8. शेरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 9. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 10. व्यवसाय समीक्षा समिति 11. पूंजी जुटाव समिति 		
6.	पंकज जैन	08.08.2019	वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, एमबीए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य	भारत सरकार के नामिती निदेशक	30 वर्षों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव	प्रशासन, प्रबंधन, लेखा और लागत निर्धारण	<ol style="list-style-type: none"> 1. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति 2. निदेशकों की पदोन्नति समिति 3. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 4. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी 5. सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 6. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 7. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति 	सिडबी (एसीबी सदस्य)	शून्य
7.	अनिल कुमार मिश्रा	25.02.2022	एमबीए, एम.ए.	आरबीआई के नामिती निदेशक	आरबीआई और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। आरबीआई से कार्यपालक निदेशक पद से सेवानिवृत्त।	बैंकिंग और अनुपालन	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति 3. निदेशकों की पदोन्नति समिति 4. सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति 	शून्य	शून्य
8.	पंकज जोशी	21.12.2021	सीए, बी.कॉम	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	लेखा और लेखापरीक्षा में 15 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव	लेखापरीक्षा और लेखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. नामांकन और पारिश्रमिक समिति- अध्यक्ष 2. प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. व्यवसाय समीक्षा समिति 5. पूंजी जुटाव समिति 6. हितधारक संबंध समिति 7. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति 8. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति 	शून्य	शून्य

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appointment	Qualification	Category Of Director	Experience	Skills/Expertise/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Shareholders/ Investors Grievance Committees in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2022
							7. HO Credit Approval Committee- Level-III 8. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks 9. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 10. Business Review Committee 11. Capital Raising Committee		
6	Pankaj Jain	08.08.2019	Bachelor's Degree in Commerce, MBA, Associate Member of Institute of Cost Accountants of India	Govt. of India Nominee Director	Over 30 years of Administrative experience.	Administration, Management, Accounts and Costing	1. Audit Committee of Board 2. Directors Promotion Committee 3. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs. 1.00 Crore and above 4. Appellate Authority and Reviewing Authority 5. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 6. Steering Committee of the Board on HR 7. Performance Evaluation Committee	SIDBI (ACB - Member)	NIL
7	Anil Kumar Misra	25.02.2022	MBA, M.A.	RBI Nominee Director	Worked in various capacities at RBI and Institutions of International repute. Retired as Executive Director RBI.	Banking and Compliance	1. Management Committee 2. Audit Committee of Board 3. Directors' Promotion Committee 4. Committee of the Directors to Review Vigilance and Non Vigilance cases	NIL	NIL
8	Pankaj Joshi	21.12.2021	CA, B.Com	Part-Time Non-Official Director	Over 15 years of professional experience in Audit and Accounts	Audit and Accounts	1. Nomination & Remuneration Committee -Chairman 2. Management Committee 3. Customer Service Committee 4. Business Review Committee 5. Capital Raising Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Committee for Review of Identification of Willful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification 8. Performance Evaluation Committee	NIL	NIL

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल के समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2022 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेरों की सं.
9.	संजीव कुमार सिंघल	21.12.2021	सीएमए, सीए, एलएलबी, बी.कॉम	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	लेखा और लेखापरीक्षा में 25 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव। सूचना प्रणाली, ईआरपी और आईटी एप्लीकेशन्स में सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव	लेखापरीक्षा और लेखा, आईटी तथा जोखिम प्रबंधन	1. जोखिम प्रबंधन समिति-अध्यक्ष 2. आईटी रणनीति समिति 3. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति 4. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 5. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 6. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति 7. नामांकन और पारिश्रमिक समिति	शून्य	शून्य
10.	गौतम गुहा	18.03.2021	एम.ए. (अंग्रेजी), भूतपूर्व सर्टिफाइड इनफार्मेशन सिस्टम ऑडिटर (सीआईएसए)	शेरधारक निदेशक	लोक प्रशासन तथा वित्त, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, लेखाशास्त्र और लेखा-परीक्षा में 33 वर्षों का पेशेवर अनुभव	वित्त (लेखा-परीक्षा और लेखा) तथा आईटी	1. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष 2. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति 3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 4. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 5. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 6. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति 7. व्यवसाय समीक्षा समिति 8. पूंजी जुटाव समिति 9. नामांकन और पारिश्रमिक समिति	शून्य	500
11.	डॉ. रेखा जैन	12.09.2021	पीएच, डी., एम. फिल, एम., एससी., बी.एससी. (ऑनर्स)	शेरधारक निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, व्यवसाय प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन में 37 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव। आईआईएम, अहमदाबाद से प्राध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त	सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन	1. आईटी रणनीति समिति - अध्यक्ष 2. हितधारक संबंध समिति- अध्यक्ष 3. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति - अध्यक्ष 4. प्रबंधन समिति 5. ग्राहक सेवा समिति 6. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. नामांकन और पारिश्रमिक समिति	शून्य	250

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appointment	Qualification	Category Of Director	Experience	Skills/Expertise/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Shareholders/ Investors Grievance Committees in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2022
9	Sanjeev Kumar Singhal	21.12.2021	CMA, CA, LL.B, B.Com	Part-Time Non-Official Director	Over 25 years of professional experience in Audit and Accounts. Over 15 years of experience in review of security and internal controls in Information systems, ERPs & IT Applications	Audit and Accounts, IT & Risk Management	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Management Committee- Chairman 2. IT Strategy Committee 3. Audit Committee of the Board 4. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs. 1.00 Crore and above 5. Committee of the Board to monitor the progress in recovery 6. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification 7. Nomination & Remuneration Committee 	NIL	NIL
10	Gautam Guha	18.03.2021	M.A. (English), Former Certified Information Systems Auditor (CISA)	Shareholder Director	33 years of professional experience in Public Administration and Finance, Banking, Information Technology, Accountancy and Auditing	Finance (Audit & Accounts) and IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee of the Board – Chairman 2. Performance Evaluation Committee 3. Risk Management Committee of the Board 4. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs. 1.00 Crore and above 5. Committee of the Board to monitor the progress of Recovery 6. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification 7. Business Review Committee 8. Capital Raising Committee 9. Nomination & Remuneration Committee 	NIL	500
11.	Dr. Rekha Jain	12.09.2021	Ph.D, M.Phil, M.Sc., B.Sc. (Hons.)	Shareholder Director	Over 37 years of diverse experience in Information Technology, Payment & Settlement systems, Business Management and Risk Management. Retired as Professor from IIM, Ahmedabad	Information Technology, Risk Management, Business Management	<ol style="list-style-type: none"> 1. IT Strategy Committee – Chairperson 2. Stakeholders Relationship Committee- Chairperson 3. Performance Evaluation Committee – Chairperson 4. Management Committee 5. Customer Service Committee 6. Risk Management Committee of the Board 7. Steering Committee of the Board on HR 8. Nomination & Remuneration Committee 	NIL	250

टिप्पणियाँ:

- i) वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना में परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:
- कार्यपालक निदेशक, अज्ञेय कुमार आजाद ने 30.04.2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
 - शेयरधारक निदेशक, डॉ. आशा भंडारकर ने 11.09.2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
 - डॉ. रेखा जैन को बैंक के बोर्ड में दिनांक 12.09.2021 से शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया।
 - श्री कल्याण कुमार को 21.10.2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
 - श्री पंकज जोशी को बैंक के बोर्ड में 21.12.2021 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया।
 - श्री संजीव कुमार सिंघल को बैंक के बोर्ड में 21.12.2021 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया।
 - श्री सीएच एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, एमडी और सीईओ ने 31.01.2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
 - श्री अतुल कुमार गोयल को 01.02.2022 से बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया।
 - श्री विवेक अग्रवाल, भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक का कार्यकाल दिनांक 25.02.2022 (कारोबार समय के बाद) को समाप्त हुआ।
 - श्री अनिल कुमार मिश्रा को बैंक के बोर्ड में 25.02.2022 (कारोबार समय के बाद) से आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- ii) उन समितियों के नाम, जिनमें निदेशक सदस्य हैं, का उल्लेख किया गया है और जहां कहीं लागू हो, अध्यक्षता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

2.2 वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्य निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हुआ:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	निदेशक की श्रेणी	समापन तिथि	कारण
1	श्री अज्ञेय कुमार आजाद	कार्यपालक निदेशक	30.04.2021	अवधि समाप्त
2	डॉ. आशा भंडारकर	शेयरधारक निदेशक	11.09.2021	अवधि समाप्त
3	श्री सीएच एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	एमडी और सीईओ	31.01.2022	अवधि समाप्त
4	श्री विवेक अग्रवाल	भा.रि.बैं. के नामित निदेशक	25.02.2022	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.02.2022 के अनुसार

2.3 अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड/समितियों में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	अन्य सूचीबद्ध संस्था का नाम जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध संस्थान के बोर्ड/समिति का नाम जहां निदेशक अध्यक्ष/सदस्य हैं		अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की श्रेणी
1	अतुल कुमार गोयल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	संजय कुमार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3	विजय दुबे	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4	स्वरूप कुमार साहा	पीएनबी गिल्ड्स लि.	बोर्ड	अध्यक्ष	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
5	कल्याण कुमार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6	पंकज जैन	पेट्रोनेट एलएनजी लि.	बोर्ड	अध्यक्ष	अतिरिक्त निदेशक और अध्यक्ष
7	अनिल कुमार मिश्रा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
8	पंकज जोशी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9	संजीव कुमार सिंघल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	गौतम गुहा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	डॉ. रेखा जैन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

Notes:

- i) The Changes in the composition of the Board during the year are given hereunder:
- Agyey Kumar Azad, Executive Director, completed his tenure on 30.04.2021.
 - Dr. Asha Bhandarker, Shareholder Director, completed her tenure on 11.09.2021.
 - Dr. Rekha Jain was elected as Shareholder Director on the Board of the Bank w.e.f. 12.09.2021.
 - Shri Kalyan Kumar was appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. 21.10.2021.
 - Shri Pankaj Joshi was nominated as Part Time Non Official Director on the Board of the Bank w.e.f. 21.12.2021.
 - Shri Sanjeev Kumar Singhal was nominated as Part Time Non Official Director on the Board of the Bank w.e.f. 21.12.2021.
 - Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao, MD & CEO, completed his tenure on 31.01.2022.
 - Shri Atul Kumar Goel was appointed as MD & CEO of the Bank w.e.f. 01.02.2022.
 - Shri Vivek Aggarwal, RBI Nominee Director ceased to be Director w.e.f. 25.02.2022 (After Business Hours)
 - Shri Anil Kumar Misra was nominated as RBI Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 25.02.2022 (after Business Hours)
- ii) The name of the Committees in which the Director is a member has been mentioned and the Chairmanship has been specifically indicated wherever applicable.

2.2 The following members ceased to be the Directors during the year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Category of Director	Date of Cessation	Reason
1	Shri Agyey Kumar Azad	Executive Director	30.04.2021	Completion of Tenure
2	Dr. Asha Bhandarker	Shareholder Director	11.09.2021	Completion of Tenure
3	Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao	Managing Director & CEO	31.01.2022	Completion of Tenure
4	Shri Vivek Aggarwal	RBI Nominee Director	25.02.2022	Pursuant to Government of India Notification dated 25.02.2022

2.3 Details of Membership/Chairmanship of Directors in the Board/Committees of other listed entities:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Name of other Listed Entity in which the Director is a member of the Board	Name of the Board/Committee in other listed entity where the Director is chairman/member		Category of Directorship in other listed entities
1	Atul Kumar Goel	Nil	Nil	Nil	Nil
2	Sanjay Kumar	Nil	Nil	Nil	Nil
3	Vijay Dube	Nil	Nil	Nil	Nil
4	Swarup Kumar Saha	PNB Gilts Ltd.	Board	Chairman	Non-Executive Chairman
5	Kalyan Kumar	Nil	Nil	Nil	Nil
6	Pankaj Jain	Petronet LNG Ltd.	Board	Chairperson	Additional Director & Chairperson
7	Anil Kumar Misra	Nil	Nil	Nil	Nil
8	Pankaj Joshi	Nil	Nil	Nil	Nil
9	Sanjeev Kumar Singhal	Nil	Nil	Nil	Nil
10	Gautam Guha	Nil	Nil	Nil	Nil
11	Dr. Rekha Jain	Nil	Nil	Nil	Nil

2.4 वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड में निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	28.05.2021	8	8
2	04.06.2021	8	8
3	25.06.2021	8	8
4	03.07.2021	8	8
5	29.07.2021	8	8
6	02.08.2021	8	7
7	30.08.2021	8	8
8	10.09.2021	8	7
9	29.09.2021	8	8
10	23.10.2021	9	9
11	27.10.2021	9	9
12	25.11.2021	9	9
13	30.12.2021	11	10
14	27.01.2022	11	10
15	25.02.2022	11	10
16	29.03.2022	11	10

2.5 वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों तथा गत वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड के बैठकों की संख्या	बोर्ड की कितनी बैठकों में उपस्थित हुए	पिछली आम वार्षिक बैठक में उपस्थिति
1	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	14	14	हाँ
2	अतुल कुमार गोयल	02	02	लागू नहीं
3	संजय कुमार	16	16	हाँ
4	विजय दुबे	16	16	हाँ
5	अज्ञेय कुमार आज़ाद	0	0	लागू नहीं
6	स्वरूप कुमार साहा	16	16	हाँ

2.4 Details of Board Meetings held during the year:

Sr. No.	Date of the Meeting	Total No. of Directors on the Board	No. of Directors present in the Meeting
1	28.05.2021	8	8
2	04.06.2021	8	8
3	25.06.2021	8	8
4	03.07.2021	8	8
5	29.07.2021	8	8
6	02.08.2021	8	7
7	30.08.2021	8	8
8	10.09.2021	8	7
9	29.09.2021	8	8
10	23.10.2021	9	9
11	27.10.2021	9	9
12	25.11.2021	9	9
13	30.12.2021	11	10
14	27.01.2022	11	10
15	25.02.2022	11	10
16	29.03.2022	11	10

2.5 The total number of Board meetings & last Annual General Meeting (AGM) attended by Directors during the Financial Year are as under:

Sr. No.	Name of Directors (Shri/Smt.)	Board Meetings held during their tenure	Board Meetings attended	Attendance in last AGM
1	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	14	14	Yes
2	Atul Kumar Goel	02	02	N.A.
3	Sanjay Kumar	16	16	Yes
4	Vijay Dube	16	16	Yes
5	A. K. Azad	0	0	N.A.
6	Swarup Kumar Saha	16	16	Yes

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड के बैठकों की संख्या	बोर्ड की कितनी बैठकों में उपस्थित हुए	पिछली आम वार्षिक बैठक में उपस्थिति
7	कल्याण कुमार	07	07	लागू नहीं
8	पंकज जैन	16	12	नहीं
9	विवेक अग्रवाल	15	15	नहीं
10	अनिल कुमार मिश्रा	01	01	लागू नहीं
11	पंकज जोशी	04	04	लागू नहीं
12	संजीव कुमार सिंघल	04	04	लागू नहीं
13	डॉ. आशा भंडारकर	08	07	हाँ
14	गौतम गुहा	16	15	हाँ
15	डॉ. रेखा जैन	08	08	लागू नहीं

नोट: लागू नहीं, इंगित करता है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान निदेशक नहीं हैं।

2.6 वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त/नामित किए गए निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल निम्नानुसार है:

i. डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक:

डॉ. रेखा जैन को शेयरधारक निदेशक के रूप में दिनांक 12.09.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया था। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर हैं। इन्होंने अपनी पीएच.डी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पूरी की। ये जून 1985 से दिसंबर 2019 तक (अर्थात् सेवानिवृत्ति तक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में प्राध्यापक रही हैं।

इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, व्यवसाय प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन में 37 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव और विशेष ज्ञान है।

ये 2015–2019 तक टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक रही हैं और टीसीआईएल के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता भी की है।

ये वर्तमान में एक फ्रीलांस स्ट्रेटेजिक आईटी/टेलीकॉम पॉलिसी सलाहकार हैं और 08.03.2016 से गुज इन्फो पेट्रो लिमिटेड (GIPL) के बोर्ड में निदेशक भी हैं।

ii. श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक:

श्री कल्याण कुमार ने 21.10.2021 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री कल्याण कुमार, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से

Sr. No.	Name of Directors (Shri/Smt.)	Board Meetings held during their tenure	Board Meetings attended	Attendance in last AGM
7	Kalyan Kumar	07	07	N.A.
8	Pankaj Jain	16	12	No
9	Vivek Aggarwal	15	15	No
10	Anil Kumar Misra	01	01	N.A.
11	Pankaj Joshi	04	04	N.A.
12	Sanjeev Kumar Singhal	04	04	N.A.
13	Dr. Asha Bhandarker	08	07	Yes
14	Gautam Guha	16	15	Yes
15	Dr. Rekha Jain	08	08	N.A.

Note: N.A. indicates Not a Director during the relevant period.

2.6 Brief Profile of Directors appointed/nominated during the Financial Year is given below:

i. Dr. Rekha Jain, Shareholder Director:

Dr. Rekha Jain was elected as Shareholder Director w.e.f. 12.09.2021 for a period of three years. She is a post-graduate in Physics from University of Delhi. She completed her Ph.D. from the Indian Institute of Technology, Delhi. She has served as Professor in the Indian Institute of Management, Ahmedabad from June 1985 to December 2019 (i.e. till superannuation).

She has over 37 years of diverse experience and special knowledge in Information Technology, Payment & Settlement Systems, Business Management and Risk Management.

She has served as an Independent Director on the Board of Telecommunication Consultants of India Ltd. (TCIL) from 2015-2019 and also chaired the Audit Committee of the Board of TCIL.

She is presently a freelance Strategic IT/ Telecom Policy Consultant and also a Director on the Board of Guj Info Petro Limited (GIPL) since 08.03.2016.

ii. Shri Kalyan Kumar, Executive Director:

Shri Kalyan Kumar assumed charge as Executive Director of the Bank on 21.10.2021.

Shri Kalyan Kumar, a Post Graduate in Science from Rajendra Prasad Agriculture University, Pusa, is also a

विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं, ये भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के एक प्रमाणित सहयोगी सदस्य भी है तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से व्यापार वित्त, आईटी सुरक्षा और केवाईसी-एएमएल में विभिन्न प्रमाणपत्र धारक हैं।

श्री कुमार ने वर्ष 1995 में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने करियर की शुरुआत की और पिछले 26 वर्षों में वीएलबी के शाखा प्रमुख, प्रशिक्षण केंद्रों में फ़ैकल्टी, स्टाफ कॉलेज के प्राचार्य, कॉर्पोरेट कार्यालय में सतर्कता और व्यापार प्रक्रिया परिवर्तन और समामेलन प्रबंधन और अंत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीजीएम एच आर के रूप में विभिन्न पदों पर रहते हुए बैंक की सेवा की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का सफल समामेलन उनकी देखरेख और नियंत्रण में किया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने पर बीबीबी द्वारा गठित समिति के टीम के एक सदस्य के रूप में, इन्होंने सभी स्तरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की, बैंक के लिए भावी लीडरों को तैयार करने हेतु अद्वितीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम "यूनियन भविष्य" तैयार और संचालित किया। इन्होंने सभी कर्मचारियों को सशक्त बनाने हेतु प्रदर्शन केंद्रित एचआर बनाने के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल एचआर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट "यूनियन प्रेरणा" का भी नेतृत्व किया।

श्री कुमार का अनुभव और योगदान शाखा बैंकिंग, क्रेडिट और एमएसएमई, सतर्कता, व्यापार प्रक्रिया रीडिज़ीनियरिंग और एनालिटिक्स, समामेलन प्रबंधन और शिक्षा एवं विकास तथा प्रतिभा प्रबंधन सहित मानव संसाधन प्रबंधन जैसे कई डोमेन में है।

उन्हें शीर्ष नेतृत्व विकास के लिए बैंक के बोर्ड ब्यूरो प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी अनुभव है।

iii. श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक:

श्री पंकज जोशी को दिनांक 21.12.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

श्री पंकज जोशी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से वाणिज्य (बी. कॉम) में स्नातक हैं। ये 2007 से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और इन्हें विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों के आंतरिक और साथ ही वैधानिक ऑडिट में 15 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव है।

iv. श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक:

श्री संजीव कुमार सिंघल को दिनांक 21.12.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

श्री सिंघल सीसीएस विश्वविद्यालय, मेरठ से वाणिज्य स्नातक (बी. कॉम) और विधायी कानून (एलएलबी) में स्नातक हैं। ये 1995 से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं।

Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds various certifications in Trade Finance, IT Security and KYC-AML from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF).

Shri Kumar started his journey in Union Bank of India as Rural Development Officer in the year 1995 and served the Bank for 26 years in various capacities as Branch Head of VLBs, faculty at Staff Training Centres, Staff College Principal, Vigilance and Business Process Transformation and Amalgamation Management at Corporate Office and lastly as CGM HR of Union Bank of India. The successful amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India was steered under his supervision and control.

As a team member of the Committee constituted by BBB on devising Suitable Training Program for PSBs, he devised a comprehensive report on the Training Programs for all levels, created and drove Unique Leadership Development Program "Union Bhavishya" for preparing future leaders for the Bank. He also led an end to end Digital HR Transformation Project "Union Prerna" for creating a performance centric HR empowering all employees.

Shri Kumar's experience and contribution spans across multiple domains of Branch Banking, Credit and MSME, Vigilance, Business Process Re-engineering & Analytics, Amalgamation Management and Human Resource Management including Learning & Development and Talent Management.

He has also undergone the Bank's Board Bureau Training Program for Top Leadership Development.

iii. Shri Pankaj Joshi, Part Time Non-Official Director:

Shri Pankaj Joshi was nominated as Part Time Non-Official Director on the Board of the Bank w.e.f. 21.12.2021 for a period of three years.

Shri Pankaj Joshi is a Graduate in Commerce (B. Com) from Rajasthan University, Jaipur. He is a member of the Institute of Chartered Accountants of India since 2007 and has over 15 years of professional experience in internal as well as statutory Audit of various Private Sector Companies and Public Sector Banks/Financial Institutions.

iv. Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part Time Non-Official Director:

Shri Sanjeev Kumar Singhal was nominated as Part-Time Non-Official Director on the Board of the Bank w.e.f. 21.12.2021 for a period of three years.

Shri Singhal is a Commerce Graduate (B. Com) and Bachelor of Legislative Law (LL.B) from CCS University, Meerut. He is a member of the Institute of the Chartered Accountants

इन्होंने प्रतिष्ठित आईएमटी, गाजियाबाद से पीजीडीएफएम (वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा) भी किया है। आईसीएआई से डीआईएसए अर्हता प्राप्त होने के अलावा, इन्होंने बीमा जोखिम प्रबंधन (आईआरएम) और फोरेंसिक ऑडिट में डिप्लोमा किया है। श्री सिंघल ने सीआईएमए, लंदन (यूके) से सीएमए में एडवांस डिप्लोमा भी किया है।

श्री सिंघल को चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कार्य करने का 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है और इन्होंने विभिन्न कराधान मामलों, बैंक लेखापरीक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों और विभिन्न मंत्रालयों के स्वायत्त निकायों की आंतरिक और वैधानिक लेखापरीक्षा, कंपनी कानून से संबंधित मामलों को संभाला है तथा ईआरपी, एसएपी और सिस्टम प्रबंधन में विशेषता भी प्राप्त हैं।

श्री सिंघल को विभिन्न उद्योग वर्टिकल जैसे वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण और उपभोक्ता सामग्री उद्योग जिसमें आईटी सामान्य नियंत्रण समीक्षा, तार्किक और भौतिक पहुंच नियंत्रण, सॉफ्टवेयर का विकास और रखरखाव की समीक्षा सहित सूचना प्रणाली, ईआरपी और आईटी एप्लिकेशन में सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इन्हें आईटी और वित्तीय रिपोर्टिंग नियंत्रणों में आईएफसी (आंतरिक वित्तीय नियंत्रण) के प्रारूपण, कार्यान्वयन और परीक्षण का भी अनुभव है।

श्री सिंघल उत्तर प्रदेश सरकार की 'वित्त संसाधन समिति' में सदस्य सचिव भी हैं।

v. श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अतुल कुमार गोयल ने दिनांक 01.02.2022 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले, वे यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, वे 15.09.2016 से 01.11.2018 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे।

श्री गोयल को तीन बैंकों अर्थात इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में लगभग तीन दशकों का व्यावसायिक बैंकिंग का अनुभव है। एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में, इनके पास समर्थन सेवा, व्यवसाय प्रक्रिया परिवर्तन, अनुपालन आदि के अलावा बड़े कॉर्पोरेट, ट्रेजरी प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजना एवं निवेश संबंध सहित बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक अनुभव, एक्सपोजर और विशेषज्ञता है।

यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, इन्होंने यूको बैंक को भारत के अग्रणी बैंकों में से एक बनाने का सपना देखा और लगातार 5 वर्षों से घाटे के बाद वर्ष 2020-21 में बैंक को लाभप्रदता में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ये दिनांक 01.10.2019 से 31.12.2021 तक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक थे। ये भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं।

of India since 1995. He also holds PGDFM (Post Graduate Diploma in Financial Management) from the prestigious IMT, Ghaziabad. Besides being DISA qualified from ICAI, he holds diploma in Insurance Risk Management (IRM) and Forensic Audit. Shri Singhal also holds Advance diploma in CMA from CIMA, London(UK).

Shri Singhal has over 25 years of experience in practice as a Chartered Accountant and has handled various Taxation issues, Bank Audits, Internal and Statutory Audits of PSUs and Autonomous bodies of different Ministries, Company Law matters and also possesses specialized knowledge of ERP, SAP and System Management.

Shri Singhal also has over 15 years of experience in review of security and internal controls in Information Systems, ERPs and IT application in various Industry verticals like financial services, manufacturing and consumer goods industry which includes performing IT general controls review, logical and physical access controls, software development and maintenance review. He also carries experience in drafting, implementing and testing IFC (Internal Financial Controls) in IT and Financial Reporting Controls.

Shri Singhal is also a Member Secretary in 'Vitt Sansadhan Committee' of the Government of Uttar Pradesh.

v. Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO

Sh. Atul Kumar Goel assumed the charge as Managing Director & CEO of the Bank w.e.f. 01.02.2022. Prior to this, he was the Managing Director & CEO of UCO Bank. Before his elevation as Managing Director & CEO of UCO Bank, he was Executive Director in Union Bank of India from 15.09.2016 to 01.11.2018.

Shri Goel has around three decades of Professional Banking Experience in three Banks viz. Allahabad Bank (now Indian Bank), Union Bank of India & UCO Bank. As a qualified Chartered Accountant, he has vast experience, exposure & expertise in all major areas of Banking including Large Corporate, Treasury Management, Risk Management; Financial Planning & Investor Relations apart from Support Service, Business Process Transformation, Compliance etc.

As a Managing Director & Chief Executive Officer of UCO Bank, he envisioned UCO Bank to be one of the leading Banks in India and was instrumental in bringing the Bank back to profitability in FY 2020-21 after 5 years of consecutive losses.

He was a Director on the Board of the New India Assurance Co. Ltd from 01.10.2019 to 31.12.2021. He is also the member of Governing Council & Chairman of Executive Committee of Indian Institute of Banking & Finance (IIBF).

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य करते हुए, इनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के कारण बड़े कॉर्पोरेट और बैंक के लेखा एवं वित्त प्रभाग में इनका योगदान अतुलनीय था। इन्होंने स्टार यूनियन दार्ज-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री गोयल ने पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) में 27.03.1992 को स्केल II में विशेषज्ञ अधिकारी में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और इन्हें महाप्रबंधक के स्तर तक पदोन्नत किया गया। इन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में बैंकिंग कार्यों के विशाल स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले प्रमुख क्षेत्रों को संभाला और तत्कालीन इलाहाबाद बैंक के मुंबई अंचल के अंचल प्रमुख भी रहे। ये ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक भी रहे।

श्री गोयल ने प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। इन्होंने सीएफआरएएल के तत्वावधान में विदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सहभागिता की है।

इन्होंने 'लेखा मानकों और कराधान पर स्थायी समिति' और 'भारतीय बैंक संघ के रिटेल बैंकिंग पर स्थायी समिति' (आईबीए) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। 14.10.2021 को, आईबीए की प्रबंध समिति ने श्री गोयल को आईबीए के अध्यक्ष के रूप में चुना।

vi. अनिल कुमार मिश्रा, आरबीआई नामित निदेशक

श्री अनिल कुमार मिश्रा को बैंक के बोर्ड में दिनांक 25.02.2022 से आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री मिश्रा भारतीय रिजर्व बैंक में एक कार्यपालक निदेशक थे, जो बैंकिंग के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी थे। वे जुलाई, 2018 में आरबीआई से सेवानिवृत्त हुए।

1982 से केंद्रीय बैंकर के रूप में, इन्हें रिजर्व बैंक में मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा, भुगतान प्रणाली, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्रेडिट मध्यस्थों के विनियमन और पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और जोखिम निगरानी के क्षेत्र का अनुभव है।

इन्होंने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक और नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बोर्ड में सदस्य भी थे।

इनके अंतरराष्ट्रीय अनुभव में वित्तीय क्षेत्र स्थिरता सलाहकार और अपने सदस्य क्षेत्राधिकार के बैंकिंग-क्षेत्र मूल्यांकन के लिए निधि वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) टीम के सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सहयोग भी शामिल है।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी, बेसल, स्विट्जरलैंड में स्थित) में सचिवालय के सदस्य के रूप में भी श्री मिश्रा का साढ़े चार साल का कार्यकाल था, जो वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों और नीतिगत सुधारों से निपटने के लिए जी20 की शाखा है।

While working as Executive Director at Union Bank of India, his contribution to Large Corporate and Accounts and Finance Division of the Bank was immeasurable through his rich knowledge and experience. He served as a Director on the Boards of Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. & Union Trustee Company Private Limited.

Shri Goel joined erstwhile Allahabad Bank (now Indian Bank) on 27.03.1992 as a Chartered Accountant in Specialist Officer in Scale II and was elevated up to the level of General Manager. He handled key areas covering vast spectrum of Banking operations, most importantly as Chief Financial Officer (CFO) and Head of Mumbai Zone of erstwhile Allahabad Bank. He also served as Director of All Bank Finance Limited.

Shri Goel has attended various training programmes conducted by prestigious Institutions. He has also undergone training programme held abroad conducted under aegis of CAFRAL.

He has also acted as the Chairman of 'Standing Committee on Accounting Standards & Taxation' and 'Standing Committee on Retail Banking of Indian Banks' Association (IBA). On 14.10.2021, the Managing Committee of IBA elected Shri Goel as Chairman of IBA.

vi. Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director

Shri Anil Kumar Misra was appointed as RBI Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 25.02.2022.

Shri Misra was an Executive Director in the Reserve Bank of India, responsible for supervision of Banking as well as non-Banking Financial Institutions. He retired from RBI in July, 2018.

As a career central banker since 1982, his experience encompasses the areas of currency management, foreign exchange, payment systems, regulation and supervision of banking & non-banking credit intermediaries, financial inclusion and risk monitoring in the Reserve Bank.

He has served as a Director on the Boards of the Jammu & Kashmir Bank Limited, Union Bank of India, Export Credit and Guarantee Corporation of India Limited and was a member of the Board of National Bank for Agriculture and Rural Development.

His international experience includes association with the International Monetary Fund as a Financial Sector Stability Advisor and as a member of the Fund's Financial Sector Assessment Program (FSAP) Team for the banking-sector assessment of its member jurisdictions.

Shri Misra also had a four-and-a-half year stint as a Member of Secretariat at the Financial Stability Board (FSB, located in Basel, Switzerland), which is the G20 arm for dealing with the global financial sector issues and policy reforms.

एफएसबी में, वह एफएसबी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सूचना विनिमय पहल लागू होने, छह विश्वव्यापी क्षेत्रीय सलाहकार समूहों के माध्यम से इसकी वैश्विक पहुँच रणनीति जिसमें 65 से अधिक देश शामिल थे और इसके शासन सुधार, जिसके कारण एफएसबी में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन से निकटता से जुड़े रहे।

श्री मिश्रा लोक प्रशासन (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए) और बिजनेस मैनेजमेंट (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) में मास्टर डिग्री धारक हैं।

3. बोर्ड की समितियाँ

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/ सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों और/या कार्यपालक अधिकारियों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

3.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन आरबीआई की पत्र संख्या 5/16/13.100/94 दिनांक 09.04.1994, संख्या बीसी/एडीएमएन/919/16.13.100/95 दिनांक 26.09.1995 और सं. डीओएस. संख्या बीसी/3/08.91.020/97 दिनांक 20.01.1997 में निहित तथा संख्या आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी. 8/29.67.001/2021-22 दिनांक 26.04.2021, भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य मौजूदा दिशानिर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 18 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:—

- संगठन, संचालन, आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के लेखा परीक्षा कार्यों को दिशा प्रदान करना और उसका पर्यवेक्षण करना तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा कार्यों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरण व रिपोर्टों के अनुमोदन के संबंध में केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करना और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए समस्त मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्य – प्रणाली, इसकी गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण।
- वार्षिक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व, प्रबंधन के साथ उसकी समीक्षा करना एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन करना।
- संबंधित पक्ष के लेनदेन की समीक्षा।

At the FSB, he was closely involved with the roll out of the FSB's International Cooperation and Information Exchange Initiative, its global outreach strategy via the six world-wide Regional Consultative Groups comprising over 65 Countries and its governance reforms, which led to certain structural changes in the FSB.

Shri Misra holds Master's degrees in Public Administration (Harvard University, USA) and in Business Management (Banaras Hindu University).

3. Committees of the Board

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India/ Government of India/SEBI Guidelines.

3.1 Audit Committee of the Board (ACB)

Brief description and terms of reference:

The Audit Committee of the Board has been constituted in terms of RBI Guidelines contained in its Letter No.5/16/13.100/94 dated 09.04.1994, No.BC/ADMN/919/16.13.100/95 dated 26.09.1995, No.DOS.No.BC/3/08.91.020/97 dated 20.01.1997 & No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021, other extant guidelines of RBI and as required under Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The main functions of the Committee are as under: -

- Providing direction and overseeing the audit function of the Bank including the organization, operationalization, quality control of internal audit and inspection including its review and follow up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of RBI.
- To interact with Statutory Central Auditors in respect of approval of quarterly/annual Financial Statements & Reports and also follow up on all the issues raised in the Long Form Audit Report.
- To review the internal inspection/Audit function of the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow up.
- Overseeing the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- To review with the Management, the Annual Financial Statements and Auditors' Report thereon before submission to the Board for approval and also the changes in the Accounting Policies.
- To review Related Party Transactions.

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू सीमा तक सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 की शर्तों के अनुसार कार्य करना।

बैंक के कंपनी सचिव सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 18 (1) (ई) की शर्त के अनुसार समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2	पंकज जैन	भारत सरकार के नामिती निदेशक, सदस्य
3	अनिल कुमार मिश्रा	आरबीआई के नामिती निदेशक, सदस्य
4	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
आमंत्रित (श्री/श्रीमती):		
	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक
	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक
	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक
	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक

श्री संजीव कुमार सिंघल को 29.12.2021 (कारोबार समय के बाद) को समिति का सदस्य बनाया गया। श्री अनिल कुमार मिश्रा को श्री विवेक अग्रवाल के स्थान पर 28.02.2022 को समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	28.05.2021	3	3
2	04.06.2021	3	3
3	25.06.2021	3	3
4	29.07.2021	3	3
5	02.08.2021	3	3
6	08.09.2021	3	3
7	29.09.2021	3	3
8	27.10.2021	3	3
9	25.11.2021	3	3
10	30.12.2021	4	3
11	27.01.2022	4	3
12	25.02.2022	4	3
13	29.03.2022	4	3

- To carry out the functions as stipulated in the SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent applicable to Public Sector Banks.

The Company Secretary of the Bank acts as the Secretary to the Committee in terms of Regulation 18 (1)(e) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (S/Shri)	
1	Gautam Guha	Shareholder Director, Chairman
2	Pankaj Jain	Govt. Nominee Director, Member
3	Anil Kumar Misra	RBI Nominee Director, Member
4	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
Invitees(Shri/Smt):		
	Sanjay Kumar	Executive Director
	Vijay Dube	Executive Director
	Swarup Kumar Saha	Executive Director
	Kalyan Kumar	Executive Director

Shri Sanjeev Kumar Singhal was made member of the Committee on 29.12.2021 (after business hours). Shri Anil Kumar Misra was made member of the Committee on 28.02.2022 in place of Shri Vivek Aggarwal.

Details of meetings held during the Financial Year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	28.05.2021	3	3
2	04.06.2021	3	3
3	25.06.2021	3	3
4	29.07.2021	3	3
5	02.08.2021	3	3
6	08.09.2021	3	3
7	29.09.2021	3	3
8	27.10.2021	3	3
9	25.11.2021	3	3
10	30.12.2021	4	3
11	27.01.2022	4	3
12	25.02.2022	4	3
13	29.03.2022	4	3

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	गौतम गुहा	13	13
2	पंकज जैन	13	09
3	विवेक अग्रवाल	12	12
4	संजीव कुमार सिंघल	04	04
5	अनिल कुमार मिश्रा	01	01

3.2 जोखिम प्रबंधन समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन जोखिम प्रबंधन पर भा.रि.बैं. पत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी-520/21.04.103/2002-03 दिनांक 12.10.2002 एवं आरबीआई/2021-22/24 डीओआर. जीओवी. आरईसी.8/29.67.001/2021-22 दिनांक 26.04.2021 और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 21 के अनुसार किया गया है। ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम, जोखिम एकीकरण, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन और बैंक की विभिन्न जोखिम सीमाएं स्थापित करने तथा बैंक के साइबर सुरक्षा की समीक्षा करने सहित बैंक के संपूर्ण जोखिम के प्रबंधन नीति तैयार करने की संपूर्ण जिम्मेदारी समिति के पास है।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, अध्यक्ष
2	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
3	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
5	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

डॉ. रेखा जैन को दिनांक 12.09.2021 को डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद, श्री संजीव कुमार सिंघल को दिनांक 29.12.2021 को (कारोबार समय के बाद) डॉ. रेखा जैन, जो समिति की सदस्य बनी हुई हैं, के स्थान पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। श्री अतुल कुमार गोयल को दिनांक 01.02.2022 से श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया था।

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Gautam Guha	13	13
2	Pankaj Jain	13	09
3	Vivek Aggarwal	12	12
4	Sanjeev Kumar Singhal	04	04
5	Anil Kumar Misra	01	01

3.2 Risk Management Committee

Brief description and terms of reference:

Risk Management Committee (RMC) has been constituted as per RBI letter DBOD No. BP-520/21.04.103/2002-03 dated 12.10.2002 on risk management, RBI Notification No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 and Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations 2015. The Committee has the overall responsibility of managing entire risk of the Bank, devising suitable risk management policy including credit, market and operational risks, risk integration, implementation of best risk management practices, setting up various risk limits and review of the cyber security of the Bank.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Chairman
2	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Member
3	Vijay Dube	Executive Director, Member
4	Gautam Guha	Shareholder Director, Member
5	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member

Dr. Rekha Jain was made Chairperson of the Committee w.e.f. 12.09.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker. Subsequently, Shri Sanjeev Kumar Singhal was made Chairman of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (After Business Hours) in place of Dr. Rekha Jain who continues as member of the Committee. Shri Atul Kumar Goel was made member of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao.

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित हुए निदेशकों की संख्या
1.	30.06.2021	4	4
2.	26.08.2021	4	4
3.	22.11.2021	4	4
4.	24.02.2022	5	5
5.	28.03.2022	5	4

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. आशा भंडारकर	02	02
2.	संजीव कुमार सिंघल	02	02
3.	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	03	03
4.	अतुल कुमार गोयल	02	02
5.	विजय दुबे	05	05
6.	गौतम गुहा	05	05
7.	डॉ. रेखा जैन	03	02

3.3 हितधारकों की संबंध समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 20 और पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली, 2000 की शर्तानुसार समिति का गठन किया गया है। समिति की भूमिका में शामिल हैं:

- बैंक के शेयरधारकों और अन्य सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान, जिसमें शेयरों के अंतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित अनुरोध/शिकायतें शामिल हैं।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
- अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और बैंक के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1.	30.06.2021	4	4
2.	26.08.2021	4	4
3.	22.11.2021	4	4
4.	24.02.2022	5	5
5.	28.03.2022	5	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Dr. Asha Bhandarker	02	02
2.	Sanjeev Kumar Singhal	02	02
3.	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	03	03
4.	Atul Kumar Goel	02	02
5.	Vijay Dube	05	05
6.	Gautam Guha	05	05
7.	Dr. Rekha Jain	03	02

3.3 Stakeholders' Relationship Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The Role of the Committee includes:

- Monitoring the grievances of the shareholders and other security holders of the Bank including requests/complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Reviewing the measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Reviewing the adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Reviewing the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividend and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the Bank.

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
3	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य

श्री संजय कुमार को दिनांक 01.05.2021 से श्री ए.के. आज़ाद के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया था। डॉ. आशा भंडारकर का कार्यकाल दिनांक 11.09.2021 के समाप्त हुआ। दिनांक 29.12.2021 से (कारोबार समय के बाद) डॉ. रेखा जैन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया और श्री पंकज जोशी को समिति का सदस्य बनाया गया। श्री सीएच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर दिनांक 01.02.2022 से श्री अतुल कुमार गोयल को समिति का सदस्य बनाया गया।

बैठक की आवृत्ति वार्षिक है या जब भी आवश्यकता हो।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल सं.	बैठक में उपस्थित निदेशकों की सं.
1	29.07.2021	03	03

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. आशा भंडारकर	01	01
2.	सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	01	01
3.	ए.के. आज़ाद	शून्य	शून्य
4.	संजय कुमार	01	01
5.	डॉ. रेखा जैन	शून्य	शून्य
6.	अतुल कुमार गोयल	शून्य	शून्य
7.	पंकज जोशी	शून्य	शून्य

वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति :

वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	– 19
शेयरधारकों की संतुष्टि तक शिकायतों का निपटान न होने की संख्या	– शून्य
दिनांक 31.03.2022 को लम्बित शिकायतों की संख्या	– शून्य

सुश्री एकता पसरिचा, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 6 के अनुसार बैंक की अनुपालन अधिकारी हैं।

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Chairperson
2	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Member
3	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
4	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member

Shri Sanjay Kumar was made member of the Committee w.e.f. 01.05.2021 in place of Shri A. K. Azad. Dr. Asha Bhandarker ceased to be member of the Committee w.e.f. 11.09.2021. Dr Rekha Jain was made Chairperson of the Committee and Shri Pankaj Joshi was made member of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (After Business Hours). Shri Atul Kumar Goel was made member of the Committee in place of Shri CH S. S. Mallikarjuna Rao w.e.f. 01.02.2022.

The frequency of the meeting is annual or as and when required.

Details of meeting held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1.	29.07.2021	03	03

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Asha Bhandarker	01	01
2	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	01	01
3	A. K. Azad	Nil	Nil
4	Sanjay Kumar	01	01
5	Dr. Rekha Jain	Nil	Nil
6	Atul Kumar Goel	Nil	Nil
7	Pankaj Joshi	Nil	Nil

Status of Shareholders' Complaints received during the year:

Total no. of complaints received during FY 2021-22	– 19
No. of complaints not resolved to the satisfaction of shareholders	– Nil
No. of complaints pending as on 31.03.2022	– Nil

Ms. Ekta Pasricha, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन आरबीआई मास्टर निर्देश दिनांक 02.08.2019, आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2021-22/24 डीओआर. जीओवी.आरईसी.8/29.67.001/2021-22 दिनांक 26.04.2021 और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 19 के तहत यथा अपेक्षित अनुसार किया गया है। बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में नामांकन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में "उपयुक्त तथा समुचित मानदंडों" की स्थिति निर्धारित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से आरबीआई मास्टर निदेश दिनांक 02.08.2019 यथा संशोधित के द्वारा निर्दिष्ट संरचना के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति दोनों के कार्यों को पूरा करने के लिए एक एकल नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है।

25 जनवरी, 2021 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड को किसी भी कार्य या बात को करने के लिए, या प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के समाधान के लिए, या किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा, जिसे विधि द्वारा करना अपेक्षित हो, के संबंध में समिति की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, बशर्ते बोर्ड संतुष्ट हो कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति या उसके सदस्य के अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है।

31.03.2022 की स्थिति अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, अध्यक्ष
2	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
3	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
4	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

बोर्ड में दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करने के बाद 29 दिसंबर, 2021 को समिति कार्यशील हो गई। चूंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव किया गया था और निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी प्रक्रिया उक्त अधिसूचना के अनुसार बोर्ड द्वारा की गई थी, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3.4 Nomination & Remuneration Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted as per RBI Master Directions dated 02.08.2019, RBI Notification No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 and as required under Regulation 19 of SEBI (LODR) Regulation 2015. The Committee is constituted for undertaking due diligence to determine the "Fit and Proper" Criteria of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Further, Govt. of India vide its Notification dated 30.08.2019 directed to constitute a single Nomination and Remuneration Committee for carrying out the functions of both Nomination and Remuneration Committee with the composition as specified by RBI vide its Master Directions dated 02.08.2019, as amended.

In terms of the Government of India Notification dated January 25, 2021, the Board is empowered to exercise the powers of a Committee to do any act or thing, or for resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review, which it is required to do by law provided Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Chairman
2	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
3	Gautam Guha	Shareholder Director, Member
4	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member

The Committee became functional on December 29, 2021 after induction of two Part Time Non-Official Directors on the Board. As the process of due diligence to determine the 'Fit & Proper' status of the persons to be elected as Director was carried out by the Board in terms of the aforesaid Notification in respect of election of one Shareholder Director held during the Financial Year 2021-22, no meeting of the Committee was held during Financial Year 2021-22.

3.5 प्रबंधन समिति (एमसी)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

राष्ट्रीयकृत बैंकों की (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 13 के अनुसार समिति गठित की गई है। समिति निम्नलिखित मदों, जोकि एमडी एवं सीईओ/प्र.का.ऋण अनुमोदन समिति (एचओसीएसी) –III के विवेकाधीन अधिकारों से परे हैं, पर विचार करती है।

- ए. ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति (निधि एवं गैर-निधि आधारित)
- बी. ऋण समझौता/ बट्टे खातों के प्रस्ताव
- सी. पूँजी और राजस्व खर्च के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव
- डी. परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने के प्रस्ताव जिसमें अधिग्रहण एवं किराए पर लेने संबंधी मानदंडों में विचलन भी शामिल है।
- ई. मुकदमा/अपील दायर करने से संबंधित प्रस्ताव, उनका बचाव करना इत्यादि
- एफ. सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और ऋण पत्रों में निवेश एवं हामीदारी अंकन का प्रस्ताव
- जी. दान से संबंधित प्रस्ताव
- एच. निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला

31.03.2022 की स्थिति अनुसार समिति की संरचना :

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	अनिल कुमार मिश्रा	भा.रि.बै. के नामिति निदेशक, सदस्य
7	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
8	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

डॉ. रेखा जैन को दिनांक 12.09.2021 से डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया था। श्री कल्याण कुमार को दिनांक 21.10.2021 से समिति का सदस्य बनाया गया था। श्री पंकज जोशी को 29.12.2021 से (कारोबार समय के बाद) समिति का सदस्य बनाया गया था। श्री अतुल कुमार गोयल को दिनांक 01.02.2022 से समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। श्री अनिल कुमार मिश्रा को दिनांक 28.02.2022 से श्री विवेक अग्रवाल के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया था।

3.5 Management Committee (MC)

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Clause 13 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980. The Committee considers following matters which are beyond the discretionary powers of MD & CEO/Head Office Credit Approval Committee (HOCAC) III: -

- a) Sanctioning of credit proposals (Fund based & Non-Fund based)
- b) Loan compromise/write-off proposals
- c) Proposal for approval of capital and revenue expenditure
- d) Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises
- e) Proposals relating to filing of suits/appeals, defending them etc.
- f) Proposals for Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting
- g) Proposals relating to Donations
- h) Any other matter referred by the Board.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3	Vijay Dube	Executive Director, Member
4	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
6	Anil Kumar Misra	RBI Nominee Director, Member
7	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
8	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member

Dr. Rekha Jain was made member of the Committee w.e.f. 12.09.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker. Shri Kalyan Kumar was made member of the Committee w.e.f. 21.10.2021. Shri Pankaj Joshi was made member of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (After Business Hours). Shri Atul Kumar Goel was made Chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022. Shri Anil Kumar Misra was made member of the Committee w.e.f. 28.02.2022 in place of Shri Vivek Aggarwal.

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 22

बैठकों की तिथि:

19.04.2021	18.05.2021	07.06.2021	21.06.2021	29.06.2021
16.07.2021	30.07.2021	13.08.2021	30.08.2021	10.09.2021
20.09.2021	28.09.2021	20.10.2021	08.11.2021	26.11.2021
10.12.2021	29.12.2021	18.01.2022	04.02.2022	24.02.2022
16.03.2022	28.03.2022			

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	18	18
2.	अतुल कुमार गोयल	04	04
3.	संजय कुमार	22	22
4.	विजय दुबे	22	22
5.	स्वरूप कुमार साहा	22	20
6.	कल्याण कुमार	09	09
7.	विवेक अग्रवाल	20	20
8.	अनिल कुमार मिश्रा	02	02
9.	पंकज जोशी	05	05
10.	डॉ. आशा भंडारकर	10	09
11.	डॉ. रेखा जैन	12	12

3.6 प्रधान कार्यालय ऋण अनुमोदन समिति (स्तर –III) (प्र.का.ऋ. अ.स-III)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III का गठन, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), की अधिसूचना संख्या 13/1/2006 दिनांक 05.12.2011 के अनुसार किया गया है।

समिति आठ सौ करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करती है, यदि बैंक का कुल कारोबार दस लाख करोड़ रुपये (हमारे बैंक पर लागू) से अधिक का है। यह समिति एमडी एवं सीईओ की पूर्व में निहित शक्तियों की सीमा तक ओटीएस/समझौता/बट्टा खाता प्रस्तावों पर भी विचार करती है।

Details of Meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 22

Dates of Meetings:

19.04.2021	18.05.2021	07.06.2021	21.06.2021	29.06.2021
16.07.2021	30.07.2021	13.08.2021	30.08.2021	10.09.2021
20.09.2021	28.09.2021	20.10.2021	08.11.2021	26.11.2021
10.12.2021	29.12.2021	18.01.2022	04.02.2022	24.02.2022
16.03.2022	28.03.2022			

No. of Meetings attended by Member- Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	18	18
2	Atul Kumar Goel	04	04
3	Sanjay Kumar	22	22
4	Vijay Dube	22	22
5	Swarup Kumar Saha	22	20
6	Kalyan Kumar	09	09
7	Vivek Aggarwal	20	20
8	Anil Kumar Misra	02	02
9	Pankaj Joshi	05	05
10	Dr. Asha Bhandarker	10	09
11	Dr. Rekha Jain	12	12

3.6 The Head Office Credit Approval Committee (Level – III) (HOCAC- III)

Brief description and terms of reference:

The HO Credit Approval Committee Level III has been constituted in terms of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF) Notification No.13/1/2006 dated 05.12.2011.

The Committee considers the credit proposals of up to Rupees Eight Hundred Crore, in case of Banks having total business of more than Rupees Ten Lakh Crore (applicable to our Bank). The Committee also considers OTS/Compromise/Write off proposals to the extent of powers earlier vested with MD & CEO.

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (ऋण)	सदस्य
7.	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (वित्त)	सदस्य
8.	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)	सदस्य

श्री कल्याण कुमार दिनांक 21.10.2021 से समिति के सदस्य बने। श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 01.02.2022 से श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर समिति के अध्यक्ष बने।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 26

बैठकों की तिथि:

12.05.2021	09.06.2021	23.06.2021	13.07.2021
22.07.2021	03.08.2021	13.08.2021	27.08.2021
07.09.2021	20.09.2021	28.09.2021	12.10.2021
26.10.2021	16.11.2021	06.12.2021	29.12.2021
14.01.2022	02.02.2022	09.02.2022	16.02.2022
23.02.2022	09.03.2022	11.03.2022	16.03.2022
23.03.2022	30.03.2022		

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	17	17
2.	अतुल कुमार गोयल	09	09
3.	संजय कुमार	26	26
4.	विजय दुबे	26	26
5.	स्वरूप कुमार साहा	26	21
6.	कल्याण कुमार	14	14

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3	Vijay Dube	Executive Director, Member
4	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
6	Chief General Manager/ General Manager (Credit)	Member
7	Chief General Manager/ General Manager (Finance)	Member
8	Chief General Manager/ General Manager (Risk Management)	Member

Shri Kalyan Kumar was made member of the Committee w.e.f. 21.10.2021. Shri Atul Kumar Goel was made Chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 26

Dates of Meetings:

12.05.2021	09.06.2021	23.06.2021	13.07.2021
22.07.2021	03.08.2021	13.08.2021	27.08.2021
07.09.2021	20.09.2021	28.09.2021	12.10.2021
26.10.2021	16.11.2021	06.12.2021	29.12.2021
14.01.2022	02.02.2022	09.02.2022	16.02.2022
23.02.2022	09.03.2022	11.03.2022	16.03.2022
23.03.2022	30.03.2022		

No. of Meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	17	17
2.	Atul Kumar Goel	09	09
3.	Sanjay Kumar	26	26
4.	Vijay Dube	26	26
5.	Swarup Kumar Saha	26	21
6.	Kalyan Kumar	14	14

3.7 वसूली में प्रगति की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय पत्र एफ.सं. 7/112/2012-बीओए दिनांक: 21.11.2012 और एफ.सं 7/2/2015-वसूली दिनांक 01.01.2016 के अनुसार किया गया है:

- वसूली में तेजी लाने हेतु एनपीए प्रबंधन को सुधारने और विभिन्न टूलों के प्रभावी उपयोग हेतु तरीकों और रणनीतियों की समीक्षा करना।
- विवेक सम्मत बट्टे खातों सहित एनपीए वसूली में हुई प्रगति की निगरानी।
- डीआरटी/डीआरएटी पर लंबित मामलों/आरसी की स्थिति की समीक्षा।
- क्रेडिट निगरानी तंत्र और अनियमित/कमजोर खातों की स्थिति और एनपीए की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
7.	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री कल्याण कुमार दिनांक 21.10.2021 से समिति के सदस्य बने। श्री संजीव कुमार सिंघल दिनांक 29.12.2021 (कारोबार समय के बाद) से समिति के सदस्य बने। श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 01.02.2022 से समिति के अध्यक्ष बने।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 04

बैठक की तिथियां : 21.06.2021, 26.08.2021, 22.11.2021, 28.03.2022

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	03	03
2.	अतुल कुमार गोयल	01	01

3.7 Special Committee of the Board to monitor the progress of Recovery

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of DFS, MoF letter F.No.7/112/2012-BOA dated 21.11.2012 and F.No.7/2/2015-Recovery dated 01.01.2016 to:

- Review the ways and strategies to improve NPA management and effective utilization of various tools to expedite recovery.
- Monitor the progress of recovery in NPAs including prudential written-off accounts.
- Review the status of cases/RCS pending at DRTs/DRATs.
- Review the credit monitoring mechanism and status of irregular/weak accounts and the measures taken for prevention of NPAs.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2.	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3.	Vijay Dube	Executive Director, Member
4.	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
6.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
7.	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Shri Kalyan Kumar was made member of the Committee w.e.f. 21.10.2021. Shri Sanjeev Kumar Singhal was made member of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (after business hours). Shri Atul Kumar Goel was made Chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 04

Dates of Meetings: 21.06.2021, 26.08.2021, 22.11.2021, 28.03.2022.

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	03	03
2.	Atul Kumar Goel	01	01

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
3.	संजय कुमार	04	04
4.	विजय दुबे	04	04
5.	स्वरूप कुमार साहा	04	04
6.	कल्याण कुमार	02	02
7.	संजीव कुमार सिंघल	01	01
8.	गौतम गुहा	04	04

3.8 इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय :

समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या 01.07.2014 और पत्र दिनांक: 07.01.2015 के अनुसार समिति आदेशों की समीक्षा करने हेतु किया गया है, जिसमें इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की गई है। इसके अलावा, आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीआर सं. सीआईडी.बीसी.54/20.16.064/2014-15 दिनांक: 22.12.2014 के अनुसार यह "असहयोगी उधारकर्ता वर्गीकरण समिति" के निर्णय की भी समीक्षा करती है।

एफ.सं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 19 नवंबर, 2019 के माध्यम से डीएफएस के दिशानिर्देशों अनुसार दो अलग-अलग समितियों असहयोगी उधारकर्ता वर्गीकरण समिति और इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति, के स्थान पर एक एकल समिति का गठन किया गया है।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
3	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
4	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर डॉ. रेखा जैन दिनांक 12.09.2021 से समिति की सदस्य बनीं। डॉ. रेखा जैन के स्थान पर पंकज जोशी दिनांक 29.12.2021 (कारोबार समय के बाद) से समिति के सदस्य बने। श्री संजीव कुमार सिंघल दिनांक 29.12.2021 (कारोबार समय के बाद) से समिति के सदस्य बने। श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 01.02.2022 से समिति के अध्यक्ष बने।

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
3.	Sanjay Kumar	04	04
4.	Vijay Dube	04	04
5.	Swarup Kumar Saha	04	04
6.	Kalyan Kumar	02	02
7.	Sanjeev Kumar Singhal	01	01
8.	Gautam Guha	04	04

3.8 Committee for Review of identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of RBI Master Circular dated 01.07.2014 and letter dated 07.01.2015 to review the orders of the Committee which has identified willful defaulters. Further, in terms of RBI notification no. DBR.No.CID. BC.54/20.16.064/2014-15 dated 22.12.2014, it also reviews the decision of 'Non-Cooperative Borrower Classification Committee'.

As per, DFS Guidelines vide F.No. 16/19/2019-BO.1 dated 19th November 2019, in place of two separate committees of Non-Cooperative Borrower Classification Committee and Committee for review of identification of Wilful Defaulters, a single committee was constituted.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

S. No.	Name of the Director (S/Shri)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
3	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
4	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Dr. Rekha Jain was made member of the Committee w.e.f. 12.09.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker. Shri Pankaj Joshi was made member of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (after business hours) in place of Dr. Rekha Jain. Shri Sanjeev Kumar Singhal was made member of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (after business hours). Shri Atul Kumar Goel was made Chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao.

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या : 04

बैठकों की तिथियां : 21.06.2021, 10.12.2021, 29.12.2021, 18.01.2022.

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	04	04
2.	अतुल कुमार गोयल	शून्य	शून्य
3.	डॉ. आशा भंडारकर	01	01
4.	पंकज जोशी	01	01
5.	संजीव कुमार सिंघल	01	01
6.	गौतम गुहा	04	04
7.	डॉ. रेखा जैन	02	02

3.9 रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक पत्र संख्या आरबीआई/2004.15 डीबीएस.एफजीवी (एफ) सं./1004/23.04.01ए/2003-04 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार रु.1.00 करोड़ तथा इससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों, सहित राशि पर विचार किए बिना साइबर धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा हेतु किया गया है, ताकि:

- प्रणालीगत त्रुटियों की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए उपाय प्रस्तुत किए जाएं।
- सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति, वसूली एवं स्टाफ दायित्व की निगरानी।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों की प्रभावशीलता की समीक्षा।
- निवारक तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले अन्य उपायों को प्रस्तुत करना।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 04

Dates of Meetings: 21.06.2021, 10.12.2021, 29.12.2021, 18.01.2022.

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	04	04
2.	Atul Kumar Goel	Nil	Nil
3.	Dr. Asha Bhandarker	01	01
4.	Pankaj Joshi	01	01
5.	Sanjeev Kumar Singhal	01	01
6.	Gautam Guha	04	04
7.	Dr. Rekha Jain	02	02

3.9 Special Committee of the Board to monitor and follow up Fraud Cases involving Rs. 1.00 crore and above

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of RBI Notification no. RBI/2004.15 DBS.FGV(F) No./1004/23.04.01A/2003-04 dated 14.01.2004 for monitoring and reviewing all fraud cases of Rs. 1.00 crore and above, as well as cyber frauds irrespective of the amount, so as to:

- Identify the systemic lacunae and put in place measures to plug the same.
- Monitor progress of CBI/Police investigation, recovery & staff accountability.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen the preventive mechanism.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2.	Sanjay Kumar	Executive Director, Member

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
3.	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	पंकज जैन	सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
7.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
8.	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री कल्याण कुमार दिनांक 21.10.2021 से समिति के सदस्य बने। श्री संजीव कुमार सिंघल दिनांक 29.12.2021 (कारोबार समय के बाद) से समिति के सदस्य बने। श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 01.02.2022 से समिति के अध्यक्ष बने।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या : 06

बैठक की तिथियाँ: 25.06.2021, 29.09.2021, 25.11.2021, 30.12.2021, 24.02.2022, 29.03.2022

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	04	04
2.	अतुल कुमार गोयल	02	02
3.	संजय कुमार	06	06
4.	विजय दुबे	06	06
5.	स्वरूप कुमार साहा	06	06
6.	कल्याण कुमार	04	04
7.	पंकज जैन	06	02
8.	संजीव कुमार सिंघल	03	03
9.	गौतम गुहा	06	06

3.10 सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति:

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई/2010-11/494/डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/2010-11 दिनांकित 29.04.2011 के अनुसार किया गया है। बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति दस्तावेज़ का अनुमोदन।

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
3.	Vijay Dube	Executive Director, Member
4.	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
6.	Pankaj Jain	Govt. Nominee Director, Member
7.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
8.	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Shri Kalyan Kumar was made member of the Committee w.e.f. 21.10.2021. Shri Sanjeev Kumar Singhal was made member of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (after business hours). Shri Atul Kumar Goel was made Chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 06

Dates of Meetings: 25.06.2021, 29.09.2021, 25.11.2021, 30.12.2021, 24.02.2022, 29.03.2022

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	04	04
2.	Atul Kumar Goel	02	02
3.	Sanjay Kumar	06	06
4.	Vijay Dube	06	06
5.	Swarup Kumar Saha	06	06
6.	Kalyan Kumar	04	04
7.	Pankaj Jain	06	02
8.	Sanjeev Kumar Singhal	03	03
9.	Gautam Guha	06	06

3.10 I.T. Strategy Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted as per RBI Circular No. RBI/2010-11/494/DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated 29.04.2011. The broad functions of the IT Strategy Committee of the Board are:

- Approving IT Strategy and policy document.

- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीति योजना प्रक्रिया को लागू किया है।
- प्रमाणित करना कि कारोबार कार्यनीति सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति के साथ वास्तविक रूप से सम्बद्ध है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठन संरचना कारोबार मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी कारोबार में योगदान प्रदान करती है।
- सुनिश्चित करना कि आईटी बजट में दिए गए आईटी निवेश स्वीकार्य हैं।
- सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त पद्धति की निगरानी करना।
- बैंक के सतत विकास के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- आईटी जोखिमों एवं नियंत्रणों के एक्सपोज़र के बारे में जागरूक करना और आईटी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी का प्रभावी मूल्यांकन करना।
- आईटी कार्यनीतियों के लागूकरण में उच्च प्रबंधन के प्रदर्शन का आंकलन करना।
- उच्च स्तरीय नीति दिशानिर्देश जारी करना (अर्थात् जोखिम, वित्त पोषण अथवा सोर्सिंग कार्यों से संबंधित)
- यह सुनिश्चित करना कि क्या आईटी या व्यावसायिक ढांचा तैयार किया जाय, ताकि बैंक स्तर पर आईटी के कुल वित्त पोषण को देखते हुए आईटी से अधिकतम कारोबार मूल्य प्राप्त किया जा सके और यह पता लगाना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं।
- आईटी प्रदर्शन और कारोबार लक्ष्यों में आईटी के योगदान की समीक्षा करना।

- Ensuring that the Management has put an effective strategic planning process in place.
- Reviewing that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT Organization structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that Management has implemented processes and practices that ensure that IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represented in the IT budgets are acceptable.
- Monitoring the method that Management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustained growth of the Bank.
- Being aware about exposure towards IT risks and controls and evaluating effectiveness of Management's monitoring of IT risks.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding and sourcing tasks).
- Ensuring whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT overseeing the aggregate funding of IT at Bank level and ascertaining, if the Management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance and contribution of IT to business goals.

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2.	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
7.	सीआईओ (सीजीएम. आईटी)	सदस्य
8.	आमंत्रित : आई.टी. सलाहकार	

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Chairperson
2.	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3.	Vijay Dube	Executive Director, Member
4.	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
6.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
7.	CIO (CGM-IT)	Member
8.	Invitees: I.T. Advisor	

श्री गौतम गुहा के स्थान पर डॉ. रेखा जैन दिनांक 12.09.2021 से समिति की अध्यक्ष बनी। श्री कल्याण कुमार दिनांक 21.10.2021 से समिति के सदस्य बने। श्री संजीव कुमार सिंघल दिनांक 29.12.2021 (कारोबार समय के बाद) से समिति के सदस्य बने। श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव की दिनांक 31.01.2022 को समिति की सदस्यता समाप्त हुई।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या : 04

बैठक की तिथियाँ: 28.05.2021, 26.08.2021, 22.11.2021, 25.02.2022

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	गौतम गुहा	02	02
2.	डॉ. रेखा जैन	02	02
3.	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	03	03
4.	संजय कुमार	04	04
5.	विजय दुबे	04	04
6.	स्वरूप कुमार साहा	04	04
7.	कल्याण कुमार	02	02
8.	संजीव कुमार सिंघल	01	01

3.11 ग्राहक सेवा समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

आरबीआई के पत्र दिनांक 14.08.2004 एवं आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के संदर्भ में बैंक की ग्राहक सेवा की तिमाही के आधार पर समीक्षा हेतु समिति गठित की गई।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
7.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
8.	आमंत्रित : (i) ग्राहक सेवा – विशेषज्ञ (ii) ग्राहक प्रतिनिधि	

Dr. Rekha Jain was made chairperson of the Committee w.e.f. 12.09.2021 in place of Shri Gautam Guha. Shri Kalyan Kumar was made member of the Committee w.e.f. 21.10.2021. Shri Sanjeev Kumar Singhal was made member of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (after business hours). Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao ceased to be member of the Committee on 31.01.2022.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 04

Dates of Meetings: 28.05.2021, 26.08.2021, 22.11.2021, 25.02.2022

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Gautam Guha	02	02
2.	Dr. Rekha Jain	02	02
3.	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	03	03
4.	Sanjay Kumar	04	04
5.	Vijay Dube	04	04
6.	Swarup Kumar Saha	04	04
7.	Kalyan Kumar	02	02
8.	Sanjeev Kumar Singhal	01	01

3.11 Customer Service Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of RBI letter dated 14.08.2004 and RBI Master Circular dated July 01, 2015 to review customer service of the Bank on quarterly basis.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2.	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3.	Vijay Dube	Executive Director, Member
4.	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
6.	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
7.	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member
8.	Invitees: (i) Customer Service - Specialist ii) Customer Representative	

डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर डॉ. रेखा जैन दिनांक 12.09.2021 से समिति की सदस्य बनी। श्री कल्याण कुमार दिनांक 21.10.2021 से समिति के सदस्य बने। श्री पंकज जोशी दिनांक 29.12.2021 (कारोबार समय के बाद) से समिति के सदस्य बने। श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 01.02.2022 से समिति के अध्यक्ष बने। श्री पंकज जैन की दिनांक 01.02.2022 को समिति की सदस्यता समाप्त हुई।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या : 04

बैठकों की तिथि : 28.05.2021, 08.09.2021, 30.12.2021, 24.02.2022.

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	03	03
2.	अतुल कुमार गोयल	01	01
3.	संजय कुमार	04	04
4.	विजय दुबे	04	04
5.	स्वरूप कुमार साहा	04	04
6.	कल्याण कुमार	02	02
7.	पंकज जैन	03	02
8.	डॉ. आशा भंडारकर	02	02
9.	डॉ. रेखा जैन	02	02
10.	पंकज जोशी	02	02

3.12 सतर्कता और गैर-सतर्कता/अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की समीक्षा हेतु निदेशकों की समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन आर्थिक मामलों के विभाग, बैंकिंग प्रभाग-सतर्कता अनुभाग, एमओएफ संचार संख्या 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांक 24.10.1990 के संदर्भ में किया गया है और यह समिति सतर्कता और गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों की समीक्षा करती है।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य

Dr. Rekha Jain was made member of the Committee w.e.f. 12.09.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker. Shri Kalyan Kumar was made member of the Committee w.e.f. 21.10.2021. Shri Pankaj Joshi was made member of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (After Business Hours). Shri Atul Kumar Goel was made Chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S. S. Mallikarjuna Rao. Shri Pankaj Jain ceased to be member of the Committee w.e.f. 01.02.2022.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 04

Dates of Meetings: 28.05.2021, 08.09.2021, 30.12.2021, 24.02.2022.

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	03	03
2.	Atul Kumar Goel	01	01
3.	Sanjay Kumar	04	04
4.	Vijay Dube	04	04
5.	Swarup Kumar Saha	04	04
6.	Kalyan Kumar	02	02
7.	Pankaj Jain	03	02
8.	Dr. Asha Bhandarker	02	02
9.	Dr. Rekha Jain	02	02
10.	Pankaj Joshi	02	02

3.12 Committee of the Directors to review Vigilance and Non-Vigilance/ Disciplinary Action Cases

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Department of Economic Affairs, Banking Division –Vigilance Section, MoF communication no. 10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 and reviews vigilance and non-vigilance disciplinary action cases.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2.	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3.	Vijay Dube	Executive Director, Member

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
4	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	पंकज जैन	सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य
7	अनिल कुमार मिश्रा	आरबीआई नामिती निदेशक, सदस्य

श्री कल्याण कुमार दिनांक 21.10.2021 से समिति के सदस्य बने। श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 01.02.2022 से समिति के अध्यक्ष बने। श्री विवेक अग्रवाल के स्थान पर श्री अनिल कुमार मिश्रा दिनांक 28.02.2022 से समिति के सदस्य बने।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 04

बैठक की तिथियाँ: 25.06.2021, 08.09.2021, 30.12.2021, 24.02.2022

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	03	03
2.	अतुल कुमार गोयल	01	01
3.	संजय कुमार	04	04
4.	विजय दुबे	04	04
5.	स्वरूप कुमार साहा	04	04
6.	कल्याण कुमार	02	02
7.	पंकज जैन	4	02
8.	विवेक अग्रवाल	04	04
9.	अनिल कुमार मिश्रा	शून्य	शून्य

3.13 निदेशकों की पदोन्नति समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग के पत्र सं. एफ.सं.4/1/10/96-आईआर दिनांक 19.11.1997 के संदर्भ में किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने पत्र संख्या 4/3/1/2012-आईआर दिनांक 16.04.2019 के माध्यम से स्केल VI से स्केल VII में पदोन्नति के लिए चयन समिति की संरचना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

Sr. No.	Name of the Director (S/Shri)	
4.	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
6.	Pankaj Jain	Govt. Nominee Director, Member
7.	Anil Kumar Misra	RBI Nominee Director, Member

Shri Kalyan Kumar was made member of the Committee w.e.f. 21.10.2021. Shri Atul Kumar Goel was made Chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao. Shri Anil Kumar Misra was made member of the Committee w.e.f. 28.02.2022 in place of Shri Vivek Aggarwal.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 04

Dates of Meetings: 25.06.2021, 08.09.2021, 30.12.2021, 24.02.2022

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	03	03
2.	Atul Kumar Goel	01	01
3.	Sanjay Kumar	04	04
4.	Vijay Dube	04	04
5.	Swarup Kumar Saha	04	04
6.	Kalyan Kumar	02	02
7.	Pankaj Jain	04	02
8.	Vivek Aggarwal	04	04
9.	Anil Kumar Misra	NIL	NIL

3.13 Directors Promotion Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Govt. of India, MoF, Department of Economic Affairs Letter No. F.No. 4/1/10/96-IR dated 19.11.1997. Further, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter No. 4/3/1/2012-IR dated 16.04.2019 issued guidelines regarding composition of Selection Committee for promotion from Scale VI to Scale VII.

हालांकि, रुपये 10 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार वाले बड़े बैंकों में सीजीएम (स्केल VIII) स्तर की शुरुआत के साथ, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने पत्र सं. एफ. सं. 4/3/1/2012-आईआर दिनांक 10.03.2021 के माध्यम से सूचित किया कि दिनांक 16.04.2019 और 30.08.2019 के पत्रों द्वारा निर्दिष्ट चयन समिति बैंक के बोर्ड से नीचे के उच्चतम स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चयन समिति होगी (पंजाब नेशनल बैंक के मामले में स्केल VII से स्केल VIII में पदोन्नति के लिए)।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	पंकज जैन	सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य
3	अनिल कुमार मिश्रा	आरबीआई नामिती निदेशक, सदस्य
4	आमंत्रित: दो विशेषज्ञ	

श्री सी.एच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 01.02.2022 से समिति के अध्यक्ष बने। श्री विवेक अग्रवाल के स्थान पर श्री अनिल कुमार मिश्रा दिनांक 28.02.2022 से समिति के सदस्य बने।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठक की संख्या: 01

बैठक की तिथि: 27.03.2022

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सी.एच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	शून्य	शून्य
2.	अतुल कुमार गोयल	01	01
3.	पंकज जैन	01	01
4.	विवेक अग्रवाल	शून्य	शून्य
5.	अनिल कुमार मिश्रा	01	01

3.14 अपील प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन पीएनबी अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1977 के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी/समीक्षा प्राधिकारी के रूप में अपील और समीक्षा मामलों पर विचार करने के लिए किया गया है।

However, with the introduction of CGM (Scale VIII) level in large Banks having business of more than Rs. 10 lakh crore, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter No. F.No. 4/3/1/2012-IR dated 10.03.2021 conveyed that the Selection Committee specified vide letters dated 16.04.2019 and 30.08.2019 shall be the Selection Committee for promotion of Officers to the highest level below the Bank's Board (in case of Punjab National Bank - for promotion from Scale VII to Scale VIII).

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr.No.	Name of Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2.	Pankaj Jain	Govt. Nominee Director, Member
3.	Anil Kumar Misra	RBI Nominee Director, Member
4.	Invitees: Two Experts	

Shri Atul Kumar Goel was made chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao. Shri Anil Kumar Misra was made member of the Committee w.e.f. 28.02.2022 in place of Shri Vivek Aggarwal.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meeting held: 01

Date of Meeting: 27.03.2022

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	NIL	NIL
2.	Atul Kumar Goel	01	01
3.	Pankaj Jain	01	01
4.	Vivek Aggarwal	NIL	NIL
5.	Anil Kumar Misra	01	01

3.14 Appellate Authority & Reviewing Authority Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted to consider Appeal and Review cases as Appellate Authority/Reviewing Authority in terms of PNB Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977.

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	पंकज जैन	सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य

श्री कल्याण कुमार दिनांक 21.10.2021 से समिति के सदस्य बने। श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 01.02.2022 से समिति के अध्यक्ष बने।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या : 01

बैठक की तिथि : 12.05.2021

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	01	01
2	अतुल कुमार गोयल	शून्य	शून्य
3	संजय कुमार	01	01
4	विजय दुबे	01	01
5	स्वरूप कुमार साहा	01	01
6	कल्याण कुमार	शून्य	शून्य
7	पंकज जैन	01	01

3.15 मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन डीएफएस के पत्र एफ. सं. 9/18/2009-आईआर दिनांक 21.10.2011 के अनुसार किया गया था जिसमें भारत सरकार द्वारा गठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन मुद्दों पर खंडेलवाल समिति की सिफारिशें शामिल थीं।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	पंकज जैन	सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (S/Shri)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3	Vijay Dube	Executive Director, Member
4	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
6	Pankaj Jain	Govt. Nominee Director, Member

Shri Kalyan Kumar was made member of the Committee w.e.f. 21.10.2021. Shri Atul Kumar Goel was made Chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meeting held: 01

Date of Meeting: 12.05.2021

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

S. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	01	01
2	Atul Kumar Goel	Nil	Nil
3	Sanjay Kumar	01	01
4	Vijay Dube	01	01
5	Swarup Kumar Saha	01	01
6	Kalyan Kumar	Nil	Nil
7	Pankaj Jain	01	01

3.15 Steering Committee of the Board on HR

Brief description and terms of reference:

The Committee was formed as per the DFS letter F.No.9/18/2009-IR dated 21.10.2011 containing the recommendations of the Khandelwal Committee on Human Resources Issues of the Public Sector Banks formed by the Govt. of India.

Composition as on 31.03.2022:

S. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3	Pankaj Jain	Govt. Nominee Director, Member

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
4.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
5.	बाह्य मानव संसाधन विशेषज्ञ	सदस्य

डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर डॉ. रेखा जैन दिनांक 12.09.2021 से समिति की सदस्य बनी। श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 01.02.2022 से समिति के अध्यक्ष बने।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 02

बैठक की तिथियाँ: 25.11.2021, 29.03.2022

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	01	01
2.	अतुल कुमार गोयल	01	01
3.	संजय कुमार	02	02
4.	पंकज जैन	02	01
5.	डॉ. आशा भंडारकर	शून्य	शून्य
6.	डॉ. रेखा जैन	02	02

3.16 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर विचार करने के लिए समिति-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

भारत सरकार, डीएफएस के पत्र दिनांक 03.04.2012 के अनुसार गठित समिति, उम्मीदवारों के प्रोफाइल और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन संस्थाओं में निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है जिनमें बैंक की हिस्सेदारी है।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य

श्री कल्याण कुमार दिनांक 21.10.2021 से समिति के सदस्य बने। श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर श्री अतुल कुमार गोयल दिनांक 01.02.2022 से समिति के अध्यक्ष बने।

S. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
4	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member
5	Outside HR Expert	Member

Dr. Rekha Jain was made member of the Committee w.e.f. 12.09.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker. Shri Atul Kumar Goel was made Chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meeting held: 02

Dates of Meeting: 25.11.2021, 29.03.2022

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

S. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	01	01
2	Atul Kumar Goel	01	01
3	Sanjay Kumar	02	02
4	Pankaj Jain	02	01
5	Dr. Asha Bhandarker	NIL	NIL
6	Dr. Rekha Jain	02	02

3.16 Committee to consider election of Shareholder Directors - Voting by Public Sector Banks

Brief description and terms of reference:

The Committee, constituted in terms of Gol, DFS letter dated 03.04.2012, decides on the candidates for election as Directors in entities in which Bank is holding a stake considering the profile and background of Candidates.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (S/Shri)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3	Vijay Dube	Executive Director, Member
4	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5	Kalyan Kumar	Executive Director, Member

Shri Kalyan Kumar was made member of the Committee w.e.f. 21.10.2021. Shri Atul Kumar Goel was made Chairman of the Committee w.e.f. 01.02.2022 in place of Shri CH S.S. Mallikarjuna Rao

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.17. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

समिति का गठन डीएफएस अधिसूचना एफ/9/5/2009-आईआर दिनांक 30.08.2019, एफ/9/5/2009-आईआर दिनांक 14.11.2019 और डीएफएस अधिसूचना सं. 9/5/2009-आईआर (पीटी II) दिनांक 23.03.2021 के अनुसार किया गया है। समिति, गुणात्मक और मात्रात्मक मुख्य प्रदर्शन सूचकों (केपीआईएस) को स्थापित करके महाप्रबंधकों, मुख्य महाप्रबंधकों एवं कार्यपालक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इसके अलावा, समिति, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बोर्ड केपीआई को भी प्रस्तावित करती है।

31.03.2022 के अनुसार संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2	पंकज जैन	सरकारी नामित निदेशक, सदस्य
3	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
4	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री गौतम गुहा को दिनांक 12.09.2021 से डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉ. रेखा जैन को 29.12.2021 से श्री गौतम गुहा के स्थान पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जो समिति के सदस्य के रूप में बने हुए है। श्री पंकज जोशी को समिति का सदस्य 29.12.2021 से बनाया गया था (कारोबार समय के बाद)।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठक की संख्या: 03

बैठकों की तिथियां: 29.07.2021, 15.01.2022, 29.03.2022

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या :

क्र. सं.	निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठके	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ.आशा भंडारकर	01	01
2	डॉ. रेखा जैन	02	02
3	पंकज जैन	03	03
4	गौतम गुहा	03	03

3.18 व्यवसाय समीक्षा समिति

समिति का गठन बोर्ड द्वारा आयोजित उनकी बैठक दिनांक 19.03.2020 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार के अनुसार किया गया था एवं समिति को बैंक के सभी व्यवसाय वर्टिकल की बोर्ड स्तर की समीक्षा सौंपी गई है।

No meeting of the Committee was held during FY 2021-22.

3.17 Performance Evaluation Committee

The Committee has been formed as per DFS notification F/9/5/2009-IR dated 30.08.2019, F/9/5/2009-IR dated 14.11.2019 and DFS notification No. 9/5/2009-IR (Pt. II) dated 23.03.2021. The Committee evaluates the performance of General Managers/Chief General Managers and Executive Directors by setting up qualitative and quantitative Key Performance Indicators (KPIs). Also, the Committee proposes the KPIs for evaluation of performance of the Managing Director and CEO to the Board of Directors.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Chairperson
2	Pankaj Jain	Govt. Nominee Director, Member
3	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
4	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Shri Gautam Guha was made Chairman of the Committee w.e.f. 12.09.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker. Dr. Rekha Jain was made Chairperson of the Committee w.e.f. 29.12.2021 in place of Shri Gautam Guha who continued as member of the Committee. Shri Pankaj Joshi was made member of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (after business hours).

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meeting held: 03

Dates of Meeting: 29.07.2021, 15.01.2022, 29.03.2022

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Asha Bhandarker	01	01
2	Dr. Rekha Jain	02	02
3	Pankaj Jain	03	03
4	Gautam Guha	03	03

3.18 Business Review Committee

The Committee has been formed as per the direction given by Board in its meeting held on 19.03.2020 and has been entrusted with the Board level review of all Business Verticals of the Bank.

31.03.2022 के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष
2	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य
7	गौतम गुहा	शेयरधारक, सदस्य

डॉ. रेखा जैन को 12.09.2021 से डॉ. आशा भंडारकर के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया था। श्री कल्याण कुमार को 21.10.2021 से समिति का सदस्य बनाया गया था। श्री पंकज जोशी को 29.12.2021 (कारोबार समय के बाद) से डॉ. रेखा जैन के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया था।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 03

बैठकों की तिथि: 28.07.2021, 22.11.2021, 28.03.2022

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक के नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठके	बैठकों में उपस्थिति
1	सी.एच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	02	02
2	अतुल कुमार गोयल	01	01
3	संजय कुमार	03	03
4	विजय दुबे	03	03
5	स्वरूप कुमार साहा	03	03
6	कल्याण कुमार	02	02
7	पंकज जोशी	01	01
8	डॉ. आशा भंडारकर	01	01
9	गौतम गुहा	03	03
10	डॉ. रेखा जैन	01	01

3.19 बोर्ड की पूंजी जुटाने वाली समिति

समिति का गठन बोर्ड द्वारा 09.07.2020 को हुई उनकी बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार पूंजी जुटाने से संबंधित विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए किया गया है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है:

ए) इक्विटी शेयरों का निर्गमन और आबंधन: निर्गमन का प्रकार, अनुपात, निर्गमन का समय और मूल्य, प्रमुख प्रबंधकों, कानूनी सलाहकारों,

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (S/Shri)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3	Vijay Dube	Executive Director, Member
4	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
6	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
7	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Dr. Rekha Jain was made member of the Committee w.e.f. 12.09.2021 in place of Dr. Asha Bhandarker. Shri Kalyan Kumar was made member of the Committee w.e.f. 21.10.2021. Shri Pankaj Joshi was made member of the Committee w.e.f. 29.12.2021 (after business hours) in place of Dr. Rekha Jain.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meeting held: 03

Dates of Meeting: 28.07.2021, 22.11.2021, 28.03.2022

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	02	02
2	Atul Kumar Goel	01	01
3	Sanjay Kumar	03	03
4	Vijay Dube	03	03
5	Swarup Kumar Saha	03	03
6	Kalyan Kumar	02	02
7	Pankaj Joshi	01	01
8	Dr. Asha Bhandarker	01	01
9	Gautam Guha	03	03
10	Dr. Rekha Jain	01	01

3.19 Capital Raising Committee of Board

The Committee has been constituted as per the direction given by Board in its meeting held on 09.07.2020 for deciding on various matters relating to raising of capital including but not limited to:

a) Issue and allotment of equity shares: type of issue, proportion, timing and price of issue, appointment of

हामीदारों की नियुक्ति (जो आवश्यक हो) और ऐसी सभी एजेंसियां जो इक्विटी शेयरों की पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्था/करार आदि करना और निष्पादित करना और जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं वहां स्टॉक एक्सचेंजों पर जारी किए गए इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता तलाश करना।

बी) एक या एक से अधिक किश्तों, कूपन, परिपक्वता, कॉल विकल्प, समय, आबंटन का आधार, आबंटन तिथि और सभी पूर्व जारी / जारी करने के बाद की औपचारिकताओं, बांड जारी करने, रेटिंग एजेंसी/ट्रस्टी, प्रबंधकों/सलाहकार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तों में संशोधन बासेल III अनुपालन एटी 1/टीयर II बांड के माध्यम से जुटाई जाने वाली पूंजी की मात्रा को अंतिम रूप देना/अनुमोदित करना।

31.03.2022 के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती)	
1	अतुल कुमार गोयल	एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष
2	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर- सरकारी सदस्य
7	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण

आयोजित बैठकों की संख्या: 03

बैठकों की तिथि: 10.05.2021, 14.05.2021, 15.05.2021

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या :

क्र. सं.	निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठके	बैठकों में उपस्थिति
1	सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	03	03
2	अतुल कुमार गोयल	शून्य	शून्य
3	संजय कुमार	03	03
4	विजय दुबे	03	03
5	स्वरूप कुमार साहा	03	03
6	कल्याण कुमार	शून्य	शून्य
7	डॉ. आशा भंडारकर	03	03
8	पंकज जोशी	शून्य	शून्य
9	गौतम गुहा	शून्य	शून्य

Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters (as may be necessary) and all such Agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and also to enter into and execute all such arrangement/agreements etc., with such Agencies and to seek the listing of Equity shares issued on the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed.

b) Finalizing/approving the quantum of capital to be raised through Basel III Compliant AT1/Tier II Bonds in one or more tranches, coupon, maturity, call option, timing, basis of allotment, allotment date and all pre-issue/post-issue formalities, modification in terms and conditions for the issuance of Bonds, appointment of Rating Agency/Trustee, Arrangers/Advisors and Registrar to the Issue.

Composition of the Committee as on 31.03.2022:

Sr. No.	Name of the Director (S/Shri)	
1	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairman
2	Sanjay Kumar	Executive Director, Member
3	Vijay Dube	Executive Director, Member
4	Swarup Kumar Saha	Executive Director, Member
5	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
6	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
7	Gautam Guha	Shareholder Director, Member

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meeting held: 03

Dates of Meeting: 10.05.2021, 14.05.2021, 15.05.2021

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	CH. S. S. Mallikarjuna Rao	03	03
2	Atul Kumar Goel	NIL	NIL
3	Sanjay Kumar	03	03
4	Vijay Dube	03	03
5	Swarup Kumar Saha	03	03
6	Kalyan Kumar	NIL	NIL
7	Dr. Asha Bhandarker	03	03
8	Pankaj Joshi	NIL	NIL
9	Gautam Guha	NIL	NIL

4. निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार वेतनमान के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्णकालिक निदेशक/कों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम (श्री)	पद	भुगतान राशि (₹ में)*	पीएफ का अंशदान (₹ में)	मेडिकल (₹ में)	छुट्टी नकदीकरण के लिए देय संशोधित डीए का अंतर (₹)
1	सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	7992005.00	222450.00	142934.00	0.00
2	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	881892.00	67320.00	13620.00	0.00
3	ए. के. आजाद [§]	कार्यपालक निदेशक	5697974.80	18760.00	50725.78	190539.07
4	संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक	2936304.00	230160.00	79660.00	0.00
5	स्वरूप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक	2705040.00	212160.00	942997.00	0.00
5	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक	2936304.00	230160.00	23469.56	0.00
7	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक	1288497.00	94673.54	21397.00	0.00
8	राजेश कुमार यदुवंशी [#]	कार्यपालक निदेशक	0.00	0.00	0.00	133436.80
9	बाल कृष्ण अल्से [^]	ओएसडी [@]	0.00	0.00	0.00	63128.00
10	मुकेश कुमार जैन ^{^^}	ओएसडी [@]	0.00	0.00	0.00	157080.00
11	अशोक कुमार प्रधान ^{^^^}	ओएसडी [@]	0.00	0.00	0.00	84640.00

* सेवानिवृत्ति पर ग्रैज्युइटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल है।

[§] दिनांक 30.04.2021 से निदेशक पद से कार्यमुक्त

[#] दिनांक 08.10.2020 से निदेशक पद से कार्यमुक्त

[^] ई—ओबीसी के एमडी एवं सीईओ,

^{^^} ई—ओबीसी के ईडी,

^{^^^} ई—यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एवं सीईओ।

[@] एमओएफ अधिसूचना दिनांक 25.03.2020 के अनुसार 01.04.2020 से पीएनबी में ओएसडी के रूप में नियुक्ति।

सेवा अनुबंधों और नोटिस अवधि सहित नियुक्ति की शर्तें, सरकार के दिशा-निर्देशानुसार हैं। किसी भी निदेशक को कोई विच्छेद शुल्क देय नहीं है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, बैंक द्वारा किसी भी निदेशक को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया है।

बैंक गैर कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता। देय शुल्क निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	बैठक	प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिये देय शुल्क (₹)
(ए)	बोर्ड	70,000/—
(बी)	बोर्ड की समिति	35,000/—
(सी)	बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता के लिए	20,000/— (उपरोक्त (ए) के अतिरिक्त)
(डी)	बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए	10,000/— (उपरोक्त (बी) के अतिरिक्त)

4. Remuneration of Directors:

The Managing Director & CEO and the Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Whole Time Director(s) during the F.Y. 2021-22 are as under:

Sr. No	Name (Shri)	Designation	Emoluments paid (₹)*	PF Contribution (₹)	Medical (₹)	Difference of revised DA payable for Leave encashment (₹)
1	CH SS Mallikarjuna Rao	MD & CEO	7992005.00	222450.00	142934.00	0.00
2	Atul Kumar Goel	MD & CEO	881892.00	67320.00	13620.00	0.00
3	A.K. Azad [§]	Executive Director	5697974.80	18760.00	50725.78	190539.07
4	Sanjay Kumar	Executive Director	2936304.00	230160.00	79660.00	0.00
5	Swarup Kumar Saha	Executive Director	2705040.00	212160.00	942997.00	0.00
6	Vijay Dubey	Executive Director	2936304.00	230160.00	23469.56	0.00
7	Kalyan Kumar	Executive Director	1288497.00	94673.54	21397.00	0.00
8	Rajesh Kumar Yaduvanshi [#]	Executive Director	0.00	0.00	0.00	133436.80
9	Bal Krishna Alse [^]	OSD [@]	0.00	0.00	0.00	63128.00
10	Mukesh Kumar Jain ^{^^}	OSD [@]	0.00	0.00	0.00	157080.00
11	Ashok Kumar Pradhan ^{^^^}	OSD [@]	0.00	0.00	0.00	84640.00

* includes Gratuity and Leave Encashment on retirement

[§] Ceased to be director on 30.04.2021

[#] ceased to be director on 08.10.2020.

[^]MD & CEO of e-OBC

^{^^} ED of e-OBC

^{^^^}MD & CEO of e-United Bank of India.

[@] As per MOF notification dated 25.03.2020 appointed as OSD in PNB w.e.f. 01.04.2020

Terms of appointment including service contracts and notice period are as per Government guidelines. No severance fee is payable to any Director. No performance linked incentive was paid to the whole-time directors during financial year 2021-2022. Further, no stock options have been issued by the Bank to any of the Director.

The Bank does not pay remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fees approved by the Board in terms of Government of India guidelines, for attending the meetings of the Board and its Committees. The fees payable is as under: -

Sr. No.	Meeting	Sitting Fees payable per Meeting (₹)
(a)	Board	70,000/-
(b)	Committee of Board	35,000/-
(c)	For Chairing Board Meeting	20,000/- (in addition to (a) above)
(d)	For Chairing meeting of Committees	10,000/- (in addition to (b) above)

वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को भाग लेने के लिए कुल सिटिंग फीस का भुगतान निम्नवत है:

क्र.सं.	निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती)	प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
1	अनिल कुमार मिश्रा	2,10,000/-
2	पंकज जोशी	6,65,000/-
3	संजीव कुमार सिंघल	7,20,000/-
4	डॉ. आशा भंडारकर	12,20,000/-
5	गौतम गुहा	25,00,000/-
6	डॉ. रेखा जैन	14,85,000/-

नोट: श्री अनिल कुमार मिश्रा, आरबीआई नामित निदेशक जो उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सिटिंग फीस प्राप्त करने के लिए पात्र थे, को छोड़कर पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार व भा.रि.बैंक के प्रतिनिधि निदेशक को भाग लेने के लिए किसी प्रकार की सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया जाता है।

5. विवेकाधीन अपेक्षाओं का अनुपालन

क्र.सं.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
ए	बोर्ड – गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने के लिए पात्र हो सकते हैं।	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के बोर्ड में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है। दिनांक 16.02.2020 से गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद रिक्त है।
बी	शेयरधारकों के अधिकार – पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय प्रदर्शन की अर्ध-वार्षिक घोषणा शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को भेजी जा सकती है।	तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम, एनएसई/बीएसई को भेजे जाते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं। सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट एजीएम से पहले शेयरधारकों को भी भेजी जाती है।
सी	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत – सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ वित्तीय विवरणी की एक व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है।	बैंक की वार्षिक वित्तीय विवरणी बिना शर्त है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ अनुसूचियों में दी गई हैं जो व्याख्यात्मक प्रकृति की हैं।
डी	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग – आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	मुख्य महाप्रबन्धक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा), बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की रिपोर्ट करते हैं।

6. कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के साथ अनुपालन का प्रकटीकरण:

विषय सं.	शीर्षक/संक्षिप्त विवरण	अनुपालन की स्थिति
17	निदेशक मंडल	बैंक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है। निदेशक मंडल की संरचना अधिनियम की धारा 9 (3) के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जहां केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों के बीच चुने गए दो निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त/ नामांकित किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड की समितियों की संरचना और दायरा आरबीआई/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों और अन्य लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार है जो उपरोक्त रिपोर्ट में वर्णित है। बोर्ड की चर्चाओं/विचार –विमर्श का महत्वपूर्ण समय बैंक की व्यावसायिक रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, शासन और जोखिम प्रोफाइल की चर्चा पर लगाया जाता है। बोर्ड की कार्यपद्धति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।
18	लेखा परीक्षा समिति	पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना और विचारार्थ विषय आरबीआई के निर्देशों/ दिशानिर्देशों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। बैंक सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 18(1)(बी) का अनुपालन करने में असमर्थ है क्योंकि बैंक के बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसी) के सदस्य हैं, जो डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार एसीबी के सदस्य नहीं हो सकते हैं।

The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2021-22 is as under:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	Sitting Fee paid (₹)
1	Anil Kumar Misra	2,10,000/-
2	Pankaj Joshi	6,65,000/-
3	Sanjeev Kumar Singhal	7,20,000/-
4	Dr. Asha Bhandarker	12,20,000/-
5	Gautam Guha	25,00,000/-
6	Dr. Rekha Jain	14,85,000/-

Note: No sitting fee was paid to Whole Time Directors and Director representing Government of India and the Reserve Bank of India except in case of Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director who was eligible for receiving sitting fees as per terms of his appointment.

5. Compliance of discretionary requirements

Sr. No.	Non Mandatory requirements	Status of implementation
A	The Board - A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense	There was no Non-Executive Chairman on the Board of the Bank for Financial Year 2021-22. Post of Non-Executive Chairman is vacant since 16.02.2020.
B	Shareholders' Rights - A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The quarterly / Annual Financial Results are submitted to NSE/BSE, published in newspapers and placed on Bank's website. Annual reports are also sent to the shareholders before the AGM in accordance with SEBI guidelines.
C	Modified opinion(s) in Audit Report - The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The Bank's Annual Financial Statements are unqualified. Significant Accounting Policies and Notes to Accounts are contained in schedules, which are explanatory in nature.
D	Reporting of Internal Auditor - The internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Chief General Manager (Inspection & Audit) heading the Internal Audit function reports to the Audit Committee of Board.

6. Disclosure of compliance with Corporate Governance Requirements:

Reg. No.	Title/Brief description	Compliance Status
17	Board of Directors	<p>The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of Section 9(3) of the Act, where all the Directors are appointed/nominated by the Govt. of India except the directors elected from amongst the shareholders, other than Central Government. Further, the constitution and scope of the Committees of the Board is as per extant RBI/SEBI/GoI Guidelines and other applicable guidelines as detailed in the Report above.</p> <p>Significant time of the Board discussions/deliberations is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk management of the Bank.</p> <p>Transparency and independence in functioning of the Board is ensured.</p>
18	Audit Committee	<p>The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board is governed by RBI's Directives/ guidelines.</p> <p>The Bank is unable to comply with Regulation 18(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations as the Board of the Bank has four Independent Directors, out of which two Independent Directors are members of the Management Committee of Board who cannot be members of ACB as per DFS Guidelines.</p>

विषय सं.	शीर्षक/संक्षिप्त विवरण	अनुपालन की स्थिति
19	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	<p>नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और विचारार्थ विषय आरबीआई निर्देशों / दिशानिर्देशों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं।</p> <p>भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (प) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करती है।</p> <p>इसके अलावा, भारत सरकार की 25 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड को किसी भी कार्य या बात को करने के लिए, या सुरक्षा धारकों की शिकायतों के समाधान के लिए, या किसी भी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा, के संबंध में समिति की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। जो कानून द्वारा करना आवश्यक है, बशर्ते बोर्ड संतुष्ट हो कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है। बोर्ड में दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल किए जाने के बाद 29 दिसंबर, 2021 को समिति कार्य-शील हो गई। चूंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया के रूप में बोर्ड द्वारा शर्तों के अनुसार किया गया था, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी।</p>
20	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया
22	सतर्कता तंत्र	अनुपालन किया गया
23	संबंधित पक्षों का लेनदेन	अनुपालन किया गया
24	सूचीबद्ध इकाई की अनुषंगी कंपनी के संबंध में कॉर्पोरेट अभिशासन की अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया
24ए	सचिवीय लेखा परीक्षा	अनुपालन किया गया
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व	अनुपालन किया गया
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के विषय में दायित्व	अनुपालन किया गया
27	अन्य कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया
46(2) (बी) से (आई) तक	वेबसाइट	अनुपालन किया गया

Reg. No.	Title/Brief description	Compliance Status
19	Nomination and Remuneration Committee	<p>The composition & terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee is governed by RBI Directives / Guidelines.</p> <p>As per the Reserve Bank of India Guidelines, the Nomination and Remuneration Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'Fit & Proper' status of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub-section (3) of section 9 of the Act.</p> <p>Further, in terms of the Government of India Notification dated January 25, 2021, the Board is empowered to exercise the powers of a Committee to do any act or thing, or for resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review, which it is required to do by law provided Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof. The Committee became functional on December 29, 2021 after induction of two Part Time Non-Official Directors on the Board. As the process of due diligence to determine the 'Fit & Proper' status of the persons to be elected as Director was carried out by the Board in terms of the aforesaid Notification in respect of election of one Shareholder Director held during the Financial Year 2021-22, no meeting of the Committee was held during Financial Year 2021-22.</p>
20	Stakeholders Relationship Committee	Complied With
21	Risk Management Committee	Complied With
22	Vigil Mechanism	Complied With
23	Related Party Transactions	Complied With
24	Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Complied With
24A	Secretarial Audit	Complied With
25	Obligations with respect to Independent Directors	Complied With
26	Obligations with respect to employees including Senior Management, Key Managerial Persons, Directors and Promoters	Complied With
27	Other corporate governance requirements	Complied With
46 (2) (b) to (i)	Website	Complied With

7. आम सभा की बैठकें

शेयरधारकों की पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण इस प्रकार है :

बैठक का प्रकार	दिन, दिनांक एवं समय	स्थान	उद्देश्य
अठारहवीं एजीएम	शुक्रवार, 12 जुलाई, 2019 प्रातः 10.00 बजे	पीएनबी मल्टी पर्पज हॉल, प्लाट नं 4 सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075	— 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर परिचर्चा, अनुमोदन एवं अपनाना।
उन्नीसवीं एजीएम	मंगलवार, 04 अगस्त, 2020 प्रातः 10.00 बजे	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय है।	— 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर परिचर्चा, अनुमोदन एवं अपनाना। — बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से ₹28707.92 करोड़ की संचित हानियों का विनियोग। (विशेष संकल्प के माध्यम से पारित) — क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फर्दर पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/राइट्स इश्यू या बाजार की स्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अन्य अनुमत माध्यमों, जैसा भी उचित हो, लागू कानूनों/ दिशानिर्देशों के अनुसार और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन (विशेष संकल्प से पारित) ₹7000.00 करोड़ तक की राशि के लिए इक्विटी शेयर पूंजी जुटाना
बीसवीं एजीएम	सोमवार, 26 जुलाई, 2021 प्रातः 11.00 बजे।	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (सीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय है।	— 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर परिचर्चा, अनुमोदन एवं अपनाना।

असाधारण आम बैठक – 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक के शेयर धारकों की एक असाधारण आम बैठक विशेष संकल्प के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए बुधवार, 08 सितम्बर, 2021 को आयोजित की गई:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, आरबीआई के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर मास्टर परिपत्र दिनांक 02 अगस्त, 2019 यथा संशोधित तथा नियामक अधिकारियों द्वारा जारी अन्य लागू निर्देश/दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से पंजाब नेशनल बैंक के एक निदेशक का चुनाव करना।

डाक से मताधिकार का प्रयोग (पोस्टल बैलट) – बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक के माध्यम से मतदान का कोई कार्य नहीं किया और वर्तमान में कोई कार्य और वर्तमान में कोई कार्य पोस्टल बैलट के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

8. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 की अनुसूची V(C{10) के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

8.1 वर्ष के दौरान ऐसा महत्वपूर्ण कोई सम्बन्धी पक्ष लेनदेन नहीं हुआ है जिससे कि बैंक के हितों का संभावित टकराव हो।

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक/आईसीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के सम्बद्ध पक्ष लेन-देन 31.03.2022 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के खातों के नोट्स (अनुसूची 18) में दर्शाए गये हैं। संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन करने की नीति बैंक की वेबसाइट <https://www.pnbindia.in/Regulatory.html> पर दी गयी है। यह बैंक में एक प्रमाणिक व्यवस्था है कि निदेशक बोर्ड की तथा अन्य समितियों के विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं, जब उनसे या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

7. General Body Meetings

The details of Annual General Meetings (AGM) of shareholders during the last three years are as follows:

Type of Meeting	Day, Date & Time	Venue	Purpose
18 th AGM	Friday, July 12, 2019 at 10:00 a.m.	PNB Multipurpose Hall, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075	- To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2019.
19 th AGM	Tuesday, August 04, 2020 at 10.00 a.m.	The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank	- To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2020. - Appropriation of accumulated losses of ₹28707.92 Crore from Share Premium Account of the Bank. (passed through special resolution) - Raising of Equity Share Capital for an amount upto ₹7000.00 Crore through Qualified Institutional Placement (QIP) / Further Public Offer (FPO)/ Rights Issue or such other permitted mode as may be deemed appropriate depending upon market conditions, pursuant to applicable laws/guidelines and subject to receipt of requisite approvals. (passed through special resolution).
20 th AGM	Monday, July 26, 2021 at 11.00 a.m.	The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank	- To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2021.

Extra Ordinary General Meeting - During the financial year ended 31st March, 2022, an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Wednesday, 08th September 2021 to transact the following business through ordinary resolution:

To elect **ONE** Director of Punjab National Bank from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs dated August 02, 2019 as amended, and other applicable Directives / Guidelines issued by Regulatory Authorities.

Postal Ballot - Bank has not conducted any business by way of postal ballot, during the financial year and at present no business is proposed to be conducted through postal ballot.

8. Other Disclosures as per Schedule V {C(10)} of SEBI (LODR) Regulations, 2015

- 8.1** There has been no significant related party transaction during the year that may have had potential conflict of interest with the Bank.
- 8.2** The Related Party Transactions of the Bank as per RBI/ICAI guidelines are disclosed in the Notes on Accounts (in Schedule 18) of the Balance Sheet as on 31.03.2022. The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website at <https://www.pnbindia.in/Regulatory.html>. It is customary that the Directors recuse themselves from the agenda of the Board and other Committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3 विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के संबंध में गैर-अनुपालन के लिए सेबी/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंक पर लगाए गए जुर्माने का विवरण निम्नानुसार हैं:

2019-20	फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैंक द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को पूर्व सूचना नहीं देने हेतु एनएसई और बीएसई ने 10.07.2019 के अपने पत्र के माध्यम से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 29 (2) और (3) के तहत रुपये 10,000/- प्रत्येक लागू जीएसटी सहित जुर्माना लगाया था। जिसका बैंक द्वारा विधिवत भुगतान किया गया है।
2020-21	शून्य
2021-22	शून्य

8.4 बैंक ने व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी स्थापित की है और किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने से नहीं रोका गया है।

8.5 विवेकाधीन और अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति क्रमशः बिंदु 5 और 6 पर विस्तृत है।

8.6 बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि के लिए रिपोर्ट के अंत में एक प्रमाणपत्र दिया है।

8.7 'भैटिरियल' अनुबंधी निर्धारण हेतु नीति तथा संबंधित पार्टी लेन-देन से निपटने के लिए नीति बैंक की वेबसाइट <https://www.pnbindia.in/Regulatory.html> पर उपलब्ध है।

8.8 पण्य मूल्य जोखिम तथा कमोडिटी हैजिंग गतिविधियाँ शून्य है।

8.9 बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान क्यूआईपी इश्यू के माध्यम से कुल मिलाकर 1800 करोड़ रुपये जुटाए। क्यूआईपी इश्यू के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग सामान्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए तथा बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपातों (बिंदु 11.4 (vi) का संदर्भ लें) को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है।

8.10 हमने व्यवहारतः कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि सेबी/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के बोर्ड पर किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से रोका या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

8.11 यह पुष्टि की जाती है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अनिवार्यतः आवश्यक था।

8.3 Details of penalties imposed on the Bank by SEBI/Stock Exchanges for non-compliance in respect of matters related to Capital Market during the last three years are as under:

2019-20	NSE and BSE vide their letters dated 10.07.2019 had imposed a fine of Rs. 10,000/- each plus applicable GST under Regulation 29(2) and (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for not giving prior intimation to the Stock Exchanges regarding the meeting of the Board of Directors held to consider the proposal of raising of funds by the Bank. The same was duly paid by the Bank.
2020-21	Nil
2021-22	Nil

8.4 The Bank has in place a Whistle Blower Policy and no person has been denied access to the Audit Committee.

8.5 The status of compliance of Discretionary and Mandatory requirements is detailed at Points 5 & 6, respectively.

8.6 The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank www.pnbindia.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a Certificate affirming the same is given at the end of the Report.

8.7 The 'Policy for determining material Subsidiary' and Policy for dealing with Related Party Transactions is available on the website of the Bank at <https://www.pnbindia.in/Regulatory.html>

8.8 Commodity Price Risks and Commodity hedging activities are Nil.

8.9 The Bank raised capital through QIP Issue during FY 2021-22 aggregating to Rs. 1800 Crore. The funds raised through the QIP issue have been utilized for the general business purpose and to strengthen the Capital Adequacy Ratios of the Bank [Refer to point 11.14 (vi)].

8.10 We have obtained a certificate from the Company Secretary in Practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory Authority.

8.11 It is confirmed that there was no instance where the Board did not accept any recommendation of any Committee of the Board which was mandatorily required during the financial year 2021-22.

8.12 बैंक और इसके अनुषंगियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क निम्नानुसार है:

क्र.सं.	इकाई का नाम	राशि (रु. लाख में)
1	पंजाब नेशनल बैंक	6363.60
2	पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड	253.15
3	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	42.48
4	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड	1.98
5	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड	2.25
6	पीएनबी कार्ड्स एवं सेवाएँ लिमिटेड	शून्य*

* 31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए शुल्क तिमाही समीक्षा के लिए रु.0.60 लाख और वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक लेखापरीक्षा के लिए रु.1.25 लाख का भुगतान अप्रैल, 2022 में किया गया।

8.13 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

क	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	13
ख	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	10
ग	वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	03

8.14 बैंक, सेबी (एलओडीआर) विनियमों की अनुसूची V के उप-परिच्छेद (2) से (10) की कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करता है।

8.15 हम पुष्टि करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक की प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया था।

8.16 आगे यह पुष्टि की जाती है कि:

- बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।
- कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं हैं।
- बैंक अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://www.pnbindia.in/Regulatory.html> पर उपलब्ध है।

8.17 किसी भी स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफे का कोई मामला नहीं था।

9. बैंक की चार घरेलू अनुषंगियां हैं, यथा:

- पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लि.
- पीएनबी कार्ड्स एवं सेवाएँ लि.

8.12 The total fees for all services to Statutory Auditors of the Bank and its subsidiaries is as under:

Sr. No.	Name of the Entity	Amount (Rs. in Lakhs)
1.	Punjab National Bank	6363.60
2.	PNB International Limited	253.15
3.	PNB Gilts Limited	42.48
4.	PNB Investment Services Limited	1.98
5.	Druk PNB Bank Limited	2.25
6.	PNB Cards and Services Ltd.	NIL*

*Fee for FY ended 31.03.2022 amounting to Rs 0.60 Lakhs for Quarterly Review and Rs. 1.25 Lakhs for Annual Audit of FY 2021-22 paid in April, 2022.

8.13 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

a.	Number of complaints filed during FY 2021-22	13
b.	Number of complaints disposed off during FY 2021-22	10
c.	Number of complaints pending as on end of the FY 2021-22	03

8.14 It is confirmed that Bank is complying with the disclosure requirements in respect of Corporate Governance Report as per sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations.

8.15 The securities of the Bank were not suspended from trading during FY 2021-22.

8.16 Further it is confirmed that:

- In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in SEBI (LODR) Regulations and are independent of the Management.
- None of the Directors are related inter-se.
- The Bank imparts familiarization programmes for its Independent Directors, details of which are available on the website of the Bank i.e. at <https://www.pnbindia.in/Regulatory.html>

8.17 There was no case of resignation of any Independent Director before the expiry of his/her tenure.

9. The Bank has four domestic Subsidiaries, namely:

- PNB Investment Services Ltd.
- PNB Cards and Services Ltd.

- iii) पीएनबी गिल्ट्स लि.
iv) पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लि.*

*पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी स्वैच्छिक परिसमापन में थी और पूंजी समाप्त हो गई थी एवं परिसमापक, समापन प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा।

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड एक सूचीबद्ध इकाई है जहां बैंक ने कंपनी के बोर्ड में दो निदेशकों को नामित किया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक की दो अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगियाँ हैं, यथा

- i) पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड (पीएनबीआईएल), यूके
ii) ड्रुक पीएनबी बैंक लि., भूटान।

10. संचार माध्यम

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई एंड बीएसई) में प्रचार के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, वित्तीय परिणाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाचार विज्ञापित के द्वारा हितधारकों को भी सूचित किए जाते हैं।

शेयरधारकों के पत्राचार/ सूचनाएं एवं वित्तीय परिणाम इत्यादि को किन्हीं दो (अंग्रेजी व हिन्दी) अत्यधिक परिचालन वाले समाचार पत्रों मुख्यतः टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी), दैनिक जागरण और जनसत्ता में प्रकाशित किए जाते हैं।

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम और संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों को दिए गये प्रस्तुतियों को बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) के अतिरिक्त स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर दर्शाया जाता है।

सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15.01.2021 को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि के साथ-साथ एजीएम की सूचना केवल ई-मेल के माध्यम से शेयरधारकों को भेजी गई थी और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों के अलावा बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिन्होंने सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13.05.2022 के अनुसरण में अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत किया है।

11. आम शेयरधारकों के लिए सूचना

11.1 बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक:

21 वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यक्रम इस प्रकार है—

दिन, तिथि व समय : एजीएम नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार

स्थान : एजीएम नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार

- iii) PNB Gilts Ltd.
iv) PNB Insurance Broking Pvt. Ltd.*

*PNB Insurance Broking Company was in voluntary liquidation and capital stands extinguished and liquidator shall be completing the necessary formalities to conclude the winding up procedure.

PNB Gilts Ltd. is a listed entity where the Bank has nominated two Directors on the Board of the Company.

Further, the Bank has two international subsidiaries, namely:

- i) Punjab National Bank (International) Limited (PNBIL), UK
ii) Druk PNB Bank Ltd., Bhutan.

10. Means of Communication

The Quarterly/Annual Financial Results are submitted to the Stock Exchanges (NSE & BSE) for dissemination. Further, the Financial Results are also communicated to the stakeholders through news releases via print and electronic media.

Shareholder communications/notices and financial Results etc. are also published in widely circulated English and Hindi newspapers viz. Times of India, Hindustan Times, Business Standard, Financial Express, Economic Times, Navbharat Times, Hindustan, Business Standard (Hindi), Dainik Jagran and Jansatta.

The Quarterly/Annual Financial Results and presentations made to Institutional Investors/Analysts are also placed on the website of the Bank (www.pnbindia.in) besides the websites of Stock Exchanges viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

The electronic copies of Annual Report for FY 2020-21 inter alia containing the Notice of AGM were sent to the shareholders only through email in view of SEBI Circular No.: SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15.01.2021 and was also hosted on the Bank's website, besides the websites of the Stock Exchanges. The Annual Report for FY 2021-22 shall be sent by email to those shareholders who have registered their email ids pursuant to SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13.05.2022.

11. General Shareholders' Information

11.1 Annual General Meeting of the shareholders of the Bank:

The following is the schedule of the 21st Annual General Meeting:

Day, Date & Time : As per details given in AGM Notice

Venue : As per details given in AGM Notice

11.2 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक
31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही/ वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के लिए एवं मंजूरी देने हेतु बोर्ड की बैठक।	11 मई, 2022
21 वें एजीएम की तिथि और समय	गुरुवार, 30 जून 2022 सुबह 11:00 बजे।
रिकॉर्ड की गई तिथि	गुरुवार, 23 जून 2022
बही समापन तिथि	शुक्रवार, 24 जून 2022 से गुरुवार 30 जून, 2022 तक (दोनों दिन सम्मिलित)
ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ की दिनांक	गुरुवार, 23 जून, 2022
ई-वोटिंग की अवधि	सोमवार, 27 जून, 2022 (सुबह 9:00) और बुधवार, 29 जून, 2022 (शाम 5:00) को समाप्त होगी।

11.3 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश का ब्यौरा –

- (i) **लाभांश:** – बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 0.64 प्रति इक्विटी शेयर ₹ 2/- के लाभांश की सिफारिश की है, जो कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 32% है। लाभांश भुगतान की तिथि शुक्रवार 15 जुलाई, 2022 होगी।
- (ii) **लाभांश वितरण नीति:**– बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार/ सेबी के दिशानिर्देशों के आधार पर एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट <https://www.pnbindia.in/Regulatory.html> पर उपलब्ध है।

11.4 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीकरण:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:-

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड	सूचीकरण की आरम्भिक तिथि
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बान्द्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई	पीएनबी	24.04.2002
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.(एनएसई) पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई	532461	25.04.2002

11.5 सूचीकरण शुल्क

आज की तिथि तक एनएसई तथा बीएसई को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है।

11.2 Financial Calendar

Financial Year	01 st April 2021 to 31 st March, 2022
Board Meeting for considering and approving the Audited Financial Results of the Bank for the quarter/ financial year ended 31 st March, 2022	11 th May, 2022
Date & Time of the 21 st AGM	Thursday, 30 th June, 2022 at 11.00 a.m.
Record Date	Thursday, 23 rd June, 2022
Book Closure Dates	From Friday, 24 th June 2022 to Thursday 30 th June, 2022 (both days inclusive)
Cut-off Date for E-voting	Thursday, 23 rd June, 2022
E- voting period	Monday, 27 th June, 2022 (9:00 a.m.) and ends on Wednesday, 29 th June, 2022 (5:00 p.m.)

11.3 Dividend details – Financial Year 2021-22

- (i) **Dividend:-** The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹ 0.64 per equity share of ₹ 2/- each i.e. 32% of the paid up equity capital of the Bank for FY 2021-22. The dividend payment date will be Friday, 15th July, 2022.
- (ii) **Dividend Distribution Policy:** - The Bank has formulated a Dividend Distribution Policy based on RBI / Government of India / SEBI Guidelines which is available at Bank's website at <https://www.pnbindia.in/Regulatory.html>

11.4 Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on the following Stock Exchanges:

Stock Exchanges	Stock Code	Date of Initial Listing
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Bandra- Kurla Complex, Mumbai	PNB	24.04.2002
Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai	532461	25.04.2002

11.5 Payment of Listing Fee

The annual listing fee to NSE & BSE have been paid up to date.

11.6 बही बन्दी की तिथियाँ—

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अंतिम तिथि—

एजीएम नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार

11.7 बाजार मूल्य (₹) डाटा/बैंक के शेयरों का प्रदर्शन*


माह	एनएसई			बीएसई			संयुक्त
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा	मात्रा
अप्रैल -21	39.00	32.50	2090950612	39.00	31.50	117264456	2208215068
मई -21	43.20	33.75	4429547231	43.20	33.75	259107531	4688654762
जून -21	45.00	38.90	3292673422	44.95	38.90	241231170	3533904592
जुलाई -21	42.85	38.10	1018875674	42.85	38.10	71918919	1090794593
अगस्त -21	41.50	35.30	1040912924	41.45	35.30	77568840	1118481764
सितम्बर -21	42.75	36.55	1190808257	42.80	36.40	94569842	1285378099
अक्टूबर 21	48.20	39.35	2564502364	47.60	39.40	163101524	2727603888
नवम्बर -21	43.25	37.05	978679992	43.25	37.05	86121587	1064801579
दिसंबर -21	41.40	35.95	959913276	41.40	35.95	85522022	1045435298
जनवरी -22	42.40	37.25	1037899103	42.40	37.25	99298564	1137197667
फरवरी -22	43.35	31.75	1465190471	43.35	31.80	111291959	1576482430
मार्च -22	37.20	33.35	1036165998	37.20	33.35	81555357	1117721355
कुल			21106119324			1488551771	22594671095

*स्रोत - एनएसई/बीएसई वेबसाइट (www.nseindia.com / www.bseindia.com)

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के शेयर का मूल्य न्यूनतम ₹ 31.50 तथा अधिकतम ₹ 48.20 के बीच ट्रेड हुआ तथा एनएसई एवं बीएसई में कारोबार की कुल मात्रा ₹ 2259.47 करोड़ शेयर के फ्लोटिंग स्टॉक की तुलना में ₹ 295.69 करोड़ शेयर रही।

11.8 बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का प्रदर्शन:

बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर का ग्राफ के रूप में चित्रण नीचे दिया गया है:



11.6 Dates of Book Closure-

Cut-off date for remote e-voting *as per details given in AGM Notice*

11.7 Market Price (₹) Data / Performance of Bank's shares*


Month	NSE			BSE			COMBINED
	HIGH	LOW	VOLUME	HIGH	LOW	VOLUME	VOLUME
Apr-21	39.00	32.50	2090950612	39.00	31.50	117264456	2208215068
May-21	43.20	33.75	4429547231	43.20	33.75	259107531	4688654762
Jun-21	45.00	38.90	3292673422	44.95	38.90	241231170	3533904592
Jul-21	42.85	38.10	1018875674	42.85	38.10	71918919	1090794593
Aug-21	41.50	35.30	1040912924	41.45	35.30	77568840	1118481764
Sep-21	42.75	36.55	1190808257	42.80	36.40	94569842	1285378099
Oct-21	48.20	39.35	2564502364	47.60	39.40	163101524	2727603888
Nov-21	43.25	37.05	978679992	43.25	37.05	86121587	1064801579
Dec-21	41.40	35.95	959913276	41.40	35.95	85522022	1045435298
Jan-22	42.40	37.25	1037899103	42.40	37.25	99298564	1137197667
Feb-22	43.35	31.75	1465190471	43.35	31.80	111291959	1576482430
Mar-22	37.20	33.35	1036165998	37.20	33.35	81555357	1117721355
TOTAL			21106119324			1488551771	22594671095

*Source - NSE/BSE website (www.nseindia.com / www.bseindia.com)

The shares of the Bank were traded between a low of ₹ **31.50** and high of ₹ **48.20** during the financial year and total volume traded at NSE & BSE was 2259.47 Crore shares as against the floating stock of 295.69 Crore shares.

11.8 Performance of Bank's share price in comparison with Bank Nifty.

The graphical depiction of performance of Bank's share vis-à-vis Bank Nifty is given below:



11.9 प्रति शेयर आंकड़ा:

(₹)	2019-20	2020-21	2021-22
अंकित मूल्य (₹)	2/-	2/-	2/-
31 मार्च की समाप्ति पर एनएसई (₹)	32.35	36.65	35.05
आय प्रति शेयर (₹)	0.62	2.08	3.16
लाभांश ₹ 2/- के प्रति इक्विटी शेयर पर	शून्य	शून्य	0.64
लाभांश (%)	शून्य	शून्य	32%
बही मूल्य (₹)	54.43	53.07	54.77
प्रदत्त लाभांश (शुद्ध लाभ का %)	शून्य	शून्य	20.39%

11.10 शेयर अंतरण एजेंट (एसटीए)

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. एक सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट हैं, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के रूप में 01.01.2013 से नियुक्त किए गए हैं। एसटीए का सम्पर्क विवरण निम्नानुसार है:

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. (यूनिट : पीएनबी)
'बीटल हाउस', तृतीय तल,
99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे,
नई दिल्ली – 110062
दूर. सं. – 011-29961281/82/83, फ़ैक्स : 011-29961284
ई-मेल – beetal@beetalfinancial.com

11.11 शेयर अंतरण पद्धति

- भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015, के विनियम 40(1) यथा संशोधित, के अनुसार, 01 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों का अंतरण केवल अमूर्तिकृत रूप में ही किया जा सकता है, प्रतिभूतियों के प्रेषण (ट्रांसमिशन) या (ट्रांसपोजीशन) पक्षांतरण के अनुरोध के मामलों को छोड़कर। जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं उनसे अपनी शेयर होल्डिंग को अमूर्त रूप में बदलने का अनुरोध किया जाता है।
- भौतिक शेयरों का प्रेषण या पक्षांतरण लागू कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण बैंक की भागीदारी के बिना निक्षेपागारों अर्थात् राष्ट्रीय निक्षेपागार लिमिटेड, (एनएसडीएल) और केन्द्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से किया जाता है।
- शेयरधारकों से अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के लिए पते और/या बैंक शासनादेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, माइकर कोड इत्यादि) में किसी भी परिवर्तन के मामले में रिकॉर्ड अद्यतित करने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सीधे सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

11.9 Per Share Data:

(₹)	2019-20	2020-21	2021-22
Face Value (₹)	2/-	2/-	2/-
Closing as on 31 st March -NSE(₹)	32.35	36.65	35.05
Earnings per share (₹)	0.62	2.08	3.16
Dividend per Equity Share of ₹ 2/- each	Nil	Nil	0.64
Dividend (%)	Nil	Nil	32%
Book Value (₹)	54.43	53.07	54.77
Dividend payout (% of Net Profit)	Nil	Nil	20.39%

11.10 Share Transfer Agent (STA)

M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., a SEBI registered Registrar and Share Transfer Agent is the STA of the Bank since 01.01.2013. The contact details of the STA are given below:

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited (Unit: PNB)
'Beetal House', 3rd Floor
99, Madangir, Behind Local Shopping Centre
New Delhi 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284
e-mail: beetal@beetalfinancial.com

11.11 Share Transfer System

- In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, securities can be transferred only in dematerialized form w.e.f. April 1, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings to dematerialized form.
- The transmission or transposition of physical shares was effected in accordance with the applicable laws/guidelines.
- Transfer of equity shares in electronic form is effected through the Depositories i.e. National Securities Depository Ltd, (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) with no involvement of the Bank.
- For shares held in Dematerialized form, shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and/or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc.).

(v) सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने भौतिक रूप में बैंक के शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उनके संपर्क विवरण, बैंक खाते के विवरण, नामांकन आदि को अद्यतन करने के अनुरोध के साथ आवश्यक प्रपत्रों के साथ पत्र भेजे हैं।

11.12 इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना नवीनतम ईमेल आईडी अपने डिपॉजिटरी सहभागी या एसटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास पंजीकृत करवा लें ताकि वे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के लिए सक्षम हो सकें।

11.13 पीएनबी अदावी शेयर (उच्चत) खाते:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अनुसार अदावी शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	एफपीओ (2005)		आईपीओ (2002)		समामेलन के अनुसरण में दावा न किए गए शेयर		कुल	
		शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1	वर्ष के प्रारम्भ अर्थात् 01.04.2021 को प्रारंभिक (अंकित मूल्य रु.2/- प्रत्येक)	351	59975	58	33500	54	1323	463	94798
2	वर्ष के दौरान शेयर अंतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या जिनको शेयर अंतरित किए गए	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वर्ष के अंत अर्थात् 31.03.2022 (1-3) को बकाया	351	59975	58	33500	54	1323	463	94798

#ये शेयर पूर्ववर्ती ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े अदावी शेयरों से संबंधित हैं और पीएनबी द्वारा 01.04.2020 को पंजाब नेशनल बैंक में दोनों बैंकों के सामेलन पर जारी किए गए हैं।

*यह प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता।

(v) In accordance with SEBI Guidelines, the Bank has sent letters along with the requisite forms to the shareholders holding shares of the Bank in physical form with a request to update their contact details, Bank account details, nomination etc.

11.12 Electronic Voting:

Shareholders are requested to register their latest email IDs with their Depository Participant(s) or the STA, as the case may be, for enabling remote e-voting facility.

11.13 PNB-Unclaimed Shares (Suspense) A/c:

The details of unclaimed shares as per SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under: -

Sr. No	Particulars	FPO (2005)		IPO (2002)		Unclaimed shares issued pursuant to Amalgamation#		TOTAL	
		No. of Share-Holders	No. of Shares	No. of Share-holders	No. of Shares	No. of Share-holders	No. of Shares	No. of Share-holders	No. of Shares
1	Opening at the beginning of the year i.e. 01.04.2021 (Face Value Rs. 2/- each)	351	59975	58	33500	54	1323	463	94798
2	No. of shareholders who approached for transfer of shares during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
3	No. of shareholders to whom shares were transferred during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Outstanding at the end of the year i.e. 31.03.2022 (1-3)	351	59975	58	33500	54	1323	463	94798

These shares relate to the unclaimed shares lying with the erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India and issued by PNB pursuant to amalgamation of both the Banks into Punjab National Bank on 01.04.2020.

It is certified that the voting rights on these shares remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

11.14 दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता तथा वितरण पैटर्न:

(i) शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित इक्विटी शेयर का %
भारत के राष्ट्रपति	73.15
एफआईआई/एनआरआई/ओसीबी	1.63
बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कम्पनियां	8.73
म्युचुअल फण्ड	2.87
घरेलू कम्पनियां/ट्रस्ट	1.00
भारतीय जनसाधारण/निवासी/वैयक्तिक/एचयूएफ	12.45
समाशोधन सदस्य	0.17
कुल	100.00

(ii) दिनांक 31.03.2022 को शेयरधारकों की संख्या: 20,04,871

(iii) प्रत्येक इक्विटी शेयर का सांकेतिक मूल्य ₹ 2/-

(iv) वितरण पैटर्न:

शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	सांकेतिक मूल्य की शेयरधारिता (₹. में)	इक्विटी शेयरों की संख्या	राशि (₹ में)	कुल का प्रतिशत
1908288	95.1826	5000 तक	536586837	1073173674	4.87
57985	2.8922	5001 से 10000	207580078	415160156	1.89
21718	1.0833	10001 से 20000	159418761	318837522	1.45
6234	0.3109	20001 से 30000	77724316	155448632	0.71
3814	0.1902	30001 से 40000	67239560	134479120	0.61
1655	0.0825	40001 से 50000	37972507	75945014	0.34
3023	0.1508	50001 से 100000	107280669	214561338	0.97
2154	0.1074	100001 एवं इससे अधिक	9817212830	19634425660	89.16
कुल: 2004871	100.00		11011015558	22022031116	100.00

v) दिनांक 31.03.2022 को भौगोलिक आधार पर शेयरधारकों की स्थिति:

शहर का नाम	इलैक्ट्रॉनिक				भौतिक रूप में				कुल			
	धारक	प्रतिशत	शेयर	प्रतिशत	धारक	प्रतिशत	शेयर	प्रतिशत	धारक	प्रतिशत	शेयर	प्रतिशत
अहमदाबाद	56097	2.85	48303474	0.44	693	2.07	100546	1.12	56790	2.83	48404020	0.44
बैंगलोर	48999	2.49	45725737	0.42	706	2.11	221876	2.46	49705	2.48	45947613	0.42
चैन्नई	36676	1.86	38444234	0.35	918	2.75	411791	4.57	37594	1.88	38856025	0.35
दिल्ली	136967	6.95	8240420525	74.90	4652	13.91	1031497	11.45	141619	7.06	8241452022	74.85
हैदराबाद	34023	1.73	31537264	0.29	637	1.91	188055	2.09	34660	1.73	31725319	0.29
कोलकाता	61728	3.13	78598331	0.71	1302	3.89	327722	3.64	63030	3.14	78926053	0.72
मुम्बई	144983	7.35	1647168982	14.97	2495	7.46	617529	6.86	147478	7.36	1647786511	14.96
एनसीआर अन्य	62034	3.15	74718712	0.68	930	2.78	224857	2.50	62964	3.14	74943569	0.68
अन्य	1389929	70.50	797091019	7.24	21102	63.11	5883407	65.32	1411031	70.38	802974426	7.29
कुल	1971436	100.00	11002008278	100.00	33435	100.00	9007280	100.00	2004871	100.00	11011015558	100.00

11.14 Shareholding and Distribution Pattern as on 31st March 2022:

i) Shareholding Pattern

Shareholders' Category	Percentage of Equity shares held
President of India	73.15
FII/NRIs/OCBs	1.63
Banks/Financial Institutions/ Insurance Companies	8.73
Mutual Funds	2.87
Domestic Companies/Trusts	1.00
Indian Public/Resident Individuals/HUF	12.45
Clearing Members	0.17
Total	100.00

ii) Number of shareholders as on 31.03.2022 **20,04,871**

iii) Nominal value of each Equity Share **₹ 2/-**

iv) Distribution Pattern:

No. of Shareholders	Percentage of Total	Shareholding of Nominal Value of (₹)	No. of Equity Shares	Amount (₹)	Percentage to Total
1908288	95.1826	Upto 5000	536586837	1073173674	4.87
57985	2.8922	5001 to 10000	207580078	415160156	1.89
21718	1.0833	10001 to 20000	159418761	318837522	1.45
6234	0.3109	20001 to 30000	77724316	155448632	0.71
3814	0.1902	30001 to 40000	67239560	134479120	0.61
1655	0.0825	40001 to 50000	37972507	75945014	0.34
3023	0.1508	50001 to 100000	107280669	214561338	0.97
2154	0.1074	100001 and above	9817212830	19634425660	89.16
Total: 2004871	100.00		11011015558	22022031116	100.00

v) Geographical spread of Shareholders as on 31.03.2022:

City Name	Electronic				Physical				Total			
	Holders	%	Shares	%	Holders	%	Shares	%	Holders	%	Shares	%
Ahmedabad	56097	2.85	48303474	0.44	693	2.07	100546	1.12	56790	2.83	48404020	0.44
Bangalore	48999	2.49	45725737	0.42	706	2.11	221876	2.46	49705	2.48	45947613	0.42
Chennai	36676	1.86	38444234	0.35	918	2.75	411791	4.57	37594	1.88	38856025	0.35
Delhi	136967	6.95	8240420525	74.90	4652	13.91	1031497	11.45	141619	7.06	8241452022	74.85
Hyderabad	34023	1.73	31537264	0.29	637	1.91	188055	2.09	34660	1.73	31725319	0.29
Kolkata	61728	3.13	78598331	0.71	1302	3.89	327722	3.64	63030	3.14	78926053	0.72
Mumbai	144983	7.35	1647168982	14.97	2495	7.46	617529	6.86	147478	7.36	1647786511	14.96
Ncr Oth	62034	3.15	74718712	0.68	930	2.78	224857	2.50	62964	3.14	74943569	0.68
Others	1389929	70.50	797091019	7.24	21102	63.11	5883407	65.32	1411031	70.38	802974426	7.29
Total	1971436	100.00	11002008278	100.00	33435	100.00	9007280	100.00	2004871	100.00	11011015558	100.00

vi) दिनांक 31.03.2022 को शेयरधारकों द्वारा भौतिक रूप में तथा डीमैट रूप में धारित शेयरों का विवरण:

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का %
1.	भौतिक रूप में	33435	9007280	0.08
2.	डीमैट रूप में	1971436	11002008278	99.92
i)	एनएसडीएल	682737	2176310529	19.76
ii)	सीडीएसएल	1288699	8825697749	80.16
	कुल (1+2)	2004871	11011015558	100.00

मई, 2021 के महीने में, बैंक ने अपने क्यूआईपी इश्यू के तहत पात्र क्यूआईबी को ₹ 2/- के अंकित मूल्य के प्रीमियम पर इक्विटी शेयरों की निम्नालिखित संख्या आवंटित की है।

इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम (राशि ₹ में)	प्रति इक्विटी शेयर निर्गम मूल्य (राशि ₹ में)	(राशि ₹ में)
53,33,33,333	31.75	33.75	1799,99,99,988.75

क्यूआईपी के माध्यम से पूंजी जुटाने से पहले और बाद में बैंक के पूंजी अनुपात (समेकित) निम्नानुसार हैं:

अनुपात	31.03.2021 (पूर्व)	30.06.2021 (पश्चात)
सामान्य इक्विटी टियर1 पूंजी अनुपात (%) (बेसल-III)	10.89	11.55
टीयर1 पूंजी अनुपात (%) (बेसल-III)	11.80	12.49
टीयर2 पूंजी अनुपात (%) (बेसल-III)	2.84	2.72
कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) (बेसल-III)	14.64	15.21

11.15 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई भी परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है तथा 31.03.2022को कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

11.16 पण्य कीमत जोखिम शून्य है। विदेशी विनिमय जोखिम व हैजिंग से संबंधित गतिविधियों के संबंध में:

- बैंक ने बैंक के दिशानिर्देश के समानांतर एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग (आईआरएमडी), मिड ऑफिस द्वारा बनाए गए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति को स्थापित किया है जोकि विभिन्न सीमाओं जैसे कट लॉस/लाभ सीमाएं अपनाया द्वारा (डीलर/करेंसी वार) ओवरनाइट/फॉरवर्ड ऑपन स्थिति इत्यादि को निर्धारित करके संभावित भावी हानि को परिभाषित करती है। दिन के दौरान ओपन

vi) Details of shares held by the Shareholders in Physical & Dematerialized form as on 31.03.2022

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares	Percentage of Shareholding
1.	Physical	33435	9007280	0.08
2.	Dematerialized	1971436	11002008278	99.92
i)	NSDL	682737	2176310529	19.76
ii)	CDSL	1288699	8825697749	80.16
	Total (1+2)	2004871	11011015558	100.00

In the month of May, 2021, the Bank has allotted the following number of equity shares of the face value Rs. 2/- each at a premium to the eligible QIBs under the QIP issue of the Bank:

Number of Equity shares	Premium per equity share (Amt. in ₹)	Issue Price per equity share (Amt. in ₹)	(Amt. in ₹)
53,33,33,333	31.75	33.75	1799,99,99,988.75

The capital ratios of the Bank (Consolidated) before and after the raising of capital through QIP are as under:

Ratio	31.03.2021 (Pre)	30.06.2021 (Post)
Common Equity Tier 1 Capital ratio (%) (Basel- III)	10.89	11.55
Tier 1 Capital ratio (%) (Basel- III)	11.80	12.49
Tier 2 Capital ratio (%) (Basel- III)	2.84	2.72
Total Capital ratio (CRAR) (%) (Basel- III)	14.64	15.21

11.15 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the financial year 2021-22 and there are no outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments as on 31.03.2022.

11.16 Commodity Price Risks are Nil. As regards foreign exchange risk and hedging activities:

- The Bank has in place a Board approved Investment Policy in line with the Bank's Guidelines framed by Mid Office, Integrated Risk Management Division (IRMD) which defines potential future losses by fixing various limits such as cut loss/take profit limits (Dealer wise/Currency wise), Overnight/forward open positions etc. Exchange risk associated with intraday open position is also addressed

स्थिति के साथ डे लाइट ओपन स्थिति सीमा निर्धारित करके विनिमय जोखिम का समाधान भी किया है। विभिन्न परिपक्वता अवधि में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह में अंतर के कारण उत्पन्न विदेशी विनिमय जोखिम समाधान आईजीएल, एजीएल और वीएआर जैसी सीमाओं द्वारा किया जाता है तथा मिड कार्यालय, आईआरएमडी द्वारा उनकी निगरानी की जाती है।

- सभी मर्चेन्ट (आयात/निर्यात/आवक प्रेषण/जावक प्रेषण) आधारित लेनदेन अंतर बैंक बाजार में ओटीसी व्युत्पन्नी (स्वैप व फॉरवर्ड) के माध्यम से रक्षित किए जाते हैं।
- एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी के माध्यम से सृजित यूएसडी निधि स्वाभाविक रूप से रक्षित किया जाता है, जैसे ही उसी मुद्रा में निधियों का आगमन और बहिर्गमन होता है। यूएसडी के अलावा उपर्युक्त जमाएं मुद्रा स्वैप तंत्र के माध्यम से यूएसडी में परिवर्तित होती हैं और स्वैप लागत को ध्यान में रखते हुए लाभ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- बैंक के पास एक सुदृढ़ व सुपरिभाषित एमआईएस है जिसके माध्यम से गतिविधियों को प्रत्येक दिन सभी स्तर पर उच्च प्रबन्धन के समक्ष रखा जाता है, जिसे निवेश नीति में परिभाषित किया गया है।

11.17 प्लॉट का स्थान: लागू नहीं

11.18 इक्विटी संबंधी मामलों में पत्राचार हेतु पता:

कम्पनी सचिव
पंजाब नेशनल बैंक
शेयर विभाग, प्रथम तल,
पूर्वी विंग, प्लॉट सं.4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
दूरभाष सं. 011- 28044857
ई-मेल : hosd@pnb.co.in

11.19 ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली:

बैंक शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है। प्रणाली के अंतर्गत, शेयरधारक बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर उपलब्ध कराए गए पोर्टल के माध्यम से Investor info > others > Online shareholder queries/request/grievances के अंतर्गत अपनी पूछताछ/शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शेयरधारक दर्ज करने की तिथि से लेकर उसके निपटान की तिथि तक शिकायत की स्थिति को देख सकते हैं।

11.20 सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2021-22 हेतु सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए, बैंक ने मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स (प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली) को नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंत में संलग्न किया गया है।

by fixing Daylight Open Position limit. Foreign Exchange risk arising due to mismatch of foreign currency cash flow in different maturity buckets are addressed by limits such as IGL, AGL and VaR fixed and monitored by Mid Office, IRMD.

- All merchant (Export/Import/Inward remittance/Outward remittance) based transactions are hedged through OTC derivatives (swap and forward) in Interbank market.
- USD funds generated through FCNR/EEFC/RFC are naturally hedged as inflow and outflow of fund takes place in the same currency. Aforesaid deposits other than USD are converted into USD through currency swap mechanism and deployed profitably after taking swap cost into account.
- Bank has a robust and well defined MIS through which activities are placed before Top Management at all levels every day which has been defined in the Investment Policy.

11.17 Plant Location: N.A.

11.18 Address for Correspondence in respect of equity related issues:

The Company Secretary
Punjab National Bank
Share Department, 1st Floor,
East Wing, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075
Tel. No. 011- 28044857
e-mail: hosd@pnb.co.in

11.19 Online grievance redressal system:

The Bank provides an online query/grievance/complaint redressal system for resolving the shareholders' queries/grievances. Under this system, the shareholder may log in their query/complaint through the Portal provided on Bank's website www.pnbindia.in under Investor info - > others - > Online Shareholder queries/requests/grievances. The shareholder will be able to view status of the same from the date of lodging till its resolution.

11.20 Secretarial Audit Report:

For conducting the Secretarial Audit for FY 2021-22, the Bank has appointed M/s Agarwal S. & Associates (Practicing Company Secretary, New Delhi). The Secretarial Audit Report is annexed at the end of the Corporate Governance Report.

11.21 डिबेंचर न्यासी(यों) : बैंक द्वारा जारी बॉन्ड के लिए डिबेंचर न्यासी(यों) निम्नलिखित हैं:

- आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड**
एशियन बिल्डिंग, भूतल,
17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,
मुंबई – 400 001.
टेली: (91) (22) 40807006
वेबसाइट: www.idbitrustee.com
- माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**
कोग्रक्स वरली, पीएस 56, तृतीय तल, बिरला सेंचुरियन,
सेंचुरी मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वरली, मुंबई-400 030.
टेली: (91) (22) 62886119
वेबसाइट: www.milestonetrustee.in
- एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड**
मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल, 122 दिनशाँ वछा रोड,
चर्चगेट, मुंबई- 400020.
टेली: (91) (22) 4302 5500/5566
वेबसाइट: www.sbicaptrustee.com
- एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड**
रूबी, दूसरी मंजिल, एस डब्लू,
29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम,
मुंबई- 400 028.
टेली: (91) (22) 6230 0451
वेबसाइट: www.axistrustee.in

11.22. संशोधन के साथ सभी क्रेडिट रेटिंग्स की सूची:

ए. बैंक की क्रेडिट रेटिंग:

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज	Ba1/NP/Stable
फिच रेटिंग्स	BBB- /F3/Negative

11.21 Debenture Trustee(s): The following are the Debenture Trustee(s) for the Bonds issued by the Bank:

- IDBI Trusteeship Services Ltd.**
Asian Building, Ground Floor,
17, R. Kamani Marg, Ballard Estate,
Mumbai – 400 001.
T: (91) (22) 40807006
Website: www.idbitrustee.com
- Milestone Trusteeship Services Pvt. Ltd.**
CoWrks Worli, PS 56, 3rd Floor, Birla Centurion,
Century Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai – 400 030
T: (91) (22) 62886119
Website: www.milestonetrustee.in
- SBICAP Trustee Company Ltd**
Mistry Bhawan, 04th Floor, 122 Dinshaw Vachha Road,
Churchgate, Mumbai- 400020
T: (91) (22) 4302 5500/5566
Website: www.sbicaptrustee.com
- Axis Trustee Services Ltd.**
The Ruby, 2nd Floor, SW,
29, Senapati Bapat Marg, Dadar West,
Mumbai- 400 028
T: (91) (22) 6230 0451
Website: www.axistrustee.in

11.22. List of all credit ratings along with revisions thereto:

a. Credit Rating of the Bank:

Rating Agency	Rating
Moody's Investors Services	Ba1/NP/Stable
Fitch Ratings	BBB- /F3/Negative

बी. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सभी घरेलू ऋण लिखत (सावधि जमा को छोड़कर) के लिए बैंक द्वारा लिए गए क्रेडिट रेटिंग का विवरण

b. Details of Credit Rating obtained by the bank during FY 2021-22 for all domestic debt instruments (other than Fixed Deposits)

क्र. सं./ Sr. No.	लिखत/Instrument	श्रृंखला/Series	आईएसआईएन/ISIN	केयर/CARE		आईसीआरए/ICRA		इंडिया रेटिंग/INDIA RATING			ब्रिकवर्क/BRICKWORK		क्रिसिल/CRISIL	
				30.09.2021	24.11.2021	03.11.2021	26.11.2021	13.10.2021	16.11.2021	24.12.2021	09.11.2021	29.09.2021	04.10.2021	02.12.2021
1	एटी/AT-1	श्रृंखला/Series VII	INE160A 08076	AA-/Stable	AA / Stable	NIL		AA/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable				
2	एटी/AT-1	श्रृंखला/Series XI	INE160A 08134					AA/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA/ Stable	AA/ Stable	AA/ Stable	AA/ Stable
3	एटी/AT-1	श्रृंखला/Series XII	INE160A 08183					AA/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA/ Stable			
4	एटी/AT-1	श्रृंखला/Series XIII	INE160A 08209				AA/ Stable		AA+/ Stable	AA+/ Stable				AA/ Stable
5	एटी/AT-1	श्रृंखला/Series XIV	INE160A 08217						AA+/ Stable	AA+/ Stable				AA/ Stable
6	दीर्घावधि बांड/ Long Term Bond	श्रृंखला/Series 1	INE160A 08068	AA+/ Stable	AA+/ Stable			AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
7	दीर्घावधि बांड/ Long Term Bond	श्रृंखला/Series 2	INE160A 08084	AA+ / Stable	AA+ / Stable	AA+ / Stable	AA+ / Stable					AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
8	टीयर/Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/Series XIV	INE160A 08019			AA+ / Stable	AA+ / Stable					AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
9	टीयर/Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/Series XV	INE160A08027					AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
10	टीयर/Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/Series XVI	INE160A08035					AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
11	टीयर/Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/Series XVII	INE160A08043					AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
12	टीयर/Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/Series XVIII	INE160A08050					A A A / Stable	A A A / Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
13	टीयर/Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/Series XIX	INE160A08092	AA+ / Stable	AA+ / Stable			A A A / Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable				
14	टीयर/Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/Seires XX	INE160A08142					A A A / Stable	A A A / Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
15	टीयर/Tier II बेसल/ Basel - III	श्रृंखला/Seires XXI	INE160A08159					A A A / Stable	A A A / Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable

क्र. सं./ Sr. No.	लिखत/Instrument	श्रृंखला/Series	आईएसआईएन/ISIN	केयर/CARE		आईसीआरए/ICRA		इंडिया रेटिंग/INDIA RATING			ब्रिकवर्क/BRICKWORK		क्रिसिल/CRISIL	
				30.09.2021	24.11.2021	03.11.2021	26.11.2021	13.10.2021	16.11.2021	24.12.2021	09.11.2021	29.09.2021	04.10.2021	02.12.2021
16	टीयर/Tier II बेसल/Basel - III	श्रृंखला/Seires XXII	INE160A08167					AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
17	टीयर/Tier II बेसल/Basel - III	श्रृंखला/Series XXIII	INE160A08175					AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
18	टीयर/Tier II बेसल/Basel - III	श्रृंखला/Series XXIV	INE160A08191							AAA/ Stable				AA+/ Stable
19	न्यूनतर टीयर / Lower Tier II	30.11.2012	INE141A09132	AA+ / Stable	AA+ / Stable	AA+ / Stable	AA+ / Stable							
20	टीयर/Tier II बेसल/Basel - III	27.10.2014	INE141A08019	AA+ / Stable	AA+ / Stable	AA+ / Stable	AA+ / Stable							
21	टीयर/Tier II बेसल/Basel - III	26.10.2015	INE141A08035	AA+ / Stable	AA+ / Stable	AA+ / Stable	AA+ / Stable							
22	आईपीडीआई टीयर/IPDI Tier I	श्रृंखला/Series I	INE695A09095	AA / Stable	AA / Stable							AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
23	टीयर/Tier II बेसल/Basel - III	श्रृंखला/Series-VIII	INE695A09103								AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
24	टीयर/Tier II बेसल/Basel - III	श्रृंखला/Series-IX	INE695A08030								AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
25	न्यूनतर टीयर / Lower Tier II	श्रृंखला/Series-X	INE695A08048									AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
26	न्यूनतर टीयर / Lower Tier II	श्रृंखला/Series XI	INE695A08063									AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable
27	जमा प्रमाणपत्र / Certificate of Deposit			A1+	A1+	A1+	A1+					A1+	A1+	A1+

नोट:

- (i) जून 2021 और मार्च 2022 के महीने में ISIN INE141A08043, ISIN INE160A08100, ISIN INE160A08118, ISIN INE160A08126 वाले बॉन्ड के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग किया गया था। इन बांडों की रेटिंग वापस ले ली गई है।
- (ii) ISIN INE695A09087 वाले बांडों को क्रिसिल और केयर द्वारा एए+ / स्थिर रेटिंग दी गई थी, जिन्हें 28.12.2021 को भुनाया गया था।

Note:

- (i) Call options were exercised in respect of the Bonds having ISIN INE141A08043, ISIN INE160A08100, ISIN INE160A08118, ISIN INE160A08126 in the month of June 2021 & March 2022 respectively. Ratings of these Bonds stand withdrawn.
- (ii) The Bonds having ISIN INE695A09087 was rated AA+/Stable by CRISIL & CARE were redeemed on 28.12.2021.

कृते पंजाब नैशनल बैंक
For Punjab National Bank

(अतुल कुमार गोयल)
(Atul Kumar Goel)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांक : 11.05.2022
Date: 11.05.2022

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

घोषणा

[सेबी (एलओडीआर) विनियमन,
2015 की अनुसूची V (डी) के अनुसार]

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के अधिकारियों के लिए आचार संहिता तैयार की है, जो बैंक की वेबसाइट <https://www.pnbindia.in/model-code-of-conduct.html> पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के खंड 26 (3) के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते पंजाब नेशनल बैंक

(अतुल कुमार गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.05.2022

Declaration

[As per Schedule V (D) of the SEBI
(LODR) Regulations, 2015]

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank, which is available on the website of the Bank i.e. <https://www.pnbindia.in/model-code-of-conduct.html>

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct in accordance with Clause 26(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

For Punjab National Bank

(Atul Kumar Goel)
Managing Director & CEO

Place: New Delhi
Date: 11.05.2022

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{सेबी के विनियम 24 ए (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), विनियमन 2015 के अनुसरण में}

सेवा में,
सदस्यगण,
पंजाब नैशनल बैंक

हमने पंजाब नैशनल बैंक (जिसे यहाँ आगे "बैंक" कहा गया है) द्वारा लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट सिद्धांतों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया था कि इससे हमें कॉरपोरेट आचरण/ संवैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला।

सचिवीय ऑडिट करने के दौरान बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मस एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन तथा बैंक, इनके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन- व्यवस्था है, जो इस तरीके से और यहाँ की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मस एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके तहत बनाए गए नियम; (लागू सीमा तक);
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र-पारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा के तहत बनाए गए नियम और विनियम;
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश अर्थात:-
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

{Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015}

To,
The Members,
Punjab National Bank.

We have conducted the Secretarial Audit of the Compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good Corporate Practices by Punjab National Bank (hereinafter called the "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, Minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and Compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2022 according to the provisions of:

- The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made there under; (to the extent Applicable);
- The Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

- (सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;
- (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेत इक्विटी) विनियम, 2021; (समीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
- (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (16 अगस्त, 2021 से प्रभावी)
- (एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;
- (जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित;
- (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021;
- (आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों की वापसी खरीद (बाय-बैक), विनियम, 2018; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं है);
- (जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018;
- (के) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम हेतु बैंकर) विनियम, 1994;
- (एल) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी), विनियम, 1993;
- (vi) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, बैंक में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और परीक्षण-जांच के आधार पर संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद, बैंक ने विशेष रूप से बैंक में लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:
- (ए) पूँजी बाजार मध्यस्थों पर लागू सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देश, विनियम;
- (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निदेश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश;
- (सी) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;
- (डी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949;
- (ई) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970;
- (एफ) पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (Not applicable to the Bank during the Review Period);
- (e) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (with effect from 16th August, 2021)
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act in respect of dealing with client;
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
- (j) The Securities and Exchange Board of India (Depository & Participants) Regulations 2018;
- (k) The Securities and Exchange Board of India (Banker to an Issue) Regulations, 1994;
- (l) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993;
- (vi) We Further report that, having regard to the compliance system(s) prevailing in the Bank and on examination of the relevant documents and records in pursuance thereof on test check basis, the bank has complied with the following applicable laws to the Bank:
- (a) Guidelines, Regulations issued by SEBI as applicable to Capital Market Intermediaries.
- (b) Master Direction, Notification and guidelines issued by RBI from time to time.
- (c) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;
- (d) The Banking Regulation Act, 1949;
- (e) The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
- (f) Punjab National Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2000;

हमने निम्नलिखित के अनुपालन की भी जांच की है:

- ए) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी समय-समय पर यथासंशोधित सचिवीय मानक – लागू नहीं।
- बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 – लागू सीमा तक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अनुपालन किया है:

1. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) के तहत एक निदेशक का पद, जो बैंक बोर्ड में रिक्त था, बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से होना चाहिए जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (डों) के अंतर्गत कामगार हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस तरह से नामित किया जाना था, जैसा कि इस धारा के तहत बनाई गई योजना में निर्दिष्ट किया जाए।
2. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एफ) के तहत एक निदेशक का पद, जो बैंक बोर्ड में रिक्त था, बैंक के कर्मचारियों में से होना चाहिए, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (डों) के अंतर्गत कामगार नहीं हैं, जिसे रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।
3. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के तहत एक निदेशक का पद, जो बैंक के बोर्ड में रिक्त था, एक निदेशक जो कम से कम पंद्रह साल से चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो, रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।
4. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत दो निदेशकों के पद, जो बैंक के बोर्ड में रिक्त थे, केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने हैं।
5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 के अनुसार – बोर्ड में मौजूदा रिक्तियों के कारण, 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र नहीं थे।
6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (बी) के अनुसार, जहां सूचीबद्ध इकाई के पास नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे – बोर्ड में मौजूदा रिक्तियों के कारण, 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कुल संख्या के पचास प्रतिशत से कम थी।

We have also examined compliance of the following:

- (a) Secretarial Standards, as amended from time to time, issued by the Institute of Company Secretaries of India-Not Applicable.
- (b) The Securities & Exchange Board of India (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015-to the extent Applicable.

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above subject to the following observations:

1. *The position of one Director under Section 9(3)(e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, from among such of the employees of the Bank who are workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be nominated by the Central Government in such manner as may be specified in a scheme made under this section, was vacant on the Board of the Bank.*
2. *The position of one Director under Section 9(3)(f) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, from among the employees of the Bank who are not workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank, was vacant on the Board of the Bank.*
3. *The position of one Director under Section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank, was vacant on the Board of the Bank.*
4. *The positions of two Directors under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to be nominated by the Central Government, were vacant on the Board of the Bank.*
5. *As per the Regulation 18 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 - Due to the existing vacancies on the Board, two-thirds of the members of the Audit Committee were not Independent, during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022.*
6. *As per the Regulation 17 (1) (b) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the Board of Directors shall comprise of Independent Directors - Due to the existing vacancies on the Board, the number of Independent Directors on the Board was less than fifty percent of the total strength during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022.*

हम आगे सूचित करते हैं कि बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत निगमित है, और कॉरपोरेट अभिशासन और बोर्ड की संरचना हेतु तथा बैंक पर लागू होने से संबंधित प्रावधान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 में दिए गए हैं।

बैंक के बोर्ड में ग्यारह (11) निदेशक हैं जिनमें एक (1) प्रबंध निदेशक और सीईओ और चार (4) कार्यपालक निदेशक, दो (2) गैर-कार्यपालक निदेशक जिनमें से एक निदेशक केंद्र सरकार का अधिकारी होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है और एक निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। बोर्ड में दो (2) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र) और दो (2) शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र) भी शामिल हैं।

जैसा की ऊपर वर्णित है बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत यथा अपेक्षित बैंक के निदेशक मंडल में निर्दिष्ट निदेशकों की गैर-नियुक्ति/नामांकन की आवश्यक संख्या को छोड़कर बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन पूर्व कथित कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सामान्यतः, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए जाते हैं, बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को, यदि कोई हो, बैठक के कार्यवृत्त के एक भाग के रूप में दर्ज और अभिलेखबद्ध किया जाता है।

हम आगे सूचित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि:

1. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने सेबी (पूजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बैंक पर लागू होने की सीमा तक), पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के तहत रु. 33.75 प्रति इक्विटी शेयर के कुल रुपये 1799,99,99,988.75 (एक हजार सात सो निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सो अठासी रुपये तथा पचत्तर पैसे) करोड़ के प्रति 2/- रुपये के अंकित मूल्य के 53,33,33,333 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं।

We further report that the Bank is incorporated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the provisions related to corporate governance and composition of Board as applicable to the Bank are provided in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

There are Eleven (11) Directors on the Board of the Bank comprising of one (1) Managing Director & CEO and four (4) Executive Directors, Two (2) Non-Executive Directors – One Director being official of the Central Government nominated by the Central Government and one director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India. The Board also includes, Two (2) Part-Time Non-Official Directors (Non-Executive – (Independent) and Two (2) Shareholders Directors (Non-Executive – (Independent).

The Board of Directors of the Bank is duly constituted *except* for non-appointment/nomination of requisite number of specified Directors on the Board of Directors of the Bank as required under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as mentioned above. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the aforesaid Laws.

Generally, adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

The decision of the Board is carried through majority while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the Minutes, if any.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that

1. During the audit period, the Bank has issued and allotted 53,33,33,333 Equity Shares of Face Value Rs. 2/- each at a price of Rs. 33.75 per equity share aggregating to Rs. 1799,99,99,988.75 (Rupees One Thousand Seven Hundred Ninety Nine Crore Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Eight and Paise Seventy Five only) under Qualified Institutional Placement in accordance with the Chapter VI of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Banking Regulations Act, 1949 (to the extent applicable to the Bank), The Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, and The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर निम्नलिखित ऋण लिखत जारी किए हैं:
- रु.1 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के कुल मिलाकर 1919 करोड़ रुपये के बेसल III अनुपालन टियर II बांड सममूल्य पर जारी किए गए।
 - रु.1 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के कुल मिलाकर रु. 2000 करोड़ के बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर II (स्थायी) बांड सममूल्य पर जारी किए गए।
 - रु.1 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के कुल मिलाकर रु. 1971 करोड़ के बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I (स्थायी) बांड सममूल्य पर जारी किए गए।
3. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने नियामक दंड के रूप में कुल 3,80,00,000/- रुपये (तीन करोड़ अस्सी लाख रुपये) का भुगतान किया है।

कृते अग्रवाल एस. एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर: 626/2019

कंपनी सचिव गरिमा ग्रोवर
एसीएस सं.: 27100
सी.पी.सं.: 23626

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 10.05.2022
यूडीआईएन: A027100D000298569

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

2. During the financial year ended March 31,2022, the Bank has issued the following Debt Instruments on private placement basis:
- Basel III Compliant Tier II Bonds of Face Value of Rs. 1 Crore each issued at par aggregating to Rs. 1919 Crore.
 - Basel III Compliant Additional Tier I (Perpetual) Bonds of Face Value of Rs. 1 Crore each issued at par aggregating to Rs. 2000 Crore.
 - Basel III Compliant Additional Tier I (Perpetual) Bonds of Face Value of Rs. 1 Crore each issued at par aggregating to Rs. 1971 Crore.
3. During the financial year ended March 31, 2022, the Bank has paid a total amount of Rs. 3,80,00,000/- (Rupees Three Crore and Eighty Lakhs) towards Regulatory Penalties.

For **Agarwal S. & Associates,**
Company Secretaries,
ICSI Unique Code: P2003DE049100
Peer Review Cert. No.: 626/2019

CS Garima Grover
ACS No.: 27100
C P No.: 23626

Place: New Delhi
Date: 10.05.2022
UDIN: A027100D000298569

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report.

अनुलग्नक – ए”**Annexure – A”**

सेवा में,
सदस्यगण,
पंजाब नेशनल बैंक,

To,
The Members,
Punjab National Bank.

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपने मत प्रस्तुत करना है।
1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our Responsibility is to express an opinion on these secretarial records, based on our inspection of records produced before us for Audit.
2. हमने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं प्रथाएं, हमें हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता-बहियों की सत्यता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उल्लिखित विसंगतियों/टिप्पणियों/कमीयों को शामिल नहीं किया गया है।
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank and our report is not covering observations/comments/weaknesses already pointed out by the other Auditors.
4. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations, happening of events, etc.
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन, प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और बैंक में उचित बोर्ड प्रक्रिया एवं अनुपालन लेख कार्यरत है या नहीं इस पर हमारी राय देना।
5. The Compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis and to give our opinion whether Bank has proper Board-processes and Compliance-mechanism in place or not.
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का और न ही क्षमता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्य किए हैं।
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते अग्रवाल एस. एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर: 626/2019

कंपनी सचिव गरिमा ग्रोवर
एसीएस सं.: 27100
सी.पी.सं.: 23626

For Agarwal S. & Associates,
Company Secretaries,
ICSI Unique Code: P2003DE049100
Peer Review Cert. No.: 626/2019

CS Garima Grover
ACS No.: 27100
C P No.: 23626

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 10.05.2022

Place: New Delhi
Date: 10.05.2022

निदेशकों की गैर – अयोग्यता का प्रमाणपत्र
सेबी [सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं]
विनियम, 2015 के 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (i) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण
पंजाब नेशनल बैंक
प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका,
नई दिल्ली – 110075

हमने पंजाब नेशनल बैंक जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 (जिसे यहाँ आगे 'बैंक' कहा गया है) में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जाँच की है, जिसे बैंक द्वारा हमारे समक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिटिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद सी उप-खंड (10) (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी किए जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथावश्यक सत्यापन जैसा आवश्यक समझा जाए (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) और बैंक तथा इसके निदेशकों/अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तारीख
1	अतुल कुमार गोयल	07266897	1 फरवरी, 2022
2	संजय कुमार	06741352	1 अप्रैल, 2020
3	विजय दुबे	09107884	1 अप्रैल, 2020
4	स्वरूप कुमार साहा	08963678	10 मार्च, 2021
5	कल्याण कुमार	-	21 अक्टूबर, 2021
6	पंकज जैन	00675922	8 अगस्त, 2019
7	अनिल कुमार मिश्रा	08066460	25 फरवरी, 2022
8	पंकज जोशी	06385037	21 दिसंबर, 2021
9	संजीव कुमार सिंघल	00162680	21 दिसंबर, 2021
10	गौतम गुहा	06894434	18 मार्च, 2021
11	रेखा जैन	01586688	12 सितंबर, 2021

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर अपना मत व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंध-वर्ग ने बैंक का कार्य संचालन किया है।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट

कंपनी सचिव

आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100

समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 626/2019

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 10.05.2022
यूडीआईएन: A027100D000298657

सीएस गरिमा ग्रोवर
एसीएस सं.: 27100
सी.पी.सं.: 23626

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS
(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members of
Punjab National Bank
Plot No. 4, Sector 10, Dwarka,
New Delhi 110075

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosure received from the Directors of **Punjab National Bank**, having head office at **Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075** (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10 (i) of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations/representations furnished by the Bank & its Director/ officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2022 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any other such Statutory Authority:

Sr. No.	Name of Director	DIN	Date of appointment in Bank
1	Atul Kumar Goel	07266897	01 st February, 2022
2	Sanjay Kumar	06741352	01 st April, 2020
3	Vijay Dube	09107884	01 st April, 2020
4	Swarup Kumar Saha	08963678	10 th March, 2021
5	Kalyan Kumar	-	21 st October, 2021
6	Pankaj Jain	00675922	08 th August, 2019
7	Anil Kumar Misra	08066460	25 th February, 2022
8	Pankaj Joshi	06385037	21 st December, 2021
9	Sanjeev Kumar Singhal	00162680	21 st December, 2021
10	Gautam Guha	06894434	18 th March, 2021
11	Rekha Jain	01586688	12 th September, 2021

Ensuring the eligibility of the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Agarwal S. & Associates,**
Company Secretaries,
ICSI Unique Code: P2003DE049100
Peer Review Cert. No.: 626/2019

Place: New Delhi
Date: 10.05.2022
UDIN: A027100D000298657

CS Garima Grover
ACS No.: 27100
C P No.: 23626

BLANK PAGE

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट Business Responsibility Report



pnb one
just one app

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खंड ए: बैंक के विषय में सामान्य सूचना

1. बैंक की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) लागू नहीं
2. बैंक का नाम पंजाब नैशनल बैंक
3. कॉर्पोरेट कार्यालय का पता पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
4. वेबसाइट www.pnbindia.in
5. ई-मेल आईडी eicsmead@pnb.co.in, mdps@pnb.co.in
6. रिपोर्ट किया जाने वाला वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष 2021-22

7. बैंक जिन क्षेत्र (त्रों) में शामिल है

क्र.सं.	क्षेत्र
i.	बैंकिंग सेवाएं
ii.	सरकारी कारोबार
iii.	कृषि बैंकिंग
iv.	खुदरा बैंकिंग
v.	ट्रेजरी ऑपरेशन
vi.	कॉर्पोरेट बैंकिंग
vii.	मर्चेंट बैंकिंग
viii.	अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
ix.	एजेंसी कारोबार- बीमा, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरी सेवाएं आदि

8. तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाएं बताएं जो बैंक निर्मित करता है/ उपलब्ध कराता है (तुलन-पत्र के अनुसार)

बैंक निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है:

- जमाराशियों में चालू जमाराशियां, बचत जमाराशियां, सावधि जमाराशियां, पूंजी लाभ खाता योजना, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना इत्यादि शामिल हैं।**
- ऋणों एवं अग्रिमों में शामिल हैं:**
 - खुदरा ऋण:** आवास ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण, सम्पत्ति पर ऋण, राष्ट्रिक स्वर्ण बांड पर ऋण आदि।
 - कृषि ऋण:** पीएनबी किसान तत्काल ऋण योजना, पीएनबी कृषक साथी योजना (केएसएस), पीएनबी कृषि कार्ड, पीएनबी सोना कृषि ऋण योजना, पीएनबी ग्राम उदय योजना, कृषि मशीनीकरण योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) योजना।
 - एमएसएमई ऋण:** मुद्रा ऋण, पीएम स्वनिधि, पीएनबी गारंटीकृत आपातकालीन ऋण व्यवस्था, पीएनबी आपाती ऋण व्यवस्था, पीएनबी ई-गोदाम, पीएनबी ई-मुद्रा योजना,

Business Responsibility Report

Section A: General Information about the Bank

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Bank Not Applicable
2. Name of the Bank Punjab National Bank
3. Corporate Office Address Punjab National Bank, Corporate Office, Plot No 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
4. Website www.pnbindia.in
5. E-mail id eicsmead@pnb.co.in, mdps@pnb.co.in
6. Financial Year reported FY 2021-22

7. Sector(s) that the Bank is engaged in

S.No.	Sectors
i.	Banking Services
ii.	Government Business
iii.	Agriculture Banking
iv.	Retail Banking
v.	Treasury Operations
vi.	Corporate Banking
vii.	Merchant Banking
viii.	International Banking
ix.	Agency Business- Insurance, Mutual Funds, Depository Services etc.

8. List three key products/services that the Bank manufactures/provides (as in balance sheet)

Bank provides the following services:

- Deposits** include Current Deposits, Savings Deposits, Fixed Deposits, Capital Gain Account Scheme, Gold Monetization Scheme etc.
- Loans and Advances include:**
 - Retail loans:** Housing Loan, Vehicle Loan, Education Loan, Personal loan, Loan against property, Loan against Sovereign Gold Bond.
 - Agriculture Loans:** PNB Kisan Tatkal Rin Yojana, PNB Krishak Sathi Scheme (KSS), PNB Krishi Card, PNB Sona Krishi Rin Yojana, PNB Gram Uday Scheme, Farm Mechanization Scheme, Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprise (PMFME) scheme.
 - MSME Loans:** MUDRA Loan, PM SVanidhi, PNB Guaranteed Emergency Credit Line, PNB Standby Line of Credit, PNB e-Godam, PNB e-Mudra Scheme, PNB

पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस, एमएसएमई प्राइम प्लस, पीएनबी शिखर योजना, पीएनबी लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इण्डिया इत्यादि।

डी) कॉर्पोरेट ऋण: रूफटॉप पीवी सौर उर्जा परियोजनाएँ, फ्यूचर लीज रेंटल पर ऋण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, परियोजना वित्तपोषण, बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, मियादी ऋण, निर्यात वित्तपोषण, बिल वित्तपोषण, भविष्य प्राप्ति पर वित्तपोषण, अल्पकालीन ऋण।

III. अन्य उत्पाद/सेवाएं

- ए. नकदी प्रबन्धन सेवाएं
- बी. निर्यात/आयात वित्तपोषण
- सी. निर्यातकों के लिए स्वर्ण कार्ड योजना
- डी. डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं
- ई. म्यूचुअल फण्ड
- एफ. डिपॉजिटरी सेवाएं
- जी. मर्चेन्ट बैंकिंग
- एच. विश्व यात्रा कार्ड
- आई. एनआरआई सेवाएं
- जे. क्रेडिट/डेबिट कार्ड कारोबार
- के. बीमा सेवाएं
- एल. ऑनलाइन ट्रेडिंग
- एम. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं
- एन. लॉकर्स
- ओ. अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन

9. स्थानों की कुल संख्या जहाँ बैंक द्वारा कारोबारी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं

ए. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख स्थानों के विवरण प्रदान करें)

बैंक की निम्नलिखित देशों में विदेशी शाखाओं/अनुषंगी/सहभागी/संयुक्त उद्यम के रूप में उपस्थिति है:-

क्र. सं.	संस्था का नाम	निगमन राष्ट्र	संस्था का स्वरूप	स्वामित्व का अनुपात %
1	पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड	यूके	अनुषंगी	100.00%
2	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड	भूटान	अनुषंगी	51.00%
3	एवेरेस्ट बैंक लिमिटेड	नेपाल	संयुक्त उद्यम	20.03%
4	जेएससी टेंगरी बैंक*	कजाकिस्तान	सहयोगी	41.64%
5	शा/का: हांगकांग	हांगकांग	शाखा	100.00%
6	शा/का: दुबई	दुबई	शाखा	100.00%

*वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास के लिए कजाकिस्तान गणराज्य की एजेंसी (एएफआर) ने 18 सितंबर 2020 से प्रतिभूति बाजार में बैंकिंग, अन्य संचालन और गतिविधियों का संचालन करने के लिए जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और अस्थायी प्रशासक को नियुक्त किया।

GST Express, MSME Prime plus, PNB Shikhar Scheme, PNB Laghu Udyami Credit Card, Standup India etc.,

d. Corporate Loans: Rooftop PV Solar Power Projects, Loans against Future Lease Rentals, Working Capital financing, Project Finance & Infrastructure Finance, Term loans, Export Finance, Bill Financing, Financing Against Future Receivables, Short Term Loan.

III. Other Products/Services

- a. Cash Management Services
- b. Export/Import Finance
- c. Gold Card Scheme for exporters
- d. Doorstep Banking Services
- e. Mutual Funds
- f. Depository Services
- g. Merchant Banking
- h. World Travel Card
- i. NRI Services
- j. Credit/Debit Card Business
- k. Insurance Services
- l. Online Trading
- m. Digital Banking Services
- n. Lockers
- o. Application Supported by Blocked Amount.

9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Bank

a. Number of International Locations (Provide details of major Locations)

Bank has presence in the following countries by way of Overseas branches/Subsidiary/Associates/Joint Ventures:-

S. No.	Name of the Entity	Country of Incorporation	Nature of Entity	Proportion of Ownership %
1	PNB International Limited	UK	Subsidiary	100.00%
2	Druk PNB Bank Ltd.	Bhutan	Subsidiary	51.00%
3	Everest Bank Ltd	Nepal	Joint Venture	20.03%
4	JSC Tengri Bank	Kazakhstan	Associate	41.64%
5	BO: Hong Kong	Hong Kong	Branch	100.00%
6	BO: Dubai	Dubai	Branch	100.00%

*Agency of Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market (AFR) revoked license of JSC Tengri Bank with effect from 18th September 2020 to conduct Banking, other operations and activities in the securities market and appointed Temporary Administrator.

बी. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

31 मार्च 2022 को पीएनबी के 24 अंचल कार्यालय (जेडओ), 162 मंडल कार्यालय, 10,098 सामान्य बैंकिंग शाखाएं (सीबीबी, एलसीबी आदि) हैं। बैंक की 4 घरेलू अनुषंगी और 13 घरेलू सहयोगी हैं।

10. बैंक द्वारा सेवित बाज़ार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय

बैंक दोनों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएँ प्रदान करता है।

खंड बी : बैंक के वित्तीय विवरण

I.	चुकता पूंजी (रुपये)	रु. 2,202 करोड़
II.	कुल कारोबार (रुपये)	रु. 19,31,322 करोड़
III.	कर पश्चात् कुल लाभ (रुपये)	रु. 3,457 करोड़

IV. कर पश्चात् लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर किया गया कुल व्यय

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर किया गया कुल व्यय रु. 5019.57 लाख है जिसकर विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	व्यय की गई राशि (रु. लाख में) (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक)
1	कृषक प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी)	475.72
2	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)	2753.97
3	पीएनबी लाडली	8.47
4	पीएनबी किसान बालक शिक्षा प्रोत्साहन योजना	47.98
5	प्रधान कार्यालय में सीएसआर	538.69
6	अंचल कार्यालय में सीएसआर	275.14
7	सीएसआर – रोगी कल्याण समिति	919.60
	कुल	5019.57

V. उन गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त व्यय किया गया है:—

बैंक सीएसआर गतिविधियों में प्रधान कार्यालय अंचल कार्यालय के माध्यम से योगदान देता है और अपने सामाजिक आर्थिक विकास की पहल पीएनबी किसान प्रशिक्षण केंद्रों (एफटीसी) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों (आरएसईटीआई), पीएनबी लाडली योजना आदि के माध्यम से करता है।

ए. मुख्य सीएसआर गतिविधियों की सूची जिसमें किए गए व्यय निम्नानुसार है:

- वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक द्वारा सीएसआर के तहत निम्नलिखित सामाजिक कल्याण गतिविधियों की गई:
 - दिव्यांग छात्रों के लिए पुराने वाहन की मांग हेतु एनजीओ—फिक्स माई लाइफ, वाराणसी के साथ सीएसआर गतिविधि।

b. Number of National Locations:

PNB has 24 Zonal Offices (ZOs), 162 Circle Offices, 10,098 General Banking Branches (including CBB, LCBs etc.) as on 31st March, 2022. Bank has 4 Domestic Subsidiaries and 13 Domestic Associates.

10. Markets served by the Bank– Local/State/National/International

Bank provides services at both National and International level.

Section B: Financial Details of the Bank

I.	Paid up Capital (INR)	Rs. 2,202 Crore
II.	Total Business (INR)	Rs. 19,31,322 Crore
III.	Total Profit after Tax (INR)	Rs. 3,457 Crore

IV. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)

During the period from 1st April 2021 to 31st March, 2022, a sum of Rs. 5019.57 Lakh has been incurred on CSR initiatives with details as under:

S. No.	Name	Amount incurred (Rs. Lakh) (1 st April 2021 to 31 st March 2022)
1	Farmers Training Centres (FTCs)	475.72
2	Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)	2753.97
3	PNB LADLI	8.47
4	PNB Kisan Balak Shiksha Protsahan Yojana	47.98
5	CSR at Head Office	538.69
6	CSR at Zonal Office	275.14
7	CSR-Rogi Kalyan Samitis	919.60
	Total	5019.57

V. List of activities in which above expenditure has been incurred:-

Bank contributes to CSR activities through Head Office, Zonal Offices and its socio-economic development initiatives via PNB Farmers' Training Centres (FTCs), Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), PNB Ladli schemes etc.

a. List of Core CSR activities in which expenditure has been incurred is as below:

- During the year FY 2021-22, following social welfare activities under CSR were taken up by Bank:
 - CSR activity with NGO-Fix my life, Varanasi for requisition of Old vehicle for *divyang* students.

- अंचल कार्यालय देहरादून द्वारा कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की युद्ध में शहीदों की विधवाओं के लिए सीएसआर के तहत वाहन का योगदान।
 - साबरमती बालिका छात्रावास, अहमदाबाद के स्वच्छता ब्लॉक का नवीनीकरण।
 - एनजीओ की मदद से दूसरी कोरोना लहर के दौरान जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण।
 - महामारी के दौर में एम्स, दिल्ली को चिकित्सा उपकरण—बीआईपीएपी मशीन का वितरण।
 - असम सरकार को घातक कोविड रोग का मुकाबला करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में अंचल कार्यालय गुवाहाटी द्वारा 25.00 लाख का अंशदान।
 - कोविड-19 बीमारी के विरुद्ध लड़ाई में पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन कोष के लिए कोलकाता को रु 30.00 लाख का योगदान।
 - खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक की सीएसआर प्रतिबद्धता के रूप में 29.07.2021 को टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को रु. 5.00 लाख सम्मान राशि के रूप में दी गई।
 - बैंक के 14 अंचलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता के 181 केंद्रों (सीएफएल) के प्रवर्धन हेतु 162.90 लाख का प्रावधान।
 - वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 295 अंगीकृत गांवों के लिए पीएनबी विकास योजना के तहत 2.95 करोड़ रुपये आबंटित किए गए जिसमें से 31 मार्च, 2022 तक रु. 95.92 लाख (लगभग) का उपयोग किया गया था।
 - एसआईएडी विलेज सोसाइटी, दिल्ली को इसे 150 पार्क में पौधों को पानी देने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद हेतु सीएसआर के तहत रु. 9,48,800 की स्वीकृति।
 - बीएसएफ कैंपस पलौरा, जम्मू में खुले जिम की स्थापना पर रु 3.28 लाख का व्यय।
 - जीसीसी की 'नामकू नाम थिट्टम' योजना के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान।
- ii) पंजाब नेशनल बैंक भारत के 111 जिलों में अग्रणी बैंक है, जिसमें से 8 आकांक्षी जिले हैं। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं, जो खराब सामाजिक-आर्थिक सूचकों से प्रभावित हैं। सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी संगठन होने के नाते, हमारे बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले को 20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) और टैक्स का योगदान करने का निर्णय लिया। इस पहल का उद्देश्य लाभार्थी जिलों में मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली को सुविधा संपन्न बनाकर और उनके उन्नयन द्वारा रोगी कल्याण समितियों की सरकार की पहल को सशक्त बनाना है। इस पहल पर कुल 9.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस पहल में संबंधित जिलों में बैंक के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन/सीएमओ (ओं) की सक्रिय भागीदारी रही।
- Vehicle contributed under CSR for war widows of *Kumaon* Regimental centre by ZO Dehradun.
 - Renovation of sanitation block of Sabarmati Girls Hostel, Ahmedabad.
 - Distribution of oxygen cylinders to the needy during 2nd corona wave with the help of NGO.
 - Distribution of medical equipment-BIPAP machine to AIIMS, Delhi in pandemic phase.
 - Contribution of Rs. 25.00 Lakh to Assam Govt. by ZO Guwahati towards improving health infrastructure in the state to counter deadly COVID disease.
 - Contribution of Rs. 30.00 Lakh to Kolkata for West Bengal State Disaster Management Fund in fight against COVID-19 disease.
 - As part of Bank's CSR commitment towards Promotion of sports, Rs. 5.00 Lakh as felicitation amount to Mirabai Chanu, Silver medalist at Tokyo Olympics on 29.07.2021.
 - Provision of Rs. 162.90 Lakh for scaling up 181 centres of financial literacy (CFLs) at block level by RBI in 14 Zones of the Bank.
 - Rs. 2.95 Crore was allocated under PNB Vikas yojana for 295 adopted villages during FY 2021-22, out of which Rs. 95.92 Lakh (approx) were utilized till 31.03.2022.
 - Approval of Rs. 9,48,800 under CSR TO ASIAD VILLAGE Society, Delhi for purchase of tractor, trolley for watering of plants in its 150 parks.
 - Expenditure of Rs. 3.28 Lakh towards establishing open gymnasium in BSF Campus Paloura, Jammu.
 - Contribution towards development of health infrastructure in Tamil Nadu state through 'Namakku Namme Thittam' scheme of GCC.
- ii) Punjab National Bank is the lead Bank in 111 districts of India, out of which, 8 are aspirational districts. Aspirational Districts are those districts in India, that are affected by poor socio-economic indicators. Being a socially responsible organization, Bank decided to contribute Rs. 20.00 lakhs/- (Rupees Twenty lakhs only) plus taxes to each district to upscale the healthcare facilities. The initiative is aimed at strengthening the Government's initiative of Rogi Kalyan Samitis by upscaling and upgradation of existing health system in the beneficiary districts. A total of Rs. 9.19 crores was utilized on this initiative. The initiative saw an active participation of Bank's officials and local administration/CMO(s) in the concerned districts.

खंड सी : अन्य विवरण

1. क्या बैंक की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है?

क. अनुषंगियाँ

i. घरेलू अनुषंगियाँ

क्र. सं.	संस्था का नाम	स्वामित्व का अनुपात (%)
1	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड	100.00%
2	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	74.07%
3	पीएनबी इश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	-
4	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	100.00%

*कंपनी स्वैच्छिक परिसमापन में थी और पूंजी समाप्त हो गई है और परिसमापक समापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा।

ii. अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगियाँ

क्र. सं.	संस्था का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात (%)
1	पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100.00%
2	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड	भूटान	51.00%

ख. एसोसिएट्स (बैंक की हिस्सेदारी 20% या उससे अधिक)

i. घरेलू सहयोगी

क्र. सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/अन्य सहभागियों के नाम	स्वामित्व का अनुपात (%)
1	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना	35.00%
2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक	35.00%
3	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी	35.00%
4	पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला	35.00%
5	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ	35.00%
6	असम ग्रामीण विकास बैंक, असम	35.00%
7	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल	35.00%
8	मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल	35.00%
9	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला	35.00%
10	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	32.57%
11	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30.00%
12	कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इश्योरेंस कं.लि.	23.00%
13	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	20.90%

ii. अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी

क्र. सं.	संस्था/सहभागियों का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात (%)
1	जेएससी टेंगरी बैंक*	कजाकिस्तान	41.64%

*वितीय बाजार के विनियमन और विकास हेतु कजाकिस्तान गणराज्य की एजेंसी (एएफआर) ने 18 सितंबर 2020 से प्रतिभूति बाजार में बैंकिंग, अन्य संचालन और गतिविधियों का परिचालन करने के लिए जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और अस्थायी प्रशासक नियुक्त किया।

Section C: Other Details

1. Does the Bank have any Subsidiary Company/ Companies?

A. Subsidiaries

i. Domestic Subsidiaries

S. No.	Name of the Entity	Proportion of ownership %
1	PNB Investment Services Limited	100.00%
2	PNB Gilts Limited	74.07%
3	PNB Insurance Broking Pvt. Ltd.*	-
4	PNB Cards and Services Limited	100.00%

*The Company was in voluntary liquidation and capital stands extinguished and liquidator shall be completing the necessary formalities to conclude the winding up procedure.

ii. International Subsidiaries

S. No.	Name of the Entity	Country of Incorporation	Proportion of Ownership %
1	PNB International Ltd.	UK	100.00%
2	Druk PNB Bank Ltd.	Bhutan	51.00%

B. Associates: (Bank having 20% or more stake)

i. Domestic Associates

S. No.	Name of Regional Rural Banks / Other Associates	Proportion of Ownership (%)
1	Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna	35.00%
2	Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak	35.00%
3	Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi	35.00%
4	Punjab Gramin Bank, Kapurthala	35.00%
5	Prathama UP Gramin Bank, Meerut	35.00%
6	Assam Gramin Vikas Bank, Assam	35.00%
7	Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal	35.00%
8	Manipur Rural Bank, Imphal	35.00%
9	Tripura Gramin Bank, Agartala	35.00%
10	PNB Housing Finance Limited.	32.57%
11	PNB Metlife India Insurance Co. Limited	30.00%
12	Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd.	23.00%
13	India SME Asset Reconstruction Co. Ltd	20.90%

ii. International Associates

S. No.	Name of Entity/ Associates	Country of incorporation	Proportion of Ownership (%)
1	JSC Tengri Bank*	Kazakhstan	41.64%

*Agency of Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market (AFR) revoked license of JSC Tengri Bank with effect from 18th September 2020 to conduct Banking, other operations and activities in the securities market and appointed Temporary Administrator.

iii. संयुक्त उद्यम: अंतर्राष्ट्रीय

क्र. सं.	संस्था/ सहभागियों का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात (%)
1	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड	नेपाल	20.03%

iv. प्रतिनिधि कार्यालय

क्र. सं.	प्रतिनिधि कार्यालयों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात (%)
1.	आरओ: ढाका	बांग्लादेश	100.00%
2.	आरओ: यंगून	म्यांमार	100.00%

2. क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व पहलों में सहभागिता करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगी कंपनी(यों) की संख्या दें।

नहीं

3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) जिसके/जिनके साथ कंपनी कारोबार करती हो, कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व पहलों में सहभागिता करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत बताएं? [30% से कम, 30%–60%, 60% से अधिक।

नहीं

खंड डी : कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. कारोबार उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

ए) कारोबार उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन सं.	लागू नहीं
2	नाम	श्री कल्याण कुमार
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

बी) कारोबार उत्तरदायित्व प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन सं.	लागू नहीं
2	नाम	श्री राजेन्द्र कुमार साबू
3	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक, कार्यनीति प्रबंधन एवं आर्थिक परामर्श प्रभाग
4	दूरभाष सं.	01128044232
5	ई-मेल आईडी	rksaboo@pnb.co.in

iii. Joint Venture: International

S. No.	Name of Entity/ Associates	Country of incorporation	Proportion of Ownership (%)
1	Everest Bank Ltd.	Nepal	20.03%

iv. Representative Offices

S. No.	Name of Representative Office	Country of incorporation	Proportion of Ownership%
1	RO: Dhaka	Bangladesh	100.00%
2	RO: Yangon	Myanmar	100.00%

2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)

No

3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]

No

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

S. No.	Particulars	Details
1	DIN No.	Not Applicable
2	Name	Shri Kalyan Kumar
3	Designation	Executive Director

b) Details of the BR Head

S. No.	Particulars	Details
1	DIN Number	Not Applicable
2	Name	Shri Rajendra Kumar Saboo
3	Designation	Chief General Manager, Strategic Management and Economic Advisory Division
4	Telephone number	011-28044232
5	e-mail id	rksaboo@pnb.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ (उत्तर हाँ/नहीं में दें)

क्र. सं.	प्रश्न	कारोबार नैतिकता	उत्पाद उत्तरदायित्व	कर्मचारियों का हित	हितधारक नियुक्ति व सीएसआर	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	सीएसआर	ग्राहकसंबंध
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास... के लिए नीति/ नीतियाँ हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या नीति का निर्धारण संबंधित हितधारकों के परामर्श से किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है? यदि हां, तो वर्णन करें? (50 शब्दों में)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हां तो क्या यह एमडी/स्वामी/सीईओ/संगत बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या कंपनी में नीति के कार्यान्वयन की देखरेख हेतु बोर्ड की विशेष समिति/निदेशक/अधिकारी हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	नीति को ऑन-लाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	www.pnbindia.in								
7	क्या नीति के बारे में सभी प्रासंगिक आंतरिक व बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित किया गया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या नीति/नीतियों को लागू करने हेतु कंपनी में कोई आंतरिक संरचना उपलब्ध है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की समस्याओं के समाधान हेतु नीति/नीतियों के संबंध में कंपनी में कोई शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यचालन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन कराया जाता है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

2ए. यदि क्रम सं. 01 के किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया व्याख्या करें कि ऐसा क्यों है? (2 विकल्प तक अंकित करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी सिद्धांतों को समझ नहीं पाई है।	लागू नहीं								
2	कंपनी ऐसी अवस्था में नहीं है जहां निर्धारित सिद्धांतों पर नीतियों को निरूपित तथा लागू कर सके।									
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय अथवा जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं है।									
4	अगले 6 माह के अंदर ऐसा करने की योजना है।									
5	अगले एक वर्ष के अंदर ऐसा करने की योजना है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Wellbeing of Employees	Stakeholder Engagement & CSR	Human Rights	Environment	Public Policy	CSR	Customer Relations
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	Do you have policy/policies for....?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.pnbindia.in								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

2a. If answer to S.No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles	NOT APPLICABLE								
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

3. कारोबार उत्तरदायित्व से संबंधित अभिशासन

- वह आवृत्ति बताएं जिसमें निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ बैंक के कारोबार उत्तरदायित्व के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मिलते हैं। 3 माह के भीतर, 3 – 6 माह में, प्रतिवर्ष, एक वर्ष से अधिक अवधि पर।

निदेशक मंडल द्वारा बैंक के कारोबार उत्तरदायित्व निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है।

- क्या बैंक बीआर अथवा स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) रिपोर्ट का प्रकाशन करता है? इसे देखने के लिए हाईपरलिंक क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, और इसे वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। यह वार्षिक रिपोर्ट के साथ मौजूद है तथा इसे बैंक की वेबसाइट पर हाईपरलिंक <https://www.pnbindia.in> के तहत 'हमारे बारे में' खंड में अलग से भी उपलब्ध करवाया गया है।

खंड ई : सिद्धांतवार प्रदर्शन

सिद्धांत I: कारोबारों को नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ स्वयं को संचालित एवं अभिशासित करना चाहिए।

- क्या नैतिकता, रिश्वत व भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल बैंक को कवर करती है? हाँ/नहीं क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/एनजीओ/अन्य को भी कवर करती है?

नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल बैंक को कवर करती है और यह समूह/ संयुक्त उद्यमों / अन्य को कवर नहीं करती है। भ्रष्टाचार या जानबूझ कर अधिकार के दुरुपयोग के किसी भी आरोप से संबंधित संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए बैंक की एक व्हिसल ब्लोअर नीति है। बैंक में नैतिक आचार संहिता एवं संगठन में रिश्वत और भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी निर्धारित किया है। यह कोड उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिन पर बैंक संचालन करेगा और अपने हितधारकों, सरकारी एजेंसियों, नियामकों, मीडिया व अन्य सम्बद्धपक्षों के साथ अपना कारोबार संचालित करेगा।

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO meet to assess the BR performance of the Bank. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year.

The BR performance of the Bank is assessed Annually by the Board of Directors.

- Does the Bank publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this? How frequently it is published?

Business Responsibility Report is a part of Annual Report and is published Annually. It is present along with Annual Report and is also available separately in the "About us" section on the website of the Bank under the hyperlink <https://www.pnbindia.in>.

Section E: Principle-wise performance

Principle I: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

- Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the Bank? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs / Others?

The policy related to ethics, bribery and corruption cover only the Bank and does not extend to the Group/Joint Ventures/Others. Bank has a Whistle Blower policy to receive protected disclosure relating to any allegation of corruption or wilful misuse of power. Bank has also laid down guiding principles regarding ethical code of conduct and measures to tackle bribery and corruption in the organization. This code sets forth the principles on which the Bank shall operate and conduct its business with its stakeholders, Government agencies, the Regulators, media and other concerned parties.

2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया? यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

	ग्राहक		शेयरधारक
	सीजीआरएमएस	सीआरएम	
1 अप्रैल 2021 तक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	7175	81389	1
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	139584*	1598676*	19
वित्त वर्ष 2022 तक कुल शिकायतें	146759	1680065	20
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	145852	1650370	20
निपटान का प्रतिशत(%)	99%	98%	100%
31 मार्च, 2022 तिमाही के अंत तक शेष अनसुलझी शिकायतों की संख्या	907	29695	0

*वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 19,68,043 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2,29,783 शिकायतों का समाधान शिकायत प्राप्त होने के टी+1 दिनों के भीतर किया गया। इस प्रकार, इन्हें शिकायतों के रूप में नहीं माना गया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त रिपोर्ट की गई शिकायतों की कुल संख्या 17, 38,260 है और 31-03-2022 तक ग्राहक की लम्बित शिकायतें 30,602 हैं।

सिद्धांत II: कारोबार को ऐसे उत्पाद और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा अपने सम्पूर्ण जीवन चक्र के दौरान स्थिरता में सहायक हों।

- ए. अपने ऐसे 3 उत्पादों व सेवाओं की सूची बनाएं जिनकी रूपरेखा में समाज या पर्यावरण से संबंधित चिंताएं, जोखिम तथा/अथवा अवसर शामिल हों।

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वह पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का वित्तपोषण करे। निम्नलिखित कुछ उत्पाद हैं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।

- पीएनबी ग्रीन कार ऋण:** इस उत्पाद का उद्देश्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक कार की खरीद है।
- आवास ऋण योजना के तहत सौर ऊर्जा प्रणालियों का वित्तपोषण:** इस ऋण का उद्देश्य आवासीय घर में रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना है।
- पीएनबी ग्रीन राइड:** इस ऋण का उद्देश्य ई-रिक्शा (नए प्रवेशकों) के परिवहन ऑपरेटरों की सहायता करना और सूक्ष्म उधारकर्ताओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

	Customer		Shareholder
	CGRMS	CRM	
Number of complaints pending at the beginning of the financial year as on 1 st April 2021	7175	81389	1
Number of complaints received during the year	139584*	1598676*	19
Total complaints in FY22	146759	1680065	20
Number of complaints disposed off during the year	145852	1650370	20
Percentage (%) of resolution	99%	98%	100%
Number of complaints remaining unresolved at the end of the quarter as on 31 st March 2022	907	29695	0

*A total of 19, 68,043 complaints were received during the FY 2021-22, out of which 2, 29,783 complaints were resolved within T+1 days of its receipt. As such, these have not been treated as complaints. Therefore, the total number of reported complaints received during the FY 2021-22 is 17, 38,260 and the pendency of Customer complaints as on 31-03-2022 is 30,602.

Principle II: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

- A. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

The Bank ensures that its financing is towards environmental friendly projects. The following are some of the products whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

- PNB Green Car Loan:** The purpose of the product is purchase of new electronic car for personal use.
- Financing of Solar Power systems under Housing Loan Scheme:** The purpose of the loan is the installation of rooftop solar system at residential house.
- PNB Green Ride:** The purpose of the loan is to assist transport operators of e-rickshaws (new entrants) and to create employment opportunities for the micro borrowers.

बी. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) पर संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल इत्यादि) उपयोग के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

- सम्पूर्ण वैल्यू श्रृंखला में सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान गत वर्ष से आई कमी?
- उपभोक्ताओं द्वारा संसाधन (ऊर्जा, जल) उपयोग के दौरान गत वर्ष से आई कमी?

लागू नहीं।

सी. क्या बैंक में स्थायी स्रोतों (परिवहन सहित) के लिए कोई कार्यप्रणाली है? यदि हाँ तो आपके आदानों का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से स्रोत किया गया?

बैंक समय-समय पर जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के माध्यम से अपने निर्माण, नवीनीकरण और फर्निशिंग कार्यों में स्थायी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा, हाल ही में स्टाफ सदस्यों के बीच सतत और हरित ईंधन/ऊर्जा वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने मासिक खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

डी. क्या बैंक ने अपने कार्य स्थल के आसपास के स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों व समुदायों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु कदम उठाए हैं?

यदि हाँ तो स्थानीय एवं छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

बैंक एक वित्तीय सेवा प्रदाता है और यह वस्तुओं की खरीद में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। भौतिक मदों को बैंक द्वारा संसाधित नहीं किया जाता है। हालाँकि, ग्राहकों को अपने कच्चे माल का इनपुट सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

बैंक ने भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी खरीद वरीयता नीति (पीपीपी)— मेक इन इंडिया को अपनाया है। इस नीति के माध्यम से “वर्ग-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता” को “वर्ग-II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता” के साथ-साथ “गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता” पर खरीद वरीयता मिलती है। बैंक ने एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खरीद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जारी खरीद वरीयता नीति को भी अपनाया है।

बैंक नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा व्यावसायिक इकाइयों के विस्तार के लिए उधारकर्ताओं को सभी प्रकार की निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करता है। एमएसएमई को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक द्वारा विभिन्न पहलुओं की गई हैं जिसमें श्रृंखलाबद्ध वित्तपोषण के लिए टाई-अप, ऋणों का सह-उधार, नकदी प्रवाह आधारित योजनाओं जैसी नवीन योजनाओं का शुभारंभ – पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस ऋण और पीएनबी तत्काल योजना, और पीएनबी लेंस जैसे ऋण समाधान, जीईसीएल और पीएम स्वनिधि योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा लागू ऋण, आदि शामिल है।

B. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

- Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?
- Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Not Applicable.

C. Does the Bank have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably?

Bank promotes usage of sustainable products in its Construction, Renovation and Furnishing works through various guidelines issued from time to time.

Further, recently to promote usage of sustainable and green fuel/ energy vehicles amongst staff members wherein, Bank has issued the guidelines for reimbursement of monthly expenses.

D. Has the Bank taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

If yes, what steps have been taken to improve the capacity and capability of local and small vendors?

Bank is a financial service provider and is not involved directly in the procurement of goods. Tangible items are not processed by the Bank. However the customers are encouraged to obtain their raw material inputs from Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs).

Bank has adopted Purchase Preference Policy (PPP) - Make In India issued by Govt of India to promote Indian Manufacturing. Through this policy “Class-I local supplier” gets purchase preference over “Class-II local supplier” as well as “Non-local supplier”. Bank has also adopted Purchase Preference Policy issued by the Ministry of MSME, Govt. of India to promote participation of Micro and Small Enterprises (MSEs) in procurement.

Bank provides all types of fund based and non-fund based facilities to the borrowers for setting up new units and expansion of existing business units. In order to provide timely financial support to MSME, various initiatives are taken by Bank such as Tie-Ups for channel financing, co-lending of loans, launch of innovative schemes like cash flow based schemes - PNB GST Express Loan, and PNB Tatkal Scheme, and lending solutions such as PNB LenS, Government induced lending through GECL and PM SVANidhi schemes, etc.

ई. क्या बैंक में उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुनरावर्तन की कोई व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग का प्रतिशत (पृथक रूप से <5%, 5-10%, >10%) क्या है? लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण भी दीजिए।

उत्पादों और अपशिष्टों के रीसाइक्लिंग के लिए बैंक निम्नलिखित कुछ पहलों का अनुसरण करता है:

1. बैंक रिकॉर्ड कीपिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन नीति के हिस्से के रूप में, सभी पुराने डिस्पोजेबल रिकॉर्ड (कागजात) को रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी द्वारा नष्ट करना होता है, जिसका उपयोग एजेंसी द्वारा कागज को रीसाइक्लिंग करने के लिए किया जाता है।
2. अपशिष्ट जल को रीसाइकल करने के लिए बैंक व्यवहार्यता के अनुसार अपने प्रमुख प्रशासनिक भवनों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और संचालन करता है।
3. जहां तक संभव हो, पुराने हार्डवेयर के बाय बैक को बैंक को नए आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं के कार्यक्षेत्र के तहत रखा जाता है जो पुराने आईटी हार्डवेयर से अपशिष्ट का रीसाइक्लिंग करते हैं।

सिद्धांत III: कारोबार को समस्त कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

31 मार्च, 2022 को कर्मचारियों की कुल संख्या (अनुपंगियों में प्रतिनियुक्ति सहित) 1,03,144 हैं।

2. कृपया अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं?

शून्य

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं?

31 मार्च, 2022 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 24,287 है।

4. कृपया शारीरिक रूप से अक्षम स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं?

31 मार्च, 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम स्थायी कर्मचारियों की संख्या 2,830 है।

5. क्या आपका कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?

हमारे बैंक में यूनियन/एसोसिएशन को मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, आईआरएम मीटिंग और एमआरएम मीटिंग मेजॉरिटी वर्कमैन यूनियन यानि ऑल इंडिया पीएनबी एम्प्लाइज फेडरेशन और मेजॉरिटी ऑफिसर्स एसोसिएशन यानि ऑल इंडिया पीएनबी ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ हो रही है।

E. Does the Bank have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

For recycling products and waste Bank follows some of the initiatives as under:

1. As part of Bank's record keeping and record management policy, all the old disposable records (Papers) have to be destroyed by record keeping agency, which is then used by the agency to recycle the paper.
2. To recycle the waste water, Bank constructs and operates Sewerage Treatment Plants in its major Administrative Buildings as per the feasibility.
3. As far as possible, buy back of the old hardware is kept in the scope of vendors supplying new IT Hardware to the Bank who further recycle the e-waste from old IT Hardware at their end.

Principle III: Businesses should promote the well-being of all employees.

1. Please indicate the Total number of employees.

The total number of employees (including those on deputation in subsidiaries) as on 31st March, 2022 was 1,03,144.

2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.

NIL.

3. Please indicate the Number of permanent women employees.

The number of permanent women employees as on 31st March, 2022 was 24,287

4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities?

The number of permanent employees with disabilities as on 31st March, 2022 was 2,830.

5. Do you have an employee association that is recognized by management?

There is no provision for recognition of Union/Association in the Bank. However, Industrial Relations Machinery meeting and Managerial Relations Machinery meeting are being held with Majority Workmen Union i.e. All India PNB Employees Federation & Majority Officers' Association i.e. All India PNB Officers Association respectively.

6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्यों में आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है?

बहुसंख्यक संघ/संगठन के सदस्यों का प्रतिशत है:

अखिल भारतीय पीएनबी कर्मचारी संघ – 70.75 प्रतिशत (36178/51132)

अखिल भारतीय पीएनबी अधिकारी संघ – 81.25% (42096/51812)

दोनों संगठन का कुल प्रतिशत – 76.03 प्रतिशत (78274/102944)

7. कृपया गत वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त हुई एवं लंबित रही बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं?

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 22 के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 22 की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी/ बंधुआ मजदूरी/ अनैच्छिक मजदूरी	0	0
2	यौन उत्पीड़न	13	3
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	0	0

8. आपके निम्नलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को गत वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया?

ए. स्थायी कर्मचारी : 55.87 प्रतिशत

बी. स्थायी महिला कर्मचारी: 47.52 प्रतिशत

सी. आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी : लागू नहीं

डी. अक्षम कर्मचारी : 61.42 प्रतिशत

सिद्धांत IV : कारोबार को सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित, कमजोर एवं अधिकारहीन हैं, उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. क्या बैंक ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों की मैपिंग की है?

बैंक द्वारा आंतरिक और बाह्य हितधारकों की पहचान की गई है और उनमें इसके शेयरधारक, निवेशक, ग्राहक, कर्मचारी, सरकार और विनियामक एजेंसियां शामिल हैं।

2. उपरोक्त में से क्या बैंक ने वंचित, कमजोर एवं अधिकारहीन हितधारकों की पहचान की है?

सरकार और नियामक के दिशानिर्देशों के अनुसार वंचित, कमजोर और अधिकारहीन हितधारकों की पहचान की गई है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण और समाज के अधिकारहीन वर्गों को ऋण देने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आईबीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग ग्राहकों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक के पास उपयुक्त व्यवस्था/योजनाएं हैं।

6. What percentages of your permanent employees are members of this recognized employee association?

The Percentage of members of majority Union/Association are
All India PNB Employees Federation – 70.75 Percent (36178/51132)

All India PNB officers Association – 81.25 Percent (42096/51812)

Total Percentage of both Associations – 76.03 Percent (78274/102944)

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

S. No.	Category	No of Complaints filed during FY'22	No of Complaints pending as at end of FY'22
1	Child labour/forced labour/involuntary labour	0	0
2	Sexual harassment	13	3
3	Discriminatory employment	0	0

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

A. Permanent Employees: 55.87 Percent

B. Permanent Women Employees: 47.52 Percent

C. Casual/Temporary/Contractual Employees: NA

D. Employees with Disabilities: 61.42 Percent

Principle IV: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the Bank mapped its internal and external stakeholders?

The internal and external stakeholders have been identified by the Bank and they include its shareholders, investors, customers, employees, Government and Regulatory agencies.

2. Out of the above, has the Bank identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?

The disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders are identified as per the guidelines of the Government and the Regulator. The targets for Financial Inclusion, Priority Sector Lending and lending to the marginalized sections of the society are set by the Bank as per these guidelines. Bank has appropriate mechanism/schemes for meeting the needs of differently abled customers and Senior citizen as per IBA guidelines.

3. क्या वंचित, कमजोर एवं अधिकारहीन हितधारकों के साथ जुड़ने हेतु बैंक द्वारा कोई विशेष कदम उठाये गए हैं? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विस्तृत विवरण दें।

बैंक समाज के अधिकारहीन, बैंक रहित और आर्थिक रूप से बहिष्कृत वर्गों को उन्हें अर्थव्यवस्था में उत्पादक योगदान करने में सक्षम बनाने में सहायता करता है। इन अधिकारहीन वर्गों को सशक्त बनाने तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिये वित्तीय सेवाओं तक पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएमजेडीवाई, पीएमएमवाई, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डीआरआई, पीएमएवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, एसएसवाई आदि में एक सक्रिय भागीदार रहा है और वंचित एवं अधिकारहीन हितधारकों के लिए खासतौर पर तैयार, उत्पाद और सेवाएं लेकर आया है।

पीएनबी विकास योजना: पीएनबी विकास का उद्देश्य गोद लिए गए गांव को समग्र रूप से विकसित करना है, जिसमें उनका आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा विकास और मानव विकास के अन्य पहलू जैसे स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य आदि के अलावा ऋण तक पहुंच, डिजिटलीकरण और वित्तीय साक्षरता शामिल हैं। वर्तमान में, बैंक ने इस योजना के तहत 295 गांवों को गोद लिया है।

किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी): बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। एफटीसी कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर और कंप्यूटर, कटिंग और टेलरिंग/ कढ़ाई और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए भी मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 55,017 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 16,44,102 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है। इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों के खेतों में मृदा परीक्षण सुविधाओं वाली मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन के लिए एलईडी से लैस किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने इसके तहत 475.72 लाख रुपये खर्च किए।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई): भारत में 76 आरएसईटीआई (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी पहल) चल रहे हैं जो ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्व-रोजगार उद्यम/नौकरी करने के लिए कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, इन केंद्रों में 41,718 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें से 27,380 बीपीएल परिवारों के हैं और 32,948 महिलाएं थीं। स्थापना के बाद से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 4,92,418 है, जिनमें से 2,06,241 बीपीएल परिवारों से थे और 3,15,856 महिलाएं थीं। हमारे आरएसईटीआई, समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों के निपटान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्थापना के बाद से कुल स्थायी उम्मीदवार 3,32,028 हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने इसके तहत 2753.97 लाख रुपये खर्च किए।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) : बैंक जीरो बैलेंस पर वंचित, कमजोर और अधिकारहीन हितधारकों के पीएमजेडीवाई खाते खोल रहा है और उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत शिक्षित और नामांकित कर रहा है। 31 मार्च, 2022 तक बैंक ने पीएमजेडीवाई योजनाओं के तहत 4.18 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं।

3. Are there any special initiatives taken by the Bank to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Bank helps the marginalized, unbanked and financially excluded sections of the society to enable them to contribute their share to the economy. Access to financial services is of utmost importance to strengthen these marginalized sections and make a significant contribution to their social and economic development. Bank has been an active participant in various Government schemes such as PMJDY, PMMY, Stand Up India, Start Up India, DRI, PMAY, PMJJBY, PMSBY, APY, SSSY, etc. and comes out with products and services specifically for disadvantaged and marginalized stakeholders.

PNB Vikas Scheme: The objective of PNB VIKAS is to develop the adopted village in a holistic manner, which includes their economic development, infrastructure development and other aspects of human development e.g. sanitation, drinking water supply, education, electricity, health, etc. besides access to credit, digitalization and Financial Literacy. Presently, Bank has adopted 295 villages under the scheme.

Farmer Training Centre (FTCs): Bank has established 12 Farmers Training Centres. The FTCs are providing free of cost training on agriculture & allied activities, and also for computers, cutting & tailoring/ embroidery and entrepreneurship development programs. Since inception, FTCs have imparted training to 16,44,102 persons by conducting 55,017 training programs. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. Bank spent Rs. 475.72 Lakh under this, during FY 2021-22.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs): There are 76 RSETIs (under aegis of MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill up gradation to undertake self-employment ventures/ Jobs. During the FY 2021-22, 41,718 persons were trained in these centers out of which 27,380 belong to BPL families and 32,948 were women. Total number of trained candidates since inception is 4,92,418 out of which 2,06,241 were from BPL families and 3,15,856 were women. RSETIs are focusing for settlement of participants by ensuring adequate credit for inclusive growth. Total settled candidates are 3,32,028 since inception. Bank spent Rs. 2753.97 Lakh under this during FY 2021-22.

Prime Minister Jan Dhan Yojana (PMJDY): Bank is opening PMJDY accounts of disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders at Zero balance and educating & enrolling them under Social Security Schemes launched by GOI. As on 31st March, 2022. Bank has opened more than 4.18 Crore accounts under PMJDY scheme.

बैंक अधिकारहीन वर्गों को सशक्त बनाने के लिए पीएनबी किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), और वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) जैसे विभिन्न ट्रस्ट / केंद्र भी चलाता है। पीएनबी विकास ग्राम अंगीकरण योजना, पीएनबी लाडली, पीएनबी (किसान बाल शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं) जैसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि वांछित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

बैंक के पास वंचित, कमजोर और अधिकारहीन हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त तंत्र है ताकि वे बिना किसी कठिनाई के बैंक की सेवाओं का लाभ उठा सकें। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग को बुनियादी बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

बैंक के विभिन्न फील्ड कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत स्वतंत्र रूप से विभिन्न गतिविधियों की जाती हैं, साथ ही समाज के विभिन्न जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से।

सिद्धांत V : कारोबार द्वारा मानवाधिकार को सम्मान एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

1. क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी को कवर करती है अथवा यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/ अन्य को भी कवर करती है?

मानव अधिकारों से संबंधित नीति सहित एचआरएमडी द्वारा जारी सभी नीतियां केवल पीएनबी के कर्मचारियों पर लागू होती हैं और समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य पर लागू नहीं होती हैं।

2. गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया ?

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल 1,46,759 शिकायतों में से (अर्थात 31 मार्च, 2021 को 7,175 शिकायतें लंबित थीं और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1,39,584 शिकायतें प्राप्त हुई थी), 31 मार्च, 2022 तक सीजीआरएमएस पोर्टल में शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर 1,45,852 शिकायतों का समाधान किया गया।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल 16,80,065 शिकायतों में से (अर्थात, 31 मार्च, 2021 को 81,389 शिकायतें लंबित थीं और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 15,98,676 शिकायतें प्राप्त हुई थी), सीआरएम पोर्टल में 31 मार्च, 2022 तक शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर 16,50,370 शिकायतों का समाधान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त की गई शिकायतों की कुल संख्या 20 है, जिनमें से सभी शिकायतों का समाधान 31 मार्च, 2022 तक कर लिया गया था।

सिद्धांत VI: कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखने, संरक्षण करने एवं इसे बहाल करने के प्रयास करने चाहिए।

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल बैंक को कवर करती है अथवा यह समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य को भी कवर करती है?

दिशानिर्देश केवल पंजाब नैशनल बैंक को कवर करता है।

Bank also runs various Trusts/Centers such as PNB Farmers' Training Centers (FTCs), Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), and Financial Literacy Centres (FLCs) in order to empower the marginalized sections. Welfare schemes such as PNB Vikas- Village Adoption Scheme, PNB Ladli, PNB (Kisan Balak Shiksha Protsahan Yojana) are also undertaken to achieve the desired outcomes.

Bank has appropriate mechanism for meeting the needs of disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders so that they are able to avail the Bank's services without difficulty. Door Step banking services are being provided for senior citizens and differently abled persons to deliver basic banking facility.

Various activities are carried out under Bank's Corporate Social Responsibility by Bank's various field offices and Head Office independently. Also, in collaboration with NGOs, organization is working for the welfare of the various needy sections of the society.

Principle V: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the Bank on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

All the policies issued by HRMD including policy related to Human rights are only applicable to employees of PNB and doesn't extend to Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/NGOs/Others.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

During FY 2021-22, out of a total number of 1,46,759 complaints (i.e.7,175 complaints outstanding as on 31st March, 2021, and 1,39,584 complaints received during FY 2021-22), 1,45,852 complaints were resolved up to the satisfaction of the complainant, till 31st March, 2022 in CGRMS Portal.

Further, during FY 2021-22, out of a total number of 16,80,065 complaints (i.e., 81,389 complaints outstanding as on 31st March, 2021, and 15,98,676 complaints received during FY 2021-22), 16,50,370 complaints were resolved up to the satisfaction of the complainant, till 31st March, 2022 in CRM Portal.

Total number of shareholder complaints during FY 2021-22 were 20 out of which, all complaints were resolved as on 31st March, 2022.

Principle VI: Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the Bank or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others.

The guidelines cover Punjab National Bank only.

2. क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने के लिए बैंक की कोई नीति/ पहल है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो वेबपेज आदि का हाइपरलिंक उपलब्ध कराएं।

हां, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए बैंक के पास रणनीतियां हैं। बैंक जिम्मेदार व्यवसायों के संचालन में विश्वास करता है। बैंक के पास एक ईएसजी रूपरेखा है। बोर्ड स्तर की उप-समिति ईएसजी पहलों का संचालन करती है। बैंक द्वारा भौतिक और संक्रमण जोखिम वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है।

बैंकों की क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया में पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। ईएसजी विशेषताओं को विस्तार से शामिल करके बोर्डिंग और क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया पर क्रेडिट बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। हरित ऊर्जा का समर्थन करने के लिए विविध योजनाएं जैसे कि ई-वाहन को वित्तपोषण, सौर पैनल, सौर पंप आदि की शुरुआत की गई हैं।

बैंक, उर्जा क्षमता और एयर कंडीशन के धारणीय उपयोग के तरीके, कंप्यूटर और डेस्कटॉप मॉनिटर, प्रकाश व्यवस्था, यात्रा एवं परिवहन, पर्याप्त बिजली की खपत आदि के स्थायी उपयोग के तरीकों पर भी ध्यान केन्द्रित करता है।

3. क्या बैंक संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान व आंकलन करता है?

हां, बैंक संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान व आंकलन करता है। बैंक ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उपभोग/उत्पादन करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्त प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। बैंक क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उपयोग कर एयरोसोल इकाइयों के निर्माण में लगी लघु / मध्यम स्तर की इकाइयों को वित्तीय सहायता देने की भी वकालत नहीं करता है।

बैंक सावधि ऋण के संवितरण से पहले, जहां कहीं आवश्यक हो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित आवश्यक वैधानिक और अन्य अनुमोदन / अनुमतियों को देखता है।

जलवायु जोखिम का आंकलन करने के लिए, बैंक ने प्रत्यक्ष और परिवर्तन जोखिम वाले उद्योगों / क्षेत्रों और इन क्षेत्रों के लिए बैंकों का कुल ऋण जोखिम की पहचान की है। बैंक द्वारा कुछ उद्योगों की पहचान की गई है जो जलवायु परिवर्तन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं और जो कि उभरते हुए उद्योग हैं।

4. क्या बैंक के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण दें। इसके अलावा, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की गई है?

बैंक के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना नहीं है। हम भारत सरकार / इंडियन बैंक एसोसिएशन / एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ईईएसएल), आदि द्वारा जारी विभिन्न ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों / नीतियों को लागू करते हैं।

5. क्या बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक उपलब्ध कराएं।

2. Does the Bank have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yes, Bank has strategies to address global environmental issues such as climate change, global warming. Bank believes in conducting responsible businesses. Bank has an ESG Framework in place. Board Level sub-committee steers the ESG initiatives. Potential sectors exposed to physical and transition risk have been identified by the Bank.

Banks' credit rating and credit appraisal process takes into account environment related aspects. Efforts on enhancing credit on boarding and credit rating process are ongoing by incorporating ESG attributes in detail. Various schemes such as financing e-vehicle, solar panels, solar pumps etc. have been launched to support green energy.

Bank focuses on energy efficiency and ways to sustainable use of air conditioners, computer and desktop monitors, lighting, travel and transportation, efficient electricity consumption etc.

3. Does the Bank identify and assess potential environmental risks?

Yes, the Bank identify and assess potential environmental risks. Bank restricts extending finance for setting up of new units consuming / producing the Ozone Depleting Substances (ODS). Bank also does not advocate extension of financial assistance to small / medium scale units engaged in the manufacture of the aerosol units using Chloro Fluoro Carbons (CFC).

Bank looks into necessary statutory and other approvals / permissions including from Pollution Control Board, wherever required, from the borrower before disbursement of Term Loan.

To assess climate risk, Bank has identified industries/ sectors that are exposed to physical and transition risk and Banks total credit exposure towards these sectors. Certain industries have been identified that may be adversely impacted by climate change and those which are the sunrise industries.

4. Does the Bank have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?

The Bank does not have any project related to Clean Development Mechanism. Bank implement various Energy conservation guidelines/ policies issued by Government of India/ Indian Banks' Association/ Energy Efficiency Services Limited (EESL), etc.

5. Has the Bank undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

हाँ, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा पर निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- ए. **हरित उद्यम को अपनाना:** बैंक ने संसाधनों (बिजली, पानी, कागज, आदि) के संरक्षण के लिए कुछ हरित प्रथाओं जैसे डिजिटलीकरण, ई-कचरे का पुनः उपयोग आदि को लागू किया है।
- बी. **डिजिटल बैंकिंग:** बैंक ई-सेवाओं, जैसे यूपीआई भुगतान (भीम पीएनबी), नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ग्रीन पिन आदि के उपयोग के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देता है।
- सी. **हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अन्य वित्तीय योजनाएं:** हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने अनेक वित्तीय योजनाएं अर्थात् पीएनबी सौर ऊर्जा योजना (पीएनबी सोलर एनर्जी स्कीम), ई-रिक्शा के वित्तपोषण के लिए योजना – 'पीएनबी ग्रीन राइड', बायो-गैस इकाइयों की स्थापना के वित्तपोषण के लिए योजना, सौर ऊर्जा परियोजना, ग्रीन हाउसों के वित्तपोषण की योजना, मृदा संरक्षण, सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना के लिए योजनाएं आदि प्रारंभ की हैं।

इसे देखने के लिए हाइपरलिंक www.pnbindia.in है

6. **क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर हैं?**

एक सेवा क्षेत्र संगठन होने के नाते— बैंक किसी भी विषाक्त/खतरनाक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करता है।

7. **सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त ऐसे कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित (अर्थात् जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हो सका) रहे?**

सेवा क्षेत्र का संगठन होने के कारण यह लागू नहीं होता है।

सिद्धांत VII: कारोबार जब लोक एवं विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक किया जाना चाहिए।

1. **क्या आपकी बैंक किसी ट्रेड व चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन मुख्य संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार संबंध है।**

बैंक निम्नलिखित प्रमुख चैम्बर्स / संघों का सदस्य है:

- ए) एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
- बी) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
- सी) सार्वजनिक उपक्रमों की स्थायी समिति (एससीओपीई)
- डी) पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स (पीएचडीसीसीआई)
- ई) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, (एएससीआई)

Yes, the following initiatives have been undertaken on – clean technology, energy efficiency and renewable energy,

- a. **Adoption of Green Practices:** Bank has implemented certain Green practices such as digitization, re-use of e-waste etc. to conserve resources (electricity, water, paper, etc.).
- b. **Digital Banking:** Bank promotes digital banking by way of e-services, such as UPI payment (BHIM PNB), use of net banking, Mobile banking, Green Pin etc.
- c. **Other Financing Schemes to promote Green Economy:** To promote Green Economy, Bank has introduced various financing schemes viz., PNB Saur Urja Yojana (**PNB Solar Energy Scheme**), Scheme for Financing E-Rickshaws – 'PNB GREEN RIDE', Scheme for Financing Setting Up of Bio-Gas Units, Solar Power Project Financing, Scheme for Financing Green Houses, soil conservation, schemes for installation of solar water pumping system, etc.

The hyperlink for viewing the same is www.pnbindia.in

6. **Are the Emissions/Waste generated by the Bank within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?**

Being a service sector organization, the Bank does not generate any toxic/hazardous pollutants.

7. **Number of show cause/ legal notices received from CPCB/ SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as at end of Financial Year.**

Being a service sector organization, it is not applicable.

Principle VII: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. **Is your Bank a member of any trade and chamber or association? If Yes, name only those major ones that your business deals with:**

Bank is a member of following major Chambers/ Associations:

- a) Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
- b) Confederation of Indian Industry (CII)
- c) Standing Committee of Public Enterprises (SCOPE)
- d) PHD Chamber of Commerce. (PHDCCI)
- e) Administrative Staff College of India (ASCI)

2. क्या आपने कभी उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से जनहित के विकास अथवा सुधार के लिए पैरवी/लॉबिंग की है? हां/ नहीं; यदि हां तो कृपया व्यापक क्षेत्रों (ड्रॉप बॉक्स: अभिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत कारोबार नीतियां, अन्य) का उल्लेख करें।

हाँ, बैंकिंग और वित्त के व्यापक क्षेत्रों पर सरकार और नियामक के विभिन्न मंचों पर चर्चा की जाती है। बैंक और उसके शीर्ष प्रबंधन नियामक और नीति निर्माताओं द्वारा बनाए गए विभिन्न कार्य दलों का हिस्सा हैं। इस प्रकार, नीतियां बनाते समय विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों के संबंध में बैंक द्वारा दिए इनपुट तथा सुझावों पर भी विचार किया जाता है।

सिद्धांत VIII: कारोबार को समावेशी वृद्धि तथा साम्यिक विकास में सहायता करनी चाहिए।

1. क्या बैंक में सिद्धांत VIII से संबंधित नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां तो इनके विवरण दें।

बैंक सक्रिय रूप से समाज के बैंक रहित और हाशिए पर रखे गए वर्गों को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के प्रस्ताव द्वारा सरकार के वित्तीय समावेशन की कार्यसूची माध्यम से समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करता है। समय-समय पर विभिन्न सरकारी योजनाओं नामतः प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), विभेदक ब्याज दर (डीआरआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई, अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) आदि के माध्यम से ऋण वितरित किए जाते हैं।

बैंक वंचित वर्गों को बचत, क्रेडिट, कैश इन और कैश आउट सेवाओं, प्रेषण, बीमा, पेंशन, म्यूचुअल फंड सहित व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का उपयोग करता है।

बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण: प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण रु. मार्च 2022 तक रु. 283712 करोड़ रहा। त्रैमासिक वार्षिक औसत समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 40 प्रतिशत के मुकाबले 42.42 प्रतिशत है।

- ए) कृषि क्षेत्र के लिए ऋण, 31 मार्च, 2022 को रु.122708 करोड़ रहा। त्रैमासिक वार्षिक औसत एएनबीसी में कृषि अग्रिमों का प्रतिशत 18 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 18.35 प्रतिशत है।

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).

Yes, the broad areas of banking and finance are discussed in various forums of the Government and the Regulator. Bank and its Top Management are a part of the various working groups set up by the Regulator and Policymakers. Thus, Bank's inputs and suggestions regarding various economic and financial issues are considered while formulating the policies.

Principle VIII: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the Bank have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle VIII? If yes details thereof.

The Bank supports inclusive growth and equitable development through Government agenda of financial inclusion by offering various products and services to the unbanked and marginalized sections of the society. Loans are distributed through various Government's schemes from time to time namely from Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), Differential Rate Of Interest (DRI), Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM), Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Atal Pension Yojana (APY), Sukanya Samridhi Yojana (SSY), Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA), etc.

Bank uses Business Correspondent (BC) model to provide comprehensive financial services to the underprivileged sections encompassing Savings, Credit, Cash in & Cash out services, Remittance, Insurance, Pension, Mutual Fund.

Lending Under Priority Sector by the Bank: Credit to Priority Sector stood at Rs. 2,83,712 Crore as on 31st March, 2022. The percent of Priority Sector Advances to Quarterly annual average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) is 42.42 percent as against the prescribed National Goal of 40 percent.

- a) Credit to Agriculture sector stood at Rs. 1,22,708 Crore as on 31st March, 2022. The percentage of Agriculture Advances to Quarterly annual average ANBC is 18.35 percent against the prescribed National Goal of 18 percent.

- बी) छोटे/सीमांत किसानों के लिए ऋण, 31 मार्च, 2022 को रु 65,979 करोड़ रहा। छोटे/सीमांत किसानों को त्रैमासिक वार्षिक औसत एएनबीसी को अग्रिमों का प्रतिशत 9 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 9.87 प्रतिशत है।
- सी) सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण, 31 मार्च, 2022 को रु. 53963 करोड़ रहा। सूक्ष्म उद्यमों को त्रैमासिक वार्षिक औसत एएनबीसी के लिए अग्रिम का प्रतिशत 7.50 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 8.07 प्रतिशत है।
- डी) कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम, 31 मार्च, 2022 को रु. 90,002 करोड़ रहा। तिमाही वार्षिक औसत एएनबीसी के 11 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 13.46 प्रतिशत है।
- ई) 31 मार्च, 2022 के अंत तक महिला लाभार्थियों के लिए ऋण, 77,932.54 करोड़ रुपये था।
- एफ) 31 मार्च, 2022 के अंत तक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण, 27,071.50 करोड़ रुपये था।
- जी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए ऋण 31 मार्च, 2022 के अंत तक रु. 6,664.14 करोड़ रहा।
2. क्या यह कार्यक्रम/परियोजनाएं इन-हाउस टीम/स्वयं संगठन/बाहरी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से शुरू की गई हैं?

बैंक में समर्पित प्रभाग हैं, अर्थात् प्राथमिकता क्षेत्र प्रभाग और वित्तीय समावेशन प्रभाग, एमएसएमई प्रभाग, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कक्षा जो वित्तीय समावेशन अभियान और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं का कार्य करते हैं। हमारे अंचल कार्यालयों और मण्डल कार्यालयों के माध्यम से भी प्रगति की निगरानी की जाती है।

बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण की दिशा में काम करने वाले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और संगठनों के सहयोग से प्रधान कार्यालय/अंचल कार्यालयों में सीएसआर टीम की सक्रिय भागीदारी से विभिन्न सीएसआर गतिविधियां/कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पीएनबी प्रेरणा, बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की जीवन साथी के साथ-साथ बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों का एक संगठन है, जो स्वेच्छा से बैंक के सीएसआर एजेंडे को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।

3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभावों का कोई मूल्यांकन किया है?

प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित फील्ड कार्यालयों की मदद से अपेक्षाओं के लिए पूर्व समुचित सावधानी का पालन किया जाता है। बैंक विभिन्न परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा करता है और इनकी स्थिति एवं प्रदर्शन का नियमित रूप से मूल्यांकन करता है। निरंतर निगरानी और मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, बैंक सुधारात्मक कदम उठाने में सक्षम हो गया है और विभिन्न सरकारी प्रायोजित तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य स्तर को पार करते हुए अच्छी प्रगति दिखाई है।

- b) Credit to Small/ Marginal Farmers stood at Rs. 65,979 Crore as on 31st March, 2022. The percentage of advances to Small/ Marginal farmers to Quarterly annual average ANBC is 9.87 percent as against the prescribed National Goal of 9 percent.
- c) Credit to Micro Enterprises stood at Rs. 53,963 Crore as on 31st March 2022. The percentage of advance to Micro Enterprises to Quarterly annual average ANBC is 8.07 percent as against the prescribed National Goal of 7.50 percent.
- d) Advances to Weaker Sections stood at Rs. 90,002 Crore as on 31st March, 2022. The achievement is 13.46 percent as against National goal of 11 percent of Quarterly annual average ANBC.
- e) Credit to women beneficiaries stood at Rs. 77,932.54 Crore as at the end of 31st March, 2022.
- f) Credit to Minority Communities stood at Rs. 27,071.50 Crore as at the end of 31st March, 2022.
- g) Credit to SC/ST Communities stood at Rs. 6,664.14 Crore as at the end of 31st March, 2022.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?

Bank has dedicated divisions Priority Sector Division, Financial Inclusion Division, MSME Division, Corporate Social Responsibility Cell that undertake various programs/projects under the financial inclusion and Corporate Social Responsibility. The progress at grass-root level is also monitored through Zonal Offices and Circle Offices.

Various CSR activities/programmes are undertaken by active participation of CSR team at HO/Zonal Offices in collaboration with different NGOs, trusts and organization working towards the welfare of the society at large. PNB PRERNA, an association of the wives of the senior officials of the Bank along with senior lady officials of the Bank, is voluntarily involved in carrying forward the CSR agenda of the Bank.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Proposals are assessed and prior due diligence is done for requirements with the help of concerned field offices. Bank undertakes periodic reviews of various projects and regularly assesses their outcomes and performance. As a result of continuous monitoring and evaluation, Bank has been able to take corrective steps and has shown good progress under various Government sponsored and social security schemes surpassing the budgeted levels.

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके बैंक का प्रत्यक्ष योगदान क्या है— राशि रु. में तथा संचालित की जा रही परियोजनाओं का विवरण दें?

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बैंक के योगदान को अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से देखा जा सकता है, यथा :-

ए. किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी): बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। एफटीसी कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा कम्प्यूटर, कटिंग और सिलाई/कढ़ाई और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर भी निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 55,017 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 16,44,102 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। ये प्रशिक्षण केंद्र किसानों के खेतों में मृदा परीक्षण सुविधाओं वाली मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के ऑडियो विजुअल प्रदर्शन के लिये एलईडी से लैस हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने इसके तहत 475.72 लाख रुपये खर्च किए।

बी. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई): भारत में 76 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) तथा 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी उपक्रम) चल रहे हैं, जो कि ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्वरोजगार उपक्रम/रोजगार प्राप्त करने हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, इन केंद्रों में 41,718 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 27,380 बीपीएल परिवारों से सम्बद्ध हैं और 32,948 महिलाएं हैं। स्थापना के बाद से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 4,92,418 है, जिनमें से 2,06,241 बीपीएल परिवारों से और 3,15,856 महिलाएं हैं। हमारे आरएसईटीआई समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके तिभागियों को बसाने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्थापना के बाद से कुल 3,32,028 उम्मीदवार बसाए गए। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने इसके तहत रु. 2753.97 लाख खर्च किए।

सी. पीएनबी लाडली: यह योजना ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों की लड़कियों के बीच शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए है। इस योजना के तहत, बैंक प्रत्येक पहचाने गए गांव की 10 जरूरतमंद छात्राओं को शिक्षा सामग्री हेतु एकमुश्त 2,500/- रुपये और 100/- रुपये प्रति माह पॉकेट भत्ता के रूप में प्रदान कर रहा है। चयनित बालिकाओं को 12वीं कक्षा पूरी करने तक हर साल सहायता मिलती रहेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 435 छात्राओं के बीच रु. 8.47 लाख वितरित किए गए। अब तक, हमने इस योजना के तहत 31 मार्च, 2022 तक 10,126 बालिकाओं को रु. 184.34 लाख वितरित किए हैं।

4. What is your Bank's direct contribution to community development projects—Amount in INR and the details of the projects undertaken?

The Bank's contribution to community development program has been made through its various projects such as:

a. Farmers Training Centers (FTCs): Bank has established 12 Farmers Training Centres. The FTCs are providing free of cost training on agriculture & allied activities and also for Computers, cutting & tailoring/ embroidery and entrepreneurship development programs. Since inception, FTCs have imparted training to 16,44,102 persons by conducting 55,017 training programs. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. Bank spent Rs. 475.72 Lakh under this during FY 2021-22.

b. Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs): There are 76 RSETIs (under aegis of MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill up gradation to undertake self-employment ventures/Jobs. During the FY 2021-22, 41,718 persons were trained in these centers out of which 27,380 belong to BPL families and 32,948 were women. Total number of trained candidates since inception is 4,92,418 out of which 2,06,241 were from BPL families and 3,15,856 were women. RSETIs are focusing for settlement of participants by ensuring adequate credit for inclusive growth. Total settled candidates are 3,32,028 since inception. Bank spent Rs. 2753.97 Lakh under this during FY 2021-22.

c. PNB Ladli: The Scheme is meant for popularization of education among girls of Rural / Semi Urban areas. Under the scheme, Bank is providing for education inputs of Rs. 2,500/- in lump sum and Rs. 100/- per month as pocket allowance to 10 needy girl students of each identified village. Selected girls will continue to get support every year till they complete 12th class. During FY 2021-22, Rs. 8.47 Lakh was distributed amongst 435 girls students. So far, we have distributed Rs. 184.34 Lakh to 10,126 girls under this scheme upto 31st March, 2022.

डी. पीएनबी किसान बालक शिक्षा प्रोत्साहन योजना: गरीब कृषि उधारकर्ताओं (छोटे किसानों, सीमांत किसानों, काश्तकारों किसानों, मौखिक पट्टेदारों और कृषि श्रमिकों सहित) के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, बशर्ते उनका ऋण खाता नियमित चल रहा हो। स्थापना के बाद से, योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2022 तक 1553 विद्यार्थियों को रु. 47.98 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई है।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाए?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, पीएनबी विकास-ग्राम अंगीकरण योजना, किसान क्लब, किसान गोष्ठी आदि जैसी सामुदायिक विकास पहल/योजनाओं को लागू करते समय सभी हितधारकों जैसे स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय निवासियों आदि को सम्मिलित किया जाता है। विकासात्मक गतिविधियों की पहचान स्थानीय एजेंसियों की प्रतिक्रिया और स्थानीय जनसंख्या की जरूरत के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, पंचायतों/स्वयं सहायता समूहों और उनके सदस्यों को गतिविधियों के लाभ की संस्तुति करने हेतु सम्मिलित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप गतिविधियां/उत्पादों की बेहतर स्वीकार्यता बन जाती है। स्थानीय संगठनों की भागीदारी ऐसे कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने में मदद करती है और समाज में दीर्घकालिक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है।

सिद्धांत IX: कारोबार को अपने ग्राहकों व उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार ढंग से जुड़ना चाहिए तथा उनको महत्त्व देना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित रहे?

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक लगभग 1.76% ग्राहक शिकायतें लंबित हैं।

2. क्या बैंक उत्पाद के लेबल पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त उत्पाद का अन्य विवरण भी प्रदर्शित करती है? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)

हाँ, बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न वित्तीय उत्पादों के विवरण बैंक की वेबसाइट पर विज्ञापित किए जाते हैं; और पैम्फलेटों एवं ब्रोशरों के माध्यम से इनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। बैंक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया द्वारा भी उत्पादों के विज्ञापन दिए जाते हैं। फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर भी बैंक ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की है, जहाँ बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे उत्पादों व सेवाओं की विशेषताओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाता है।

d. PNB Kisan Balak Shiksha Protsahan Yojana: The scheme has been launched to provide financial assistance to the students of poor agriculture borrowers comprising of small farmers, marginal farmers, tenant farmers, oral lessees and agriculture labour. They are eligible provided their loan account is running regular. Since inception, Rs. 47.98 Lakh has been given as incentive to 1553 students up to 31st March, 2022 under the scheme.

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community?

To ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community all the stakeholders such as local Government, NGOs, Panchayati Raj Institutions, local residents etc are involved while implementing the community development initiatives/schemes like PNB VIKAS- Village Adoption Scheme, Kisan Clubs, Kisan Goshthies, etc. The developmental activities are identified based on the feedback of the local agencies and requirement of the local populace. Further, panchayats/ Self Help Groups and their members are involved for advocating the benefits of the activities which results in better acceptability of the activities/ products. The involvement of the local organizations helps in ensuring the success of such programs facilitate long term positive changes in the society.

Principle IX: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?

Nearly 1.76 percent of customer complaints are pending as at the end of FY 2021-22.

2. Does the Bank display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)

Yes, the details of various financial products offered by the Bank are advertised on the Bank's website; awareness is also spread via pamphlets and brochures. Bank also advertises its products via print, electronic and social media. It maintains an active presence on various social media platforms such as Facebook, Twitter, LinkedIn and Youtube which effectively advertise various features of the products and services offered by the Bank.

3. क्या गत 5 वर्षों के दौरान किसी भी हितधारक द्वारा बैंक के विरुद्ध अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन तथा/अथवा प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के संबंध में दायर किया गया कोई मामला वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित रहा? यदि ऐसा है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

इस श्रेणी के तहत, अनुचित व्यापार व्यवहार श्रेणी के अंतर्गत पी. रामादेवी के नाम से एक मामला राज्य आयोग मदुरै (चेन्नई मंडल) के समक्ष लंबित है।

4. क्या आपकी बैंक ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्ति का विश्लेषण किया है?

बैंक ग्राहक सेवा के महत्व को पूर्ण रूप से समझता है और ग्राहकों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बैंक ने ग्राहक सेवा पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत शिकायत निवारण नीति तैयार की है। शिकायत निवारण नीति में निर्धारित ढांचे के भीतर ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

बैंक के पास एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रबंधन पोर्टल है जिसे केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) कहा जाता है, जो इन-हाउस पोर्टल है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक को तत्काल पावती मिलती है और वह शिकायत का ट्रैक भी रख सकता है। ग्राहक बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग सेवा, मोबाइल बैंकिंग सेवा और मोबाइल ऐप के माध्यम से सीजीआरएमएस में अपने अनुरोध/शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दो प्रमुख सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को 24 x 7 x 365 आधार पर टेली-बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के गुरुग्राम और नोएडा में अत्याधुनिक प्राथमिक संपर्क केंद्र हैं।

बैंक/शाखाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता पर ग्राहक की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बैंक प्रधान कार्यालय में एक उच्च स्तरीय समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति की त्रैमासिक बैठकों में विभिन्न क्षेत्रों से नामित ग्राहक प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह में 10वें दिन (यदि अवकाश हो तो अगले दिन) सभी शाखाओं में ग्राहकों के साथ मासिक बैठकें भी की जा रही हैं।

बैंक ने सेवा के स्तर का आकलन करने के लिए शाखाओं का गुप्त दौरा करने के लिए प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों और मंडल कार्यालयों में ग्राहक सेवा केंद्र में अधिकारियों की टीमों का गठन किया है।

बैंक संपर्क केंद्रों के माध्यम से सर्वेक्षण करके और आउटबाउंड कॉल करके सेवा की गुणवत्ता, शाखाओं के परिसर आदि के बारे में ग्राहकों से प्रतिक्रिया भी प्राप्त कर रहा है।

3. Is there any case filed by any stakeholder against the Bank regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as at the end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Under this category, one matter namely P. Ramadevi is pending before State Commission Madurai (Chennai Circle) under the unfair trade practices category.

4. Did your Bank carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?

Bank fully realizes the importance of customer service and continues to lay utmost priority to render prompt and efficient services to customers. In order to achieve the desired objective, Bank has formulated a robust Grievance Redressal Policy keeping in view the guidelines issued by Reserve Bank of India on Customer Service. Every possible effort is made to redress the grievances of customers within the framework laid down in the Grievance Redressal Policy.

Bank has an On-line Grievance Redressal Management Portal called Centralized Grievance Redressal Management System (CGRMS), which is in-house Portal. Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also. Customers can lodge their requests/complaints in the CGRMS through Bank's website, Internet Banking Service, Mobile Banking Service and Mobile App.

Bank has state-of-the-art Primary Contact Centers at Gurugram and Noida to provide tele-banking services to its customers on 24 x 7 x 365 basis through two leading service providers.

Bank also invites nominated customers representative from different segments in the quarterly meetings of Customer Service Committee of Board & Standing Committee on Customer Service, a high-level committees at Head Office, to have their feedback on the quality of service being rendered by the Bank/Branches. Monthly meetings with customers are also being conducted in all the Branches on 10th Day (if holiday then next day) in every month to obtain feedback/suggestions for making improvement in the quality of customer service.

Bank has constituted teams of officials at Customer Care Centre at Head Office, Zonal Offices and Circle Offices to pay incognito visit to branches to assess standard of service

Bank is also obtaining feedback from customers about quality of service, ambience of branches, etc. by conducting surveys and making outbound calls through Contact Centers.

BLANK PAGE

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2021-22

Corporate Social Responsibility Report 2021-22



pnb one
just one app



वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट 2021-22 के लिए एमडी एवं सीईओ का संदेश MD & CEO message for Annual CSR Report 2021-22

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह रिपोर्ट जन स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण गतिविधियों में बैंक के योगदान में हमारे द्वारा किए गए नवाचारों पर प्रकाश डालती है। यह सामाजिक रूप से अधिक उत्तरदायी कॉर्पोरेट संस्था बनने की हमारी प्रतिबद्धता और प्रगति को भी दर्शाती है।

पीएनबी में, हम "समाज को वापस देना" के आदर्श सिद्धांत का अनुपालन करते हैं। हमारी सीएसआर नीति, समाज के साथ बैंक के सामाजिक संबंधों को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रभावी और सतत सीएसआर कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

कॉर्पोरेट गतिविधियों का निष्पादन करते समय, हम अपने आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन उत्तरदायित्वों का ध्यान रखते हैं। हमारे लिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हमारे सभी हितधारकों जैसे हमारे शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और संपूर्ण समाज के प्रति बढ़ती जिम्मेदारियों, संबंधों और जुड़ाव को प्रगाढ़ बनाने की व्यावसायिक रणनीति का एक अभिन्न अंग है। बैंक, सबसे बड़े घरेलू बैंकों में से एक होने के नाते समाज में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के स्थानीय और राष्ट्रीय प्रयासों का सहयोग कर अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करता है।

विगत वर्ष कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण चुनौतीपूर्ण रहा जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को पंगु करके पूरे क्षेत्र में कारोबार को बाधित किया, बल्कि इसने मानव जीवन को अभूतपूर्व पीड़ा भी दी। इन कठिनाइयों के बावजूद, हम पीएनबी में, राष्ट्र-निर्माण और सामुदायिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हमने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के मुख्य उद्देश्य के साथ पर्यावरणीय खतरों के रोकथाम, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के क्षेत्रों में गतिविधियों को अंजाम दिया।

हमने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई पहल "रोगी कल्याण समितियों" के सहयोग से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुविधा संपन्न बनाने के लिए 111 अग्रणी जिलों के अस्पतालों और गैर सरकारी संगठनों को ऑक्सीजन सिलेंडर, महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण, मास्क, ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, एम्बुलेंस आदि प्रदान किए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सीएसआर बजट में से 919.60 लाख रुपये की राशि का उपयोग भारत सरकार की उक्त पहल के लिए किया गया। हमने कई राज्यों, विशेष रूप से गुवाहाटी और तमिलनाडु में स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने में भी सहायता की।

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to present the Corporate Social Responsibility (CSR) Report of Punjab National Bank (PNB) for the fiscal year 2021-2022. The report highlights our initiatives in the area of Bank's contribution towards public health, education, infrastructure, community welfare activities. It also highlights our commitment and progress in becoming a more socially responsible Corporate Entity.

At PNB, we are guided by the principle motto of "Giving back to the society". Our CSR policy is created to ensure an effective and sustained CSR programme to strengthen the social ties of the Bank with the community at large.

While performing corporate activities, we are aware of our economic, environmental, social and governance responsibilities. For us, corporate social responsibility forms an integral part of the business strategy of growing responsibly, deepening relationships and engagement with all our stakeholders viz. our shareholders, customers, employees and the society as a whole. The bank fully realizes its role as one of the largest domestic banks in supporting local and national efforts in making the lives of the people in the society better.

The past year was challenging due to the outbreak of corona virus which not only paralyzed the economy and disrupted businesses across the sector, but also caused unprecedented suffering to human lives. Despite these difficulties, we at PNB, remained committed to nation-building and community duties.

During the year under review, we carried out activities in the areas of prevention of environmental hazards, economic development and social progress with the core objective of improving the quality of life.

We provided oxygen cylinders, critical medical equipment, masks, oximeters, thermal scanners, ambulances etc. to hospitals and NGOs in 111 lead districts for upscaling of health infrastructure in collaboration with Rogi Kalyan Samitis; an initiative started under National Health Mission by Govt. Of India. During F.Y. 2021-22, an amount of Rs. 919.60 lakhs was utilized out of the CSR Budget for the aforesaid initiative of the Govt. Of India. We also helped in improvement of the health infrastructure in several regions, particularly in Guwahati and Tamil Nadu.

हम वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य सुविधाओं तक सीमांत और बैंकिंग के वंचित लोगों की पहुंच को मजबूत करके उनके उत्थान के लिए कर्मठतापूर्वक कार्य कर रहे हैं; और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत के अभियान में योगदान दे रहे हैं। पीएनबी विकास पहल के तहत गतिविधियों के माध्यम से हमने मानव संसाधन विकास, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में देशभर के 295 गांवों के विकास में सहयोग किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत 95.92 लाख रुपये की राशि का व्यय किया गया।

हमने अपने 76 आरएसईटीआई (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों) और 12 किसान प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को भी गति दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, इन केंद्रों में 41,683 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें से 27,349 बीपीएल परिवारों से संबंध रखते थे और 32,948 महिलाएं थीं।

हम सभी जानते हैं कि अन्याय और सामाजिक असमानताओं से लड़ने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सतत विकास के लक्ष्यों से प्रेरित होकर, हम सभी के लिए, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और आजीवन शिक्षण के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। हमारी पीएनबी लाडली योजना के एक भाग के रूप में, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्कूली छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा देना है, हमने 435 छात्राओं की शिक्षा के लिए 8.47 लाख रुपये का योगदान दिया। हमने भारत सरकार की विद्यांजलि पहल के अनुसार सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण में भी सहयोग दिया।

पीएनबी खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में भी सदैव अग्रणी रहा है। हमारी पीएनबी हॉकी टीम देश के राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बनी हुई है और अगली पीढ़ी के एथलीटों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के अवसर प्रदान करती है।

पीएनबी महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस अवधि में अन्य बातों के अलावा, महिला केंद्रित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का शुभारंभ, कोलकाता और हिमाचल प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में योगदान, वृक्षारोपण अभियान, बाल कल्याण और शिक्षा शामिल हैं। बैंक का सीएसआर विंग पीएनबी प्रेरणा बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की पत्नियों का एक संघ है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य बैंक के सीएसआर प्रयासों को बढ़ावा देना है।

अग्रतर, हम एक समावेशी और सतत कारोबार के निर्माण में निवेश करना जारी रखेंगे जो समुदायों को, विशेष रूप से वंचित, कमजोर और अधिकारहीन वर्ग को लाभान्वित करता है। मैं अपने सभी हितधारकों, जो हम पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं और हमें और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके सतत प्रोत्साहन और समर्थन की आशा करता हूँ क्योंकि हम उन समुदायों के जीवनस्तर में सुधार लाने के अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं।

अतुल कुमार गोयल

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

We continued to work diligently for the upliftment of the marginalized and unbanked people by strengthening their access to financial services, healthcare, education and other facilities; and contributed to India's drive for socio-economic empowerment. Our activities under the PNB VIKAS initiative aided the development of 295 villages across the country in terms of human resource development, economic development and infrastructure development. During F.Y. 2021-22, an amount of Rs. 95.92 lakhs was spent under the scheme.

We also stepped up our efforts to promote financial inclusion, financial literacy and skill development through our 76 RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes) & 12 Farmers Training Centres. During the F.Y. 2021-22, 41,683 persons were trained in these centers out of which 27,349 belong to BPL families and 32,948 were women.

We all know that education is crucial for fighting injustice and social inequalities. Inspired by the UN Sustainable Development Goals on quality education, we endeavor to offer inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, especially the girl child. As a part of our PNB Ladli scheme, which aims to promote education among school girls in rural and semi-urban areas, we contributed a sum of Rs 8.47 lakhs for education of 435 female students. We also helped in renovating the infrastructure of Govt. Schools in accordance with the Government Of India's Vidyanjali initiative.

PNB has also been at the forefront of promoting sports and encouraging talented players. Our PNB Hockey Team continues to be a significant initiative for promoting the national sport of the country and providing opportunities for the next generation of athletes to demonstrate their abilities.

PNB focuses on empowering women and promoting their socio-economic growth. This period comprised of among other things, the launch of women-centric health insurance policies, contributions to the state disaster management cell in Kolkata and Himachal Pradesh, tree plantation drives, child welfare and education. Bank's CSR wing PNB Prerna is an association comprising of senior women officials of the bank and the wives of senior bank officials, whose primary goal is to promote the bank's CSR efforts.

Going forward, we will continue to invest in building an inclusive and sustainable business that benefits communities, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized. I would like to end by expressing my heartfelt gratitude to all our stakeholders who continue to repose their faith in us and keep pushing us to strive for more. I look forward to your continued encouragement and support as we work towards our goal of improving the quality of life of the communities we serve.

Atul Kumar Goel

Managing Director & Chief Executive Officer

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2021-22

पीएनबी सीएसआर रिपोर्ट 2021-22

पंजाब नेशनल बैंक का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दृष्टिकोण

1. पंजाब नेशनल बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को स्थायी तरीके से समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करने और सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के रूप में देखता है। बैंक समाज, पर्यावरण और अपने हितधारकों की वृद्धि और विकास के लिए एक अनुकूल स्थान प्रदान करने हेतु उनके हितों को चिह्नित करता है। सामुदायिक विकास में स्थायी तरीके से सहयोग करने और बढ़ावा देने के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों में हमारे निवेश के माध्यम से जीवन में प्रतिबद्धता आती है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, चूंकि पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, सीएसआर गतिविधियों ने राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर बल दिया। बैंक ने महामारी का सामना करने के लिए विभिन्न राहत उपायों जैसे भोजन के पैकेट, मास्क और सैनिटाइज़र, ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरणों का वितरण कर अपना योगदान दिया।
2. व्यवसाय रणनीति के साथ सीएसआर की अवधारणा को एकीकृत करने हेतु, बैंक निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं करता है:

2.1 स्थिरता

पीएनबी परिवर्तन का एक उत्प्रेरक बनने का इरादा रखता है जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभान्वित करेगा। हमारे मुख्य व्यवसाय और उससे आगे की पीएनबी की गतिविधियों का स्थिरता एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार, हम अपने सभी हितधारकों, समाज और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बनने में विश्वास रखते हैं।

Corporate Social Responsibility Report 2021-22

PNB CSR Report 2021-22

Punjab National Bank's Corporate Social Responsibility Approach

1. Punjab National Bank views Corporate Social Responsibility (CSR) as its commitment to uplift and empower the society economically and socially in a sustainable manner. The bank recognizes the interests of the Society, environment and its stakeholders to provide them with a conducive space for growth and development. The commitment comes to life through our investment in institutions and programmes to support and enhance community development in a sustainable fashion. During F.Y. 2021-22, as the whole world was suffering from COVID-19 pandemic, the CSR activities laid emphasis on health services of the nation. Bank contributed towards various relief measures like distribution of food packets, masks and sanitizers, ambulances in rural areas and medical equipments to counter the disease.
2. To integrate the concept of CSR with Business Strategy, the Bank makes the following commitments:

2.1 Sustainability

PNB intends to be a catalyst for change that benefits present and future generations. Sustainability is an integral part of PNB's activities – in our core business and beyond. Thus, we believe in being responsible to all our stake holders, society and the environment.



अपने प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली में पीएनबी के सीएसआर-सह-बुक लॉन्च इवेंट के दौरान उपस्थित श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ (मध्य में)।

Sh. Atul Kumar Goel, MD & CEO (at centre) during PNB's CSR-cum-book launch event at its Head Office, Dwarka, New Delhi.

2.2 कॉर्पोरेट स्वेच्छा

हमारी सीएसआर पहलों का मुख्य उद्देश्य “समाज को वापस देना” है। सीएसआर के संबंध में हम अपने कर्मचारियों को जो संदेश देते हैं, वह यह है कि आज हम जो कुछ भी करेंगे, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इस प्रकार हम स्टाफ सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और स्थानीय आबादी की भागीदारी के साथ सीएसआर गतिविधियां करते हैं।

2.3 सामाजिक निवेश

सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन होने के नाते, हम किसान कल्याण ट्रस्ट, शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट, पीएनबी प्रेरणा, किसान प्रशिक्षण केंद्र, वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श केंद्र तथा ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से समाज में योगदान करते हैं। हम वंचित समुदायों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में सहयोग करते हैं। इन सभी पहलों को सामाजिक निवेश के रूप में माना जाता है।

किसान परीक्षण केंद्र (FTC): बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है। किसान प्रशिक्षण केंद्र कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों के खेतों में मृदा परीक्षण सुविधाओं वाली मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन के लिए एलईडी से लैस किया गया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इसके तहत 475.72 लाख रुपये खर्च किए।

पीएनबी लाडली: यह योजना ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्र की बालिकाओं के बीच शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 435 छात्राओं को 8.47 लाख रुपये वितरित किए गए।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI): भारत में 76 आरएसईटीआई (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी की पहल) परिचालित हैं जो ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्वरोजगार उद्यम/रोजगार के लिए कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, इन केंद्रों में 41,683 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 27,349 बीपीएल परिवारों से थे और 32,948 महिलाएं थीं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आरएसईटीआई के लिए कुल 27.54 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

2.2 Corporate Volunteering

“Giving back to the society” is the prime objective behind our CSR initiatives. The message that we give to our staff regarding CSR is that whatever we do today will have an impact on future generations. Thus, we undertake CSR activities with active participation from staff members and participation of local populace also.

2.3 Social Investments

Being a socially responsible organization, we contribute to society through Farmers Welfare Trust, Centenary Rural Development Trust, PNB Prerna, Farmers’ Training Centres, Financial Literacy & Credit Counseling Centres and Rural Self Employment & Training Institutes. We help the underprivileged communities to overcome unemployment and poverty for shaping their future through education and skill development programmes. All these initiatives are considered as social investment.

Farmers Training Centres (FTCs): Bank has established 12 Farmers Training Centres. The FTCs are providing free of cost training on agriculture & allied activities. These Training Centres have been equipped with the mobile van having Soil Testing facilities at the farmers’ fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. The Bank spent Rs 475.72 Lakh under this during F.Y. 2021-22.

PNB Ladli: The Scheme is meant for popularization of education among girls of Rural /Semi urban area. During F.Y. 2021-22, Rs. 8.47 lakh was distributed among 435 girl students.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs): There are 76 RSETIs (under aegis of MoRD) and 2 Rural Development Centers (PNB initiatives) operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill up- gradation to undertake self-employment ventures/ Jobs. During the F.Y. 2021-22, 41,683 persons were trained in these centers out of which 27,349 belong to BPL families and 32,948 were women. Total expenditure incurred in F.Y. 2021-22 for RSETIs is 27.54 Crore.



पीएनबी आरएसईटीआई, जहानाबाद, बिहार की महिला प्रशिक्षुओं द्वारा जन जागरूकता अभियान।

Public awareness drive by women trainees of PNB RSETI, Jehanabad, Bihar

पीएनबी विकास योजना: इस योजना के तहत बैंक ने अपने सीएसआर फंड के माध्यम से 295 गांवों को उनके समग्र विकास के लिए गोद लिया। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान योजना के तहत कुल 95.92 लाख रुपये खर्च किए गए।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विशेष सीएसआर पहल

अग्रणी जिलों में सीएसआर:

पंजाब नेशनल बैंक भारत के 111 जिलों में अग्रणी बैंक है, जिसमें से 8 आकांक्षी जिले हैं। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं, जो खराब सामाजिक-आर्थिक सूचकों से प्रभावित हैं। सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी संगठन होने के नाते, हमारे बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले को 20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) और टैक्स का योगदान करने का निर्णय लिया। इस पहल का उद्देश्य लाभार्थी जिलों में मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली को सुविधा संपन्न बनाकर और उनके उन्नयन द्वारा रोगी कल्याण समितियों की सरकार की पहल को सशक्त बनाना है। इस पहल पर कुल 9.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस पहल में संबंधित जिलों में बैंक के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन/सीएमओ (ओं) की सक्रिय भागीदारी रही।

बैंक के अग्रणी जिलों में सीएसआर गतिविधियों की कुछ झलकियां इस प्रकार हैं:

PNB VIKAS YOJANA: The Bank under this scheme adopted 295 villages for their holistic development through its CSR Fund. During F.Y. 2021-22, total amount of Rs. 95.92 lakhs was spent under the scheme.

Special CSR Initiative During F.Y. 2021-22

CSR in Lead Districts:

Punjab National Bank is the lead Bank in 111 districts of India, out of which, 8 are aspirational districts. Aspirational Districts are those districts in India, that are affected by poor socio-economic indicators. Being a socially responsible organization, our bank decided to contribute Rs. 20.00 lakhs (Rupees Twenty lakhs only) plus taxes to each district to upscale the healthcare facilities. The initiative aimed at strengthening the Government's initiative of Rogi Kalyan Samitis by upscaling and upgradation of existing health system in the beneficiary districts. A total of Rs. 9.19 Crores was utilized on this initiative. The initiative saw an active participation of Bank's officials and local administration/CMO(s) in the concerned districts.

Some of the glimpses of the CSR activities in Bank's Lead districts are as below:



अंचल कार्यालय, दिल्ली द्वारा अग्रणी जिले में सीएसआर के तहत चिकित्सा उपकरणों का वितरण।

Distribution of Medical instrument under CSR in Lead District by ZO Delhi.



अंचल कार्यालय द्वारा अग्रणी जिलों अमृतसर, शिमला, जयपुर, जोधपुर और गुवाहाटी में सीएसआर के तहत चिकित्सा उपकरणों का वितरण।
Distribution of Medical Equipment under CSR in Lead Districts by Zonal Office in Amritsar, Shimla, Jaipur, Jodhpur and Guwahati.



अग्रणी जिले एसएएस नगर अमृतसर में सीएसआर के तहत चिकित्सा उपकरणों का वितरण।
Distribution of Medical equipment under CSR in lead district SAS NAGAR Amritsar.



अग्रणी जिला लुधियाना में सिविल अस्पताल फाजिल्का को सीएसआर के तहत चिकित्सा उपकरणों का वितरण।
Distribution of Medical instrument under CSR in Lead District in Ludhiana to Civil Hospital Fazalika.

2.4 स्वास्थ्य

हम इस विचार का पुरजोर समर्थन करते हैं कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अच्छे वातावरण के साथ स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर आवश्यक हैं। इस हेतु, हम ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं जो इस तरह की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने कोविड-19 महामारी की स्थिति के बीच कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ सीएसआर गतिविधियों का आयोजन किया।

2.4 Health

We strongly endorse the view that a healthy mind and healthy body in a healthy environment is essential for overall growth of society and the nation. Thus, we invest in areas that facilitate such enhancements. During the year 2021-22, the Bank has undertaken CSR activities with the active involvement of staff amid COVID-19 pandemic.

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कोविड-19 महामारी के दरम्यान पीएनबी परिवार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जैसे कि मास्क, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण, महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों का योगदान, गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, दिल्ली को एम्बुलेंस प्रदान की, जिनके द्वारा महामारी के दौरान अथक रूप से कार्य किया गया।

During F.Y. 2021-22, PNB Parivar amid COVID-19 pandemic situation successfully carried out welfare activities in health sectors viz. distribution of masks, oximeters, oxygen cylinders, contribution of critical medical equipments, ambulance to Gurudwara Management Committee in Delhi which worked relentlessly during the pandemic.



कोविड-19 के दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को एम्बुलेंस का योगदान।

Ambulance contributed to Delhi Sikh Gurudwara Management Committee during COVID-19

पीएनबी ने सामाजिक कल्याण और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के एक भाग रूप में, जिला सिरमौर और कुपवी ब्लॉक जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एम्बुलेंस का योगदान दिया।

PNB as part of its strong commitment for social welfare and building a healthy society, contributed ambulances for the people of the Distt. Sirmaur & Kupvi block in Distt. Shimla, Himachal Pradesh.



हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को कुपवी ब्लॉक, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लिए एम्बुलेंस सौंपते हुए श्री सुशील खुराना, मंडल प्रमुख, शिमला।

Sh. Sushil Khurana, Circle Head, Shimla handing over ambulance to Hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh, Sh. Jairam Thakur, Kupvi block, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.



श्री ओमापति जामवाल, आईएएस, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की उपस्थिति में मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट को एम्बुलेंस सौंपते हुए श्री संजीव अग्रवाल, मंडल प्रमुख, सोलन।

Sh. Sanjiv Aggarwal, Circle Head, Solan handing over ambulance to Maa Saraswati Educational Trust in the presence of Sh. Omapati Jamwal, IAS, Sirmaur, Himachal Pradesh.

कोविड-19 रोकथाम गतिविधियों के सामाजिक समावेश को व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता के तहत, बैंक ने विभिन्न संगठनों को N95 मास्क, थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर वितरित किए।

As part of the commitment to widen the social inclusion of COVID-19 prevention activities, Bank distributed N95 masks, thermal scanners and oximeters to various organisations.



डॉ. एम. एलंगोवन, आयुक्त, इरोड सिटी नगर निगम, चेन्नई को कोविड-19 रोकथाम सामग्री सौंपते हुए श्री एल. रमानाथन, मंडल प्रमुख, कोयंबटूर (दाएं)।

Sh. L. Ramanathan, Circle Head, Coimbatore (Right) handing over COVID-19 prevention materials to Dr. M. Elangovan, Commissioner, Erode City Municipal Corporation, Chennai

2.5 हरित पहलें

बैंक मौजूदा इमारतों में वर्षा जल संचयन के लिए प्रयास कर रहा है और पर्यावरण के अनुकूल नए निर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है। हम भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'कैच द रेन' मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से अपने विभिन्न सोशल-मीडिया चैनलों द्वारा भी जागरूकता फैला रहे हैं। समीक्षा अवधि के दौरान वृक्षारोपण अभियान, ई-रिक्शा के वितरण जैसी अन्य कई हरित पहलें की गईं।

2.5 Green Initiatives

Bank is making efforts through construction of rainwater harvesting in existing buildings and encourage environment friendly new constructions. We are also spreading awareness through our various social-media channels through campaigns like 'Catch The Rain' Mission initiated by Govt. of India. Various other green initiatives like Tree plantations drive, distribution of e-rickshaws were carried out during the period of review.



गांधी आश्रम, साबरमती में वृक्षारोपण अभियान में उपस्थित श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ, पीएनबी।

Sh. Atul Kumar Goel, MD & CEO, PNB in a tree plantation drive at Gandhi Ashram, Sabarmati



पीएनबी मेगा वृक्षारोपण अभियान— श्री सुनील कुमार अरोड़ा— स्कूल के प्रमुख और एनजीओ "गिव मी ट्री ट्रस्ट" से श्री विनीत वोहरा के साथ श्री मीनाक्षी सुन्दरम कोलनडाइवेल, महाप्रबंधक (दिल्ली अंचल) तथा बैंक स्टाफ।

PNB Mega Plantation Drive - Shri Meenakshi Sundaram Kolandaivel, General Manager (Delhi Zone) and Bank staff along with Shri Sunil Kumar Arora-Head of School and Shri Vineet Vohra from the NGO "Give Me Trees Trust".

2.6 सहयोग

बैंक स्थानीय एजेंसियों के साथ गठबंधन करता है ताकि स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा सके। हम व्यापक पहुंच के लिए स्थानीय लोगों के साथ बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट और बिजनेस फ़ैसिलिटेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। बैंक बेहतर स्वीकार्यता की सुविधा के लिए स्थानीय पंचायतों/स्वयं सहायता समूहों के साथ भी गठबंधन करता है और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद तैयार करता है। स्थानीय संगठनों के साथ हमारे गठजोड़ यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि हम ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं जिनके सफल होने की सबसे अधिक संभावना है और दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन की सुविधा प्रदान करते हैं।

2.6 Collaboration

The Bank collaborates with local agencies so as to offer facilities as per the local needs and requirements. We are working closely with local people as Business Correspondents and Business Facilitators for wider outreach. The Bank also collaborates with local Panchayats / Self Help groups for facilitating better acceptability and devise products as per requirements of local populace. Our alliances with local organizations help ensure that we are supporting programs that are most likely to succeed and facilitate long term positive change.



पीएनबी-आरएसईटीआई हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित माननीय खेल, युवा मामले तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर।

An event of collaboration with SHGs by PNB-RSETI Hamirpur, Himachal Pradesh in presence of Hon'ble Minister of Sports, Youth Affairs and Minister of Information and Broadcasting Sh. Anurag Singh Thakur



एनजीओ-फिक्स माई लाइफ, वाराणसी को दिव्यांग छात्रों के लिए परिवहन वाहन सौंपते हुए श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, पीएनबी।

Sh. Vijay Dube, ED, PNB, handing over the transportation vehicle for divyang students to NGO-Fix my Life, Varanasi

2.7 खेलों को बढ़ावा

बैंक हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। अप्रैल 2004 में, बैंक ने अपनी वरिष्ठ हॉकी टीम का गठन किया। वरिष्ठ खिलाड़ी बैंक के कर्मचारी हैं।

खिलाड़ियों को पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए बैंक सभी लॉजिस्टिक सहायता और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। सीनियर हॉकी टीम के खिलाड़ियों को खेल किट, आहार भत्ता, कोच, आहार विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड, बीमा आदि प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान सीनियर हॉकी टीम और कोच फीस पर रु. 38.16 लाख की राशि व्यय हुई। हॉकी टूर्नामेंट के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं और विवरण जिसमें पीएनबी टीम ने उल्लेखित अवधि के दौरान भाग लिया, नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	टूर्नामेंट की तिथि	खिताब	पीएनबी हॉकी टीम की स्थिति
1	23/10/2021-31/10/2021	38वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत सिंह टूर्नामेंट	सेमी फाइनलिस्ट
2	06/11/2021-13/11/2021	31वां लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट	सेमी फाइनलिस्ट
3	14/11/2021-25/11/2021	57वां नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट	सेमी फाइनलिस्ट
4	04/12/2021-09/12/2021	प्रथम छाज्जू राम स्मारक सीनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट	तृतीय स्थान
5	18/12/2021-29/12/2021	प्रथम हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर-विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप	कांस्य पदक विजेता

खेल कर्मियों की भावना और उत्साह को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक ने ओलंपिक पदक विजेता सुश्री मीराबाई चानू, सुश्री लवलीना बोरगोहेन, श्री शमशेर सिंह को टोकियो ओलंपिक 2020 में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मान्यता दी और सम्मानित किया।



टोकियो 2020 ओलंपिक पदक विजेता सुश्री मीराबाई चानू और सुश्री लवलीना बोरगोहेन को सम्मानित करते हुए श्री शिव शंकर सिंह, अंचल प्रमुख, गुवाहाटी।

Sh. Shio Shankar Singh, Zonal Head, Guwahati felicitating Tokyo 2020 Olympic medalists Ms. Mirabai Chanu & Ms. Lovlina Borgohain

2.7 Promotion of Sports

Bank is continuously promoting our National Sport Hockey. In April 2004, the Bank formed its Senior Hockey team. The senior players are employees of the Bank.

Bank provides all logistics support and infrastructure facilities to the players for developing professional skills. Senior Hockey team players are provided with playing kits, diet allowance, coach, dietician, physiotherapy, astro turf ground, insurance etc.

During the year 2021-22, a sum of ₹ 38.16 lakhs was incurred on Senior Hockey Team and coach fee. Performance Highlights and details of Hockey tournaments in which PNB team participated during the mentioned period are as below:

S. No.	Date of Tournament	Title	PNB Hockey team Position
1	23/10/2021-31/10/2021	38 th Indian Oil Servo Surjit singh tournament	Semi-Finalist
2	06/11/2021-13/11/2021	31 st Lal Bahadur Shastri hockey Tournament	Semi-Finalist
3	14/11/2021-25/11/2021	57 th Nehru Senior Hockey tournament	Semi-Finalist
4	04/12/2021-09/12/2021	1 st Chajju Ram Memorial senior Men Hockey Tournament	03 rd Place
5	18/12/2021-29/12/2021	1 st Hockey India Senior Men Inter-departmental National championship	Bronze Med-alist

To encourage the spirit and enthusiasm of sports personnels, the Bank recognised and felicitated Olympic medalists Ms. Mirabai Chanu, Ms. Lovlina Borgohain, Sh. Shamsher Singh for their outstanding achievement at Tokyo Olympics 2020.



हमारे स्टाफ श्री शमशेर सिंह ने टोकियो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक जीतकर देश और पीएनबी का नाम रोशन किया। हमारे अन्य खिलाड़ियों श्री सुखजीत सिंह, श्री मंदीप मोर और श्री अभिषेक ने भी वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खेलकर पीएनबी को गौरवान्वित किया।

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित टूर्नामेंटों की कुछ झलकियाँ नीचे दी गई हैं:

Sh. Shamsher Singh, our staff represented Indian Men's Hockey Team in Tokyo Olympics 2020 and brought laurels to the nation and PNB by winning the Bronze Medal. Our other players Sh. Sukhjeet Singh, Sh. Mandeep Mor & Sh. Abhishek also made PNB proud by playing in the Indian Men's Hockey Team in F.Y. 2021-22.

Some of the highlights of the tournaments held during the year 2021-22 are as below:



दिल्ली में आयोजित प्रथम छाज्जू राम मेमोरियल सीनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में पीएनबी हॉकी टीम ने तृतीय स्थान हासिल किया
PNB Hockey Team secured 3rd place in 1st Chhajju Ram Memorial Senior Men Hockey tournament held in Delhi



बेंगलुरु में आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर-विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पीएनबी हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता।
PNB Hockey Team won Bronze Medal in 1st Hockey India Senior Men Inter-Departmental National championship held in Bengaluru



भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, श्री शमशेर सिंह, ओलंपिक पदक विजेता एवं पीएनबी परिवार के सदस्य को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करते हुए।

Hon'ble President of India
Shri Ram Nath Kovind
honouring
Shri Shamsheer Singh,
Olympic medalist and PNB
Parivaar member with
Arjuna Award.

2.8 अन्य सीएसआर पहलें

पीएनबी प्रेरणा, बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के जीवनसाथियों के साथ-साथ बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों का एक संघटन, बैंक की सीएसआर गतिविधियों का आयोजन करने/बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संघटन का मुख्य उद्देश्य बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलों का समर्थन करना है।

2.8 Other CSR Initiatives

PNB Prerna, an association of the spouses of the senior officials of the Bank as well as senior lady officials of the Bank is performing a vital role in undertaking and promoting the Bank's CSR activities. The prime objective of the association is to support the Corporate Social Responsibility initiatives of the Bank.



श्रीमती जानकी मल्लिकार्जुन राव—पूर्व अध्यक्ष (पीएनबी प्रेरणा) एक सीएसआर कार्यक्रम के दौरान एनजीओ साक्षी को उनकी सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए।

Smt. Janaki Mallikarjuna Rao –Former President (PNB Prerna) handed financial aid to NGO SAKSHI for their social welfare activities in a CSR event.



पीएनबी प्रेरणा के द्वारा आयोजित एक सीएसआर कार्यक्रम के दौरान एसडीएमसी प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, पालम गांव, दिल्ली को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए श्रीमती पूनम गोयल—अध्यक्षा (पीएनबी प्रेरणा), श्रीमती जानकी मल्लिकार्जुन राव—पूर्व अध्यक्ष (पीएनबी प्रेरणा)।

Smt. Poonam Goel –President (PNB Prerna), Smt. Janaki Mallikarjuna Rao –Former President (PNB Prerna) handing over financial aid to SDMC Primary Girls School, Palam Village, Delhi during a CSR event organized through PNB Prerna.



पीएनबी प्रेरणा के माध्यम से आयोजित सीएसआर गतिविधि के दौरान, प्रिंसिपल, एसडीएमसी प्राथमिक बालिका विद्यालय, राजापुर खुर्द गांव, दिल्ली के साथ उपस्थित श्रीमती पूनम गोयल—अध्यक्षा (पीएनबी प्रेरणा), श्रीमती जानकी मल्लिकार्जुन राव—पूर्व अध्यक्ष (पीएनबी प्रेरणा)।

Smt. Poonam Goel –President (PNB Prerna), Smt. Janaki Mallikarjuna Rao –Former President (PNB Prerna) with Principal, SDMC Primary Balika Vidyalaya, Rajapur Khurd village, Delhi in a CSR activity organized through PNB Prerna.



पीएनबी प्रेरणा द्वारा आयोजित एक सीएसआर गतिविधि के दौरान कोविड-19 के लिए राहत उपायों के लिए “द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन” को 1.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए श्रीमती जानकी मल्लिकार्जुन राव – पूर्वअध्यक्षा (पीएनबी प्रेरणा) और श्रीमती संगीता कुमार, श्रीमती अंजना दुबे, श्रीमती मीरा देवी – उपाध्याक्षाएं, पीएनबी प्रेरणा ।

Smt. Janaki Mallikarjuna Rao –Former President (PNB Prerna) and Smt. Sangeeta Kumar, Smt. Anjana Dube, Mrs. Meera Devi-Vice Presidents, PNB Prerna giving financial aid of Rs. 1.00 Lakh to “The Earth Saviours Foundation” for relief measures for COVID-19 in a CSR activity organized by PNB Prerna.



डॉ. साधना शंकर, पीआर डीजीआईटी (एल एंड आर), आईआरएस, श्रीमती पूनम गोयल, अध्यक्ष, पीएनबी प्रेरणा ने मुकुल फाउंडेशन के सदस्यों को सम्मानित किया और कौशल विकास के लिए अन्य उपकरणों के साथ सिलाई मशीन और सांभरनी कप मेकिंग मशीन भेंट की ।

Dr. Sadhna Shanker, Pr. DGIT (L&R), IRS, Mrs. Poonam Goel, President, PNB Prerna felicitating members of Mukul Foundation and handed over Sewing machines & Sambrani Cup Making Machine among other equipments for skill development.

3. सशस्त्र बलों के वयोवृद्ध, विधवाओं और आश्रितों के कल्याण के लिए योगदान:

3. Contribution for welfare of armed forces veterans, widows and dependents:



एयर कमांडर श्री बी अहलूवालिया, वीएसएम, सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को बैंक की सीएसआर गतिविधि के तहत सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) के लिए चेक प्रदान करते हुए श्री सुनील सोनी, मुख्य महाप्रबंधक, पीएनबी और श्री समीर बाजपेयी, मुख्य महाप्रबंधक और अंचल प्रमुख, अंचल कार्यालय दिल्ली, पीएनबी।

Sh. Sunil Soni , Chief General Manager, PNB & Mr. Sameer Bajpai, Chief General Manager & Zonal Head, ZO Delhi, PNB presenting the cheque towards Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) under CSR activity of the bank to Air Commodore Sh. B Ahluwalia, VSM, Secretary, Kendriya Sainik Board.

सी. राज्य सरकारों को योगदान:

C. Contribution to State Governments:

बैंक ने अपनी निरंतर सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में राज्यों को उनके राहत कार्यक्रमों में सहायता के लिए योगदान दिया।

Bank as part of its continuous CSR initiatives, contributed to different State Governments to support their relief programmes.




राज्य के स्वास्थ्य ढांचे के लिए असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा को 25.00 लाख रुपये का चेक सौंपते हुए पीएनबी के श्री शिव शंकर सिंह, अंचल प्रमुख, गुवाहाटी।

PNB's Sh. Shio Shankar Singh, Zonal Head, Guwahati handed a cheque of Rs. 25.00 lakhs to Sh. Himanta Biswa Sarma, Hon'ble Chief Minister of Assam towards the health infrastructure of the state



दिनांक 16-08-2021 को पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन के लिए, श्री एच के द्विवेदी, आईएएस, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार को 30 लाख रुपये की राशि का चेक सौंपते हुए श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक (दाएं)।

Sh. Sanjay Kumar, ED (Right) handing over cheque of amount Rs. 30.00 Lakhs to Sh. H K Dwivedi, IAS, Chief Secretary, Government of West Bengal on 16-08-2021 for WB State Disaster Management.



तमिलनाडु सरकार की 'नम्मक्कू नम्मे थित्तम' योजना के लिए श्री गगनदीप सिंह बेदी, आईएएस, आयुक्त, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को चेक सौंपते हुए श्री पी. महेंद्र, अंचल प्रमुख, चेन्नई।

Sh. P. Mahender, ZM, Chennai handing over the cheque to Sh. Gagandeep Singh Bedi, I.A.S, Commissioner, Greater Chennai Corporation for 'Nammakku Namme Thittam' Scheme of Govt. Of Tamil Nadu

बासेल III के अंतर्गत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण (समेकित आधार पर और महत्वपूर्ण अनुपात एकल आधार पर) –31.03.2022

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बासेल III (समेकित आधार पर और महत्वपूर्ण अनुपात अर्थात् पूंजी, एनपीए और उद्योगवार प्रकटीकरण एकल आधार पर) फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्तम्भ 3 का प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर अलग से प्रदर्शित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया हमारी वेबसाइट : www.pnbindia.in > Investor info > Financials > Current Financial year 2021–2022 देखें।

इस खण्ड में निम्नलिखित प्रकटीकरण सम्मिलित हैं:

क्र.स.	तालिकाएं	विवरण
	गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकटीकरण	
1.	तालिका DF-1	प्रयोज्यता का दायरा
2.	तालिका DF-2	पूंजी पर्याप्तता
3.	तालिका DF-3	ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण
4.	तालिका DF-4	ऋण जोखिम: मानक दृष्टिकोण के अधधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण
5.	तालिका DF-5	ऋण जोखिम न्यूनीकरण:- मानक दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
6.	तालिका DF-6	प्रतिभूतिकरण एकस्पोजर्स: मानक दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण –
7.	तालिका DF-7	ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
8.	तालिका DF-8	परिचालनगत जोखिम
9.	तालिका DF-9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
10.	तालिका DF-10	प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम से सम्बन्धित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण
11.		एकल आधार पर महत्वपूर्ण अनुपात अर्थात् पूंजी, एनपीए तथा उद्योग वार एक्सपोजर
12.		चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर प्रकटीकरण
13.		निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) पर प्रकटीकरण
14.	तालिका DF-11	पूंजी की संरचना
15.	तालिका DF-12	पूंजी की संरचना – मिलान सम्बन्धी अपेक्षाएं
16.	तालिका DF-13	विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं
17.	तालिका DF-14	विनियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें एवं निबन्धन
18.	तालिका DF-16	इक्विटीज – बैंकिंग बुक स्थिति के लिए प्रकटीकरण
19.	तालिका DF-17	लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की संक्षिप्त तुलना
20.	तालिका DF-18	लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

Pillar 3 Disclosures under Basel III (Consolidated Basis and Important Ratios on Solo Basis) - 31.03.2022

Pillar 3 Disclosures under Basel III (Consolidated Basis and Important Ratios i.e. Capital, NPA and Industry Wise Exposure on Solo Basis) Framework for the Year ended March 31, 2022 as per guidelines of RBI have been disclosed separately on Bank's website. For details, please visit our website: www.pnbindia.in > Investor info > Financials > Financial year 2021-2022

The section contains following disclosures:-

Sl. No.	Tables	Particulars
Qualitative and Quantitative disclosures		
1.	Table DF - 1	Scope of Application
2.	Table DF - 2	Capital Adequacy
3.	Table DF - 3	Credit Risk: General Disclosures
4.	Table DF - 4	Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardized Approach
5.	Table DF - 5	Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approach
6.	Table DF - 6	Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach
7.	Table DF - 7	Market Risk in Trading Book
8.	Table DF - 8	Operational Risk
9.	Table DF - 9	Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
10.	Table DF - 10	General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk
11.		Important Ratios i.e. Capital, NPA and Industry wise Exposure on Solo Basis
12.		Disclosure on Liquidity Coverage Ratio (LCR)
13.		Disclosure on Net Stable Funding Ratio (NSFR)
14.	Table DF - 11	Composition of Capital
15.	Table DF - 12	Composition of Capital – Reconciliation Requirements
15.	Table DF - 13	Main features of Regulatory Capital Instruments
17.	Table DF - 14	Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments.
18.	Table DF - 16	Equities – Disclosures for Banking Book Positions
19.	Table DF - 17	Summary comparison of accounting assets vs leverage ratio exposure measure
20.	Table DF - 18	Leverage ratio common disclosure template

एकल वित्तीय विवरण Standalone Financial Statements



pnb one
just one app

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन पत्र

PUNJAB NATIONAL BANK – STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	2202,20,31	2095,53,64
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	93284,69,23	88841,77,27
जमाराशियाँ Deposits	3	1146218,44,96	1106332,47,28
उधार Borrowings	4	45681,40,93	42840,31,07
अन्य देयताएं और प्रावधान Other liabilities and provisions	5	27418,26,83	20522,52,32
कुल / TOTAL		1314805,02,26	1260632,61,58
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि Cash and balances with Reserve Bank of India	6	56636,11,66	43958,82,83
बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	76010,65,64	67390,87,62
निवेश Investments	8	372167,76,19	392983,25,40
अग्रिम Advances	9	728185,67,53	674230,08,02
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	10673,61,39	11020,89,74
अन्य आस्तियां Other Assets	11	71131,19,85	71048,67,97
कुल / TOTAL		1314805,02,26	1260632,61,58
आकस्मिक देयताएं Contingent liabilities	12	605180,05,46	383279,78,14
वसूली के लिए बिल Bills for collection		37786,04,52	40491,16,13
प्रमुख लेखांकन नीतियां Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

प्रबुद्ध शर्मा
Prabudh Sharma
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

पी के वार्षेय
P K Varshney
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

आर के खीची
R K Khichi
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

प्रवीण कुमार शर्मा
Praveen Kumar Sharma
महाप्रबंधक
General Manager

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ
Chief General Manager (Finance) & CFO

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरूप कुमार साहा
Swarup Kumar Saha
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

विजय दुबे
Vijay Dube
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

संजय कुमार
Sanjay Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

डॉ रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

गौतम गुहा
Gautam Guha
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

अनिल कुमार मिश्रा
Anil Kumar Misra
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537सी
FRN: 001537C

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन:008567सी
FRN:008567C

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M.No. 084993)

सनदी लेखाकार प्रवीण गोयल
CA Praveen Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 074789)
(M.No. 074789)

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 077281)
(M.No. 077281)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajjar & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार सुभाष चंद बापना
CA Subhash Chand Bapna
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 071765)
(M.No. 071765)

सनदी लेखाकार जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो
CA Jagannath Prasad Mohapatro
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 217012)
(M.No. 217012)

दिनांक : मई 11, 2022
Date : May 11, 2022
स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

पंजाब नेशनल बैंक – 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का एकल लाभ व हानि लेखा
PUNJAB NATIONAL BANK – STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR
ENDED 31st MARCH, 2022

(Rs. 000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
I. आय			
I. INCOME			
अर्जित आय Interest earned	13	74879,53,69	80818,40,27
अन्य आय Other income	14	12319,95,79	11922,31,49
कुल / TOTAL		87199,49,48	92740,71,76
II. व्यय			
II. EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज Interest expended	15	46185,07,66	50272,79,13
परिचालन खर्च Operating expenses	16	20252,59,51	20308,74,75
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions and contingencies		17304,85,95	20137,56,01
कुल / TOTAL		83742,53,12	90719,09,89
III. लाभ/हानि			
III. PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) Net Profit/(Loss) for the year		3456,96,36	2021,61,87
जोड़ें: लाभ और हानि खाते में शेष Add: Balance in Profit and Loss A/c		0	0
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ Profit available for Appropriation		3456,96,36	2021,61,87
IV. विनियोजन			
IV. APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित Transfer to Statutory Reserves		864,24,09	505,40,47
पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित Transfer to Capital Reserves		700,92,63	1036,12,43
निवेश आरक्षित निधि में अंतरित Transfer to Investment Reserve		15,82,58	0
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Investment Fluctuation Reserve		854,85,27	480,08,97

(Rs. 000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
आयकर अधिनियम के अनुसार विशेष आरक्षित निधि में अंतरित Transfer to Special Reserve as per Income Tax Act		100,00,00	0
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		704,70,50	0
अन्य अरक्षित निधियाँ Other Reserves		216,41,29	0
लाभ और हानि खाते में शेष Balance in Profit and Loss Account		0	0
कुल / TOTAL		3456,96,36	2021,61,87

प्रति शेयर अर्जन (₹ में) (मूल/ ह्रासित) (अंकित मूल्य 2 रुपए प्रति शेयर)

Earning per Share (Rs.) (Basic/Diluted)	3.16	2.08
(Nominal Value Rs. 2 per share)		

प्रमुख लेखांकन नीतियां
Significant Accounting Policies

17

लेखों पर टिप्पणियां
Notes on Accounts

18

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां लाभ व हानि लेखों का एक अभिन्न अंग हैं

Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

प्रबुद्ध शर्मा
Prabudh Sharma
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

पी के वाष्णैय
P K Varshney
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

आर के खीची
R K Khichi
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

प्रवीण कुमार शर्मा
Praveen Kumar Sharma
महाप्रबंधक
General Manager

डी के जैन
D K Jain

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ
Chief General Manager (Finance) & CFO

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरूप कुमार साहा
Swarup Kumar Saha
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

विजय दुबे
Vijay Dube
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

संजय कुमार
Sanjay Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

डॉ रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

गौतम गुहा
Gautam Guha
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

अनिल कुमार मिश्रा
Anil Kumar Misra
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537सी
FRN: 001537C

कृते पीएसएमजी और एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन:008567सी
FRN:008567C

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M.No. 084993)

सनदी लेखाकार प्रवीण गोयल
CA Praveen Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 074789)
(M.No. 074789)

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 077281)
(M.No. 077281)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार सुभाष चंद बापना
CA Subhash Chand Bapna
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 071765)
(M.No. 071765)

सनदी लेखाकार जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो
CA Jagannath Prasad Mohapatro
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 217012)
(M.No. 217012)

दिनांक : मई 11, 2022
Date : May 11, 2022
स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

एकल लेखों की अनुसूची (पंजाब नैशनल बैंक)

SCHEDULES TO THE STANDALONE ACCOUNTS (PUNJAB NATIONAL BANK)

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
अनुसूची 1 – पूंजी SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		
प्रत्येक रु. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर 1500,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous year 1500,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2 each)	3000,00,00	3000,00,00
जारी तथा अभिदत्त Issued and Subscribed		
प्रत्येक रु. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष 1047,76,82,225 प्रत्येक रु. 2 के इक्विटी शेयर) (Previous Year 1047,76,82,225 Equity Shares of Rs. 2 each)	2202,20,31	2095,53,64
प्रदत्त पूंजी Paid up		
प्रत्येक रु.2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.2 के 1047,76,82,225 इक्विटी शेयर) (Previous Year 1047,76,82,225 Equity Shares of Rs. 2 each) [उपरोक्त में प्रत्येक रु.2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 805,41,25,285 इक्विटी शेयर) केंद्र सरकार द्वारा धारित किए गए हैं] [The above includes 805,41,25,685 Equity Shares of Rs. 2 each (Previous Year 805,41,25,685 Equity Shares of Rs. 2 each) held by Central Government]	2202,20,31	2095,53,64
कुल TOTAL	2202,20,31	2095,53,64

अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ

Statutory Reserves

प्रारंभिक शेष Opening Balance	14287,24,16	9472,70,08
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year*	0	4309,13,61
जोड़ें : लाभ व हानि विनियोजन लेखों से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	864,24,09	505,40,47
	15151,48,25	14287,24,16

II. पूंजीगत आरक्षित निधियाँ

Capital Reserves

क. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियाँ

a. Revaluation Reserve

प्रारंभिक शेष Opening Balance	7200,41,19	4758,69,16
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year*	7,47	2384,05,56
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the year	7,18,13	34,30
अन्य आरक्षित निधियों से अंतरित Transfer from Other Reserve	7,20,62	185,58,21

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित Transfer to Other Reserves (संपत्ति के पुनर्मूल्यन भाग पर मूल्यह्रास के कारण) (being depreciation on revalued portion of property)	151,88,74	127,57,44
	7048,62,41	7200,41,19
ख. अन्य b. Others		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	15874,48,10	3217,72,40
जोड़ें: लाभ-हानि विनियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	700,92,63	1036,12,43
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year* (₹ 9268.29 करोड़ की समामेलन आरक्षित निधि सहित) (including Amalgamation Reserve of Rs. 9268.29 Crores)	0	11620,63,27
	16575,40,73	15874,48,10
III. शेयर प्रीमियम Share Premium		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	44325,80,27	51188,57,94
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year*	1686,38,51	21845,14,15
घटाएं: संचित हानियों का विनियोजन Less: Appropriation of Accumulated Losses	0	28707,91,82
	46012,18,78	44325,80,27
IV. राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ Revenue and Other Reserves		
क. निवेश आरक्षित निधियाँ a. Investment Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	370,51,93	370,51,93
जोड़ें: लाभ-हानि विनियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	15,82,58	0
	386,34,51	370,51,93
ख. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि b. Investment Fluctuation Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	538,80,68	48,51,99
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the period*	0	10,19,72
जोड़ें: लाभ-हानि विनियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	854,85,27	480,08,97
घटाएं: लाभ व हानि विनियोजन खाते में अंतरित Less: Transfer to P&L Appropriation A/c	0	0
	1393,65,95	538,80,68
ग. विनिमय उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि c. Exchange Fluctuation Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	392,20,19	416,88,03
जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि Add: Addition during the year	31,52,99	0
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती (निवल) Less: Deduction during the year (Net)	4,29,74	24,67,84
	419,43,44	392,20,19

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
घ. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि		
d. Special Reserve under Sec.36 (1) (viii) of Income Tax Act,1961		
प्रारंभिक शेष		
Opening Balance	3268,66,00	1463,66,00
वर्ष के दौरान वृद्धि*		
Addition during the year*	<u>100,00,00</u>	<u>1805,00,00</u>
	3368,66,00	3268,66,00
ङ. अन्य आरक्षित निधि		
e. Other Reserve		
प्रारंभिक शेष		
Opening Balance	2583,64,75	0
वर्ष के दौरान वृद्धि*		
Addition during the year*	1013,10,00	3654,75,52
जोड़ें: लाभ-हानि विनियोजन खाते से अंतरित		
Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	216,41,29	0
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण		
Less: Withdrawal during the year	1028,95,00	1013,10,00
जोड़ें: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण		
Add: Transfer from Revaluation Reserve	151,88,74	127,57,44
घटाएं: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में अंतरण		
Less: Transfer to Revaluation Reserve	<u>7,20,62</u>	<u>185,58,21</u>
	2928,89,16	2583,64,75
V. लाभ व हानि लेखे में शेष राशि		
<u>Balance in Profit & Loss Account</u>		
प्रारंभिक शेष		
Opening Balance	0	-9927,30,23
वर्ष के दौरान वृद्धि*		
Addition during the year*	3456,96,36	-18780,61,59
घटाएं: लाभ-हानि की विवरणी के अनुसार विनियोजन		
Less: Appropriations as per Statement of Profit & Loss	3456,96,36	0
घटाएं: शेयर प्रीमियम से विनियोजन		
Less: Appropriation from Share Premium	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	28707,91,82
कुल (I, II, III, IV तथा V)	93284,69,23	88841,77,27
Total (I, II, III, IV and V)	93284,69,23	88841,77,27

*तुलनात्मक अवधि के लिए आरक्षित निधियों में वृद्धि/कटौती में समामेलन की तिथि पर अंतरित बैंकों की शेष राशि शामिल है।

*Addition/deduction in Reserves for the comparative period includes balances of transferee banks at date of amalgamation.

अनुसूची 3 – जमाराशियां
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

क. I मांग जमा राशियाँ
A. I Demand Deposits

(i) बैंकों से		
From Banks	3494,29,87	2305,40,98
(ii) अन्य से		
From Others	<u>78480,31,46</u>	<u>73240,83,93</u>
	81974,61,33	75546,24,91

II बचत बैंक जमा राशियाँ
Savings Bank Deposits

451679,60,54 **417236,77,20**

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
III मीयादी जमा राशियाँ Term Deposits		
(i) बैंकों से From Banks	31739,66,84	29160,44,34
(ii) अन्य से From Others	580824,56,25	584389,00,83
	612564,23,09	613549,45,17
कुल (I, II तथा III) TOTAL (I, II and III)	1146218,44,96	1106332,47,28
ख. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशि B. Deposits of branches In India	1125049,19,27	1083335,06,40
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियां Deposits of branches outside India	21169,25,69	22997,40,88
कुल TOTAL	1146218,44,96	1106332,47,28

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

I. भारत में उधार

Borrowings in India

(a) भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India		0	0
(b) अन्य बैंक Other Banks		49,45,84	4158,82,57
(c) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies		11183,97,86	7450,34,56
(d) गैर-जमानती मोचनीय बॉण्ड <u>Unsecured Redeemable Bonds</u>			
(i) टियर-I बॉण्ड (बेमीयादी ऋण लिखत) Tier-I Bonds (Perpetual Debt Instruments)	7766,00,00		6045,00,00
(ii) अपर टियर-II बॉण्ड Upper Tier-II Bonds	0		0
(iii) टियर II पूंजी के लिए अधीनस्थ ऋण Subordinate debts for Tier-II Capital	16843,00,00		16114,00,00
(iv) दीर्घावधि इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड Long term infrastructure bonds	2800,00,00	27409,00,00	2800,00,00
			24959,00,00

II. भारत के बाहर उधार राशियां

Borrowings outside India

कुल (I और II)/TOTAL (I and II)		7038,97,23	6272,13,94
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

उपरोक्त I और II में शामिल प्रतिभूति उधार Secured Borrowings included in I and II above		7251,31,04	4867,93,68
---	--	------------	------------

अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. देय बिल Bills Payable		3055,41,93	3208,40,96
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter-office adjustments (net)		568,41,34	430,37,79

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
III. उपचित ब्याज Interest accrued	2705,58,69	2642,53,25
IV. आस्थगित कर देयता (शुद्ध) Deferred Tax Liability (Net)	0	0
V. अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions)	21088,84,87	14241,20,32
कुल TOTAL	27418,26,83	20522,52,32

अनुसूची 6 – भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) <u>Cash in hand (including foreign currency notes)</u>	3491,54,63	3478,01,65
II. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि <u>Balance with Reserve Bank of India</u>		
(i) चालू खातों में in Current Account	53144,57,03	40480,81,18
(ii) अन्य खाते में in Other Accounts	0	0
कुल (I एवं II) TOTAL (I and II)	56636,11,66	43958,82,83

अनुसूची 7— बैंक के पास जमाशेष तथा मांग और अल्प सूचना पर देय राशि
SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

I. भारत में In India			
(i) बैंकों के पास शेष राशि: <u>Balances with Banks</u>			
(क) चालू खाते में (a) In Current Accounts	146,19,69	735,51,86	
(ख) अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit Accounts	15799,56,82	7085,88,49	
	15945,76,51		7821,40,35
(ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि: <u>Money at Call and Short Notice</u>			
(क) बैंकों के पास (a) with Banks	0	0	
(क) अन्य संस्थानों के पास (b) with Other Institutions	29129,47,96	27500,00,00	
	29129,47,96		27500,00,00
कुल (i एवं ii) TOTAL (i and ii)	45075,24,47		35321,40,35

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
II. भारत से बाहर		
Outside India		
(i) बैंकों के पास शेष Balances with Banks		
ए) चालू खातों में		
(a) In Current Accounts	9228,43,97	7204,21,53
बी) अन्य जमा खातों में		
(b) In Other Deposit Accounts	<u>21706,97,20</u>	<u>24865,25,74</u>
(ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि Money at Call and Short Notice	0	0
कुल (i एवं ii)	30935,41,17	32069,47,27
TOTAL (i and ii)		
समग्र जोड़ (I एवं II)	76010,65,64	67390,87,62
GRAND TOTAL (I and II)		

अनुसूची 8 – निवेश

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

I. भारत में निवेश

Investments in India in

(i) सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	323155,39,50	343771,97,53
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities	15,00	15,00
(iii) शेयर Shares	3264,81,13	4132,33,29
(iv) ऋण पत्र और बॉन्ड Debentures and Bonds	33566,82,92	34318,46,15
(v) सहायक और/या संयुक्त उद्यम (प्रायोजित संस्थानों सहित) Subsidiaries and/or joint ventures (including sponsored institutions)	1615,28,02	1600,28,02
(vi) अन्य Others	5568,97,99	4067,58,98
म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआरसीआईएल वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र आदि। Mutual Funds, Venture Capital Funds, ARCIL, Commercial Papers & Certificate of Deposits, etc.		
कुल TOTAL	367171,44,56	387890,78,97

II. भारत से बाहर निवेश

Investments outside India in

(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	1792,59,61	1241,86,43
(ii) विदेश में सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint ventures abroad	2108,85,50	2077,28,00
(iii) अन्य Other	1094,86,52	1773,32,00
कुल TOTAL	4996,31,63	5092,46,43
कुल योग (I और II)	372167,76,19	392983,25,40
GRAND TOTAL (I and II)		

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
III. भारत में निवेश Investments in India		
(i) निवेश का सकल मूल्य Gross value of investments	374006,94,95	394722,21,62
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधानों का जोड़ Aggregate of provisions for depreciation	6835,50,39	6831,42,65
(iii) शुद्ध निवेश Net investment	367171,44,56	387890,78,97
IV. भारत से बाहर निवेश Investments outside India		
(i) निवेश का सकल मूल्य Gross value of investments	5386,11,76	5452,49,07
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधानों का जोड़ Aggregate of provisions for depreciation	389,80,13	360,02,64
(iii) शुद्ध निवेश Net investment	4996,31,63	5092,46,43
(III और IV) का समग्र जोड़ GRAND TOTAL (III and IV)	372167,76,19	392983,25,40

**अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES**

क. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल A. Bills purchased and discounted	1309,04,78	600,95,28
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	442585,36,07	410280,57,55
(iii) मीयादी ऋण Term loans	284291,26,68	263348,55,19
कुल Total	728185,67,53	674230,08,02
ख. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत B. (इनमें बही ऋणों पर दिए गए 79487,54,42 हजार रुपए, पिछले वर्ष 64859,41,17 हजार रुपए अग्रिम शामिल हैं,) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts Rs.79487,54,42 thousands; Previous year Rs.64859,41,17 thousands)	545842,44,14	524608,48,02
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत Covered by Bank/Government guarantees	28475,67,46	15779,81,52
(iii) अप्रतिभूत Unsecured	153867,55,93	133841,78,48
कुल Total	728185,67,53	674230,08,02

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
ग. I. भारत में अग्रिम C. I. Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority sector	234687,04,75	243442,79,97
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public sector	171957,31,76	145971,76,23
(iii) बैंक Banks	2,36	4,94
(iv) अन्य Others	297480,51,28	265862,88,71
कुल Total	704124,90,15	655277,49,85
ग. II भारत से बाहर अग्रिम C. II. Advances outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य <u>Due from banks</u>	9091,98,74	8572,94,98
(ii) अन्य प्राप्य <u>Due from others</u>		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	0	20,12,05
(ख) सामूहिक ऋण (b) Syndicated loans	4466,84,84	4286,54,84
(ग) अन्य (c) Others	10501,93,80	6072,96,30
कुल Total	24060,77,38	18952,58,17
(सी I तथा सी II) का कुल योग GRAND TOTAL (C. I and C. II)	728185,67,53	674230,08,02

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को* As on 31.03.2021*
अनुसूची 10 – अचल आस्तियां		
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
क. मूर्त आस्तियां		
Tangible Assets		
I. परिसर		
Premises		
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत/मूल्यांकन पर At cost / valuation as on 31 st March of the preceding year	10463,83,43	6796,47,94
वर्ष के दौरान वृद्धि Add: Revaluation during the year	0	133,66,62
जोड़ें: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन Addition during the period	37,08,11	3556,07,78
	10500,91,54	10486,22,34
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the year	90,21	22,38,91
	10500,01,33	10463,83,43
अब तक मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकित राशि पर भी) Depreciation to date (Including on revalued amount)	1603,32,81	1424,87,88
	8896,68,52	9038,95,55
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्स्चर सहित)		
Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)		
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31 st March of preceding year	8743,68,89	4861,24,67
अवधि के दौरान जोड़ Addition during the period	411,07,71	3892,51,41
	9154,76,60	8753,76,08
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the period	12,33,68	10,07,19
	9142,42,92	8743,68,89
अब तक मूल्यह्रास Depreciation to date	7654,73,32	7077,77,38
	1487,69,60	1665,91,51
II. पट्टेवाली आस्तियां		
Leased Assets		
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31 st March of preceding year	25,23,86	25,23,86
	25,23,86	25,23,86
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन Addition/adjustment during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the year	0	0
	25,23,86	25,23,86
आज तक का परिशोधन/पट्टा समायोजन Amortisation/lease adjustment to date	25,23,86	25,23,86
	0	0
(I, II और III) का जोड़	10384,38,12	10704,87,06
TOTAL (I, II and III)	10384,38,12	10704,87,06

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को* As on 31.03.2021*
ख. अमूर्त आस्तियाँ		
B. Intangible Assets		
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		
Computer Software		
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31 st March of preceding year	1102,91,20	621,88,75
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the period	<u>106,40,23</u>	<u>481,02,45</u>
	1209,31,43	1102,91,20
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the year	<u>0</u>	<u>0</u>
	1209,31,43	1102,91,20
आज तक परिशोधित Amortised to date	<u>920,08,16</u>	<u>786,88,52</u>
कुल		
TOTAL	289,23,27	316,02,68
(क और ख) का कुल योग		
GRAND TOTAL of (A and B)	10673,61,39	11020,89,74

*सकल ब्लॉक में वृद्धि और आज तक मूल्यहास में समामेलन की तिथि के अनुसार अंतरित बैंकों की शेष राशि शामिल है और शुद्ध ब्लॉक में बिना किसी प्रभाव के पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

*Addition to gross block and depreciation to date includes balances of transferee Banks as at date of amalgamation and is recasted with no impact in net block.

अनुसूची 11 – अन्य आस्ति

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter-office adjustments (net)	0	0
II. उपचित ब्याज Interest accrued	7937,73,45	7944,78,38
III. अग्रिम अदा किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	12024,11,36	9791,78,30
IV. स्टेशनरी और टिकट Stationery and stamps	4,81,66	10,18,97
V. दावों के निपटान से प्राप्य गैर-बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	50,20,97	50,21,37
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध) Deferred tax asset (net)	25512,84,80	27054,20,11
VII. अन्य Others	25601,47,61	26197,50,84
(प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी के कारण 15368,56,98 हजार रुपये पिछले वर्ष 19102,70,88 हजार रुपए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी आदि के साथ जमा राशि शामिल हैं।) [includes deposits with NABARD/SIDBI/NHB, etc. Rs.15368,56,98 thousands on account of shortfall in priority sector targets; Previous year Rs. 19102,70,88 thousands)		
कुल		
TOTAL	71131,19,85	71048,67,97

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. (i) बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	617,09,26	588,57,72
(ii) अपील, सन्दर्भों आदि के अधीन विवादित आयकर व ब्याज कर मांगें Disputed income tax and interest tax demands under appeals, references, etc.	11427,55,85	9835,82,17
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं Liability for partly paid investments	351,86,55	377,98,55
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	516739,35,20	301400,36,11
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	48174,00,53	51183,78,98
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	2789,09,25	2085,76,27
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	19631,58,62	13287,96,53
VI. ऐसी अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	5449,50,20	4519,51,81
कुल TOTAL	605180,05,46	383279,78,14

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है)/(Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
अनुसूची 13 – अर्जित लाभांश		
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट Interest/discount on advances/bills	48498,30,57	53351,19,90
II. निवेशों से आय Income on Investments	23487,17,50	24634,45,89
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष और अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	2285,53,50	1898,62,07
IV. अन्य Others	608,52,12	934,12,41
कुल TOTAL	74879,53,69	80818,40,27

अनुसूची 14 – अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	3559,59,18	3840,53,85
II. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on sale of Investments	3339,48,40	4503,90,25
घटाएं: निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on sale of Investments	170,41,79	153,99,40
	3169,06,61	4349,90,85
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ Profit on revaluation of investments	1079,52,25	993,99,18
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of investments	1313,50,08	1814,89,38
	-233,97,83	-820,90,20
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	15,26,90	5,02,37
घटाएं: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	92,15	17,77,76
	14,34,75	-12,75,39
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ Profit on exchange transactions	907,65,57	1060,04,54
घटाएं: विनिमय लेनदेन पर हानि Less: Loss on exchange transactions	212,32,53	574,51,91
	695,33,04	485,52,63
VI. विदेशों/भारत में सहायक कंपनियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India	46,13,84	139,72,63
VII. विविध आय Miscellaneous Income (बड़े खाते में डाले गए खातों में 3440,63,84 हजार रुपये, पिछले वर्ष 2497,64,12 हजार रूपए की वसूली शामिल है, (includes recovery in written off accounts Rs.3440,63,84 thousands; Previous Year Rs.2497,64,12 thousands)	5069,46,20	3940,27,12
कुल TOTAL	12319,95,79	11922,31,49

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है)/(Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
अनुसूची 15 – खर्च किया गया ब्याज		
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	43237,49,73	47150,04,30
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ Inter-bank borrowings	516,30,71	881,75,13
III. अन्य Others	2431,27,22	2240,99,70
कुल TOTAL	46185,07,66	50272,79,13

अनुसूची 16 –परिचालन खर्च
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	11841,00,68	12175,73,58
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	1286,25,07	1294,88,88
III. मुद्रण और लेखन – सामग्री Printing and stationery	155,84,06	127,80,25
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	83,75,31	55,79,10
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास Depreciation on bank's property	888,60,51	974,91,80
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	107,32	77,71
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	63,04,81	83,53,98
VIII. विधि प्रभार Law charges	75,06,72	74,54,66
IX. पोस्टेज, टेलीग्राम, दूरभाष, आदि। Postage, Telegrams, Telephones, etc.	330,71,76	289,82,85
X. मरम्मत और रखरखाव Repairs and maintenance	558,16,26	483,25,96
XI. बीमा Insurance	1521,55,14	1470,87,37
XII. अन्य व्यय Other expenditure	3447,51,87	3276,78,61
कुल TOTAL	20252,59,51	20308,74,75

अनुसूची 17 : (एकल) 31.03.2022 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं तथा समस्त महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानदण्ड (एएस) तथा ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल हैं।

विदेशी कार्यालयों के सम्बन्ध में, संबंधित देशों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया गया है, अन्यत्र यथाविनिर्दिष्ट के अतिरिक्त।

वित्तीय विवरणियों को उपचय अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किया गया है तथा लेखांकन नीतियां एवं निरंतर अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हों।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणियों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचारार्थ अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेक सम्मत और तर्कसंगत हैं।

भावी परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर का निर्धारण उस अवधि में पहचाना गया है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यावित हुए हैं।

वर्तमान एवं भावी अवधि में लेखांकन अनुमानों में किसी प्रकार का संशोधन भविष्यलक्षी प्रभाव से माना जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो।

3. राजस्व निर्धारण

3.1 आय/व्यय (पैरा 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को सामान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

SCHEDULE 17 : (STANDALONE) 31.03.2022 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India unless otherwise stated encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with except as specified elsewhere.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Future results could differ from these estimates.

Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. REVENUE RECOGNITION:

3.1 Income & expenditure (other than items referred to in paragraph 3.5) are generally accounted for on accrual basis.

- 3.2** अग्रिमों और निवेशों को मिलाकर अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से आय का निर्धारण वसूली होने पर किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों के विनियम (जिसे इसके पश्चात् समेकित रूप से विनियामक प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार है।
- 3.3** प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोग का तरीका निम्नानुसार होगा:
- (क) एनपीए खातों की वसूलियां (वसूली कार्रवाई की विधि/स्थिति/चरण पर विचार किये बिना) नीचे उल्लिखित मदों (ख) एवं (ग) के तहत कवर किए गए मामलों को छोड़कर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में विनियोजित की जाएगी:
- सरफेसी कार्रवाई के अधीन सहित वसूली हेतु किए गए व्यय/फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकार्ड किये गये)
 - इसके बाद ब्याज अनियमितताओं/उपचित ब्याज के प्रति
 - प्रमुख अनियमितताएं अर्थात् खाते में बकाया एनपीए
- उपरोक्त में किसी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी-III (एचओसीएसी – तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति द्वारा अपनी निहित शक्तियों के तहत प्रस्तावों के लिए विचार किया जा सकता है।
- (ख) हालाँकि, एनसीएलटी के माध्यम से समझौता एवं समाधान/निपटान के मामले में, वसूली संबंधित समझौता/समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाएगी।
- (ग) वाद दायर/डिक्री खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी:
- संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।
 - न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, जैसा कि ऊपर बिंदु (क) में बताया गया है।
- 3.4** एनपीए की बिक्री, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत प्रकटीकरण के अनुसार लेखांकित किया गया है।
- 3.5** कमीशन, (सरकारी कारोबार, बीमा व्यापार, म्यूच्युअल फंड व्यापार, साखपत्र एवं बैंक गारंटी को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराए, व्यापार बैंकिंग लेनदेनों से प्राप्त आय और 'व्यापार' के रूप में नामित रूपया व्युत्पन्नी पर आय वसूली होने पर और बीमा दावों को निपटान पर लेखांकित किया जाता है। अतिदेय देशी बिलों पर ब्याज को वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज को इसका क्रिस्टलीकरण होने तक क्रिस्टलीकरण पर तथा उसके बाद वसूली होने पर ब्याज में लिया जाता है।
- 3.2** Income from Non- Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments, is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in the case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities).
- 3.3** Mode of appropriation of recovery in order of priority will be as below:
- Recoveries in NPA accounts (irrespective of the mode / status / stage of recovery actions) shall be appropriated in the following order of priority except for the cases covered under below mentioned points (b) & (c):
 - Expenditure/Out of Pocket Expenses incurred for Recovery, including under SARFAESI Action (Recorded in Memorandum Dues);
 - Thereafter towards the unrealised/accrued interest.
 - Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account.
- Any exceptions to the above may be considered by HOCAC-III (for proposals falling under the powers of various committee's upto HOCAC-III) & Management Committee for proposals under its vested powers.
- However, in case of Compromise and Resolution/Settlement through NCLT, recovery shall be appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution settlement.
 - In case of suit filed/decreed accounts, recovery shall be appropriated as under:-
 - As per the directives of the concerned Court.
 - In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point (a) above.
- 3.4** The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI and as disclosed under Para 5.3.
- 3.5** Commission (excluding on Government Business, Insurance Business, Mutual Fund Business, Letter of Credit and Bank Guarantee), exchange, locker rent and Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" are accounted for on realization and insurance claims are accounted for on settlement. Interest on overdue inland bills is being accounted for on realization and interest on overdue foreign bill, till its crystallization is accounted for on crystallization and thereafter on realization.

- 3.6** वाद दायर खातों के मामले में संबंधित कानूनी और अन्या खर्चे लाभ – हानि लेखे में डाले जाते हैं और इसकी वसूली होने पर उनकी गणना तदनुसार की जाती है।
- 3.7** आयकर के रिफंड पर ब्याज से होने वाली आय को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।
- 3.8** ऑपरेटिंग पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (लीज़ेस) के अनुसार लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है।
- 3.9** क्रेडिट कार्डों पर रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया प्वाइंट्स पर आधारित है।
- 3.10** मीयादी जमा (टीडी) परिपक्व होता है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, देय होगी।
- 3.11** लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश की गणना की जाती है।

4. निवेश

- 4.1** प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" को दर्ज किया जाता है।
- 4.2** निवेशों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए में यथानिर्दिष्ट छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- 4.3** नीचे दिए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" तथा "व्यापार हेतु धारित" श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:
- (क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में रखा गया है।
- (ख) बैंक द्वारा अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर उतार-चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार हेतु रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को "व्यापार हेतु धारित" निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।
- (ग) जो प्रतिभूतियां उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती उन्हें "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी के अधीन वर्गीकृत किया गया है।
- 4.4** अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 4.5** प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से निम्न मूल्य पर किया जाता है। यदि ऐसे अंतरण पर कोई मूल्यहास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया गया है। हालांकि प्रतिभूतियों का अंतरण एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात् ये प्रतिभूतियां तुरंत पुनर्मूल्यांकित की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है।

- 3.6** In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted for as such.
- 3.7** Income from interest on refund of income tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.
- 3.8** Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.
- 3.9** Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.
- 3.10** Term Deposit (TD) matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank shall attract rate of interest as applicable to savings account or the contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower.
- 3.11** Dividend (excluding Interim Dividend) is accounted for as and when the right to receive the dividend is established.

4. INVESTMENTS:

- 4.1** The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".
- 4.2** Investments are classified into six categories as stipulated in form A of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 4.3** Investments have been categorized into "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" in terms of RBI guidelines as under:
- (a) Securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity are classified under "Held to Maturity".
- (b) The securities acquired by the Bank with an intention to trade by taking advantages of short-term price/ interest rate movements are classified under "Held for Trading".
- (c) The securities, which do not fall within the above two categories, are classified under "Available for Sale".
- 4.4** Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as HTM.
- 4.5** Transfer of securities from one category to another is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

निवेश को उसकी खरीददारी के समय ही एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और विभिन्न श्रेणियों के बीच तत्संबंधी शिफ्टिंग विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में:

- (ए) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में अदा की गई दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) इत्यादि को अग्रिम राजस्व व्ययों के रूप में माना गया है और इसे लागत से बाहर रखा गया है।
- (बी) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तारीख तक अर्जित ब्याज अर्थात् खंडित अवधि के लिए ब्याज की अधिग्रहण लागत/ बिक्री के प्रतिफल से बाहर रखा गया है और इसकी गणना उपचित ब्याज में की गई है न कि देय खाते में।
- (सी) निवेशों की सभी श्रेणियों के लिए लागत का निर्धारण भारत औसत लागत पद्धति के आधार पर किया गया है।

4.7 भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईएमएडीए के दिशा-निर्देशानुसार, निवेश का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

परिपक्वता तक धारित :

- (i) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अधीन निवेशों को अर्जन लागत पर लिया गया है।
जहाँ कहीं अंकित मूल्य/प्रतिदान मूल्य से बही मूल्य अधिक हो तो प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर परिशोधित किया जाता है। "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत आय के विरुद्ध ऐसे प्रीमियम का परिशोधन प्रदर्शित किया गया है।
- (ii) अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में अस्थायी निवेश से भिन्न प्रत्येक व्यक्तिगत निवेशों की प्रकृति में किये गये निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत में से ह्रास को हटाकर किया गया है।
- (iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।
- (iv) उद्यम पूंजी में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।
- (v) एचटीएम श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयर का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

बिक्री हेतु उपलब्ध और व्यापार हेतु धारित :

(ए)	सरकारी प्रतिभूतियां
I. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्सड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएडीए) फाईनेशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा यथा प्रकाशित बाजार मूल्यों/परिपक्वता पर आय पर
II. राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	एफआईएमएडीए/ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय आधार पर

An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

4.6 In determining acquisition cost of an investment

- (a) Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT) etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.
- (b) Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities i.e. broken- period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted in interest accrued but not due account.
- (c) Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investments.

4.7 Investments are valued as per RBI/ FIMMDA guidelines, on the following basis:

Held to Maturity

- (i) Investments under "Held to Maturity "category are carried at acquisition cost.
Wherever the book value is higher than the face value/redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity on straight line basis. Such amortization of premium is **reflected in Interest Earned** under the head "Income on investments" as a deduction.
- (ii) Investments in subsidiaries/joint ventures/ associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature for each investment individually.
- (iii) Investments in sponsored regional rural banks are valued at carrying cost.
- (iv) Investment in Venture Capital is valued at carrying cost.
- (v) Equity shares held in HTM category are valued at carrying cost.

Available for Sale and Held for Trading:

(a)	Govt. Securities
I. Central Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL).
II. State Govt. Securities	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.

(बी)	केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटी वाली प्रतिभूतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉण्ड (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं)	एफआईएमएमडीए/ भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय आधार पर
(सी)	ट्रेज़री बिल	रखाव लागत पर
(डी)	इक्विटी शेयर	यदि कोट किया गया हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा नवीनतम तुलन-पत्र (जो एक वर्ष से पुराना न हो) के अनुसार शेयरों के ब्रेक-अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु.1/-
(ई)	अधिमानी शेयर	यदि कोट किया गया हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए मार्गनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय पर किंतु प्रतिदान मूल्य से अधिक नहीं
(एफ)	बाण्ड और डिबेंचर (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं)	यदि कोट किया गया हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए मार्गनिर्देशों के अनुसार, उपयुक्त परिपक्वता आय पर
(जी)	म्यूचुअल फण्डों के यूनिट	यदि कोट किया गया हो तो स्टॉक एक्सचेंज के भाव के अनुसार और यदि कोट न किया गया हो, तो पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर
(एच)	वाणिज्यिक पत्र	रखाव लागत पर
(आई)	जमा प्रमाणपत्र	रखाव लागत पर
(जे)	एआरसीआईएल की प्रतिभूति रसीदें	एआरसीआईएल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आस्तिक के निवल आस्तिक मूल्य पर
(के)	उद्यम पूँजी निधियाँ	उद्यम पूँजी निधियों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आस्तिक के निवल आस्तिक मूल्य पर (एनएवी)
(एल)	अन्य निवेश	लागत में मूल्यह्रास को घटाकर रखाव लागत पर

(b)	Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/ RBI guidelines
(c)	Treasury Bills	At carrying cost
(d)	Equity shares	At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet (not more than one year old), otherwise at Re.1 per company
(e)	Preference shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/ FIMMDA guidelines.
(f)	Bonds and debentures (not in the nature of advances)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis as per RBI/ FIMMDA guidelines.
(g)	Units of mutual funds	As per stock exchange quotation, if quoted; at repurchase price/NAV, if unquoted
(h)	Commercial Paper	At carrying cost
(i)	Certificate of Deposits	At carrying cost
(j)	Security receipts of ARCIL	At net asset value of the asset as declared by ARCIL
(k)	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF
(l)	Other Investments	At carrying cost less diminution in value

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी वर्ग में उपर्युक्त मूल्यांकन प्रत्येक स्क्रिप के लिए अलग-अलग तिमाही आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास/वृद्धि जोड़ी जाती है। यदि शुद्ध मूल्यह्रास है तो प्रत्येक वर्गीकरण के लिए प्रावधान किया जाता है जबकि शुद्ध वृद्धि दर्शायी नहीं जाती है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर व्यक्तिगत प्रतिभूति का बही मूल्य बाज़ार हेतु चिह्नित करने के पश्चात् अपरिवर्तित रहता है।

4.8 भारतीय रिज़र्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण तथा आय अमान्यीकरण के अधीन हैं। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/ प्रावधान, अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में वृद्धि के प्रति समंजन (सैट ऑफ) नहीं किया गया है।

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.

4.8 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

एक ईकाई द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा यदि बैंक की बही में एनपीए है, तो उसी ईकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीआई के रूप में या इसके विपरीत क्रम में माना जाएगा। तथापि एनपीआई अधिमानी शेरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता वहां तदनुसूची ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों अर्थात् बांड, डिबेंचर आदि के मामले में जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया जाता है, वहां प्रावधान वाईटीएम या आईआरएसी मानदंड, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया गया है।

- 4.9** किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ व हानि लेखे में ले जाया जाता है किंतु 'परिपक्वता हेतु धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ के मामले में उसकी समतुल्य राशि (सांविधिक रिजर्व में अंतरित की जाने वाली राशि और कर घटाकर) 'पूँजी प्रारक्षित निधि' खाते में विनियोजित की जाती है।
- 4.10** वापस खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत पुनःखरीदी/पुनः बेची गयी प्रतिभूतियों को उनकी मूल लागत पर लेखांकित किया जाता है।
- 4.11** रेपो व रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची व खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्षिक उधार व उधारी लेन-देनों के तौर पर लिया जाता है। हालांकि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद लेन-देन के मामले में प्रतिभूतियों को अंतरित किया जाता है तथा प्रतिभूतियों का ऐसा संचालन रिपो/रिवर्स रेपो खातों का प्रयोग करके और प्रति प्रविष्टियों में प्रदर्शित होता है। उक्त प्रविष्टियों परिपक्वता तिथि पर रिवर्स की जाती है। लागत व राजस्व को ब्याज व्यय/आय माना जाता है, जैसा भी मामला हो। रेपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधारी) तथा रिवर्स रिपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंक के पास शेष तथा मांग व अल्प सूचना पर देय राशि नोटिस) के अंतर्गत रखा जाता है। यह आरबीआई के साथ एलएएफ पर भी लागू होता है।
- 4.12** व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) लेन-देन व्यापार अथवा प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किये गये हैं। व्यापारिक लेन-देन बाजार मूल्य पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अदलाबदली की विभिन्न श्रेणियों का निम्नवत् मूल्यन किया गया है:

बचाव अदला बदली (हैज स्वैप)

ब्याज दर अदला-बदली जो ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की प्रतिरक्षा करती है, को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोड़कर जो वित्तीय विवरणी में बाजार मूल्य अथवा लागत में से कम कीमत पर लिया जाता है।

अदला बदली की समाप्ति पर लाभ या हानि को अदलाबदली की शेष संविदागत अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि में से जो भी कम हो, पर माना जाता है।

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

In case of securities i.e. bonds, debentures, etc. where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.

- 4.9** Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve) is appropriated to "Capital Reserve Account".
- 4.10** Securities repurchased/resold under buy back arrangement are accounted for at original cost.
- 4.11** The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).The same is also applicable to LAF with RBI.
- 4.12** The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:-

Hedge Swaps

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at market value or lower of cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

व्यापारिक अदला बदली (ट्रेडिंग स्वाप)

व्यापारिक अदलाबदली की लेन देन को वित्तीय विवरणियों में रिकार्ड किए गए परिवर्तनों सहित बाज़ार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है।

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए गए एक्सचेंज में किये गए डेरीवेटिव्स सौदे एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित ब्याज दर पर मूल्यांकित किए जाते हैं और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है।

4.13 विदेशी मुद्रा विकल्प:

अन्य बैंक के साथ बैंक टू बैंक कान्ट्रेक्ट के रूप में बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाज़ार मूल्य पर नहीं है, क्योंकि इसमें बाज़ार जोखिम नहीं है।

प्राप्त प्रीमियम को देयता के रूप में रखा गया है और परिपक्वता/निरस्तीकरण पर लाभ व हानि लेखे में अन्तर्गत किया गया है।

5. ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधान

5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में किया जाता है और उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

(ए) अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(बी) अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों की उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को घटाकर उल्लेखित हैं।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में ऋणों एवं अग्रिमों, का वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भा.रि.बैंक मानक, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया गया है।

विदेशी शाखाओं में रखे ऋण एवं अग्रिम जो वसूली के रिकार्ड के अलावा अन्य कारणों के लिए मेजबान देश के विनियमों के अनुसार क्षति के रूप में चिह्नित हैं, किंतु जो भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टैण्डर्ड हैं, को मेजबान देश में बकाया राशि की सीमा तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित रूप में माना गया है :

- (ए) एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री हेतु
- यदि एससी/आरसी को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) से नीचे की कीमत पर की गई है तो उस वर्ष कमी को लाभ व हानि खाते में डेबिट करना चाहिए। बैंक एनपीए की बिक्री पर अर्थात् जब बिक्री निवल बही मूल्य से कम कीमत पर की गई हो तो पाई गई कमी को पूरा करने हेतु प्रतिक्रिय/फ्लोटिंग प्रावधान भी कर सकता है।
 - यदि बिक्री निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य पर की गई है, तो बैंक इस वर्ष इसके लाभ व हानि खातों में प्राप्त राशि

Trading Swaps

Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

4.13 Foreign Currency Options:

Foreign currency options written by the bank with a back-to-back contract with another bank are not marked to market since there is no market risk.

Premium received is held as a liability and transferred to the Profit and Loss Account on maturity/cancellation.

5. LOANS / ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets; provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by RBI.

(a) Advances are classified: Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

(b) Advances are stated net of specific loan loss provisions, provision for diminution in fair value of restructured advances.

5.2 In respect of foreign offices, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

Loans and advances held at the overseas branches that are identified as impaired as per host country regulations for reasons other than record of recovery, but which are standard as per the extant RBI guidelines, are classified as NPAs to the extent of amount outstanding in the host country.

5.3 Financial Assets sold are recognized as under:

- (a) For Sale of financial assets sold to SCs/RCS
- If the sale to SCs/RCS is at a price below the Net Book Value (NBV), (i.e. Book Value less provisions held), the shortfall should be debited to the Profit & Loss account of that year. Bank can also use counter cyclical / floating provisions for meeting the shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.
 - If the sale is for a value higher than the NBV, Bank can reverse the excess provision on sale of NPAs to its profit and loss account in the year, the amounts

में से एनपीए की बिक्री पर अतिरिक्त प्रावधान वापस ले सकता है। तथापि, बैंक एनपीए की बिक्री से अतिरिक्त प्रावधान (जब बिक्री निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य पर की गई है) तभी रिवर्स कर सकता है, जब प्राप्त नकदी (प्रारम्भिक प्रतिफल और/अथवा एसआर/पीटीसी की छूट के माध्यम से) आस्तियों की एनबीवी से अधिक हो। आगे, अतिरिक्त/प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त अतिरिक्त नकदी तक सीमित होगी।

- (बी) अन्य, बैंक/एनबीएफसी/एफआई इत्यादि को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री हेतु
- निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर बिक्री करने के मामले में अर्थात् बही मूल्य से प्रावधान घटा कर कमी को उस वर्ष लाभ व हानि लेखे से डेबिट करना चाहिए।
 - यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर है अर्थात् बही मूल्य से प्रावधान घटा कर, अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा किंतु अन्य गैर निष्पादित वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री खातों और कमी/हानि को पूरा करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा।
 - यदि यहाँ बिक्री लेनदेन में अतिरिक्त प्रावधान से अधिक अधिशेष है तो अधिशेष राशि को लाभ और हानि खातों में लिया जाएगा।

5.4 पुनःसंरचित आस्तियाँ :

अग्रिमों के पुनः संरचना/पुनः निर्धारण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पुनर्संरचित खाते के उचित मूल्य में कमी के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

बैंक एक पुनर्संरचित खाता उसे मानता है जहां बैंक ने उधारकर्ताओं की वित्तीय कठिनाईयों से संबंधित आर्थिक और विधिक कारणों हेतु उधारकर्ता को रियायत दी है। पुनर्संरचना में सामान्यतया अग्रिमों/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होगा जिसमें अन्य के अलावा पुनर्भुगतान अवधि/पुनर्भुगतान राशि/किशतों की राशि/ब्याज की दर/क्रेडिट सुविधाओं का रोल ओवर/अतिरिक्त ऋण सुविधा की स्वीकृति/मौजूदा क्रेडिट सीमाओं में वृद्धि/समझौता जहां निपटारे की राशि के भुगतान के लिए समय तीन महीने से अधिक हो गया हो। पुनर्गठित खाते बैंक द्वारा केवल पुनर्गठन पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन के पश्चात् ही इस तरह वर्गीकृत किए जाते हैं।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत मानक खाते हैं और बैंक द्वारा पुनर्संरचना पर एक ही श्रेणी में रखे गए एनपीए खाते केवल तभी अपग्रेड किए जाते हैं जब खाते में सभी बकाया ऋण / सुविधाएं/निर्दिष्ट अवधि' के दौरान 'संतोषजनक प्रदर्शन' प्रदर्शित करती हैं (अर्थात्, उधारकर्ता इकाई से सम्बंधित भुगतान कभी भी बकाया न हो)

are received. However, Bank can reverse excess provision (when the sale is for a value higher than the NBV) arising out of sale of NPAs, only when the cash received (by way of initial consideration and/ or redemption of SRs/ PTCs) is higher than the NBV of the asset. Further, reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

- (b) For Sale of financial assets sold to Other Banks/NBFCs/ FIs etc.
- In case the sale is at a price below the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the shortfall should be debited to the Profit & Loss A/c of that year.
 - In case the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the excess provision shall not be reversed but will be utilized to meet the shortfall / loss on account of sale of other Non Performing Financial Assets.
 - In case there is overall surplus over and above the excess provision in any of the sale transaction that surplus amount will be taken in the Profit & loss a/c.

5.4 Restructured Assets:

For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with guidelines issued by RBI from time to time. Necessary provision for diminution in the fair value of a restructured account is made.

The bank considered a restructured account as one where the bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants concessions to the borrower. Restructuring would normally involve modification of terms of the advances / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount/ the amount of installments / rate of interest / roll over of credit facilities / sanction of additional credit facility / enhancement of existing credit limits / compromise settlements where time for payment of settlement amount exceeds three months. Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

Standard accounts classified as NPA and NPA accounts retained in the same category on restructuring by the bank are upgraded only when all the outstanding loan / facilities in the account demonstrate 'satisfactory performance' (i.e., the payments in respect of borrower entity are not in default at any point of time) during the 'specified period'.

‘निर्दिष्ट अवधि’ का मतलब है कि समाधान योजना (आरपी) के कार्यान्वयन की तिथि से लेकर उस तिथि तक की अवधि जब समाधान योजना के अनुसार बकाया मूलधन का कम से कम 20 प्रतिशत और पुनर्गठन के हिस्से के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि है, चुकाया जा चुका हो। बशर्ते निर्दिष्ट अवधि समाधान योजना की शर्तों के तहत अधिस्थगन की सबसे लंबी अवधि के साथ क्रेडिट सुविधा पर ब्याज या मूलधन (जो भी बाद में हो) के पहले भुगतान के शुरू होने से एक वर्ष पहले समाप्त नहीं हो सकती है।

बड़े खातों के लिए (अर्थात् ऐसे खाते जहां उधारदाताओं का कुल जोखिम 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है) अपग्रेड करने एवं नियम अनुसार बनाने तथा संतोषजनक कार्यनिष्पादन के प्रतिपादन के अतिरिक्त बैंक ऋण रेटिंग के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त सीआरए द्वारा निर्धारित अवधि के अंत तक उधारकर्ताओं की ऋण सुविधाएं भी निवेश ग्रेड (बीबीबी-या बेहतर) के रूप में आंकी जाएंगी। जबकि रु.500 करोड़ और उससे अधिक के कुल जोखिम वाले खातों को दो रेटिंगों की आवश्यकता होगी, रु.500 करोड़ से कम वाले खातों को एक रेटिंग की आवश्यकता होगी। यदि रेटिंग सीआरए की आवश्यक संख्या से अधिक प्राप्त की जाती हैं, तो ऐसी सभी रेटिंग अपग्रेड हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए निवेश ग्रेड होगी।

यदि निर्दिष्ट अवधि के दौरान खाते द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो तत्काल इस खाते को, पुनर्गठन से पहले मौजूद पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे खातों के लिए भविष्य में अपग्रेड होना उसके एक नए समाधान योजना के कार्यान्वयन एवं उसके बाद संतोषजनक प्रदर्शन के ऊपर निर्भर होगा।

- 5.5** एनपीए पर वर्गीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किया गया है। ये प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में “अन्य देयताएं व प्रावधान – अन्य” शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है और निवल एनपीए निकालने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है।
- 5.6** भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए त्वरित प्रावधान किया गया जिसे बैंक द्वारा पूर्व में एसएमए –2 श्रेणी के अंतर्गत सैन्ट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) को विशेष वर्णित खाते में रिपोर्ट नहीं किया जाता था।
- 5.7** पूर्व वर्षों में बट्टे खाते ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि और प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है और इसे लाभ-हानि खातों में लिया जाता है।

‘Specified period’ means the period from the date of implementation of Resolution plan (RP) up to the date by which at least 20 percent of the outstanding principal debt as per the RP and interest capitalization sanctioned as part of the restructuring, if any, is repaid. Provided that the specified period cannot end before one year from the commencement of the first payment of interest or principal (whichever is later) on the credit facility with longest period of moratorium under the terms of RP.

For the large accounts (i.e., accounts where the aggregate exposure of lenders is Rs 100 crore and above) to qualify for an upgrade, in addition to demonstration of satisfactory performance, the credit facilities of the borrower shall also be rated as investment grade (BBB- or better) as at the end of the ‘specified period’ by CRAs accredited by the Reserve Bank for the purpose of bank loan ratings. While accounts with aggregate exposure of Rs 500 crore and above shall require two ratings, those below Rs 500 crore shall require one rating. If the ratings are obtained from more than the required number of CRAs, all such ratings shall be investment grade to qualify for an upgrade.

In case satisfactory performance during the specified period is not demonstrated, the accounts, immediately on such default, are reclassified as per the repayment schedule that existed before the restructuring. Any future upgrade for such accounts would be contingent on implementation of a fresh RP and demonstration of satisfactory performance thereafter.

- 5.5** In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head “Other Liabilities & Provisions – Others” and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- 5.6** In accordance with RBI guidelines, accelerated provision is made on non-performing advances which were not earlier reported by the Bank as Special Mention Account under “SMA-2” category to Central Repository of Information on Large Credits (CRILC).
- 5.7** Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

5.8 देश एक्सपोजर के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त किसी देश के एक्सपोजरों (अपने देश के अलावा अन्य) के लिए भी प्रावधान किया गया है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों अर्थात् मामूली, कम, मध्यम कम, मध्यम, उच्च, मध्यम उच्च और बहुत उच्च में वर्गीकृत किया गया है और प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक देश के मामले में यदि बैंक का देश एक्सपोजर (निवल) कुल वित्त पोषित आस्तियों की 1% से अधिक नहीं है तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। यह प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं एवं प्रावधान 'अन्य' के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

- 5.9 भारतीय कम्पनियों की स्टेप डाउन अनुबंधियों के सभी एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्ति के विरुद्ध 2% का एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है (सभी ओवरसीज एक्सपोजरों पर लागू कंट्री जोखिम के अतिरिक्त) ताकि ढांचे की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्रधिकार में विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं की अवास्थिति होने से भारतीय कंपनी और उससे काफी हद तक राजनैतिक और नियामक जोखिम के लिए बैंक एक्सपोजर हो सकता है। (आरबीआई परि.सं. RBI/2015.16/279 DBR.IB.DC No.68/23.37.001/2015-16 दिनांक 31.12.2015 के अनुसार)।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

- 6.1 जिन परिसरों का पुनर्मूल्यन हो चुका है उन्हें छोड़कर संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण को उनकी परम्परागत लागत में से संचित मूल्यहास/परिशोधन को घटाकर दिखाया जाता है पुनर्मूल्यन पर हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास को उसमें से कम कर दिया जाता है।
- 6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त आस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।
- 6.3 खरीददारी की लागत सहित सभी खर्च जैसे साइट तैयार करना, संस्थापना लागत, पूंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च की गयी व्यवसायिक फीस लागत में शामिल है। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती खर्च केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों या उनकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।
- 6.4 मूल्यहास
- ए. आस्तियों (भूमि सहित जहां कीमत अलग न की जा सकती हो) पर मूल्यहास के लिये प्रावधान आस्ति की प्रत्याशित आयु पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है। कम्प्यूटरों को छोड़कर जहां इसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर सीधी रेखा पद्धति से की जाती है।

5.8 Provision for Country Exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high & very high and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the "Other liabilities & Provisions – Others".

- 5.9 An additional provision of 2% (in addition to country risk provision that is applicable to all overseas exposures) against standard assets representing all exposures to step down subsidiaries of Indian Corporates has been made to cover the additional risk arising from complexity in the structure, location of different intermediary entities in different jurisdictions exposing the Indian Company, and hence the Bank, to a greater political and regulatory risk. (As per RBI Cir.No. RBI/2015.16/279 DBR. IB.DC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 dated 31.12.2015).

6. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:

- 6.1 Property, Plant & Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization, wherever applicable, except those premises, which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.
- 6.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets.
- 6.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- 6.4 DEPRECIATION:
- A. Depreciation on assets (including land where value is not separable) is provided on straight-line method based on estimated life of the asset, except in respect of computers where it is calculated on the straight-line method, at the rates prescribed by RBI.

बी. ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर किया गया है :

विवरण	मूल्यह्रास की दर
परिसर	
फ्रीहोल्ड संपत्ति	
भूमि	शून्य
निर्माण लागत पर प्रदान की जाने वाली मूल्यह्रास दर जहाँ भूमि की लागत को अलग किया जाता है और कुल लागत पर जहाँ भूमि की लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती और उसे अलग नहीं किया जा सकता है	2.5% (40 वर्ष सीधी रेखा विधि या शेष आयु जो भी कम हो)
बेमियादी पट्टे पर ली गई भूमि जहाँ पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है	शून्य
पट्टे पर ली गई भूमि जहाँ पट्टे की अवधि का उल्लेख है	पट्टे की अवधि पर
भवन	
फ्री होल्ड और पट्टे वाली भूमि पर निर्मित, जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है।	2.50%
पट्टे वाली भूमि पर निर्मित जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है	पट्टे की अवधि पर
परिसरों के अतिरिक्त चल परिसंपत्तियां	
फर्नीचर और फिक्सचर्स-स्टील वस्तुएं	5.00%
फर्नीचर और फिक्सचर्स-लकड़ी की वस्तुएं	10.00%
गद्दे	20.00%
मोबाइल फोन उपकरण	33.33%
मशीनरी, बिजली की वस्तुएं और विविध वस्तुएं	15.00%
मोटर-कारें एवं साइकलें	15.00%
कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं लैप टॉप, आईपैड आदि	33.33%
सर्वर्स, नेटवर्क, उपकरण एवं स्वचालित टेलर मशीन (कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अनिवार्य भाग सॉफ्टवेयर निर्माण के साथ)	

B. Depreciation on assets has been provided at the rates furnished below:-

Particulars	Rate of Depreciation
PREMISES	
Freehold Properties	
Land	NIL
Depreciation to be provided on Construction Cost where the land cost is segregated and on total cost where the land cost is not ascertainable and cannot be segregated.	2.5% (40 years Straight Line Method or remaining life whichever is lower)
Land acquired on perpetual lease where no lease period is mentioned	NIL
Land acquired on lease where lease period is mentioned	Over lease period
Building	
Constructed on free hold land and on leased land, where lease period is above 40 years	2.50%
Constructed on leased land where lease period is below 40 years.	Over lease period
FIXED ASSETS EXCEPT PREMISES	
Furniture and fixtures-Steel articles	5.00%
Furniture and fixtures-wooden articles	10.00%
Mattresses	20.00%
Mobile Phone Instruments	33.33%
Machinery, electrical and miscellaneous articles	15.00%
Motor cars and cycles	15.00%
Computers, ATMs and related items, laptop, i pad etc:-	33.33%
Servers, Network, Equipment & Automated Teller Machines (Including software forming an integral part of computer hardware)	

कार्यालय की रु. 25000.00 से कम राशि की अचल संपत्तियों (कर्मचारियों को छोड़कर) और/अथवा जिसकी सामान्यतः अवधि अधिग्रहण की तिथि से 12 महीनों से कम है, को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए।

रु. 25000.00 तक के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम/ डेटा बेस की लागत पर राजस्व प्रभारित किया जाता है।

Items of office fixed assets (excepts to staff) amount less than Rs. 25000.00 and / or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition should be recognized as expense.

Cost of Application Software / Operating System / Data base amounting upto Rs. 25000.00 are charged to revenue.

- सी.** बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त नई आस्तियों पर मूल्यहास की दर उसी दिन से प्रदान की जाती है और वर्ष के दौरान बेची गई/ निपटान की गई आस्तियों के मामले में जिस तारीख तक इसे बेचा/ निपटान किया जाता है अर्थात् दैनिक आधार पर मूल्यहास की दर प्रदान की जाती है।
- डी.** वर्ष के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व कें परिसरों पर मूल्यहास पूरे वर्ष के लिये प्रभारित किया गया है। निर्माण लागत पर तभी मूल्यहास किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां मूल्यहास भवन पर लागू दर से समग्र लागत पर की जाती है।
- ई.** पट्टाधारित परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम यदि कोई है, पट्टे की संपूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्षों में प्रभारित किया जाता है।
- एफ.** पुनर्मूल्यन आस्तियों के मूल्यहास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन की गई आस्तियों की शेष उपयोगी आयु के आधार पर निश्चित की जाती है।

7. आस्तियों की अपसामान्यता

आस्तियों की रखरखाव लागत को आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर कोई अपसामान्यता दिखाई देने पर प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को समीक्षित किया जाता है।

एक अपसामान्य हानि तभी मानी जाती है जहां एक आस्ति की रखाव लागत इसकी वसूली राशि से ज्यादा होती है। वसूली योग्य राशि आस्ति की निवल बिक्री कीमत और उपयोगिता मूल्य से ज्यादा होती है। उपयोगिता मूल्य के निर्धारण में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह कर पूर्व छूट दर में प्रयुक्त उसके वर्तमान मूल्य को घटाया जाता है जो उस समय धन के वर्तमान बाजार मूल्य और आस्ति के वर्गीकृत जोखिमों को दर्शाता है।

अपसामान्यता के पश्चात, यदि कोई है, मूल्यहास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि में संशोधित रखाव लागत पर किया जाता है।

पूर्व में हुई अपसामान्यता हानि परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाई या रिवर्स की जाती है।

हालांकि, रिवर्सल के पश्चात रखाव मूल्य उस रखाव मूल्य से ऊपर नहीं बढ़ता है जो यदि कोई अपसामान्यता नहीं हुई हो तो सामान्य मूल्यहास प्रभारित करके विद्यमान होगा।

- C.** Depreciation on fresh additions to assets other than bank's own premises is provided from the day in which the assets are capitalized and in the case of assets sold/ disposed off during the year, up to the date in which it is sold/ disposed off i.e. daily basis.
- D.** The depreciation on bank's own premises existing at the close of the year is charged for full year. The construction cost is depreciated only when the building is complete in all respects. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.
- E.** In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year(s).
- F.** The Revalued assets is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

7. IMPAIRMENT OF ASSETS:

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors.

An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life.

A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances.

However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

8. कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। ये अंशदान लाभ व हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

उपदान

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

पेंशन

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

बैंक 01.04.2010 को और इसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) चला रहा है। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी 11.11.2020 को बैंक से अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के साथ-साथ अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के अंशदान के साथ योजना में योगदान करते हैं। सम्बन्धित कर्मचारी की पूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक ये अंशदान रखे जाते हैं। बैंक ऐसे अंशदान से उस वर्ष में व्यय मानता है जिससे यह संबंधित है। स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित योगदान राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां

उपचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां जैसे अर्जित छुट्टियाँ (पीएल) और बीमारी की छुट्टियाँ (अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टियाँ सहित) बीमांकित मूल्यांकन आधार पर दी जाती हैं। अर्जित छुट्टी (पीएल) की योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित की जाती है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ:

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), सिल्वर जुबली अवार्ड इत्यादि बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं।

जहां तक विदेश स्थित शाखाओं और कार्यालयों का संबंध है प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अलावा अन्य सभी लाभ उन देशों में लागू कानूनों के अनुसार मूल्यांकित और लेखांकित किए गए हैं।

8. EMPLOYMENT BENEFITS:

PROVIDENT FUND:

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss A/c.

GRATUITY:

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

PENSION:

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with contribution of 14% of their basic pay plus dearness allowance from the Bank w.e.f. 11.11.2020. Pending completion of the registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate. Upon the receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

COMPENSATED ABSENCES:

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL) and Sick Leave (including unavailed casual leave) are provided for based on actuarial valuation. The scheme for Privilege Leave (PL) is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

OTHER EMPLOYEE BENEFITS:

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Silver Jubilee Award, etc. are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेनों का परिवर्तन और शेष

विदेशी विनिमय में शामिल लेनदेन लेखामानक 11 “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव” के अनुसार लेखांकित किए जाते हैं।

9.1 पूर्ववर्ती लंदन शाखाओं के अग्रिमों को छोड़कर, जिनका भारत में अंतरण की तिथि को लागू विनिमय दरों के आधार पर लेखांकन किया जाता है, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) के मार्गनिर्देशन के अनुसार तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दरों के आधार पर अन्य सभी मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों व अन्य दायित्वों को प्रारंभिक रूप से कल्पित दर पर दर्ज किया जाता है और समतुल्य भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है।

9.2 अचल आस्तियों जिसे परंपरागत दर पर रखा जाता है, से इतर गैर मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि को प्रभावी विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

9.3 बकाया वायदा विनिमय स्पॉट व वायदा संविदाओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा तुलन पत्र तिथि पर अधिसूचित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और फलस्वरूप मूल्यांकन पर हुए लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

विदेशी विनिमय स्पॉट/फॉरवर्ड करार/डील्स (मर्चेन्ट व इंटर बैंक), जो कि ट्रेडिंग व मर्चेन्ट हैज के लिए नहीं किए गए हैं तथा ये तुलन पत्र की तिथि तक बकाया हैं, विनिमय लाभ पर पुनर्मूल्यांकन प्रभाव को हटाने के लिए फेडआई (एफईडीएआई) स्पॉट/फॉरवर्ड की समाप्ति पर रिवर्स पुनर्मूल्यांकित होते हैं। इस तरह के वायदा विनिमय करार के आरम्भ से उत्पन्न प्रीमियम अथवा छूट को करार की समयावधि में ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

9.4 आय तथा व्यय की मदें लेन-देन की तारीख को प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं।

मौद्रिक मदों के निपटान पर उनसे भिन्न दरों पर उत्पन्न विनिमय अंतर जिस पर वे शुरूआत में दर्ज किए गए थे, उस अवधि के लिए जिनमें वे उत्पन्न हुए थे आय या व्यय के रूप में माने जाते हैं।

मुद्रा फ्यूचर व्यापार में खुली स्थिति के विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण खाते में लाभ/हानि दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृहों के साथ निपटाए जाते हैं और ऐसे लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।

9.5 विदेशी कार्यालय/अपतटीय बैंकिंग इकाइयां :

(i) विदेशी शाखाएं और अपतटीय बैंकिंग यूनिट के परिचालनों को “गैर समाकलित विदेशी परिचालन” में वर्गीकृत किया गया है और विदेश में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को “समाकलित विदेशी परिचालनों” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

9. TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS & BALANCES:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates”.

9.1 Except advances of erstwhile London branches which are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of parking in India, all other monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers’ Association of India (FEDAI) guidelines.

9.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

9.3 Outstanding Forward exchange spot and forward contracts are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss on translation is taken to Profit & Loss Account.

Foreign exchange spot/forward contracts/deals (Merchant and Inter-bank) which are not intended for trading/Merchant Hedge and are outstanding on the Balance Sheet date, are reverse re-valued at the closing FEDAI spot/forward rate in order to remove revaluation effect on exchange profit. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the life of the contract.

9.4 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognized in the Profit and Loss Account.

9.5 Offices outside India / Offshore Banking Units:

(i) Operations of foreign branches and off shore banking unit are classified as “Non-integral foreign operations” and operations of representative offices abroad are classified as “integral foreign operations”.

- (ii) समाकलित विदेश परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों को और गैर समाकलित विदेशी परिचालनों को लेखांकन मानक एस- 11 में दिए गए निर्धारण के अनुसार किया गया है ।
- (iii) गैर समाकलित परिचालनों के लाभ/हानि को विनिमय उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में जमा/नामे किया जाता है ।

10. आय पर कर

आयकर व्यय न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) सहित वर्तमान कर, जहां लागू हो तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि होता है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 के प्रावधानों के अनुसार ही वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय की गणना होती है। विदेश में स्थित कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को शामिल करने के बाद आय पर कर के लिए लेखांकन किया जाता है जो कि सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के कर नियमों पर आधारित होते हैं।

एमएटी क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब विस्तार के लिए इस बात के ठोस प्रमाण हों कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयताओं में हुआ परिवर्तन शामिल है। आस्थगित कर आस्ति व देयता, वर्तमान वर्ष के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच के समय अंतराल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। आस्थगित कर आस्ति व देयता की गणना कर की दर तथा कर नियमों का प्रयोग, जो कि तुलन पत्र तिथि में अधिनियमित या वास्तविक अधिनियमित किया गया हो, किया जाता है। आस्थगित कर आस्ति व देयता में परिवर्तन का प्रभाव लाभ व हानि खातों में दिखाई देता है। आस्थगित कर आस्ति को पहचाना जाता है तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः आकलित किया जाता है, जो प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित होती है कि क्या उनकी वसूली यथोचित/वर्चुअली निश्चित मानी गई हैं।

11. प्रति शेयर आय

बैंक की प्रति शेयर आधारभूत और ह्रासित आय की आईसीएआई द्वारा जारी एस 20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार होती है। बेसिक आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के लिए विशेषकर इक्विटी शेयरधारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के बकाया इक्विटी शेयर की भारित संख्या से भाग करके प्राप्त की जाती है।

प्रति शेयर ह्रासित आय संभावित कमजोर क्षमता को दर्शाता है जो तब हो सकता है जब वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया गया या परिवर्तित किया गया हो। प्रति शेयर ह्रासित आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष में बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

- (ii) Foreign currency transactions of integral foreign operations and non-integral foreign operations are accounted for as prescribed by AS-11.

- (iii) Exchange Fluctuation resulting into Profit / loss of non-integral operations is credited /debited to Exchange Fluctuation Reserve.

10. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the income Tax Act, 1961,

Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably/virtually certain.

11. Earnings per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic Earnings per Share are computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year.

12. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस-29 “प्रावधान आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ” के अनुपालन में, बैंक प्रावधान को केवल तभी मान्यता देता है जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो तथा जिसके परिणामतः धनों का सम्भावित बहिर्गमन हो, दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ आवश्यक हो तथा जब दायित्व की विश्वसनीय राशि अनुमानित की जा सकती हो।

एक आकस्मिक देयता ऐसे के संदर्भ में एक संभावित देयता है, जो अनिश्चित विशिष्ट घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। एक संभावित दायित्व जो भविष्य की घटना के प्रकट होने के आधार पर उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे आकस्मिक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, जो मामले बैंक के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, लेकिन ऐसे मामले में बैंक पर किसी भी दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना कम/अल्प है, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणी में आकस्मिक आस्तियों को नहीं लिया जाता है।

13. बुलियन ट्रांजेक्शन:

बैंक बुलियन का आयात करता है जिसमें ग्राहकों को प्रेषण आधार पर बेचने के लिए बहुमूल्य मेटल बार शामिल है। आयात विशेषतः बैक – टू – बैक आधार पर होता है तथा ग्राहक को उसका मूल्य सप्लायर द्वारा अंकित मूल्य पर देना होता है। इन बुलियन ट्रांजेक्शनों में बैंक शुल्क अर्जित करता है। शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक स्वर्ण को जमा व उस पर ऋण देता है जिसे प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के साथ ब्याज आय/आय के रूप में वर्गीकृत मामले के आधार पर जमाराशि/अग्रिम की तरह माना जाता है।

14. खंडवार रिपोर्टिंग:

बैंक, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की अनुपालना में बिजनेस खंड की पहचान प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंड को द्वितीय रिपोर्टिंग खंड के रूप में करता है।

15. दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के आरबीआई परिपत्र सं. एफआईडीडी. सीओ.प्लान.बीसी.23/04.09.01/2015-16 के अनुसार बैंक, पीएसएलसी का विक्रय या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र के पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेनदेन में जोखिमों या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क ‘व्यय’ के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को ‘अन्य आय’ के रूप में माना जाता है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में आरबीआई के पास नकदी और जमा शेष, बैंकों में जमा शेष और मांग और अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है।

12. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

A Contingent Liability is a potential liability, in terms of money, which may arise depending on the outcome of an uncertain specific event. A possible obligation which may or may not arise depending on how a future event unfolds has been recognized as Contingent Liability.

Further, the cases which although have been filed against the bank, but possibility of any obligation arising upon the bank is those case is remote, have not been construed and included in Contingent Liability.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

13. Bullion Transactions:

The Bank imports bullion including precious metal bars on a consignment basis for selling to its customers. The imports are typically on a back-to-back basis and are priced to the customer based on price quoted by the supplier. The Bank earns a fee on such bullion transactions. The fee is classified under commission income. The Bank also accepts deposits and lends gold, which is treated as deposits/ advances as the case may be with the interest paid / received classified as interest expense/income.

14. Segment Reporting:

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15. The Bank, in accordance with RBI Circular FIDD. CO.Plan.BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 dated April 7, 2016, trades in Priority Sector portfolio by selling or buying PSLC. There is no transfer of risks or loan assets in these transactions. The fee paid for purchase of the PSLC is treated as an ‘Expense’ and the Fee received from sale of PSLCs is treated as ‘Other Income’.

16 CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include Cash and Balances with RBI, Balances with Banks and money at call and short notice.

अनुसूची 18 : लेखों से संबंधित टिप्पणियां (एकल) –
31.03.2022

1. विनियामक पूंजी

1. ए) विनियामक पूंजी की संरचना (राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौती को घटाकर, यदि कोई हो)	63430.05	64351.35
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	7027.87	5362.01
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	70457.92	69713.36
iv)	टियर 2 पूंजी	16652.74	17144.55
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	87110.66	86857.91
vi)	कुल जोखिम भारित अस्तियां (आरडब्ल्यूए)	600821.23	606584.91
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	10.56%	10.61%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	11.73%	11.49%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	2.77%	2.83%
x)	पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	14.50%	14.32%
xi)	लीवरेज अनुपात	4.27%	4.37%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.15%	76.87%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	1793.05*	4322.65**
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें:	3971.00	495.00
	ए) बासेल III अनुरूप बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर,	शून्य	शून्य
	बी) बासेल III अनुरूप, स्थाई ऋण लिखत	3971.00	495.00
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें	1919.00	3994.00
	ए) बासेल III अनुरूप बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर,	शून्य	शून्य
	बी) बासेल III अनुरूप, स्थाई ऋण लिखत	1919.00	3994.00

*क्यूआईपी के माध्यम से

SCHEDULE 18: NOTES TO ACCOUNTS (STANDALONE) –
31.03.2022

1. Regulatory Capital

1. a) Composition of Regulatory Capital (Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	63430.05	64351.35
ii)	Additional Tier 1 capital	7027.87	5362.01
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	70457.92	69713.36
iv)	Tier 2 capital	16652.74	17144.55
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	87110.66	86857.91
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	600821.23	606584.91
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	10.56%	10.61%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	11.73%	11.49%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.77%	2.83%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	14.50%	14.32%
xi)	Leverage Ratio	4.27%	4.37%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	73.15%	76.87%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the Year	1793.05*	4322.65**
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the Year, of which:	3971.00	495.00
	a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares,	NIL	NIL
	b) Basel III compliant, Perpetual Debt Instruments	3971.00	495.00
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the Year, of which	1919.00	3994.00
	a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares,	NIL	NIL
	b) Basel III compliant, Perpetual Debt Instruments	1919.00	3994.00

* Through QIP

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ जारी करना) विनियम, 2018, के प्रावधानों के अनुसार, मई 2021 में अर्हित संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार योग्य पात्र खरीदारों को नकद के लिए, यथा संशोधित, ₹ 31.75 प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल ₹ 1,800.00 करोड़ के प्रति ₹ 2 के अंकित मूल्य वाले 53,33,33,333 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में ₹ 106.67 करोड़ और शेयर प्रीमियम खाते में ₹ 1,686.38 करोड़ (निर्गम व्यय का निवल) की वृद्धि हुई है।

(* ** ₹ 534.61 करोड़: तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और तत्कालीन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों को तत्कालीन बैंकों में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के बदले में जारी किए गए प्रति ₹ 2.00 के 2673063327 इक्विटी शेयर के माध्यम से।

₹ 3788.04 करोड़: क्यूआईपी के माध्यम से: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने सेबी विनियम, 2018 (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ जारी करना) के प्रावधानों के अनुसार अर्हित संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार योग्य पात्र खरीदारों को नकद के लिए ₹ 33.50 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 3,788.04 करोड़ के प्रति ₹ 2 के अंकित मूल्य वाले 1,06,70,52,910 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में ₹ 213.41 करोड़ और शेयर प्रीमियम खाते में ₹ 3,563.91 करोड़ (निर्गम व्यय का निवल) की वृद्धि हुई है।

नोट: सीईटी 1 पूँजी में ₹ 9268.29 करोड़ समामेलन निधियां शामिल है।

आरबीआई ने परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के माध्यम से सीईटी-1 पूँजी अनुपात के रूप में पूँजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के उद्देश्य से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व और आस्थगित कर आस्ति पर विचार करने का विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है।

1. बी) प्रारक्षित निधियों से राशि निकालना (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रारक्षित निधि	आहरित राशि	प्रयोजन
1.	अन्य आरक्षित निधियां	1028.95 (1013.10)	धोखाधड़ी रिपोर्ट किए गए खातों पर रियायत
2.	अन्य आरक्षित निधियां	7.21 (185.58)	पुनर्मूल्यांकित परिसरों के पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि का पुनःस्थापन।
3.	पुनर्मूल्यांकन निधियां	151.89 (127.57)	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को निपटाया गया और पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यहास को अन्य आरक्षित निधि में अंतरित किया गया
4.	शेयर प्रीमियम	0.00 (28707.92)	शेयर प्रीमियम से संचित हानि का विनियोग।

During the year Bank has issued 53,33,33,333 equity shares having Face Value of Rs.2 each for cash to Qualified Eligible Buyers pursuant to Qualified Institutional Placement (QIP), in May 2021, in accordance with the provisions of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended, at a premium of ₹ 31.75 per share aggregating ₹ 1,800.00 Crore. This has resulted in an increase of Rs.106.67 Crore in the issued and paid up Equity Share Capital and ₹ 1,686.38 Crore (Net of share Issue Expenses) in Share Premium Account.

(* ** ₹ 534.61 Crore: By way of 2673063327 Equity shares of ₹ 2.00 each issued to shareholders of erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India in lieu shares held by them in erstwhile banks.

₹ 3788.04 Crore: By way of QIP: During the FY 2020-21 the Bank issued 1,06,70,52,910 equity shares having Face Value of ₹ 2 each for cash to Qualified Eligible Buyers pursuant to Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 at a premium of ₹ 33.50 per share aggregating ₹ 3,788.04 Crore. This resulted in an increase of ₹ 213.41 Crore in the issued and paid up Equity Share Capital and ₹ 3,563.91 Crore (Net of Issue Expenses) in Share Premium Account).

Note: CET I Capital includes Amalgamation Reserve ₹ 9268.29 Crore.

RBI vide circular no. DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 dated 1st March, 2016 has given discretion to banks to consider Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and Deferred Tax Asset for purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

1. b) Draw down from Reserves (Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Reserves	Amount drawn	Purpose
1.	Other Reserves	1028.95 (1013.10)	Dispensation on Fraud reported accounts
2.	Other Reserves	7.21 (185.58)	Reinstatement of Revaluation reserve of revalued premises.
3.	Revaluation reserves	151.89 (127.57)	Revaluation surplus of Assets disposed off and Depreciation on revalued portion transferred to Other Reserve
4.	Share Premium	0.00 (28707.92)	Appropriation of accumulated loss from share premium.

2. आस्ति देयता प्रबंधन

2. Asset liability management

2. ए) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों के परिपक्वता स्वरूप

2. a) Maturity Pattern of certain items of assets and liabilities

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ Crore)

परिपक्वता स्वरूप/ Maturity Pattern		जमा राशियाँ/ Deposits	अग्रिम/ Advances	निवेश (सकल)/ Investments (Gross)	उधार/ Borrowings	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ/ Foreign Currency assets	विदेशी मुद्रा देयताएं/ Foreign Currency liabilities
1 दिन	Day 1	14555.40	2209.26	0.00	5622.46	8886.62	1508.48
		(20520.49)	(16128.39)	(1910.00)	(1036.63)	(9793.24)	(2176.36)
2 से 7 दिन	2 to 7 days	25946.99	17764.11	943.37	0.31	2733.67	2024.12
		(35708.26)	(12068.99)	(0.00)	(2047.99)	(3325.82)	(2105.48)
8 से 14 दिन	8 to 14 days	11054.33	7989.58	289.68	192.94	2712.47	1302.17
		(23269.92)	(3591.04)	(67.95)	(442.51)	(1691.08)	(578.86)
15 से 30 दिन	15 to 30 Days	15387.37	25184.83	793.53	29.41	4013.43	790.03
		(46738.14)	(13522.03)	(111.08)	(1754.65)	(4357.79)	(2020.57)
31 दिन से 2 माह	31 days to 2 months	35843.86	33294.94	937.28	1506.98	12715.05	11840.79
		(94230.66)	(17271.10)	(1889.28)	(2175.02)	(8910.76)	(10083.31)
2 माह से अधिक और 3 माह तक	Over 2 months and to 3 months	32754.19	48216.30	962.71	195.95	1752.82	4709.84
		(54349.73)	(35792.87)	(3338.13)	(1707.95)	(5030.01)	(6035.05)
3 माह से अधिक और 6 माह तक	Over 3 months and up to 6 Months	59117.68	23407.53	7864.17	763.75	14013.11	3128.37
		(39107.03)	(31552.78)	(31289.04)	(798.86)	(11501.24)	(3484.00)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	Over 6 months and up to 1 year	73490.83	53213.06	12422.43	2379.20	3550.94	1542.00
		(21725.45)	(40628.93)	(13932.06)	(4093.95)	(9851.78)	(14425.41)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	Over 1 year and up to 3 years	145582.01	122876.22	29161.45	13422.28	15991.13	12284.83
		(149933.49)	(156657.00)	(32733.51)	(6761.45)	(13511.39)	(5397.55)
3 से अधिक और 5 वर्ष तक	Over 3 years and up to 5 years	384455.83	276319.46	51322.61	5325.06	15908.45	6717.89
		(295530.93)	(223015.17)	(34349.96)	(8303.00)	(7989.34)	(2626.00)
5 वर्ष से अधिक	Over 5 years	348029.96	117710.39	274695.83	16243.07	2165.00	2757.34
		(325218.37)	(124001.78)	(280553.69)	(13718.30)	(2011.47)	(2381.15)
कुल	Total	1146218.45	728185.68	379393.06	45681.41	84442.69	48605.86
		(1106332.47)	(674230.08)	(400174.70)	(42840.31)	(77973.92)	(51313.74)

2. बी) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

चलनिधि कवरेज अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने 1 जनवरी, 2015 से चलनिधि कवरेज अनुपात पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन किया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में भार रहित उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां रहें जिससे कि चलनिधि दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिनों के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कम हानि पर/बिना किसी हानि के पहुंचाते हुए आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर के दो घटक हैं:

- उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियों के स्टॉक का मूल्य (एचक्यूएलए) – द न्यूमेरेटर।
- कुल शुद्ध नकदी प्रवाह: 30 दिनों के लिए दबावग्रस्त परिदृश्य में कुल अनुमानित नकदी का बहिर्गमन घटाव कुल अनुमानित नकदी का आगमन (इनफ्लो) – द डिनोमिनेटर

एलसीआर की परिभाषा :

उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियों का स्टॉक (एचक्यूएलएएस)	≥ 100%
अगले 30 दिनों के पश्चात् कुल शुद्ध नकदी बहिर्गमन	(01.04.2021 से प्रभावी)

नीचे दिए गए न्यूनतम आवश्यक स्तर की समय सीमा के साथ बैंक पर एलसीआर की आवश्यकता एक बाध्यता बन गई है:

	1 जनवरी, 2015	1 जनवरी, 2016	1 जनवरी, 2017	1 जनवरी, 2018	1 जनवरी, 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

वित्तीय वर्ष 2021-22 की चतुर्थ तिमाही के लिए, 100% विनियामक अपेक्षाओं के समेकित स्तर पर दैनिक औसत एलसीआर 183.92% (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) रहा।

बैंक के एलसीआर का मुख्य घटक, पर्याप्त उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां हैं (एचक्यूएलए) जिससे हर समय बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों को बुनियादी वित्तपोषण किया जा सके। बैंक के कुल जमा संविभाग का लगभग 70.91% खुदरा और छोटे कारोबारी ग्राहक योगदान करते हैं जो 31.03.2022 को 5/10% का लो रन ऑफ फैक्टर आकर्षित करता है।

उच्च गुणवत्ता पूर्ण चल आस्ति की संरचना (एचक्यूएलए)

एचक्यूएलए में स्तर 1 व स्तर 2 आस्तियां समाविष्ट हैं। स्तर 2 आस्तियों को उनकी बाजार क्षमता और कीमत अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए स्तर 2ए एवं स्तर 2 बी में विभाजित किया गया है।

स्तर 1 – आस्तियां वे आस्तियां हैं जो उच्चप्रवाही हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए स्तर 1 आस्तियों में हाथ में नकदी, अधिक सीआरआर का, न्यूनतम एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी

2. b) Liquidity coverage ratio (LCR)

QUALITATIVE DISCLOSURE ON LIQUIDITY COVERAGE RATIO

The Bank has implemented RBI guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) from 1st January 2015.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be readily converted into cash at little/no loss of value to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a liquidity stress scenario.

LCR has two components:

- The value of the stock of High Quality Liquid Assets (HQLA) – *The Numerator.*
- Total Net Cash Outflows: Total expected cash outflows minus Total expected cash inflows, in stress scenario, for the subsequent 30 calendar days – *The denominator.*

Definition of LCR:

Stock of high quality liquid assets (HQLAs)	≥ 100%
Total net cash outflows over the next 30 calendar days	(w.e.f 01.04.2021)

The LCR requirement has become binding on the banks with the following minimum required level as per the time-line given below:

	Jan 1, 2015	Jan 1, 2016	Jan 1, 2017	Jan 1, 2018	Jan 1, 2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

For Q4 FY'2021-22, the daily average LCR was 183.92% (based on simple average of daily observations) at consolidated level, as against the regulatory requirement of 100%.

The main drivers of LCR of the bank are High Quality Liquid Assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times and basic funding from retail and small business customers. The retail and small business customers contribute about 70.91% of total deposit portfolio of the bank which attracts low run-off factor of 5/10% as on 31.03.2022.

Composition of High Quality Liquid Assets (HQLA)

HQLAs comprises of Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are further divided into Level 2A and Level 2B assets, keeping in view their marketability and price volatility.

Level-1 assets are those assets which are highly liquid. For quarter ended March 31, 2022, the Level-1 asset of the bank includes Cash in Hand, Excess CRR, Government Securities in excess of minimum SLR, Marketable securities issued or guaranteed by

सॉवरेन द्वारा जारी या गारंटी प्रदत्त विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ एमएसएफ व एफएलएलसीआर जिनका मूल्य ₹ 292135.40 करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है।

स्तर 2ए व 2बी वे आस्तियां हैं जो न्यून प्रवाही हैं और जिनकी भार राशि ₹ 8182.86 करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन औसत एचक्यूएलए का अलग-अलग विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियाँ (एचक्यूएलए)	एचक्यूएलए में औसतन योगदान %
स्तर 1 आस्तियाँ	
हाथ में नगदी	1.07%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	0.58%
आवश्यक न्यूनतम एसएलआर के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ	34.27%
अनिवार्य एसएलआर आवश्यकताओं के भीतर सरकारी प्रतिभूतियाँ एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा (वर्तमान में एनडीटीएल की 3 प्रतिशत की सीमा तक) स्वीकृत सीमा तक	10.12%
बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% जोखिम भार वाली विदेशी स्वायत्तों द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणनयोग्य प्रतिभूतियाँ	0.62%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लेने की सुविधा—एफएलएसीआरआर (वर्तमान में एलडीटीएल के 15% तक)	50.61%
कुल स्तर 1 आस्तियाँ	97.27%
कुल स्तर 2ए आस्तियाँ	2.59%
कुल स्तर 2बी आस्तियाँ	0.14%
एचक्यूएलए का कुल स्टाक	100.00%

निधीयन स्रोतों का संकेन्द्रण

इस मैट्रिक में उन निधियों के स्रोतों जिनका आहरण चलनिधि जोखिमों के अधीन है, शामिल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष और प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद/लिखत से अपेक्षित इसके निधीयन की निगरानी द्वारा बैंक के निधीयन संकेन्द्रण को व्यक्त करना है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार “महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/लिखत/उत्पाद” को एकल प्रतिपक्ष लिखत/उत्पाद या बैंक के कुल दायित्व का 1% से अधिक दायित्व वाले प्रतिपक्षी से जुड़े या सम्बद्ध समूह के रूप में परिभाषित किया गया है।

foreign sovereign, MSF and FALLCR totalling to Rs. 292135.40 cr (based on simple average of daily observations).

Level-2A & 2B assets are those assets which are less liquid and their weighted amount comes to Rs. 8182.86 cr (based on simple average of daily observations). Break-up of daily observation Average HQLA during quarter ended March 31, 2022 is given hereunder:

High Quality Liquid Assets (HQLAs)	Average % age contribution to HQLA
Level 1 Assets	
Cash in hand	1.07%
Excess CRR balance	0.58%
Government Securities in excess of minimum SLR requirement	34.27%
Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 3 per cent of NDTL)	10.12%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach	0.62%
Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio – FALLCR (presently to the extent of 15 per cent of NDTL)	50.61%
Total Level 1 Assets	97.27%
Total Level 2A Assets	2.59%
Total Level 2B Assets	0.14%
Total Stock of HQLAs	100.00%

Concentration of Funding Sources

This metric includes those sources of funding, whose withdrawal could trigger liquidity risks. It aims to address the funding concentration of bank by monitoring its funding requirement from each significant counterparty and each significant product/instrument. As per RBI guidelines, a “significant counterparty/Instrument/product” is defined as a single counterparty/Instrument/product or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank’s total liabilities.

31.03.2022 तक बैंक के पास कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा / उधार) नहीं है। 31 मार्च, 2022 तक बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता, बैंक की कुल जमा राशियों का 3.67% हैं। महत्वपूर्ण उत्पाद/साधन में बचत निधि, चालू जमा राशि और स्थायी मीयादी जमा राशि निधिकरण शामिल हैं, जो कि व्यापक रूप से फैला हुआ है और बैंक के लिए संकेन्द्रण जोखिम को सृजित नहीं कर सकता है।

व्युत्पन्न एक्सपोजर

बैंक के पास व्युत्पन्न में कम एक्सपोजर है, जो कि चलनिधि तरलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है।

मुद्रा असंतुलन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि उस मुद्रा की कुलदेयता बैंक की कुलदेयता का 5 प्रतिशत या इससे अधिक है। हमारे मामले में, इस मानक पर केवल यूएसडी (बैंक की कुल देयताओं का 17.80%) आती है जिसका एलसीआर होरिजन में कुल बाह्यप्रवाह पर प्रभाव प्रबंधित किया जा सकता है क्योंकि बैंक के तुलन पत्र के आकार को देखते हुए इसका प्रभाव बहुत ही कम है।

समूह की इकाइयों के बीच तरलता प्रबंधन और अंतःक्रिया के केंद्रीकरण का स्तर

समूह इकाइयों स्वयं तरलता का प्रबंधन कर रही हैं। हालांकि बैंक ने तना वग्रस्त अवधि में समूह की तरलता की आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए एक समूह-व्यापी आकस्मिक निधि योजना बनाई है।

The bank has no significant counterparty (deposits/borrowings) as at 31.03.2022. Top 20 depositors of the bank constitute 3.67% of bank's total Deposit as at March 31, 2022. The significant product/ instrument include Saving Fund, Current deposit and Core Term Deposit the funding from which are widely spread and cannot create concentration risk for the bank.

Derivative exposure

The bank has low exposure in derivatives having negligible impact on its liquidity position.

Currency Mismatch

As per RBI guidelines, a currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, only USD (17.80 % of bank's total liabilities) falls in this criteria whose impact on total outflows in LCR horizon can be managed easily as the impact is not large considering the size of balance sheet of the bank.

Degree of centralization of liquidity management and interaction between group's units

The group entities are managing liquidity on their own. However, the bank has put in place a group-wide contingency funding plan to take care of liquidity requirement of the group as a whole in the stress period.

चलनिधि कवरेज अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मार्च 22 को समाप्त तिमाही		दिसंबर 21 को समाप्त तिमाही		सितंबर 21 को समाप्त तिमाही		जून 21 को समाप्त तिमाही		मार्च 21 को समाप्त तिमाही	
	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)*	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)*	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)
दैनिक जांच की साधारण औसत के आधार पर	62 डेटा प्वाइंट		62 डेटा प्वाइंट		64 डेटा प्वाइंट		60 डेटा प्वाइंट		63 डेटा प्वाइंट	
उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल संपत्ति										
1 कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)		300318.26		325716.89		347401.01		339543.84		332851.63
नकदी का बहिर्गमन										
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमा, जिनमें से:	786357.93	73859.96	769280.58	71792.95	792909.15	73486.01	795802.72	73756.54	789288.43	73786.10
(i) स्थिर जमा	95516.71	4775.84	102702.16	5135.11	116098.21	5804.91	116474.60	5823.73	102854.97	5142.75
(ii) कम स्थिर जमा	690841.22	69084.12	666578.42	66657.84	676810.94	67681.09	679328.11	67932.81	686433.46	68643.35
3 असुरक्षित थोक धन, जिनमें से:	208070.77	104212.60	211150.40	106572.62	219745.18	111092.81	227125.55	117208.88	229423.85	121768.79
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	208070.77	104212.60	211150.40	106572.62	219745.18	111092.81	227125.55	117208.88	229423.85	121768.79
(iii) असुरक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 सुरक्षित थोक वित्त पोषण										
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	96617.79	7759.79	91570.08	8052.92	96970.25	8638.60	106243.20	9891.96	100893.38	9437.56
(i) व्युत्पन्न जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	365.17	365.17	600.40	600.40	165.19	165.19	241.87	241.87	48.35	48.35
(ii) ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) ऋण और चलनिधि की सुविधाएं	96252.62	7394.63	90969.68	7452.52	96805.06	8473.41	106001.32	9650.09	100845.03	9389.21
6 अन्य संविदात्मक वित्त पोषण दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	87198.33	3063.73	81199.35	2821.20	83009.11	2866.51	80212.77	2694.82	81130.81	2711.36
8 कुल नकदी का बहिर्गमन		188896.08		189239.70		196083.93		203552.20		207703.81
नकदी अंतर्वाह										
9 सुरक्षित ऋण (जैसे रिवर्स रेपो)	35530.75	0.00	52102.49	0.00	53851.06	0.00	31665.12	0.00	44085.97	0.00
10 पूरी तरह से प्रदर्शन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	26408.40	22641.90	23470.55	19537.58	23096.90	19768.87	26013.66	21946.58	35519.81	30858.93
11 अन्य नकदी अंतर्वाह	2969.37	2969.37	2107.73	2107.73	1338.49	1338.49	1442.84	1442.84	2548.99	2548.99
12 कुल नकदी अंतर्वाह	64908.52	25611.27	77680.77	21645.31	78286.45	21107.36	59121.63	23389.42	82154.77	33407.92
13 कुल एचक्यूएलए		300318.26		325716.89		347401.01		339543.84		332851.63
14 कुल निवल नकद बहिर्वाह		163284.80		167594.39		174976.58		180162.78		174295.89
15 चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		183.92		194.35		198.54		188.47		190.97
जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित और प्रमाणित किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।										

QUANTITATIVE DISCLOSURE ON LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(Amount in ₹ Crore)

	Quarter ended Mar'22		Quarter ended Dec'21		Quarter ended Sep'21		Quarter ended Jun'21		Quarter ended Mar'21		
	Total Unweighted Value (average)*	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)*	Total Weighted Value (average)	
Based on the simple average of daily observations	62 Data Points		62 Data Points		64 data Points		60 Data Points		63 Data Points		
High Quality Liquid Assets											
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	300318.26		325716.89		347401.01		339543.84		332851.63	
Cash Outflows											
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which :	786357.93	73859.96	769280.58	71792.95	792909.15	73486.01	795802.72	73756.54	789288.43	73786.10
(i)	Stable deposits	95516.71	4775.84	102702.16	5135.11	116098.21	5804.91	116474.60	5823.73	102854.97	5142.75
(ii)	Less stable deposits	690841.22	69084.12	666578.42	66657.84	676810.94	67681.09	679328.11	67932.81	686433.46	68643.35
3	Unsecured wholesale funding, of which:	208070.77	104212.60	211150.40	106572.62	219745.18	111092.81	227125.55	117208.88	229423.85	121768.79
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	208070.77	104212.60	211150.40	106572.62	219745.18	111092.81	227125.55	117208.88	229423.85	121768.79
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding										
5	Additional requirements, of which	96617.79	7759.79	91570.08	8052.92	96970.25	8638.60	106243.20	9891.96	100893.38	9437.56
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	365.17	365.17	600.40	600.40	165.19	165.19	241.87	241.87	48.35	48.35
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	96252.62	7394.63	90969.68	7452.52	96805.06	8473.41	106001.32	9650.09	100845.03	9389.21
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Other contingent funding obligations	87198.33	3063.73	81199.35	2821.20	83009.11	2866.51	80212.77	2694.82	81130.81	2711.36
8	Total Cash Outflows	188896.08		189239.70		196083.93		203552.20		207703.81	
Cash Inflows											
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	35530.75	0.00	52102.49	0.00	53851.06	0.00	31665.12	0.00	44085.97	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	26408.40	22641.90	23470.55	19537.58	23096.90	19768.87	26013.66	21946.58	35519.81	30858.93
11	Other cash inflows	2969.37	2969.37	2107.73	2107.73	1338.49	1338.49	1442.84	1442.84	2548.99	2548.99
12	Total Cash Inflows	64908.52	25611.27	77680.77	21645.31	78286.45	21107.36	59121.63	23389.42	82154.77	33407.92
13	TOTAL HQLA		300318.26		325716.89		347401.01		339543.84		332851.63
14	Total Net Cash Outflows		163284.80		167594.39		174976.58		180162.78		174295.89
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		183.92		194.35		198.54		188.47		190.97
As compiled and certified by the Management and relied upon by the Auditors.											

2. सी) निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

निवल स्थिर निधियन अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बासेल III सुधारों के महत्वपूर्ण घटक हैं। बैंक की चलनिधि प्रोफाइल के अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ावा देने वाले एलसीआर दिशानिर्देश 9 जून 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 के माध्यम से जारी किए गए हैं। दूसरी ओर एनएसएफआर दिशानिर्देश भविष्य के वित्त पोषण तनाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को पर्याप्त रूप से स्थिर वित्त पोषण के स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करने की आवश्यकता के तरा दीर्घकालिक अवधि के दौरान वित्त पोषण जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं।

भारतीय संदर्भ में, एनएसएफआर के दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी थे। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर निधियन" (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो एनएसएफआर द्वारा निर्धारित किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक प्रदान की जाती है। किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर निधियन ("आवश्यक स्थिर निधियन") (आरएसएफ) की राशि उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसकी तुलनपत्रेतर (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है। विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (अर्थात जमा, असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार), अनाहरित प्रतिबद्धताओं, व्युत्पन्नी-संबंधित एक्सपोजर, और उसी अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से निकलने वाले अंतर्वाह के साथ ऑफसेट के लिए तनावग्रस्त परिदृश्यों के लिए रन-ऑफ कारक आरबीआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एकल बैंक के लिए और 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी समूह के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है।

पीएनबी ने 31 मार्च, 2022 को समेकित आधार पर ₹ 708590 करोड़ की आरएसएफ आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 1117942 करोड़ की उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) को बनाए रखा। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 157.77% था।

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा निर्धारित बासेल III पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों और खुदरा ग्राहकों, छोटे व्यवसाय ग्राहकों और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियों के अनुसार कुल नियामक पूंजी द्वारा संचालित होता है। आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ) के तहत, प्राथमिक संचालक एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ ऋण मुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं।

निवल स्थिर निधियन अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

समेकित											
एनएसएफआर प्रकटीकरण यथावत (₹ करोड़)	31.12.2021				निर्धारित मूल्य	31.03.2022					
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य					
	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निर्धारित मूल्य	
एएसएफ मद											
1	पूंजी: (2+3)	92420	2250	3730	19094	117494	105583	0	0	13768	119299
2	विनियामक पूंजी	91341	2250	3730	19094	116415	105583	0	0	12571	118179
3	अन्य पूंजी लिखत	1079	0	0	0	1079	0	0	0	1197	1120
4	खुदरा जमा और छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमा: (5+6)	423639	26903	237138	205844	829507	431772	29615	235519	209263	632569
5	स्थिर जमा	60049	5061	29915	91224	181496	61103	3467	14295	15382	92109
6	कम स्थिर जमा	363590	21842	207223	114620	648011	370669	26148	221224	193881	540460
7	थोक वित्तपोषण: (8+9)	83180	38846	72701	56256	153620	101887	55628	67939	67299	365997

2. c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

QUALITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

The Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Liquidity Coverage Ratio (LCR) are significant components of the Basel III reforms. The LCR guidelines which promote short term resilience of a bank's liquidity profile have been issued vide circular DBOD.BP.BC. No.120/21.04.098/2013-14 dated June 9, 2014. The NSFR guidelines on the other hand ensure reduction in funding risk over a longer time horizon by requiring banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress.

In the Indian context, the guidelines for NSFR were effective from October 1, 2021. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. The run-off factors for the stressed scenarios are prescribed by the RBI, for various categories of liabilities (viz., deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), undrawn commitments, derivative-related exposures, and offset with inflows emanating from assets maturing within the same time period. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guideline for the standalone Bank and for Group effective October 1, 2021 is 100%.

PNB on a consolidated basis at 31st Mar, 2022 maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹ 1117942 Crore against the RSF requirement of ₹ 708590 crore. The NSFR for the quarter ended Mar 31, 2022 was at 157.77%.

The Available Stable Funding (ASF) is primarily driven by the total regulatory capital as per Basel III Capital Adequacy guidelines stipulated by RBI and deposits from retail customers, small business customers and non-financial corporate customers. Under the Required Stable Funding (RSF), the primary drivers are unencumbered performing loans with residual maturities of one year or more.

QUANTITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

Consolidated											
NSFR Disclosure as on		31.12.2021					31.03.2022				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	92420	2250	3730	19094	117494	105583	0	0	13768	119299
2	Regulatory capital	91341	2250	3730	19094	116415	105583	0	0	12571	118179
3	Other capital instruments	1079	0	0	0	1079	0	0	0	1197	1120
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	423639	26903	237138	205844	829507	431772	29615	235519	209263	632569
5	Stable deposits	60049	5061	29915	91224	181496	61103	3467	14295	15382	92109
6	Less stable deposits	363590	21842	207223	114620	648011	370669	26148	221224	193881	540460
7	Wholesale funding: (8+9)	83180	38846	72701	56256	153620	101887	55628	67939	67299	365997

समेकित											
एनएसएफआर प्रकटीकरण यथावत		31.12.2021				निर्धारित मूल्य	31.03.2022				निर्धारित मूल्य
(₹ करोड़)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
8	परिचालन जमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	अन्य थोक वित्तपोषण	83180	38846	72701	56256	153620	101887	55628	67939	67299	
10	अन्य देयताएं: (11+12)	0	15415	133	52165	0	0	20301	4426	52165	
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		3	0	0			3	0	0	
12	अन्य सभी देयताएं और इकिवटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	0	15412	133	52165	0	0	20298	4426	52165	
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					1100621				1117942	
आरएसएफ मद											
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					16338				13165	
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	9170	439	0	0	4804	11143	29	0	0	
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	0	162012	33460	640711	598771	9370	177765	64363	634778	
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0	70	0	0	7	0	418	0	0	
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों के लिए कार्यशील ऋण और वित्तीय संस्थानों के लिए असुरक्षित कार्यशील ऋण	0	14161	4924	59193	63778	0	14161	4627	59192	
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कार्यशील ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और राष्ट्रिकों, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	0	147671	28271	410472	403903	0	159484	55448	410472	
20	ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	107901	19458	164848	170828	0	108015	19247	164990	

Consolidated											
NSFR Disclosure as on		31.12.2021					31.03.2022				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
8	Operational deposits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Other wholesale funding	83180	38846	72701	56256	153620	101887	55628	67939	67299	365997
10	Other liabilities: (11+12)	0	15415	133	52165	0	0	20301	4426	52165	77
11	NSFR derivative liabilities		3	0	0			3	0	0	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	0	15412	133	52165	0	0	20298	4426	52165	77
13	Total ASF (1+4+7+10)					1100621					1117942
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					16338					13165
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	9170	439	0	0	4804	11143	29	0	0	9784
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0	162012	33460	640711	598771	9370	177765	64363	634778	672589
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	70	0	0	7	0	418	0	0	41
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	14161	4924	59193	63778	0	14161	4627	59192	61119
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0	147671	28271	410472	403903	0	159484	55448	410472	456564
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	107901	19458	164848	170828	0	108015	19247	164990	2155

समेकित											
एनएसएफआर प्रकटीकरण यथावत (₹ करोड़)		31.12.2021				निर्धारित मूल्य	31.03.2022				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निर्धारित मूल्य
21	कार्यशील आवासीय बंधक, जिनमें से:	0	40	38	73050	47534	0	0	0	74540	71254
22	ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	40	38	73050	47534	0	0	0	74540	27875
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0	70	227	97996	83549	9370	3702	4288	90574	83611
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	5486	144	8	70701	75628	632	147	8	70701	9978
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान	4742	0	0	0	4030	449	0	0	0	382
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	29	6	0	0	34	51	6	0	0	57
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	29	0	0	0	29	39	2	0	0	41
29	सभी अन्य आस्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	686	139	8	70701	71534	93	139	8	70701	9498
30	तुलनपत्रेतर मदें	0	23435	12	65994	3152	0	22213	12	65472	3074
31	कुल आरएसएफ					698694					708590
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (:)					157.53					157.77

Consolidated												
NSFR Disclosure as on		31.12.2021						31.03.2022				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		
21	Performing residential mortgages, of which:	0	40	38	73050	47534	0	0	0	74540	71254	
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	40	38	73050	47534	0	0	0	74540	27875	
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0	70	227	97996	83549	9370	3702	4288	90574	83611	
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	5486	144	8	70701	75628	632	147	8	70701	9978	
25	Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	4742	0	0	0	4030	449	0	0	0	382	
27	NSFR derivative assets	29	6	0	0	34	51	6	0	0	57	
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	29	0	0	0	29	39	2	0	0	41	
29	All other assets not included in the above categories	686	139	8	70701	71534	93	139	8	70701	9498	
30	Off-balance sheet items	0	23435	12	65994	3152	0	22213	12	65472	3074	
31	Total RSF					698694					708590	
32	Net Stable Funding Ratio (%)					157.53					157.77	

3. निवेश

3. ए) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

31.03.2022 तक (चालू वित्त वर्ष)

(राशि रु. करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	ऋण पत्र और बॉन्ड	सब्सिडरीज और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सब्सिडरीज और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	293175.36	0.15	5.13	5506.03	1564.16	154.88	300405.71	0.00	2450.45	0.20	2450.65	302856.36
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	341.59	0.00	341.59	342.70
निवल	293175.36	0.15	4.02	5506.03	1564.16	154.88	300404.60	0.00	2108.86	0.20	2109.06	302513.66
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	30311.94	0.00	6822.06	30365.97	51.12	6079.01	73630.10	1820.01	0.00	1115.46	2935.47	76565.57
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	303.03	0.00	3561.27	2305.18	0.00	664.91	6834.39	27.41	0.00	20.80	48.21	6882.60
निवल	30008.91	0.00	3260.79	28060.79	51.12	5414.10	66795.71	1792.60	0.00	1094.66	2887.26	69682.97
व्यापार के लिए आयोजित												
सकल	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87
कुल निवेश	323458.43	0.15	6827.19	35872.00	1615.28	6233.89	374006.94	1820.01	2450.45	1115.66	5386.12	379393.06
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)#	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	341.59	0.00	341.59	342.70
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	303.03	0.00	3561.27	2305.18	0.00	664.91	6834.39	27.41	0.00	20.80	48.21	6882.60
निवल	323155.40	0.15	3264.81	33566.82	1615.28	5568.98	367171.44	1792.60	2108.86	1094.86	4996.32	372167.76

#केवल एचटीएम

3. Investments

3. a) Composition of Investment Portfolio

As at 31.03.2022 (Current FY)

(Amount in ₹ Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	293175.36	0.15	5.13	5506.03	1564.16	154.88	300405.71	0.00	2450.45	0.20	2450.65	302856.36
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	341.59	0.00	341.59	342.70
Net	293175.36	0.15	4.02	5506.03	1564.16	154.88	300404.60	0.00	2108.86	0.20	2109.06	302513.66
Available for Sale												
Gross	30311.94	0.00	6822.06	30365.97	51.12	6079.01	73630.10	1820.01	0.00	1115.46	2935.47	76565.57
Less: Provision for depreciation and NPI	303.03	0.00	3561.27	2305.18	0.00	664.91	6834.39	27.41	0.00	20.80	48.21	6882.60
Net	30008.91	0.00	3260.79	28060.79	51.12	5414.10	66795.71	1792.60	0.00	1094.66	2887.26	69682.97
Held for Trading												
Gross	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.87
Total Investments	323458.43	0.15	6827.19	35872.00	1615.28	6233.89	374006.94	1820.01	2450.45	1115.66	5386.12	379393.06
Less: Provision for non-Performing investments (NPI)#	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	341.59	0.00	341.59	342.70
Less: Provision for depreciation and NPI	303.03	0.00	3561.27	2305.18	0.00	664.91	6834.39	27.41	0.00	20.80	48.21	6882.60
Net	323155.40	0.15	3264.81	33566.82	1615.28	5568.98	367171.44	1792.60	2108.86	1094.86	4996.32	372167.76

*HTM only

31.03.2021 तक (गत वित्तीय वर्ष)

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	ऋण पत्र और बांड	सब्सिडरीज और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सब्सिडरीज और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	271387.65	0.15	5.13	7076.16	1549.16	427.50	280445.75	0.00	2418.87	0.26	2419.13	282864.88
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	341.59	0.00	341.59	342.72
निवल	271387.65	0.15	4.00	7076.16	1549.16	427.50	280444.62	0.00	2077.28	0.26	2077.54	282522.16
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	72694.83	0.00	8713.15	28637.62	51.12	4179.74	114276.46	1260.30	0.00	1773.06	3033.36	117309.82
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	310.51	0.00	4584.82	1395.31	0.00	539.65	6830.29	18.44	0.00	0.00	18.44	6848.73
निवल	72384.32	0.00	4128.33	27242.31	51.12	3640.09	107446.17	1241.86	0.00	1773.06	3014.92	110461.09
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	344082.48	0.15	8718.28	35713.78	1600.28	4607.24	394722.21	1260.30	2418.87	1773.32	5452.49	400174.70
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई)/ मूल्यहास [#] के लिए प्रावधान	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	341.59	0.00	341.59	342.72
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	310.51	0.00	4584.82	1395.31	0.00	539.65	6830.29	18.44	0.00	0.00	18.44	6848.73
निवल	343771.97	0.15	4132.33	34318.47	1600.28	4067.59	387890.79	1241.86	2077.28	1773.32	5092.46	392983.25

[#]केवल एचटीएम

As at 31.03.2021 (Previous FY)

(Amount in ₹ Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	271387.65	0.15	5.13	7076.16	1549.16	427.50	280445.75	0.00	2418.87	0.26	2419.13	282864.88
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	341.59	0.00	341.59	342.72
Net	271387.65	0.15	4.00	7076.16	1549.16	427.50	280444.62	0.00	2077.28	0.26	2077.54	282522.16
Available for Sale												
Gross	72694.83	0.00	8713.15	28637.62	51.12	4179.74	114276.46	1260.30	0.00	1773.06	3033.36	117309.82
Less: Provision for depreciation and NPI	310.51	0.00	4584.82	1395.31	0.00	539.65	6830.29	18.44	0.00	0.00	18.44	6848.73
Net	72384.32	0.00	4128.33	27242.31	51.12	3640.09	107446.17	1241.86	0.00	1773.06	3014.92	110461.09
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	344082.48	0.15	8718.28	35713.78	1600.28	4607.24	394722.21	1260.30	2418.87	1773.32	5452.49	400174.70
Less: Provision for non-Performing investments (NPI)/ dep#	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	341.59	0.00	341.59	342.72
Less: Provision for depreciation and NPI	310.51	0.00	4584.82	1395.31	0.00	539.65	6830.29	18.44	0.00	0.00	18.44	6848.73
Net	343771.97	0.15	4132.33	34318.47	1600.28	4067.59	387890.79	1241.86	2077.28	1773.32	5092.46	392983.25

*HTM only

3. बी) मूल्यहास और निवेश अस्थिर रिजर्व के प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
ए) प्रारम्भिक शेष	7191.44	3288.55
बी) ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण परिवर्धन	0.00	2989.22
सी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1643.55	1038.05
डी) घटाएं: वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधान के लिए बट्टे खाते में डाली गयी/प्रतिलिखित राशि	1609.69	124.38
ई) अंतिम शेष	7225.30	7191.44
ii) अस्थिर रिजर्व निवेश में उतार-चढ़ाव		
ए) प्रारम्भिक शेष	538.81	48.52
बी) ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण परिवर्धन	0.00	10.20
सी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	854.85	480.09
डी) घटाएं: गिरावट	0.00	0.00
ई) अंतिम शेष	1393.66	538.81
iii) एएफएस और एचएफटी/चालू श्रेणी (निवल) में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2.00%	0.49%

3. b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve (Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a) Opening balance	7191.44	3288.55
b) Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI	0.00	2989.22
c) Add: Provision made during the year	1643.55	1038.05
d) Less: Write off / write back of excess provisions during the Year	1609.69	124.38
e) Closing balance	7225.30	7191.44
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening balance	538.81	48.52
b) Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI	0.00	10.20
c) Add: Amount transferred during the year	854.85	480.09
d) Less: Drawdown	0.00	0.00
e) Closing balance	1393.66	538.81
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category (Net)	2.00%	0.49%

3. सी) एचटीएम श्रेणी में /से बिक्री एवं अंतरण

1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या डीओआर.एमआरजी 42/21.04.141/ 2021-22 दिनांक 25.08.2021 के अनुसार निवल अनुमत छूट के बाद एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का दिनांक 31.03.2021 को एचटीएम श्रेणी में कुल मूल्य धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं बढ़ा।

इसलिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(गत वर्ष: 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरणों का कुल मूल्य 31.03.2020 को स्थित एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य से 5% अधिक नहीं बढ़ा है। (निम्नलिखित लेनदेनों को छोड़कर) [उक्त वर्णित 5% की सीमा से निम्नलिखित बाहर रहेंगे—(ए) लेखा वर्ष के आरम्भ में बैंकों द्वारा स्वीकृत निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी को/से एकबार में किया जाने वाला प्रतिभूतियों का अंतरण, (बी) पूर्व में घोषित ओएमओ नीलामी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को किया जाने वाला विक्रय, (सी) भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, (डी) लेखा वर्ष की आरंभिक तिमाही में अनुमोदित शिफ्टिंग के अलावा एचटीएम के तहत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीलिंग कम करने के फलस्वरूप एएफएस/एचएफटी को प्रतिभूतियों की बिक्री या अंतरण]। इसलिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया जाना है।

3. डी) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

3. डी) i) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
ए)	प्रारम्भिक शेष	5470.93	2914.85
बी)	ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण परिवर्धन	0.00	2717.64
सी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3656.41	831.86
डी)	उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	2100.07	993.42
ई)	अंतिम शेष	7027.27	5470.93
एफ)	कुल धारित प्रावधान	6447.31	4667.50

3. c) Sale and transfers to/from HTM category

The total value of sales and transfers of securities to / from HTM category after netting permitted exclusions in terms of RBI Master Circular No. DOR.MRG.42/21.04.141/ 2021-22 dated 25.08.2021 during 1st April 2021 to 31st March 2022 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on 31.03.2021.

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines.

(Previous year: The total value of sales and transfers of securities to / from HTM category during 1st April 2020 to 31st March 2021 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on 31.03.2020 (Excluding following Transactions). [The 5 percent threshold referred to above will exclude (a) the one- time transfer of securities to/ from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning quarter of the accounting year (b) sales to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions, (c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks, (d) Sale of securities or transfer to AFS / HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM in addition to the shifting permitted at the beginning quarter of the accounting year]. As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines).

3. d) Non-SLR investment portfolio

3. d) i) Non-performing non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Opening balance	5470.93	2914.85
b)	Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI	0.00	2717.64
c)	Additions during the year	3656.41	831.86
d)	Reductions during the above period	2100.07	993.42
e)	Closing balance	7027.27	5470.93
f)	Total provisions held	6447.31	4667.50

3. डी) ii) गैर एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि		निजी स्थानन की मात्रा		“निवेश श्रेणी से नीचे” की प्रतिभूतियों की मात्रा		“बिना रेटिंग की” प्रतिभूतियों की मात्रा		“गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों” की मात्रा	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
ए)	पीएसयू	13385.85	12046.54	8685.95	7022.72	265.56	0.00	0.00	0.00	2577.10	2466.33
बी)	एफआई	7622.74	11847.21	5691.89	8111.88	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सी)	बैंक	6131.67	6339.24	3130.80	2698.79	1662.00	1575.02	0.00	0.00	0.00	0.00
डी)	निजी कॉर्पोरेट	10063.10	9736.84	8719.08	7802.18	5505.16	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00
ई)	अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम	3351.54	3205.02	3351.54	3205.02	664.01	341.59	0.00	0.00	0.00	0.00
एफ)	अन्य*	71767.61	69444.25	10097.86	9567.15	72.22	662.70	0.00	0.00	0.00	0.00
जी)	घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान	6922.28	6880.53	3126.31	3633.25	4497.05	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़**	105400.23	105738.57	36550.81	34774.49	3715.90	2412.94	0.00	0.00	2577.10	2466.33

*अन्य में ₹ 56388.01 करोड़ (गत वर्ष ₹ 57769.30 करोड़) (मूल्यहास को घटाकर, यदि कोई हो) की विशेष सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**उपरोक्त कॉलम में 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकती।

3. ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संबंध में)

(राशि ₹ करोड़ में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.03.2022 को बकाया
i) रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां					
ए)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	35.00	21151.92	946.17	5110.84
		(40.00)	(6701.91)	(400.15)	(1540.53)
बी)	कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
सी)	कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ii) रिवर्स रेपो के अन्तर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां					
ए)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	10.00	27739.18	500.51	30.00
		(5.13)	(781.66)	(24.80)	(0.00)
बी)	कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
सी)	कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

3. d) ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	PSUs	13385.85	12046.54	8685.95	7022.72	265.56	0.00	0.00	0.00	2577.10	2466.33
b)	FIs	7622.74	11847.21	5691.89	8111.88	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Banks	6131.67	6339.24	3130.80	2698.79	1662.00	1575.02	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Private Corporates	10063.10	9736.84	8719.08	7802.18	5505.16	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	3351.54	3205.02	3351.54	3205.02	664.01	341.59	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	Others*	71767.61	69444.25	10097.86	9567.15	72.22	662.70	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	Less: Provision held towards depreciation	6922.28	6880.53	3126.31	3633.25	4497.05	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total **	105400.23	105738.57	36550.81	34774.49	3715.90	2412.94	0.00	0.00	2577.10	2466.33

*Others include special Govt. Securities of ₹ 56388.01Crore (previous year ₹ 57769.30Crore) [Net of depreciation, if any]

**Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

3. e) Repo transactions (in face value terms)

(Amount in ₹ crore)

		Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily average outstanding during the Year	Outstanding as on 31.03.2022
i) Securities sold under repo					
a)	Government securities	35.00 (40.00)	21151.92 (6701.91)	946.17 (400.15)	5110.84 (1540.53)
b)	Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
c)	Any other securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii) Securities purchased under reverse repo					
a)	Government securities	10.00 (5.13)	27739.18 (781.66)	500.51 (24.80)	30.00 (0.00)
b)	Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
c)	Any other securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

4. आस्ति गुणवत्ता

4. ए) अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारम्भिक शेष	634984.01 (443450.07)	22979.98 (12532.04)	60327.67 (50291.11)	21115.77 (10655.61)	104423.42 (73478.76)	739407.43 (516928.83)
ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण परिवर्धन					0.00 (31686.38)	
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान सहित सामंजस्य का प्रभाव, यदि कोई हो					24743.67 (28939.83)	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती*					36719.05 (29681.55)	
अंतिम शेष	692656.32 (634984.01)	16401.47 (22979.98)	59009.18 (60327.67)	17037.39 (21115.77)	92448.04 (104423.42)	785104.36 (739407.43)
*के कारण सकल एनपीए में कमी:						
i) उन्नय					5253.26 (2363.04)	5253.26 (2363.04)
ii) वसूली (उन्नयन खातों से वसूली को छोड़कर)					9466.65 (11441.53)	9466.65 (11441.53)
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खाते में डालना					18139.36 (12202.43)	18139.36 (12202.43)
iv) उपरोक्त (iii) के तहत उन के अलावा अन्य को बड़े खाते में डालना					3859.78 (3674.55)	3859.78 (3674.55)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रावधान (उतार-चढ़ाव प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	4755.91 (2782.43)	4089.89 (2299.41)	40003.31 (32315.53)	21034.65 (10868.29)	65127.85 (45483.23)	69883.76 (48265.66)
ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण परिवर्धन					0.00 (20367.09)	
सामंजस्य जोड़ें					0.00 (451.17)	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					19938.02 (23643.62)	
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड/बड़े खाते में डाले गए ऋण					28209.24 (24817.26)	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	5986.96 (4755.91)	2649.76 (4089.89)	37253.77 (40003.31)	16953.10 (21034.65)	56856.63 (65127.85)	62843.59 (69883.76)

4. Asset Quality

4. a) Classification of advances and provisions held

(Amount in ₹ crore)

	Standard	Non-Performing			Total Non-Performing Advances	Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss		
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	634984.01 (443450.07)	22979.98 (12532.04)	60327.67 (50291.11)	21115.77 (10655.61)	104423.42 (73478.76)	739407.43 (516928.83)
Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI					0.00 (31686.38)	
Add: Additions during the Year including effect of harmonization, if any					24743.67 (28939.83)	
Less: Reductions during the Year *					36719.05 (29681.55)	
Closing balance	692656.32 (634984.01)	16401.47 (22979.98)	59009.18 (60327.67)	17037.39 (21115.77)	92448.04 (104423.42)	785104.36 (739407.43)
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					5253.26 (2363.04)	5253.26 (2363.04)
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					9466.65 (11441.53)	9466.65 (11441.53)
iii) Technical/ Prudential Write-offs					18139.36 (12202.43)	18139.36 (12202.43)
iv) Write-offs other than those under (iii) above					3859.78 (3674.55)	3859.78 (3674.55)

	Standard	Non-Performing			Total Non-Performing Advances	Total
	Total Standard Advances	Sub- standard	Doubtful	Loss		
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	4755.91 (2782.43)	4089.89 (2299.41)	40003.31 (32315.53)	21034.65 (10868.29)	65127.85 (45483.23)	69883.76 (48265.66)
Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI					0.00 (20367.09)	
Add Harmonisation					0.00 (451.17)	
Add: Fresh provisions made during the Year					19938.02 (23643.62)	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					28209.24 (24817.26)	
Closing balance of provisions held	5986.96 (4755.91)	2649.76 (4089.89)	37253.77 (40003.31)	16953.10 (21034.65)	56856.63 (65127.85)	62843.59 (69883.76)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
निवल एनपीए						
प्रारम्भिक शेष		18890.10 (10232.64)	19604.48 (16986.26)	81.12 (0.00)	38575.70 (27218.90)	
ईओबीसी और ईयूएनआई के सम्मेलन के कारण परिवर्धन					0.00 (11100.63)	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					17580.49 (21677.98)	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					21247.46 (21421.81)	
अंतिम शेष		13751.71 (18890.10)	21072.72 (19604.48)	84.30 (81.12)	34908.73 (38575.70)	34908.73 (38575.70)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
अस्थिर प्रावधान						
प्रारम्भिक शेष						0.00 (360.25)
ईओबीसी और ईयूएनआई के सम्मेलन के कारण परिवर्धन						0.00 (24.12)
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00 (0.00)
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0.00 (384.37)
अस्थिर प्रावधानों का अंतिम शेष						0.00 (0.00)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष						89799.69 (49095.75)
ईओबीसी और ईयूएनआई के सम्मेलन के कारण परिवर्धन						0.00 (28501.52)
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना						18356.29 (18040.70)
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली						10855.23 (5838.28)
अंतिम शेष						97300.75 (89799.69)

	Standard	Non-Performing			Total	
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss		Total Non-Performing Advances
Net NPAs						
Opening Balance		18890.10 (10232.64)	19604.48 (16986.26)	81.12 (0.00)	38575.70 (27218.90)	
Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI					0.00 (11100.63)	
Add: Fresh additions during the year					17580.49 (21677.98)	
Less: Reductions during the year					21247.46 (21421.81)	
Closing Balance		13751.71 (18890.10)	21072.72 (19604.48)	84.30 (81.12)	34908.73 (38575.70)	34908.73 (38575.70)

	Standard	Non-Performing			Total	
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss		Total Non-Performing Advances
Floating Provisions						
Opening Balance					0.00 (360.25)	
Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI					0.00 (24.12)	
Add: Additional provisions made during the Year					0.00 (0.00)	
Less: Amount drawn down during the Year					0.00 (384.37)	
Closing balance of floating provisions					0.00 (0.00)	

	Standard	Non-Performing			Total	
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss		Total Non-Performing Advances
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					89799.69 (49095.75)	
Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI					0.00 (28501.52)	
Add: Technical/ Prudential write-offs during the Year					18356.29 (18040.70)	
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the Year					10855.23 (5838.28)	
Closing balance					97300.75 (89799.69)	

अनुपात (प्रतिशत में)	चालू वर्ष	गत वर्ष
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	11.78%	14.12%
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	4.80%	5.73%
प्रावधान कवरेज अनुपात	81.60%	80.14%

4. बी) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	चालू वर्ष			गत वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	105870.98	24354.60	23.00%	103023.38	21481.70	20.85%
बी)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	45970.12	8005.11	17.41%	45382.05	9544.18	21.03%
सी)	सेवाएं	78632.45	18156.22	23.09%	80409.18	17081.34	21.24%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	35188.84	2473.09	7.03%	41086.77	2522.42	6.14%
	उप जोड़ (i)	265662.39	52989.02	19.95%	269901.38	50629.64	18.76%
ii)	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	18937.52	858.55	4.53%	9799.74	407.97	4.16%
बी)	उद्योग	135356.14	22198.10	16.40%	148470.25	28648.15	19.30%
सी)	सेवाएं	143186.03	5567.89	3.89%	139820.54	9771.09	6.99%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	221962.28	10834.48	4.88%	171415.52	14966.57	8.73%
	उप जोड़ (ii)	519441.97	39459.02	7.60%	469506.05	53793.78	11.46%
	कुल (i+ii)	785104.36	92448.04	11.78%	739407.43	104423.42	14.12%

4. सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
कुल आस्तियां	43561.22	45802.81
कुल एनपीए	1845.08	2340.67
कुल राजस्व	754.81	1365.21

Ratios (in per cent)	Current Year	Previous Year
Gross NPA to Gross Advances	11.78%	14.12%
Net NPA to Net Advances	4.80%	5.73%
Provision coverage ratio	81.60%	80.14%

4. b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	105870.98	24354.60	23.00%	103023.38	21481.70	20.85%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	45970.12	8005.11	17.41%	45382.05	9544.18	21.03%
c)	Services	78632.45	18156.22	23.09%	80409.18	17081.34	21.24%
d)	Personal Loans	35188.84	2473.09	7.03%	41086.77	2522.42	6.14%
	Sub-total (i)	265662.39	52989.02	19.95%	269901.38	50629.64	18.76%
ii)	Non Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	18937.52	858.55	4.53%	9799.74	407.97	4.16%
b)	Industry	135356.14	22198.10	16.40%	148470.25	28648.15	19.30%
c)	Services	143186.03	5567.89	3.89%	139820.54	9771.09	6.99%
d)	Personal Loans	221962.28	10834.48	4.88%	171415.52	14966.57	8.73%
	Sub-total (ii)	519441.97	39459.02	7.60%	469506.05	53793.78	11.46%
	Total (i+ii)	785104.36	92448.04	11.78%	739407.43	104423.42	14.12%

4. c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Assets	43561.22	45802.81
Total NPAs	1845.08	2340.67
Total Revenue	754.81	1365.21

4. डी) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

4. डी) i) आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या.बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजना से संबंधित प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
पुनर्गठन आदि के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि	6	346.68	4	1869.24
पुनर्गठन आदि के अधीन मानक आस्तियों की राशि।	शून्य	शून्य	1	300.38
पुनर्गठन आदि के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि।	6	346.68	3	1568.86
वर्ष के दौरान पुनर्गठन पर इक्विटी के रूपांतरण के कारण शेरों का अधिग्रहण	1	1.54	1	25.90

4. डी) ii) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर 7 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र डीबीआर नंबर बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 के अनुसार, बैंक के पास 31 मार्च, 2022 को 20 खातों में 2007.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2022 को ऋण की राशि	31.03.2022 तक धारित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)
5875.07	4617.59	4617.59	2007.22

31.03.2021 (गत वर्ष)

बैंक के पास 31.03.2021 तक 15 खातों में ₹ 2139.28 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2021 को ऋण की राशि	31.03.2021 तक धारित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)
9491.98	3605.06	3605.06	2139.28

4. d) Particulars of resolution plan and restructuring

4. d) i) Disclosure related to Resolution Plan implemented during the year in terms of RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year		Previous Year	
	No. of Accts	Amount	No. of Accts	Amount
Total amount of Loan assets subjected to restructuring etc.	6	346.68	4	1869.24
The amount of standard assets subjected to restructuring etc.	NIL	NIL	1	300.38
The amount of Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	6	346.68	3	1568.86
Acquisition of shares due to conversion of equity on restructuring during the year	1	1.54	1	25.90

4. d) ii) In terms of RBI Circular DBR No. BP. BC 45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, the Bank is holding additional provision of Rs.2007.22 Crore as on March 31, 2022 in 20 accounts as detailed below:

(Amount in ₹ crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular	Amount of Loans to be classified as NPA	Amount of loans as on 31.03.2022 out of (b) classified as NPA	Provision held as on 31.03.2022
(a)	(b)	(c)	(d)
5875.07	4617.59	4617.59	2007.22

31.03.2021 (Previous Year)

Bank was holding additional provision of ₹ 2139.28Crores as on 31.03.2021 in 15 accounts as detailed below:

(Amount in ₹ crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular	Amount of Loans to be classified as NPA	Amount of loans as on 31.03.2021 out of (b) classified as NPA	Provision held as on 31.03.2021
(a)	(b)	(c)	(d)
9491.98	3605.06	3605.06	2139.28

4. डी) iii) पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण 31.03.2022 (चालू वर्ष)

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित खातों (31.03.2022 के अनुसार) का प्रकटीकरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार ->	सीडीआर तंत्र के तहत						एसएसई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत						अन्य						कुल		
		मानक (₹)	अव मानक (बी)	संदिग्ध (सी)	हानि (डी)	कुल (ई)	मानक (एफ)	अव मानक (जी)	संदिग्ध (एच)	हानि (आई)	कुल (जे)	मानक (के)	अव मानक (एल)	संदिग्ध (एम)	हानि (एन)	कुल (ओ)	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	उधारकर्ताओं की संख्या बढ़ाया राशि (प्रारंभिक आंकड़े)	0	3	3	0	6	459	26	19	1	505	3,892	4	17	0	3913	4,351	33	39	1	4,424	
1	पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	0.00	21,204.53	591,888.94	0.00	80,993.47	17,284.37	235,888.98	83,752.25	4.03	49,526.63	2,19,909.53	19,296.52	11,818.62	0.00	35,799.27	2,37,193.90	64,090.03	1,85,750.41	4.03	4,87,038.38	
	उक्त में प्राक्धान	0.00	484.74	500.96	0.00	985.70	1,997.62	13,741.19	3,402.34	4.03	4,778.18	12,716.16	5363.00	780.42	0.00	18,859.58	14,713.78	7,221.93	2,683.72	4.03	24,623.46	
2	वर्ष 2021-22 के दौरान नए पुनर्गठन (मीजूदा खातों में जो / एस में वृद्धि)	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1,737	1,665	760	0	4,162	1,737	1,666	761	0	4,164	
	उधारकर्ताओं की संख्या बढ़ाया राशि	0.00	3025.03	1,395.16	0	1,697.39	0.00	477.98	0.00	0	477.98	2,48,364.48	5,905.34	231,691.18	0.00	27,749.00	2,48,364.48	9,408.35	37,120.54	0.00	2,94,893.37	
	उक्त में प्राक्धान	0.00	1.65	285.88	0.00	287.53	63.85	233.71	630.85	0.00	928.41	10,252.01	264.86	55,931.65	0.00	16,110.52	10,315.86	500.22	6,510.38	0.00	17,326.46	
3	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्गठित मानक अंगी में अपग्रेडेशन	0	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	3,585	7	0	0	3,592	3,587	5	0	0	3,592	
	बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.33	-142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.69	0.00	0.00	9,705.69	142.33	96,916.36	0.00	0.00	97,058.69	
	उक्त में प्राक्धान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	-12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.45	0	0.00	1,091.45	12.30	1,079.15	0.00	0.00	1,091.45	
4	वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में उच्च प्राक्धान और/या अतिरिक्त जोखिम भार को संकलन है और इसलिए अग्रिम वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	-1	0	0	0	-1	-1	0	-3	0	-4	
	बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,478.80	0.00	-21,478.80	-26,425.54	0	0	0.00	-26,425.54	-26,425.54	0.00	-2,147.80	0.00	-4,790.34	
5	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन	0	-2	0	0	-2	-176	27	129	20	0	-2509.00	-4	0	0	-2513	-2,685	21	129	20	-2,515	
	बकाया राशि	0.00	-1,728.55	0.00	0.00	-1,728.55	-11,153.95	-19,392.99	20,583.53	99,633.39	-0.02	-3,593.48	-1,960.35	0	0.00	-23,998.83	-14,747.43	-56,226.89	20,583.53	9,963.39	-40,427.40	
	उक्त में प्राक्धान	0.00	-263.55	0.00	0.00	-263.55	-1,523.11	-29.51	12,731.63	31,067.75	282.76	-3,589.92	-5,415.46	0	0.00	-5,774.38	-1,882.03	-5,708.52	1,273.63	3,106.75	-3,210.17	
6	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना (निकास)	0	0	-1	0	-1	-52	4	-4	-21	-81	0.00	-1.00	-3	0	-4	-52	-5	-8	-21	-86	
	बकाया राशि	0.00	0.00	-739.43	0.00	-739.43	-784.70	0.00	-1,591.97	-9,967.42	-1,091.20	0.00	-601.40	-42,107.73	0.00	-42,709.13	-784.70	-601.40	-43,007.13	-9,967.42	-54,360.65	
	उक्त में प्राक्धान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.66	-153.57	0.00	-311.78	-3,278.01	-5,768.25	-762.12	-491.77	0.00	-7,022.14	-5,781.91	-915.69	-491.77	-3,110.78	-10,300.15	
7	31 मार्च, 2022 तक खातों का पुनर्गठन (अंतिम आंकड़े)	0	1	3	0	5	233	47	141	0	421	6,704	1,671	774	0	9,149	6,937	1,719	918	0	9,574	
	बकाया राशि	0.00	7,001.01	72,400.87	0.00	79,401.88	5,488.05	4,531.64	26,651.01	0	36,670.70	4,62,037.99	1,02,053.80	99,247.67	0	6,63,339.46	4,67,526.04	1,13,586.45	1,98,299.55	0.00	7,79,412.05	
	उक्त में प्राक्धान	0.00	222.83	786.84	0.00	1,009.67	537.00	1,412.52	2,624.55	0	4,574.07	16,708.87	541.73	5,882.30	0	23,132.90	17,245.87	2,177.08	9,293.69	0.00	28,716.64	

4. d) iii) Disclosure of Restructured Accounts 31.03.2022 (Current Year)
Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2022) as per revised guidelines

(Rs in lakhs)

Sl No	Type of Restructuring -> Asset Classification -> Details	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total					
		Standard (a)	Sub-Standard (b)	Doubtful (c)	Loss (d)	Total (e)	Standard (f)	Sub-Standard (g)	Doubtful (h)	Loss (i)	Total (j)	Standard (k)	Sub-Standard (l)	Doubtful (m)	Loss (n)	Total (o)	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
1	Restructured Accounts as on April 1, 2021 (opening figures)	0.00	21204.53	59188.94	0.00	80393.47	17,284.37	23588.98	8375.25	4.03	49252.63	2,19,909.53	19396.52	118186.22	0.00	357392.27	2,37,193.90	64,090.03	1,85,750.41	0.00	4.03	4,87,038.38
	Provision thereon	0.00	484.74	500.96	0.00	985.70	1,997.62	1374.19	1402.34	4.03	4778.18	12,716.16	5363.00	780.42	0.00	18859.58	14,713.78	7,221.93	2,683.72	0.00	4.03	24,623.46
2	Fresh restructuring during the year 2021-22 (plus addition in O/S in existing a/c/s)	0.00	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1,737	1665	760	0	4162	1,737	1,666	761	0	0	4,164
	Amount outstanding	0.00	3025.03	13951.36	0	16976.39	0.00	477.98	0.00	477.98	2,48,364.48	5905.34	23169.18	0.00	277439.00	2,48,364.48	9,408.35	37,120.54	0.00	0.00	0.00	2,94,893.37
	Provision thereon	0.00	1.65	285.88	0.00	287.53	63.85	233.71	630.85	0.00	928.41	10,252.01	264.86	5593.65	0.00	16110.52	10,315.86	500.22	6,510.38	0.00	0.00	17,326.46
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.33	-142.33	0.00	0.00	0.00	97058.69	0.00	0.00	0.00	97058.69	142.33	96,916.36	0.00	0.00	0.00	97,058.69
	Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	-2	0	0	0	3585	7	0	0	3592	3,587	5	0	0	0	3,592
	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	-12.30	0.00	0.00	0.00	1091.45	0.00	0.00	0.00	1091.45	12.30	1,079.15	0.00	0.00	0.00	1,091.45
4	Restructured standard advances at the beginning of the FY 2021-22, which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2021-22 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3	0	-3	-1	0	0	0	-1	-1	0	0	-3	0	-4
	Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2147.80	-2642.54	0	0	0	-2642.54	-2,642.54	0.00	-2,147.80	0.00	-2,147.80	0.00	-4,790.34
	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-682.27	-132.13	0	0	0	-132.13	-132.13	0.00	-682.27	0.00	-682.27	0.00	-814.40
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2021-22	0.00	-2	0	0	-2	-176	27	129	20	0	-2509.00	-4	0	0	-2513	-2,685	21	129	20	0	-2,515
	Amount outstanding	0.00	-17228.55	0.00	0.00	-17228.55	-11,153.95	-19392.99	20,583.53	9963.39	-0.02	-3593.48	-19605.35	0	0.00	-23198.83	-14,747.43	-56,226.89	20,583.53	9,963.39	0.00	-40,427.40
	Provision thereon	0.00	-263.55	0.00	0.00	-263.55	-1,523.11	-29.51	1273.63	3106.75	2827.76	-358.92	-5415.46	0	0.00	-5774.38	-1,882.03	-5,708.52	1,273.63	3,106.75	0.00	-3,210.17
	No. of borrowers	0	0	-1	0	-1	-52	-4	-4	-21	-81	0.00	-1.00	-3	0	-4	-52	-5	-8	-21	0	-86
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2021-22 (EXIT)	0.00	0.00	-739.43	0.00	-739.43	-784.70	0.00	-159.97	-9967.42	-10912.09	0.00	-601.40	-42107.73	0.00	-42709.13	-784.70	-601.40	-43,007.13	-9,967.42	0.00	-54,360.65
	Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.66	-153.57	0.00	-3110.78	-3278.01	-5768.25	-762.12	-491.77	0.00	-7022.14	-5,781.91	-915.69	-491.77	-3,110.78	0.00	-10,300.15
	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233	47	141	0	421	6,704	1,671	774	0	9,149	6,937	1,719	918	0	0	9,574
7	Accounts Restructured as on March 31, 2022 (closing figures)	0.00	7,001.01	72,400.87	0.00	79,401.88	5,488.05	4,531.64	26,651.01	0	36,670.70	4,62,037.99	1,02,053.80	99,247.67	0	6,63,399.46	4,67,526.04	1,13,586.45	1,98,299.55	0.00	0.00	7,79,412.05
	Amount outstanding	0.00	222.83	786.84	0.00	1,009.67	537.00	1,412.52	2,624.55	0	4,574.07	16,708.87	541.73	5,882.30	0	23,132.90	17,245.87	2,177.08	9,293.69	0.00	0.00	28,716.64

31.03.2021 (गत वर्ष)

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्मूल्यांकित खातों (31.03.2021 के अनुसार) का प्रकटीकरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	पुनर्मूल्यांकन का प्रकार ->	सीडीआर वॉज के तहत					एसएफई ऋण पुनर्मूल्यांकन वॉज के तहत					अन्य					कुल					
		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
																						(₹)
1	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया पश्चि उत्क में प्रवधान	3	1	22	2	28	437	124	2,467	6	3,034	4721	532	2180	2	7435	5161	657	4,669	10	10,497	
		913.00	28590.50	187018.99	8639.13	225161.62	16,023.21	23,427.85	30,266.83	27,381.78	97,099.67	206699.30	74768.51	240052.27	9381.00	530901.08	223,635.51	126,786.86	457,338.09	45,401.91	853,162.37	
		155.00	460.92	1711.43	-0.00	2327.35	3,015.99	1,709.02	19,883.83	27,376.78	51,985.62	9339.65	6105.66	2156.53	-0.00	17,661.84	12,510.64	8,335.60	23,751.80	27,376.78	71,974.81	
2	वर्ष 2020-21 के दौरान नए पुनर्मूल्यांकित खातों में ओ / एस में युक्ति	0	3	0	0	3	0	0	7	2	9	984	0	0	0	984.00	984	3	7	2	996	
		0.00	21,204.53	28758.24	0	49962.77	1,323.47	2,881.17	0.00	6.15	4,210.79	75969.91	0	0	0	75969.91	77,293.38	24,085.70	28,758.24	6.15	130,143.47	
		0.00	555.20	2.77	0.00	557.97	179.20	228.85	457.39	0.00	865.44	6124.84	0	0	0	6124.84	6,304.04	784.05	460.16	0.00	7,548.25	
3	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्मूल्यांकित मानक श्रेणी में अप्रयोज्य	0	0	0	0	0	68	-64	-4	0	0	0	3	7	0	10	68	-61	3	0	10	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.38	-2,060.42	-67.96	0.00	0.00	0.00	0	2920.74	53001.57	0	55922.31	2,128.38	860.32	52,933.61	0.00	55,922.31
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.59	-233.85	1.26	0.00	0.00	0	87.59	26.75	0	114.34	232.59	-146.26	28.01	0.00	114.34	
4	वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत में पुनर्मूल्यांकित मानक अग्रिम, जो वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में उच्च प्रवधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार को सेकुरा है और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्मूल्यांकित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-666	0.00	0	-666.00	-666	0	0	0	-666		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1566.68	0.00	0.00	-1566.68	-1,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,566.68	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.33	0.00	0.00	-78.33	-78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.33	
5	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्मूल्यांकित खातों का डायनमिशन	0	-1	1	3	3	-12	-26	-257	1	-294	0	-6	-7	0	-13	-12	-33	-263	4	-304	
		0.00	-28,590.50	28590.50	19687.23	19687.23	-1,953.19	-617.62	1,835.80	4.03	-730.98	0.00	-22989.47	-28720.04	0.00	-51709.51	-1,953.19	-52,197.59	1,706.26	19,691.26	-32,753.26	
		0.00	-460.92	460.92	0.00	0.00	-1,132.62	-329.83	923.90	4.03	-534.52	0.00	-26.75	-273.26	0.00	-300.01	-1,132.62	-817.50	1,111.56	4.03	-884.53	
6	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्मूल्यांकित खातों को बट्टे खातों में डालना (निकास)	-3	0	-20	-5	-28	-34	-8	-2,194	-8	-2,244	-1147	-525.00	-2163	-2	-3837	-1,184	-533	-4,377	-15	-6,109	
		-913.00	0.00	-185,178.79	-28326.36	-2,144,18.15	-237.50	-42.00	-23,659.42	-27,387.93	-51,326.85	-61,093	-35,403.26	-146,147.58	-9381.00	-252,124.84	-62,343.50	-35,445.26	-354,985.79	-65,095.29	-517,869.84	
		-155.00	-70.47	-1674.16	0.00	-1899.63	-297.54	0.00	-19,864.04	-27,376.78	-47,538.36	-2670	-863.50	-1129.60	0.00	-4663.10	-3,122.54	-933.97	-22,667.80	-27,376.78	-54,101.09	
7	31 मार्च, 2021 तक खातों का पुनर्मूल्यांकन (अंतिम आंकड़े)	0	3	3	0	6	459	26	19	1	505	3892	4	17	0	3913	4,351	33	39	1	4,424	
		0.00	21,204.53	59,188.94	0.00	80,393.47	17,284.37	23,588.98	8,375.25	4.03	49,252.63	19296.52	118186.22	0.00	357392.27	237,193.90	64,090.03	185,750.41	4.03	487,088.38		
		0.00	484.73	500.96	-0.00	985.69	1,997.62	1,374.19	1,402.34	4.03	4,778.18	12716.16	5363.00	780.42	-0.00	18859.58	14,713.78	7,221.92	2,683.72	4.03	24,623.46	

31.03.2021 (Previous Year)
Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2021) as per revised guidelines

(Rs in lakhs)

Sl No	Type of Restructuring -> Asset Classification -> Details	Under CDR Mechanism						Under SME Debt Restructuring Mechanism						Others						Total			
		Standard (a)	Sub-Standard (b)	Doubtful (c)	Loss (d)	Total (e)	Standard (f)	Sub-Standard (g)	Doubtful (h)	Loss (i)	Total (j)	Standard (k)	Sub-Standard (l)	Doubtful (m)	Loss (n)	Total (o)	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total		
1	Restructured Accounts as on April 1 2020 (opening figures*)	3	1	22	2	28	437	124	2,467	6	3,034	4721	532	2180	2	7435	5,161	657	4,669	10	10,497		
	Amount outstanding	913.00	28590.50	187018.99	8639.13	225161.62	16,023.21	23,427.85	30,266.83	27,381.78	97,099.67	206699.30	74768.51	240052.27	9381.00	530001.08	223,635.51	126,786.86	457,338.09	45,401.91	853,162.37		
	Provision thereon	155.00	460.92	1711.43	-0.00	2327.35	3,015.99	1,709.02	19,888.83	27,376.78	51,985.62	9339.65	6165.66	2156.53	-0.00	17661.84	12,510.64	8,335.60	23,751.80	27,376.78	71,974.81		
	No. of borrowers	0	3	0	0	3	0	0	7	2	9	984	0	0	0	984.00	984	3	7	2	996		
2	Fresh restructuring during the year 2020-21 (plus addition in O/S in existing a/s)	0.00	21204.53	28758.24	0	49962.77	1,323.47	2,881.17	0.00	6.15	4,210.79	75969.91	0	0	0	75969.91	77,293.38	24,085.70	28,758.24	6.15	130,443.47		
	Amount outstanding	0.00	555.20	2.77	0.00	557.97	179.20	228.85	457.39	0.00	865.44	6124.84	0	0	0	6124.84	6,304.04	784.05	460.16	0.00	7,548.25		
	Provision thereon	0	0	0	0	0	68	-64	-4	0	0	0	3	7	0	10	68	-61	3	0	10		
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.38	-2,060.42	-67.96	0.00	0.00	0	2920.74	53001.57	0	55922.31	2,128.38	860.32	52,933.61	0.00	55,922.31		
	Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.59	-233.85	1.26	0.00	0.00	0	87.59	26.75	0	114.34	232.59	-146.26	28.01	0.00	114.34		
	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	-666	0.00	0	-666.00	-666	0	0	0	-666			
4	Restructured standard advances at the beginning of the FY 2020-21, which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2020-21 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-666	0.00	0	-666.00	-666	0	0	0	0	-666		
	Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1566.68	0.00	0.00	-1566.68	-1566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1566.68		
	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.33	0.00	0.00	-78.33	-78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.33		
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2020-21	0	-1	1	3	3	-12	-26	-257	1	-294	0	-6	-7	0	-13	-12	-33	-263	4	-304		
	Amount outstanding	0.00	-28,590.50	28590.50	19687.23	19687.23	-1,953.19	-617.62	1,835.80	4.03	-730.98	0.00	-22989.47	-28720.04	0.00	-51709.51	-1,953.19	-52,197.59	1,706.26	19,691.26	-32,753.26		
	Provision thereon	0.00	-460.92	460.92	0.00	0.00	-1,132.62	-329.83	923.90	4.03	-554.52	0.00	-26.75	-273.26	0.00	-300.01	-1,132.62	-817.50	1,111.56	4.03	-834.53		
	No. of borrowers	-3	0	-20	-5	-28	-34	-8	-2,194	-8	-2,244	-1147	-525.00	-2163	-2	-3837	-1,194	-533	-4,377	-15	-6,109		
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2020-21 (Exit)	-913.00	0.00	-185178.79	-28326.36	-214418.15	-237.50	-42.00	-23,659.42	-27,387.93	-51,326.85	-61193	-35403.26	-1,461,47.58	-9381.00	-252124.84	-62,343.50	-35,445.26	-354,985.79	-65,095.29	-517,869.84		
	Amount outstanding	-155.00	-70.47	-1674.16	0.00	-1899.63	-297.54	0.00	-19,864.04	-27,376.78	-47,538.36	-2670	-863.50	-1129.60	0.00	-4663.10	-3,122.54	-933.97	-22,667.80	-27,376.78	-54,101.09		
	Provision thereon	0	3	3	0	6	459	26	19	1	505	3892	4	17	0	3913	4,351	33	39	1	4,424		
7	Accounts Restructured as on March 31, 2021 (closing figures*)	0.00	21,204.53	59,188.94	0.00	80,939.47	17,284.37	23,588.98	8,375.25	4.03	49,252.63	219909.53	19296.52	118,862.22	0.00	357392.27	237,193.90	64,090.03	185,750.41	4.03	487,038.38		
	Total Amount outstanding	0.00	21,204.53	59,188.94	0.00	80,939.47	17,284.37	23,588.98	8,375.25	4.03	49,252.63	219909.53	19296.52	118,862.22	0.00	357392.27	237,193.90	64,090.03	185,750.41	4.03	487,038.38		
	Provision thereon	0.00	484.73	500.96	-0.00	985.69	1,997.62	1,374.19	1,402.34	4.03	4,778.18	12716.16	5363.00	780.42	-0.00	18859.58	14,713.78	7,221.92	2,683.72	4.03	24,623.46		

4. डी) iv) 31.03.2022 को तनावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की धारणीय संरचना की योजना का प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
चालू वर्ष					
मानक के रूप में वर्गीकृत	2	155.95	58.36	97.59	54.31
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	7	3560.94	2118.44	1621.54	2805.90
गत वर्ष					
मानक के रूप में वर्गीकृत	3	1600.95	472.19	1128.76	695.17
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	7	2848.14	1883.78	1143.40	2018.27

4. डी) v) 31.03.2022 को रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटीकरण

(खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू की गई है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		खाते जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		खाते जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन हो गया है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
चालू वर्ष: शून्य						
गत वर्ष: शून्य						

4. डी) vi) रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण

(खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं):

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वा. मित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् 31.03.2022 को बकाया राशि		खाते जहां ऋण से इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयरों को गिरवी रखना लंबित हैं, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया		खाते जहां ऋण से इक्विटी में परिवर्तन किया गया है / इक्विटी शेयरों को गिरवी रखा गया है, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया		खाते जहां नए शेयर जारी करके या प्रवर्तकों के इक्विटी की बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
चालू वर्ष: शून्य								
गत वर्ष: शून्य								

4. डी) vii) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार मौजूदा ऋणों के लिए अस्थिर संरचना के अनुप्रयोग पर प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि	अस्थिर संरचना में लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	अस्थिर संरचना हेतु लिए गए ऋण की राशि		अस्थिर संरचना में लिए गए ऋणों की जोखिम भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	अस्थिर संरचना लागू करने से पहले	अस्थिर संरचना लागू करने के बाद
चालू वर्ष		शून्य			
गत वर्ष		शून्य			

4. d) iv) Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2022

(Amount in ₹ crore)

Particulars	No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
			In Part A	In Part B	
Current Year					
Classified as Standard	2	155.95	58.36	97.59	54.31
Classified as NPA	7	3560.94	2118.44	1621.54	2805.90
Previous Year					
Classified as Standard	3	1600.95	472.19	1128.76	695.17
Classified as NPA	7	2848.14	1883.78	1143.40	2018.27

4. d) v) Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme

(Accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2022

(Amount in ₹ crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has been taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Current Year: NIL						
Previous Year: NIL						

4. d) vi) Disclosures on Change in ownership outside Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):

(Amount in ₹ crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2022		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Current Year: NIL								
Previous Year: NIL								

4. d) vii) Disclosures on application of Flexible Structuring to Existing Loans as on 31.03.2022:

(Amount in ₹ crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Current Year	NIL				
Previous Year	NIL				

4. डी) viii) कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं):

(राशि ₹ करोड़ में)

उन परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् 31.03.2022 को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
चालू वर्ष: शून्य			
गत वर्ष: शून्य			

4. ई) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.बीपीबीसी सं. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार, आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण के मामलों में प्रावधानों और संबंधित अवधि के लिए आकस्मिकताओं से पहले सूचित लाभ का 10% से अधिक प्रावधान है और/या आरबीआई द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक है, तो बैंकों को आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक है।

उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में विचलन, ऊपर निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2021 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

(गत वर्ष: आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.बीपीबीसी सं. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार, आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण के मामलों में प्रावधानों और संबंधित अवधि के लिए आकस्मिकताओं से पहले सूचित लाभ का 10% से अधिक प्रावधान है और/या आरबीआई द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक है, तो बैंकों को आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक है।

उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में विचलन, ऊपर निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

4. एफ) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण: अन्य संस्थाओं से / को हस्तांतरित और प्राप्त किए गए ऋण की कुल राशि, जो चूक/दबाव ऋणों में नहीं है:

आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 51/21.04.048/2021-22 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार, 31 मार्च, 2022

4. d) viii) Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):

(Amount in ₹ crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2022		
	Classified as Standard	Classified as Standard restructured	Classified as NPA
Current Year: NIL			
Previous Year: NIL			

4. e) Divergence in Asset Classification and Provisioning

As per RBI Circular No.DBR.BP.BC No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPA assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and / or additional gross NPAs identified by RBI exceed 15% of the published incremental Gross NPAs for the reference period, then the banks are required to disclose divergence from prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning.

Divergences in terms of above circular, are within threshold limits as specified above, hence no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2021.

(Previous year: As per RBI Circular No.DBR.BPBC No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPA assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and /or additional gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of the published incremental Gross NPAs for the reference period, then the banks are required to disclose divergence from prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning.

Divergences in terms of above circular, are within threshold limits as specified above, hence no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2020).

4. f) Disclosure of transfer of loan exposures: Total amount of loan not in default / stressed loans transferred and acquired to / from other entities:

In accordance with RBI circular no. DOR. STR. REC. 51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021, the details of

को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

4. एफ) i) ऋण जो चूक में नहीं, हस्तांतरित किए गए:
(राशि ₹ करोड़ में)

31.03.2022 – चालू वर्ष	31.03.2021 – गत वर्ष
शून्य	शून्य

ऋण जो चूक में नहीं, अधिग्रहित किए गए:
(राशि ₹ करोड़ में)

31.03.2022 – चालू वर्ष
शून्य

31.03.2021 – गत वर्ष: समनुदेशन के माध्यम से अधिग्रहित ऋण:
(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	मूल्य
	₹ 499.50
भारित औसत परिपक्वता	18 माह
भारित औसत धारण अवधि	3 माह
लाभकारी आर्थिक हितों की अवधारण	10.00%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	150.12%
श्रेणीकृत ऋणों का श्रेणी वार वितरण	लागू नहीं

4. एफ) ii) वर्ष के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

31.03.2022 चालू वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य

loans transferred/acquired during the FY ended March 31, 2022 are given below:

4. f) i) Loans not in default transferred:
(Amount in ₹ crore)

31.03.2022 - Current year	31.03.2021 - Previous Year
NIL	NIL

Loans not in default acquired:
(Amount in ₹ crore)

31.03.2022 - Current year
NIL

31.03.2021 - Previous Year: Loan acquired through assignment:
(Amount in ₹ crore)

Particulars	Value
	₹ 499.50
Weighted average maturity	18 months
Weighted average holding period	3 months
Retention of beneficial economic interest	10.00%
Tangible security coverage	150.12%
Rating wise distribution of rated loans	NA

4. f) ii) Details of stressed Loans transferred during the Year - loans classified as SMA:

31.03.2022 Current Year

(all Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other permitted transferees (please specify)
No. of accounts	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	NIL	NIL	NIL

31.03.2021 गत वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरित के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य

4. एफ) iii) वर्ष के दौरान अर्जित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

31.03.2022 चालू वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

31.03.2021 Previous Year

(all Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other permitted transferees (please specify)
No. of accounts	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	NIL	NIL	NIL

4. f) iii) Details of stressed Loans acquired during the Year - loans classified as SMA:

31.03.2022 Current Year

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

31.03.2021 गत वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारत औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

4. एफ) iv) वर्ष के दौरान हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

31.03.2022 चालू वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या	4	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	2421.42	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारत औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	198.17	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	1057.64	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	17.15	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	859.47	शून्य	शून्य

31.03.2021 Previous Year

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

4. f) iv) Details of stressed Loans transferred during the Year - loans classified as NPA:

31.03.2022 Current Year

(all Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No. of accounts	4	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	2421.42	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	198.17	NIL	NIL
Aggregate consideration	1057.64	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	17.15	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	859.47	NIL	NIL

31.03.2021 गत वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या	1	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	18.31	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरित के समय)	0.00	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	11.01	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	88.25	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	11.01	शून्य	शून्य

4. एफ) v) वर्ष के दौरान अर्जित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

31.03.2022 चालू वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

31.03.2021 Previous Year

(all Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No. of accounts	1	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	18.31	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	NIL	NIL
Aggregate consideration	11.01	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	88.25	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	11.01	NIL	NIL

4. f) v) Details of stressed Loans acquired during the Year - loans classified as NPA:

31.03.2022 Current Year

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

31.03.2021 गत वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारत औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

4. **एफ) vi)** 31 मार्च, 2022 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली रेटिंग बैंड	बही मूल्य 31.03.2022	बही मूल्य 31.03.2021
आरआर1+	0.00	9.47
आरआर 1	446.58	1060.09
आरआर 2	354.76	342.15
आरआर 3	365.29	527.99
आरआर 4	434.70	77.25
आरआर 5	4.40	26.50
रेटिंग वापस ली गई	86.78	70.32
कुल	1692.51	2113.77

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 साल के बाद रेटिंग लागू नहीं होती है।

31.03.2021 Previous Year

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

4. **f) vi)** Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2022:

(Amount in ₹ crore)

Recovery Rating Band	Book Value 31.03.2022	Book Value 31.03.2021
RR1+	0.00	9.47
RR1	446.58	1060.09
RR2	354.76	342.15
RR3	365.29	527.99
RR4	434.70	77.25
RR5	4.40	26.50
Rating Withdrawn	86.78	70.32
Total	1692.51	2113.77

As per RBI guidelines post 8 years Rating is not applicable.

4. एफ) vii) प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश:
(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	5 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर	8 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर
ए) उन एसआर का बही मूल्य जहां बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं	594.80 (1930.75)	1016.98 (118.75)	80.73 (64.27)
(ए) के विरुद्ध किया गया प्रावधान	287.29 (534.79)	384.38 (15.19)	80.73 (64.27)
इ) उन एसआर का बही मूल्य जहां अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(बी) के विरुद्ध किया गया प्रावधान	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
कुल (ए) + (बी)	594.80 (1930.75)	1016.98 (118.75)	80.73 (64.27)

4. जी) धोखाधड़ी खाते

	चालू वर्ष	गत वर्ष	
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	उधार	142	153 [@]
	गैर उधार	289	561 [#]
	कुल	431	714
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	उधार	9553.81	10872.49
	गैर उधार	25.99	75.02
	कुल	9579.80	10947.51
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	उधार	8524.87	9197.38
	गैर उधार	19.26	54.99
	कुल	8544.13	9252.37
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितों' से आहरित किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	-	1028.95	1013.10

[@]153 खातों में से, 13 खाते पुराने धोखाधड़ी के मामले हैं और ₹ 854.49 करोड़ बढ़ाया गया है और सामंजस्य के कारण आरबीआई को अपडेट किया गया है। ₹ 561 खातों में से, 1 खाता पुराना धोखाधड़ी का मामला है और ₹ 18.00 करोड़ बढ़ाया गया है और सामंजस्य के कारण आरबीआई को अपडेट किया गया है।

4. f) vii) Investments in Security Receipts (SRs):
(Amount in ₹ crore)

Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
a) Book value of SRs where NPAs sold by the bank are the underlying	594.80 (1930.75)	1016.98 (118.75)	80.73 (64.27)
Provision held against (a)	287.29 (534.79)	384.38 (15.19)	80.73 (64.27)
b) Book value of SRs where NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies are the underlying	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Provision held against (b)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Total (a) + (b)	594.80 (1930.75)	1016.98 (118.75)	80.73 (64.27)

4. g) Fraud accounts

	Current Year	Previous Year	
Number of frauds reported	Borrowal	142	153 [@]
	Non	289	561 [#]
	Borrowal		
	TOTAL	431	714
Amount involved in fraud (₹ crore)	Borrowal	9553.81	10872.49
	Non	25.99	75.02
	Borrowal		
	TOTAL	9579.80	10947.51
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	Borrowal	8524.87	9197.38
	Non	19.26	54.99
	Borrowal		
	TOTAL	8544.13	9252.37
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year. (₹ crore)	-	1028.95	1013.10

[@]Out of 153 accounts, 13 accounts are old fraud cases & ₹ 854.49 Crores have been enhanced & updated to RBI due to harmonization. [#]Out of 561 accounts, 1 account is old fraud case & ₹ 18.00 Crores have been enhanced & updated to RBI due to harmonization.

4. एच) i) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.4.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और डीओआर.सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों का पुनर्गठन" पर, एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

चालू वर्ष		गत वर्ष	
पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि	पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि
11788	967.24	60101	3274.16

4. एच) ii) "संकल्प रूपरेखा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के कोविड –19 संबंधित दबाव का समाधान" आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार पुनर्गठित खातों का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

चालू वर्ष		गत वर्ष	
पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि	पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि
88364	5266.77	शून्य	शून्य

4. एच) iii) आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर. सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048 /2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 और आरबीआई/2021-22/31 डीओआर. एसटीआर.आरईसी .11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के अनुसार कोविड 19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण नीचे दिए गए हैं:

4. ह) i) In accordance with RBI circular no. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.4.048/2019-20 dated February 11, 2020 and DOR.No.BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector- Restructuring of Advances", the detail of MSME restructured accounts is as under:

(Amount in ₹ crore)

Current Year		Previous Year	
No. of Accounts Restructured	Amount	No. of Accounts Restructured	Amount
11788	967.24	60101	3274.16

4. ह) ii) In accordance with RBI circular no. DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 05, 2021 on "Resolution Framework 2.0 - Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)" the details of accounts restructured is as under:

(Amount in ₹ crore)

Current Year		Previous Year	
No. of Accounts Restructured	Amount	No. of Accounts Restructured	Amount
88364	5266.77	NIL	NIL

4. ह) iii) Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI Circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 and RBI/2021-22/31 DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर – 30.09.2021 (ए) के अनुसार स्थिति	(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में चला गया	(ए) का, छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) का, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर – 31.03.2022 को स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	750.79	27.51	0.00	56.73	700.50
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	5504.77	735.52	0.00	410.32	4334.65
*जिनमें से एमएसएमई	836.56	56.74	0.00	377.10	389.56
अन्य	41.19	0.01	0.00	2.61	33.32
कुल ओटीआर 1.0	6296.75	763.04	0.00	469.66	5068.47
व्यक्तिगत ऋण	4744.83	236.84	0.00	234.60	5198.57
कारोबार ऋण	185.44	26.87	0.00	15.17	171.07
छोटा कारोबार	756.12	107.75	0.00	53.91	929.84
कुल ओटीआर 2.0	5686.39	371.46	0.00	303.68	6299.48
कुल योग	11983.14	1134.50	0.00	773.34	11367.95

#249 उधारकर्ता खाते हैं, जिनका बैंक में कुल 17.81 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है, जहां समाधान योजनाओं को लागू किया गया था और अब 5 मई, 2021 को आरबीआई के समाधान ढांचे 2.0 के तहत संशोधित किया गया है।

5. एक्सपोजर्स

5. ए. स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी		चालू वर्ष	गतवर्ष
i)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
ए)	आवासीय सम्पत्ति बंधक – आवासीय सम्पत्ति, जो ऋणी द्वारा अधिकार में ली गई है या ली जायेगी या किराये पर दी गई है, पर बन्धक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत आवास ऋण	27419.64	29937.09
	अन्य आवासीय बंधक	67774.36	65491.77
	कुल	95194.00	95428.86
बी)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा – वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोडाउन स्पेस, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण निधि आधारित	19747.38	21976.72
	गैर निधि आधारित	951.08	1371.76
	कुल	20698.46	23348.48
सी)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एम बी एस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश –		
	i) आवासीय	0.00	0 ^{००}
	ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	0 ^{००}	0 ^{००}
ii)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	विदेशी कार्यालयों सहित राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कम्पनियों (एच एफ सी) हेतु निधि आधारित व गैर निधि आधारित एक्सपोजर:	37277.39	35320.59
	बैंक द्वारा आवास कम्पनियों एवं कॉर्पोरेशन में किया गया निवेश	6649.94	6188.37
	कुल	43927.33	41508.96
	स्थायर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	159819.79	160286.30

(Amount in ₹ crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at 30.09.2021 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at 31.03.2022
Personal Loans	750.79	27.51	0.00	56.73	700.50
Corporate persons*	5504.77	735.52	0.00	410.32	4334.65
*Of which MSMEs	836.56	56.74	0.00	377.10	389.56
Others	41.19	0.01	0.00	2.61	33.32
Total OTR 1.0	6296.75	763.04	0.00	469.66	5068.47
Personal Loans	4744.83	236.84	0.00	234.60	5198.57
Business Loans	185.44	26.87	0.00	15.17	171.07
Small Business	756.12	107.75	0.00	53.91	929.84
Total OTR 2.0	5686.39	371.46	0.00	303.68	6299.48
Grand Total	11983.14	1134.50	0.00	773.34	11367.95

#There are 249 borrower accounts having aggregate exposure of Rs.17.81 Crore to the Bank where resolution plans had been implemented and now modified under RBI's resolution framework 2.0 dated May 5, 2021.

5. Exposures

5. a) Exposure to real estate sector

(Amount in ₹ crore)

Category		Current Year	Previous Year
i)	Direct Exposure		
a)	Residential Mortgages– Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Housing loans classified as priority sector	27419.64	29937.09
	Others Residential Mortgages	67774.36	65491.77
	Total	95194.00	95428.86
b)	Commercial Real Estate– Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.); Fund Based	19747.38	21976.72
	Non Fund Based	951.08	1371.76
	Total	20698.46	23348.48
c)	Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures–		
	i) Residential	0.00	0.00
	ii) Commercial Real Estate	0.00	0.00
ii)	Indirect Exposure		
	Fund based and non-fund-based exposures to National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies HFCs) Including Foreign Offices.	37277.39	35320.59
	Investments made by the Bank in Housing Companies and Corporations	6649.94	6188.37
	Total	43927.33	41508.96
	Total Exposure to Real Estate Sector	159819.79	160286.30

5. बी. पूँजी बाजार को एक्सपोजर (राशि ₹ करोड़ में) 5. b) Exposure to capital market (Amount in ₹ crore)

विवरण/Particulars		चालू वर्ष/ Current Year	गतवर्ष/ Previous Year
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों में प्रत्यक्ष निवेश जो निगमित ऋण की मूल निधि में ही एक मात्र निवेश नहीं है	2918.47	3194.24
ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बंध पत्रों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना अग्रिम	1.16	2.03
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखा गया हो।	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों की संपार्श्विक प्रतिभूति तक प्रतिभूति दी गई हो अर्थात् जहाँ परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय ऋण पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती हैं।	634.60	440.26
v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से दी गई गारंटियाँ	43.56	174.98
vi)	संसाधनों को जुटाने की संभावना में नयी कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/ ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना निगमित कंपनियों को स्वीकृत ऋण	शून्य/NIL	शून्य/NIL
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य/NIL	शून्य/NIL
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों के प्राइमरी इश्यू के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा हामीदारी प्रतिबद्धताएं	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त	शून्य/NIL	शून्य/NIL
x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों) को कुल एक्सपोजर	716.41	714.76
xi)	म्यूचुअल फंड को अग्रिम	2000.00	3000.00
पूँजी बाजार को कुल एक्सपोजर		6314.20	7526.27

5. सी) जोखिम श्रेणीवार देश सम्बन्धी एक्सपोजर

31.03.2022 को कुल निवल निधिक एक्सपोजर ₹ 49214.90 करोड़ है। 31.12.2021 को बैंक (पीएनबी 2.0) की कुल आस्तियां ₹ 1304849 करोड़ थी, कुल आस्ति का 1% ₹ 13048.49 करोड़ है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में बैंक का एक्सपोजर ₹ 13048.49 करोड़ अर्थात् बैंक की कुल संपत्ति के 1% से अधिक हो गया। इसलिए, 31.03.2022 को देश के जोखिम एक्सपोजर के संबंध में ₹ 28.94 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता है:

(गत वर्ष: 31.03.2021 को कुल निवल निधिकृत एक्सपोजर ₹ 66771.96 करोड़ था। 31.12.2020 को बैंक की कुल आस्तियां (पीएनबी 2.0) ₹ 1254934.00 करोड़ थी, कुल आस्ति का 1% ₹ 12549.34 करोड़ है। 31.12.2020 को किसी भी देश में बैंक का एक्सपोजर ₹ 12549.34 करोड़ अर्थात् बैंक की कुल संपत्ति के 1% से अधिक नहीं था। इसलिए, 31.03.2021 को देश के जोखिम एक्सपोजर के संबंध में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी)।

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	ईसी जीसी रेटिंग	31.03.2022 को निधिक एक्सपोजर (निवल) (चालू वर्ष)	31.03.2022 को धारित प्रावधान (चालू वर्ष)	31.03.2021 को निधिक एक्सपोजर (निवल) (गत वर्ष)	31.03.2021 को धारित प्रावधान (गत वर्ष)
नगण्य	ए1	24187.89	0.00	39892.90	0.00
कम	ए2	24563.04	28.94	21570.31	0.00
सामान्य से कम	बी1	418.66	0.00	5302.52	0.00
सामान्य	बी2	14.60	0.00	1.82	0.00
सामान्य से उच्च	सी1	17.58	0.00	4.41	0.00
उच्च	सी2	13.13	0.00	0.00	0.00
अति उच्च	डी	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		49214.90	28.94	66771.96	0.00

5. डी) अप्रतिभूत अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	153867.56	133841.78
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है।	6128.09	21528.37
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	7992.59	22525.02

5. c) Risk category-wise country exposure

Total Net Funded Exposure as on 31.03.2022 is ₹ 49214.90 Crores. Total assets of the Bank (PNB2.0) as on 31.12.2021 were ₹ 1304849 Crores, 1% of total asset is ₹ 13048.49 Crore. Bank exceeded the exposure to UAE beyond ₹ 13048.49 Crores i.e. 1% of Total Assets of the Bank as on 31.12.2021. Hence, provision of ₹ 28.94 Crores is required with respect to country risk exposure as on 31.03.2022:

(Previous year: Total Net Funded Exposure as on 31.03.2021 was ₹ 66771.96 Crores. Total assets of the Bank (PNB 2.0) as on 31.12.2020 were ₹ 1254934.00 Crores, 1% of total asset ₹ 12549.34 Crore. Bank did not exceed the exposure in any country beyond ₹ 12549.34 Crores i.e. 1% of Total Assets of the Bank as on 31.12.2020. Hence, no provision was required with respect to country risk exposure as on 31.03.2021).

(Amount in ₹ crore)

Risk Category	ECGC Rating	Funded Exposure (net) as on 31.03.2022 (Current Year)	Provision held as on 31.03.2022 (Current Year)	Funded Exposure (net) as on 31.03.2021 (Previous Year)	Provision held as on 31.03.2021 (Previous Year)
Insignificant	A1	24187.89	0.00	39892.90	0.00
Low	A2	24563.04	28.94	21570.31	0.00
Moderately Low	B1	418.66	0.00	5302.52	0.00
Moderate	B2	14.60	0.00	1.82	0.00
Moderately High	C1	17.58	0.00	4.41	0.00
High	C2	13.13	0.00	0.00	0.00
Very High	D	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		49214.90	28.94	66771.96	0.00

5. d) Unsecured advances

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Unsecured Advances of the bank	153867.56	133841.78
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	6128.09	21528.37
Estimated value of such intangible securities	7992.59	22525.02

5. ई) फैक्टरिंग एक्सपोजर

फैक्टरिंग एक्सपोजर (टीआरडीएस के तहत) (राशि ₹ करोड़ में)

चालू वर्ष में बकाया शेष	गत वर्ष में बकाया शेष
776.39	460.35

5. एफ) इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर (राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	8494.13	8126.08
ii)	शीर्ष 20 इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	8494.13	8126.08
iii)	उधारकर्ता/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.81%	0.82%
iv)	इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर और नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, पर सीमा के उल्लंघन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं

5. जी) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति तैयार की है और इसे बैंक की ऋण प्रबंधन और जोखिम नीति 2021-22 में निम्नानुसार शामिल किया गया है:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति तैयार की है और इसे बैंक की वर्तमान क्रेडिट प्रबंधन और जोखिम नीति में निम्नानुसार शामिल किया है:

“आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ब्याज और मूल्यहास से पहले वार्षिक आय (ईबीआईडी) के साथ तिमाही के अंत में उधारकर्ताओं की बहियों में मुद्रा के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है। वृद्धिशील प्रावधान (मानक परिसंपत्ति प्रावधान के ऊपर कुल ऋण एक्सपोजर का 0 से 80 बीपीएस तक) और पूंजी की आवश्यकता संभावित नुकसान (विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण) पर निर्भर करेगी, उधारकर्ताओं को उनके बहियों में उनके अरक्षित विदेशी एक्सपोजर के कारण जिनका सामना करना पड़ सकता है। बैंक अलग प्रभार रखता है और ऐसे एक्सपोजर के लिए जो उधारकर्ताओं की लागत को प्रभावित कर सकता है उनके प्रावधान की आवश्यकता होती है। बैंक के वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण भी किया जाएगा।”

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
वृद्धिशील प्रावधान	85.48	87.91
वृद्धिशील पूंजी धारित आरडब्ल्यूए (@11.50%)	142.27	167.18*

*वृद्धिशील पूंजी धारित आरडब्ल्यूए (31.03.2021 को 10.875%)।

5. e) Factoring exposures

Factoring exposures (Under TReDS) (Amount in ₹ crore)

Balance Outstanding Current Year	Balance Outstanding Previous Year
776.39	460.35

5. f) Intra-group exposures (Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Total amount of intra-group exposures	8494.13	8126.08
ii)	Total amount of top 20 intra-group exposures	8494.13	8126.08
iii)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrower/ customers	0.81%	0.82%
iv)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action, if any	NA	NA

5. g) Unhedged foreign currency exposure

The Bank has framed a policy to manage Currency Induced Credit Risk and has been incorporated in Bank's Credit Management & Risk Policy 2021-22 as follows:

In terms of RBI guidelines, the Bank has framed a policy to manage currency induced credit risk and has incorporated the same in bank's current Credit Management & Risk Policy as follows:

“In terms of RBI guidelines, Bank monitors the currency wise Unhedged Foreign Currency Exposure in the books of borrowers at quarter ends along-with the Annualized Earnings before Interest & Depreciation (EBID). The incremental provision (ranging from 0 to 80 bps on total credit exposure, over and above the standard asset provisioning) and capital requirement will depend on likely loss (due to foreign currency fluctuation), that borrowers may face due to their un-hedged forex exposure in their books. Bank maintains separate charge and provisioning requirement on account of such exposures which may impact the cost to the borrowers. Appropriate disclosures in the financial statements of the bank shall also be made.”

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Incremental Provision	85.48	87.91
Incremental Capital held RWA (@11.50%)	142.27	167.18*

*Incremental Capital Held RWA (@10.875% AS ON 31.03.2021).

बैंक ने आरबीआई परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 82/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए देयता का अनुमान लगाया है और 31.03.2022 को ₹ 85.48 करोड़ का प्रावधान रखा है (पिछले साल ₹ 87.91 करोड़)।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण

6. ए) जमाराशियों का संकेंद्रण (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	42104.47	40565.38
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	3.79%	3.77%

नोट: उपरोक्त जमा आंकड़ों में बैंक द्वारा धारित अंतर बैंक जमा शामिल नहीं है।

6. बी) अग्रिमों का संकेंद्रण (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	139719.04	122259.97
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	17.80%	16.53%

6. सी) एक्सपोजर का संकेंद्रण (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	162628.84	150466.09
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	15.68%	15.23%

6. डी) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	19398.37	27092.45
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत।	20.98%	25.94%

The Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency Exposure in terms of RBI Circular DBOD.NO.BP. BC.82/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of ₹ 85.48 Crores as on 31.03.2022 (previous year ₹ 87.91 Crores).

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

6. a) Concentration of deposits (Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total deposits of the twenty largest depositors	42104.47	40565.38
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	3.79%	3.77%

Note: The above deposit figures do not include Inter Bank deposit held by Bank.

6. b) Concentration of advances (Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total advances to the twenty largest borrowers	139719.04	122259.97
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	17.80%	16.53%

6. c) Concentration of exposures (Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	162628.84	150466.09
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	15.68%	15.23%

6. d) Concentration of NPAs (Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	19398.37	27092.45
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	20.98%	25.94%

7. व्युत्पन्न

7. ए) वायदा दर करार/ब्याज दर की अदला-बदली (स्वैप)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i) अदलाबदली करारों का आनुमानिक सिद्धांत	385.00	75.00
ii) यदि काउन्टर पार्टियां समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहीं, उनसे होने वाला नुकसान	0.40	0.57
iii) अदलाबदली में शामिल होने पर बैंकों द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) अदलाबदली के कारण उत्पन्न ऋण जोखिम ⁵	शून्य	शून्य
v) अदलाबदली बही का उचित मूल्य [@]	-2.3859	-3.7931

⁵ये सभी अदलाबदली सौदे बैंक और एफआई के साथ हैं

[@]ये सभी अदला-बदली सौदे ट्रेडिंग स्वैप हैं और इसका उचित मूल्य बाजार का अंकित मूल्य है।

उपरोक्त ट्रेड इंटरबैंक के साथ रु. 385.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु.75.00 करोड़) तथा वित्तीय संस्थान रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य करोड़) ब्याज दर स्वैप डील है।

वर्तमान वर्ष के लिए क्रेडिट जोखिम (क्रेडिट एक्सपोजर) ₹ 2.70 करोड़ है तथा (पिछले वर्ष ₹ 1.32 करोड़)।

कुल 19 डील की गई जिसमें से 0 डील बैंक टू बैंक डील, 2 डील जहाँ निश्चित संविदा दर पर भुगतान किया गया तथा फ्लोटिंग दर पर प्राप्त किया गया और शेष 17 डील में फ्लोटिंग दर पर भुगतान किया गया और निश्चित संविदा दर पर प्राप्त किया गया।

7. बी) एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) क) ब्याज दर वायदा	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) क) ब्याज दर वायदा	शून्य	शून्य
iii)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखतवार)	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि का बकाया बाजार भाव पर अंकित मूल्य (मार्क-टू-मार्केट) जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखतवार)	शून्य	शून्य

7. Derivatives

7. a) Forward rate agreement/Interest rate swap

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i) The notional principal of swap agreements	385.00	75.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	0.40	0.57
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps ⁵	NIL	NIL
v) The fair value of the swap book [@]	-2.3859	-3.7931

⁵All these swap deals are with Banks and FI.

[@]All these swaps deals are Trading swap and the fair value is its mark to market value

The above Trades are Interest rate Swap Deal done with Interbank for ₹ 385.00 Crores (previous year ₹ 75.00 Crores) and with Financial Institution ₹ NIL (previous year ₹ NIL).

Credit Risk (Credit Exposure) for Current Year is ₹ 2.70 Crore (previous year ₹ 1.32 Crore).

There are total 19 deals out of which 0 deals are Back to Back Deals, 2 Deals where payment is made at Fixed Contract rate and received at Floating rate and in remaining 17 deals, payment is made at Floating Rate and received at Fixed Contract rate".

7. b) Exchange traded interest rate derivatives

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the Year (instrument wise) a) Interest Rate Futures	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2022 (instrument wise) a) Interest Rate Futures	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

7. सी) व्युत्पन्न में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

7. सी) i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक अपने स्वयं के तुलन पत्र की मदों की हैजिंग के लिए और साथ-साथ व्यापार के उद्देश्य से भी व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न उत्पादों के जोखिम प्रबंधन का नियंत्रण एक वरिष्ठ कार्यपालक द्वारा किया जाता है, जो लाइन कार्यप्रणाली से स्वतंत्र रहते हुए उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करता है। व्यापार की स्थिति दैनिक आधार पर बाजार भाव पर अंकित की जाती है।

व्युत्पन्न नीति का निर्माण एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें ऋण जोखिम तथा बाजार जोखिम शामिल हैं।

हैज लेनदेनों का प्रयोग तुलन पत्र प्रबंधन के लिए किया जाता है। रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए सुव्यवस्थित तंत्र विद्यमान है। हैजिंग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी विद्यमान हैं।

प्रतिरक्षा और गैर प्रतिरक्षा ट्रेडिंग को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति विद्यमान है जिसमें आय पहचान, प्रीमियम और डिस्काउंट सम्मिलित है।

बकाया अनुबन्धों का मूल्यांकन, प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम को कम किया जा रहा है।

7. सी) ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष		
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	
ए)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूलधन राशि)					
	i) हैजिंग के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ii) ट्रेडिंग के लिए	0.00	385.00	0.00	75.00	
बी)	मार्केट टू मार्केट पोजिशन					
	हैजिंग					
	i) आस्ति (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ii) देयता (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ट्रेडिंग					
	i) आस्ति (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ii) देयता (-)	0.00	-2.3859	0.00	-3.7931	
सी)	ऋण एक्सपोजर ¹⁾	0.00	2.7050	0.00	1.3238	
डी)	ब्याज दर में 1% परिवर्तन का सम्भाव्य प्रभाव (100* पीवी 01)					
	i) हैजिंग डेरिवेटिव पर	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ii) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	0.00	2.53	0.00	0.50	
ई)	वर्ष के दौरान पाये गये 100* पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम					
	i) हैजिंग पर	अधिक तम	0.00	0.00	0.00	0.00
		न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) ट्रेडिंग पर	अधिक तम	0.00	0.30	0.00	0.55
		न्यूनतम	0.00	-2.70	0.00	0.50

¹⁾ बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर विधि को अपनाया है।

7. c) Disclosures on risk exposure in derivatives

7. c) i) Qualitative disclosures

The Bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by Integrated Risk Management Division, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks are in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts.

Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation are being done.

7. c) ii) Quantitative disclosures (Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	Current Year		Previous Year		
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives	
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)					
	i) For hedging	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ii) For trading	0.00	385.00	0.00	75.00	
b)	Marked to Market Positions					
	Hedging					
	i) Asset (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ii) Liability (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Trading					
	i) Asset (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ii) Liability (-)	0.00	-2.3859	0.00	-3.7931	
c)	Credit Exposure ¹⁾	0.00	2.7050	0.00	1.3238	
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)					
	i) on hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ii) on trading derivatives	0.00	2.53	0.00	0.50	
e)	Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year					
	i) on hedging	maximum	0.00	0.00	0.00	0.00
		minimum	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading	maximum	0.00	0.30	0.00	0.55
		minimum	0.00	-2.70	0.00	0.50

¹⁾ Banks adopt the Current Exposure Method on Measurement of Credit Exposure of Derivative Products as per Reserve Bank of India instructions.

7. डी) ऋण में चूक की अदला-बदली

चूंकि बैंक ऋण में चूक की अदला-बदली अनुबंधों के मूल्य निर्धारण के लिए किसी मालिकाना मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग नहीं कर रहा है, और यह काउंटर अनुबंध (ओटीसी) पर है, कीमत बाजार की गतिशीलता द्वारा निर्धारित की जाती है।

इसलिए चालू और गत वर्ष के लिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के संदर्भ में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी)		गैर-एसटीसी लेनदेन	
		चालू वर्ष 31 मार्च	गत वर्ष 31 मार्च	चालू वर्ष 31 मार्च	गत वर्ष 31 मार्च
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए)	तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी)	तुलन-पत्र एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. d) Credit default swaps

Since the Bank is not using any proprietary pricing model for pricing Credit default swaps contracts, and it is over the counter contract (OTC), the price is determined by the market dynamics.

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines for Current & Previous year.

8. Disclosures relating to securitisation

(Numbers/Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	Simple, Transparent and Comparable (STC)		Non-STC transactions	
		March 31 Current Year	March 31 Previous Year	March 31 Current Year	March 31 Previous Year
1.	No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL	NIL	NIL
a)	Off-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
b)	On-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL	NIL	NIL

क्र. सं.	विवरण	सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी)		गैर-एसटीसी लेनदेन	
		चालू वर्ष 31 मार्च	गत वर्ष 31 मार्च	चालू वर्ष 31 मार्च	गत वर्ष 31 मार्च
ए)	तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी)	तुलन-पत्र एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	चलनिधि समर्थन, प्रतिभूतिकरण के बाद दी गई आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का फॉर्म और मात्रा (बकाया मूल्य)।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन, कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें जैसे कि क्रेडिट वृद्धि, तरलता सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में ब्रैकेट में प्रतिशत का उल्लेख करें। ए) भुगतान की गई राशि बी) चुकोती प्राप्त सी) बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Sr. No	Particulars	Simple, Transparent and Comparable (STC)		Non-STC transactions	
		March 31 Current Year	March 31 Previous Year	March 31 Current Year	March 31 Previous Year
a)	Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitizations • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
b)	On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitizations • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	NIL	NIL	NIL	NIL
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
7.	Performance of facility provided, please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. a) Amount paid b) Repayment received c) Outstanding amount	NIL	NIL	NIL	NIL

क्र. सं.	विवरण	सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी)		गैर-एसटीसी लेनदेन	
		चालू वर्ष 31 मार्च	गत वर्ष 31 मार्च	चालू वर्ष 31 मार्च	गत वर्ष 31 मार्च
8.	भूतकाल में पाए गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें उदाहरण के लिए आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें उदाहरण के लिए आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10. ए) बी)	निवेशकों की शिकायतें प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और लंबित/बकाया शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9. तुलन-पत्रेतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

एसपीवी समर्थित के नाम			
चालू वर्ष		गत वर्ष	
घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए फंड) में अंतरण (राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	डीईए फंड में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	4485.80	2323.62
ii)	ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण जोड़	0.00	1481.06
iii)	जोड़: वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशि	665.21	784.59
iv)	घटाएं: वर्ष के दौरान दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	81.69	103.47
v)	डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष	5069.32	4485.80

Sr. No	Particulars	Simple, Transparent and Comparable (STC)		Non-STC transactions	
		March 31 Current Year	March 31 Previous Year	March 31 Current Year	March 31 Previous Year
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
10. a) b)	Investor complaints Directly / Indirectly received and Complaints out standing	NIL	NIL	NIL	NIL

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored			
Current Year		Previous Year	
Domestic	Overseas	Domestic	Overseas
NIL	NIL	NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	4485.80	2323.62
ii)	Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI	0.00	1481.06
iii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the Year	665.21	784.59
iv)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims during the Year	81.69	103.47
v)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	5069.32	4485.80

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) एटीएम शिकायतों सहित ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालयों से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	27282	3831
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	619507	1306250
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	642589	1282799
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा रद्द की गई शिकायतों की संख्या	149163	441362
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	4200	27282
लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त रखी गई/ अनुरक्षणीय शिकायतें			
5.	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त रखी गई/ अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	16249*	18428**
5.1	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	15193	16195
5.2	5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	785	1423
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी किये निर्णय करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	2	12
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए पुरस्कारों के अलावा)	0	0

*वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें 16525 हैं, जिनमें से कुल गैर-रखरखाव/अस्वीकृत शिकायतें 276 हैं, इसलिए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त कुल रखरखाव योग्य शिकायतें 16249 हैं। 31.03.2022 तक लंबित शिकायतें 269 हैं।

**वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें 18442 थीं, जिनमें से कुल गैर-रखरखाव/अस्वीकृत शिकायतें 14 थीं, इसलिए, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त कुल रखरखाव योग्य शिकायतें 18428 थीं। 31.03.2021 तक लंबित शिकायतें 798 थीं जिनका समाधान वर्ष के दौरान किया जाता है।

नोट: अनुरक्षण योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

11. Disclosure of complaints

a) Summary Information on Complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman, including ATM complaints

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
Complaints received by the bank from its customers			
1.	Number of complaints pending at beginning of the year	27282	3831
2.	Number of complaints received during the Year	619507	1306250
3.	Number of complaints disposed during the Year	642589	1282799
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	149163	441362
4.	Number of complaints pending at the end of the Year	4200	27282
Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman			
5.	Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	16249*	18428**
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	15193	16195
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by Office of Ombudsman	785	1423
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	2	12
6.	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

*Total complaints received during the FY 2021-22 are 16525, out of which total non-maintainable/ rejected complaints are 276, therefore, total maintainable complaints received during the FY 2021-22 are 16249. The pendency as on 31.03.2022 is 269.

**Total complaints received during the FY 2020-21 were 18442, out of which total non-maintainable/ rejected complaints were 14, therefore, total maintainable complaints received during the FY 2020-21 were 18428. The pendency as on 31.03.2021 was 798, which are resolved during the year.

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman scheme, 2006) and covered within the ambit of the scheme.

बी) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार*

शिकायतों के आधार, (अर्थात् निम्न से संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % की वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष					
एटीएम/डेबिट कार्ड	20905	504312	-57.92	3342	0
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई	2165	33950	21.42	235	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	320	15216	2.21	27	0
ऋण और अग्रिम	380	5074	-5.35	60	0
वरिष्ठ नागरिकों/निःशक्तजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं	232	2827	-17.46	1	0
अन्य	3280	58128	3.38	535	2
कुल	27282	619507	-52.57	4200	2
गत वर्ष					
एटीएम/डेबिट कार्ड	2118	1198388	-7.47	20905	127
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई	29	27961	89.16	2165	1080
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	20	14887	74.48	320	62
ऋण और अग्रिम	163	5361	30.18	380	207
वरिष्ठ नागरिकों/निःशक्तजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं	62	3425	42.06	232	106
अन्य	1439	56228	1630.62	3280	1437
कुल	3831	1306250	-1.66	27282	3019

*बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र का सुदृढ़ीकरण पर 27 जनवरी 2021 के परिपत्र सीईपीडी.सीओ.पीआरडी.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 के परिशिष्ट 1 में प्रदान की गई शिकायतों के आधार की पहचान के लिए मास्टर सूची के अनुसार।

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का खुलासा

12. i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949

क्रमांक	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई ने बैंक पर (आदेश दिनांक 07 जून, 2021) आईएसई 2018 और 2019 से संबंधित कुल ₹ 2 करोड़ (दो करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया। क. धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी (2017-18 के दौरान 143 मामले और 2018-19 के दौरान 145 मामले); और ख. सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म पर/आरबीआई को डेटा जमा करते समय डेटा सटीकता और अखंडता सुनिश्चित नहीं करना (वर्ष 2017-18 के दौरान 42 मामले और 2018-19 के दौरान 46 मामले) के लिए	शून्य
2.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(प) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19(2) के प्रावधानों जैसे चार (04) उधारकर्ता कंपनियों में शेर रखने के लिए चुकता उन कंपनियों की पूंजी शेर के 30% से अधिक की राशि के गिरवी के रूप में रखने के उल्लंघन में (आदेश दिनांक 15 दिसंबर 2021) बैंक पर कुल ₹1.80 करोड़ (एक करोड़ अस्सी लाख रुपये) का जुर्माना लगाया।	

b) Top five grounds* of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the Year	% Increase/ decrease in the number of complaints received over the Previous year	Number of complaints pending at the end of the Year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year					
ATM/ Debit cards	20905	504312	-57.92	3342	0
Account opening/ difficulty in operations of accounts	2165	33950	21.42	235	0
Internet/ Mobile/ Electronic banking	320	15216	2.21	27	0
Loans and Advances	380	5074	-5.35	60	0
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	232	2827	-17.46	1	0
Others	3280	58128	3.38	535	2
Total	27282	619507	-52.57	4200	2
Previous Year					
ATM/Debit cards	2118	1198388	-7.47	20905	127
Account opening/ difficulty in operations of accounts	29	27961	89.16	2165	1080
Internet/ Mobile/ Electronic banking	20	14887	74.48	320	62
Loans and Advances	163	5361	30.18	380	207
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	62	3425	42.06	232	106
Others	1439	56228	1630.62	3280	1437
Total	3831	1306250	-1.66	27282	3019

*As per Master List for identifying grounds of complaints as provided in Appendix 1 to circular CEPD.CO.PRD.Cir.No.01/13.01.013/2020-21 dated January 27, 2021 on 'Strengthening the Grievance Redress Mechanism of Banks'.

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India
12. i) Banking Regulation Act 1949

Sl. No.	Current Year	Previous Year
1.	In exercise of powers conferred under section 47A (1)(c) read with sections 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949, RBI imposed an aggregate penalty of ₹ 2 crore (Rupees Two crore) (Order dated June 07, 2021) on Bank pertaining to ISE 2018 & 2019, for a. Delay in reporting of frauds (143 cases during 2017-18 & 145 cases during 2018-19); AND b. Not ensuring data accuracy and integrity while submitting data on CRILC platform / to RBI (42 instances during 2017-18 & 46 instances during 2018-19).	NIL
2.	In exercise of powers conferred under section 47A (1)(c) read with sections 46(4)(i) & 51(1) of the Banking Regulation act 1949, RBI imposed an aggregate penalty of ₹ 1.80 crore (Rupees one crore & eighty lakhs only) on bank for holding shares in four (04) borrower companies, as pledgee, of an amount exceeding 30% of paid-up share capital of those companies in contravention of provisions of section 19(2) of Banking Regulation Act, 1949 (Order dated December 15, 2021)	

12. ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:

क्रमांक	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	शून्य	पीएसएस अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने दिनांक 13 नवंबर 2020 के आदेश के तहत अप्रैल, 2010 से ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड (डीपीएनबीएल), भूटान के साथ अनुमोदन/प्राधिकरण के बिना द्विपक्षीय एटीएम साझाकरण व्यवस्था के संचालन के लिए 8 जुलाई 2010 के पत्र डीपीएसएस/सीओ/पीडी/सं. 74/02/10/002/2010-11 के माध्यम से जारी आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.00 करोड़ का जुर्माना लगाया है जिसमें बैंक को इस भुगतान प्रणाली को लागू करने से पहले प्राधिकरण लेने की सलाह दी गई थी।

12. iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल की बाउंसिंग):

01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान एसजीएल प्रतिभूतियों की बाउंसिंग का विवरण ₹ शून्य है (गत वर्ष: ₹ शून्य)

12. iv) रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत चूक से संबंधित प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

चालू वर्ष		गत वर्ष	
उदाहरणों की संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए दंड की मात्रा	उदाहरणों की संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए दंड की मात्रा
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

13. पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	चालू वर्ष	गत वर्ष
श्री अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.10	0.00
श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव	पूर्व प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.84	0.34
श्री संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक	0.32	0.29
श्री विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक	0.32	0.17
श्री स्वरुप कुमार साहा	कार्यपालक निदेशक	0.39	0.01
श्री कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक	0.14	0.00

12. ii) Payment and Settlement System Act, 2007:

Sl. No.	Current Year	Previous Year
1.	NIL	In exercise of powers conferred in terms of Section 30 of the PSS Act RBI vide speaking order dated 13 th November 2020 imposed upon bank, a penalty of ₹1.00 Crore for operating a bilateral ATM sharing arrangement with Druk PNB Bank Ltd. (DPNBL), Bhutan since April, 2010 without approval / authorization from RBI, in violation of RBI instructions issued vide letter DPSS. CO. PD.No. 74/ 02.10.002/ 2010-11 dated July 8, 2010, wherein bank was advised to seek authorization before implementing this payment system

12. iii) Government Securities Act, 2006 (Bouncing of SGL):

Particulars of Bouncing of SGL securities during the period 01.04.2021 to 31.03.2022 is ₹ NIL (previous year: ₹ NIL)

12. iv) Disclosure relating to default under reverse repo transaction:

(Amount in ₹ crore)

Current Year		Previous Year	
Number of instances	Quantum of penalty paid to Reserve Bank of India	Number of instances	Quantum of penalty paid to Reserve Bank of India
NIL	NIL	NIL	NIL

13. Disclosure on remuneration of Whole Time Directors/ Chief Executive Officer:

(Amount in ₹ crore)

Name	Designation	Current Year	Previous Year
Shri Atul Kumar Goel	Managing Director & CEO	0.10	0.00
Shri CH S S Mallikarjuna Rao	Ex Managing Director & CEO	0.84	0.34
Shri Sanjay Kumar	Executive Director	0.32	0.29
Shri Vijay Dube	Executive Director	0.32	0.17
Shri Swarup Kumar Saha	Executive Director	0.39	0.01
Shri Kalyan Kumar	Executive Director	0.14	0.00

नाम	पदनाम	चालू वर्ष	गत वर्ष
श्री मुकेश कुमार जैन	पूर्व प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.01	0.74
श्री अशोक कुमार प्रधान	पूर्व प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.01	0.00
श्री राजेश कुमार यदुवंशी	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.01	0.74
श्री अज्ञेय कुमार आजाद	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.59	0.61
श्री बाल कृष्ण अल्से	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.01	0.55
कुल		2.74	3.45

14. अन्य प्रकटीकरण

14. ए) व्यापार अनुपात

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	5.59%	6.09%
कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.92%	0.97%
जमा की लागत	3.99%	4.44%
निवल ब्याज मार्जिन	2.71%	2.88%
कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.55%	1.73%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.26%	0.15%
प्रति कर्मचारी व्यापार (जमा और अग्रिम) (₹ करोड़ में)	19.41	18.85
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.04	0.02

14. बी) बैंक-बीमा/बैंक एश्योरेंस व्यापार

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंक एश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण		
(i) जीवन बीमा व्यवसाय;	294.04	276.21
(ii) गैर-जीवन बीमा व्यवसाय;	100.59	92.65
(iii) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई);	10.66	8.42
(iv) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना	2.90	2.93
कुल	408.19	380.21

Name	Designation	Current Year	Previous Year
Shri Mukesh Kumar Jain	Ex MD & CEO	0.01	0.74
Shri Ashok Kumar Pradhan	Ex MD & CEO	0.01	0.00
Shri Rajesh Kumar Yaduvanshi	Ex Executive Director	0.01	0.74
Shri Agyey Kumar Azad	Ex Executive Director	0.59	0.61
Shri Bal Krishna Alse	Ex Executive Director	0.01	0.55
Total		2.74	3.45

14. Other Disclosure

14. a) Business ratios

Particular	Current Year	Previous Year
Interest Income as a percentage to Working Funds	5.59%	6.09%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.92%	0.97%
Cost of Deposits	3.99%	4.44%
Net Interest Margin	2.71%	2.88%
Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.55%	1.73%
Return on Assets	0.26%	0.15%
Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore)	19.41	18.85
Profit per employee (in ₹ crore)	0.04	0.02

14. b) Bancassurance business

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Details of Fees/ Brokerage earned in respect of Insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by the bank		
(i) Life Insurance Business;	294.04	276.21
(ii) Non-life Insurance Business;	100.59	92.65
(iii) Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY);	10.66	8.42
(iv) Prime Minister Suraksha Bima Yojna	2.90	2.93
Total	408.19	380.21

14. सी) विपणन और वितरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का विवरण		
(i) म्यूचुअल फंड व्यापार;	5.72	3.81
(ii) अटल पेंशन योजना (एपीवाई);	8.98	11.56
(iii) आधार पर आय/कमीशन;	6.28	3.50
(iv) पेंशन;	117.27	115.14
(v) कर और अन्य;	51.09	44.30
(vi) सरकारी जमा योजना;	18.68	12.77
(vii) करेंसी चेस्ट	1.68	1.88
कुल	209.70	192.96

14. डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों (पीएलएससी) के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएलएससी के प्रकार	चालू वर्ष के दौरान खरीदा गया पीएलएससी	चालू वर्ष के दौरान बेचा गया पीएलएससी	गत वर्ष के दौरान खरीदा गया पीएलएससी	गत वर्ष के दौरान बेचा गया पीएलएससी
1	कृषि	0.00	0.00	9998.50	0.00
2	छोटे और सीमांत किसान	6000.00	0.00	0.00	0.00
3	अति लघु उद्योग	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सामान्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		6000.00	0.00	9998.50	0.00
खरीदे गए पीएलएससी के लिए भुगतान किया गया शुल्क		150.01	0.00	180.85	0.00

14. c) Marketing and distribution

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Details of Fee/remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by the bank		
(i) Mutual Fund Business;	5.72	3.81
(ii) Atal Pension Yojna (APY);	8.98	11.56
(iii) Income / Commission on Aadhar;	6.28	3.50
(iv) Pension;	117.27	115.14
(v) Taxes & Others;	51.09	44.30
(vi) Govt. Deposit Scheme;	18.68	12.77
(vii) Currency Chest	1.68	1.88
TOTAL	209.70	192.96

14. d) Disclosures regarding Priority Sector Lending certificates (PLSCs)

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Types of PSLCs	PSLC bought during the Current Year	PSLC sold during the Current Year	PSLC bought during the Previous Year	PSLC sold during the Previous Year
1	Agriculture	0.00	0.00	9998.50	0.00
2	Small and Marginal Farmers	6000.00	0.00	0.00	0.00
3	Micro Enterprises	0.00	0.00	0.00	0.00
4	General	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		6000.00	0.00	9998.50	0.00
Fee Paid for PSLCs purchased		150.01	0.00	180.85	0.00

14. ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं
(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में नामे किया गया प्रावधान		चालू वर्ष	गत वर्ष									
i)	एनपीआई के लिए प्रावधान	348.50	-221.70									
ii)	एनपीए के लिए प्रावधान	14158.59	17059.51									
iii)	आयकर के लिए किया गया प्रावधान (अनुषंगी लाभ कर और संपत्ति कर सहित)	859.43	1457.78									
iv)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1255.26	1207.58									
v)	अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)	683.08	634.39									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ब्यौरा</th> <th>चालू वर्ष</th> <th>गत वर्ष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>एफआईटीएल सहित मानक पुनर्चित</td> <td>389.27</td> <td>66.29</td> </tr> <tr> <td>बट्टे खाते में डाला गया और अन्य</td> <td>293.81</td> <td>568.10</td> </tr> </tbody> </table>	ब्यौरा	चालू वर्ष	गत वर्ष	एफआईटीएल सहित मानक पुनर्चित	389.27	66.29	बट्टे खाते में डाला गया और अन्य	293.81	568.10		
ब्यौरा	चालू वर्ष	गत वर्ष										
एफआईटीएल सहित मानक पुनर्चित	389.27	66.29										
बट्टे खाते में डाला गया और अन्य	293.81	568.10										
कुल		17304.86	20137.56									

14. एफ) आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)

इस संबंध में हुई प्रगति सहित इंड-एएस कार्यान्वयन की रणनीति:

“अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) बीमाकर्ताओं/बीमा कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए इंड एएस रोडमैप को केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा 18 जनवरी 2016 को प्रेस विज्ञापित के माध्यम से जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 से एमसीए प्रेस विज्ञापित के अनुसार, जिसे आरबीआई की प्रेस विज्ञापित (2017-18/2642) दिनांक 5 अप्रैल 2018 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थगित कर दिया गया था इंड एएस पर लागू था। आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर/बीपी/नं/29.21.07.001/2018-19 दिनांक 22.03.2019 के तहत अगली सूचना तक इंड एएस के कार्यान्वयन को और स्थगित कर दिया है। तदनुसार, बैंक ने इंड-एएस के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर की गई प्रगति से अवगत कराया जा रहा है। इंड-एएस के कार्यान्वयन के लिए बैंक की एक सुनियोजित रणनीति है और इस संबंध में पर्याप्त प्रगति की है। इसके अलावा, बैंक निर्धारित अवधि के अनुसार प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरणी आरबीआई को प्रस्तुत कर रहा है।”

14. e) Provisions and contingencies
(Amount in ₹ crore)

Provision debited to Profit and Loss Account		Current Year	Previous Year									
i)	Provisions for NPI	348.50	-221.70									
ii)	Provision towards NPA	14158.59	17059.51									
iii)	Provision made towards Income Tax (including Fringe Benefit Tax & Wealth Tax)	859.43	1457.78									
iv)	Provision towards Standard Assets	1255.26	1207.58									
v)	Other Provisions and Contingencies (with details)	683.08	634.39									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Detail</th> <th>Current Year</th> <th>Previous Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard Restructured including FITL</td> <td>389.27</td> <td>66.29</td> </tr> <tr> <td>Written off & others</td> <td>293.81</td> <td>568.10</td> </tr> </tbody> </table>	Detail	Current Year	Previous Year	Standard Restructured including FITL	389.27	66.29	Written off & others	293.81	568.10		
Detail	Current Year	Previous Year										
Standard Restructured including FITL	389.27	66.29										
Written off & others	293.81	568.10										
TOTAL		17304.86	20137.56									

14. f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

The strategy for Ind AS implementation, including the progress made in this regard:

“IND AS roadmap for scheduled commercial banks (excluding regional rural banks), insurers/insurance companies and non-banking financial companies (NBFCs) was issued by Union Ministry of Corporate Affairs (MCA) through press release dated 18 January 2016. IND AS was applicable to the Bank in accordance with the MCA press release from financial year 2018-19 which was deferred to financial year 2019-20 vide RBI's Press Release (2017-18/2642) dated 5 April 2018. RBI has further deferred implementation of IND AS till further notice vide its Circular no DBR.BP.BC.No. 29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019. The Bank accordingly, has appointed a Consultant to assist in implementation of the Ind AS. The Audit Committee of the Board is being apprised of the progress made from time to time. The Bank has a well-planned strategy for Ind AS implementation and has made substantial progress in this regard. Further, Bank is submitting the Proforma Ind AS Financial Statements to the RBI as per prescribed periodicity.”

14. जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान
(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	1522.35	1441.64
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

15. कुछ लेखा मानकों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण

15. ए) लेखा मानक 5 – अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीति में परिवर्तन:

चालू और पिछले वर्ष के दौरान लेखा मानक 5 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई वास्तविक पूर्व अवधि आय/व्यय मदें नहीं थीं।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रणालियों का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जिनका पालन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, केवल साख पत्र और बैंक गारंटी पर कमीशन की मान्यता को छोड़कर वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया गया था। 01 अप्रैल 2021 से साख पत्र और बैंक गारंटी पर कमीशन को अब तक प्राप्त के आधार पर की गई मान्यता की तुलना में उस अवधि के लिए अर्जित राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ में ₹ 11.67 करोड़ और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 207.64 करोड़ की कमी हुई है।

(गत वर्ष: 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम लेखांकन नीतियों और प्रणालियों का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जैसा कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन को छोड़कर, वार्षिक वित्तीय विवरणों में पालन किया गया था। 31 मार्च के बाद, 2020 के बाद, बैंक ने अपने एनपीए खातों में वसूली के विनियोग के लिए अपनी लेखा नीति को वसूली के विनियोग की पूर्ववर्ती नीति, जिसमें पहले प्रभारों के विरुद्ध वसूली फिर मूल अग्रिम राशि तथा दर्ज/अमान्य आय विनियोजित की जाती थी, को नई नीति से प्रतिस्थापित कर दिया है जिसमें पहले प्रभारों के विरुद्ध वसूली फिर मूल के विरुद्ध दर्ज ब्याज/अमान्य ब्याज तथा शेष राशि विनियोजित की जाएगी। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में 611.97 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।)

14. g) Payment of DICGC Insurance Premium
(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	1522.35	1441.64
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

15. Other Disclosures with respect to certain Accounting Standards

15. a) Accounting Standard 5 - Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Change in Accounting Policy:

During the Current and Previous year there were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under Accounting Standard 5.

The financial results for the year ended March 31, 2022 have been prepared following the same Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2021, except recognition of commission on Letter of Credit and Bank Guarantee. With effect from April 01, 2021, the commission on Letter of Credit and Bank Guarantee is recognised as revenue to the extent accrued for the period as against recognition done on receipt basis hitherto. This change in accounting policy has resulted in decrease in profit before tax by ₹ 11.67 Crore for quarter ended March 31, 2022 and by ₹ 207.64 Crore for year ended March 31, 2022.

(Previous year: The financial results for the year ended March 31, 2021 was prepared following the Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2020, except appropriation of recoveries in NPA accounts. After March 31, 2020, the Bank has changed its accounting policy for appropriation of recovery in NPA accounts from the earlier policy of appropriating recovery first against charges recorded then principal advance amount and balance towards recorded/derecognized income, to the new policy of appropriation of recovery first against the charges recorded, followed by recorded interest/derecognized interest and balance against the principal. This change in accounting policy has resulted in increase in profit before tax by Rs.611.97Crore for year ended March 31, 2021).

15. बी) लेखा मानक 9 – राजस्व मान्यता

आय की कुछ मदों को लेखा नीति संख्या 3.5 के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालांकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है। (पिछला वर्ष: आय की कुछ मदों को लेखा नीति संख्या 3.5 के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालांकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है)।

15. सी) लेखा मानक 10 – संपतियां, संयंत्र और उपकरण।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आस्तियों के प्रत्येक वर्ष के लिए किये गए कुल मूल्यहास का ब्यौरा:

(राशि ₹ करोड़ में)

संपत्ति का वर्ग	चालू वर्ष	गत वर्ष
परिसर	178.45	159.02
अन्य अचल संपत्ति	576.96	668.91
पट्टे पर दी गई संपत्ति	0.00	0.00
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	133.20	146.99
कुल	888.61	974.92

15. डी) लेखा मानक 11 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रारंभिक जमा	392.20	416.88
वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में परिवर्तन के कारण जोड़/कटौती	5.42	-0.59
संपत्ति और देयताओं के अनुवाद के कारण वर्ष के दौरान जोड़/कटौती	21.81	-24.09
जमा शेष	419.43	392.20

15. b) Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material. (Previous year: Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material).

15. c) Accounting Standard 10 - Properties, Plant and Equipment.

Break-up of total depreciation for the FY ended March 31, 2022 for each class of assets:

(Amount in ₹ crore)

Class of assets	Current Year	Previous Year
Premises	178.45	159.02
Other fixed assets	576.96	668.91
Leased assets	0.00	0.00
Computer software	133.20	146.99
Total	888.61	974.92

15. d) Accounting Standard 11 – The Effects of Changes in foreign exchange rates:

Movement of Foreign Currency Translation Reserve

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	392.20	416.88
Addition/Deduction during the Year due to change in Profit & Loss account	5.42	-0.59
Addition/Deduction during Year due to translation of Assets & Liabilities	21.81	-24.09
Closing Balance	419.43	392.20

15. ई) लेखा मानक 15 – कर्मचारी लाभ:

एस-15(आर) के अनुसार प्रकटीकरण:
लेखा नीति के अनुरूप और लेखा मानक – 15 (आर) के अनुसार, रोजगार लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नवत है:
ए. परिभाषित लाभ योजनाएं

तालिका I – प्रमुख बीमांकिक अनुमान और इन मान्यताओं का आधार

बीमांकिक अनुमान	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
बट्टा दर	7.20%	6.85%	6.95%	6.55%	6.95%	6.55%
योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	7.20%	6.85%	6.95%	6.55%	6.95%	6.55%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
महंगाई राहत वृद्धि दर	5.80%	5.80%	-	-	-	-
पलायन दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

तालिका II – दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(सभी राशि करोड़ में)

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	अवधि की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	46355.35	29043.14	4398.78	3229.08	3446.03	1944.29
जोड़ें	पूर्ववर्ती ओबीसी और यूएनआई के पीवीओ	0.00	16605.01	0.00	1601.39	0.00	1142.62
जोड़ें:	ब्याज लागत	3065.43	3043.60	254.87	274.85	187.67	199.11
जोड़ें:	वर्तमान सेवा लागत	488.52	508.01	247.10	252.96	331.28	212.19
जोड़ें:	पिछली सेवा लागत	3093.95	-	-	-	-	-
घटाएं:	प्रदत्त लाभ	(4002.18)	(2979.81)	(899.49)	(697.05)	(735.42)	(646.57)
	दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ) (सुलनकारी आंकड़े)	(544.10)	135.40	77.26	(262.45)	400.10	594.39
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03

तालिका III – योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(सभी राशि करोड़ में)

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	अवधि की शुरुआत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	46731.79	29011.95	4502.08	3118.63	2779.62	-
जोड़ें	पूर्ववर्ती ओबीसी और यूएनआई का उचित मूल्य	0.00	13296.92	0.00	1409.10	0.00	141.89
जोड़ें:	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	3091.21	2813.19	269.73	263.49	145.48	9.36
जोड़ें:	बैंक द्वारा प्रदत्त योगदान	1228.41	4937.20	153.30	440.24	839.99	2944.68
जोड़ें:	पिछली सेवा लागत के लिए बैंक द्वारा प्रदत्त योगदान (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	618.79	-	-	-	-	-
घटाएं:	लाभ प्रदत्त	(4002.18)	(2979.81)	(899.49)	(697.05)	(735.42)	(363.48)
घटाएं:	बीमांकिक (हानि)/योजनागत आस्तियों पर लाभ (संतुलनकारी आंकड़े)	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	48147.78	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62

15. e) Accounting Standard 15 – Employees Benefits:

DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH AS-15(R):
In line with the accounting policy and as per the Accounting Standard – 15(R), the summarized position of employment benefits is as under:
A. Defined benefit Plans

TABLE I - Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions

Actuarial Assumptions	Pension		Gratuity		Leave Encashment	
	31.03. 2022	31.03. 2021	31.03. 2022	31.03. 2021	31.03. 2022	31.03. 2021
<i>Discount Rate</i>	7.20%	6.85%	6.95%	6.55%	6.95%	6.55%
<i>Expected Return on Plan Assets</i>	7.20%	6.85%	6.95%	6.55%	6.95%	6.55%
<i>Rate of Escalation In salary</i>	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
<i>Dearness Relief Escalation Rate</i>	5.80%	5.80%	-	-	-	-
<i>Attrition Rate</i>	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

TABLE II - Changes in Present value of the obligation

(All Amounts in Crores)

		Pension		Gratuity		Leave Encashment	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Present value of Obligation at the beginning of period	46355.35	29043.14	4398.78	3229.08	3446.03	1944.29
Add:	PVO of erstwhile OBC & UNI	0.00	16605.01	0.00	1601.39	0.00	1142.62
Add:	Interest Cost	3065.43	3043.60	254.87	274.85	187.67	199.11
Add:	Current Service Cost	488.52	508.01	247.10	252.96	331.28	212.19
Add:	Past Service Cost	3093.95	-	-	-	-	-
Less:	Benefits paid	(4002.18)	(2979.81)	(899.49)	(697.05)	(735.42)	(646.57)
	Actuarial loss / (gain) on obligations (Balancing Figure)	(544.10)	135.40	77.26	(262.45)	400.10	594.39
	Present value of Obligation as at the end of the period	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03

TABLE III - Changes in the FV of the Plan Assets

(All Amounts in Crores)

		Pension		Gratuity		Leave Encashment	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Fair value of Plan Assets, at the beginning of period	46731.79	29011.95	4502.08	3118.63	2779.62	-
Add:	Fair value of erstwhile OBC & UNI	0.00	13296.92	0.00	1409.10	0.00	141.89
Add:	Expected return on Plan assets	3091.21	2813.19	269.73	263.49	145.48	9.36
Add:	Contributions paid by Bank	1228.41	4937.20	153.30	440.24	839.99	2944.68
Add:	Contributions paid by Bank for Past Service Cost (on Family Pension liability)	618.79	-	-	-	-	-
Less:	Benefits Paid	(4002.18)	(2979.81)	(899.49)	(697.05)	(735.42)	(363.48)
Less:	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets (Balancing Figure)	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16
	Fair value of Plan Assets as at the end of the period	48147.78	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62

तालिका IV – योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	3091.21	2813.19	269.73	263.49	145.48	9.36
	बीमांकिक (हानि) / योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16
जोड़ें:	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	3570.97	2465.53	315.51	231.16	238.00	56.52

तालिका V – शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि की मान्यता प्राप्त

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	(544.10)	135.40	77.26	(262.45)	400.10	594.39
	अवधि के लिए योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(479.76)	347.66	(45.78)	32.33	(92.52)	(47.16)
	अवधि के लिए कुल (लाभ) / हानि	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
	अवधि में मान्य शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
	वर्ष के अंत में अभिज्ञात बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-	-	-	-	-

तालिका VI – तुलन पत्र में मान्य राशि

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	मान्य लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03
घटाएं	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	48147.78*	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62
	अंतर	309.19	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
घटाएं	गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत (पारिवारिक पेंशन पर देयता)	1520.16	-	-	-	-	-
	निवल देयता/(संपत्ति)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
	तुलन पत्र में राशि						
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	955.00**	-	7.12	-	507.47	666.41
	तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त संपत्ति (पारिवारिक पेंशन पर देयता)	(2165.97)	(376.44)	-	(103.30)	-	-
	निवल देयता/(संपत्ति)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
	एस-15 (आर) के पैरा 55 के अंतर्गत निर्धारित ऋणात्मक राशि	-	-	-	-	-	-
	उपलब्ध प्रतिदेय का वर्तमान मूल्य एवं भावी अंशदान में कटौती	-	-	-	-	-	-
	एस-15 (आर) के पैरा 59 (बी) के अनुसार मान्य आस्ति	2165.97	376.44	-	103.30	-	-

*अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन देयता के कारण पिछली सेवा लागत के लिए बैंक द्वारा 618.79 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है

** वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम 618.79 करोड़ रुपये (अर्थात् 3093.95 करोड़ रुपये की कुल देनदारी का 1/5) प्रदान करने के अलावा, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 955.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पिछली सेवा लागत भी प्रदान की है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में कुल राशि 1573.79 करोड़ रुपये है और 1520.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन देयता के लिए शेष असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

TABLE IV - Actual Return on Plan Assets

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Expected return on Plan Assets	3091.21	2813.19	269.73	263.49	145.48	9.36
	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16
Add:	Actual Return on Plan Assets	3570.97	2465.53	315.51	231.16	238.00	56.52

TABLE V - Net Actuarial (Gain) / loss recognized

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Actuarial loss / (gain) for the period - Obligations	(544.10)	135.40	77.26	(262.45)	400.10	594.39
	Actuarial (gain)/ loss for the period - Plan Assets	(479.76)	347.66	(45.78)	32.33	(92.52)	(47.16)
	Total (gain) /loss for the period	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
	Actuarial (gain) or loss recognized in the period	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
	Unrecognized Actuarial (gain) / loss at the end of the year	-	-	-	-	-	-

TABLE VI - Amount recognized in Balance Sheet

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Present value of Defined Benefit Obligation	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03
Less	Fair value of Plan Assets	48147.78*	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62
	Difference	309.19	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
Less	Unrecognized Past Service cost (on Family Pension liability)	1520.16	-	-	-	-	-
	Net Liability/ (Asset)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
	Amounts in the Balance Sheet						
	Liability Recognized in the Balance Sheet	955.00**	-	7.12	-	507.47	666.41
	Assets Recognized in the Balance Sheet (on Family Pension liability)	(2165.97)	(376.44)	-	(103.30)	-	-
	Net Liability/ (Asset)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
	Negative amount determined under Paragraph 55 of AS-15 (R)	-	-	-	-	-	-
	Present value of available refunds and reductions in future contributions	-	-	-	-	-	-
	Asset recognized as per Paragraph 59 (b) of AS-15 (R)	2165.97	376.44	-	103.30	-	-

*includes contributions paid by Bank of Rs 618.79 crore for Past service cost on account of Additional Family Pension Liability

** In addition to providing the minimum amount of Rs.618.79 crore (i.e., 1/5th of total liability of Rs 3093.95 crore) for the financial year 2021-22, the Bank has further provided additional Past service cost of Rs 955.00 crore during FY 2021-22, aggregating the total amount charged to the Profit & Loss account is Rs 1573.79 crore during the year ended March 31, 2022 and the balance unamortized expense for additional family pension liability of Rs.1520.16 Crore has been carried forward

तालिका VII – लाभ और हानि खाते में पहचाना जाने वाला व्यय

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	वर्तमान सेवा लागत	488.52	508.01	247.10	252.96	331.28	212.19
जोड़ें:	ब्याज लागत	3065.43	3043.60	254.86	274.85	187.67	199.11
घटाएं	योजना संपत्ति पर संभावित लाभ	(3091.21)	(2813.19)	(269.73)	(263.49)	(145.48)	(9.36)
जोड़ें:	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
जोड़ें:	पिछली सेवा लागत-मान्यता प्राप्त (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	1573.79	-	-	-	-	-
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1012.67	1221.48	263.71	34.20	681.05	949.16

तालिका VIII – तुलन पत्र में मान्य होने वाली निवल देयता में घट-बढ़

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	प्रारम्भिक निवल देयता	(376.44)	31.19	(103.29)	302.75	666.41	1944.30
जोड़ें:	पूर्ववर्ती ओबीसी और यूनआई की प्रारंभिक निवल देयता	-	3308.09	-	-	-	1000.72
जोड़ें:	व्यय	1012.67	1221.48	263.71	34.20	681.05	949.16
जोड़ें:	संदत अंशदान	(1847.20)	(4937.20)	(153.30)	(440.24)	(839.99)	(2944.68)
घटाएं	कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	-	-	(283.09)
	अंतिम निवल देयता/(वर्तमान अवधि में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त आस्ति)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.29)	507.47	666.41

तालिका IX – वर्तमान अवधि के लिए राशि

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	दायित्वों का वर्तमान मूल्य	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03
घटाएं	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	48147.78	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62
	अधिशेष/(घाटा)	(309.19)*	376.44	(7.12)	103.30	(507.47)	(666.41)
	योजना देयताओं में अनुभाविक समायोजन – (हानि) / लाभ	1230.77	(1016.12)	199.27	(243.27)	446.48	744.92
	योजना आस्तियों में अनुभाविक में समायोजन – (हानि)/लाभ	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16

*इस राशि में कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता राशि शामिल है, जिसका चयन हमारे बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि में परिशोधन के लिए किया था (न्यूनतम 1/ कुल दायित्व के 5वें हिस्से के अधीन)। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाते में प्रभारित कुल राशि 1573.79 करोड़ रुपये है और 1520.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन देयता के लिए शेष असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

TABLE VII - Expense to be recognized in Profit and loss Account

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Current Service Cost	488.52	508.01	247.10	252.96	331.28	212.19
Add:	Interest cost	3065.43	3043.60	254.86	274.85	187.67	199.11
Less	Expected return on Plan assets	(3091.21)	(2813.19)	(269.73)	(263.49)	(145.48)	(9.36)
Add:	Net Actuarial (gain) / loss recognized in year	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
Add:	Past Service Cost-Recognized (on Family Pension liability)	1573.79	-	-	-	-	-
	Expenses recognized in the statement of profit and loss	1012.67	1221.48	263.71	34.20	681.05	949.16

TABLE VIII- Movement in Net Liability to be recognized in Balance Sheet

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Opening Net Liability	(376.44)	31.19	(103.29)	302.75	666.41	1944.30
Add	Opening Net liability of Erstwhile OBC & UNI	-	3308.09	-	-	-	1000.72
Add:	Expense	1012.67	1221.48	263.71	34.20	681.05	949.16
Less:	Contributions Paid	(1847.20)	(4937.20)	(153.30)	(440.24)	(839.99)	(2944.68)
Less	Benefits Paid by the company	-	-	-	-	-	(283.09)
	Closing Net Liability/ (Asset) recognised in B/S in current period)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.29)	507.47	666.41

TABLE IX -Amount for the current Period

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Present value of Obligation	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03
Less	Fair value of Plan Assets	48147.78	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62
	Surplus / (Deficit)	(309.19)*	376.44	(7.12)	103.30	(507.47)	(666.41)
	Experience Adjustments in Plan Liabilities -(loss) / Gain	1230.77	(1016.12)	199.27	(243.27)	446.48	744.92
	Experience Adjustments in Plan Assets (loss) / gain	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16

*This amount is inclusive of additional liability amount on account of revision in family pension for employees, which our Bank had opted for amortization over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022 (subject to a minimum of 1/5th of the total liability). The total amount charged to the Profit & Loss account is Rs 1573.79 crore during the year ended March 31, 2022 and the balance unamortized expense for additional family pension liability of Rs.1520.16 Crore has been carried forward.

तालिका X-ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना आस्तियों का प्रतिशत)

(प्रतिशत में)

	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	2.76%	3.78%	5.00%	8.00%	0.00%	0.00%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	11.91%	13.91%	10.00%	13.00%	0.00%	0.00%
उच्च किस्म के कॉर्पोरेट बॉण्ड	5.36%	5.67%	3.00%	3.00%	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयर/म्यूच्युअल फण्ड निवेश	0.28%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संपत्ति	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजनाएं /एफडीआर	4.06%	5.50%	6.00%	7.00%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ/जीवन बीमा कंपनियों में निवेश	69.10%	59.94%	66.00%	54.00%	100.00%	100.00%
अन्य जमाराशियां, उपचय आदि.	6.53%	10.60%	10.00%	15.00%	0.00%	0.00%
कुल जोड़	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

तालिका XI- आगामी वर्ष के दौरान उद्यम के अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान

	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
आगामी वर्ष के दौरान बैंक का श्रेष्ठतम अंशदान का अनुमान	720.00	2720.00	230.00	10.00	410.00	670.00

तालिका XII- अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

विवरण	बीमारी की छुट्टी तथा आकस्मिक नहीं ली गई छुट्टी (गैर निधिक)		छुट्टी किराया रियायत (गैर निधिक)		सिलवर जुबली बोनस (गैर निधिक)	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
दायित्व का वर्तमान मूल्य	168.36	71.73	237.76	217.68	16.15	15.91
संक्रमणशील देयता का प्रारम्भिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान मान्य संक्रमणशील देयता	-	-	-	-	-	-
संक्रमणशील देयता का इतिशेष	-	-	-	-	-	-
तुलनपत्र में मान्य देयता	168.36	71.73	237.76	217.68	16.15	15.91

TABLE X -Major Categories of Plan Assets (as percentage of Total Plan Assets) as managed by Trust
(In Percentage)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
Government of India Securities	2.76%	3.78%	5.00%	8.00%	0.00%	0.00%
State Govt Securities	11.91%	13.91%	10.00%	13.00%	0.00%	0.00%
High Quality Corporate Bonds	5.36%	5.67%	3.00%	3.00%	0.00%	0.00%
Equity Shares of listed companies/ Mutual Fund Investments	0.28%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Property	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Special deposit scheme/ FDRs	4.06%	5.50%	6.00%	7.00%	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer / Investment in Life insurance Companies	69.10%	59.94%	66.00%	54.00%	100.00%	100.00%
Other Deposits, Accruals etc.	6.53%	10.60%	10.00%	15.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

TABLE XI -ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR

	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Bank's best estimate of Contribution during next year	720.00	2720.00	230.00	10.00	410.00	670.00

TABLE XII- Other Long Term employee benefits (Unfunded)

Particulars	Sick Leave & Un availed Casual leave (Unfunded)		Leave Fare concession (unfunded)		Silver Jubilee Bonus (unfunded)	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
Present Value of Obligation	168.36	71.73	237.76	217.68	16.15	15.91
Opening Balance of Transitional Liability	-	-	-	-	-	-
Transitional Liability recognized in the year	-	-	-	-	-	-
Closing Balance Of Transitional Liability	-	-	-	-	-	-
Liability Recognized in Balance Sheet	168.36	71.73	237.76	217.68	16.15	15.91

विवरण	धारणा का आधार
बट्टा दर	दायित्वों की अनुमानित अवधि तथा मुद्रा के अनुरूप अवधि के सरकारी बंध पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि को बाज़ार प्राप्तियों के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गयी है।
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर	यह माना जाता है कि पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण निधि से संबंधित योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ प्रति वर्ष क्रमशः 7.20%, 6.95% और 6.95% होगा।
वेतनवृद्धि दर (एसईआर)	आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर 6.0% (प्रति वर्ष मूल वेतन वृद्धि 2.8% और डीए 5.8% कुल 6.0% की वेतन वृद्धि)
पलायन दर	पिछले अनुभव और स्वैच्छिक आहरण से संबंधित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में पलायन दर 1% निर्धारित की गयी है।

Particulars	Basis of assumption
Discount Rate	Discount Rate has been determined by reference to market yields at the balance Sheet date on Government bonds (published by FBIL) of term consistent with currency and estimated term of the obligations.
Expected Rate of Return on Plan Assets	It is assumed that return on the plan assets pertaining to the Pension, Gratuity and Leave Encashment fund will be 7.20% p.a., 6.95% p.a. and 6.95% p.a. respectively.
Salary Escalation Rate (SER)	Based on the broad guidance provided by IBA, SER for the bank has been taken at 6.0% (Basic Pay increase of 2.8% and DA increase of 5.8% pa with overall salary escalation of 6.0%.)
Attrition Rate	Attrition rate is assumed at 1% taken with reference to past experience and expected future experience related to voluntary withdrawals.

नोट :

15. ई) i) परिभाषित अंशदान योजना :-

“बैंक ने 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू अंशदान योजना को परिभाषित किया है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। राष्ट्रीय सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लि. को एनपीएस के लिए केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अंशदान का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान = ₹ 974.43 करोड़

(बैंक + कर्मचारी दोनों का अंशदान शामिल है)

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान = ₹ 747.67 करोड़

(बैंक + कर्मचारी दोनों का अंशदान शामिल है)

15.ई) ii) बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए के संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है, जो कि 3093.95 करोड़ रुपये है। हालांकि, आरबीआई ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर. एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के

Note:

15. e) i) Defined Contribution Plans: -

The Bank has Defined Contribution Plan applicable to all categories of employees joining the Bank on or after 01.04.2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

The detail of the contribution is as under-

During the Financial Year 2021-2022= Rs 974.43 Crore

(Contribution Includes both Bank + Employee contribution)

During the Financial Year 2020-2021= Rs 747.67 Crore

(Contribution Includes both Bank + Employee contribution)

15. e) ii) Bank has estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to Rs.3093.95 Crore. However, RBI vide their Circular RBI/2021-22/105 DOR. ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a

माध्यम से बैंकों को अधिकतम 5 (पांच) वर्ष की अवधि में उक्त अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है, जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर, प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन होगा। बैंक ने आरबीआई के उक्त प्रावधान को चुना है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम राशि 618.79 करोड़ रुपये (यानि, 3093.95 करोड़ रुपये की कुल देनदारी का 1/5) प्रदान करने के अलावा, बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 955.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूर्व सेवा लागत प्रदान की है, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में प्रभारित कुल राशि 1573.79 करोड़ रुपये है और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन देयता के लिए 1520.16 करोड़ रुपये के असंशोधित व्यय को आगे ले जाया गया है। यदि असंशोधित व्यय को लाभ और हानि लेखों में पूरी तरह से मान्यता दी गई होती, तो वर्ष के लिए परिणामी निवल लाभ रु. 2468 करोड़ होता।

15. एफ) लेखा मानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग

खंड पहचान

I. प्राथमिक (व्यावसायिक खंड):

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं: –

- ट्रेजरी** : ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों तथा व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है।
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग** : भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश आरबीआई/2020-21/53, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21, दिनांक 12 अक्टूबर 2020, के अनुसार कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग खंड में रुपये 7.50 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले उधारकर्ताओं की उधार गतिविधियां शामिल हैं।
- खुदरा बैंकिंग** : खुदरा बैंकिंग खंड में उन उधारकर्ता खातों को शामिल किया गया है जिनका एक्सपोजर रुपये 7.50 करोड़ से कम है।
- अन्य बैंकिंग परिचालन** खंड जो उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हैं, इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

- घरेलू परिचालन**—भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय
- विदेशी परिचालन**—भारत के बाहर परिचालित शाखाएं/कार्यालय और भारत में परिचालित अपतटीय बैंकिंग इकाईयां।

period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending 31st March, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Bank has opted the said provision of RBI and In addition to providing the minimum amount of Rs.618.79 crore (i.e., 1/5th of total liability of Rs 3093.95 crore) for the financial year 2021-22, the Bank has further provided additional Past service cost of Rs 955.00 crore during FY 2021-22, aggregating the total amount charged to the Profit & Loss account is Rs 1573.79 crore during the year ended March 31, 2022 and the balance unamortized expense for additional family pension liability of Rs.1520.16 Crore has been carried forward. If the unamortized expenditure had been fully recognised in the Profit & Loss account, the consequential Net Profit for the year would have been Rs.2468 Crore

15. f) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

Segment Identification

I. Primary (Business Segment):

The following are the primary segments of the Bank:-

- Treasury**: The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.
- Corporate/Wholesale Banking**: As per the RBI guidelines RBI/2020-21/53, DOR.No.BP.BC.23/21.06.201/2020-21, dated 12th October 2020, the Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹ 7.50 Crores and above.
- Retail Banking**: The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹ 7.50 Crores.
- Other Banking Operations** Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment):

- Domestic Operations** - Branches/Offices having operations in India
- Foreign Operations** - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

III. आवंटन का आधार:

ब्याज आय का आवंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है

थोक बैंकिंग/खुदरा बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित नहीं होने वाले व्यय आबंटित किए जाते हैं।

प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी की गणना उस विशेष खंड की आस्ति और देनदारियों के आधार पर की जाती है।

बैंक के पास कुछ आम आस्तियां और देनदारियां हैं, जिन्हें किसी भी खंड में आरोपित नहीं किया जा सकता है, और उन्हें गैर आबंटित माना जाता है।

भाग-ए: व्यावसायिक खंड

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
i.	राजस्व खंड		
	ए) ट्रेजरी	29530.09	30706.97
	बी) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	30646.03	31720.52
	सी) खुदरा बैंकिंग	24638.13	26300.90
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	2385.24	4012.33
	कुल	87199.49	92740.72
ii.	परिणाम खंड		
	ए) ट्रेजरी	9022.82	9605.06
	बी) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	-4174.61	-7023.60
	सी) रिटेल बैंकिंग	3095.91	4127.28
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	647.96	1106.80
	कुल	8592.08	7815.54
iii.	गैर आबंटित व्यय	4275.68	4336.14
iv.	परिचालन लाभ	20761.82	22159.18
v.	कर हेतु प्रावधान	859.44	1457.78
vi.	असाधारण मदें	0.00	0.00
vii.	निवल लाभ	3456.96	2021.62
अन्य जानकारी:			
viii.	आस्ति खंड		
	ए) ट्रेजरी	423122.44	428936.22
	बी) कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	542009.51	513012.15

III. Basis of allocation

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from different segments

Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment/other banking segment

Capital employed for each segment is calculated based on the assets and liabilities of that particular segment

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

PART A: BUSINESS SEGMENTS

(Amount in ₹ crore)

SI. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Audited)	(Audited)
i.	Segment Revenue		
	a) Treasury	29530.09	30706.97
	b) Corporate/ Wholesale Banking	30646.03	31720.52
	c) Retail Banking	24638.13	26300.90
	d) Other Banking Operations	2385.24	4012.33
	Total	87199.49	92740.72
ii.	Segment Results		
	a) Treasury	9022.82	9605.06
	b) Corporate/ Wholesale Banking	-4174.61	-7023.60
	c) Retail Banking	3095.91	4127.28
	d) Other Banking Operations	647.96	1106.80
	Total	8592.08	7815.54
iii.	Unallocated Expenses	4275.68	4336.14
iv.	Operating Profit	20761.82	22159.18
v.	Provision for Tax	859.44	1457.78
vi.	Extraordinary Items	0.00	0.00
vii.	Net Profit	3456.96	2021.62
Other Information:			
viii.	Segment Assets		
	a) Treasury	423122.44	428936.22
	b) Corporate/ Wholesale Banking	542009.51	513012.15

क्र. सं.	विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
			(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	सी)	रिटेल बैंकिंग	259162.10	245913.43
	डी)	अन्य बैंकिंग परिचालन	44043.15	26709.05
	उप जोड़		1268337.20	1214570.85
	ई)	गैर आबंटित व्यय	46467.81	46061.77
	कुल आस्तियां		1314805.01	1260632.62
ix.	देयताएं खंड			
	ए)	ट्रेजरी	406533.55	413086.54
	बी)	कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	520759.54	494055.77
	सी)	रिटेल बैंकिंग	249001.42	236826.65
	डी)	अन्य बैंकिंग परिचालन	42316.40	25722.12
	उप जोड़		1218610.91	1169691.08
	ई)	गैर आबंटित व्यय	707.22	4.23
	कुल देयताएं		1219318.13	1169695.31
x.	पूँजी नियोजित			
	ए)	ट्रेजरी	16588.89	15849.68
	बी)	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	21249.97	18956.38
	सी)	खुदरा बैंकिंग	10160.68	9086.78
	डी)	अन्य बैंकिंग परिचालन	1726.75	986.93
	उप जोड़		49726.29	44879.77
	ई)	गैर आबंटित व्यय	45760.59	46057.54
	कुल नियोजित पूँजी		95486.88	90937.31

भाग बी: भौगोलिक खंड

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
			(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1.	राजस्व			
	क)	घरेलू	86712.97	91946.84
	ख)	अंतरराष्ट्रीय	486.52	793.88
	कुल		87199.49	92740.72
2.	आस्तियां			
	क)	घरेलू	1271243.80	1214829.81
	ख)	अंतरराष्ट्रीय	43561.21	45802.81
	कुल		1314805.01	1260632.62

Sl. No.	Particulars		Current Year	Previous Year
			(Audited)	(Audited)
	c)	Retail Banking	259162.10	245913.43
	d)	Other Banking Operations	44043.15	26709.05
	Sub Total		1268337.20	1214570.85
	e)	Unallocated Assets	46467.81	46061.77
	Total Assets		1314805.01	1260632.62
ix.	Segment Liabilities			
	a)	Treasury	406533.55	413086.54
	b)	Corporate/ Wholesale Banking	520759.54	494055.77
	c)	Retail Banking	249001.42	236826.65
	d)	Other Banking Operations	42316.40	25722.12
	Sub Total		1218610.91	1169691.08
	e)	Unallocated Liabilities	707.22	4.23
	Total Liabilities		1219318.13	1169695.31
x.	Capital Employed			
	a)	Treasury	16588.89	15849.68
	b)	Corporate/ Wholesale Banking	21249.97	18956.38
	c)	Retail Banking	10160.68	9086.78
	d)	Other Banking Operations	1726.75	986.93
	Sub Total		49726.29	44879.77
	e)	Unallocated Liabilities	45760.59	46057.54
	Total Capital Employed		95486.88	90937.31

PART B: GEOGRAPHIC SEGMENTS

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Particulars		Current Year	Previous Year
			(Audited)	(Audited)
1.	Revenue			
	a)	Domestic	86712.97	91946.84
	b)	International	486.52	793.88
	Total		87199.49	92740.72
2.	Assets			
	a)	Domestic	1271243.80	1214829.81
	b)	International	43561.21	45802.81
	Total		1314805.01	1260632.62

नोट:

1. खंडवार देयताएं उनकी संबंधित खंड आस्तियों के अनुपात में वितरित की गई हैं।
2. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछली अवधि के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

15. जी) लेखा मानक 18 – आईसीएआई (मूल कंपनी) : द्वारा जारी लेखा मानक – 18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटन :

संबंधित पार्टियों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध :

मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी):

- i) श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 01.02.2022 से
- ii) श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 31.01.2022 तक
- iii) श्री अज्ञेय कुमार आजाद, कार्यपालक निदेशक, 30.04.2021 तक
- iv) श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक
- v) श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक
- vi) श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक
- vii) श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक 21.10.2021 से

अनुषंगियाँ :

- i) पीएनबी गिल्ट्स लि.
- ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लि.
- iii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.
- iv) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लि., यूके
- v) ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान.

सहयोगी संस्थाएं :

- i) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी*
- ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
- iii) जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाखस्तान**
- iv) केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.
- v) भारत एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि.
- vi) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
- vii) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
- viii) हिमाचल प्रदेश, ग्रामीण बैंक, मंडी

Note:

1. Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.
2. Figures of the previous period have been re-grouped /re-classified wherever necessary.

15. g) Accounting Standard 18 - Disclosure of Related Parties as per Accounting Standard-18 issued by ICAI: (Parent Company):

Names of the related parties and their relationship with the Bank:

Key Management Personnel (KMP):

- i) Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO, w.e.f. 01.02.2022
- ii) Shri CH S S Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO, upto 31.01.2022
- iii) Shri Agyey Kumar Azad, Executive Director, up to 30.04.2021
- iv) Shri Sanjay Kumar, Executive Director
- v) Shri Vijay Dube, Executive Director
- vi) Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director
- vii) Shri Kalyan Kumar, Executive Director, w.e.f. 21.10.2021

Subsidiaries:

- i) PNB Gilts Ltd.
- ii) PNB Investment Services Ltd.
- iii) PNB Cards and Services Ltd.
- iv) Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
- v) Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.

Associates:

- i) PNB Metlife India Insurance Company Ltd*
- ii) PNB Housing Finance Limited
- iii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan**
- iv) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
- v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
- vi) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
- vii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
- viii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi

- ix) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
- x) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
- xi) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
- xii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
- xiii) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
- xiv) मणिपुर ग्रामीण/रुरल बैंक, इम्फाल
- xv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

*पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में 700.48 रुपये में पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

**एएफआर ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रिवोक कर दिया और यह परिसमापन के अधीन है।

अन्य:

- i) पीएनबी शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट

- ix) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
- x) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
- xi) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
- xii) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
- xiii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
- xiv) Manipur Rural Bank, Imphal
- xv) Tripura Gramin Bank, Agartala

*PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.

**AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.

Others:

- i) PNB Centenary Rural Development Trust

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन:

(राशि करोड़ रुपये में)

मदें/संबंधित पक्ष	मूल** (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		अनुषंगी**		सहायक/संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		कुल	
	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
पारिश्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	2.74	-	-	-	2.74	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	(3.45)	-	-	-	(3.45)	-
उधार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	25.01	25.01	-	-	-	-	25.01	25.01
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(25.01)	(25.01)	-	-	-	-	(25.01)	(25.01)
जमाराशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	88.80	92.56	-	-	-	-	88.80	92.56
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(96.06)	(116.44)	-	-	-	-	(96.06)	(116.44)
जमाराशियों का नियोजन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
अन्य देयताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.61	1.52	-	-	-	-	0.61	1.52
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.30)	(7.45)	-	-	-	-	(0.30)	(7.45)
बैंकों में जमाराशियों एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	38.27	767.65	-	-	-	-	38.27	767.65
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(1745.04)	(2772.04)	-	-	-	-	(1745.04)	(2772.04)
अग्रिम (आईबीपीसी बारोइंग्स)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
अग्रिम (आईबीपीसी उधार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
अग्रिम (अन्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4325.89	4634.45	-	-	-	-	4325.89	4634.45
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(4648.43)	(5384.44)	-	-	-	-	(4648.43)	(5384.44)
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	817.54	817.54	-	-	-	-	817.54	817.54
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(717.54)	(717.54)	-	-	-	-	(717.54)	(717.54)
डिबेंचरों में निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आस्तियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	129.82	212.15	-	-	-	-	129.82	212.15
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(259.28)	(313.07)	-	-	-	-	(259.28)	(313.07)
गैर- निधिक प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	17.89	17.89	-	-	-	-	17.89	17.89
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(5.99)	(5.99)	-	-	-	-	(5.99)	(5.99)
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
आईबीपीसी बिक्री सौदा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्य लेनदेन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-

Transactions with Related Parties:

(Amount in ₹ crore)

Items/ Related Party	Parent** (as per ownership or control)		Subsidiaries**		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year
Remuneration	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	2.74	-	-	-	2.74	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	(3.45)	-	-	-	(3.45)	-
Borrowings	N.A	N.A	N.A	N.A	25.01	25.01	-	-	-	-	25.01	25.01
	N.A	N.A	N.A	N.A	(25.01)	(25.01)	-	-	-	-	(25.01)	(25.01)
Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A	88.80	92.56					88.80	92.56
	N.A	N.A	N.A	N.A	(96.06)	(116.44)	-	-	-	-	(96.06)	(116.44)
Placement of Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00					0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
Other Liabilities	N.A	N.A	N.A	N.A	0.61	1.52					0.61	1.52
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.30)	(7.45)					(0.30)	(7.45)
Balance with banks and Money at call and short notice	N.A	N.A	N.A	N.A	38.27	767.65	-	-	-	-	38.27	767.65
	N.A	N.A	N.A	N.A	(1745.04)	(2772.04)	-	-	-	-	(1745.04)	(2772.04)
Advances (IBPC borrowings)	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00					0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Advances (IBPC lending)	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00					0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Advances (Others)	N.A	N.A	N.A	N.A	4325.89	4634.45					4325.89	4634.45
	N.A	N.A	N.A	N.A	(4648.43)	(5384.44)	-	-	-	-	(4648.43)	(5384.44)
Investments	N.A	N.A	N.A	N.A	817.54	817.54					817.54	817.54
	N.A	N.A	N.A	N.A	(717.54)	(717.54)	-	-	-	-	(717.54)	(717.54)
Investments in Debentures	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Assets	N.A	N.A	N.A	N.A	129.82	212.15					129.82	212.15
	N.A	N.A	N.A	N.A	(259.28)	(313.07)					(259.28)	(313.07)
Non funded Commitments (LCs/ BGs)	N.A	N.A	N.A	N.A	17.89	17.89	-	-	-	-	17.89	17.89
	N.A	N.A	N.A	N.A	(5.99)	(5.99)	-	-	-	-	(5.99)	(5.99)
Leasing/ HP arrangements availed	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing/ HP arrangements provided	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase of fixed assets	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Sale of Fixed Assets	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaction IBPC Sale Deal Value	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-

मर्दे/संबंधित पक्ष	मूल** (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		अनुषंगी**		सहायक/संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		कुल	
	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
आईबीपीसी खरीद सौदा मूल्य लेनदेन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
आईबीपीसी पर प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4.70	-	-	-	-	-	4.70	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(16.67)	-	-	-	-	-	(16.67)	-
आईबीपीसी पर प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	586.65	-	-	-	-	-	586.65	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(860.17)	-	-	-	-	-	(860.17)	-
सेवाओं की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
सेवाओं का प्रतिपादन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रबंधन संविदाएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.54	-	-	-	-	-	0.54	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.54)	-	-	-	-	-	(0.54)	-
प्राप्त लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
बैंक प्रभार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त कमीशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	194.21	-	-	-	-	-	194.21	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(79.16)	-	-	-	-	-	(79.16)	-
अन्य आय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	288.90	-	-	-	-	-	288.90	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(436.16)	-	-	-	-	-	(436.16)	-

- नोट: 1. **अनुषंगियों और कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ हुए लेनदेन का प्रकटीकरण लेखा मानक – 18 “सम्बन्धित पार्टी प्रकटीकरण” के पैरा 9 के मद्देनजर नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उनकी ऐसी अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा नियंत्रित हों, से लेनदेन में कोई प्रकटीकरण करने से छूट देता है।
2. इसके अलावा, एएस 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेन-देन, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों से किए गए लेन-देन भी शामिल हैं, का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
3. रिपोर्ट की गई राशि प्रावधान को घटाकर है, यदि कोई हो।
4. जहाँ भी आंकड़े कोष्ठक में दिए गए पिछले वर्ष से संबंधित हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः समूहबद्ध/ पुनः व्यवस्थित/ पुनः वर्गीकृत किया गया है।

Items/ Related Party	Parent** (as per ownership or control)		Subsidiaries**		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year
Transaction IBPC	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase Deal Value	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest paid on Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest Paid on IBPC	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest Paid Others	N.A	N.A	N.A	N.A	4.70	-	-	-	-	-	4.70	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(16.67)	-	-	-	-	-	(16.67)	-
Interest received on IBPC	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest received Others	N.A	N.A	N.A	N.A	586.65	-	-	-	-	-	586.65	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(860.17)	-	-	-	-	-	(860.17)	-
Receiving of Services	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendering of Services	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Management contracts	N.A	N.A	N.A	N.A	0.54	-	-	-	-	-	0.54	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.54)	-	-	-	-	-	(0.54)	-
Dividend received	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Charges	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest Paid on Bonds	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Commission Received	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenditure	N.A	N.A	N.A	N.A	194.21	-	-	-	-	-	194.21	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(79.16)	-	-	-	-	-	(79.16)	-
Other Income	N.A	N.A	N.A	N.A	288.90	-	-	-	-	-	288.90	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(436.16)	-	-	-	-	-	(436.16)	-

Notes: 1. **The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of para-9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.

2. Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

3. The amounts reported are net of provision, if any.

4. Figures in brackets relate to previous year and have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

15. एच) लेखा मानक एस 19 – पट्टा

- परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होते हैं, जो कि बैंक के विकल्प पर प्रत्येक 3/5 वें वर्ष के अंत में सामान्य रूप से नवीकरणीय होते हैं।
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2022 को गैर-रद्द करने योग्य पट्टा: शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)।
- परिचालन पट्टे के लिए लाभ और हानि लेखे में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार है:

चालू वर्ष		गत वर्ष	
पट्टे / किराए के परिसर की संख्या	(राशि रु. करोड़ में)	पट्टे / किराए के परिसर की संख्या	(राशि रु. करोड़ में)
15750	782.24	16050	790.74

15. i) लेखा मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
ए	ईपीएस – मूल / डाईल्यूटेड (रु. में) (गैर वार्षिक)	3.16	2.08
बी	कर के पश्चात गणक के रूप में उपयोग की गई राशि पर लाभ/(हानि) (रु 000 में)	34569636	20216187
सी	शेयरों का अंकित मूल्य	₹ 2.00 प्रत्येक	₹ 2.00 प्रत्येक
डी	डिनोमिनेटर के रूप में प्रयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	10946723321	9705896011

15. जे) (i) लेखा मानक – 22 : आय पर करों के सम्बन्ध में लेखांकन

बैंक ने लेखा नीति सं. 10. के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयता की पहचान की है जिसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
आस्थगित कर आस्तियां		
छुट्टी नकदीकरण और अन्य के लिए प्रावधान	112.80	1226.76
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	23821.41	25408.50
कर योग्य हानि (आगे ले जाया गया)	2353.34	1335.18
अन्य आकस्मिकताएं	162.16	55.00
कुल	26449.71	28025.44

15. h) Accounting Standard 19 - Lease

- Operating lease primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the bank normally at the end of every 3 / 5th years.
- As per information available, Non-Cancellable lease as on 31.03.2022: NIL (Previous year: NIL).
- Amount of lease payment recognized in P & L Account for operating lease is as under:

Current Year		Previous Year	
No. of lease / rented premises	(Amount in ₹ Crore)	No. of lease / rented premises	(Amount in ₹ Crore)
15750	782.24	16050	790.74

15. i) Accounting Standard 20 - Earnings per Share

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
A	EPS - Basic / Diluted (in ₹) (Non Annualized)	3.16	2.08
B	Amount used as numerator Profit/ (Loss) after tax (₹ in 000)	34569636	20216187
C	Nominal value of share	₹ 2.00 each	₹ 2.00 each
D	Weighted average number of equity shares used as the denominator	10946723321	9705896011

15.j) (i) Accounting Standard 22- Accounting for taxes on Income

The Bank has recognized deferred tax assets and liability as per accounting policy no. 10. Major components of which are set out below:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Assets		
Provision for Leave encashment & others	112.80	1226.76
Provision for bad & doubtful debts	23821.41	25408.50
Taxable loss (carried forward)	2353.34	1335.18
Other Contingencies	162.16	55.00
Total	26449.71	28025.44

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-233.45	-164.13
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	1170.31	1135.37
कुल	936.86	971.24
आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	25512.85	27054.20

31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) के लिए लाभ और हानि लेखे में आस्थगित कर आस्ति रु. 1541.35 करोड़ (पिछले वर्ष: डेबिट रु. 1426 करोड़) में नामे डाली गई है।

- ii) **वर्तमान कर:** विवाद से विश्वास योजना 2020 के तहत कुछ पात्र मामलों को चुनने के बाद, बैंक ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान शेष आयकर प्रावधान रु. 700.00 करोड़ को रिवर्स कर दिया है, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तदनुसार 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक ने वर्तमान कर के कारण लाभ और हानि खाते में रु. 681.91 करोड़ जमा किए हैं (पिछले वर्ष: रु. 31.78 करोड़ डेबिट किए गए)। तदनुसार लाभ और हानि लेखे में प्रभारित वर्तमान कर और आस्थगित कर आस्तियों के कारण कुल कर व्यय रु. 859.44 करोड़ है।
- iii) अन्य आस्तियों के तहत आने वाले अग्रिम रूप से भुगतान किए गए कर/स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांगों के संबंध में बैंक/विभाग द्वारा भुगतान की गई समायोजित विवादित राशि शामिल हैं।
- iv) रु. 11427.55 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 9835.82 करोड़) की विवादित आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक की राय, इन मुद्दों पर विशेषज्ञ की राय और/अथवा बैंक की अपीलों पर हुए निर्णय के अनुसमर्थन के अनुसार किए गए परिवर्धन/अस्वीकृतियां धारणीय नहीं है।
- v) बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए के तहत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है और आयकर अधिनियम 1961 के पूर्व प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय पर करों को मान्यता देना जारी रखने का विकल्प चुना है।
- vi) वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और क्रमशः भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22- "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार किया जाता है। भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशी क्षेत्राधिकार में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on fixed assets	-233.45	-164.13
Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act 1961.	1170.31	1135.37
Total	936.86	971.24
Deferred Tax Assets (Net)	25512.85	27054.20

The deferred tax assets ₹ 1541.35 Crore for the year ended 31.03.2022 (FY 2021-22) is debited to Profit & Loss Account (Previous year: Debited ₹ 1426 Crores).

- ii) **Current Tax:** After opting certain eligible cases under Vivad se Vishwas Scheme 2020, the Bank has reversed remaining Income Tax provision amounting to ₹ 700.00 crore during the year ended 31.03.2022, as the same is no longer required. Accordingly for the financial year ended 31.03.2022 the bank has credited ₹ 681.91 Crores to Profit & Loss Account (Previous year: Debited ₹ 31.78 Crore) on account of current tax. Accordingly the total tax expense on account of current tax & deferred tax assets charged to Profit & Loss account amounts to ₹ 859.44 Crore.
- iii) Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under "Other Assets" includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Bank in respect of tax demands for various assessment years.
- iv) No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹11427.55 Crore (Previous year ₹ 9835.82 Crore) as in the bank's view, duly supported by expert opinion and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.
- v) The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognise the taxes on income for the financial year 2021-22 as per the earlier provisions of Income Tax Act, 1961.
- vi) The current tax expenses and deferred tax expenses are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per the Accounting Standard 22- "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India respectively. The current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid on foreign jurisdiction.

15. के) लेखा मानक 23— समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन

चूंकि बैंक की अपनी सहयोगी संस्थाओं में सहभागी स्वरूप का निवेश है और बैंक को उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का अधिकार है, अतः बैंक की समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसे निवेशों को मान्यता दी गई है।

(गत वर्ष: चूंकि बैंक के अपने सहयोगियों में निवेश सहभागी स्वरूप का होता है और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।)

15. एल) लेखा मानक 24: परिचालन बंद होना

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की शैडिंग और आस्तियों का भुगतान हुआ हो तथा किसी परिचालन को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे उक्त प्रभाव पड़े।

(गत वर्ष: दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की शैडिंग और आस्तियों की वसूली हुई हो, तथा किसी परिचालन को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे उक्त प्रभाव पड़े।)

15.एम. लेखा मानक 26 – अमूर्त आस्ति

विवरण	उपयोगी अवधि (वर्ष की संख्या)	प्रयुक्त की गई परिशोधन दरें	परिशोधन पद्धति
सॉफ्टवेयर	03	33.33%	स्ट्रेट लाइन विधि

अमूर्त संपत्ति

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	कुल ब्लॉक				परिशोधन				नेट ब्लॉक		
	01.04.21 तक	परिवर्धन	अन्य समायोजन	पुनर्वर्गीकरण/हटाना	01.04.2021 तक	वर्ष के लिए*	पुनर्वर्गीकरण/हटाना	31.03.2022 तक	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक	
सॉफ्टवेयर	1102.91	106.40	0.00	0.00	1209.31	786.88	133.20	0.00	920.08	289.23	316.03
कुल	1102.91	106.40	0.00	0.00	1209.31	786.88	133.20	0.00	920.08	289.23	316.03
गत वित्तीय वर्ष 2020-21*	621.89	481.02	0.00	0.00	1102.91	491.15	295.73	0.00	786.88	316.03	-

*कुल संपत्तियों में जोड़ और आज तक मूल्यहास में समामेलन की तारीख के अनुसार अंतरिती बैंकों की शेष राशि शामिल है और नेट ब्लॉक में बिना किसी प्रभाव के इसे फिर से कास्ट किया जाता है।

15. k) Accounting Standard 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

(Previous year: Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank).

15. l) Accounting Standard 24 – Discontinuing operations

During the period from 01.04.2021 to 31.03.2022, the bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which have the above effect.

(Previous year: During the period from 01.04.2020 to 31.03.2021, the bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which have the above effect).

15. m. Accounting Standard 26 – Intangible asset

Particulars	Useful life (No. of Years)	Amortization rates used	Amortization Method
Software	03	33.33%	Straight Line Method

Intangible Assets

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Gross Block				Amortization				Net Block		
	As at 01.04.21	Additions	Other Adjustments	Reclassifications / Deletions	As at 31.03.22	As at 01.04.21	For the year*	Reclassifications / Deletions	As at 31.03.22	As at 31.03.22	As at 31.03.21
Software	1102.91	106.40	0.00	0.00	1209.31	786.88	133.20	0.00	920.08	289.23	316.03
TOTAL	1102.91	106.40	0.00	0.00	1209.31	786.88	133.20	0.00	920.08	289.23	316.03
Previous FY 2020-21*	621.89	481.02	0.00	0.00	1102.91	491.15	295.73	0.00	786.88	316.03	-

*Addition to gross block and depreciation to date includes balances of transferee Banks as at date of Amalgamation and is re-casted with no impact in net Block.

15. एन) लेखा मानक 28 – आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा “वित्तीय आस्तियों” का है जिन पर लेखा मानक 28 “आस्तियों का ह्रास” लागू नहीं है। बैंक की राय में इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) की उक्त मानक की शर्त के अधीन अपेक्षित पहचान के लिए 31.03.2022 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास नहीं है।

(गत वर्ष : बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा “वित्तीय आस्तियों” का है जिनपर लेखा मानक 28 “आस्तियों का ह्रास” लागू नहीं है। बैंक की राय में इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) की उक्त मानक की शर्त के अधीन अपेक्षित पहचान के लिए 31.03.2022 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास नहीं है)।

15. ओ) लेखा मानक 29: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

i) देयताओं के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव*

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	वेतन बकाया	कानूनी मामले / आकस्मिकताएं
प्रारंभिक शेष	44.00	74.20
	(911.91)	(29.35)
ईओबीसी और ईयूएनआई के समामेलन के कारण वृद्धि	0.00	0.00
	(461.75)	(43.02)
वर्ष के दौरान जोड़ा गया / प्रदान किया गया	0.00	11.81
	(1564.66)	(5.93)
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशियां	0.00	0.23
	(2316.96)	(0.23)
वर्ष की अवधि के दौरान रिवर्स	44.00	2.27
	(577.36)	(3.87)
31.03.2022 को शेष	0.00	83.51
	(44.00)	(74.20)
बहिर्वाह / अनिश्चितताओं का समय	वास्तविक भुगतान पर	निपटान/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह
	वास्तविक भुगतान पर	निपटान/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह

*अन्य के लिए प्रावधान को छोड़कर

ii) आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची – 12 देखें:

क्रम संख्या (I),(II), (III), (IV), (V) व(VI) की ऐसी देयताएं अदालत / विवाचन/अदालत से बाहर समझौते के निष्कर्षों, अपीलों का निपटान, मांगी जा रही राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, सम्बद्ध पार्टियों द्वारा की गयी माँगों पर क्रमशः आश्रित हैं।

15. n) Accounting Standard 28 – Impairment of assets

A substantial portion of the bank’s assets comprises ‘financial assets’ to which Accounting Standard 28 ‘Impairment of Assets’ is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2022 requiring recognition in terms of the said standard.

(Previous year: A substantial portion of the bank’s assets comprises ‘financial assets’ to which Accounting Standard 28 ‘Impairment of Assets’ is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2021 requiring recognition in terms of the said standard).

15. o) Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i) Movement of provisions for liabilities*

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Salary arrears	Legal cases/ contingencies
Opening Balance	44.00	74.20
	(911.91)	(29.35)
Addition on account of amalgamation of eOBC and eUNI	0.00	0.00
	(461.75)	(43.02)
Addition / Provided during the Year	0.00	11.81
	(1564.66)	(5.93)
Amounts used during the Year	0.00	0.23
	(2316.96)	(0.23)
Reversed during the period Year	44.00	2.27
	(577.36)	(3.87)
Balance as at 31.03.2022	0.00	83.51
	(44.00)	(74.20)
Timing of outflow/ uncertainties	On actual Payment	Outflow on settlement / crystallization
	(On actual Payment)	(Outflow on settlement / crystallization)

*Excluding provisions for others

ii) Refer Schedule-12 on contingent liabilities

Such liabilities at S.No.(I), (II), (III), (IV), (V) & (VI) are dependent upon the outcome of Court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively.

अन्य प्रकटीकरण :

16. व्यक्तिगत / समूह उधारकर्ताओं के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु क्रेडिट एक्सपोजर जहां अधिक था, उसके संबंध में बैंक का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 31.03.2022 के लिए टियर-1 पूंजी रु. 62636 करोड़ के आधार पर व्यक्तिगत और समूह खातों के संबंध में बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार उन खातों का विवरण नीचे दिया गया है, जहां बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा को पार किया है: -

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित सीमा	एक्सपोजर (31.03.2022 को)	31.03.2022 को टियर-1 पूंजी के रूप में कुल एक्सपोजर	बकाया (31.03.2022 तक)	31.03.2022 को टियर-1 पूंजी के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया एक्सपोजर
व्यक्तिगत						
1.	भारतीय खाद्य निगम	रु.12527.20 करोड़ (टियर-1 पूंजी का 20%)	14469.27	23.10%	14469.27	*23.10%
2.	नाबार्ड		14052.65	22.44%	14052.65	*22.44%
*समूह						
शून्य						

31.03.2021 (31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष)

वित्तीय वर्ष 31.03.2021 के लिए टियर-1 पूंजी रु. 55507 करोड़ के आधार पर व्यक्तिगत और समूह खातों के संबंध में बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार उन खातों का विवरण नीचे दिया गया है, जहां बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा को पार किया है: -

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित सीमा	एक्सपोजर (31.03.2021 को)	31.03.2021 को टियर-1 पूंजी के रूप में कुल एक्सपोजर	बकाया (31.03.2021 तक)	31.03.2021 को टियर-1 पूंजी के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया एक्सपोजर
व्यक्तिगत						
1.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.	रु. 11101.40 करोड़ (टियर-1 पूंजी का 20%)	11356.43	20.46%	11356.43	20.46%
*समूह						
शून्य						

Other Disclosures:

16. Bank's Disclosure in respect of Credit Exposures where the same had exceeded the Prudential Exposure limits as per Large Exposure (LE) framework prescribed by RBI for Individual/Group Borrowers for the Financial year ended 31.03.2022:

Details of accounts where Bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) framework in respect of any Individual and Group Accounts based on Tier - 1 Capital of ₹ 62636 Crores for the financial year 31.03.2022 are as below:-

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Name of the Borrower	Prescribed Ceiling	Exposure (as on 31.03.2022)	Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2022	Outstanding (as on 31.03.2022)	Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier - 1 Capital as on 31.03.2022
Individual						
1.	Food Corporation of India	₹ 12527.20 Crores (20% of Tier - I Capital)	14469.27	23.10%	14469.27	*23.10%
2.	NABARD		14052.65	22.44%	14052.65	*22.44%
*Group						
NIL						

31.03.2021 (FY ended 31.03.2021)

Details of accounts where Bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) framework in respect of any Individual and Group Accounts based on Tier - 1 Capital of ₹ 55507 Crores for the financial year 31.03.2021 are as below: -

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Name of the Borrower	Prescribed Ceiling	Exposure (as on 31.03.2021)	Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2021	Outstanding (as on 31.03.2021)	Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier - 1 Capital as on 31.03.2021
Individual						
1.	Indian Railway Finance Corp. Ltd	₹ 11101.40 Crores (20% of Tier - I Capital)	11356.43	20.46%	11356.43	20.46%
*Group						
NIL						

*आरबीआई के परिपत्र दिनांक 03.06.2019 ने बैंक की बोर्ड की शक्तियों के तहत एकल प्रतिपक्ष के 20% की सीमा के अतिरिक्त 5% का लीवरेज दिया है। बोर्ड ने दिनांक 28.03.2017 की अपनी बैठक में यह अनुमोदन दिया है कि बैंक असाधारण परिस्थितियों में बड़े एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत एकल प्रतिपक्षकार के लिए एक्सपोजर सीमा को 20% की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त और 5% तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

†आरबीआई परिपत्र दिनांक 03.06.2019 ने बैंक की बोर्ड की शक्तियों के तहत एकल प्रतिपक्ष के 20% की सीमा से अधिक 5% का लीवरेज दिया है। बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 05.03.2021 में कार्यसूची संख्या ए-3 के माध्यम से इसकी पुष्टि की थी।

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत और समूह खातों (उपरोक्त उल्लिखित को छोड़कर) के सभी एक्सपोजर (छूट प्राप्त एक्सपोजर के अलावा) एलई फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित नियामक सीमाओं के भीतर हैं।

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत और समूह खातों (उपरोक्त उल्लिखित को छोड़कर) के सभी एक्सपोजर (छूट प्राप्त एक्सपोजर के अलावा) एलई फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित नियामक सीमाओं के भीतर हैं।

17. प्रकटीकरण: चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

“बैंक ने यूनाइटेड किंगडम में नियामक, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (पीआरए) को यू.के. स्थित अपनी अनुषंगी पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड के संबंध में एक चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है, जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि यदि पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यू.के. अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी न कर पाए तो बैंक उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेगा”।

उक्त चुकौती आश्वासन पत्र दिनांक 15.03.2022 को हमारी अनुषंगी पीएनबीआईएल से संबंधित पीआरए के पक्ष में हमारे बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नवीनीकृत किया गया है, जिसमें हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह नवीनीकरण पीआरए और आरबीआई के निर्देश के अनुसार किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने समूह संस्थाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और इसलिए, चुकौती आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

18. प्रकटीकरण: वचनपत्र

“बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), जीआईएफटी सिटी, गांधीनगर, गुजरात को एक वचन पत्र जारी किया है कि वह यूएसडी 20.00 मिलियन की आवश्यक पूंजी सहायता प्रदान करेगा।

इसके अलावा, बैंक इस बात की पुष्टि करता है कि वह इस तरह का समर्थन और सहायता प्रदान करेगा (जब भी आवश्यक हो, चलनिधि सहित) और संचालन के दौरान दायित्वों को पूरा करने के लिए आईएफएससी बैंकिंग यूनिट को सक्षम करने के लिए विनियोजित किया जा सकता है।

उपरोक्त के अलावा बैंक ने विदेशी शाखाओं के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और चुकौती आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

*RBI Circular dated 03.06.2019 has given leverage of 5% over and above the ceiling of 20% of single counterparty under the Bank's Board Power. Board in its meeting dated 28.03.2017 has approved that bank may in exceptional circumstances consider enhancement of the exposure ceiling for single counterparty classified as Large Exposure upto 5% over and above ceiling of 20%.

†RBI Circular dated 03.06.2019 has given leverage of 5% over and above the ceiling of 20% of single counterparty under the bank's Board power. The same was ratified by the board in its meeting dated 05.03.2021 vide Agenda No. A-3.

All the exposure (other than exempted exposure) of Individual and Group Accounts (except as mentioned above) for the financial year ended 31.03.2022 are within the prescribed regulatory limits, as per LE Framework.

(All the exposure (other than exempted exposure) of Individual and Group Accounts (except as mentioned above) for the financial year ended 31.03.2021 are within the prescribed regulatory limits, as per LE Framework).

17. Disclosure: Letter of Comfort (LoC)

“The Bank has issued a Letter of Comfort to Prudential Regulation Authority (PRA), the regulator in United Kingdom, committing that the bank shall provide financial support to its subsidiary, Punjab National Bank (International) Ltd., UK so that it meets its financial commitments as and when they fall due”.

The said letter of Comfort has been renewed on 15.03.2022 after seeking approval of our Board in favor of PRA w.r.t. our subsidiary PNBIL wherein we have reiterated our commitment. The renewal was done as per instruction of PRA and RBI.

Apart from the above, the Bank has not issued any Letter of Comfort to Group Entities (Excl. RRBs) and therefore, there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

18. Disclosure: Letter of Undertaking

“The Bank has issued a **Letter of Undertaking to International Financial Services Centers Authority (IFSCA), GIFT City, Gandhinagar, Gujarat** that it will provide necessary Capital support of **USD 20.00 Mio.**

Further, the bank hereby confirms that it will provide such support and assistance (including liquidity, whenever needed) and may be appropriated to enable the IFSC Banking Unit to meet obligations in the course of the operation”.

Apart from the above the Bank has not issued any Letter of Comfort for overseas branches and there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

19. क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स

पीएनबी ग्लोबल क्रेडिट कार्ड धारक जब कभी अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके खरीददारी करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड के अंक प्रदान किए जाते हैं। ये रिवॉर्ड के अंक मर्चेन्ट संस्थान पर कार्डधारक द्वारा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय जारी किए जाते हैं। कार्डधारक इन एकत्रित अंकों को रिडीम कर सकता है। रिवॉर्ड अंकों के कारण देय राशि को दैनिक आधार पर लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है और विविध प्रावधान खाते में क्रेडिट किया जाता है।

बकाया रिवॉर्ड अंकों (क्रेडिट कार्ड) तथा उनके संबंध में किए गए प्रावधान की स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बकाया शेष रिवॉर्ड अंक	203815605	206320567
इन अंकों के लिए किया गया प्रावधान (रु. करोड़ में)*	2.55	2.58

*क्रेडिट कार्ड के संबंध में रिवॉर्ड पॉइंट्स के प्रति 1 पॉइंट के लिए रु.0.50 का प्रावधान किया गया है। रिडेम्प्शन के पिछले चलन पर आधारित, पिछले वर्ष के अनुमानित आधार पर संचित रिवॉर्ड पॉइंट्स के @ 25% का प्रावधान किया गया है।

20. गैर-बैंकिंग आस्तियों से संबंधित प्रकटीकरण:

(राशि रु. करोड़ में)

चालू वर्ष		गत वर्ष	
संपत्तियों की संख्या	बकाया शेष	संपत्तियों की संख्या	बकाया शेष
13	50.21	14	61.35

21. रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत उधार दी गई या अर्जित की गई कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां:

चालू वर्ष	गत वर्ष
शून्य	शून्य

22. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने अवरुद्ध खाते तैयार करने के लिए 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया अंतर शाखा क्रेडिट प्रविष्टियों की राशि की गणना की। तदनुसार, रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. 8.65 करोड़) की राशि को किये गए [समायोजन को घटाकर अनुसूची -5 में "अन्य देयताएं-अन्य" के तहत शामिल किया गया है]।

23. परिसर में रु. 2.48 करोड़ की संपत्ति शामिल है [मूल्यहास को घटाकर] {लागत रु. 4.12 करोड़} जो शीर्षक विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं (पिछले वर्ष रु. 2.26 करोड़) [मूल्यहास को घटाकर] {लागत रु. 4.12 करोड़}

24. परिसर में रु. 127.08 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 82.36 करोड़) का चालू पूंजीगत कार्य शामिल है।

19. Reward Points of Credit Card

PNB Global Credit Card holders are rewarded as and when they make purchases through usage of Credit Card. Reward Points are generated at the time of usage of Credit Card by Cardholder at merchant Establishment. Card holder can redeem the accumulated reward points. The amount payable on account of reward points is charged to Profit and Loss account and credited to Sundry Provision Account on daily basis.

Position of outstanding reward points of Credit Cards and Provision thereon:

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance Reward Points outstanding	203815605	206320567
Provision held for these points (₹ in Crore)*	2.55	2.58

*The provision held against Rewards points in respect of Credit Cards has been worked out at ₹ 0.50 for 1 point. Based on past trend of redemption, provision has been made @25% of accumulated Reward points on estimated basis as in the previous year.

20. Disclosure related to Non -Banking assets:

(Amount in ₹ crore)

Current Year		Previous Year	
No. of Properties	Balance Outstanding	No. of Properties	Balance Outstanding
13	50.21	14	61.35

21. Corporate debt securities lent or acquired under repo or reverse repo transactions:

Current Year	Previous Year
NIL	NIL

22. As per RBI guidelines, the Bank worked out the amount of Inter Branch Credit entries outstanding for more than 5 years to create a Blocked Account. Accordingly, a sum of ₹ NIL(previous year ₹ 8.65 Crores) [net of adjustments since carried out has been included under "Other Liabilities-others" in Schedule-5].

23. Premises includes properties amounting to ₹ 2.48 Crore [Net of Depreciation] {Cost ₹ 4.12 Crore} are awaiting registration of title deeds (Previous year ₹ 2.26 Crore)[Net of Depreciation] {Cost ₹ 4.12 Crore}

24. Premises includes Capital work in progress of ₹ 127.08 Crore (previous year ₹ 82.36 Crore).

25. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन मार्च 2022 (वित्त वर्ष 2021-22) को समाप्त बारह महीनों के दौरान की गई खरीद के लिए किया गया है और अधिनियम के अनुसार विक्रेताओं को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि भुगतान में कोई देरी नहीं हुई थी, मार्च, 2022 (वित्त वर्ष 2021-22) को समाप्त वर्ष के दौरान कोई दंडात्मक ब्याज लागू नहीं हुआ।
26. मार्च, 2022 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के लिए परिसर के पुनर्मूल्यांकन भाग पर मूल्यहास रु. 144.61 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 127.57 करोड़) है।
27. 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है (पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक ने मूल मूल्य रु. 133.93 करोड़ से रु. 123.99 करोड़ की मूल लागत वाली संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (मूल्यवृद्धि) किया था)।
28. आरबीआई के पत्र सं. बीपीसी.7201/21.04.132/2017-18 दिनांक 08.02.2018 के अनुपालन में, बैंक ने पंजाब सरकार को दीर्घकालिक ऋण (एलटीएल) के लिए अग्रिम के संबंध में 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार रु. 1979.11 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2075.40 करोड़) के मौजूदा बकाया का 5% होने के नाते रु. 98.95 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 103.77 करोड़) का प्रावधान किया है।
29. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए खातों के लिए आरबीआई के पत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून 2017 (आरबीआई सूची-1) और पत्र सं. डीबीआर.बीपी.1908 /21.04.048 /2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 (आरबीआई सूची-2) के अनुसार, (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों का कुल प्रावधान) 31 मार्च, 2022 तक (सकल एनपीए अग्रिम का 99.78%) बैंक के पास कुल रु. 8384.09 करोड़ का प्रावधान है। (पिछले वर्ष रु. 8,374.53 करोड़ (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों का कुल प्रावधान), सकल एनपीए अग्रिम का 100%)।
30. भारत सहित कई देशों में कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट और अस्थिरता आई है। भारत सरकार ने मार्च 2020 के बाद से लॉक डाउन उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की, जिन्हें विभिन्न सरकारों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में व्याप्त स्थिति के आधार पर विविध समय पर गतिविधियों को हटाया गया और पुनः लागू किया गया और इसके परिणामस्वरूप कारोबार और आम लोगों के जीवन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
- कोविड-19 के नए रूपों के कारण स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड-19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा। बैंक के लिए प्रमुख चिन्हित की गई चुनौतियाँ नकदी-प्रवाह और विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र के घटने से उत्पन्न होंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक सभी स्तर पर स्वयं को तैयार कर रहा है।
25. Guidelines given in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 have been complied with for purchases made during the twelve months ended March 2022 (FY 2021-22) and payments have been made to the Vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment, no penal interest applicable during year ended March, 2022 (FY 2021-22).
26. Depreciation on Revalued Portion of Premises for the current financial year ended March, 2022 is ₹ 144.61 Crores (Previous year ₹ 127.57 Crores).
27. During the year ended 31.03.2022 the Bank has not Revalued Immovable Properties (In the Previous financial year the Bank Revalued (appreciation) properties having original cost ₹ 133.93 Crores by ₹ 123.99 Crores).
28. In compliance of RBI letter no. BPC.7201/21.04.132/2017-18 dated 08.02.2018, Bank has made a provision of ₹ 98.95 Crore (Previous year ₹ 103.77 Crore) being 5 % of the existing outstanding of ₹ 1979.11 Crore (Previous year ₹ 2075.40 Crore) as on 31.03.2022 in respect of Advance to Government of Punjab Long term Loan (LTL).
29. In terms of RBI Letter no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 (RBI List-1) and Letter no. DBR.BP.1908/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017 (RBI List-2) for the accounts admitted under the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 8384.09 Crore (Aggregate provision of RBI List 1 and List 2 accounts) as on March 31, 2022 (99.78% of Gross NPA advances). (Previous Year ₹ 8,374.53 Crore (Aggregate provision of RBI List 1 and List 2 accounts), 100% of Gross NPA advances)
30. COVID - 19 pandemic across several countries including India has resulted in a significant decline and volatility in global as well as Indian financial markets and economic activities. The Government of India announced a series of lock down measures since March 2020 onwards, which were lifted and re-imposed for activities by various Governments at various points of time depending on the situation prevailing in their respective jurisdictions and the same had resulted in disruption of business and common life.
- The situation continues to be uncertain due to new variants of COVID-19 and the Bank is evaluating the situation on ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's results will depend on future developments. The major identified challenges for the Bank would arise from eroding cash-flows and extended working capital cycles. The Bank is gearing itself on all the fronts to meet these challenges.

31. निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित अनुमोदन के अधीन 0.64 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (32%) के लाभांश की सिफारिश की है।
32. I. पिछली अवधियों के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- II. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जहां कहीं दिए गए हैं (मद संख्या 15.(ई) – लेखा मानक 15 – कर्मचारी लाभ को छोड़कर) पिछले वर्ष से संबंधित हैं।
31. The Board of Directors has recommended a dividend of Re.0.64 per equity share (32%) for the year ended March 31, 2022 subject to requisite approvals.
32. I. Figures of the previous periods have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.
- II. Figures in the bracket wherever given (except Item no.15.(e). - Accounting Standard 15 - Employees Benefits) relates to previous year.

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण

STATEMENT OF STANDALONE CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
ए. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह A. Cash Flow from Operating Activities		
कर के पश्चात निवल लाभ/हानि Net Profit/(Loss) after Tax	3456,96,36	2021,61,87
कर के लिए प्रावधान Provision for Tax	859,43,72	1457,77,96
(I) कर से पूर्व निवल लाभ Net Profit before taxes	(i) 4316,40,08	3479,39,83
(II) निम्नलिखित के लिए समायोजन Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	888,60,51	974,91,80
निवेश [निवल] पर मूल्यह्रास/(विमोचन) Depreciation/(Release) on Investments [net]	583,85,67	258,26,15
सहायक/जेवी में निवेश पर मूल्यह्रास/(विमोचन) Depreciation/(Release) on Investments in Subsidiary/JV	0	341,58,76
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for non performing assets	14158,58,55	17059,51,49
मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision on Standard Assets	1644,53,52	1273,86,76
अन्य प्रावधान (निवल) Other Provision (net)	293,80,62	568,09,57
अनुषंगी / अन्य से लाभांश Dividend from Subsidiary / Others	-46,13,84	-139,72,62
अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से लाभ/हानि Profit / Loss on sale of Fixed Assets (net)	-14,34,75	12,75,38
बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds	2202,25,20	1992,87,01
उप-जोड़ Sub Total	(ii) 19711,15,48	22342,14,30
परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ Operating Profit before Changes in Operating Assets and Liabilities	(i+ii) 24027,55,56	25821,54,13
(III) परिचालन आस्तियों व देयताओं में निवल परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities		
निवेशों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Investments	20278,21,05	-21672,56,66
अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Advances	-68130,03,06	5312,24,53
अन्य परिसंपत्तियों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Other Assets	1208,52,11	-6235,97,92

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
जमा राशियों में वृद्धि/(ह्रास) Increase / (Decrease) in Deposits	39885,97,68	34769,84,06
उधारों में वृद्धि/(ह्रास) Increase / (Decrease) in Borrowings	391,09,86	-27180,45,55
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास) Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	4252,69,88	-9466,18,92
	(iii) -2113,52,48	-24473,10,46
परिचालनों से उत्पन्न नकदी Cash generated from Operations	(i+ii+iii) 21914,03,08	1348,43,67
प्रत्यक्ष कर (प्रतिदेय को घटाकर) Direct Taxes paid (net off Refund)	-1550,41,47	-156,31,05
(ए) परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (A) Net Cash from Operating Activities	(ए) 20363,61,61 (A)	1192,12,62
(बी) निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (B) Cash Flow from Investing Activities		
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री को घटाकर) Purchase of Fixed Assets (net off Sales)	-534,08,08	-774,64,51
अनुषंगी/अन्य से लाभांश की वसूली Dividend recd from Subsidiary/Others	46,13,84	139,72,62
अनुषंगी/अन्य में निवेश Investment in Subsidiary/Others	-619,40,50	-204,24,83
निवेश कार्यकलापों में (प्रयुक्त)निवल नकदी Net Cash from (used) in Investing Activities	(बी) -1107,34,74 (B)	-839,16,72
(सी) वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (C) Cash flow from Financing Activities		
शेयर पूंजी/शेयर आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम Share Capital/Share Application Money/Share Premium	1793,05,18	3777,32,45
बॉण्डों (निवल) का निर्गमघ/(मोचन) Issue/(Redemption) of Bonds (net)	2450,00,00	3508,94,07
बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds	-2202,25,20	-1992,87,01
समामेलन के परिणामस्वरूप आंशिक पात्रता के लिए ई-ओबीसी और ई-यूनआई के शेयर धारक को प्रदत्त नकदी Cash paid to Shareholder of e-OBC & e-UNI towards fractional entitlement consequent to amalgamation	0	-50,12
वित्तपोषण कार्यकलापों (प्रयुक्त) से निवल नकदी Net Cash from (used) Financing Activities	(सी) 2040,79,98 (C)	5292,89,39
(डी) सामामेलन से प्राप्त नकदी और नकदी तुल्य (D) Cash and Cash Equivalents received on account of amalgamation	(डी) 0 (D)	29710,82,20

(Rs.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs.000s omitted)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
(ई) नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल परिवर्तन (E) Net Change in Cash and Cash Equivalents	(क+ख+ग+ङ) (A+B+C+D) 21297,06,85	35356,67,49
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी तुल्य Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	43958,82,83	38397,85,04
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	67390,87,62	37595,17,92
	111349,70,45	75993,02,96
तिमाही के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य Cash and Cash Equivalents at the end of the quarter		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	56636,11,66	43958,82,83
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	76010,65,64	67390,87,62
	132646,77,30	111349,70,45

टिप्पणियाँ

Notes :-

- नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है और जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, आंकड़ों को फिर से समूहित किया गया है।
Cash flow statement has been prepared under the Indirect Method and figures have been regrouped wherever considered necessary.
- प्रदत्त प्रत्यक्ष करों (प्रतिदेय का घटाकर) को परिचालन कार्यकलापों से उद्धृत माना गया है तथा इन्हें निवेश तथा वित्तीयन कार्यकलापों के मध्य विभक्त नहीं किया गया है।
Direct taxes paid (net off refund) are treated as arising from operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.
- पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनः समूहित किया गया है।
Figures of previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform current period classification.
- नकद और नकद तुल्य में कैश ऑन हैंड, आरबीआई और अन्य बैंकों के साथ शेष राशि और मांग व अन्य सूचना पर देय धन शामिल है
Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद और नकद तुल्य के घटक Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2022 तक (लेखापरीक्षित) As at 31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 तक (लेखापरीक्षित) As at 31.03.2021 (Audited)
आरबीआई के पास नकद और शेष राशि Cash & Balance with RBI	56636,11,66	43958,82,83
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	76010,65,64	67390,87,62
कुल Total	132646,77,30	111349,70,45

प्रबुद्ध शर्मा
Prabudh Sharma
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

पी के वार्ष्णेय
P K Varshney
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

आर के खीची
R K Khichi
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

प्रवीण कुमार शर्मा
Praveen Kumar Sharma
महाप्रबंधक
General Manager

डी के जैन
D K Jain

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ
Chief General Manager (Finance) and CFO

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरूप कुमार साहा
Swarup Kumar Saha
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

विजय दुबे
Vijay Dube
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

संजय कुमार
Sanjay Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director and CEO

डॉ रेखा जैन
Dr. Rekha Jain

निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi

निदेशक
Director

गौतम गुहा
Gautam Guha

निदेशक
Director

अनिल कुमार मिश्रा
Anil Kumar Misra

निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal

निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma

निदेशक
Director

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co. LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537सी
FRN: 001537C

कृते पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स
For PSMG & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन:008567सी
FRN:008567C

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M.No. 084993)

सनदी लेखाकार प्रवीण गोयल
CA Praveen Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 074789)
(M.No. 074789)

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 077281)
(M.No. 077281)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार सुभाष चंद बापना
CA Subhash Chand Bapna
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 071765)
(M.No. 071765)

सनदी लेखाकार जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो
CA Jagannath Prasad Mohapatro
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 217012)
(M.No. 217012)

दिनांक : 11 मई, 2022
Date : May 11, 2022
स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

लेखापरीक्षकों का स्वतंत्र प्रतिवेदन

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यों के लिए
एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने संलग्न पंजाब नैशनल बैंक एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक का तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा तथा समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारी के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें समाप्त वर्ष की इस तिथि के लिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों, और
 - 20 शाखाओं, ट्रेजरी प्रभाग, क्रेडिट कार्ड प्रभाग और 41 अन्य कार्यालयों
 - सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 4270 शाखाओं और अन्य कार्यालयों
 - स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2 विदेशी शाखाओं का रिटर्न शामिल है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा किया जाता है। बैलेंस शीट में लाभ और हानि लेख और नकदी प्रवाह विवरण बैंक की 7088 शाखाओं और अन्य कार्यालयों की विवरणी है। जो लेखा परीक्षा के अध्यक्ष नहीं किए गए हैं, भी शामिल है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 15.55 प्रतिशत अग्रिम, 41.88 प्रतिशत जमा, 11.34 प्रतिशत ब्याज आय और 40.62 प्रतिशत ब्याज व्यय होता है।

- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करता है और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और:
 - दिए गए नोट्स के साथ पठित तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2022 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके;
 - इस नोट के साथ पठित लाभ और हानि लेखा सही लाभ शेष दर्शाता है; तथा
 - उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

- हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Punjab National Bank
Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of the Punjab National Bank ("the Bank") which comprise the Balance Sheet as at 31 March, 2022, and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and Notes to Standalone Financial Statements including a Summary of Significant Accounting Policies and Other Explanatory Information, in which are included returns for year ended on that date of the Central Office, Zonal Offices, and
 - 20 branches, treasury division, credit card division and 41 other offices audited by us
 - 4270 branches and other offices audited by statutory branch auditors
 - 2 foreign branches audited by local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss account and the Cash Flow Statement are the returns from 7088 branches and other offices of the bank which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 15.55 percent of advances, 41.88 percent of deposits, 11.34 percent of interest income and 40.62 percent of interest expenses.

- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for Bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
 - the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31 March, 2022;
 - the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit and
 - the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants

को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में वर्णित की गई है। भारत में एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

4. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। ये मामले एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में समग्र रूप से देखे गए और अपना मत बनाने में, हमने इन मामलों पर अलग मत नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निम्न वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

मुख्य लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में कैसे हमारे मामले को दर्शाया गया है
<p>अग्रिम – वर्गीकरण और प्रावधानीकरण</p> <p>(लेखा नीति संख्या 5 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें.)</p> <p>अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधानीकरण किया गया है। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के तहत एसएएससीएल एप्लीकेशन में अग्रिमों की पूरी प्रणाली संचालित निर्धारण और उनके वर्गीकरण को लागू किया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है। आवश्यकता के आधार पर इसकी मैनुअल रूप से समीक्षा भी की जाती है।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में आस्तियों के वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्र, दिशा-निर्देश और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश और बैंक के आंतरिक निर्देश और प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और समझा गया। • डिजाइन और कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक परीक्षण के संचालनात्मक प्रभावशीलता का जाँच परीक्षण किया, जिसमें अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया के संयोजन की जांच भी शामिल है।

of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements' section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
<p>Advances – classification and provisioning</p> <p>(Refer Schedule 9 to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No.5)</p> <p>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The Bank has implemented complete system driven recognition of advances and their classification in SASCL Application under Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. The same are also reviewed manually based on necessity.</p>	<p>Our audit approach included an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the Reserve Bank of India and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. • Test checked the design and implementation as well as operational effectiveness of relevant internal controls and substantive testing, including involvement of manual process in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances

मुख्य लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में कैसे हमारे मामले को दर्शाया गया है	Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
<p>विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुतः गलत तरीके से प्रस्तुत किया सकता है, और एकल वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • तर्क/डेटा की सटीकता को लागू करने/ कार्यान्वयन में त्रुटियों और चूक और इसकी सुधारात्मक कार्रवाई की पहचान करने के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की। • किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए बड़े और दबावग्रस्त अग्रिमों के जांच परीक्षण के आधार पर आरबीआई दिशा – निर्देशों के अनुसार प्रलेखनों, परिचालन/प्रदर्शन और अग्रिम खातों की निगरानी की समीक्षा की गई, हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं / संबंधित प्रभागों के संबंध में आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण की जांच की गई। शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हमने उनकी रिपोर्टों पर भरोसा किया है। • “एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं” की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। • जांच परीक्षण के आधार पर किसी प्रतिकूल विशेषताओं / टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखा-परीक्षा, निरीक्षण लेखा-परीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, नियामक लेखा-परीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा की है और बैंक सिस्टम से जारी रिपोर्ट की समीक्षा की। <p>हमारा परिणाम:</p> <p>लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।</p>	<p>In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the Standalone Financial Statements the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reviewed the Bank's monitoring mechanisms to identify errors and omission in applying/ implementation of logic / data integrity and. its corrective action. • Reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on as per RBI guidelines basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, examination of classification as per prudential norms of the RBI, in respect of the branches / relevant divisions audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports. • Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of “Baseline Requirements for the NPA classification Solution”. • Reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments, and reviewed the reports generated from the Bank's system. <p>Our Results:</p> <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.</p>

मुख्य लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में कैसे हमारे मामले को दर्शाया गया है
<p>निवेश – मूल्यांकन, और गैर-निष्पादित निवेश के लिए पहचान एवं प्रावधान</p> <p>(लेखा नीति संख्या 4 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें.)</p> <p>बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बांड्स, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति की रसीद और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के निवेश शामिल हैं, जिन्हें परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित इन तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।</p> <p>निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का अनुकूल गैर-निर्धारण और उस पर प्रावधान, आरबीआई के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त प्रतिभूति के प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफबीआई/एल दरें, बीएसई/एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी (NAV) और प्रतिभूति रसीदें आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े/सूचना का संग्रह शामिल है। कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक नहीं हो सकती, लेकिन आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा का मामला माना गया है।</p>	<p>भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ सहित निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की रचना, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभाव का परीक्षण एवं समीक्षा शामिल की गई है और गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, निवेशों से संबंधित प्रावधान/अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार है।</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया है। निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ शुद्धता और अनुपालन का परीक्षण किया है। हमने एनपीआई की पहचान, और आय के अनुकूल परिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आंकलन और मूल्यांकन किया। <p>हमारा परिणाम:</p> <p>लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।</p>

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
<p>Investments – valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments</p> <p>(Refer Schedule 8 to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No.4)</p> <p>Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade.</p> <p>Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. Certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines.</p> <ul style="list-style-type: none"> We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master circulars and directions. We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. <p>Our Results:</p> <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality.</p>

मुख्य लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में कैसे हमारे मामले को दर्शाया गया है	Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
<p>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आंकलन:</p> <p>आईटी आईआरएसी तैयार करने सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में की गई विभिन्न रिपोर्टों, लेनदेनों की रिकॉडिंग के संबंध में नियंत्रण रखता है।</p> <p>नियामकों आदि के लिए अन्य अनुपालन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों के प्रभावी कार्य पर निर्भर है।</p> <p>हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना है क्योंकि नियंत्रण में किसी भी चूक, सत्यापन विफलताएं, गलत इनपुट डेटा और डेटा के गलत निष्कर्षण के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं: –</p> <ul style="list-style-type: none"> विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिवालन प्रभावशीलता की समीक्षा की, जिसमें एप्लिकेशन, अभिगम नियंत्रण शामिल है, जो नमूना जाँच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से वित्तीय जानकारी और स्टेटमेंट को निकालना। बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी बदलाव के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना। सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोर्टों की समीक्षा करना। “एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं” की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा करना। <p>हमारा परिणाम</p> <p>निरंतर प्रगति हो रही है, फिर भी सिस्टम को सिस्टम से इनपुट/आउटपुट डेटा में आ रही कमियों को नियंत्रित करने हेतु इसकी क्षमता को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।</p>	<p>Assessment of Information Technology (IT):</p> <p>IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC, preparing.</p> <p>Other compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems.</p> <p>We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.</p>	<p>Our audit approach included: -</p> <ul style="list-style-type: none"> Understanding the coding system adopted by the Bank for various categories of customers. Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank. Checking of the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the Bank. Reviewed the reports generated by the system on sample basis. Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of “Baseline Requirements for the NPA classification Solution” <p>Our Result</p> <p>There is continuous progress, still the system needs to be strengthened for its efficacy to control deficiencies of input/output data from the system.</p>
<p>मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ</p> <p>प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन तथा बैंक पर अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल थे:–</p> <ul style="list-style-type: none"> कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या संचार की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना 	<p>Litigation & Contingent Liabilities</p> <p>Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes and various other claims filed by other parties upon the Bank not acknowledged as debts.</p>	<p>Our audit approach included: -</p> <ul style="list-style-type: none"> Going through the current status of the tax litigations and contingent liabilities; Examining the orders and/or communication received from various Tax Authorities/Judicial forums and follow up action thereon;

मुख्य लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में कैसे हमारे मामले को दर्शाया गया है
<p>बैंक मूल्यांकन, मामले के तथ्य, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, जहाँ भी आवश्यक माना जाता है, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।</p> <p>हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयोज्यता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/कानून की व्याख्या के अंतर्गत संबंधित विषय के विश्लेषण पर केंद्रित की गई थी।</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय के गुणदोष और उसमें उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह का मूल्यांकन; तथा जहां भी आवश्यक हो, कानूनी और कर सलाहकारों की राय का सहारा लिया जाता है।

महत्वपूर्ण मामले

5. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:
- ए. अवधि के लिए अर्जित सीमा तक प्रोराटा आधार पर साख पत्र और बैंक गारंटी पर कमीशन की राजस्व मान्यता की नीति में परिवर्तन के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 15 (ए)
- बी. पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण 3,093.95 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में, एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 15 (ई) (ii)। बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में 1573.79 करोड़ रुपये की राशि भारित की गई है और शेष 1520.16 करोड़ रुपये के असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।
- सी. एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 30, जो नोवेल कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं और बैंक के व्यवसाय परिचालन पर इसके प्रभाव के प्रबंधन के आकलन का वर्णन करती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

एकल वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
<p>The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the Balance Sheet.</p> <p>We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of litigations which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Evaluating the merits of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice; and Wherever required, reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants.

Emphasis of Matter

5. We draw attention to following:
- a. Note No. 15 (a) of Schedule 18 to the Standalone Financial Statements regarding change in policy of revenue recognition of commission on Letter of Credit and Bank Guarantee on prorata basis to the extent accrued for the period.
- b. Note No. 15 (e) (ii) of Schedule 18 to the Standalone Financial Statements, regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 3,093.95 crores. The Bank has charged an amount of Rs. 1573.79 crores to the Profit and Loss Account for the year ending 31 March 2022 and the balance unamortized expense of Rs. 1520.16 crores has been carried forward.
- c. Note No. 30 of the Schedule 18 to the Standalone Financial Statements, which describes the uncertainties due to outbreak of novel corona virus (COVID 19) and the management's assessment of its impact on the business operations of the Bank.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the

जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट अनुलग्नक सहित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल हैं। एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करते समय, यह देखना कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के तथ्य गलत हैं, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा शासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक के वित्तीय प्रदर्शन, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए भौतिक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन प्रचलित मुद्दों के रूप में बैंक के कारोबार जारी रखने की क्षमता का आकलन करने प्रकटीकरण, यथा लागू, प्रचलित मुद्दों से संबंधित मामले और लेखांकन का प्रचलितरूप का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो बैंक को परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से एकल वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं,

other information. The other information comprises the Directors' Report, including annexures, Corporate Governance Report and other reports (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole

चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए हो जिसमें हमारी सम्मति भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए (SAs) द्वारा की गई लेखापरीक्षा सदैव मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, वे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए (SAs) के अनुसार एक लेखापरीक्षा के खंड के रूप में, हम व्यवसायी निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षण में व्यवसायी संदेहवाद को बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- एकल वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिम पहचानें और उनका आकलन करके, क्या वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हैं, इन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और कार्रवाई करना, तथा लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो हमारे विचार को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरणों का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अभिभाविता शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। आरबीआई के निर्देशानुसार, हम एक अलग रिपोर्ट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या बैंक के पास एकल वित्तीय परिणामों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावशाली परिचालन हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के कार्यशील संस्था के आधार पर उपयोग करने के प्रबंधन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष तथा, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की हमारी रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।

are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. In terms of RBI Directions, we are also responsible for expressing our opinion through a separate report on whether the Bank has adequate internal financial controls with reference to the Standalone Financial Results in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत तथ्यों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन प्रभारियों के साथ अन्य मामलों सहित, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार तथा समयसीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया गया हो के संबंध में चर्चा करते हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई हों।

हम उन शासन प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में उनके साथ संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपाय जहां भी लागू हो, पर प्रभाव डालने के लिए उचित माने जा सकते हैं।

शासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक प्रकटीकरण से नहीं रोकते हैं या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह पाते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लाभ पर भारी पड़ सकते हैं।

अन्य मामले

9. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरण में शामिल 4270 शाखाओं तथा अन्य कार्यालयों एवं 2 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2022 को रु. 724077 करोड़ की कुल आस्तियों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रु. 20,487.60 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन शाखाओं और अन्य कार्यालयों और विदेशी शाखाओं में 31 मार्च, 2022 तक 35.05% अग्रिम, जमा राशि का 54.32%, 38.02% गैर-निष्पादित आस्ति और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 23.50% राजस्व शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा-परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारे विचार से जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, यह पूरी तरह शाखा के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर आधारित है।

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the financial statements/information of 4270 branches and other offices and 2 foreign branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/financial information reflect total assets of Rs. 724077 Crore as at 31 March 2022 and total revenue of Rs. 20,487.60 Crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches and other offices and foreign branches cover 35.05% advances, 54.32 % of deposits 38.02% of non-performing assets as at 31 March 2022 and 23.50% of revenue for the year ended 31 March 2022. The financial statements / information of these branches has been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाते तैयार किए हैं;
11. उक्त 7 से 9 परिच्छेद में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
 - बी. बैंक के लेन-देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए; और
 - सी. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है।
12. आरबीआई द्वारा 19.05.2020 को जारी उत्तरवर्ती पत्र के साथ पठित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से सांविधिक लेखा-परीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" पर जारी पत्र संख्या डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019- 20 दिनांक 17 मार्च, 2020, के द्वारा आवश्यकतानुसार, हम उपरोक्त पत्र के परिच्छेद 2 में निर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार आगे रिपोर्ट करते हैं:
 - ए. हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जिस सीमा तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।
 - बी. वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई विचार या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
 - सी. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।
 - डी. लेखों के रखरखाव और बैंक के उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई शर्त, रोक या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।
 - ई. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध (ए) में दी गई है। हमारी रिपोर्ट, 31 मार्च 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

Our opinion is not modified in respect of these matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
12. As required by letter No. DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated 17 March 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated 19 May 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a. In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
 - c. As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.
 - d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - e. Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31 March 2022.

13. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए. हमारी राय में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित खाता-बहियां यथोचित रूप से रखी हैं, जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं;
- बी. इस रिपोर्ट द्वारा देखे गए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखों और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;
- सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और
- डी. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

13. We further report that:

- a. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 000050एन/एन500045
FRN 000050N/N500045

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001537सी
FRN: 001537C

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 008567सी
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M. No. 084993)
यूडीआईएन: 22084993एआईयूक्यूजीआर2071
UDIN: 22084993AIUQGR2071

सनदी लेखाकार प्रवीण गोयल
CA Praveen Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 074789)
(M. No. 074789)
यूडीआईएन: 22074789एआईयूकेएमएक्स6027
UDIN: 22074789AIUKMX6027

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 077281)
(M. No. 077281)
यूडीआईएन: 22077281एआईयूकेईएन8449
UDIN: 22077281AIUKEN8449

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 115649डब्ल्यू
FRN 115649W

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajjar & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 304138ई
FRN 304138E

सनदी लेखाकार सुभाष चंद बापना
CA Subhash Chand Bapna
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 071765)
(M. No. 071765)
यूडीआईएन: 22071765एआईयूएससीटी6938
UDIN: 22071765AIUSCT6938

सनदी लेखाकार जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो
CA Jagannath Prasad Mohapatro
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 217012)
(M. No. 217012)
यूडीआईएन: 22217012एआईयूएलवीएक्स2887
UDIN: 22217012AIULVX2887

स्थान : नई दिल्ली

Place: New Delhi

दिनांक: 11 मई, 2022

Date: 11 May 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक "ए"

(हमारी उस तिथि की रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 12 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस.एआरजी सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथासंशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च, 2022 तक की पंजाब नेशनल बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को लेखापरीक्षित किया है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सम्मिलित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो बैंक की नीतियों के पालन सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत यथोपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी निहित है।

लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षक (एसएएस) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित होते हैं।

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 12 (e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated 17 March 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Punjab National Bank ("the Bank") as of 31 March 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक चूक के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन वर्ग और निदेशकों के प्राधिकरणानुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें गठबंधन की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अभिभाव शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के हो सकते हैं और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes

नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट से विवरण में भौतिक चूक हो सकती है।

अभिमत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो 31 मार्च 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी मानदंडों के आधार पर पर्याप्त है।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक 4271 शाखाओं/कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले में हमारे मत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 000050एन/एन500045
FRN 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M. No. 084993)
यूडीआईएन: 22084993एआईयूक्यूजीआर2071
UDIN: 22084993AIUQGR2071

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 115649डब्ल्यू
FRN 115649W

सनदी लेखाकार सुभाष चंद बापना
CA Subhash Chand Bapna
भागीदार Partner
(सदस्य सं. 071765)
(M. No. 071765)
यूडीआईएन: 22071765एआईयूएससीटी6938
UDIN: 22071765AIUSCT6938

स्थान : नई दिल्ली

Place: New Delhi

दिनांक: 11 मई, 2022

Date: 11 May 2022

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001537सी
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार प्रवीण गोयल
CA Praveen Goyal
भागीदार Partner
(सदस्य सं. 074789)
(M. No. 074789)
यूडीआईएन: 22074789एआईयूकेएमएक्स6027
UDIN: 22074789AIUKMX6027

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajjar & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 304138ई
FRN 304138E

सनदी लेखाकार जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो
CA Jagannath Prasad Mohapatro
भागीदार Partner
(सदस्य सं. 217012)
(M. No. 217012)
यूडीआईएन: 22217012एआईयूएलवीएक्स2887
UDIN: 22217012AIULVX2887

in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting that were operating effectively as at 31 March 2022, based on the criteria for internal financial control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 4271 branches/offices is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 008567सी
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार Partner
(सदस्य सं. 077281)
(M. No. 077281)
यूडीआईएन: 22077281एआईयूकेईएन8449
UDIN: 22077281AIUKEN8449

समेकित वित्तीय विवरण

Consolidated Financial Statements



pnb one
just one app

पंजाब नैशनल बैंक—समेकित बैलेंस शीट 31 मार्च, 2022

PUNJAB NATIONAL BANK-CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	2202.20	2095.54
आरक्षित निधियों और अधिशेष Reserves and Surplus	2	95379.72	90438.80
अल्पांश हित Minority Interest	2A	473.47	486.79
जमाराशियां Deposits	3	1154234.46	1113716.86
उधार Borrowings	4	59371.67	52298.14
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	27639.61	20688.93
कुल / TOTAL		1339301.13	1279725.06
आस्तियां ASSETS			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	57027.84	44267.27
बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	77166.04	69067.16
निवेश Investments	8	388585.82	404368.96
अग्रिम Advances	9	733765.83	679345.77
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	10696.21	11048.70
अन्य आस्तियां Other Assets	11	72059.39	71627.19
समेकन पर गुडविल Goodwill on Consolidation			
कुल / TOTAL		1339301.13	1279725.06
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	606685.43	385387.96
वसूली के लिए बिल Bills for Collection		37786.05	40493.76
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		
1 से 18 तक अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग है। The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.			

प्रबुद्ध शर्मा
Prabudh Sharma
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

पी के वार्ष्णेय
P K Varshney
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

आर के खीची
R K Khichi
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

प्रवीण कुमार शर्मा
Praveen Kumar Sharma
महाप्रबंधक
General Manager

डी के जैन
D K Jain

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ
Chief General Manager (Finance) and CFO

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरूप कुमार साहा
Swarup Kumar Saha
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

विजय दुबे
Vijay Dube
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

संजय कुमार
Sanjay Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director and CEO

डॉ रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

गौतम गुहा
Gautam Guha
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

अनिल कुमार मिश्रा
Anil Kumar Misra
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co. LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537सी
FRN: 001537C

कृते पीएसएमजी और एसोसिएट्स
For PSMG & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन:008567सी
FRN:008567C

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M.No. 084993)

सनदी लेखाकार प्रवीण गोयल
CA Praveen Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 074789)
(M.No. 074789)

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 077281)
(M.No. 077281)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajjar & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार सुभाष चंद बापना
CA Subhash Chand Bapna
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 071765)
(M.No. 071765)

सनदी लेखाकार जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो
CA Jagannath Prasad Mohapatro
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 217012)
(M.No. 217012)

दिनांक : 11 मई, 2022
Date : May 11, 2022
स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

पंजाब नैशनल बैंक—समेकित लाभ और हानि लेखा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

PUNJAB NATIONAL BANK-CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED
31st MARCH, 2022

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
I. आय			
I. INCOME			
अर्जित आय Interest earned	13	76241.83	81935.03
अन्य आय Other income	14	12097.66	12234.91
कुल / TOTAL		88339.49	94169.94
II. व्यय			
II. EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज Interest expended	15	46823.08	50804.58
परिचालन खर्च Operating expenses	16	20490.77	20515.77
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions and contingencies		17349.68	20697.17
कुल / TOTAL		84663.53	92017.52
सहायक संस्थाओं में अर्जन का अंश (निवल) Share of earnings in Associates (net)	17	231.63	542.16
अल्पांश हित की कटौती से पहले वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि) Consolidated Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' Interest		3907.59	2694.59
घटाएं : अल्पांश हित Less : Minorities Interest		46.85	132.62
अवधि के लिए समूह का स्रोतजन्य समेकित लाभ/(हानि) Consolidated Profit/(loss) for the period attributable to the group		3860.74	2561.97
जोड़े: समूह का स्रोतजन्य आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि) Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		1738.11	1702.01
समायोजन Adjustments		40.39	-211.17
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ Profit available for Appropriation		5639.24	4052.82

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
III. विनियोजन			
III. APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to statutory reserves		899.84	617.30
पूंजी आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to capital reserves		700.93	1036.12
निवेश आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to investment reserves		15.83	0.00
निवेश घट बढ़ आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to investment fluctuation reserves		854.85	480.09
अन्य आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to other reserves		-175.45	0.00
आयकर के अनुसार विशेष आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to special reserves as per income tax		100.00	0.69
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		704.71	180.51
समेकित तुलन पत्र में ले जाया गया जमा शेष Balance carried over to consolidated balance sheet		2538.54	1738.11
		5639.24	4052.82
प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में) (मूल/डाईल्यूटेड) Earnings per Share (In Rs.) (Basic/ Diluted)		3.53	2.64
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा टिप्पणियाँ Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

प्रबुद्ध शर्मा
Prabudh Sharma
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

पी के वार्शनीय
P K Varshney
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

आर के खीची
R K Khichi
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

प्रवीण कुमार शर्मा
Praveen Kumar Sharma
महाप्रबंधक
General Manager

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ
Chief General Manager (Finance) and CFO

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरूप कुमार साहा
Swarup Kumar Saha
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

विजय दुबे
Vijay Dube
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

संजय कुमार
Sanjay Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director and CEO

डॉ. रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co. LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M.No. 084993)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार सुभाष चंद बापना
CA Subhash Chand Bapna
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 071765)
(M.No. 071765)

गौतम गुहा
Gautam Guha
निदेशक
Director

अनिल कुमार मिश्रा
Anil Kumar Misra
निदेशक
Director

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537सी
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार प्रवीण गोयल
CA Praveen Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 074789)
(M.No. 074789)

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो
CA Jagannath Prasad Mohapatro
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 217012)
(M.No. 217012)

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते पीएसएमजी और एसोसिएट्स
For PSMG & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन:008567सी
FRN:008567C

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 077281)
(M.No. 077281)

दिनांक : मई 11, 2022
Date : May 11, 2022
स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

समेकित लेखों की अनुसूची (पंजाब नेशनल बैंक)

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED ACCOUNTS (PUNJAB NATIONAL BANK)

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
अनुसूची 1 – पूंजी SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		
प्रत्येक ₹ 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर 1500,00,00,000 Equity shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous year 1500,00,00,000 Equity shares of Rs. 2 each)	3000.00	3000.00
जारी पूंजी Issued Capital		
प्रत्येक ₹ 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष 1047,76,82,225) प्रत्येक ₹ 2 के इक्विटी शेयर (Previous Year 1047,76,82,225) Equity shares of Rs. 2 each)	2202.20	2095.54
प्रदत्त पूंजी Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1047,76,82,225 इक्विटी शेयर) (Previous Year 1047,76,82,225 Equity shares of Rs. 2 each)	2202.20	2095.54
[उपरोक्त में प्रत्येक ₹ 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर) केंद्र सरकार द्वारा धारित किए गए हैं] [The above includes 805,41,25,685 equity shares of Rs. 2 each (Previous Year 805,41,25,685 Equity shares of Rs. 2 each) held by Central Government]		
कुल TOTAL	2202.20	2095.54
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ Statutory Reserves		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	14627.22	9741.46
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year*	899.84	4421.03
जोड़े/(घटाए): वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less) : Adjustment during the year	-1.62	464.73
	15525.43	14627.22
II. पूंजीगत आरक्षित निधियाँ Capital Reserves		
II. ए. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियाँ a. Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	7200.41	4758.69
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year*	7.28	2384.06
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the year	159.07	0.34
घटाए: अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित Less: Transfer to other reserves	0.00	-58.01

		(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)	
विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021	
(संपत्ति के पुनर्मूल्यन भाग पर मूल्यहास के कारण) (being depreciation on revalued portion of property)	7048.62	7200.41	
बी. अन्य b. Others			
प्रारंभिक शेष Opening Balance	15877.75	3213.86	
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year*	751.61	12663.90	15877.75
(₹ 9268.29 करोड़ की समामेलन आरक्षित निधि सहित) (including Amalgamation Reserve of Rs. 9268.29 Crores)			
II. ए. समेकन पर आरक्षित पूंजी (कुल) II. A. Capital Reserve on consolidation (Net)	74.21	74.21	
III. शेयर प्रीमियम Share Premium			
प्रारंभिक शेष Opening Balance	44352.14	51214.92	
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year*	1686.39	21845.14	
जोड़े/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less) : Adjustment during the year	-	-28707.92	44352.14
IV. राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ Revenue and Other Reserves			
ए. निवेश आरक्षित निधियाँ a. Investment Reserve			
प्रारंभिक शेष Opening Balance	370.52	417.18	
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year*	15.83	-	
घटाएं:समायोजन Less: Adjustment	-	-46.66	
घटाएं: लाभ व हानि खाते में अंतरित Less: Trf to P & L Account	-	-	370.52
बी. निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि b. Investment Fluctuation Reserve			
प्रारंभिक शेष Opening Balance	585.47	48.52	
जोड़े: समायोजन Less: Adjustment	-	56.86	
जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि* Add: Addition during the year*	854.85	480.09	
घटाएं: लाभ व हानि विनियोजन खाते में अंतरित Less: Transfer to P&L Appropriation A/c	-	-	585.47

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)			
विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021	
सी. अन्य आरक्षित निधि			
c. Other Reserve			
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1,427.25	-1003.78	
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year*	930.50	3519.41	
घटाएं: पुनर्मूल्यन निधि को अंतरित Less: Transfer to Revaluation Reserve	7.21	127.57	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी Less: Withdrawal during the year	1,028.95	1013.10	
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustment during the year	-	-202.86	1427.25
डी. विनिमय घट-बढ़ आरक्षित निधि			
d. Exchange Fluctuation Reserve			
प्रारंभिक शेष Opening Balance	917.05	976.88	
जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि (निवल) Add: Addition during the year (Net)	95.34	0.69	
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustment during the year	-4.30	-60.52	917.05
ई. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि			
e. Special Reserve under Sec.36 (1) (viii) of Income Tax Act,1961			
प्रारंभिक शेष Opening Balance	3268.66	1463.66	
वर्ष के दौरान वृद्धि* Addition during the year*	100.00	1805.00	
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustment during the year	-	-	3268.66
V. लाभ व हानि लेखे में शेष राशि			
Balance in Profit & Loss Account	2538.54	1738.11	
कुल (I, II, III, IV तथा V)	95379.72	90438.80	
Total (I, II, III, IV and V)	95379.72	90438.80	

*तुलनात्मक अवधि की आरक्षित निधियों में वृद्धि/कटौती में समामेलन की तिथि पर अंतरित बैंकों की शेष राशि शामिल है।

*Addition/deduction in Reserves of comparative period include balances of transfer banks at at date of amalgamation.

अनुसूची 2ए –अल्पांश हित
Schedule 2A - Minority Interest

उस तिथि को अल्पांश हित जब मूल सहायक संस्था का संबंध अस्तित्व में आया

Minority Interest at the date on which the parent subsidiary relationship came into existence

149.25

149.25

परवर्ती वृद्धि / कमी

Subsequent increase/ decrease

324.21

337.54

तुलन पत्र की तिथि पर अल्पांश हित

Minority Interest at the date of balance sheet

473.47

486.79

		(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)	
विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021	
अनुसूची 3 – जमाराशियां			
SCHEDULE 3 - DEPOSITS			
ए. I मांग जमा राशियाँ			
A. I Demand Deposits			
(i) बैंकों से From Banks	3455.67	2284.29	
(ii) अन्य से From Others	79659.08	74215.17	76499.46
II बचत बैंक जमा राशियाँ Savings Bank Deposits	453036.86		418493.57
III मीयादी जमा राशियाँ			
Term Deposits			
(i) बैंकों से From Banks	31842.70	29269.08	
(ii) अन्य से From Others	586240.15	589454.76	618723.84
कुल (I, II तथा III) TOTAL (I, II and III)	1154234.46		1113716.86
बी. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशि			
B. Deposits of branches In India			
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	1124889.98		1083275.10
	29344.48		30441.77
कुल (i, ii) TOTAL (i, ii)	1154234.46		1113716.86
अनुसूची 4 – उधार			
SCHEDULE 4 - BORROWINGS			
I. भारत में उधार			
Borrowings in India			
(i) भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India	0.00		0.00
(ii) अन्य बैंक Other Banks	2704.49		5902.20
(ii) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies	22090.53		15040.14
(iv) बांड (टियर - I, टियर - II, गौण ऋण सहित) Bonds (including Tier-I, Tier-II, Subordinated Debts)	24737.69		22283.66
(v) दीर्घकालिक अवसंरचना बांड Long Term Infrastructure Bonds	2800.00		2800.00
II. भारत के बाहर उधार			
Borrowings outside India			
	7038.97		6272.14
कुल (I और II) TOTAL (I and II)	59371.67		52298.14
उपरोक्त I और II में शामिल प्रतिभूति उधार			
Secured Borrowings included in I and II above			
	19038.01		4867.94

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. देय बिल Bills payable	3081.71	3220.19
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter-office adjustments (net)	584.48	436.06
III. उपचित ब्याज Interest accrued	2782.66	2733.90
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions)	21190.76	14298.79
I, II, III एवं IV का जोड़ TOTAL OF I, II, III and IV	27639.61	20688.93

अनुसूची 6 – भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटो सहित) <u>Cash in hand</u> (including foreign currency notes)	3513.68	3497.86
II. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि <u>Balance with Reserve Bank of India</u>		
(i) चालू खातों में in Current account	53514.16	40769.41
(ii) अन्य खातों में in Other Accounts	0.00	0.00
कुल (I एवं II) TOTAL (I and II)	57027.84	44267.27

अनुसूची 7— बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर देय राशि
SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

I. भारत में In India				
(i) बैंकों के पास शेष राशि: <u>Balance with Banks:</u>				
(ए) चालू खाते में (a) In Current accounts	147.35	796.32		
(बी) अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit accounts	15799.70	15947.04	7090.76	7887.08
(ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि: <u>Money at Call and Short Notice:</u>				
(ए) बैंकों के पास (a) with Banks	0.00	0.00		
(बी) अन्य संस्थानों के पास (b) with Other Institutions	29129.48	29129.48	27500.00	27500.00
कुल (i एवं ii) TOTAL (i and ii)	45076.52	45076.52	27500.00	35387.08

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
II. भारत से बाहर Outside India		
(i) चालू खातों में In Current accounts	10382.54	8814.82
(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit accounts	21706.97	24865.26
(iii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि Money at call and short notice	0.00	0.00
कुल (i,ii एवं iii) TOTAL (i,ii and iii)	32089.52	33680.08
समग्र जोड़ (I एवं II) GRAND TOTAL (I and II)	77166.04	69067.16

अनुसूची 8 – निवेश

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

I. भारत में निवेश

Investments in India in

(i) सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	337053.29	353056.80
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities	0.15	0.15
(iii) शेयर Shares	3264.81	4109.74
(iv) ऋण पत्र और बॉन्ड Debentures and Bonds	35705.67	36505.62
(v) एसोसिएट्स Associates	3267.95	2990.77
(vi) अन्य Others	5568.98	4067.59

म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआरसीआईएल वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र आदि।
Mutual Funds, Venture Capital Funds, ARCIL Commercial Papers, Certificate of Deposits, etc.

I का कुल

TOTAL of I

384860.85

400730.67

II. भारत से बाहर निवेश

Investments outside India in

(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	2020.78	1366.50
(ii) एसोसिएट्स Associates	301.82	285.53
(iii) अन्य निवेश Other investments	1402.37	1986.26

II का कुल

TOTAL of II

3724.97

3638.29

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
III. भारत में निवेश Investments in India		
(i) निवेश का सकल मूल्य Gross value of Investments	391832.30	407580.57
(ii) घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का जोड़ Less: Aggregate of provisions for depreciation	6971.45	6849.90
(iii) शुद्ध निवेश Net Investment	384860.85	400730.67
IV. भारत से बाहर निवेश Investments outside India		
(i) निवेश का सकल मूल्य Gross value of Investments	4175.40	4016.85
(ii) घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का जोड़ Less: Aggregate of provisions for depreciation	450.43	378.56
(iii) शुद्ध निवेश Net Investment	3724.97	3638.29
(I), (II) का समग्र जोड़ GRAND TOTAL of (I), (II)	388585.82	404368.96

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

ए. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल A. Bills purchased and discounted	1309.05	708.11
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	442544.50	410656.39
(iii) मीयादी ऋण Term loans	289912.29	267981.27
कुल (i,ii एवं iii) Total (i,ii and iii)	733765.83	679345.77
बी. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत B. (इनमें बही ऋणों पर दिए गए अग्रिम शामिल हैं) Secured by tangible assets (including advances against book debts)	551240.46	529155.44
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत Covered by Bank/Government Guarantees	28475.67	15886.98
(iii) अप्रतिभूत Unsecured	154049.69	134303.35
कुल (i,ii एवं iii) Total (i,ii and iii)	733765.83	679345.77

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)		
विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
सी.(I) भारत में अग्रिम		
C. (I) Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority sector	234687.05	243442.80
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public sector	171957.32	145971.76
(iii) बैंक Banks	110.27	222.37
(iv) अन्य Others	296510.96	265453.83
कुल (i,ii,iii एवं iv) Total (i,ii,iii and iv)	703265.59	655090.75
सी.(II) भारत से बाहर अग्रिम		
C. (II) Advances outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य Due from banks	9091.99	8572.97
(ii) अन्य प्राप्य Due from others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	0.00	20.12
(ख) सामूहिक ऋण (b) Syndicated Loans	9977.01	8683.10
(घ) अन्य (c) Others	11431.24	6978.83
कुल (I एवं II) Total (I and II)	30500.24	24255.02
सी (I) तथा सी (II) का कुल योग GRAND TOTAL of C (I) and C (II)	733765.83	679345.77

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021*
अनुसूची 10 – अचल आस्तियां		
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर		
Premises		
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31 st March of preceeding year	10469.73	6802.37
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	37.08	3556.08
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	0.90	22.39
वर्ष के दौरान समायोजन Adjustment during the year	0.00	133.67
अब तक मूल्यहास Depreciation to date	<u>1606.56</u>	<u>1428.17</u>
	8899.35	9041.56
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्स्चर सहित)		
Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31 st March of preceeding year	8818.44	4933.53
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	412.94	3895.99
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	13.74	11.08
अब तक मूल्यहास Depreciation to date	<u>7716.78</u>	<u>7136.42</u>
	1500.86	1682.02
IIक. पट्टेवाली आस्तियां		
IIA. Leased Assets		
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31 st March of preceeding year	25.33	25.78
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	0.00	0.45
अब तक मूल्यहास Depreciation to date	<u>25.28</u>	<u>25.27</u>
	0.06	0.06
IIख. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		
IIB. Computer Software		
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31 st March of preceeding year	1127.54	640.97
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	106.40	486.56
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	0.00	0.00
अब तक मूल्यहास Depreciation to date	<u>937.00</u>	<u>802.46</u>
	295.95	325.07
I, II, IIए, IIबी का जोड़		
TOTAL OF I, II, IIA, IIB	10696.21	11048.70

*सकल ब्लॉक में वृद्धि और आज तक मूल्यहास में समामेलन की तिथि के अनुसार अंतरित बैंकों की शेष राशि शामिल है और निवल ब्लॉक में बिना किसी प्रभाव के पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

*Addition to gross block & depreciation to date includes balances of transferee banks as at date of amalgamation & is recasted with no impact in net block.

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)		
विवरण Particulars	31.03.2022 को As on 31.03.2022	31.03.2021 को As on 31.03.2021
अनुसूची 11 – अन्य आस्ति		
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter office adjustment (Net)	0.00	0.00
II. उपचित ब्याज Interest accrued	8229.85	8162.38
III. अग्रिम अदा किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	12030.05	10001.32
IV. स्टेशनरी और टिकट Stationery and stamps	5.00	10.40
V. दावों के निपटान से प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां Non banking assets acquired in satisfaction of claims	50.21	50.21
VI. आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred Tax asset (net)	25703.30	27021.46
VII. अन्य Others	26041.00	26381.42
I, II, III, IV, V, VI तथा VII का जोड़ TOTAL of I, II, III, IV, V, VI and VII	72059.39	71627.19
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. (i) बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	617.09	588.58
(ii) अपील, सन्दर्भों आदि के अधीन विवादित आयकर व ब्याज कर मांगे Disputed income tax and interest tax demands under appeal, references, etc.	11430.81	9841.02
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं Liability for partly paid investments	351.87	377.99
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	517966.68	303232.48
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	48429.22	51260.18
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	2799.62	2235.61
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptance, Endorsements and Other obligations	19640.63	13332.58
VI. ऐसी अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	5449.50	4519.52
कुल (I, II, III, IV, V तथा VI) TOTAL (I, II, III, IV, V and VI)	606685.43	385387.96

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
----------------------	--	--

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट Interest/discount on advances/bills	48874.12	53682.82
II. निवेशों से आय (लाभांश सहित) Income on Investments (including dividends)	24471.01	25415.65
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	2287.88	1902.42
IV. अन्य Others	608.82	934.14
कुल (I, II, III, तथा IV) TOTAL (I, II, III and IV)	76241.83	81935.03

अनुसूची 14 – अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	3592.50	3879.19
II. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	15.32	5.04
घटाएं: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	0.92	14.40
		17.78
III. विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन से लाभ Profit on exchange transaction	913.79	1056.66
घटाएं: विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन से हानि Less: Loss on exchange transaction	212.33	701.46
		574.52
IV. निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल) Profit on sale of investments (net)	3328.24	4788.44
घटाएं: निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on sale of investments	424.92	2903.32
		174.30
V. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ Profit on revaluation of investments	1079.52	993.99
घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन से हानि Less: Loss on revaluation of investments	1313.50	-233.98
		1814.89
VI. विविध आय Miscellaneous Income	5119.96	4093.08
कुल (I, II, III, IV, V तथा VI) TOTAL (I, II, III, IV, V and VI)	12097.66	12234.91

अनुसूची 15 – खर्च किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

I. जमा राशियों पर ब्याज Interest on deposits	43360.91	47282.58
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	516.31	889.15

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
III. अन्य Others	2945.87	2632.84
कुल (I, II तथा III) TOTAL (I, II and III)	46823.08	50804.58

अनुसूची 16 – परिचालन खर्च

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान Payment to and provisions for employees	11971.93	12296.72
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	1301.52	1309.21
III. मुद्रण और लेखन – सामग्री Printing and stationery	157.49	129.75
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	84.68	56.36
V. (क) पट्टे पर दी गई आस्ति के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (a) Depreciation on bank's property other than leased assets	896.17	982.23
(ख) पट्टे पर दी गई आस्ति पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased assets	0.00	0.00
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	1.55	1.25
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	66.37	86.42
VIII. विधि प्रभार Law charges	95.99	95.40
IX. पोस्टेज, टेलीग्राम, दूरभाष, आदि। Postage, telegrams, telephones, etc.	334.58	294.37
X. मरम्मत और रखरखाव Repairs and Maintenance	563.54	489.95
XI. बीमा Insurance	1523.59	1471.91
XII. अन्य व्यय Other expenditure	3493.36	3302.19
I से XII का जोड़ TOTAL of I to XII	20490.77	20515.77

अनुसूची 17 – सहायक संस्थाओं में अर्जन/हानि का हिस्सा

SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS/LOSS IN ASSOCIATES

(क) भारत में सहायक संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा (a) Share of earnings in Associates in India	210.51	545.46
(ख) भारत के बाहर सहायक संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा (b) Share of earnings in Associates outside India	21.12	-3.29
(ए तथा बी) का जोड़ TOTAL of (a and b)	231.63	542.16

अनुसूची 18—समेकित वित्तीय

विवरण 31.03.2022

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार

समेकित वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं तथा समस्त महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हों, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड, आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कम्पनी अधिनियम, 2013, लेखांकन मानदण्ड (एएस) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल हैं।

विदेशी इकाइयों के सम्बन्ध में अन्यत्र यथा विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संबंधित विदेशी राष्ट्रों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया गया है।

वित्तीय विवरणियों को उपचय अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किया गया है तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार तथा निरंतर अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप है, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो।

अनुमानों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणियों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में लिए गए अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवकेसम्मत और तर्कसंगत हैं।

भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यावित हुए हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।

2. समेकन प्रक्रिया

अनुषंगियाँ :

- पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड
- पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
- पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.

SCHEDULE 18 : CONSOLIDATED FINANCIAL

STATEMENTS 31.03.2022

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION:

The consolidated financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, unless otherwise stated, encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by RBI from time to time, Banking Regulation Act 1949, Companies Act, 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

In respect of foreign entities, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with except as specified elsewhere.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

USE OF ESTIMATES

The preparation of consolidated financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Future results could differ from these estimates.

Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. CONSOLIDATION PROCEDURES:

Subsidiaries

- PNB Gilts Ltd.
- PNB Investment Services Ltd.
- PNB Cards and Services Ltd.

- iv) पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यू.के.
v) ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान

सहयोगी कंपनियां:

- i) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि*
ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.
iii) जेएससी (टेंगरी बैंक) अल्माटी, कज़ाखिस्तान**
iv) केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
v) इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
vi) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
vii) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
viii) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मण्डी
ix) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
x) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
xi) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
xii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xiii) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiv) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
xv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

*पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में ₹700.48/- के प्रतिफल पर पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

**एएफआर ने परिसमापन के तहत जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस 18.09.2020 को रिवोक कर दिया।

2.1 समूह की समेकित वित्तीय विवरणियां (ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार 5 अनुषंगियां और 15 सहायक कंपनियां सम्मिलित हैं) निम्नलिखित आधार पर तैयार की गई हैं:

- I. पंजाब नेशनल बैंक (मूल/बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां
- II. लेखा मानक 21 के अनुसार, मूल बैंक की सम्बंधित मदों के साथ अनुषंगियों की मदों अर्थात् आस्तियों, देयताओं, आय तथा व्ययों को परस्पर पंक्ति दर पंक्ति एकत्रित करते हुए तथा महत्वपूर्ण अन्तः शेषों समूह/लेनदेनों को हटाकर, उनके प्रबंधन द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित प्राप्त आँकड़ों के आधार पर अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के पश्चात् तथा जहाँ कहीं जरूरी था वहाँ समान लेखांकन नीतियों के अनुरूप आवश्यक समायोजन करने के पश्चात् तैयार किए गए हैं। अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरण मूल बैंक की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् 31 मार्च, 2022 को ही तैयार किए गए हैं।
- III. विदेशी अनुषंगियों का विदेशी मुद्रा अंतरण निम्न आधार पर किया गया है:
 - i) आय व व्यय – अवधि के दौरान उपलब्ध भारत औसत दरों पर
 - ii) आस्तियाँ व देयताएं – रिपोर्टिंग तिथि को लागू दरों पर

विदेशी मुद्रा अंतरण के परिणामस्वरूप आय अंतर को चाहे वह लाभ अथवा हानि हो, प्रारक्षितियों और अधिशेष विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व- के अधीन सम्मिलित किया गया है।

- iv) Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
v) Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.

Associates:

- i) PNB Metlife India Insurance Company Ltd*
ii) PNB Housing Finance Limited
iii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan**
iv) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
vi) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
vii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
viii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
ix) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
x) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
xi) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xii) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xiii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiv) Manipur Rural Bank, Imphal
xv) Tripura Gramin Bank, Agartala

*PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.

**AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 5 Subsidiaries and 15 Associates as per detail given above) have been prepared on the basis of:

- i. Audited financial statements of Punjab National Bank (Parent/the Bank),
- ii. As per AS 21, line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent after eliminating material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses and making necessary adjustments, wherever required, to conform to uniform accounting policies, based on data received from these subsidiaries, duly Audited/ certified by their Management. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. March 31, 2022.
- iii. Foreign currency translation of overseas subsidiaries has been done as under:
 - (i) Income and Expenditure - at weighted average rates prevailing during the period.
 - (ii) Assets and Liabilities - at rates applicable at reporting date.

The resultant foreign currency translation difference, whether gain or loss, has been included under Reserves and Surplus - Foreign Currency Translation Reserve.

- iv. जहां मताधिकार शक्ति में समूह का 20% और इससे अधिक अंश है, वहां सहायक संस्थाओं में निवेशों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-मानक-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति द्वारा किया गया है।
- 2.2 अनुषंगियों में इसके निवेश के समूह की लागत तथा समूह के अनुषंगियों की इक्विटी के भाग के बीच के अंतर को साख/पूँजी आरक्षित निधि माना गया है।
- 2.3 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित में निम्नलिखित शामिल हैं:
- ए) अनुषंगी में जिस तिथि को निवेश किया गया है उस तिथि को अल्पांश हित को देय इक्विटी की राशि, तथा
- बी) मूल बैंक तथा अनुषंगी के मध्य संबंध निर्मित होने की तिथि से इक्विटी शेयर के परिचालनों में अल्पसंख्या के शेयर।

मूल बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

3. राजस्व मान्यता

- 3.1 आय और व्यय (पैरा 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को सामान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 3.2 अग्रिमों और निवेशों को मिलाकर गैर अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की आय की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक/विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों (जिसे इसके पश्चात समेकित रूप से विनियामक प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के पश्चात की गई है।
- 3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोजन का तरीका निम्नानुसार होगा:
- ए) नीचे उल्लिखित मदों (बी) और (सी) के तहत कवर किए गए मामलों को छोड़कर एनपीए लेखों की वसूलियां (वसूली कार्रवाई के विधि/स्थिति/चरण पर विचार किए बिना) निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम में विनियोजित की जाएगी:-
- i. सरफेसी कार्रवाई के अधीन सहित वसूली हेतु किया गया व्यय/फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकॉर्ड किए गए)
- ii. इसके बाद, ब्याज अनियमितताओं/उपचित ब्याज के प्रति
- iii. प्रमुख अनियमितताएं अर्थात् खाते में बकाया एनपीए
- उपरोक्त में किसी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी-III (एचओसीएसी-III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति द्वारा अपनी निहित शक्तियों के तहत प्रस्तावों के लिए विचार किया जा सकता है।
- बी. हालांकि, एनसीएलटी के माध्यम से किए जाने वाले समझौते और समाधान/निपटान के मामले में, वसूली संबंधित समझौता/समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाएगी।

- iv. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power, have been accounted for using the equity method in terms of Accounting Standard-23 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- 2.2 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as Goodwill/ Capital Reserve.
- 2.3 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consists of:
- a) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made; and
- b) The minority share of movements in equity since date of parent-subsidiary relationship came into existence.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOLLOWED BY THE PARENT:

3. REVENUE RECOGNITION:

- 3.1 Income & expenditure (other than items referred to in paragraph 3.5) are generally accounted for on accrual basis.
- 3.2 Income from Non- Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments, is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in the case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities).
- 3.3 Mode of appropriation of recovery in order of priority will be as below:
- (a) Recoveries in NPA accounts (irrespective of the mode / status / stage of recovery actions) shall be appropriated in the following order of priority except for the cases covered under below mentioned points (b) & (c):
- i. Expenditure/Out of Pocket Expenses incurred for Recovery, including under SARFAESI Action (Recorded in Memorandum Dues);
- ii. Thereafter towards the unrealised/accrued interest.
- iii. Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account.
- Any exceptions to the above may be considered by HOCAC-III (for proposals falling under the powers of various committee's upto HOCAC-III) & Management Committee for proposals under its vested powers.
- (b) However, in case of Compromise and Resolution/ Settlement through NCLT, recovery shall be appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution settlement.

सी. वाद दायर/डिक्री वाले लेखों के मामले में, वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी:-

- संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।
- न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, जैसा कि ऊपर बिंदु (क) में उल्लेख किया गया है।

3.4 एनपीए की बिक्री, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत खुलासे के अनुसार लेखांकित किया गया है।

3.5 कमीशन, (सरकारी कारोबार, बीमा कारोबार और म्युचुअल फंड कारोबार, साख पत्र और बैंक गारंटी को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराए, "व्यापार" के रूप में नामित रूपया व्युत्पन्नी पर आय वसूली और बीमा दावों को निपटान पर लेखांकित किया जाता है। अतिदेय देशी बिलों पर ब्याज की वसूली होने पर लेखांकित किया जाता है और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज को इसका क्रिस्टलीकरण होने तक क्रिस्टलीकरण पर तथा उसके बाद वसूली होने पर ब्याज में लिया जाता है।

3.6 वाद दाखिल लेखों के मामले में लेखांकित किया, संबंधित कानूनी और अन्य खर्चे लाभ – हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं और इनकी वसूली होने पर उनकी गणना तदनुसार की जाती है।

3.7 आयकर के रिफंड पर ब्याज से होने वाली आय को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

3.8 परिचालनगत पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए वृद्धि लागत सहित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (लीज़ेस) के अनुसार लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है।

3.9 क्रेडिट कार्डों पर रिवार्ड प्वाइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया प्वाइंटों पर आधारित है।

3.10 मियादी जमा (टीडी) परिपक्व हो जाती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व टीडी पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, पर लागू होगा।

3.11 लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) की गणना लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश की गणना की जाती है।

4. निवेश

4.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" को दर्ज किया जाता है।

4.2 निवेशों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए में यथानिर्दिष्ट छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 नीचे दिए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" तथा "ट्रेडिंग हेतु धारित" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

ए) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित किए जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' के श्रेणी में रखा गया है।

(c) In case of suit filed/decreed accounts, recovery shall be appropriated as under:-

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point (a) above.

3.4 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI and as disclosed under Para 5.3.

3.5 Commission (excluding on Government Business, Insurance Business, Mutual Fund Business, Letter of Credit and Bank Guarantee), exchange, locker rent and Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" are accounted for on realization and insurance claims are accounted for on settlement. Interest on overdue inland bills is being accounted for on realization and interest on overdue foreign bill, till its crystallization is accounted for on crystallization and thereafter on realization.

3.6 In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted for as such.

3.7 Income from interest on refund of income tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

3.8 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

3.9 Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

3.10 Term Deposit (TD) matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank shall attract rate of interest as applicable to savings account or the contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower.

3.11 Dividend (excluding Interim Dividend) is accounted for as and when the right to receive the dividend is established.

4. INVESTMENTS:

4.1 The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".

4.2 Investments are classified into six categories as stipulated in form A of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4.3 Investments have been categorized into "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" in terms of RBI guidelines as under:

(a) Securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity are classified under "Held to Maturity".

बी) बैंक द्वारा अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर उतार-चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार हेतु रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को "व्यापार हेतु धारित" निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।

सी) जो प्रतिभूतियां उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती हैं उन्हें "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

4.4 अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.5 प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से निम्न मूल्य पर किया जाता है। यदि ऐसे अंतरण पर कोई मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया गया है।

हालांकि प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात ये प्रतिभूतियां तुरंत पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं और परिणामस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, प्रदान किया जाता है।

निवेश को उसकी खरीददारी के समय ही एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और विभिन्न श्रेणियों के बीच तत्संबंधी शिफ्टिंग विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में:

क) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में संदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) इत्यादि प्रारम्भिक राजस्व व्ययों के रूप में माना गया है और इसे लागत से बाहर रखा गया है।

ख) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तारीख तक अर्जित ब्याज अर्थात् खंडित अवधि के लिए ब्याज अधिग्रहण लागत/बिक्री के प्रतिफल से बाहर रखा गया है और इसकी गणना उपचित ब्याज में की गई है न कि देय खाते में।

ग) निवेशों की सभी श्रेणियों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर किया गया है।

4.7 निवेश का मूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

परिपक्वता तक धारित :

i) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अधीन निवेशों को अर्जन लागत पर लिया गया है।

जहाँ कहीं अंकित मूल्य/प्रतिदान मूल्य से बही मूल्य अधिक हो तो प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऐसे प्रीमियम परिशोधन "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत अर्जित ब्याज में कटौती के रूप में प्रदर्शित होते हैं।

ii) अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश का मूल्यांकन अस्थायी निवेश से भिन्न प्रत्येक व्यक्तिगत निवेशों की प्रकृति में किये गये निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत में से ह्रास को हटाकर किया गया है।

iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

iv) उद्यम पूंजी में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

(b) The securities acquired by the Bank with an intention to trade by taking advantages of short-term price/ interest rate movements are classified under "Held for Trading".

(c) The securities, which do not fall within the above two categories, are classified under "Available for Sale".

4.4 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as HTM.

4.5 Transfer of securities from one category to another is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

4.6 In determining acquisition cost of an investment

(a) Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT) etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.

(b) Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities i.e. broken- period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted in interest accrued but not due account.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investments.

4.7 Investments are valued as per RBI/ FIMMDA guidelines, on the following basis:

Held to Maturity

(i) Investments under "Held to Maturity" category are carried at acquisition cost.

Wherever the book value is higher than the face value/ redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity on straight line basis. Such amortization of premium is reflected in Interest Earned under the head "Income on investments" as a deduction.

(ii) Investments in subsidiaries/joint ventures/associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature for each investment individually.

(iii) Investments in sponsored regional rural banks are valued at carrying cost.

(iv) Investment in Venture Capital is valued at carrying cost.

v) एचटीएम श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

बिक्री हेतु उपलब्ध और व्यापार हेतु रखे गये :

ए)	सरकारी प्रतिभूतियां	
	I. केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां	फिक्सड इंकम मनी मार्किट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए)/फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा यथा प्रकाशित बाजार मूल्यों/परिपक्वता पर आय
	II. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	एफआईएमएमडीए/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय आधार पर
बी)	केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटी वाली प्रतिभूतियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्ड (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं)	एफआईएमएमडीए भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय आधार पर
सी)	ट्रेजरी बिल	रखाव लागत पर
डी)	इक्विटी शेयर	यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा नवीनतम तुलन-पत्र (जो एक वर्ष से पुराना न हो) के अनुसार शेयरों के ब्रेक-अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1/- पर
ई)	अधिमानी शेयर	यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता पर किंतु प्रतिदान मूल्य से अधिक नहीं
एफ)	बॉन्ड और डिबेंचर (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं)	यदि कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार, उपयुक्त परिपक्वता आय पर
जी)	म्यूचुअल फण्डों के यूनिट	यदि कोट किया गया हो तो स्टॉक एक्सचेंज के भाव के अनुसार और यदि कोट न किया गया हो तो पुनर्खरीद मूल्य / एनएवी पर
एच)	वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
आई)	जमा प्रमाणपत्र	रखाव लागत पर
जे)	एआरसीआईएल की प्रतिभूति रसीदें	उद्यम पूँजी निधियों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आस्ति के निवल आस्ति मूल्य पर
के)	उद्यम पूँजी निधियाँ	उद्यम पूँजी निधियों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर
एल)	अन्य निवेश	मूल्य हास को घटाकर रखाव लागत पर

(v) Equity shares held in HTM category are valued at carrying cost.

Available for Sale and Held for Trading:

(a)	Govt. Securities	
	I. Central Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL).
	II. State Govt. Securities	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
(b)	Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines
(c)	Treasury Bills	At carrying cost
(d)	Equity shares	At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet (not more than one year old), otherwise at Re.1 per company
(e)	Preference shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.
(f)	Bonds and debentures (not in the nature of advances)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis as per RBI/FIMMDA guidelines.
(g)	Units of mutual funds	As per stock exchange quotation, if quoted; at repurchase price/NAV, if unquoted
(h)	Commercial Paper	At carrying cost
(i)	Certificate of Deposits	At carrying cost
(j)	Security receipts of ARCIL	At net asset value of the asset as declared by ARCIL
(k)	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF
(l)	Other Investments	At carrying cost less diminution in value

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी में उपर्युक्त मूल्यांकन प्रत्येक स्क्रिप के लिए अलग-अलग तिमाही आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यहास/वृद्धि की जाती है। यदि शुद्ध मूल्यहास है तो प्रत्येक वर्गीकरण के लिए प्रावधान किया जाता है जबकि शुद्ध वृद्धि नहीं दर्शायी जाती। मूल्यहास के लिए प्रावधान पर व्यक्तिगत प्रतिभूति का बही मूल्य बाज़ार हेतु चिह्नित करने के पश्चात् अपरिवर्तित रहता है।

- 4.8 भारतीय रिज़र्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकी मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण/आय अमान्यीकरण के अधीन हैं। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास/प्रावधान अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में वृद्धि के समक्ष समंजन (सैट ऑफ) नहीं किया गया है।

यदि किसी इकाई द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा बैंक की बही में एनपीए है तो उसी इकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीआई के रूप में और इसके विलोमतः माना जाएगा। तथापि एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता वहां तदनुसूची क्रेडिट सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों अर्थात् बांड, डिबेंचर आदि के मामले में, जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, प्रावधान वाईटीएम या आईआरएसी मानदंड, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया गया है।

- 4.9 किसी भी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ/हानि को लाभ व हानि लेख में लिया जाता है किंतु 'परिपक्वता तक रखे गये' श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ के मामले में उसके बराबर की राशि (टैक्स घटाकर तथा सांविधिक रिज़र्व को अंतरित की जाने वाली राशि) 'पूँजी प्रारक्षित निधि' खाते में विनियोजित की जाती है।

- 4.10 वापस खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत पुनःखरीदी/पुनः बेची गयी प्रतिभूतियों को उनकी मूल लागत पर हिसाब में लिया जाता है।

- 4.11 रिपो/रिवर्स रिपो के अंतर्गत बेची व खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार व उधारी लेन-देनो के तौर पर लिया जाता है। हालांकि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद लेन-देन के मामले में प्रतिभूतियों को अंतरित किया जाता है तथा प्रतिभूतियों का ऐसा संचालन रिपो/रिवर्स रिपो लेखों का प्रयोग करके और प्रति प्रविष्टियों में प्रदर्शित होता है। उक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता तिथि पर रिवर्स हो जाती है। लागत व राजस्व को ब्याज व्यय/आय माना जाता है जैसा भी मामला हो। रिपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधारी) तथा रिवर्स रिपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंक के पास शेष तथा मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त राशि नोटिस) के अंतर्गत रखा जाता है। यह आरबीआई के साथ एलएएफ पर भी लागू होता है।

- 4.12 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) लेन-देन अथवा व्यापार अथवा प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किये गये हैं। व्यापारिक लेन-देन बाज़ार मूल्य पर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अदलाबदली की विभिन्न श्रेणियों का निम्नवत् मूल्यांकन किया गया है :

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.

- 4.8 Investments are subject to appropriate provisioning/de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

In case of securities i.e. bonds, debentures, etc. where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.

- 4.9 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve) is appropriated to "Capital Reserve Account".

- 4.10 Securities repurchased/resold under buy back arrangement are accounted for at original cost.

- 4.11 The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).The same is also applicable to LAF with RBI.

- 4.12 The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:-

बचाव अदला बदली (हैज स्वैप)

ब्याज दर अदला-बदली जो ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की प्रतिरक्षा करती है, को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोड़कर जो वित्तीय विवरणी में बाज़ार मूल्य अथवा कम कीमत पर लिया जाता है।

अदला बदली की समाप्ति पर लाभ व हानियों की अदलाबदली को अल्पकालीन बकाया संविदागत अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि पर माना जाता है।

व्यापारिक अदला बदली (ट्रेडिंग स्वैप)

व्यापारिक अदलाबदली का लेन देन वित्तीय विवरणियों में रिकार्ड किए गए परिवर्तनों सहित बाज़ार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है।

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रविष्ट किए गए विनिमय व्यापारिक व्युत्पन्नी, विनिमय द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित ब्याज दर पर मूल्यांकित किया जाता है और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है।

4.13 विदेशी मुद्रा विकल्प:

अन्य बैंक के साथ बैंक टू बैंक कान्ट्रेक्ट के रूप में बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाज़ार मूल्य पर नहीं है, क्योंकि इसमें बाज़ार जोखिम नहीं है।

प्राप्त प्रीमियम को देयता के रूप में रखा गया है और परिपक्वता/निरस्तीकरण पर लाभ व हानि लेखे में अंतरित किया गया है।

5. ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधान

5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में किया जाता है और उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

(ए) अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदेहास्पद एवं हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(बी) अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान को घटाकर उल्लेखित है।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में ऋणों एवं अग्रिमों का वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भा.रि.बैंक के मानकों जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

विदेशी शाखाओं में रखे ऋण एवं अग्रिमों जो वसूली के रिकार्ड के अलावा अन्य कारणों के लिए मेजबान देश के विनियमों के अनुसार हानि के रूप में चिह्नित हैं, किंतु जो भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक हैं, मेजबान देश में मौजूदा बकाया राशि को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित रूप में माना गया है:

Hedge Swaps

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at market value or lower of cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

Trading Swaps

Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

4.13 Foreign Currency Options:

Foreign currency options written by the bank with a back-to-back contract with another bank are not marked to market since there is no market risk.

Premium received is held as a liability and transferred to the Profit and Loss Account on maturity/cancellation.

5. LOANS / ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets; provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by RBI.

(a) Advances are classified: Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

(b) Advances are stated net of specific loan loss provisions, provision for diminution in fair value of restructured advances.

5.2 In respect of foreign offices, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

Loans and advances held at the overseas branches that are identified as impaired as per host country regulations for reasons other than record of recovery, but which are standard as per the extant RBI guidelines, are classified as NPAs to the extent of amount outstanding in the host country.

5.3 Financial Assets sold are recognized as under:

- क. एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री हेतु
- यदि एससी/आरसी को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) से नीचे की कीमत पर की गई है तो उस वर्ष कमी के लाभ व हानि खाते के नामे करना चाहिए। बैंक एनपीए की बिक्री पर अर्थात् जब बिक्री निवल बही मूल्य से कम कीमत पर की गई हो तो पाई गई कमी हेतु प्रतिचक्रीय/फ्लोटिंग प्रावधान भी कर सकता है।
 - यदि बिक्री निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य पर की गई है, तो बैंक इस वर्ष इसके लाभ व हानि लेखों में प्राप्त राशि में से एनपीए की बिक्री पर अतिरिक्त प्रावधान वापस ले सकता है। तथापि, बैंक अतिरिक्त प्रावधान (जब बिक्री निवल बही मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य पर की गई है) एनपीए की बिक्री से तभी निकाल सकता है, केवल जब प्राप्त नकदी (प्रारम्भिक प्रतिफल और/अथवा एसआर/पीटीसी की छूट के माध्यम से) आस्तियों की एनबीवी से अधिक हो। आगे अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्तिक के एनबीवी पर प्राप्त अतिरिक्त नकदी तक सीमित होगा।
- ख. अन्य बैंक/एनबीएफसी/एफआई इत्यादि को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री हेतु
- निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर बिक्री करने के मामले में अर्थात् बही मूल्य से प्रावधान घटा कर कमी को उस वर्ष लाभ व हानि लेखों के नामे डालना चाहिए।
 - यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर है अर्थात् बही मूल्य से प्रावधान घटाकर, अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा किंतु अन्य गैर निष्पादित वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री लेखों पर होने वाली कमी/हानि पाए जाने पर उसका उपयोग किया जाएगा।
 - यदि किसी भी बिक्री लेनदेन में अतिरिक्त प्रावधान अधिक और कुल अधिशेष से ज्यादा है तो अधिशेष राशि को लाभ और हानि लेखों में लिया जाएगा।

5.4 पुनर्गठित आस्तियां :

अग्रिमों के पुनः संरचना/पुनःनिर्धारण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पुनर्गठित खाते के उचित मूल्य में ह्रास के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

बैंक एक पुनर्गठित खाता उसे मानता है जहां बैंक ने उधारकर्ताओं की वित्तीय कठिनाईयों से संबंधित आर्थिक और विधिक कारणों हेतु उधारकर्ता को रियायत दी है। पुनर्संरचना में सामान्यतया अग्रिमों/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होगा जिसमें अन्य के अलावा पुनर्भुगतान अवधि/पुनर्भुगतान राशि/किश्तों की राशि/ब्याज की दर/ऋण सुविधाओं का रोला ओवर/अतिरिक्त ऋण सुविधा की स्वीकृति/मौजूदा क्रेडिट सीमाओं में वृद्धि/समझौता जहां निपटारे की राशि के भुगतान के लिए समय तीन महीने से अधिक हो गया हो। पुनर्गठित खाते बैंक द्वारा केवल पुनर्गठन पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन के पश्चात् ही इस तरह वर्गीकृत किए जाते हैं।

- For Sale of financial assets sold to SCs/RCs
- If the sale to SCs/RCs is at a price below the Net Book Value (NBV), (i.e. Book Value less provisions held), the shortfall should be debited to the Profit & Loss account of that year. Bank can also use counter cyclical / floating provisions for meeting the shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.
- If the sale is for a value higher than the NBV, Bank can reverse the excess provision on sale of NPAs to its profit and loss account in the year, the amounts are received. However, Bank can reverse excess provision (when the sale is for a value higher than the NBV) arising out of sale of NPAs, only when the cash received (by way of initial consideration and/ or redemption of SRs/ PTCs) is higher than the NBV of the asset. Further, reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.
- For Sale of financial assets sold to Other Banks/NBFCs/ FIs etc.
- In case the sale is at a price below the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the shortfall should be debited to the Profit & Loss A/c of that year.
- In case the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV) i.e. Book Value less provision held, the excess provision shall not be reversed but will be utilized to meet the shortfall / loss on account of sale of other Non Performing Financial Assets.
- In case there is overall surplus over and above the excess provision in any of the sale transaction that surplus amount will be taken in the Profit & loss a/c.

5.4 Restructured Assets:

For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with guidelines issued by RBI from time to time. Necessary provision for diminution in the fair value of a restructured account is made.

The bank considered a restructured account as one where the bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants concessions to the borrower. Restructuring would normally involve modification of terms of the advances / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount/ the amount of installments / rate of interest / roll over of credit facilities / sanction of additional credit facility / enhancement of existing credit limits / compromise settlements where time for payment of settlement amount exceeds three months. Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

एनपीए के रूप में वर्गीकृत मानक खाते एवं बैंक द्वारा पुनर्संरचना पर उसी श्रेणी में रखे गए एनपीए खाते केवल तभी अपग्रेड किए जाते हैं जब खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधाएं 'निर्दिष्ट अवधि' के दौरान 'संतोषजनक प्रदर्शन' (अर्थात्, उधारकर्ता इकाई से सम्बंधित भुगतान कभी भी बकाया न हो) प्रदर्शित करती हैं।

'निर्दिष्ट अवधि' का मतलब है कि समाधान योजना (आरपी) के कार्यान्वयन की तिथि से लेकर उस तिथि तक की अवधि जब समाधान योजना के अनुसार बकाया मूलधन का कम से कम 20 प्रतिशत और पुनर्गठन के हिस्से के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि है, चुकाया जा चुका हो छ बशर्ते निर्दिष्ट अवधि समाधान योजना की शर्तों के तहत अधिस्थगन की सबसे लंबी अवधि के साथ ऋण सुविधा पर ब्याज या मूलधन (जो भी बाद में हो) के पहले भुगतान के शुरू होने से एक वर्ष पहले समाप्त नहीं हो सकती है।

बड़े लेखों के लिए (अर्थात् ऐसे खाते जहां उधारदाताओं का कुल जोखिम 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है) अपग्रेड करने एवं नियम अनुसार बनाने तथा संतोषजनक कार्यनिष्पादन के प्रतिपादन के अतिरिक्त बैंक ऋण रेटिंग के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त सीआरए द्वारा निर्धारित अवधि के अंत तक उधारकर्ताओं की ऋण सुविधाएं भी निवेश ग्रेड (बीबीबी- या बेहतर) के रूप में आंकी जाएंगी। जबकि रु.500 करोड़ और उससे अधिक के कुल जोखिम वाले लेखों को दो रेटिंगों की आवश्यकता होगी, रु.500 करोड़ से कम वाले लेखों को एक रेटिंग की आवश्यकता होगी। यदि रेटिंग सीआरए की आवश्यक संख्या से अधिक प्राप्त की जाती हैं, तो ऐसी सभी रेटिंग अपग्रेड करने एवं नियमानुसार करने के लिए निवेश ग्रेड होगी।

यदि निर्दिष्ट अवधि के दौरान खाते द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन नहीं किया जाता है, तो तत्काल इस खाते को, पुनर्गठन से पहले मौजूद पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे लेखों के लिए भविष्य में अपग्रेड होना उसके एक नए समाधान योजना के कार्यान्वयन एवं उसके संतोषजनक प्रदर्शन के ऊपर निर्भर होगा।

- 5.5 एनपीए पर वर्गीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए किया गया है। ये प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं व प्रावधान - अन्य" शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है और निवल एनपीए निकालने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है।
- 5.6 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए त्वरित प्रावधान किया गया जिसे बैंक द्वारा पूर्व में एसएमए-2 श्रेणी के अंतर्गत सैन्ट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) को विशेष वर्णित खाते में रिपोर्ट नहीं किया जाता था।
- 5.7 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते ऋणों के प्रति वसूल की गई राशि और प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है और इसे लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है।

Standard accounts classified as NPA and NPA accounts retained in the same category on restructuring by the bank are upgraded only when all the outstanding loan / facilities in the account demonstrate 'satisfactory performance' (i.e., the payments in respect of borrower entity are not in default at any point of time) during the 'specified period'.

'Specified period' means the period from the date of implementation of Resolution plan (RP) up to the date by which at least 20 percent of the outstanding principal debt as per the RP and interest capitalization sanctioned as part of the restructuring, if any, is repaid. Provided that the specified period cannot end before one year from the commencement of the first payment of interest or principal (whichever is later) on the credit facility with longest period of moratorium under the terms of RP.

For the large accounts (i.e., accounts where the aggregate exposure of lenders is Rs 100 crore and above) to qualify for an upgrade, in addition to demonstration of satisfactory performance, the credit facilities of the borrower shall also be rated as investment grade (BBB- or better) as at the end of the 'specified period' by CRAs accredited by the Reserve Bank for the purpose of bank loan ratings. While accounts with aggregate exposure of Rs 500 crore and above shall require two ratings, those below Rs 500 crore shall require one rating. If the ratings are obtained from more than the required number of CRAs, all such ratings shall be investment grade to qualify for an upgrade.

In case satisfactory performance during the specified period is not demonstrated, the accounts, immediately on such default, are reclassified as per the repayment schedule that existed before the restructuring. Any future upgrade for such accounts would be contingent on implementation of a fresh RP and demonstration of satisfactory performance thereafter.

- 5.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions - Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- 5.6 In accordance with RBI guidelines, accelerated provision is made on non-performing advances which were not earlier reported by the Bank as Special Mention Account under "SMA-2" category to Central Repository of Information on Large Credits (CRILC).
- 5.7 Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

5.8 किसी देश एक्सपोजर के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त किसी देश के एक्सपोजरों (अपने देश के अलावा अन्य) के लिए भी प्रावधान किया गया है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों अर्थात् मामूली, कम, कम मध्यम, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित ऑफ़ क्रेडिट में वर्गीकृत किया गया है और प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक देश के मामले में यदि बैंक का देश एक्सपोजर (निवल) कुल वित्त पोषित आस्तियों की 1% से अधिक नहीं है तो ऐसे देश एक्सपोजर में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में “अन्य देयताएं एवं प्रावधान- अन्य” के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

5.9 भारतीय कंपनियों की उप-अनुषंगी संस्थाओं के सभी एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्ति के प्रति 2% का एक अतिरिक्त प्रावधान (सभी ओवरसीज एक्सपोजरों पर लागू देश जोखिम के अतिरिक्त) ताकि ढांचे की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्राधिकार में विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं की अवास्थिति होने से भारतीय कम्पनी और उससे काफी हद तक राजनैतिक और नियामक जोखिम के लिए बैंक एक्सपोजर हो सकता है। (आरबीआई परि.सं. RBI/2015.16/279 DBR-IBD-BC No- 68/23.37.001/2015-16 दिनांक 31.12.2015) के अनुसार)।

6. संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण

6.1 जिन परिसरों का पुनर्मूल्यन हो चुका है उन्हें छोड़कर संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण को उनकी परम्परागत लागत में से संचित मूल्यहास / परिशोधन को घटाकर दिखाया जाता है पुनर्मूल्यन पर हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास को उसमें से कम कर दिया जाता है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त आस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 खरीददारी की लागत सहित सभी खर्च जैसे साइट तैयारी, संस्थापना लागत, पूंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च की गयी व्यावसायिक फीस लागत में शामिल है। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती खर्च केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों या उनकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

6.4 मूल्यहास

ए. आस्तियों (भूमि सहित जहां कीमत अलग न की जा सकती हो) पर मूल्यहास के लिये प्रावधान आस्ति की प्रत्याशित अवधि पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है। कम्प्यूटरों को छोड़कर जहां इसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर सीधी रेखा पद्धति से की जाती है।

5.8 Provision for Country Exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high & very high and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the “Other liabilities & Provisions – Others”.

5.9 An additional provision of 2% (in addition to country risk provision that is applicable to all overseas exposures) against standard assets representing all exposures to step down subsidiaries of Indian Corporates has been made to cover the additional risk arising from complexity in the structure, location of different intermediary entities in different jurisdictions exposing the Indian Company, and hence the Bank, to a greater political and regulatory risk. (As per RBI Cir.No. RBI/ 2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 dated 31.12.2015).

6. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:

6.1 Property, Plant & Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization, wherever applicable, except those premises, which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.

6.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets.

6.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.4 DEPRECIATION:

A. Depreciation on assets (including land where value is not separable) is provided on straight-line method based on estimated life of the asset, except in respect of computers where it is calculated on the straight-line method, at the rates prescribed by RBI.

बी. ऐसी आस्तियों पर मूल्यहास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया गया है :

विवरण	मूल्यहास की दर
परिसर	
पूर्ण स्वामित्व वाली (फ्री होल्ड) संपत्ति	
भूमि	शून्य
निर्माण लागत पर प्रदान की जाने वाली मूल्यहास दर जहाँ भूमि की लागत को अलग किया जाता है और कुल लागत पर जहाँ भूमि की लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती और उसे अलग नहीं किया जा सकता है।	2.5% (40 वर्ष सीधी रेखा विधि या शेष आयु जो भी कम हो)
बेमियादी पट्टे पर ली गई भूमि जहाँ पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है।	शून्य
पट्टे पर ली गई भूमि जहाँ पट्टे की अवधि का उल्लेख है	पट्टे की अवधि पर
भवन	
फ्री होल्ड और पट्टे वाली भूमि पर निर्मित, जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है।	2.50%
पट्टे वाली भूमि पर निर्मित जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है।	पट्टे की अवधि पर
परिसर के अतिरिक्त अचल आस्तियां	
फर्नीचर और फिक्सचर्स – स्टील वस्तुएं	5.00%
फर्नीचर और फिक्सचर्स – लकड़ी की वस्तुएं	10.00%
गद्दे	20.00%
मोबाइल फोन उपकरण	33.33%
मशीनरी, बिजली की और विविध वस्तुएं	15.00%
मोटर-कारें एवं साइकिलें	15.00%
कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं, लैपटॉप, आईपैड आदि:-	33.33%
सर्वर, नेटवर्क, उपकरण और स्वचालित टेलर मशीनें (कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंश सॉफ्टवेयर सहित)	

कार्यालय की रु.25000.00 से कम राशि की अचल संपत्तियों (कर्मचारियों को छोड़कर) और/अथवा जिसकी सामान्यतः अवधि अधिग्रहण की तिथि से 12 महीने से कम है, को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए।

रु. 25000.00 तक के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत पर राजस्व प्रभारित किया जाता है।

B. Depreciation on assets has been provided at the rates furnished below:-

Particulars	Rate of Depreciation
PREMISES	
Freehold Properties	
Land	NIL
Depreciation to be provided on Construction Cost where the land cost is segregated and on total cost where the land cost is not ascertainable and cannot be segregated.	2.5% (40 years Straight Line Method or remaining life whichever is lower)
Land acquired on perpetual lease where no lease period is mentioned	NIL
Land acquired on lease where lease period is mentioned	Over lease period
Building	
Constructed on free hold land and on leased land, where lease period is above 40 years	2.50%
Constructed on leased land where lease period is below 40 years.	Over lease period
FIXED ASSETS EXCEPT PREMISES	
Furniture and fixtures- Steel articles	5.00%
Furniture and fixtures-wooden articles	10.00%
Mattresses	20.00%
Mobile Phone Instruments	33.33%
Machinery, electrical and miscellaneous articles	15.00%
Motor cars and cycles	15.00%
Computers, ATMs and related items, laptop, i pad etc:-	33.33%
Servers, Network, Equipment & Automated Teller Machines (Including software forming an integral part of computer hardware)	

Items of office fixed assets (excepts to staff) amount less than Rs. 25000.00 and / or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition should be recognized as expense.

Cost of Application Software / Operating System / Data base amounting upto Rs. 25000.00 are charged to revenue.

सी. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त आस्तियों के नए एडिशन पर जिन आस्तियों को उपजोड़ में लाया जा रहा है मूल्यहास की दर उसी दिन से प्रदान की जाती है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में जिस तारीख तक इसे बेचा/निपटान किया जाता है अर्थात् दैनिक आधार पर मूल्यहास की दर प्रदान की जाती है।

डी. वर्ष के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व के परिसरों पर मूल्यहास पूरे वर्ष के लिये प्रभारित किया गया है। निर्माण लागत को तभी मूल्यहास किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां मूल्यहास दर पर भवन पर लागू समग्र लागत पर प्रदान की जाती है।

ई. पट्टाधारित परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम यदि कोई हो, पट्टे की संपूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्षों में प्रभारित किया जाता है।

एफ. पुनर्मूल्यन आस्तियों के मूल्यहास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन की गई आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर निश्चित की जाती है।

7. आस्तियों की अपसामान्यता:

आस्तियों की लागत क्षमता में आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर कोई अपसामान्यता दिखाई पड़ती है तो प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को समीक्षित किया जाता है।

एक अपसामान्य हानि तभी मानी जाती है जहां कहीं एक आस्ति की रखाव लागत इसकी वसूली राशि से ज्यादा होती है। वसूली योग्य राशि आस्ति की निवल बिक्री कीमत और उपयोगिता मूल्य से ज्यादा होती है। उपयोगिता मूल्य के निर्धारण में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह कर पूर्व छूट दर में प्रयुक्त उसके वर्तमान मूल्य को घटाया जाता है जो उस समय धन के वर्तमान बाजार मूल्य और आस्ति के वर्गीकृत जोखिमों को दर्शाता है।

अपसामान्यता के पश्चात, यदि कोई है, मूल्यहास से पूर्ण आस्ति पर इसके शेष उपयोगी जीवन के संसोधित रखाव लागत पर प्रदान किया जाता है।

पूर्व में हुई अपसामान्यता हानि परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ती या घटती है।

हालांकि, रिवर्सल के पश्चात क्षमता मूल्य उस मूल्य से ऊपर नहीं बढ़ती है जिसे यदि कोई अपसामान्यता नहीं हुई है तो सामान्यता मूल्यहास प्रभारित करके किया जाना है।

8. रोजगार लाभ :

भविष्य निधि:

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। ये अंशदान लाभ व हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

C. Depreciation on fresh additions to assets other than bank's own premises is provided from the day in which the assets are capitalized and in the case of assets sold/ disposed off during the year, up to the date in which it is sold/ disposed off i.e. daily basis.

D. The depreciation on bank's own premises existing at the close of the year is charged for full year. The construction cost is depreciated only when the building is complete in all respects. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

E. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year(s).

F. The Revalued assets is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

7. IMPAIRMENT OF ASSETS:

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors.

An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life.

A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances.

However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

8. EMPLOYMENT BENEFITS:

PROVIDENT FUND:

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss A/c.

उपदान:

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

पेंशन:

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

बैंक ने उन सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक ज्वाइन किया है उनके लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) का परिचालन किया है। इस योजना के अनुसार 11.11.2020 से पात्र कर्मचारी बैंक से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% के योगदान के साथ अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में योगदान करते हैं। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, इन योगदानों को बरकरार रखा जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर, समेकित योगदान राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां:

संचयन मूल्यांकन के आधार पर संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जैसे विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) और बीमारी अवकाश (अनुपलब्ध आकस्मिक अवकाश सहित) प्रदान की जाती है। विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) की योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ:

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), सिल्वर जुबली अवार्ड इत्यादि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं।

जहां तक विदेश स्थित शाखाओं और कार्यालयों का संबंध है प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अलावा अन्य सभी लाभ उन देशों में लागू कानूनों के अनुसार मूल्यांकित और लेखांकित किए गए हैं।

9. विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेनों का परिवर्तन और शेष:

विदेशी विनिमय में शामिल लेनदेन एएस 11 "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव" के अनुसार लेखांकित किए जाते हैं।

GRATUITY:

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

PENSION:

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with contribution of 14% of their basic pay plus dearness allowance from the Bank w.e.f. 11.11.2020. Pending completion of the registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate. Upon the receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

COMPENSATED ABSENCES:

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL) and Sick Leave (including unavailed casual leave) are provided for based on actuarial valuation. The scheme for Privilege Leave (PL) is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

OTHER EMPLOYEE BENEFITS:

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Silver Jubilee Award, etc. are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS & BALANCES:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates".

- 9.1 पूर्ववर्ती लंदन शाखाओं के अग्रिमों को छोड़कर, जिनका भारत में अंतरण की तिथि को लागू विनिमय दरों के आधार पर परिवर्तन किया जाता है, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के मार्गनिर्देशन के अनुसार तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दरों के आधार पर अन्य सभी मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों व अन्य दायित्वों को समतुल्य भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है।
- 9.2 अचल आस्तियों जिसे एतिहासिक दर पर ले जाया जाता है, से इतर गैर मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि को प्रभावी विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- 9.3 बकाया वायदा विनिमय स्पॉट व अग्रेषित संविदाओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित दर पर तुलन पत्र तिथि पर परिवर्तित किया जाता है और फलस्वरूप परिवर्तन पर हुए लाभ/ हानि को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।
- विदेशी विनिमय स्पॉट/ फॉरवर्ड करार/सौदें (मर्चेट व इंटर बैंक), जो कि ट्रेडिंग व मर्चेट हैज के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं तथा ये तुलन पत्र की तिथि तक बकाया होते हैं, विनिमय लाभ पर पुनर्मूल्यांकन प्रभाव को हटाने के लिए फेडाई (एफईडीएआई) स्पॉट/ फॉरवर्ड कर की समाप्ति पर रिवर्स पुनर्मूल्यांकित है। इस तरह के फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध की शुरुआत में उत्पन्न होने वाले प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि पर ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।
- 9.4 आय तथा व्यय की मदें लेन-देन की तारीख को प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर लेखांकित की जाती हैं।
- मौद्रिक मदों के निपटान पर उनसे भिन्न दरों पर उत्पन्न विनिमय अंतर जिस पर वे शुरुआत में दर्ज किए गए थे, उस अवधि के लिए वे उत्पन्न आय या व्यय के रूप में माने जाते हैं।
- भावी मुद्रा व्यापार में खुली स्थिति के विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण खाते में लाभ/हानि दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृहों के साथ निपटाए जाते हैं और ऐसे लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।
- 9.5 विदेशी शाखाएं/अपतटीय बैंकिंग इकाइयां :
- (i) विदेशी शाखाएं और अपतटीय बैंकिंग यूनिट के परिचालनों को "गैर समाकलित विदेशी परिचालनों" में वर्गीकृत किया गया है और विदेश में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को "समाकलित विदेशी परिचालनों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (ii) समाकलित विदेश परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों को और गैर समाकलित विदेशी परिचालनों को लेखांकन मानक - 11 में दिए गए निर्धारण के अनुसार किया गया है।
- (iii) विनिमय उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप गैर समाकलित परिचालनों के लाभ / हानि को विनिमय उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में जमा / नामे किया जाता है।
- 9.1 Except advances of erstwhile London branches which are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of parking in India, all other monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.
- 9.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.
- 9.3 Outstanding Forward exchange spot and forward contracts are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss on translation is taken to Profit & Loss Account.
- Foreign exchange spot/forward contracts/deals (Merchant and Inter-bank) which are not intended for trading/Merchant Hedge and are outstanding on the Balance Sheet date, are reverse re-valued at the closing FEDAI spot/forward rate in order to remove revaluation effect on exchange profit. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the life of the contract.
- 9.4 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction.
- Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.
- Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognized in the Profit and Loss Account.
- 9.5 Offices outside India / Offshore Banking Units:
- (i) Operations of foreign branches and off shore banking unit are classified as "Non-integral foreign operations" and operations of representative offices abroad are classified as "integral foreign operations".
- (ii) Foreign currency transactions of integral foreign operations and non-integral foreign operations are accounted for as prescribed by AS-11.
- (iii) Exchange Fluctuation resulting into Profit / loss of non-integral operations is credited /debited to Exchange Fluctuation Reserve.

10. आय पर कर

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि होता है। आयकर एक्ट, 1961 तथा एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के प्रावधानों के अनुसार ही वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय की गणना होती है। विदेश में स्थित कार्यालयों पर भुगतान किए गए करों को शामिल करने के बाद आय पर कर के लिए एकाउंटिंग की जाती है जो कि सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के कर नियमों पर आधारित होते हैं।

एमएटी क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब और विस्तार के लिए इस बात के पुख्ता सबूत हों कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

आस्थगित कर वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयताओं में परिवर्तनों को शामिल कर समायोजन करता है। आस्थगित कर आस्ति व देयता, वर्तमान वर्ष के लिए एकाउंटिंग आय और करयोग्य आय के बीच के समय अंतराल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पहचान की जाती है और नुकसान को आगे ले जाया जाता है। आस्थगित कर आस्ति व देयता की गणना कर की दर तथा कर नियमों का प्रयोग करके जो कि तुलन पत्र तिथि में अधिनियमित या वास्तविक अधिनियमित किया गया हो, किया जाता है। आस्थगित कर आस्ति व देयता में परिवर्तन का प्रभाव लाभ व हानि लेखों में दिखाई देता है। आस्थगित कर आस्ति को पहचाना जाता है तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः आंका जाता है, जो प्रबन्धन की विस्मृति पर आधारित होती है जैसे कि उनकी प्राप्ति यथोचित/वास्तव में निश्चित हो।

11. प्रति शेयर पर आय:

बैंक की प्रति शेयर आधारभूत आय रिपोर्ट आईसीएआई द्वारा जारी 'प्रति शेयर पर आय' और एएस 20 के अनुसार होती है। बेसिक आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के लिए विशेषकर इक्विटी शेयरधारकों को टैक्स के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के बकाया इक्विटी शेयर की औसत संख्या से भाग करके प्राप्त की जाती है।

प्रति शेयर डिल्यूटेड आय संभावित डिल्यूशन को दर्शाता है जो तब हो सकता है जब इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया गया या वर्ष के दौरान परिवर्तित किया गया। प्रति शेयर डिल्यूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष में बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ:

एएस 29 के अनुसार 'भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियाँ, बैंक इनके प्रावधान की पहचान केवल तभी करता है जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो तथा जिसके परिणामतः संसाधनों का सम्भावित बहिर्गमन हो

10. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the income Tax Act, 1961,

Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably/virtually certain.

11. Earnings per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic Earnings per Share are computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year.

12. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present

जो दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक हो तथा जब दायित्व की विश्वसनीय राशि अनुमानित की जा सकती हो।

एक आकस्मिक देयता पैसे के संदर्भ में एक संभावित देयता है, जो अनिश्चित विशिष्ट घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। एक संभावित दायित्व जो भविष्य की घटना के प्रकट होने के आधार पर उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे आकस्मिक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, जो मामले बैंक के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, लेकिन बैंक पर किसी भी दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना है, वे मामले दूरस्थ हैं, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं होती है।

13. बुलियन ट्रांजेक्शन:

बैंक बुलियन का आयात करता है जिसमें ग्राहकों को बेचने के लिए एक करार पर आधारित बहुमूल्य मेटल बार शामिल है। आयात बैंक टू बैंक पर विशेष रूप से आधारित है तथा ग्राहक को उसका मूल्य सप्लायर द्वारा अंकित मूल्य पर देना होता है। इन बुलियन ट्रांजेक्शनों में बैंक शुल्क अर्जित करता है। शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक गोल्ड को जमा व उस पर ऋण देता है जिसे ब्याज व्यय/आय की तरह ब्याज भुगतान मामले के आधार पर वर्गीकृत जमाराशि / उधार की तरह पेशकश किया जाता है।

14. खंडवार रिपोर्टिंग:

बैंक, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की अनुपालना में बिजनेस खंडों की पहचान प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंड को सेकेंडरी रिपोर्टिंग खंड के रूप में करता है।

15. 7 अप्रैल, 2016 को आरबीआई परिपत्र सं. FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09.01/ 2015-16 के अनुसार बैंक, पीएसएलसी का विक्रय या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र के पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेनदेन में जोखिमों या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क 'व्यय' के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'अन्य आय' के रूप में माना जाता है।

16. नकद और नकद तुल्य

नकद और नकद तुल्य में आरबीआई के पास नकद और शेष, बैंकों के साथ शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है।

obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

A Contingent Liability is a potential liability, in terms of money, which may arise depending on the outcome of an uncertain specific event. A possible obligation which may or may not arise depending on how a future event unfolds has been recognized as Contingent Liability.

Further, the cases which although have been filed against the bank, but possibility of any obligation arising upon the bank is those case is remote, have not been construed and included in Contingent Liability.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

13. Bullion Transactions:

The Bank imports bullion including precious metal bars on a consignment basis for selling to its customers. The imports are typically on a back-to-back basis and are priced to the customer based on price quoted by the supplier. The Bank earns a fee on such bullion transactions. The fee is classified under commission income. The Bank also accepts deposits and lends gold, which is treated as deposits/advances as the case may be with the interest paid / received classified as interest expense/income.

14. Segment Reporting:

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15. The Bank, in accordance with RBI Circular FIDD.CO.Plan.BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 dated April 7, 2016, trades in Priority Sector portfolio by selling or buying PSLC. There is no transfer of risks or loan assets in these transactions. The fee paid for purchase of the PSLC is treated as an 'Expense' and the Fee received from sale of PSLCs is treated as 'Other Income'.

16. CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include Cash and Balances with RBI, Balances with Banks and money at call and short notice.

लेखों पर टिप्पणियां

- समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में 05 सहायक कंपनियों और 15 एसोसिएट्स (जो पंजाब नैशनल बैंक के साथ, मूल, समूह का गठन करते हैं) पर विचार किया जाता है; जो निम्नानुसार है:

(% में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	निगमन देश	को वोटिंग पावर के रूप में धारित %	
			चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड ¹	भारत	74.07	74.07
2.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
3.	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड ²	भारत	100.00	100.00
4.	पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड यूके ³	यूनाइटेड किंगडम	100.00	100.00
5.	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान	भूटान	51.00	51.00

¹पीएनबी समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लिया गया है।

²कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पूरक लेखा परीक्षा और उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन हैं।

³पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") जिसका सीआईएन सं.न. 74999DL2021PLC378579 है, को 16 मार्च, 2021 को स्थापित की गई। कंपनी का पहला वित्तीय वर्ष 16 मार्च, 2021 से 31 मार्च 2022 तक है और बाद का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।

- समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए सहयोगी निम्नानुसार हैं:

(% में)

क्र. सं.	सहयोगी	निगमन देश	को स्वामित्व प्रतिशत के रूप में अनुपात	
			चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ^{5*}	भारत	30.00	30.00
2.	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	भारत	32.57	32.65
3.	जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाकिस्तान ^{5***}	कजाकिस्तान	41.64	41.64
4.	कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	23.00	23.00
5.	भारत एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड ⁵	भारत	20.90	20.90
6.	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड ^{5***}	नेपाल	20.03	20.03
7.	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना ⁵	भारत	35.00	35.00

NOTES TO ACCOUNTS

- The 05 Subsidiaries and 15 Associates (which along with Punjab National Bank, the parent, constitute the Group) are considered in the preparation of the consolidated financial statements are as under:

(in %)

Sl. No.	Name of the Subsidiary Company	Country of incorporation	% Voting power held as at	
			Current Year	Previous Year
1.	PNB Gilts Limited ¹	India	74.07	74.07
2.	PNB Investment Services Ltd.	India	100.00	100.00
3.	PNB Cards and Services Ltd. ²	India	100.00	100.00
4.	Punjab National Bank (International) Ltd.UK ³	United Kingdom	100.00	100.00
5.	Druk PNB Bank Ltd. Bhutan	Bhutan	51.00	51.00

¹Un-Audited Financials have been taken while preparing consolidated financial statements of PNB group.

²The financial statements of the company is subject to Supplementary Audit by the Comptroller & Audit General of India, under the Companies Act, 2013 and receipt of their report.

³PNB Cards & Services Limited ("the Company") having CIN No. U74999DL2021PLC378579, was incorporated on 16th March, 2021. The first financial year of the company is from 16th March, 2021 to 31st March 2022 and subsequent financial year shall commence from 01st April and close on 31st March of next year.

- Associates considered in consolidated financial statements are as under:

(in %)

Sl. No.	Associates	Country of incorporation	Proportion of ownership percentage as at	
			Current Year	Previous Year
1.	PNB Metlife India Insurance Company Ltd ^{5*}	India	30.00	30.00
2.	PNB Housing Finance Limited	India	32.57	32.65
3.	JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan ^{5***}	Kazakhstan	41.64	41.64
4.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.	India	23.00	23.00
5.	India SME Asset Reconstruction Co. Ltd. ⁵	India	20.90	20.90
6.	Everest Bank Ltd. ^{5***}	Nepal	20.03	20.03
7.	Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna ⁵	India	35.00	35.00

क्र. सं.	सहयोगी	निगमन देश	को स्वामित्व प्रतिशत के रूप में अनुपात	
			चालू वर्ष	गत वर्ष
8.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी	भारत	35.00	35.00
9.	पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला	भारत	35.00	35.00
10.	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक	भारत	35.00	35.00
11.	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद	भारत	35.00	35.00
12.	असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी	भारत	35.00	35.00
13.	बंगीया ग्रामीण विकास बैंक, (पश्चिम बंगाल)	भारत	35.00	35.00
14.	मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल	भारत	35.00	35.00
15.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला	भारत	35.00	35.00

⁵पीएनबी समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लिया गया है।

* पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में 700.48 रुपये के शेयर पर पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

** एफआर ने 18.09.2020 से प्रभावी जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रिवोक कर दिया और यह परिसमापन के अधीन है।

*** एवरेस्ट बैंक लिमिटेड अपने पैरेंट बैंक से भिन्न लेखा वर्ष का अनुसरण करता है।

3.1 आरक्षित पूंजी

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
समेकन पर आरक्षित पूंजी (निवल)	74.21	74.21

3.2 स्थायी बांड/अधीनस्थ ऋण टियर I और टियर II पूंजी के रूप में वर्धित राशि:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के दौरान अधीनस्थ ऋण न्यूनतम टियर-II पूंजी के रूप में वर्धित राशि	2012.63	3994.00
वर्ष के दौरान अधीनस्थ ऋण अधिकतम टियर-II पूंजी के रूप में वर्धित राशि	0.00	0.00
वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में बेमियादी बॉण्ड की वर्धित राशि	0.00	0.00

Sl. No.	Associates	Country of incorporation	Proportion of ownership percentage as at	
			Current Year	Previous Year
8.	Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi.	India	35.00	35.00
9.	Punjab Gramin Bank, Kapurthala	India	35.00	35.00
10.	Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak	India	35.00	35.00
11.	Prathama UP Gramin Bank, Moradabad	India	35.00	35.00
12.	Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati	India	35.00	35.00
13.	Bangiya Gramin Vikas Bank, (West Bengal)	India	35.00	35.00
14.	Manipur Rural Bank, Imphal	India	35.00	35.00
15.	Tripura Gramin Bank, Agartala	India	35.00	35.00

⁵Un-Audited Financials have been taken while preparing consolidated financial statements of PNB group.

*PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.

**AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.

***Everest Bank Ltd. Follows accounting year different from that of the parent.

3.1 Capital Reserve

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Capital Reserve on Consolidation (Net)	74.21	74.21

3.2 Perpetual bonds/sub-ordinated debt raised as Tier I and Tier II Capital:

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Amount of sub-ordinated debt raised as Lower Tier-II Capital during the period	2012.63	3994.00
Amount of sub-ordinated debt raised as Upper Tier-II Capital during the period	0.00	0.00
Amount of perpetual bonds raised as Tier-I Capital during the period	0.00	0.00

3.3 बैंक समूह का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III के अनुसार) निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौती का निवल, यदि कोई हो)	64911.43	67096.61
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	7285.67	5619.80
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	72197.10	72716.41
iv)	टियर 2 पूंजी	16943.49	17505.40
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	89140.59	90221.81
vi)	कुल जोखिम भारत अस्तियां (आरडब्ल्यूए)	611984.12	616351.57
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	10.61%	10.89%
viii)	टियर 1 अनुपात (टीयर 1 पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	11.80%	11.80%
ix)	टियर 2 अनुपात (टियर 2 पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	2.77%	2.84%
x)	पूंजी के जोखिम भारत अस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (कुल पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	14.57%	14.64%
xi)	ऋण-भारित अनुपात	4.31%	4.52%

नोट: सीईटी 1 पूंजी में 9268.29 करोड़ रुपये की समामेलन आरक्षित निधि शामिल है।

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. DBR.No.BP.BC-83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के माध्यम से सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य से बैंकों को आरक्षित निधि के पुनर्मूल्यन, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व और आस्थगित कर अस्तियों पर विचार करने के लिए विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

4. लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

4.1 लेखा मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मर्दे और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चालू और गत वर्ष के दौरान लेखा मानक 5 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई वास्तविक पूर्व अवधि आय/व्यय मर्दे नहीं थीं।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जिनका पालन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया गया था, केवल साख पत्र और बैंक गारंटी पर कमीशन की मान्यता को छोड़कर, 01 अप्रैल, 2021 से, साख पत्र और बैंक गारंटी पर कमीशन को अब तक प्राप्ति के आधार पर की गई स्वीकृति की तुलना में उस अवधि के

3.3 The capital adequacy ratio (as per Basel III) of the bank group is as under:

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	64911.43	67096.61
ii)	Additional Tier 1 capital	7285.67	5619.80
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	72197.10	72716.41
iv)	Tier 2 capital	16943.49	17505.40
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	89140.59	90221.81
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	611984.12	616351.57
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	10.61%	10.89%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	11.80%	11.80%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.77%	2.84%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	14.57%	14.64%
xi)	Leverage Ratio	4.31%	4.52%

Note: CET I Capital includes Amalgamation Reserve Rs. 9268.29 Crores.

RBI vide circular no. DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 dated 1st March, 2016 has given discretion to banks to consider Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and Deferred Tax Asset for purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

4. Disclosures required by Accounting Standards

4.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period items and Change in Accounting Policies

During the Current and Previous year there were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under Accounting Standard 5.

The financial results for the year ended March 31, 2022 have been prepared following the same Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2021, except recognition of commission on Letter of Credit and Bank Guarantee. With effect from April 01, 2021, the commission on Letter of Credit

लिए अर्जित राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ में ₹ 11.67 करोड़ और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 207.64 करोड़ की कमी हुई है।

(पिछले वर्ष: 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम लेखांकन नीतियों और कार्यप्रणालियों का पालन करते हुए तैयार किया गया था, जैसा कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनपीए लेखों में वसूली के विनियोग को छोड़कर, वार्षिक वित्तीय विवरणों में पालन किया गया था। 31 मार्च, 2020 के बाद, बैंक ने अपनी एनपीए लेखों में वसूली के विनियोग के लिए अपनी लेखा नीति को वसूली के विनियोग की पूर्ववर्ती नीति जिसमें पहले प्रभारों के विरुद्ध वसूली फिर मूल अग्रिम राशि तथा / अमान्य आय विनयोजित की जाती थी, को नई नीति के प्रतिस्थापन कर दिया है जिससे पहले प्रभारों के विरुद्ध वसूली फिर मूल के विरुद्ध दर्ज ब्याज/ अमान्य ब्याज तथा शेष राशि विनयोजित की जाएगी। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में कर पूर्व लाभ में ₹611.97 करोड़ तक की वृद्धि हुई है।)

4.2 लेखा मानक 9 – राजस्व पहचान

जिस आय को वसूली के आधार पर लेखांकित किया गया है, उसे महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। (पिछला वर्ष: जिस आय को वसूली के आधार पर लेखांकित किया गया है, उसे महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।)

4.3 लेखा मानक 10 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण।

आस्ति के प्रत्येक वर्ग के लिए अवधि/वित्त वर्ष हेतु कुल मूल्यहास का ब्रेक-अप

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण (आस्ति का वर्ग)	चालू वर्ष	गत वर्ष
परिसर	178.60	159.07
अन्य अचल संपत्ति	581.68	673.35
पट्टाकृत परिसंपत्तियां	0.01	0.01
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	135.88	149.80
कुल	896.17	982.23

4.4 लेखा मानक 11— विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

विनिमय बढ़ चढ़ आरक्षित निधि का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रारंभिक जमा	917.05	823.79
लाभ और हानि लेखा में परिवर्तन के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़/कटौती	69.24	118.55
आस्ति और देयताओं के ट्रांसलेशन के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़/कटौती	21.81	-25.29
अंतिम शेष	1008.10	917.05

and Bank Guarantee is recognised as revenue to the extent accrued for the period as against recognition done on receipt basis hitherto. This change in accounting policy has resulted in decrease in profit before tax by ₹11.67 Crore for quarter ended March 31, 2022 and by ₹207.64 Crore for year ended March 31, 2022.

(Previous year: The financial results for the year ended March 31, 2021 was prepared following the Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2020, except appropriation of recoveries in NPA accounts. After March 31, 2020, the Bank has changed its accounting policy for appropriation of recovery in NPA accounts from the earlier policy of appropriating recovery first against charges recorded then principal advance amount and balance towards recorded/derecognized income, to the new policy of appropriation of recovery first against the charges recorded, followed by recorded interest/derecognized interest and balance against the principal. This change in accounting policy has resulted in increase in profit before tax by Rs.611.97Crore for year ended March 31, 2021).

4.2 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

The income which has been accounted for on realization basis is not considered to be material. (Previous year: The income which has been accounted for on realization basis is not considered to be material).

4.3 Accounting Standard 10 – Properties, Plant and Equipment.

Break-up of total depreciation for the period/ FY for each class of assets

(Amount in Rs Crore)

Particulars (Class of Assets)	Current Year	Previous Year
Premises	178.60	159.07
Other fixed assets	581.68	673.35
Leased assets	0.01	0.01
Computer software	135.88	149.80
Total	896.17	982.23

4.4 Accounting Standard 11- The effects of Changes in Foreign Exchange rates:

Movement of Exchange Fluctuation Reserve

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	917.05	823.79
Addition/Deduction during the FY due to change in Profit & Loss account	69.24	118.55
Addition/Deduction during the FY due to translation of Assets & Liabilities	21.81	-25.29
Closing Balance	1008.10	917.05

4.5 लेखा मानक 15 (संशोधित) – कर्मचारी लाभ (मूल कंपनी):

लेखा मानक-15 (आर) के अनुसार प्रकटीकरण:						
लेखांकन नीति के अनुरूप तथा लेखा मानक – 15 (आर) के अनुसार, रोजगार के लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:						
ए. परिभाषित लाभ योजनाएं						
तालिका I – प्रधान बीमांकिक मान्यता तथा इन मान्यताओं का आधार						
बीमांकिक मान्यता	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
बट्टा दर	7.20%	6.85%	6.95%	6.55%	6.95%	6.55%
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7.20%	6.85%	6.95%	6.55%	6.95%	6.55%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
महंगाई राहत की वृद्धि दर	5.80%	5.80%	-	-	-	-
पलायन दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

(सभी राशियां करोड़ में)

तालिका II – दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन							
		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	अवधि के शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	46355.35	29043.14	4398.78	3229.08	3446.03	1944.29
जोड़े	पूर्ववर्ती ओबीसी और यूएनआई का पीवीओ	0.00	16605.01	0.00	1601.39	0.00	1142.62
जोड़े:	ब्याज लागत	3065.43	3043.60	254.87	274.85	187.67	199.11
जोड़े:	चालू सेवा लागत	488.52	508.01	247.10	252.96	331.28	212.19
जोड़े:	पूर्व सेवा लागत	3093.95	-	-	-	-	-
घटाएं:	प्रदत्त लाभ	(4002.18)	(2979.81)	(899.49)	(697.05)	(735.42)	(646.57)
	दायित्वों पर बीमांकिक हानि / (लाभ) (मिलान आंकड़े)	(544.10)	135.40	77.26	(262.45)	400.10	594.39
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03

तालिका III – योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन							
		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	46731.79	29011.95	4502.08	3118.63	2779.62	-
जोड़े	पूर्ववर्ती ओबीसी और यूएनआई का उचित मूल्य	0.00	13296.92	0.00	1409.10	0.00	141.89
जोड़े:	योजनागत संपत्ति पर संभावित प्रतिलाभ	3091.21	2813.19	269.73	263.49	145.48	9.36
जोड़े:	बैंक द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	1228.41	4937.20	153.30	440.24	839.99	2944.68
जोड़े:	पूर्व सेवा लागत के लिए बैंक द्वारा भुगतान किया गया अंशदान (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	618.79	-	-	-	-	-
घटाएं:	प्रदत्त लाभ	(4002.18)	(2979.81)	(899.49)	(697.05)	(735.42)	(363.48)
घटाएं:	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (हानि/लाभ) (मिलान आंकड़े)	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16
	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	48147.78	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62

4.5 Accounting Standard 15 (Revised) – Employees Benefits (Parent Company):

DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH AS-15(R):						
In line with the accounting policy and as per the Accounting Standard – 15(R), the summarized position of employment benefits is as under:						
A. Defined benefit Plans						
TABLE I - Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions						
Actuarial Assumptions	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
<i>Discount Rate</i>	7.20%	6.85%	6.95%	6.55%	6.95%	6.55%
<i>Expected Return on Plan Assets</i>	7.20%	6.85%	6.95%	6.55%	6.95%	6.55%
<i>Rate of Escalation In salary</i>	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
<i>Dearness Relief Escalation Rate</i>	5.80%	5.80%	-	-	-	-
<i>Attrition Rate</i>	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

(ALL AMOUNTS IN CRORES)

TABLE II - Changes in Present value of the obligation							
		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Present value of Obligation at the beginning of period	46355.35	29043.14	4398.78	3229.08	3446.03	1944.29
Add:	PVO of erstwhile OBC & UNI	0.00	16605.01	0.00	1601.39	0.00	1142.62
Add:	Interest Cost	3065.43	3043.60	254.87	274.85	187.67	199.11
Add:	Current Service Cost	488.52	508.01	247.10	252.96	331.28	212.19
Add:	Past Service Cost	3093.95	-	-	-	-	-
Less:	Benefits paid	(4002.18)	(2979.81)	(899.49)	(697.05)	(735.42)	(646.57)
	Actuarial loss / (gain) on obligations (Balancing Figure)	(544.10)	135.40	77.26	(262.45)	400.10	594.39
	Present value of Obligation as at the end of the period	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03

TABLE III - Changes in the FV of the Plan Assets							
		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Fair value of Plan Assets, at the beginning of period	46731.79	29011.95	4502.08	3118.63	2779.62	-
Add:	Fair value of erstwhile OBC & UNI	0.00	13296.92	0.00	1409.10	0.00	141.89
Add:	Expected return on Plan assets	3091.21	2813.19	269.73	263.49	145.48	9.36
Add:	Contributions paid by Bank	1228.41	4937.20	153.30	440.24	839.99	2944.68
Add:	Contributions paid by Bank for Past Service Cost (on Family Pension liability)	618.79	-	-	-	-	-
Less:	Benefits Paid	(4002.18)	(2979.81)	(899.49)	(697.05)	(735.42)	(363.48)
Less:	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets (Balancing Figure)	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16
	Fair value of Plan Assets as at the end of the period	48147.78	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62

तालिका IV – योजना अस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ							
		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	3091.21	2813.19	269.73	263.49	145.48	9.36
जोड़े	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक हानि/लाभ	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	3570.97	2465.53	315.51	231.16	238.00	56.52

तालिका V – मान्य निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि							
		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	अवधि के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ) – दायित्व	(544.10)	135.40	77.26	(262.45)	400.10	594.39
	अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत आस्तियों	(479.76)	347.66	(45.78)	32.33	(92.52)	(47.16)
	अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
	अवधि में मान्य बीमांकिक (लाभ) या हानि	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
	वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	–	–	–	–	–	–

तालिका VI – तुलन पत्र में मान्य राशि							
		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03
घटाएं:	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	48147.78*	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62
	अंतर	309.19	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
घटाएं:	अमान्य पूर्व सेवा लागत (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	1520.16	-	-	-	-	-
	निवल देयता/संपत्ति	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
	तुलन पत्र में राशि						
	तुलन पत्र में मान्य देयता	955.00**	-	7.12	-	507.47	666.41
	तुलन पत्र में मान्य आस्ति (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	(2165.97)	(376.44)	-	(103.30)	-	-
	निवल देयता/(संपत्ति)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
	लेखा मानक-15 (संशोधित) के पैरा 55 के तहत निर्धारित नकारात्मक राशि	-	-	-	-	-	-
	उपलब्ध प्रतिदाय का वर्तमान मूल्य और भावी अंशदानों में कटौती	-	-	-	-	-	-
	एएस-15 (संशोधित) के पैराग्राफ 59 (बी) के अनुसार मान्य आस्ति	2165.97	376.44	-	103.30	-	-

*अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन देयता के कारण पिछली सेवा लागत के लिए बैंक द्वारा 618.79 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है

**वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 618.79 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि (अर्थात्, 3093.95 करोड़ रुपये की कुल देनदारी का 1/5वां) प्रदान करने के अलावा, बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 955.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पिछली सेवा लागत भी प्रदान की है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में कुल राशि 1573.79 करोड़ रुपये है और 1520.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन देयता के लिए असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

TABLE IV - Actual Return on Plan Assets							
		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Expected return on Plan Assets	3091.21	2813.19	269.73	263.49	145.48	9.36
Add:	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16
	Actual Return on Plan Assets	3570.97	2465.53	315.51	231.16	238.00	56.52

TABLE V - Net Actuarial (Gain) / loss recognized							
		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Actuarial loss / (gain) for the period - Obligations	(544.10)	135.40	77.26	(262.45)	400.10	594.39
	Actuarial (gain)/ loss for the period - Plan Assets	(479.76)	347.66	(45.78)	32.33	(92.52)	(47.16)
	Total (gain) /loss for the period	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
	Actuarial (gain) or loss recognized in the period	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
	Unrecognized Actuarial (gain) / loss at the end of the year	-	-	-	-	-	-

TABLE VI - Amount recognized in Balance Sheet							
		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Present value of Defined Benefit Obligation	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03
Less	Fair value of Plan Assets	48147.78*	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62
	Difference	309.19	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
Less	Unrecognized Past Service cost (on Family Pension liability)	1520.16	-	-	-	-	-
	Net Liability/ (Asset)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
	Amounts in the Balance Sheet						
	Liability Recognized in the Balance Sheet	955.00**	-	7.12	-	507.47	666.41
	Assets Recognized in the Balance Sheet (on Family Pension liability)	(2165.97)	(376.44)	-	(103.30)	-	-
	Net Liability/ (Asset)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.30)	507.47	666.41
	Negative amount determined under Paragraph 55 of AS-15 (R)	-	-	-	-	-	-
	Present value of available refunds and reductions in future contributions	-	-	-	-	-	-
	Asset recognized as per Paragraph 59 (b) of AS-15 (R)	2165.97	376.44	-	103.30	-	-

*includes contributions paid by Bank of Rs 618.79 crore for Past service cost on account of Additional Family Pension Liability

** In addition to providing the minimum amount of Rs.618.79 crore (i.e., 1/5th of total liability of Rs 3093.95 crore) for the financial year 2021-22, the Bank has further provided additional Past service cost of Rs 955.00 crore during FY 2021-22, aggregating the total amount charged to the Profit & Loss account is Rs 1573.79 crore during the year ended March 31, 2022 and the balance unamortized expense for additional family pension liability of Rs.1520.16 Crore has been carried forward

तालिका VII – लाभ और हानि लेखों में चिह्नित किए जाने वाला व्यय							
		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	वर्तमान सेवा लागत	488.52	508.01	247.10	252.96	331.28	212.19
जोड़ें:	ब्याज लागत	3065.43	3043.60	254.86	274.85	187.67	199.11
घटाएं	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(3091.21)	(2813.19)	(269.73)	(263.49)	(145.48)	(9.36)
जोड़ें:	वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
जोड़ें:	पिछली सेवा लागत-मान्यता प्राप्त (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	1573.79	-	-	-	-	-
	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1012.67	1221.48	263.71	34.20	681.05	949.16

तालिका VIII – तुलन पत्र में पहचाने जाने वाली निवल देयताओं में संचलन							
		पेंशन		पेंशन		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	आरम्भिक निवल देयताएं	(376.44)	31.19	(103.29)	302.75	666.41	1944.30
जोड़ें:	पूर्ववर्ती ओबीसी और यूएनआई की प्रारंभिक निवल देयता	-	3308.09	-	-	-	1000.72
जोड़ें:	व्यय	1012.67	1221.48	263.71	34.20	681.05	949.16
घटाएं:	भुगतान किया गया योगदान	(1847.20)	(4937.20)	(153.30)	(440.24)	(839.99)	(2944.68)
घटाएं	कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	-	-	(283.09)
	अंतिम निवल देयताएं/(आस्तियां) वर्तमान अवधि में बी/एस में मान्यता प्राप्त)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.29)	507.47	666.41

तालिका IX – वर्तमान अवधि के लिए राशि							
		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03
घटाएं	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	48147.78	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62
	अधिक्य/(घाटा)	(309.19)*	376.44	(7.12)	103.30	(507.47)	(666.41)
	योजना देयताओं में अनुभव समायोजन – (हानि) / लाभ	1230.77	(1016.12)	199.27	(243.27)	446.48	744.92
	योजनागत आस्तियों (हानि)/लाभ में समायोजन का अनुभव	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16

*इस राशि में कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता राशि शामिल है, जिसे हमारे बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए परिशोधन के लिए चुना था (कुल देयता के न्यूनतम 1/5 के अधीन) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाते में प्रभारित कुल राशि 1573.79 करोड़ रुपये है और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन देयता के लिए शेष 1520.16 करोड़ रुपये के असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

TABLE VII - Expense to be recognized in Profit and loss Account							
		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Current Service Cost	488.52	508.01	247.10	252.96	331.28	212.19
Add:	Interest cost	3065.43	3043.60	254.86	274.85	187.67	199.11
Less	Expected return on Plan assets	(3091.21)	(2813.19)	(269.73)	(263.49)	(145.48)	(9.36)
Add:	Net Actuarial (gain) / loss recognized in year	(1023.86)	483.06	31.48	(230.12)	307.58	547.23
Add:	Past Service Cost-Recognized (on Family Pension liability)	1573.79	-	-	-	-	-
	Expenses recognized in the statement of profit and loss	1012.67	1221.48	263.71	34.20	681.05	949.16

TABLE VIII- Movement in Net Liability to be recognized in Balance Sheet							
		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Opening Net Liability	(376.44)	31.19	(103.29)	302.75	666.41	1944.30
Add	Opening Net liability of Erstwhile OBC & UNI	-	3308.09	-	-	-	1000.72
Add:	Expense	1012.67	1221.48	263.71	34.20	681.05	949.16
Less:	Contributions Paid	(1847.20)	(4937.20)	(153.30)	(440.24)	(839.99)	(2944.68)
Less	Benefits Paid by the company	-	-	-	-	-	(283.09)
	Closing Net Liability/ (Asset) recognised in B/S in current period)	(1210.97)	(376.44)	7.12	(103.29)	507.47	666.41

TABLE IX - Amount for the current Period							
		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Present value of Obligation	48456.97	46355.35	4078.52	4398.78	3629.66	3446.03
Less	Fair value of Plan Assets	48147.78	46731.79	4071.40	4502.08	3122.19	2779.62
	Surplus / (Deficit)	(309.19)*	376.44	(7.12)	103.30	(507.47)	(666.41)
	Experience Adjustments in Plan Liabilities -(loss) / Gain	1230.77	(1016.12)	199.27	(243.27)	446.48	744.92
	Experience Adjustments in Plan Assets (loss) / gain	479.76	(347.66)	45.78	(32.33)	92.52	47.16

*This amount is inclusive of additional liability amount on account of revision in family pension for employees, which our Bank had opted for amortization over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022 (subject to a minimum of 1/5th of the total liability). The total amount charged to the Profit & Loss account is Rs 1573.79 crore during the year ended March 31, 2022 and the balance unamortized expense for additional family pension liability of Rs.1520.16 Crore has been carried forward.

तालिका X – ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजयोजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)						
(प्रतिशत में)						
	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	2.76%	3.78%	5.00%	8.00%	0.00%	0.00%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	11.91%	13.91%	10.00%	13.00%	0.00%	0.00%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	5.36%	5.67%	3.00%	3.00%	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड निवेश	0.28%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संपत्ति	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना/एफडीआर	4.06%	5.50%	6.00%	7.00%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि/जीवन बीमा कंपनियों में निवेश	69.10%	59.94%	66.00%	54.00%	100.00%	100.00%
अन्य जमा, उपार्जन आदि।	6.53%	10.60%	10.00%	15.00%	0.00%	0.00%
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

तालिका XI – आगामी वर्ष के दौरान उद्यम के योगदान का सर्वोत्तम अनुमान

	पेंशन (वित्त पोषित)		उपदान (वित्त पोषित)		छुट्टी का नकदीकरण (वित्त पोषित)	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
अगले वर्ष के दौरान बैंक के योगदान का सर्वश्रेष्ठ अनुमान	720.00	2720.00	230.00	10.00	410.00	670.00

तालिका XII – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (गैर वित्तपोषित)

विवरण	बीमारी की छुट्टी और गैर-उपयोगी आकस्मिक अवकाश (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी किराया रियायत (गैर वित्तपोषित)		सिल्वर जुबली बोनस (गैर वित्तपोषित)	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
दायित्व का वर्तमान मूल्य	168.36	71.73	237.76	217.68	16.15	15.91
संक्रमणकालीन देयता का प्रारंभिक संतुलन	-	-	-	-	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन दायित्व	-	-	-	-	-	-
संक्रमणकालीन देयता का अंतिम संतुलन	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	168.36	71.73	237.76	217.68	16.15	15.91

विवरण	धारणा का आधार
छूट की दर	मुद्रा और दायित्वों की अनुमानित अवधि के अनुरूप अवधि के सरकारी बांड (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तारीख पर बाजार की उपज के संदर्भ में छूट दर निर्धारित की गई है।
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	यह माना जाता है कि पेंशन, उपदान (ग्रेज्युटी) और अवकाश नकदीकरण निधि से संबंधित योजना की संपत्ति पर रिटर्न क्रमशः 7.20% प्रति वर्ष 6.95% प्रति वर्ष और 6.95% प्रति वर्ष होगा।
वेतन वृद्धि दर (एसईआर)	आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर 6.0% (मूल वेतन वृद्धि 2.8% और डीए 5.8% प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ 6.0% की समग्र वेतन वृद्धि के साथ) लिया गया है।
पलायन दर	पिछले अनुभव और स्वैच्छिक निकासी से संबंधित अपेक्षित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में एट्रिशन दर को 1% माना जाता है।

TABLE X -Major Categories of Plan Assets (as percentage of Total Plan Assets) as managed by Trust						
(In Percentage)						
	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
Government Of India Securities	2.76%	3.78%	5.00%	8.00%	0.00%	0.00%
State Govt Securities	11.91%	13.91%	10.00%	13.00%	0.00%	0.00%
High Quality Corporate Bonds	5.36%	5.67%	3.00%	3.00%	0.00%	0.00%
Equity Shares of listed companies/ Mutual Fund Investments	0.28%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Property	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Special deposit scheme/ FDR's	4.06%	5.50%	6.00%	7.00%	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer/ Investments in Life Insurance Companies	69.10%	59.94%	66.00%	54.00%	100.00%	100.00%
Other Deposits, Accruals etc.	6.53%	10.60%	10.00%	15.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

TABLE XI -ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR						
	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Bank's best estimate of Contribution during next year	720.00	2720.00	230.00	10.00	410.00	670.00

TABLE XII- Other Long Term employee benefits (Unfunded)						
Particulars	Sick Leave & Un availed Casual leave (Unfunded)		Leave Fare concession (unfunded)		Silver Jubilee Bonus (unfunded)	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
Present Value of Obligation	168.36	71.73	237.76	217.68	16.15	15.91
Opening Balance of Transitional Liability	-	-	-	-	-	-
Transitional Liability recognized in the year	-	-	-	-	-	-
Closing Balance Of Transitional Liability	-	-	-	-	-	-
Liability Recognized in balance Sheet	168.36	71.73	237.76	217.68	16.15	15.91

Particulars	Basis of assumption
Discount Rate	Discount Rate has been determined by reference to market yields at the balance Sheet date on Government bonds (published by FBIL) of term consistent with currency and estimated term of the obligations.
Expected Rate of Return on Plan Assets	It is assumed that return on the plan assets pertaining to the Pension, Gratuity and Leave Encashment fund will be 7.20% p.a., 6.95% p.a. and 6.95% p.a. respectively.
Salary Escalation Rate (SER)	Based on the broad guidance provided by IBA, SER for the bank has been taken at 6.0% (Basic Pay increase of 2.8% and DA increase of 5.8% pa with overall salary escalation of 6.0%.)
Attrition Rate	Attrition rate is assumed at 1% taken with reference to past experience and expected future experience related to voluntary withdrawals.

नोट:

4.5.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं: –

“बैंक ने 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लागू अंशदान योजना को परिभाषित किया है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अंशदान का विवरण इस प्रकार है –

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान= रुपए 974.43 करोड़

(अंशदान में बैंक + कर्मचारी अंशदान दोनों शामिल हैं)

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान= रुपए 747.67 करोड़

(अंशदान में बैंक + कर्मचारी अंशदान दोनों शामिल हैं)

4.5.2 बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है, जो कि 3093.95 करोड़ रुपये है। हालांकि, आरबीआई ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021–22/105 डीओआर. एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021–22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से बैंकों को 5 (पांच) वर्ष से अधिक नहीं, की अवधि में उक्त अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर, हर वर्ष खर्च की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 हिस्से के अधीन बैंक ने आरबीआई के उक्त प्रावधान को चुना है और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए न्यूनतम राशि 618.79 करोड़ रुपये (अर्थात 3093.95 करोड़ रुपये की कुल देनदारी का 1/5) प्रदान करने के अलावा, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बैंक ने अतिरिक्त पिछली सेवा लागत 955.00 करोड़ रुपये भी प्रदान की है, कुल मिलाकर लाभ और हानि लेख में कुल राशि 1573.79 करोड़ रुपये चार्ज की है और 1520.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन देयता के लिए असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है। यदि परिशोधित व्यय को लाभ और हानि लेख में पूरी तरह से मान्यता दी गई होती तो वर्ष के लिए परिणामी निवल लाभ रु 2468 करोड़ होता।

4.6 लेखा मानक 17 – खंड रिपोर्टिंग

खंड की पहचान करना

I. प्राथमिक (व्यावसायिक खंड):

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं: –

i) **ट्रेजरी:** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है।

Note:

4.5.1 Defined Contribution Plans:-

“The Bank has Defined Contribution Plan applicable to all categories of employees joining the Bank on or after 01.04.2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

The details of the contribution is as under-

During the Financial Year 2021-2022= Rs 974.43 Crore

(Contribution Includes both Bank + Employee contribution)

During the Financial Year 2020-2021= Rs 747.67 Crore

(Contribution Includes both Bank + Employee contribution)

4.5.2 Bank has estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to Rs.3093.95 Crore. However, RBI vide their Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC. REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending 31st March, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Bank has opted the said provision of RBI and In addition to providing the minimum amount of Rs.618.79 crore (i.e., 1/5th of total liability of Rs 3093.95 crore) for the financial year 2021-22, the Bank has further provided additional Past service cost of Rs 955.00 crore during FY 2021-22, aggregating the total amount charged to the Profit & Loss account is Rs 1573.79 crore during the year ended March 31, 2022 and the balance unamortized expense for additional family pension liability of Rs.1520.16 Crore has been carried forward. If the unamortized expenditure had been fully recognised in the Profit & Loss account, the consequential Net Profit for the year would have been Rs.2468 Crore.

4.6 Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Segment Identification

I. **Primary (Business Segment):**

The following are the primary segments of the Bank:-

i) **Treasury:** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

- ii) **कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग:** आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आरबीआई/2020-21/53, डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 23/21.06.201/2020-21, दिनांक 12 अक्टूबर 2020, कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में ₹ 7.50 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले उधारकर्ताओं की संख्या वाले ऋण देने की गतिविधियाँ शामिल हैं।
- iii) **रिटेल बैंकिंग:** रिटेल बैंकिंग खंड में ऐसे उधारकर्ताओं के खाते शामिल हैं, जिनका एक्सपोजर ₹ 7.50 करोड़ से कम है।
- iv) **अन्य बैंकिंग परिचालन** खंड जो उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हैं, इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. द्वितीय (भौगोलिक खंड):

- i) **घरेलू परिचालन** – भारत में परिचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय
- ii) **विदेशी परिचालन** – भारत के बाहर परिचालन वाली शाखाएँ/ कार्यालय और भारत में परिचालन वाली अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ।

III. आबंटन का आधार

ब्याज आय का आबंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है।

थोक बैंकिंग/खुदरा बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होने वाले व्यय आबंटित किए जाते हैं।

प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी की गणना उस विशेष खंड की संपत्ति और देनदारियों के आधार पर की जाती है।

बैंक के पास कुछ सामान्य संपत्तियाँ और देनदारियाँ हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

भाग ए: व्यापार खंड

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
		(लेखापरीक्षित) (समेकित)	(लेखापरीक्षित) (समेकित)
i.	खंड राजस्व		
	ए) ट्रेजरी	30244.25	31762.08
	बी) कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	30887.23	31966.43
	सी) रिटेल बैंकिंग	24783.71	26399.59
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	2424.30	4041.85
	कुल	88339.49	94169.95
ii.	खंड परिणाम		
	ए) ट्रेजरी	9191.30	10190.68
	बी) कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	-4052.27	-7201.52

- ii) **Corporate / Wholesale Banking:** As per the RBI guidelines RBI/2020-21/53, DOR.No.BP.BC.23/21.06.201/2020-21, dated 12thOctober 2020, the Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50Crores and above.
- iii) **Retail Banking:** The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹7.50Crores.
- iv) **Other Banking Operations** Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II Secondary (Geographical Segment):

- i) **Domestic Operations** - Branches/Offices having operations in India
- ii) **Foreign Operations** - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

III. Basis of allocation

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from different segments

Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment/other banking segment

Capital employed for each segment is calculated based on the assets and liabilities of that particular segment

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

PART A: BUSINESS SEGMENTS

(Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Audited) (Consolidated)	(Audited) (Consolidated)
i.	Segment Revenue		
	a) Treasury	30244.25	31762.08
	b) Corporate/Wholesale Banking	30887.23	31966.43
	c) Retail Banking	24783.71	26399.59
	d) Other Banking Operations	2424.30	4041.85
	Total	88339.49	94169.95
ii.	Segment Results		
	a) Treasury	9191.30	10190.68
	b) Corporate/Wholesale Banking	-4052.27	-7201.52

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
		(लेखापरीक्षित) (समेकित)	(लेखापरीक्षित) (समेकित)
	सी) रिटेल बैंकिंग	3110.22	4045.64
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	620.96	1085.80
	कुल	8870.21	8120.60
iii.	अनाबंटित व्यय	4275.69	4336.14
iv.	परिचालन लाभ	21025.64	22849.60
v.	कर हेतु प्रावधान	918.56	1632.03
vi.	असामान्य मदें	0.00	0.00
vii.	एसोसिएट्स में अर्जन का हिस्सा (निवल)	231.63	542.17
viii.	अल्पांश हितलाभ	46.85	132.62
ix.	निवल लाभ	3860.74	2561.98
	अन्य जानकारी:		
x.	आस्ति खंड		
	ए) ट्रेजरी	441108.02	442311.31
	बी) कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	545178.01	516525.16
	सी) रिटेल बैंकिंग	261644.19	247594.08
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	44903.09	27449.67
	कुल जोड़	1292833.31	1233880.22
	ई) अनाबंटित आस्तियां	46467.81	45844.84
	कुल आस्तियां	1339301.12	1279725.06
xi.	देयता खंड		
	ए) ट्रेजरी	421033.81	422469.79
	बी) कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	523784.94	497345.55
	सी) रिटेल बैंकिंग	253207.32	241048.52
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	42478.99	25806.53
	कुल जोड़	1240505.06	1186670.39
	ई) अयुक्त पूंजी	1214.16	520.34
	कुल देयताएं	1241719.22	1187190.73
xii.	पूंजी नियोजित		
	ए) ट्रेजरी	20074.21	19841.52
	बी) कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	21393.07	19179.61
	सी) रिटेल बैंकिंग	8436.87	6545.56
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	2424.10	1643.14
	कुल जोड़	52328.25	47209.83
	ई) अनाबंटित देयताएं	45253.65	45324.50
	कुल प्रयुक्त पूंजी	97581.90	92534.33

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Audited) (Consolidated)	(Audited) (Consolidated)
c)	Retail Banking	3110.22	4045.64
d)	Other Banking Operations	620.96	1085.80
	Total	8870.21	8120.60
iii.	Unallocated Expenses	4275.69	4336.14
iv.	Operating Profit	21025.64	22849.60
v.	Provision for Tax	918.56	1632.03
vi.	Extraordinary Items	0.00	0.00
vii.	Share of Earnings in Associates (Net)	231.63	542.17
viii.	Minority Interest	46.85	132.62
ix.	Net Profit	3860.74	2561.98
	Other Information:		
x.	Segment Assets		
a)	Treasury	441108.02	442311.31
b)	Corporate/Wholesale Banking	545178.01	516525.16
c)	Retail Banking	261644.19	247594.08
d)	Other Banking Operations	44903.09	27449.67
	Sub Total	1292833.31	1233880.22
e)	Unallocated Assets	46467.81	45844.84
	Total Assets	1339301.12	1279725.06
xi.	Segment Liabilities		
a)	Treasury	421033.81	422469.79
b)	Corporate/Wholesale Banking	523784.94	497345.55
c)	Retail Banking	253207.32	241048.52
d)	Other Banking Operations	42478.99	25806.53
	Sub Total	1240505.06	1186670.39
e)	Unallocated Liabilities	1214.16	520.34
	Total Liabilities	1241719.22	1187190.73
xii.	Capital Employed		
a)	Treasury	20074.21	19841.52
b)	Corporate/Wholesale Banking	21393.07	19179.61
c)	Retail Banking	8436.87	6545.56
d)	Other Banking Operations	2424.10	1643.14
	Sub Total	52328.25	47209.83
e)	Unallocated Liabilities	45253.65	45324.50
	Total Capital Employed	97581.90	92534.33

भाग बी: भौगोलिक खंड

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
		(लेखापरीक्षित) (समेकित)	(लेखापरीक्षित) (समेकित)
1.	राजस्व		
	क) घरेलू	87409.26	92976.91
	ख) अंतरराष्ट्रीय	930.23	1193.04
	कुल	88339.49	94169.95
2.	आस्तियां		
	क) घरेलू	1285938.01	1225016.02
	ख) अंतरराष्ट्रीय	53363.11	54709.04
	कुल	1339301.12	1279725.06

टिप्पणी:-

- खंड देयताओं को उनके संबंधित खंड आस्तियों के अनुपात में वितरित किया गया है।
 - पिछली अवधि के आँकड़ों को, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, समूहबद्ध/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- 4.7 लेखा मानक 18 – आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक –18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण: (मूल कंपनी)**

संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनके संबंध:

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक (केएमपी):

- श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 01.02.2022 से
- श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 31.01.2022 तक
- श्री अज्ञेय कुमार आजाद, कार्यपालक निदेशक, 30.04.2021 तक
- श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक
- श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक
- श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक
- श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, 21.10.2021 से

समनुषंगी:

- पीएनबी गिल्ट्स लि.
- पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लि.
- पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.
- पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लि., यूके
- ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान.

सहयोगी:

- पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी*

PART B: GEOGRAPHIC SEGMENTS

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
		(Audited) (Consolidated)	(Audited) (Consolidated)
1.	Revenue		
	a) Domestic	87409.26	92976.91
	b) International	930.23	1193.04
	Total	88339.49	94169.95
2.	Assets		
	a) Domestic	1285938.01	1225016.02
	b) International	53363.11	54709.04
	Total	1339301.12	1279725.06

Note:-

- Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.
- Figures of the previous period have been re-grouped / reclassified wherever necessary.

4.7 Accounting Standard 18 - Disclosure of Related Parties as per Accounting Standard –18 issued by ICAI: (Parent Company)

Names of the related parties and their relationship with the Bank:

Key Management Personnel (KMP):

- Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO, w.e.f. 01.02.2022
- Shri CH S S Mallikarjuna Rao, Managing Director & CEO, upto 31.01.2022
- Shri Agyey Kumar Azad, Executive Director, up to 30.04.2021
- Shri Sanjay Kumar, Executive Director
- Shri Vijay Dube, Executive Director
- Shri Swarup Kumar Saha, Executive Director
- Shri Kalyan Kumar, Executive Director, w.e.f. 21.10.2021

Subsidiaries:

- PNB Gilts Ltd.
- PNB Investment Services Ltd.
- PNB Cards and Services Ltd.
- Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
- Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.

Associates:

- PNB Metlife India Insurance Company Ltd*

- ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
- iii) जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाखस्तान**
- iv) केनरा, एचएसबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लि.
- v) भारत एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि.
- vi) एवेरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
- vii) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
- viii) हिमाचल प्रदेश, ग्रामीण बैंक, मंडी
- ix) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
- x) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
- xi) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
- xii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
- xiii) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
- xiv) मणिपुर ग्रामीण/रूरल बैंक, इम्फाल
- xv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

*पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में 700.48 रुपये में पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

**एएफआर ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और यह परिसमापन के अधीन है।

अन्य:

- i) पीएनबी सेंटेंनरी रूरल डेवेलपमेंट ट्रस्ट

- ii) PNB Housing Finance Limited
- iii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan**
- iv) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
- v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
- vi) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
- vii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
- viii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
- ix) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
- x) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
- xi) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
- xii) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
- xiii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
- xiv) Manipur Rural Bank, Imphal
- xv) Tripura Gramin Bank, Agartala

*PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.

**AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.

Others:

- i) PNB Centenary Rural Development Trust

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन:

(राशि करोड़ रुपये में)

मर्दे/संबंधित पक्ष	मूल** (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		समनुषंगी**		सहायक/संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		कुल	
	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
पारिश्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	2.74	-	-	-	2.74	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	(3.45)	-	-	-	(3.45)	-
उधार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	25.01	25.01	-	-	-	-	25.01	25.01
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(25.01)	(25.01)	-	-	-	-	(25.01)	(25.01)
जमाराशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	88.80	92.56	-	-	-	-	88.80	92.56
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(96.06)	(116.44)	-	-	-	-	(96.06)	(116.44)
जमाराशियों का नियोजन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
अन्य देयताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.61	1.52	-	-	-	-	0.61	1.52
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.30)	(7.45)	-	-	-	-	(0.30)	(7.45)
बैंकों में जमाराशियों एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	38.27	767.65	-	-	-	-	38.27	767.65
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(1745.04)	(2772.04)	-	-	-	-	(1745.04)	(2772.04)
अग्रिम (आईबीपीसी उधार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
अग्रिम (आईबीपीसी उधार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
अग्रिम (अन्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4325.89	4634.45	-	-	-	-	4325.89	4634.45
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(4648.43)	(5384.44)	-	-	-	-	(4648.43)	(5384.44)
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	817.54	817.54	-	-	-	-	817.54	817.54
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(717.54)	(717.54)	-	-	-	-	(717.54)	(717.54)
डिबेंचरों में निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आस्तियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	129.82	212.15	-	-	-	-	129.82	212.15
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(259.28)	(313.07)	-	-	-	-	(259.28)	(313.07)
गैर- निधिक प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	17.89	17.89	-	-	-	-	17.89	17.89
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(5.99)	(5.99)	-	-	-	-	(5.99)	(5.99)
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
आईबीपीसी बिक्री सौदा मूल्य लेनदेन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
आईबीपीसी खरीद सौदा मूल्य लेनदेन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-

Transactions with Related Parties:

(Amount in ₹ Crores)

Items/ Related Party	Parent** (as per ownership or control)		Subsidiaries**		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year
Remuneration	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	2.74	-	-	-	2.74	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	(3.45)	-	-	-	(3.45)	-
Borrowings	N.A	N.A	N.A	N.A	25.01	25.01	-	-	-	-	25.01	25.01
	N.A	N.A	N.A	N.A	(25.01)	(25.01)	-	-	-	-	(25.01)	(25.01)
Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A	88.80	92.56	-	-	-	-	88.80	92.56
	N.A	N.A	N.A	N.A	(96.06)	(116.44)	-	-	-	-	(96.06)	(116.44)
Placement of Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
Other Liabilities	N.A	N.A	N.A	N.A	0.61	1.52	-	-	-	-	0.61	1.52
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.30)	(7.45)	-	-	-	-	(0.30)	(7.45)
Balance with banks and Money at call and short notice	N.A	N.A	N.A	N.A	38.27	767.65	-	-	-	-	38.27	767.65
	N.A	N.A	N.A	N.A	(1745.04)	(2772.04)	-	-	-	-	(1745.04)	(2772.04)
Advances (IBPC borrowings)	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Advances (IBPC lending)	N.A	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
Advances (Others)	N.A	N.A	N.A	N.A	4325.89	4634.45	-	-	-	-	4325.89	4634.45
	N.A	N.A	N.A	N.A	(4648.43)	(5384.44)	-	-	-	-	(4648.43)	(5384.44)
Investments	N.A	N.A	N.A	N.A	817.54	817.54	-	-	-	-	817.54	817.54
	N.A	N.A	N.A	N.A	(717.54)	(717.54)	-	-	-	-	(717.54)	(717.54)
Investments in Debentures	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Assets	N.A	N.A	N.A	N.A	129.82	212.15	-	-	-	-	129.82	212.15
	N.A	N.A	N.A	N.A	(259.28)	(313.07)	-	-	-	-	(259.28)	(313.07)
Non funded Commitments (LCs/BGs)	N.A	N.A	N.A	N.A	17.89	17.89	-	-	-	-	17.89	17.89
	N.A	N.A	N.A	N.A	(5.99)	(5.99)	-	-	-	-	(5.99)	(5.99)
Leasing/ HP arrangements availed	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing/ HP arrangements provided	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase of fixed assets	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Sale of Fixed Assets	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaction IBPC Sale Deal Value	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaction IBPC Purchase Deal Value	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-

मदें/संबंधित पक्ष	मूल** (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		समनुषंगी**		सहायक/संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		कुल	
	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
आईबीपीसी पर प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4.70	-	-	-	-	-	4.70	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(16.67)	-	-	-	-	-	(16.67)	-
आईबीपीसी पर प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	586.65	-	-	-	-	-	586.65	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(860.17)	-	-	-	-	-	(860.17)	-
सेवाओं की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
सेवाओं का प्रतिपादन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रबंधन संविदाएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.54	-	-	-	-	-	0.54	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.54)	-	-	-	-	-	(0.54)	-
प्राप्त लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
बैंक प्रभार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त कमीशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	194.21	-	-	-	-	-	194.21	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(79.16)	-	-	-	-	-	(79.16)	-
अन्य आय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	288.90	-	-	-	-	-	288.90	-
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(436.16)	-	-	-	-	-	(436.16)	-

नोट: 1. ** अनुषंगियों और कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण लेखा मानक-18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के पैरा-9 के मद्देनजर नहीं किया गया है, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को उनकी ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों से लेनदेन में किसी से संबंधित सूचना देने से छूट देता है, जो राज्य द्वारा नियंत्रित हो।

2. इसके अलावा, लेखा मानक 18 के पैरा 5 के सन्दर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

3. रिपोर्ट की गई राशि प्रावधान का निवल है, यदि कोई हो।

4. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं और जहां कहीं आवश्यक हो, उन्हें पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

Items/ Related Party	Parent** (as per ownership or control)		Subsidiaries**		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year	Outstanding at year end	Maximum amount outstanding during the year
Interest paid on Deposits	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest Paid on IBPC	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest Paid Others	N.A	N.A	N.A	N.A	4.70	-	-	-	-	-	4.70	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(16.67)	-	-	-	-	-	(16.67)	-
Interest received on IBPC	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest received Others	N.A	N.A	N.A	N.A	586.65	-	-	-	-	-	586.65	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(860.17)	-	-	-	-	-	(860.17)	-
Receiving of Services	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendering of Services	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Management contracts	N.A	N.A	N.A	N.A	0.54	-	-	-	-	-	0.54	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(0.54)	-	-	-	-	-	(0.54)	-
Dividend received	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Charges	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest Paid on Bonds	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Commission Received	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenditure	N.A	N.A	N.A	N.A	194.21	-	-	-	-	-	194.21	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(79.16)	-	-	-	-	-	(79.16)	-
Other Income	N.A	N.A	N.A	N.A	288.90	-	-	-	-	-	288.90	-
	N.A	N.A	N.A	N.A	(436.16)	-	-	-	-	-	(436.16)	-

Notes: 1. **The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of para-9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.

2. Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

3. The amounts reported are net of provision, if any.

4. Figures in brackets relate to previous year and have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

4.8. लेखा मानक 19 – पट्टे (मूल कंपनी)

- परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होते हैं, जो कि बैंक के विकल्प पर सामान्य रूप से हर 3/5 वर्ष के अंत में नवीकरणीय होते हैं।
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2022 को गैर-रद्द करने योग्य पट्टा: शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)।
- परिचालन पट्टे के लिए लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि निम्नानुसार है:

चालू वर्ष		गत वर्ष	
पट्टे / किराए के परिसरों की संख्या	(राशि करोड़ रु. में)	पट्टे / किराए के परिसरों की संख्या	(राशि करोड़ रु. में)
15750	782.24	16050	790.74

4.9 लेखा मानक 20 – प्रति शेयर उपार्जन

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रति शेयर उपार्जन	बेसिक	3.53	2.64
	द्विसित	3.53	2.64
कर के पश्चात न्युमरेटर के रूप में उपजोड़ की गई राशि (रु. करोड़ में)		3860.74	2561.97
शेयरों का अंकित मूल्य		रु.2.00 प्रत्येक	रु.2.00 प्रत्येक
हर (डिनोमिनेटर के रूप में उपजोड़ किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या		10946723321	9705896011

4.10 आस्थगित कर आस्तियों और देयता के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
आस्थगित कर आस्तियां		
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	23821.55	25408.71
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	113.17	1227.01
पेंशन और उपदान के लिए प्रावधान	0.21	0.07
कर योग्य हानि (आगे ले जाया गया)	2353.34	1335.75
पूर्व-निगमन व्यय	0.05	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	162.44	0.29
अन्य आकस्मिकताएं	189.40	237.78
कुल	26640.16	28209.61
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-233.45	-164.13
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती	1170.31	1135.37
अन्य	0.00	216.91
कुल	936.86	1188.15
आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं) – निवल	25703.30	27021.46

4.8. Accounting Standard 19 - Lease (Parent Company)

- Operating lease primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the bank normally at the end of every 3 / 5th years.
- As per information available, Non-Cancellable lease as on 31.03.2022: NIL (Previous year: NIL).
- Amount of lease payment recognized in P & L Account for operating lease is as under:

Current Year		Previous Year	
No. of lease / rented premises	(Amount in ₹Crore)	No. of lease / rented premises	(Amount in ₹Crore)
15750	782.24	16050	790.74

4.9 Accounting Standard 20 - Earnings per Share

(Amount in ₹ Crore)

Particulars		Current Year	Previous Year
Earnings per Share	Basic	3.53	2.64
	Diluted	3.53	2.64
Amount used as numerator Profit after tax (Rs. In Crore)		3860.74	2561.97
Nominal value of shares		Rs.2.00 each	Rs.2.00 each
Weighted average number of equity shares used as the denominator		10946723321	9705896011

4.10 Major components of deferred tax assets and liability are set out below:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Assets		
Provision for bad & doubtful debts	23821.55	25408.71
Provision for leave encashment	113.17	1227.01
Provision for Pension & Gratuity	0.21	0.07
Taxable Loss (Carried Forward)	2353.34	1335.75
Pre-Incorporation Expenditure	0.05	0.00
Depreciation on fixed assets	162.44	0.29
Others Contingencies	189.40	237.78
Total	26640.16	28209.61
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on fixed assets	-233.45	-164.13
Deduction u/s 36(1)(viii) of Income-tax Act, 1961	1170.31	1135.37
Others	0.00	216.91
Total	936.86	1188.15
Deferred Tax Assets/ (Liability) – Net	25703.30	27021.46

4.11 लेखा मानक 28 – आस्तियों की क्षति

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियों' का है जिनपर लेखा मानक 28 "आस्तियों की क्षति" लागू नहीं होती है। बैंक की राय में इसकी आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) की उक्त मानक की शर्त के अधीन अपेक्षित मान्यता हेतु 31.03.2021 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक क्षति नहीं है। (गत वर्ष: बैंक की संपत्ति के एक बड़े हिस्से में 'वित्तीय संपत्ति' शामिल है, जिस पर लेखा मानक 28 "आस्तियों की क्षति" लागू नहीं है। बैंक की राय में, इसकी संपत्ति की कोई क्षति नहीं है (जिस पर मानक लागू होता है) 31.03.2021 तक किसी भी भौतिक सीमा तक उक्त मानक के अनुसार मान्यता की आवश्यकता है)।

4.12 लेखा मानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

i. देनदारियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव*

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	वेतन समझौते के अधीन वेतन बकाया	कानूनी मामले/ आकस्मिताएं
1 अप्रैल, 2021 तक शेष	44.00 (911.91)	74.20 (29.35)
अवधि के दौरान उपलब्ध कराया गया	0.00 (2026.41)	11.81 (48.95)
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशियां	0.00 (2316.96)	0.23 (0.23)
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	44.00 (577.36)	2.27 (3.87)
31.03.2022 को शेष	0.00 (44.00)	83.51 (74.20)
बहिर्गमन/ अनिश्चितता का समय	वास्तविक भुगतान पर	निपटान/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन
	वास्तविक भुगतान पर	निपटान/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन

*अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ii- लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
एनपीआई के लिए प्रावधान	348.50	-221.70
अनर्जक आस्तियों के प्रावधान	14123.13	17462.42
एनपीए के लिए अस्थायी प्रावधान (भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रावधानीकरण मानदंडों से अधिक)	0.00	0.00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1259.14	1214.38
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (एफबीटी और संपत्ति कर सहित)	918.50	1629.93
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	700.41	612.14
कुल	17349.68	20697.17

4.11 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2022 requiring recognition in terms of the said standard. (Previous year: A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2021 requiring recognition in terms of the said standard).

4.12 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Movement of provisions for liabilities *

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Salary arrears under negotiation	Legal cases/ contingencies
Balance as at 1 st April 2021	44.00 (911.91)	74.20 (29.35)
Provided during the year	0.00 (2026.41)	11.81 (48.95)
Amounts used during the year	0.00 (2316.96)	0.23 (0.23)
Reversed during the year	44.00 (577.36)	2.27 (3.87)
Balance as at 31.03.2022	0.00 (44.00)	83.51 (74.20)
Timing of outflow/ uncertainties	On actual Payment	Outflow on settlement / crystallization
	On actual Payment	Outflow on settlement / crystallization

* Excluding provisions for others

ii Break-up of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account is as follows:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provisions for NPI	348.50	-221.70
Provision towards NPAs	14123.13	17462.42
Floating provisions for NPAs (over and above RBI provisioning norms)	0.00	0.00
Provision towards Standard Assets	1259.14	1214.38
Provision made towards Income-tax (including FBT & Wealth Tax)	918.50	1629.93
Other Provisions & Contingencies	700.41	612.14
Total	17349.68	20697.17

4.13 आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची-12 देखें

ऐसी देयताएं न्यायालय/विवाचन/न्यायालय से बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान तथा मांगी गयी राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, सम्बद्ध पक्षों द्वारा की गयी तथा उठाई गयी मांगों पर क्रमशः आधारित है। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

4.14 अस्थायी प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रारंभिक शेष	0.00	360.25
वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	24.12
वर्ष के दौरान आहरण (झा डाउन) का उद्देश्य और राशि	0.00	384.37
अंतिम शेष	0.00	शून्य

4.15. प्रकटीकरण: चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

“बैंक ने यूनाइटेड किंगडम नियंत्रक प्रुडेंशियल विनियामक प्राधिकरण (पीआरए) को एक चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है जिसमें इस बात का आश्वासन दिया गया है कि बैंक अपनी अनुषंगी पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यू.के. को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ताकि वह देय होने पर अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताएं पूरी कर सके।”

हमारी सहायक कंपनी पीएनबीआईएल के संदर्भ में पीआरए के पक्ष में हमारे बोर्ड की मंजूरी लेने के बाद 15.03.2022 को उक्त चुकौती आश्वासन पत्र का नवीनीकरण किया गया है, जिसमें हमने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नवीनीकरण पीआरए और आरबीआई के निर्देश के अनुसार किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने समूह संस्थाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और इसलिए, चुकौती आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

4.16. प्रकटीकरण: वचन पत्र

“बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA), गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात को एक वचन पत्र जारी किया है कि वह यूएसडी 20.00 मिलियन की आवश्यक पूंजी सहायता प्रदान करेगा।

इसके अलावा, बैंक इस बात की पुष्टि करता है कि वह इस तरह का समर्थन और सहायता प्रदान करेगा (जब भी आवश्यक हो, तरलता सहित) और संचालन के दौरान दायित्वों को पूरा करने के लिए आईएफएससी बैंकिंग यूनिट को सक्षम करने के लिए विनियोजित किया जा सकता है।

उपरोक्त के अलावा बैंक ने विदेशी शाखाओं के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और चुकौती आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

4.17 समेकित वित्तीय परिणाम “समेकित वित्तीय विवरण” पर लेखा मानक 21 के अनुसार, “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए

4.13 Refer Schedule-12 on Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively. No reimbursement is expected in such cases.

4.14 Break-up of Floating Provisions is as follows:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	0.00	360.25
Quantum of floating provisions made during the year	0.00	24.12
Purpose and amount of draw down made during the year	0.00	384.37
Closing balance	0.00	NIL

4.15. Disclosure: Letter of Comfort (LoC)

“The Bank has issued a Letter of Comfort to Prudential Regulation Authority (PRA), the regulator in United Kingdom, committing that the bank shall provide financial support to its subsidiary, Punjab National Bank (International) Ltd., UK so that it meets its financial commitments as and when they fall due”.

The said letter of Comfort has been renewed on 15.03.2022 after seeking approval of our Board in favor of PRA w.r.t. our subsidiary PNBIL wherein we have reiterated our commitment. The renewal was done as per instruction of PRA and RBI.

Apart from the above, the Bank has not issued any Letter of Comfort to Group Entities (Excl. RRBs) and therefore, there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

4.16. Disclosure: Letter of Undertaking

“The Bank has issued a Letter of Undertaking to International Financial Services Centers Authority (IFSCA), GIFT City, Gandhinagar, Gujarat that it will provide necessary Capital support of USD 20.00 Mio.

Further, the Bank hereby confirms that it will provide such support and assistance (including liquidity, whenever needed) and may be appropriated to enable the IFSC Banking Unit to meet obligations in the course of the operation”.

Apart from the above the Bank has not issued any Letter of Comfort for overseas branches and there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort

4.17 The Consolidated financial results are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on “Consolidated

लेखांकन” पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा और आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देश लेखा मानक 23 और “संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग” पर लेखा मानक 27 के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

4.18. भारत सहित कई देशों में कोविड-19 महामारी इसके परिणामस्वरूप वैश्विक और साथ ही भारतीय वित्तीय बाजारों और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गिरावट और अस्थिरता आई है। भारत सरकार ने मार्च 2020 के बाद से लॉक डाउन उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की, जो विभिन्न सरकारों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रचलित स्थिति के आधार पर विभिन्न समय पर गतिविधियों और इसके परिणामस्वरूप व्यापार और आम जीवन के लिए उठाई गई और फिर से लागू की गई।

कोविड-19 के नए रूपों के कारण स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। कोविड-19 महामारी बैंक के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा। बैंक के लिए प्रमुख पहचानी गई चुनौतियाँ नकदी-प्रवाह और विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र के क्षरण से उत्पन्न होंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक सभी मोर्चों पर खुद को तैयार कर रहा है।

4.19. धोखाधड़ी खाते

		चालू वर्ष	गत वर्ष
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	उधारकर्ता	142	153 [@]
	गैर उधारकर्ता	289	561 [#]
	कुल	431	714
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	उधारकर्ता	9553.81	10872.49
	गैर उधारकर्ता	25.99	75.02
	कुल	9579.80	10947.51
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	उधारकर्ता	8524.87	9197.38
	गैर उधारकर्ता	19.26	54.99
	कुल	8544.13	9252.37
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित' से नामे किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि। (₹ करोड़)	—	1028.95	1013.10

[@]153 खातों में से, 13 खाते पुराने धोखाधड़ी मामले के हैं और ₹ 854.49 करोड़ की वृद्धि की गई है और अनुकूलीकरण के कारण आरबीआई को अपडेट किया गया है। 561 खातों में से, 1 खाता पुराने धोखाधड़ी मामले का है और ₹18.00 करोड़ की वृद्धि की गई है और अनुकूलीकरण के कारण आरबीआई को अपडेट किया गया है।

1. जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ें पुनः समूहित/ पुनः व्यवस्थित/ पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।
2. जहाँ भी आंकड़े प्रकोष्ठ में दिए गए हैं (मद सं. 4.5 - लेखा मानक 15- कर्मचारी लाभ को छोड़कर), वे पिछले वर्ष से सम्बन्धित हैं।

Financial Statements”, Accounting Standard 23 on “Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements” and Accounting Standard 27 on “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India and guidelines issued by RBI.

4.18. COVID - 19 pandemic across several countries including India has resulted in a significant decline and volatility in global as well as Indian financial markets and economic activities. The Government of India announced a series of lock down measures since March 2020 onwards, which were lifted and re-imposed for activities by various Governments at various points of time depending on the situation prevailing in their respective jurisdictions and the same had resulted in disruption of business and common life.

The situation continues to be uncertain due to new variants of COVID-19 and the Bank is evaluating the situation on ongoing basis. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank’s results will depend on future developments. The major identified challenges for the Bank would arise from eroding cash-flows and extended working capital cycles. The Bank is gearing itself on all the fronts to meet these challenges.

4.19. Fraud accounts

		Current Year	Previous Year
Number of frauds reported	Borrowal	142	153 [@]
	Non Borrowal	289	561 [#]
	TOTAL	431	714
Amount i volved in fraud (₹ crore)	Borrowal	9553.81	10872.49
	Non Borrowal	25.99	75.02
	TOTAL	9579.80	10947.51
Amount of pro- vision made for such frauds (₹ crore)	Borrowal	8524.87	9197.38
	Non Borrowal	19.26	54.99
	TOTAL	8544.13	9252.37
Amount of Unam- ortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year. (₹ crore)	-	1028.95	1013.10

[@]Out of 153 accounts, 13 accounts are old fraud cases & ₹854.49 Crores have been enhanced & updated to RBI due to harmonization. [#]Out of 561 accounts, 1 account is old fraud case & ₹18.00 Crores have been enhanced & updated to RBI due to harmonization.

1. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary to conform to current period’s classification.
2. Figures in the bracket wherever given (except Item no. 4.5 - Accounting Standard 15 - Employees Benefits) relates to previous year.

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

		(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)	
विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021	
ए. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह A. Cash Flow from Operating Activities			
कर के पश्चात निवल लाभ Net Profit/(Loss) after Tax	3,860.74	2,561.97	
कर के लिए प्रावधान Provision for Tax	918.56	1,632.03	
(I) कर से पूर्व निवल लाभ Net Profit before taxes	4,779.30	4,194.00	(i)
(II) निम्नलिखित के लिए समायोजन Adjustments for:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	896.17	982.23	
निवेश (निवल, पर मूल्यह्रास/(रिलिज) Depreciation/(Release) on Investments [net]	804.87	659.56	
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for non performing assets	14,136.09	17,403.04	
मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision on Standard Assets	1,648.42	1,280.67	
अन्य प्रावधान (निवल) Other Provision (net)	311.08	568.24	
एसोसिएट्स में उपार्जन का शेयर Shares of earning in Associates	(231.63)	(542.16)	
अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से लाभ (हानि) Profit / Loss on sale of Fixed Assets (net)	(14.40)	12.74	
बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds	2,202.25	1,992.87	
उप जोड़ Sub Total	19,752.86	22,357.19	(ii)
परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ Operating Profit before Changes in Operating Assets and Liabilities	24,532.16	26,551.19	(i+ii)
(III) परिचालन आस्तियों व देयताओं में निवल परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities			
निवेशों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Investments	15,205.07	(19,674.40)	
अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Advances	(68,538.09)	4,878.64	
अन्य परिसंपत्तियों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Other Assets	938.74	(6,418.54)	

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
जमा राशियों में वृद्धि/(ह्रास) Increase / (Decrease) in Deposits	40,517.59	35,746.18
उधारों में वृद्धि/(ह्रास) Increase / (Decrease) in Borrowings	4,619.51	(30,005.77)
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास) Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	4,286.47	(9,523.45)
	(iii)	(24,997.34)
परिचालनों से निर्मित नकदी Cash generated from Operations	(i+ii+iii)	1,553.85
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदेय राशि को छोड़कर) Direct Taxes paid (net off Refund)	(1,629.12)	(314.32)
ए. परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी A. Net Cash from Operating Activities	(ए) (A)	1,239.53
बी. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह B- Cash Flow from Investing Activities		
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री को घटाकर) Purchase of Fixed Assets (net off Sales)	(536.38)	(786.84)
सहायक संस्थाओं/जेवी/आरआरबी (यों) में निवेश (निवल) Investment in Subsidiaries/JV/RRBs (net)	(567.99)	-
	-	-
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी Net Cash used in Investing Activities	(बी) (B)	(786.84)
सी. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह C. Cash flow from Financing Activities		
शेयर पूंजी/शेयर आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम Share Capital/Share Application Money/Share Premium	1,793.05	3,777.33
जारी/बॉण्डों का (मोचन) (निवल) Issue/(Redemption) of Bonds (net)	2,454.02	3,505.11
बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds	(2,202.25)	(1,992.87)
समामेलन के परिणामस्वरूप आंशिक पात्रता के लिए ई-ओबीसी और ई-यूएनआई के शेयर धारक को नकद भुगतान Cash paid to Shareholder of e-OBC & e-UNI towards fractional entitlement consequent to amalgamation	-	(0.50)
अल्पांश ब्याज में वृद्धि/(ह्रास) Increase/ (Decrease) in Minority Interest	(13.32)	126.10
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी Net Cash from Financing Activities	(सी) (C)	5,415.17
डी. सामेलन से प्राप्त नकदी और नकदी तुल्य D. Cash and Cash Equivalents received on account of amalgamation	(डी) (D)	29,710.82
ई. नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल परिवर्तन E. Net Change in Cash and Cash Equivalents	(ए+बी+सी+डी) (A+B+C+D)	35,578.68

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2021
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी तुल्य Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	44,267.27	38,603.79
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	69,067.16	39,151.96
	113,334.43	77,755.75
तिमाही के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य Cash and Cash Equivalents at the end of the quarter		
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	57,027.84	44,267.27
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धन Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	77,166.04	69,067.16
	134,193.88	113,334.43

टिप्पणियाँ

Notes :-

- प्रदत्त प्रत्यक्ष करों (प्रतिदेय को घटाकर) को परिचालन कार्यकलापों से उद्धृत माना गया है तथा इन्हें निवेश तथा वित्तीयन कार्यकलापों के मध्य विभक्त नहीं किया गया है।
Direct taxes paid (net off refund) are treated as arising from operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.
- ऋणात्मक में दिए गए सभी आंकड़े 'नकदी बाह्य प्रवाह' दर्शाते हैं
All figures in minus represents "Cash Out Flow"
- पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनः समूहित किया गया है।
Figures of previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform current period classification.

प्रबुद्ध शर्मा
Prabudh Sharma
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

पी के वाष्ण्य
P K Varshney
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

आर के खीची
R K Khichi
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

प्रवीण कुमार शर्मा
Praveen Kumar Sharma
महाप्रबंधक
General Manager

डी के जैन
D K Jain

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ
Chief General Manager (Finance) and CFO

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरूप कुमार साहा
Swarup Kumar Saha
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

विजय दुबे
Vijay Dube
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

संजय कुमार
Sanjay Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director and CEO

डॉ रेखा जैन
Dr. Rekha Jain

निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi

निदेशक
Director

गौतम गुहा
Gautam Guha
निदेशक
Director

अनिल कुमार मिश्रा
Anil Kumar Misra
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co. LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000050एन/एन500045
FRN: 000050N/N500045

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 001537सी
FRN: 001537C

कृते पीएसएमजी और एसोसिएट्स
For PSMG & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन:008567सी
FRN:008567C

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 0849993)
(M.No. 0849993)

सनदी लेखाकार प्रवीण गोयल
CA Praveen Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 074789)
(M.No. 074789)

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 077281)
(M.No. 077281)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार सुभाष चंद बापना
CA Subhash Chand Bapna
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 071765)
(M.No. 071765)

सनदी लेखाकार जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो
CA Jagannath Prasad Mohapatro
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 217012)
(M.No. 217012)

दिनांक : मई 11, 2022
Date : May 11, 2022
स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने 31 मार्च 2022 को पंजाब नैशनल बैंक ("बैंक"), इसकी अनुषंगियों (मूल और इसकी अनुषंगियों को एक साथ "समूह" कहा जाता है), और सहायक कंपनियों की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और इसके साथ संलग्न अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखापरीक्षित की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 11 मई 2022 के माध्यम से हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई पंजाब नैशनल बैंक (बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ;
 - अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 04 अनुषंगी और 11 सहायक कंपनियों की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियाँ और;
 - 01 अनुषंगियों और 03 सहायक कंपनियों के गैर लेखापरीक्षित लेखा।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं अनुषंगियों और सहायक कंपनियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई अनुषंगियों/सहायक कंपनियों की गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करती हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:
 - समेकित तुलन पत्र, इस पर दिए गए नोट्स के साथ पठित, सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2022 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके;
 - समेकित लाभ और हानि लेखा, इस पर दिए गए नोट के साथ पठित, लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा
 - उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण, नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

- हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियाँ

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Punjab National Bank

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

- We have audited the attached Consolidated Financial Statements of Punjab National Bank ("the Bank"), its subsidiaries (the parent and its subsidiaries together referred to as "the group"), and associates as at 31 March 2022, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:
 - Audited Financial Statements of Punjab National Bank (the Bank), audited by us, vide our audit report dated 11 May 2022;
 - Audited Financial Statements of 04 Subsidiary and 11 Associates, audited by other auditors; and
 - Unaudited accounts of 01 Subsidiaries and 03 Associates.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries and associates, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries/ associates as furnished by the management the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and :
 - the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair view of Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31 March, 2022;
 - the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and
 - the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are

आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में वर्णित की गई हैं। भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षक मामले

4. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। ये मामले वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के सन्दर्भ में समग्र रूप से देखे गए और उन पर अपना मत बनाने में, हमने इन मामलों पर अलग मत नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निम्न वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में कैसे हमारे मामले को दर्शाया गया है
<p>अग्रिम – वर्गीकरण और प्रावधानीकरण</p> <p>(लेखांकन नीति संख्या 5 के साथ पठित, समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें)</p> <p>अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधान किया गया है। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के तहत एसएएससीएल एप्लीकेशन में अग्रिमों की पूरी प्रणाली संचालित निर्धारण और उनका वर्गीकरण लागू किया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि और अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है। आवश्यकता के आधार पर इसकी समीक्षा मैनुअल रूप से भी की जाती है।</p> <p>विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण में उच्च</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आस्तियों के वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्र, दिशा-निर्देश और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश एवं निदेश और बैंक के आंतरिक निर्देश और प्रक्रियाएं सम्मिलित की गईं और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और समझा गया। • डिजाइन और कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक परीक्षण के संचालनात्मक प्रभावशीलता की परीक्षण जाँच की गई, जिसमें अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया के संयोजन की जांच भी शामिल है।

further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. We are independent of the Group in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidate Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
<p>Advances – classification and provisioning</p> <p>(Refer Schedule 9 to the Consolidated Financial Statements, read with the Accounting Policy No.5)</p> <p>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The Bank has implemented complete system driven recognition of advances and their classification in SASCL Application under Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. The same are also reviewed manually based on necessity.</p> <p>In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the</p>	<p>Our audit approach included an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the Reserve Bank of India and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. • Test checked the design and implementation as well as operational effectiveness of relevant internal controls and substantive testing, including involvement of manual process in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.

स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुतः गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, और वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।

- तर्क/डेटा की सटीकता को लागू करने/कार्यान्वयन में त्रुटियों एवं चूक और इसकी सुधारात्मक कार्रवाई की पहचान करने के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की।
- किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक संचालन या कमजोरी का पता लगाने के लिए, बड़े और दबावग्रस्त अग्रिमों की जांच के आधार पर प्रलेखनों, परिचालन/प्रदर्शन और अग्रिम खातों की निगरानी हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं/संबंधित प्रभागों के संबंध में आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण की जांच की समीक्षा की गई। शाखा सांविधिक लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में, हमने उनकी रिपोर्टों पर भरोसा किया है।
- “एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताएं” की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल आवेदन (आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की।
- परीक्षण जांच के आधार पर किसी प्रतिकूल विशेषताओं/टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखापरीक्षा, निरीक्षण लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, नियामक लेखा-परीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा की है और बैंक सिस्टम से जारी रिपोर्ट की समीक्षा की।

security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the financial statements the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.

- Reviewed the Bank’s monitoring mechanisms to identify errors and omission in applying/ implementation of logic / data integrity and .its corrective action.
- Reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, examination of classification as per prudential norms of the RBI, in respect of the branches / relevant divisions audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports.
- Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of “Baseline Requirements for the NPA classification Solution”.
- Reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments, and reviewed the reports generated from the Bank’s system.

	<p>हमारा परिणाम:</p> <p>लेनदेनों के महत्व को देखते हुए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।</p>		<p>Our Results:</p> <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.</p>
<p>निवेश – मूल्यांकन, और गैर-निष्पादित निवेशों के लिए पहचान एवं प्रावधान</p> <p>(लेखांकन नीति संख्या 4 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें)</p> <p>बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बांड्स, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीदों और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश शामिल है, जिन्हें परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।</p> <p>निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान (एनपीआई) और आय का तदनुसार गैर-निर्धारण तथा उस पर प्रावधान, आरबीआई के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाए, जिसमें एफबीआईएल दरों, बीएसई/एनएसई में उद्धृत दरों, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी (NAV) और प्रतिभूति रसीदों आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े/सूचना का संग्रह शामिल है। कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं।</p>	<p>भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में डिजाइन की समीक्षा व जाँच, कार्यान्वयन, आंतरिक नियंत्रण का परिचालन प्रभाव और मूल्यांकन से संबंधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, निवेशों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान/अवमूल्यन शामिल है।</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया। निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ शुद्धता और अनुपालन की जाँच की। हमने एनपीआई की पहचान, और आय के अनुकूल परिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आंकलन और मूल्यांकन किया। <p>हमारा परिणाम:</p> <p>महत्व को देखते हुए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।</p>	<p>Investments – valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments</p> <p>(Refer Schedule 8 to the Consolidated Financial Statements, read with the Accounting Policy No.4)</p> <p>Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade.</p> <p>Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. Certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the</p>	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines</p> <ul style="list-style-type: none"> We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions. We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. <p>Our Results:</p> <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality.</p>

<p>इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक न होकर, आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकती है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा का मामला माना गया है।</p>		<p>valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements the same has been considered as Key Audit Matter in our audit</p>	
<p>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आंकलन:</p> <p>आईटी, आईआरएसी मानदंडों सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई विभिन्न रिपोर्टों, लेनदेनों की रिकॉडिंग के संबंध में नियंत्रण रखता है।</p> <p>नियामकों आदि के लिए अन्य अनुपालन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों की प्रभावी कार्यप्रणाली पर निर्भर है।</p> <p>हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना है, क्योंकि नियंत्रण में कोई भी चूक, सत्यापन विफलताओं, गलत इनपुट डेटा और डेटा के गलत निष्कर्षण के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में ये शामिल हैं: –</p> <ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कोडिंग प्रणाली को समझना • बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की जिसमें एप्लीकेशन, अभिगम (एक्सेस) नियंत्रण शामिल हैं, जो नमूना जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और बैंक में मौजूदा आईटी प्रणाली से वित्तीय जानकारी और स्टेटमेंट निकालना। • बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी बदलाव के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना। • सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोर्टों की समीक्षा की। • “एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताएं” की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल आवेदन (आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। 	<p>Assessment of Information Technology (IT):</p> <p>IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms.</p> <p>Other compliances to regulators etc is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems.</p> <p>We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.</p>	<p>Our audit approach included:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Understanding the coding system adopted by the bank for various categories of customers. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank. • Checking of the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the bank. • Reviewed the reports generated by the system on sample basis. • Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution".

	<p>हमारा परिणाम</p> <p>हालांकि, निरंतर प्रगति हो रही है, लेकिन अभी भी सिस्टम को सिस्टम से इनपुट/आउटपुट डेटा में आ रही कमियों को नियंत्रित करने की क्षमता सशक्त बनाने की आवश्यकता है</p>		<p>Our Result</p> <p>There is continuous progress, still the system needs to be strengthened for its efficacy to control deficiencies of input/output data from the system.</p>
<p>मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ</p> <p>प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन तथा बैंक पर अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।</p> <p>बैंक का मूल्यांकन, मामले के तथ्य, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, जहाँ भी आवश्यक मानी जाती है, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को अत्यधिक प्रभावित कर सकते हैं।</p> <p>हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबंधित कानून के निर्णय/व्याख्या पर केंद्रित की गई थी।</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल थे:-</p> <ul style="list-style-type: none"> कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना; विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या संचार की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय और उसमें उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह के गुणदोष का मूल्यांकन; तथा जहां भी आवश्यक हो, कानूनी और कर सलाहकारों की राय पर भरोसा किया जाता है। 	<p>Litigation & Contingent Liabilities</p> <p>Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes and various other claims filed by other parties upon the Bank not acknowledged as debts.</p> <p>The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the Balance Sheet.</p> <p>We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of litigations which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.</p>	<p>Our audit approach included:-</p> <ul style="list-style-type: none"> Going through the current status of the tax litigations and contingent liabilities; Examining the orders and/or communication received from various Tax Authorities/ Judicial forums and follow up action thereon; Evaluating the merits of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice; and Wherever required, reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants.

महत्वपूर्ण मामले

5. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- ए. बैंक द्वारा साख पत्र और बैंक गारंटी पर उस अवधि के लिए अर्जित सीमा के लिए आनुपातिक आधार पर कमीशन की राजस्व निर्धारण की नीति में परिवर्तन के संबंध में अनुसूची

Emphasis of Matter

5. We draw attention to following:

- a. Note No. 15 (a) of Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding change in policy of revenue recognition of commission on Letter of Credit

18 की नोट संख्या 15 (ए) ।

- बी. पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण 3,093.95 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में, एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 15 (ई) (ii) । बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाते में 1573.79 करोड़ रुपये की राशि भारत की गई है और शेष 1520.16 करोड़ रुपये के असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है ।
- सी. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 30, जो नोवेल कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं और बैंक के व्यवसाय परिचालन पर इसके प्रभाव के प्रबंधन के आकलन का वर्णन करती है ।

and Bank Guarantee by the Bank on prorata basis to the extent accrued for the period.

- b. Note No. 15 (e) (ii) of Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 3,093.95 crores. The Bank has charged an amount of Rs. 1573.79 crores to the Profit and Loss Account during year ended 31 March 2021 and the balance unamortized expense of Rs. 1520.16 crores have been carried forward.
- c. Note No.30 of Schedule 18 to the consolidated financial statement, which describes the uncertainties due to outbreak of novel corona virus (COVID 19) and the management's assessment of its impact on the business operations of the Bank.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है ।

Our opinion is not modified in respect of these matters.

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है । अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट, अनुलग्नक सहित, निगमित अभिशासन रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टें शामिल है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियाँ शामिल नहीं हैं और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं/ नहीं करेंगे ।

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors' Report, including annexures, Corporate Governance Report and other reports (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते हुए, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है ।

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

यदि, हमने जो कार्यनिष्पादन किया है उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के तथ्य गलत हैं, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है । हमें इस संबंध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है ।

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा शासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं । इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of

को रोकने और पता लगाने के लिए; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कार्यशील संस्था के रूप में बैंक की क्षमता का आंकलन करने, यथा लागू कार्यशील संस्था से संबंधित मामले और लेखांकन के प्रचलित रूप का उपयोग करते हुए प्रकटीकरण करने जब तक प्रबंधन या तो बैंक को परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण पूर्णतः भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी सम्मति भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए (SAs) के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा सदैव किसी महत्वपूर्ण सामग्री के गलत होने का पता लगाएगी जब यह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि, यह संभावना है कि व्यक्तिगत या समग्र रूप से, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए (SAs) के अनुसार एक लेखापरीक्षा के खंड के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षण में व्यवसायी संदेहवाद को बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिम पहचानते और उनका आंकलन करते हैं कि, क्या वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हैं, इन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करें और कार्रवाई करें, तथा लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारे विचार को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अभिभाविता शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि समेकित वित्तीय विवरणों पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की जा सके।

the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control on the consolidated financial statements.

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के कार्यशील संस्था के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की गतिशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, हमें अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से बैंक गतिशील संस्था के रूप में जारी नहीं रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और उसके सहयोगियों के भीतर संस्थाओं के समेकित वित्तीय परिणामों/ वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

भौतिकता, बयानों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता, आर्थिक निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन प्रभारियों के साथ अन्य मामलों सहित, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार तथा समयसीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया गया हो के संबंध में चर्चा करते हैं, जो लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई हों।

हम उन शासन प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the consolidated financial results/financial information of the entities within the Group and its associates to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in; (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to

किया है, और उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में उनके साथ संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपाय जहां भी लागू हो, पर प्रभाव डालने के लिए उचित माने जा सकते हैं।

शासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करते या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हमने यह पाया है कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लाभ पर भारी पड़ सकते हैं।

अन्य मामले

9. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारियाँ शामिल हैं:
 - चार (04) अनुषंगी अर्थात् (i) ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड, (ii) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (iii) पीएनबी निवेश सेवाएँ लिमिटेड एवं (iv) पीएनबी काडर्स और सेवाएँ लिमिटेड जिसकी वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2022 को रु.18053.63 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल रु. 896.84 करोड़ का राजस्व, और रु. 174.29 करोड़ का कर देने के बाद कुल शुद्ध लाभ/ हानि के समूह का शेयर दर्शाती है जो लेखा-परीक्षा इसके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय पूरी तरह से उक्त लेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर आधारित है।
 - 11 घरेलू सहायक कंपनियों जिनके वित्तीय परिणामों/विवरणों में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु.257.26 करोड़ का कर देने के पश्चात् शुद्ध लाभ में समूह का शेयर शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारियों की लेखा-परीक्षा इसके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और हमारी राय पूरी तरह से उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।
10. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारियाँ शामिल हैं:
 - एक (01) अनुषंगी अर्थात् (i) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लि. जिनकी वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2022 को रु.7730 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु.307.91 करोड़ का कुल राजस्व और कर देने के बाद रु. 99.34 करोड़ के कुल शुद्ध लाभ का शेयर दर्शाती है, बैंक प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत कर दी गई हैं।

communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9. The accompanying consolidated financial statements includes the audited financial statements and other financial information, in respect of:
 - Four (04) subsidiaries viz. (i) Druk PNB Bank Limited, (ii) PNB Gilts Limited, (iii) PNB Investment Services Limited and (iv) PNB Cards and Services Limited whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 18053.63 crore as at 31 March 2022, total revenues of Rs. 896.84 crore, and the Group's share of total net profit/(loss) after tax of Rs. 174.29 crore for the year ended on that date have been audited by its respective independent auditor whose reports have been furnished to us, and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.
 - Eleven (11) domestic associates whose financial results/ statements include Group's share of net profit after tax of Rs. 257.26 crore for the year ended 31 March 2022 respectively, as considered in the consolidated financial statements whose financial results/financial statements, other financial information has been audited by their respective independent auditors whose audit reports have been furnished, and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.
10. The accompanying consolidated financial statements includes the unaudited financial results/statements and other unaudited financial information, in respect of:
 - One (01) subsidiary viz. (i) Punjab National Bank (International) Ltd. whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 7730 crore as at 31 March, 2022, total revenues of Rs. 307.91 crore and share of total net profit after tax of Rs. 99.34 crore for the year ended on that date have been furnished by the management of the Bank.

- दो (02) घरेलू सहायक कंपनियां तथा एक (01) विदेशी सहायक कंपनी जिनके वित्तीय परिणामों/विवरणों में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु. (0.16) करोड़ के कर पश्चात् शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण/ अन्य वित्तीय जानकारीयां बैंक प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

हमारी राय में और निदेशक मंडल द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

11. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा तैयार किया गया है;
12. उक्त 9 एवं 10 परिच्छेद में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 1. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
 2. बैंक के लेन-देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं; और
 3. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है; और
 4. हमने ऐसा कोई वित्तीय लेन-देन या मामला नहीं देखा है जिसका बैंक के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
13. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति-वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए उत्तरवर्ती पत्राचार दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पठित पत्र संख्या डीओएस. एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 के अनुसार आवश्यक है, हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:
 1. हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जब तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत न हो।

- Two (02) domestic associates and one (01) foreign associate whose financial results/ statements include Group's share of net profit/(loss) after tax of Rs. (0.16) crore for the year ended 31 March 2022 respectively, as considered in the Consolidated Financial Statements whose financial results/financial statements, other financial information has been furnished by the management of the Bank.

In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Board of Directors, these financial statements/financial results / financial information are not material to the Group.

Our opinion on the Statement is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
12. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 9 and 10 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;
 - c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit; and
 - d. We have not observed any financial transaction or matter which has adverse effect on the functioning of the bank.
13. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a. In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

- | | |
|--|--|
| <p>2. वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणी नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।</p> <p>3. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।</p> <p>4. बैंक के खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।</p> <p>5. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है।</p> | <p>b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.</p> <p>c. As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.</p> <p>d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith of the Bank.</p> <p>e. The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement.</p> |
|--|--|

14. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

1. हमारी राय में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित खाता-बहियां यथोचित रूप से रखी हैं, जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं;
2. इस रिपोर्ट द्वारा देखे गए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;
3. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और
4. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत न हो।

14. We further report that:

- a. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी
For S N Dhawan & Co LLP
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 000050एन/एन500045
FRN 000050N/N500045

सनदी लेखाकार सुरिंदर कुमार खट्टर
CA Surinder Kr. Khattar
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 084993)
(M. No. 084993)
यूडीआईएन: 22084993एआईयूक्यूक्यूजेड3077
UDIN: 22084993AIUQQZ3077

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
For S R Goyal & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 001537सी
FRN: 001537C

सनदी लेखाकार प्रवीण गोयल
CA Praveen Goyal
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 074789)
(M. No. 074789)
यूडीआईएन: 22074789एआईयूकेईएल8209
UDIN: 22074789AIUKEL8209

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
For P S M G & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 008567सी
FRN: 008567C

सनदी लेखाकार संदीप जैन
CA Sandeep Jain
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 077281)
(M. No. 077281)
यूडीआईएन: 22077281एआईयूकेईएल9859
UDIN: 22077281AIUKME9859

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 115649डब्ल्यू
FRN 115649W

सनदी लेखाकार सुभाष चंद बापना
CA Subhash Chand Bapna
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 071765)
(M. No. 071765)
यूडीआईएन: 22071765एआईयूआरटीओ9424
UDIN: 22071765AIURTO9424

स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांक: 11 मई, 2022
Date: 11 May 2022

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 304138ई
FRN 304138E

सनदी लेखाकार जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो
CA Jagannath Prasad Mohapatro
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 217012)
(M. No. 217012)
यूडीआईएन: 22217012एआईयूएलजेडएफ5228
UDIN: 22217012AIULZF5228



कार्यपालक निदेशकों श्री संजय कुमार, श्री विजय दुबे, श्री स्वरूप कुमार साहा एवं श्री कल्याण कुमार द्वारा श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का स्वागत

Shri Atul Kumar Goel, MD & CEO welcomed by EDs' Shri Sanjay Kumar, Shri Vijay Dube, Shri Swarup Kumar Saha & Shri Kalyan Kumar



पीएनबी प्रधान कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के साथ कार्यपालक निदेशक एवं सीवीओ

MD & CEO along with EDs' & CVO on the occasion of Republic Day at PNB Head Office, Dwarka, New Delhi



पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !



punjab national bank
...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या.4, द्वारका सेक्टर 10, नई दिल्ली - 110075
Head Office: Plot No 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075

[f](#) [t](#) [in](#) [v](#) [i](#) [p](#) [nbindia](#) | [www.pnbindia.in](#)